पंचदश माला, खंड 16, अंक 16

मंगलवार, 15 मार्च, 2011
24 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 82
Dated 16 Feb 2014

(खण्ड 16 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

' 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)]

अंक 16, मंगलवार, 15 मार्च, 2011/24 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
राजस्थान में जोधपुर के एक अस्पताल में संदूषित इंट्रावीनस फ्लुइड के इंजेक्शन के कारण 17 महिलाओं की मृत्यु	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 265	2-53
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 266 से 280	53-152
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	153-812
सभा पटल पर रखे गए पत्र	813-834 और 911
राज्य सभा से संदेश	834
प्राक्कलन संबंधी समिति	
विवरण	834
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	835
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. नारायणसामी	835-854
विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में	854-861
नियम 377 के अधीन मामले	862-872
(एक) राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और जल-विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	862-863

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात को द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड 863-864

(तीन) बीएचईएल के सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों की पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 864

(चार) नॉर्थ-साउथ कोरिडोर परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नरसिंहपुर में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री उदय प्रताप सिंह 864-865

(पाँच) छत्तीसगढ़ के रायपुर, जांजगीर चम्पा और रायगढ़ जिलों में पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को देखते हुए महानदी पर औद्योगिक बराजों की स्थापना के प्रस्ताव को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता

डॉ. चरण दास महन्त 865

(छह) देश में अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. एस. रामासुब्बू.................... 865-866

(सात) लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित द्वीपों में निर्मित पोतघाटों में खराबियों को ठीक किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईद 866-867

(आठ) छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को 'हाउस लीज स्कीम' के अंतर्गत मकानों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

कुमारी सरोज पाण्डेय.................... 867

(नौ) राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को नर्मदा परियोजना से जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 867-868

(दस) गुजरात के बड़ोदरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला.................... 868

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के सागर को घरेलू हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री भूपेन्द्र सिंह 868

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में औद्योगिक इकाइयों के कारण बढ़ते जल और वायु प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री बाल कुमार पटेल.................... 869

विषय **कॉलम**

(तेरह) बिहार के सुपौल ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन लोगों को बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण संपत्ति और फसलों की क्षति हुई, उनके लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार 869

(चौदह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक उप-केंन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 870

(पन्द्रह) केरल के पालक्काड़ जिले के ओट्टापालम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अतिरिक्त एक्स सर्विसमैन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज क्लीनिक तथा मिलिटरी कैंटीन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. बी. राजेश 870–871

(सोलह) महिलाओं पर तेजाब फेंकने में शामिल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 871

(सत्रह) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नदियों के कारण भूमि कटाव को रोकने के लिए एक कार्य योजना को बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 872

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12

विदेश मंत्रालय 872

श्री जसवंत सिंह 873–891

डॉ. शशि थरूर 891–911

श्री मुलायम सिंह यादव 911–921

विजय बहादुर सिंह 922–926

श्री शरद यादव 926–932

श्री एस. एस. रामासुब्बू 933–935

श्री नारनभाई कछाड़िया 935–936

श्रीमती दर्शना जरदोश 936–938

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 938–940

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 940–941

श्री कौशलेन्द्र कुमार 941–943

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 943–946

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय 946–950

डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 950–951

श्री पी. करुणाकरन 951–955

विषय **कॉलम**

श्री अर्जुन मेघवाल 955-957

श्री पन्ना लाल पुनिया 957-958

श्री आर. थामराईसेलवन 958-962

श्री वैजयंत जे. पांडा 962-966

श्री चंद्रकांत खैरे 966-969

श्री सी. शिवासामी 969-971

श्री नामा नागेश्वर राव 972-974

श्री जगदम्बिका पाल 974-976

श्री वीरेन्द्र कुमार 976-977

श्री जगदानंद सिंह 977-979

श्री प्रबोध पांडा 979-982

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 982-984

श्री शेर सिंह घुबाया 985-988

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 988-990

श्री एंटो एंटोनी 990-993

श्री असादूद्दीन ओवेसी 993-998

डॉ. चार्ल्स डिएस 998

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली 998-1000

श्री हसन खान 1000-1001

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 1001-1003

श्री जे.एम. आरुन रशीद 1004-1006

श्री बालकृष्ण के. शुक्ला 1006

श्री हमदुल्लाह सईद 1007-1008

श्री सानछुमा खुगुंर बैसीमुथियारी 1008-1009

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1031-1032

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1032-1042

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1043-1044

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1043-1044

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वनाथन

लोक सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 2011/24 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

राजस्थान में जोधपुर, के एक अस्पताल में संदूषित इंट्रावीनस फ्लूइड के इंजेक्शन के कारण 17 महिलाओं की मृत्यु

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण जोधपुर, राजस्थान के एक अस्पताल में संदूसित इंट्रावीनस फ्लूइड के इंजेक्शन के कारण 17 महिलाओं के मरने की सूचना मिली है।

यह सदन इस दुर्घटना पर जिससे मृतकों के परिवारों को गहरा दु:ख और संताप हुआ है, गहरा दु:ख व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोडी देर मौन खड़े होगें।

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

तत्पश्चात सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

प्रो. रामशंकर (आगरा): अध्यक्ष महोदया, सांसद के घर में घुसकर मारा गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः मादम जी, आपने जो नोटिस दिया है, जीरो ऑवर में हम आपको बोलने का मौका दे देंगे।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, सांसद के घर पर हमला किया गया। ...*(व्यवधान)* सांसद को लाठी मारी गयी। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः हम आप सबको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दे देंगे। अभी आप प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप सब बैठ जाइये। जिनके नोटिसेज हैं, उन सबको मैं जीरो ऑवर में बोलने का मौका दूंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप सब बैठ जाइये। आप ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया यह मत करें।

[हिन्दी]

अब प्रश्न संख्या 261–श्रीमती जे शांता

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कल भी प्रश्न काल नहीं चला। क्या आपको प्रश्न काल नहीं चलाना है? इतना उत्तेजित मत होइये। आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयाः अब प्रश्न संख्या 261–श्रीमती जे. शांता।

शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियां

***261. श्रीमती जे. शांताः**
श्री जय प्रकाश अग्रवालः

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मौजूदा शहरी भूमि नीति और शहरी आयोजना मॉडल देश के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बड़े महानगरों सहित देश के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती कलस्टरों की बढ़ती संख्या का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) कौन-कौन से राज्यों ने मानचित्रण की प्रक्रिया और मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण शुरु किया है और यह प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) मौजूदा शहरी योजना मॉडल्स और शहरी भूमि नीतियां मलिन बस्तियों के बनने का एक प्रमुख कारण है। अन्य कारणें में बढ़ता शहरीकरण जिसकी वजह से विशेषकर शहरी गरीबों के लिए उपलब्ध भूमि और बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ता दबाव तथा प्राकृतिक कारणों और प्रवास की वजह से भी शहरी गरीबों की आबादी में वृद्धि होना है। भूमि, बस्तियां बसाना तथा मलिन बस्ती राज्य के विषय हैं, इसलिए मलिन बस्तियों से जुड़े मसालों का समाधान करना मूलत: राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है।

केंद्र सरकार ने इस चुनौती के प्रत्युत्तर में वर्ष 2005 में जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का शुभारंभ किया तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) उपमिशन के जरिए स्लमवासियों/शहरी गरीबों को आश्रय और मूल नागरिक सुविधाओं समेत शहरों और कस्बों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उक्त मिशन के तहत कुल बजट का एक तिहाई से अधिक आबंटित कर रही है। शहरी गरीबों के लिए भूमि संबंधी मसलों के समाधान के लिए, जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत सभी आवासीय परियोजनाओं में विकसित भूमि का 20-25% निर्धारित करने संबंधी सुधार का उल्लेख है। इसे राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 में दोहराया गया है।

भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा मलिन बस्तीवासियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य उन राज्यों को सहायता उपलब्ध कराना है जो स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार सौंपने के इच्छुक हैं। राजीव आवास योजना के लिए तैयारी हेतु मार्च, 2010 में स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम का शुभारंभ किया गया है। मार्च 2010 में शुरु की गई स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम के तहत राज्यों से शहर, भूमि, आयोजना और विकास संबंधी दृष्टिकोणों की समीक्षा और उनमें संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसे समावेशी बनाया जा सके।

(ङ) स्लम शहर आयोजना स्कीम, समग्र शहर, समग्र स्लम कार्यनीति में मौजूदा स्लमों के पुनर्विकास के लिए व्यापक परिवार-वार स्लम आंकड़ों समेत जीआईएस आधारित स्लम मुक्त शहर आयोजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराती है। स्लम मुक्त शहर आयोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य तथा शहर स्तरीय तकनीकी सेल की स्थापना, स्लम सर्वेक्षण, जीआइएस मानचित्रण, जीआईएस तथा एमआइएस का एकीकरण एवं स्लम मुक्त शहरी योजना तैयार करने के लिए पहली किस्त के रूप में मार्च, 2010 में 20 राज्यों को 60 करोड़ रु. और मार्च, 2011 में 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30.29 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। आज की तारीख तक राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 15 राज्यों ने मानचित्रण तथा स्लम सर्वेक्षण कार्य शुरु कर दिया है। 15 राज्यों की सूची अनुबंध में दी गई है।

चूँकि स्लम मुक्त शहर आयोजना प्रक्रिया समय लगने वाला ऐसा कार्य है जो आवश्यक तकनीकी और कार्मिक संसाधन जुटाने संबंधी राज्य की क्षमता पर निर्भर है, इसलिए इस संपूर्ण कार्य को पूरा करने में लगने वाले सही समय का अनुमान लगना संभव नहीं है।

अनुबंध

मानचित्रण और स्लम सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरु करने वाले राज्यों की सूची

(1) आंध्र प्रदेश

(2) गुजरात

(3) हरियाणा

(4) कर्नाटक

(5) केरल

(6) मध्य प्रदेश

(7) महाराष्ट्र

(8) मणिपुर

(9) उड़ीसा

(10) राजस्थान

(11) तमिलनाडु

(12) त्रिपुरा

(13) उत्तर प्रदेश

(14) उत्तराखंड

(15) पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

श्रीमती जे. शांता: माननीय अध्यक्ष महोदया जी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन नाम से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपकी पार्टी की महिला मैम्बर बोल रही हैं, इसलिए आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जे. शांता: वर्ष 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपकी पार्टी की महिला मैम्बर बोल रही हैं, इसलिए आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जे. शांता: अध्यक्ष महोदया, इसका उद्देश्य शहर में रहने वाले गरीब लोगों ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन नाम से वर्ष 2005 में एक कार्यक्रम शुरु किया था। ...*(व्यवधान)* इसका उद्‌देश्य शहर में रहने वाले गरीब लोगों, विशेषकर स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए मौलिक तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ...*(व्यवधान)* इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के 65 चुंनिदा शहरों में गरीब लोगों, विशेषकर स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए सस्ता आवास तथा मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपकी अपनी पार्टी की महिला मैम्बर बोल रही हैं। आप उन्हें सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जे. शांता: इन बातों को ध्यान में रखते हुए ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उनकी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती जे. शांता: इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक के कुल कितने शहरों का चयन किया गया और उन शहरों के नाम क्या हैं? ...*(व्यवधान)* मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त राशि कर्नाटक को उपलब्ध करायी गयी? ...*(व्यवधान)* क्या कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की है? यदि की है, तो यह राशि कर्नाटक सरकार कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है? ...*(व्यवधान)*

कुमारी शैलजा: मैडम, कर्नाटक के लिए बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ...*(व्यवधान)* जवाहर लाल नेहरु मिशन के तहत, उसके तहत सात साल के एलोकेशन कर्नाटक के लिए 630 करोड़ रुपये के करीब थी। ...*(व्यवधान)* अभी तक हमने दोनों बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत 52 प्रोजेक्ट्स एप्रूव किये हैं।

इसकी टोटल कॉस्ट 1145 करोड़ रुपये है और सेंट्रल शेयर हमने 630 करोड़ रुपये कमिट किया है। आज तक हमने 302 करोड़ रुपये कर्नाटक के लिए रिलीज कर चुके हैं। अभी तक यहां पर हमने जो मकान एप्रूव किए हैं, उनकी संख्या 45455 है, अभी तक वहां जितने मकान कंप्लीट हो चुके हैं या अण्डर-प्रोग्रेस हैं, उनकी संख्या 33592 है। हम चाहेंगे कि जो मकान बन गए हैं, उनमें शीघ्र ही लोगों को बसाया जाए क्योंकि अभी तक केवल 4500 के करीब लोग उन मकानों में गए हैं। हम चाहेंगे कि इसकी प्रोग्रेस और अच्छे से करें, जल्दी से करें ताकि और ज्यादा लोग उनमें जाकर बस जाएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। अगर आप लोगों ने नोटिस दी है, तो जीरो आवर में बोलने के लिए समय देंगे। अभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती जे. शांता: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या राजीव आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान 1270 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2008-09 के दौरान 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस कार्यक्रम को कैबिनेट द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है? यदि हां, तो जो योजना अभी शुरु ही नहीं हुई है, उसके लिए पैसे आवंटित करने अथवा पैसे रोककर रखने की क्या आवश्यकता है, जबकि दूसरी अनेक योजनाएं धन आवंटन के लिए तरस रही हैं? वाल्मीकि-अम्बेडकर योजना एनडीए सरकार के समय में शुरू हुई थी, उसे अंतर्गत स्लम को, झोंपड़ियों को निकालकर उनकी जगह पर पक्का घर बनाने की सहायता मिलती थी। क्या यह योजना अभी भी चालू हैं? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कर्नाटक में कितने घर बनाए गए हैं? यदि नहीं, तो क्या इस योजना को रोक दिया गया? *...(व्यवधान)*

कुमारी सैलजा: मैडम, पहले हमारे यहां कई प्रोग्राम्स चल रहे थे, स्कीम्स चल रही थीं, वैम्बे जैसी स्कीम चल रही थी, एनएसडीपी जैसी स्कीम चल रही थी, लेकिन जब हमारी सरकार यूपीए-1 सत्ता में आई, तो पहली बार यह महसूस किया गया कि देश भर के जो अर्बन एरियाज हैं, शहर हैं, उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ रही है, शहरों में लोगों का आना बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन शहरों में रहना अब वह नहीं रहा, जो कि इंसान सोचता था। वहां पर खासतौर पर गरीबों के रहने की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने *...(व्यवधान)*

पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके प्रश्न का ही जवाब दे रही हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शांत रहिए। उनकी बात सुनिए।

कुमारी सैलजा: मैडम, पहली बार हमारी सरकार ने इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, जो कि इतिहास में पहला इतना बड़ा कार्यक्रम—जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन बनाया, 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इतना पहले कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* रुपये का प्रावधान किया गया। इतना पहले कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पहले उनकी बात सुन लीजिए। उनको उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा: मैडम, मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने यह सात साल का मिशन बनाया था और आज तक 38,000 करोड़ रुपये सिर्फ मेरे मंत्रालय से प्रोजेक्ट कॉस्ट के रूप में मंजूर हो चुके हैं। इतने पहले कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* वैम्बे वगैरह छोटी-छोटी स्कीम्स थीं, उनको सबस्यूम किया गया। इतना पैसा आज तक नहीं मिला है और इसके तहत, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत अब तक, लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 15 लाख से ज्यादा मकान हम मंजूर कर चुके हैं। क्या पहले कभी ऐसा हुआ था? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उनका उत्तर सुन लीजिए।

कुमारी सैलजा: मैडम, उसके बाद जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत हमारा अनुभव रहा है कि देश भर में जो गरीब लोग हैं, वे भी डिजर्व करते हैं कि एक अच्छे माहौल में रहें। क्या गरीब लोग हमेशा झोंपड़पट्टी में ही रहें *...(व्यवधान)* इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने इन लोगों की पहचान की और सोचा कि गरीब लोगों को भी अधिकार है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाएं और मंत्री महोदया को उत्तर देने दें।

कुमारी सैलजा: उन लोगों को मकान मिले, पीने का पानी मिले, बिजली मिले, वे लोग अच्छे ढंग से रह सकें, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, इन सारी बातों की पहचान करके हमने जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअवल मिशन की स्थापना की। उसमें हमारा अनुभव ठीक रहा। उसके बाद हमने महसूस किया कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमने राजीव गांधी आवास

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजना बनाने की बात कही, जिसकी घोषणा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की थी। हम चाहते हैं कि हमारा देश स्लम फ्री देश बने। इस विजन को ध्यान में रखकर हमने एक-एक राज्य सरकार से बात की और राजीव आवास योजना हम बनाने जा रहे हैं। इस योजना के तहत 2009-10 से पैसा आलरेडी राज्यों को देना शुरू कर दिया है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक ने राजीव गांधी आवास योजना के तहत आठ शहरों को चुना है, जिनमें आपका बेल्लारी शहर भी है। इन जगहों की स्लम फ्री विजन के तहत मैपिंग की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है।

इस बात को सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि जब हम गरीबों के बारे में बात करते हैं तो केवल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम योजना बनाकर भेज दें। गरीबों को उसके साथ जोड़ना भी बहुत जरूरी है। पूरी प्लानिंग के साथ यह स्कीम आ जाएगी। इसमें समय इसलिए लग रहा है, क्योंकि पांच राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव घोषित हो गए थे और कोड आप कंडक्ट लागू हो गया था इसलिए हम इस स्कीम को लागू नहीं कर सके। जैसे ही इन राज्यों के चुनाव पूरे हो जाएंगे, हम इस योजना को लागू करेंगे। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हम मैपिंग करें, जिससे हमें यह तो मालूम पड़े कि कितने स्लम हैं और कितने लोग वहां रह रहे हैं। मैं सभी सांसदों से अपील करना चाहूंगी कि वे अपनी-अपनी राज्य सरकारों से बात करें। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि हमने आपके राज्य को चार करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। राज्य सरकार तैयारी करे और जैसे ही यह स्कीम लागू होती है, उस पर कार्य करे। मैं सभी सांसदों से अपील करूंगी कि इस योजना में सांसदों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हमने सभी राज्यों को एडवाइजरी लिखी है कि सांसदों को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि शुरु से ही सांसदों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि वे जन प्रतिनिधि हैं। सभी सांसदों के क्षेत्रों में ऐसे शहर आते होंगे, जहां स्लम होंगे इसलिए शुरु से लेकर आखिर तक योजना को तैयार करने और लागू करने में आपकी हिस्सेदारी जरूरी है, क्योंकि आपसे ज्यादा ग्राउंड रिएलटी के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए हम आपकी इन्वॉल्वमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: अध्यक्ष महोदया, मुझे खुशी है कि गरीब आदमी का सवाल इस सदन में आज पहले नम्बर पर आया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह वह वर्ग है, जो लोकतंत्र का सबसे ज्यादा मान करता है। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, तो यही लोग लाइन लगाकर वोट डालते हैं और इनके कारण ही वोटिंग प्रतिशत 50-60 प्रतिशत तक जाता है। *...(व्यवधान)* मेरी बात शान्ति से सुनिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया शान्त रहे और माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: गरीब आदमी में इन लोगों की दिलचस्पी नहीं है, तो मेरा क्या कसूर है। सबसे पहले इंदिरा जी ने करीब बस्तियों पर काम शुरू किया था। उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, खडंजे आदि बनाने का काम शुरू किया गया था। जब एनडीए सरकार आई, तो उसमें शहरी विकास मंत्री रहे जगमोहन जी ने पालिसी बनाई और यह कहा कि इन बस्तियों को उजाड़ दो, यहां पर बुनियादी सुविधाओं को बंद कर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाएं। सिर्फ जय प्रकाश अग्रवाल जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: आप सवाल पूछें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्हें उजाड़ा जाता है, उसकी क्या कोई कट ऑफ डेट रखी है? मेरे हिसाब से आपने कट ऑफ डेट 1998 रखी है। अगर आप वर्ष 1998 तक के लोगों को रिहैबिलिटेट करने वाले हैं तो माफ करना, आपको वह तारीख 2011 तक बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा सब लोगों के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। आप जो सर्वे करवा रही हैं वह किस तारीख तक का करवा रही हैं, क्या वह वर्ष 2010-11 तक का है या वर्ष 1998 तक का ही सर्वे करवा रही हैं?

दूसरा यह है कि यदि उन गरीब लोगों को उजाड़ा जाए तो उन्हें बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से दी जाएं। आपकी पॉलिसी यह थी कि जो जहां है वहीं पर उसे बसाया जाएगा क्योंकि वे वहां पर काम करते हैं। माफ करना, उन्हें उजाड़कर दूसरी जगह ले जाने से हमारा मकसद हल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप साफ तौर पर बताएं कि हमारी कट ऑफ डेट क्या है और उन्हें पूरी सुविधाएं कब तक दे दी जाएंगी?

कुमारी सैलजा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इतनी अहम बात पर हम सब का ध्यान आकर्षित किया। हमारे गरीब लोग कहां और क्यों

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बस रहे हैं इसका एक ऐतिहासिक कारण है? चाहे कोई सरकार रही हो, हमने गरीब को अपने फोर्मल सिस्टम से अलग कर दिया, उसे रहने के लिए कहीं जगह नहीं दी, उसके लिए हमने प्लानिंग नहीं की। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह अहम सवाल है कि हमने गरीब लोगों के लिए क्या प्लानिंग की है? गरीब लोग जहां कार्य करते हैं उनका वहां रहना जरूरी है, इसलिए जवाहर लाल नेहरु मिशन के तहत हमने यह कहा कि गरीब लोगों को वही बसाया जाए, जहां वे रह रहे हों, जहां पर उनकी बस्तियां हैं, जेजे कलस्टर्स हैं। दिल्ली ही नहीं यह सभी जगह की बात है। हमने देखा है कि कई बार उन्हें वहां बसाया भी जाता है और हमारा जोर यही रहा है कि जितना हो सके उन्हें वहां से हटाया न जाए, क्योंकि यह उनकी जिविका के स्त्रोत से सम्बन्धित है। अगर हम उन्हें कहीं दूर बसा देंगे जहां पर यातायात की सुविधा ठीक से नहीं होगी तो फिर वापस आ जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमने यह कहा कि जहां तक हो सके उन्हें उसी जगह को डैवेलप करके बसाया जाए।

दूसरी बात कट ऑफ डेट की कही गयी है तो भारत सरकार राज्यों को पूरी फ्लैक्सिबिलिटी देती है। सर्वे के लिए हमारा मंत्रालय स्टेट को पूरी फ्लैक्सिबिलिटी देता है कि आप जमीनी सच्चाई देखिये और आप ऐसी चीज लागू कीजिए, जोकि वास्तव में वहां हो सके। जहां तक कट ऑफ डेट की बात है तो दिल्ली सरकार ने उसे पहले 1997 रखा था, बाद में वर्ष 2002 किया, फिर वर्ष 2007 किया है। इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगी कि हम इस पर बिल्कुल रिजिड नहीं है, राज्य अपनी ग्राउंड रिएलिटी देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के तहत लेकर आयें।

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री जी ने इस योजना में माननीय सांसदों को जोड़ने के लिए कहा है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जवाहर लाल नेहरु अर्बन मिशन और दूसरी दोनों स्कीमों में आपने ज्यादा पैसा दिया है, ऐसा आपने कहा है। मैं कहूंगा कि जवाहर लाल नेहरु अर्बन मिशन में तो केवल 62 शहर हैं, ज्यादा हैं नहीं, मेरा संभाजी और औरंगाबाद सिटी उसमें नहीं हैं जबकि उसकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। इस बजट में आपने स्लम सुधार के लिए ज्यादा पैसा आबंटित नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्लम सुधार, स्लम रिडैवलपमेंट का महाराष्ट्र में जो 1.1.95 के समय का कायदा बनाया था, हमने उस समय रिडैवेलपमेंट के लिए जो स्कीम रखी थी, आपने कितना भी पैसा दिया हो, वह स्कीम पूरी होने वाली नहीं है वहां डैवलपमेंट हो नहीं सकता है। महाराष्ट्र में जब मैं इस विभाग का मंत्री था, योजना हमने शुरु की थी, उस समय हमने 1.1.95 की तारीख रखी थी, उसके बाद रोज झोंपड़ियां बढ़ रही हैं, तथा समय और कायदा भी बढ़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1.1.95 कायदा माना और कहा कि इसके आगे जो भी झोंपड़ी होगी, उसे गैरकानूनी माना जाए मुम्बई की जो स्कीम है और अन्य शहरों में जो स्लम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करने के लिए क्या यह स्कीम लागू करेंगी? भविष्य में स्लम नहीं बनेंगी, इसके लिए सरकार क्या प्रबंध करने जा रही है?

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके कई कम्पोनेंट्स हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत हमने देश के 65 बड़े शहर लिए हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा स्लम्स हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि पूरे देश में किसी न किसी फार्म में स्लम्स हैं। हमने अपने मंत्रालय के तहत जवाहर लाल नेहरू मिशन के दो कम्पोनेंट बनाए हैं, जिसमें बीएसयूपी के तहत मिशन सिटीज हैं और दूसरा आईएचएसडीपी है, जो कि छोटे और मध्यम शहर हैं, उनको भी हमने लिया है। इसमें पैसा लिमिटेड रहा, यह मैं मानती हूं, लेकिन हमने जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत एक रिफार्म एजेंडा भी दिया था। यह रिफार्म इसलिए दिया था कि जितना भी पैसा हो जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं माना है और हम सभी मानते हैं कि किसी एक स्कीम के माध्यम से सारे हल नहीं निकल पाते हैं, लेकिन रिफार्म एजेंडा के माध्यम से हमने एक रोड़ मैप बनाया था। हमारे पास प्रो-पूअर रिफार्म्स हैं, उनको राज्य माने ताकि आने वाले समय में न केवल मौजूदा स्लम्स का विकास कर सकें, बल्कि आने वाले समय में और स्लम्स भी न बनें, हमने इस बात को पहचानते हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा जो अनुभव रहा है जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत, उसको देखते हुए, आगे की स्कीम राजीव गांधी आवास योजना बनायी है, उसमें हमने एसआईए का भी इनपुट लिया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार इस बात को टारगेट नहीं करती है कि किस पार्टी ने और किस सरकार ने क्या किया है? हम यह देखते हैं कि गरीब के हित में जो भी हमारा अनुभव है, किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का रहा हो, हम सब मिलकर देश के गरीब लोगों के लिए मिलकर कार्य करें ताकि उन्हें ऊपर उठाने का कार्य, जो इतने सालों से नहीं हुआ, उसको हम और ज्यादा थ्रस्ट दे सकें और आने वाले समय में मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है, एक तो मौजूदा स्लम्स को डेवलप करना और दूसरा स्लम्स किस कारण से बनते हैं, उन मुद्दों को भी हम टैकल करें, ताकि भविष्य में स्लम्स न बनें और गरीब लोगों को भी शहरों में विभिन्न फार्मल सिस्टम में रहने का पूरा-पूरा बाइज्जत मौका मिले।

[अनुवाद]

श्री आर. थामसईसेलवनः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1.2 मिलियन से अधिक की कुल जनसंख्या में से 62 मिलियन लोग शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। आगामी वर्षों में उनके लिए 25 मिलियन से अधिक मामलों की कमी होगी। वस्तुतः सरकार ने भारत को झुग्गी-मुक्त देश बनाने के लिए पहल तो की, इस उद्देश्य को वास्तविक तौर पर सरकार करने में कुछ वर्ष पहले राजीव आवास योजना की घोषणा की गई।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि देशभर में राजीव आवास योजना के तहत वर्ष 2009 से अब तक कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है।

कुमारी सैलजाः महोदया, राजीव आवास योजना अभी बन रही है, इसका प्रिपेरिटी वर्क वर्ष 2009-10 से शुरु हो चुका है। प्रिपेरिटी वर्क के लिए हमने अनेक राज्यों को पैसे दिए हैं। जैसे मैंने मूल प्रश्न में उत्तर दिया था कि 15 राज्यों ने सर्वे आदि का काम शुरू कर दिया है। खास कर गरीब लोगों से संबंधित जो स्कीम्स हैं, उनमें सहीं आंकड़े होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम पैसा दे चुके हैं। जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत 15.7 लाख मकान से ज्यादा की हम मंजूरी हम जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत दे चुके हैं। राजीव आवास योजना का कार्य जैसे ही प्रिपेरिटी वर्क खत्म होगा तथा स्कीम लागू होगी हम साथ के साथ वह कार्य भी शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन की कवरेज

***262. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरदर्शन देश में ग्रामीण क्षेत्रों के दर्शकों के लिए विशेष टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने पर कोई बल देता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों की कवरेज और लोकप्रियता का कोई आकलन किया है/समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न दूरदर्शन चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) एक समर्पित ग्रामीण टीवी चैनल शुरु करने के लिए दूरदर्शन द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिलाओं व बच्चों, लोक एवं जनजातीय संगीत के विषय पर वार्ता शो, नाटकों, संगीत और धारावाहिक स्पॉट जैसे विभिन्न फॉर्मेटों में अनेक कार्यक्रमों को प्रसारण कर रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा भूमिहीन श्रमिक वर्ग और न्यूनतम मजदूरी सहित ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी विकास संबंधी कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण भी किया जाता है। बालिका और लैंगिक मुद्दों से संबधित कार्यक्रमों को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कल्याणी कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

दूरदर्शन द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रमों, विशेषकर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आंगनवाड़ी, सर्व शिक्षा अभियान, ढांचागत विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण और स्व-सहायता समूह संबंधी क्रियाकलाप तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनके क्रियान्वयन से संबंधित कार्यक्रमों को नियमित रूप से शामिल व प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, 18 क्षेत्रीय केंद्रों पर सप्ताह में पाँच दन (सोमवार से शुक्रवार) रोजाना शाम को 30 मिनट के लिए कृषि संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को अगले दिन संबंधित क्षेत्रीय भाषा के सैटेलाइट चैनलों पर पुनः प्रसारित किया जाता है। तीस मिनट के विशष्ट क्षेत्र आधारित ग्रामीण और कृषि कार्यक्रमों को भी 'नैरोकास्टिंग मोड' में देश के 140 जिलों में 180 ट्रांसमीटरों पर सप्ताह में पाँच दिन अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना शाम के समय प्रसारित किया जा रहा है।

(ग) प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान एकक प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की टीआरपी जानने/उनका मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से देश में ग्रामीण दूरदर्शन दर्शक अनुसंधान टेलीविजन रेटिंग (डार्ट) सर्वेक्षण कराते हैं। दूरदर्शन द्वारा संचालित डार्ट सर्वेक्षण के अनुसार दूरदर्शन के स्थलीय एवं सैटेलाइट चैनलों का मूल्यांकन/कवरेज का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) दूरदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यावसायिक सॉफ्टवेयर घरानों/निर्माताओं से अच्छी गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करने के साथ-साथ डीडी-I पर प्रसारित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छी गुणवत्ता की फीचर फिल्मों को आउटसोर्स करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके आलावा, बेहतर प्रतिभाओं को आउटसोर्स करके घरेलू कार्यक्रमों की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। दूरदर्शन ने स्टूडियो उपस्कर तथा ट्रांसमिशन का डिजिटीकरण करके ट्रांसमिशन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

(ङ) प्रसार भारती ने यह सूचित किया है कि एक समर्पित ग्रामीण टीवी चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन चैनलों की पहुंच (कवरेज) और टीआरपी

डार्ट (12.12.2010 से 18.12.2010)

बाजार: अखिल भारत (ग्रामीण) सभी 4 + वर्ष

रैंक	कार्यक्रम	सैंपल 7264 पहुंच	टीआरपी %
1	2	3	4
1.	डीडी नेशनल	2499	34.40
2.	डीडी क्षेत्रीय	1272	17.51
3.	डीडी मलयालम	347	4.78
4.	डीडी बांग्ला	305	4.20
5.	डीडी न्यूज	277	3.81
6.	कैराली	166	2.29
7.	पौढिगै	159	2.19
8.	इंडिया टीवी	110	1.51
9.	कलैगर	106	1.46
10.	डीडी6 उड़िया	66	0.91
11.	डीडी देहरादून	65	0.89
12.	डीडी एनई (13)	48	0.66
13.	डीडी गोरखपुर	21	0.29
14.	डीडी भारती	10	0.14
15.	डीडी स्पोर्ट्स	4	0.06
16.	डीडी उर्दू	3	0.04
17.	डीडी इंडिया	2	0.03

श्री एन. चेलुवरया स्वामी: महोदया, हम सभी को पता है कि, बहुत से विज्ञापन, टेली-सिरियल और अन्य कार्यक्रम से महिलाओं और बच्चों को चित्रण अत्यधिक अशोभनीय ढंग से किया जा रहा है जो आम जनता के हित में नहीं है। इस पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बिकृति युवा पीढ़ी के लिए और अधिक अपराध करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहा है। यदि हाँ, तो क्या इस कारण बलात्कार, ब्लैक मेलिंग, इत्यादि के कृत्यों के लिए महिलाओं के अरक्षित बनाते हुए उनकी सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल दिया है। इलेट्रॉनिक मीडिया में ऐसी बेहूदगी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रीमती अम्बिका सोनी: यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भी नहीं उढता है, तथापि मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न टेलीविजन पर विषय-वस्तु, कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं और कभी-कभी बच्चें का प्रोजेक्शन इस सदन के हर एक सदस्य को संभवतया परेशानी कर रहा है। मैं माननीय सदस्य और आपके माध्यम से सारे सदन में यह बताना चाहता हूं कि पिछले दस महीने से मंत्रालय ने आम मनोरंजन के सभी निजी चैनलों के साथ केन्द्रित तरीके से कार्य किया है। मुझे पता है कि माननीय शरद यादव ने ऐसा ही मामला दो या तीन दिनों पहले उठाया था और इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। हम स्व-विनियामक तंत्र की घोषणा करने ही वाले हैं जो स्व-विनियामक तरीके से पूर्वनिर्धारित आचार संहिता के अनुसार टेलीविजन पर विषय-वस्तु को नियंत्रित करेगी। हमारे पास संसद का एक अधिनियम है जिसके माध्यम से हम एक विज्ञापन संहिता और विषय-वस्तु संहिता निर्धारित करते हैं। परन्तु इसका अनुपालन उस तरह से नहीं किया जाता है जिस तरह से किया जाना चाहिए। इसलिए, हम एक-दो टियर प्रणाली रखने जा रहे हैं–एक स्व-विनियामक प्रणाली जो एक निर्णय देगी और वह उनके समक्ष सिविल सोसाइटी से शिकायत के रूप में आने वाले मुद्दें का समाधान करेगी और यदि वे उस शिकायत का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो मंत्रालय कदम उठाएगा। मुझे लगता नहीं कि माननीय सदस्यों ने पिछले कुछ महीने से टेलीवजन समाचार चैनलों को ध्यान से देखा है, जिसमें उन चैनलों ने अपनी ओर से ही एक 'स्पाट

पट्टी' प्रसारित करना शुरू किया है जिसमें सिविल सोसायटी तथा जनता को यह राय दी जा रही है कि यदि उन्हें विषय-वस्तु अथवा उस विशेष चैनल के कार्यक्रमीकरण पसंद नहीं आते है। कोई शिकायत करनी है तो उन्हें एक टेलीफोन नम्बर और वेबसाइट लिखने तथा पत्राचार भरने के लिए दी गई हैं। हम उनके साथ भी विचार-विमर्श कर रहे हैं।

मंत्रालय द्वारा कई अन्य कदम उठाए गए हैं। हम पिछले वर्ष तक 150 चैनल रिकार्ड कर रहे थे। हमने उसे 300 चैनलों तक .कर दिया है। हमने टेलीविजन पर विषय-वस्तु की निगरानी करने के लिए कहा है। राज्य सरकारों से राज्य सलाह कर समितियों और जिला सलाहकार समितियों रखने के लिए कहा है। जो "क्षेत्रीय" श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं वे हमें लिखते हैं और यदि कोई टेलीविजन चैनल आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो हमने जिला और राज्य स्तरों पर अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए परन्तु वह मूल प्रश्न से संबंधित होना चाहिए।

श्री एन. चेलुवरया स्वामी: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के एक नए कार्यक्रम को शुरु करने और 142 करोड़ रु. की लागत से राष्ट्रीय प्रसारण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने संबंधी विषय-वस्तु के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र में नवीनतम आदानों, अनुसंधान प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ावा देने हेतु कृषि क्षेत्र को महत्व देने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदया: एक प्रश्न पूछिए और अधिक प्रश्न मत पूछिए। कृपया एक प्वाइंटड प्रश्न प्रश्न पूछिए।

श्री एन. चेलुवरया स्वामी: शिक्षा के क्षेत्र में, क्या वे उन अभ्यार्थियों को सुझाव देंगे जिन्होंने अपनी आगे की शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को देखते हुए अपनी मैट्रिक, इंटरमीडएट और कालेज शिक्षा पूरी की है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अब दूरदर्शन पर कृषि और शिक्षा क्षेत्र को महत्त्व देने पर विचार करेंगी।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदया, यह सत्य है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 142 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। इस नई योजना में उत्पादन और नए साफ्टवेयर के अधिग्रहण की परिकल्पना है और संभावना इस बात की है कि इसमें हमें विभिन्न चैनलों के लिए छह से 14 घंटों तक के कार्यक्रम मिलेंगे जिसमें कि हम राष्ट्रीय स्तर पर चैनलों की गुणवत्ता, विषय-वस्तु और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुधार कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन, जो कि एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता है, जो ग्रामीण कार्यक्रमीकरण पर अत्यधिक ध्यान दिया है। वास्तव में, मैं विरोधाभास में जाए बिना यह कह सकता हूं कि देश में आज 600 से अधिक चैनल हैं। जिन्हें अपलिंक और डाउनलिंक की अनुमति मिल गई है। संभवतया, दूरदर्शन एकमात्र राष्ट्रीय नेटवर्क है जो ग्रामीण दर्शकों के लिए विषय-वस्तु सृजित करता है और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, आंगनवाडी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों की छोटी-से-छोटी जानकारी ही नहीं दी है अपितु कृषि विशिष्ट कार्यक्रमों की जानकारी भी दी हैं जिसका सृजन और निर्माण हम कृषि मंत्रालय और पंचायती-राज मंत्रालय के समन्वय से करते हैं। वे विशेषरूप से कीमतों, मंडी कीमतों के बारे में हैं। वे कार्यक्रम विशेषरूप से फसल बीमारियों उर्वरकों के प्रकार और अन्य आदानों से संबंधित है तथा जिनका संबंध कृषि से है। हम दूरदर्शन सेवाओं के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में अपने ग्रामीण समुदाय को सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय नेटवर्क का भी उन्नयन किया है। हालांकि हमारे 15 नेटवर्क स्टेशनों के माध्मम से केवल 14 क्षेत्रीय चैनल हैं, हमारे पास अपने चैनलों की नैरो कास्टिंग हैं ताकि एक विशेष चैनल समीपस्थ क्षेत्रों के निगमित कर सके ताकि क्षेत्र-विशेष सूचना दी जा सके। विभिन्न क्षेत्रों संबंधी जानकारी स्वाभाविक रूप से आदानों में अलग है। हम कृषि समुदाय को दी गई जानकारी को और अधिक कारगर एवं सटीक बनाने के लिए 'नैटों कास्टिंग' कर रहे हैं। हमने पहले विज्ञापन करने के लिए अपने प्रोग्रामिंग उन्नयन भी किया है ताकि कृषि समुदाय को यह पता चल सके कि विशेष कार्यक्रम कब आएंगे। इसके अतिरिक्त, देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कृषि समुदायों, जहाँ केवल दूरदर्शन सेवा ही है, मैं मानवीय सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा डिजिटल दूरदर्शन 'डाइरेक्ट टू होम सेवा और आगे जाने वाली है। दिसम्बर 2011 तक डीडी डाइरेक्ट पर 58 चैनल हैं, वे 97 तक हो जाएंगे और दिसम्बर 2012 तक 200 चैनल होंगे, सभी डी डी डाइरेक्ट पर फ्री टू एअर होंगे। वस्तुतः यह परिदृश्य है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: शुक्रिया मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहता हूं और मैं ऑनरेबल मैम्बर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम् सवाल उठाया, जिससे सारे हाउस को जानकारी मिली और हमारे जैसे मैम्बरान को भी कोई बात जानने का मौका दिया। मैं शायद मुद्दे से हटकर बात करूंगा, लेकिन इसमें नेशनल इंटरैस्ट भी शामिल है तो मैं समझूंगा कि आप मुझे उसके लिए समय देंगी और मंत्री साहिबा उसका जवाब देंगी।

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिये, लेकिन मुद्दे से बहुत ज्यादा मत हटियेगा।

श्री मदन लाल शर्माः जैसे जम्मू, पुंछ और राजौरी मेरी पार्लियामैन्ट्री हल्का है। पिछले 22 सालों से हमारे पड़ौसी मुल्क की तरफ से हमारे देश के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया जाता है और हमारे दो ऐसे जिले हैं, जहां वीकर सैक्शन के लोग, एस.टी. के लोग और पहाड़ी लोग रहते हैं और मैं कह सकता हूं कि 85 परसैन्ट लोग आज भी हिंदुस्तान का टी.वी. नहीं देखते। वहां कोई प्राईवेट चैनल नहीं है। इसलिए लोग पाकिस्तान टी.वी. का प्रोग्राम देखते हैं और पाकिस्तान का रेडियो सुनते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान कितना झूठा प्रोपेगंडा हमारे मुल्क के खिलाफ करता है लेकिन बहुत साल पहले राजौरी के अन्दर एक प्रोग्राम जैनरेटरिंग फैसिलिटी प्रोवाईड की थी। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह 8 साल से तैयार है, जिस पर 6 करोड़ रुपये लागत आयी लेकिन जम्मू कश्मीर में मिलिटैंसी को कनटेन करने के लिये, उन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमारा मुल्क हिन्दुस्तान पैसा खर्च कर रहा है। अगर दूरदर्शन डिपार्टमेंट पर ऐसी पाबंदी है कि स्टॉफ क्रिएट नहीं कर सकते, उसे कमीशन्ड नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं कि देश हित में रिलैक्स करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को इससे बाहर निकालकर वहां के लिये स्टॉफ तैनात करे और जो झूठा प्रौपेगंडा पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसे रोका जाये और जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, शैडूल ट्राइब्स के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनके लिए हिन्दुस्तान में जो प्रोग्राम बनाये जा रहे हैं, स्टेट और हमारी सरकार की तरफ से उनको देखने का मौका मिलेगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या इकदामात उठाने वाली है?

श्रीमती अम्बिका सोनीः अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के दुख को समझ सकती हूं। हमने इसके बारे में कई बार चर्चा की है लेकिन यह बात सच है कि पिछले कई सालों से दूरदर्शन में तकरीबन 11 हजार से भी ऊपर वैकेंसीज रही हैं। उन वैकेंसीज को न भरे जाने का एक कारण फ्रेश रिक्रूटमेंट में रुकावट थी। पिछले साल से प्रसार भारती ने रिक्रूटमेंट बोर्ड गठित किया है। इसके अलावा रुल्स फ्रेम हो गये हैं। एक जीओएम गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं और इन से कहा गया है कि जो इमरजेंसी पोस्टिंग, तकरीबन तीन हजार तक पहुंची हैं, वे तुरन्त भरी जायें और बाकियों को भरने को कोशिश की जा रही है। मेरा कहने का का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सकेगा, हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं ऑनरेबल मैम्बर की इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूं कि इनके इलाके में कोई आदमी दूरदर्शन या टी.वी. देखता नहीं है। पिछले कुछ सालों से टी.वी. ने बहुत तरक्की की है। जहां तक पाकिस्तान ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदया को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्रीमती अम्बिका सोनीः यह बात सच है कि हमारे पास 1415 ट्रांसमीटर्स और 3-4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने 110 करोड़ रुपये इन ट्रांसमीटर्स को मजबूत करने के लिये सैंक्शन किये हैं ताकि हमारे सिग्नल पड़ोसी मुल्कों के सिग्नल्स को काऊंटर कर सकें और अगर बात बने तो हमारे सिग्नल दूसरे मुल्कों में जायें और वे लोग हमारा टी.वी. देखें, बजाये इसके कि उनके सिग्नल्स हमारे यहां आयें। हम इस मकसद के लिये उस 110 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां मैंने बताया कि 11 हजार वैकेंसीज थीं, मंत्री बनने के तुरंत बाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप जवाब सुनिये।

श्रीमती अम्बिका सोनीः अध्यक्ष महोदया, मंत्री बनने के तुरंत बाद हम लोगों ने फैसला किया कि जो बॉर्डर ऐरियाज हैं, नार्थ-ईस्ट, जम्मू-कश्मीर हैं, वहां जो भी वैकेंसीज हैं, हम अपायंटमेंट करने के लिये तौर-तरीकों का इन्तजार न करें, हम आऊटसोर्स करें और खासकर जो इंजीनयरिंग कोर है, वह हमारे आर्म्ड पर्सोनल, पुलिस पर्सोनल के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी नियुक्ति करने का फैसला किया गया है। इसलिए कि आऊटसोर्स करके हमारे ट्रांसमीटर्स को मैन किया जाये और इंजीनियर्स की जो कमी है, उसे पूरा किया जाये। जहां तक ट्रांसमीटर्स की सुरक्षा के लिये चौकीदार की बात है, वे नहीं मिल रहे थे, उसके लिये यह फैसला किया गया है कि लोकल पुलिस के रिटायर्ड लोगों को आऊटसोर्स करके और कांट्रेक्ट बेसिस पर उन्हें भर्ती किया जाये। यह काम जारी है।

महोदया, इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूं कि डीडी काशीर एक हमारा बहुत ही प्रिस्टीजियस चैनल रहा है। उसमें कुछ कारणवश, मैं उनमें नहीं जाना चाहती हूं काफी लिटिगेशन रहा। पिछले एक साल में हमने एक-दो विशेष लोगों को जो जानकर है, उन्हें जोड़कर पिछले सितम्बर, ईद के दिन हमने डीडी काशीर का एक न्यू फॉर्मेट टेलीकास्ट करना शुरू किया है। महोदया, अगर आपकी इजाजत हो तो जिस भी मेंबर को इस बात की जानकारी चाहिए, मैं बता सकती हूं कि हमें कितना फीड बैक जम्मू कश्मीर से मिला है, इंक्लूडिंग हमारे माननीय मंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला जी से कि जो डीडी काशीर का नया फॉर्मेट है, वह अब लोगों को न सिर्फ मनोरंजन प्रस्तुत करता है बल्कि जानकारी भी देता है और पूरी रियासत की भाषाओं को टेलीकास्ट होने के लिए समय दे रहा है। प्रयास यह है कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के विशेष प्रदेशों को हम जल्दी से जल्दी करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव।

श्री शरद यादव: महोदया, इस सवाल में जो सारे प्रश्न पूछे गये हैं, मैं उससे थोड़ा अलग बात कहना चाहता हूं। मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ये जो पूरे देश भर में प्राइवेट चैनल हैं, जो मनोरंजन चैनल हैं, उन पर क्या बुरा हाल है, इसका जिक्र मैंने शाम को किया था, लेकिन वह कहीं आया नहीं। आपने एक मजबूत कदम उठाया और बिग बॉस के प्रसारण समय को आपने बदल दिया। यह आपने बहुत अच्छा काम किया। वह बिग बॉस नहीं है, बिग फ्रॉड है। ये जो प्राइवेट चैनल हैं, हमारा जो सेंसर बोर्ड है।

चौधरी लाल सिंह: उसका कोई समय नहीं बदला हैं, आप गलत कह रहे हैं।

श्री शरद यादव: उसे कोर्ट ने नहीं बदलने दिया, कोर्ट ने स्टे कर दिया।

अध्यक्ष महोदया: आप इधर उन्मुख होइए, शरद यादव जी आप इधर देखकर बोलिए।

श्री शरद यादव: वह कोर्ट ने नहीं करने दिया तो कोर्ट के बारे में मैं क्या माथा मारूं उस पर स्टे ऑर्डर हो गया।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये।

श्री शरद यादव: महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है, जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, यह प्रश्नकाल है, इसमें मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कह सकता हूं, इस देश में हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि अपने बच्चों, बेटों और बेटियों के साथ बैठकर उन्हें देख सकते हैं। इस पर जरूर आपको तत्काल कोई कानून लाना चाहिए, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसमें टीआरपी का जिक्र है, यह टीआरपी का जो तमाशा है, इसे कैसे बंद किया जाए? एक तो मेरा यह प्रश्न है कि इसे कैसे बंद किया जाए, इसका रास्ता क्या है? हम कई दिन से कह रहे हैं कि यह टीआरपी का मामला बिल्कुल, ये लोग पांच-दस शहरों में करते हैं और सिर्फ बाजार का सामान बेचने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है।

महोदया, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोक सभा का चैनल है, आज देश में उसका निरन्तर विस्तार हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लोग उसे देख रहे हैं कि आप उसका अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दूरदर्शन जो चैनल है, मैं मानता हूं कि देश में इस समय सबसे अच्छा काम यदि कोई कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है तो वह दूरदर्शन चैनल है, चाहे उसे हम चलायें या आप चलायें। इसमें जो खामियां माननीय सदस्यों ने बतायी हैं, मंत्री जी आपकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि...

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री शरद यादव: आप इसे मजबूत कीजिए। लोक सभा का जो चैनल है, आपके आशीर्वाद में, आपके अंडर में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस पर अभी चर्चा मत कीजिए।

श्री शरद यादव: महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन का जो चैनल है, वह लोक सभा के चैनल को भी घंटा-दो घंटा कभी न कभी किसी न किसी समय पर दिखाये। जो सेंसर बोर्ड है, आप उसे मजबूत करने का काम कीजिए। आप किसी ऐसे आदमी को बिठाइये, आप सिनेमा के आदमी को बिठाते हैं, वे उसी जमात से गये हैं, उनका वहां कोई काम नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आपकी बात हो गयी।

श्री शरद यादव: जो सेंसर बोर्ड है, वह सो रहा है, इसे मजबूत कीजिए। यही मेरे आपसे दो प्रश्न हैं।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदया, यादव साहब ने जो सेंसर बोर्ड के बारे में कहा है, टेलीविजन के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। इनके रियालिटीज शोज़ हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जनरल एनटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इनके लिए हमारे पास केबल रैग्युलेटरी एक्ट है और अपलिंकिंग और डाउनलिकिंग के लिए कुछ विशेष क्राइटेरिया रखा गया है, जिनका पालन उन्हें करना चाहिए।

मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग तकरीबन एक मैकेनिज्म पर पहुंचे हैं जहां जो सुझाव हैं कि हम एक इंडीपैन्डैन्ट बॉडी बनाएं 12-13 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष होंगे एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स रहें ब्रॉडकास्टर्स में से, कुछ विशिष्ट लोग रहें सिविल सोसाइटी के और जो हमारे चेयरपरसन हैं कमीशन्स के-महिला कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन, एस.सी. कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, एस.टी. कमीशन वगैरह, हम इनके चार प्रतिनिधियों को उस मैकेनिज्म में शामिल करना चाहते हैं। यह एक ढांचा जो बन रहा है, बहुत जल्दी मैं इसको सदन से शेयर करने के लिए समय मागूंगी। लेकिन एक बात यह है कि आज हम ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं कि जिससे कोर्ट फिर हमारे फैसलों को जीरो बना दे। अभी माननीय सदस्य ने खुद कहा कि एक कार्यक्रम जिसके बारे में हमें काफी शिकायतें आई थीं, हमने उनको सैंसर नहीं किया लेकिन ऐलान

किया कि वे 11 बजे रात में दिखाएं। लेकिन कोर्ट ने समय लगा लगाकर, मैं कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं, लेकिन उन्होंने उसी समय को बरकरार रखा और बहुत सारा समय दिया। अभी हाल में एक और इस तरह की बात आई जहां सैंसर बोर्ड ने भी कुछ रुकावटें लगाईं और वह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने मंत्रालय पर 10000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि यह चीज मंत्रालय से बाहर करके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: महोदया, मैंने माना कि सैंसर बोर्ड बाकी टैलिविजन के लिए नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री शरद यादव: मैं एक मिनट में एक ही बात पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। अब बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: यह जो '*मुन्नी बदनाम हुई*', यह तो सैंसर बोर्ड का ही काम है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठाई थी टीआरपी की, मैं जवाब दे रही हूं क्योंकि हमारे प्रश्न नहीं आए हैं, हर बार उनका नंबर नीचे होता है तो जवाब नहीं मिल सके। मुझे ब्रॉडकास्टर्स ने कहा था कि कैरिज फी बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमें बहुत पैसा देना पड़ता है। दूसरा, टीआरपी का उनके सिर पर जो हौवा रहता है, उसके लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे कार्यक्रम उस तरह से अच्छे नहीं होते जिस तरह से लोग देखना चाहेंगे। दोनों मुद्दों को लेकर हम लोग मंत्रालय में, टीआरएआई के साथ डिजिटिलाइजेशन के कार्यक्रम पर बहुत जल्दी घोषणा करने जा रहे हैं जिससे कैरिज फी का मामला 90 फीसदी से भी ज्यादा हल हो जाएगा। जहां तक टीआरपी की बात है, यह एक इंडस्ट्री रिलेटेड विषय है जहां ब्राडकास्टर्स और इंडस्ट्री का ज्यादातर तालमेल रहता है। हमने श्री अमित मिश्रा की अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जिसने एक रिपोर्ट दी है और ब्रॉडकास्टर्स के साथ वह रिपोर्ट डिसकस हुई है। उस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है कि जो आज 8000 डिब्बे मॉनीटर करते हैं ऑडियैन्स रिसर्च को, वह काफी नहीं हैं। रूरल एरियाज तक हमें जाना चाहिए। आने वाले समय में हमने 30 हजार मॉनीटर्स लगाने की बात की है। मैं और डीटेल्स नहीं देना चाहती लेकिन हम इन दोनों मुद्दों पर बहुत ध्यान से बात कर रहे हैं।

श्री संजय निरुपम: डिजिटलाइजेशन कब तक कर रहे हैं?

श्रीमती अम्बिका सोनी: बहुत जल्दी।

[अनुवाद]

शहरी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

***263. श्री समीर भुजबल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की शहरी जनसंख्या में वृद्धि, उपलब्ध बुनियादी शहरी सेवाओं तथा अवसंरचना की तुलना में काफी अधिक हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों के प्रमुख शहरों और कस्बों में शहरी अवसंरचना का विकास करने के लिए कोई योजना शुरु की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र/मुंबई सहित विभिन्न राज्यों/शहरों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) जी हाँ। भारतीय शहरों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत की जनगणना में अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक शहरी जनसंख्या में 2001 में 285.35 मिलियन (कुल जनसंख्या का 27.8 प्रतिशत) के आँकड़ों की तुलना में 535 मिलियन अथवा कुल जनसंख्या के 38.2 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या का शहरी बुनियादी सेवाओं और अवसंरचना पर भारी दबाव पड़ता है।

(ख) से (घ) इस समस्या पर ध्यान देने के लिए सरकार ने 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) प्रारंभ किया है; जेएनएनयूआरएम के घटक शहरी अवस्थापना शासन (यूआईजी) के अंतर्गत सरकार ने देश भर में 65 चुनिंदा शहरों में सुधार आधारित और तीव्र गति से विकास आरंभ किया है। शहरों की सूची अनुबंध-I पर है। मिशन का उद्देश्य शहरी अवस्थापना, सेवा सुपुर्दगी तंत्रों में दक्षता, सामुदायिक सहभागिता और शहरी स्थानीय निकायों और नागरिकों के प्रति पैरास्टेटल एजेंसियों की जवाबदेही पर जोर देते हुए इन शहरों का सुस्थिर विकास सुनिश्चित करना यूआईजी के अंतर्गत महाराष्ट्र/मुंबई सहित राज्यों/शहरों को मुहैया की गई सहायता के ब्यौरे अनुबन्ध-II पर है।

अनुबंध-I

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी/बीएसयूपी के तहत शामिल किए गए शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)
1	2	3	4
(क)	**मेगा शहर**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
(ख)	**मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरई	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	13.45

1	2	3	4
15.	बडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	10.98
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	16.40

(ग) चुनिंदा शहर/शहरी समूह (यूएल)/(राज्य राजधानियां एवं अन्य शहर/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं पर्यटन के महत्त्व के शहरी समूह)

1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखंड	8.63
8.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	8.90
9.	इंफाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	एजवाल	मिजोरम	2.28

1	2	3	4
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पूरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	हरिद्वार	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	मथुरा	उत्तरांचल	2.21
28.	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31
29.	पोरबन्दर	गुजरात	1.58
30.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	2.28

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	शहर	स्वीकृति परियोजनाओं की संख्या		अनुमोदित लागत (लाख रु.)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की प्रतिबद्धता (एसीए) (लाख रु.)	उपयोग हेतु जारी एसीए (लाख रु.)
			राज्य	शहर			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश		50		488317.01	205428.38	104295.43
		हैदराबाद		22			
		विजयवाड़ा		13			

1	2	3	4	5	6	7	8
		विशाखापट्टनम		13			
		तिरुपति		2			
2.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	3	3	18048.20	16243.38	6067.79
3.	असम	गुवाहाटी	2	2	31610.71	28449.64	18017.36
4.	बिहार		8				
		पटना		6	71181,41	39475.73	9858.94
		बोध गया		2			
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3	3	19119.60	15297.68	2684.64
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1		30364.00	24291.20	18218.40
				1			
7.	दिल्ली	दिल्ली	28	28	719708.00	251896.90	62977.94
8.	गोवा		0		0.00	0.00	0.00
		पणजी					
9.	गुजरात		71		549478.19	238651.36	137727.23
		अहमदाबाद		26			
		सूरत		25			
		बड़ोदरा		13			
		राजकोट		6			
		पोर्बुदेर		1			
10.	हरियाणा		4		70446.70	35225.35	17068.98
		फरीदाबाद		4			
11.	हिमाचल प्रदेश		4		15323.06	11759.25	3141.62
		शिमला		4			
12.	जम्मू और कश्मीर		4		53152.00	46946.80	11736.71
		श्रीनगर		3			
		जम्मू		1			

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	झारखंड		4		76149.48	48268.46	12067.12
		रांची		2			
		धनबाद		2			
		जमशेदपुर					
14.	कर्नाटक		46		338962.51	146026.04	63387.32
		बैंगलौर		38			
		मैसूर		8			
15.	केरल		11		99789.00	64554.00	16514.88
		तिरुवनंतपुरम		5			
		कोचि		6			
16.	मध्य प्रदेश		23		244985.54	125920.25	47770.76
		भोपाल		7			
		इंदौर		10			
		जबलपुर		4			
		उज्जैन		2			
17.	महाराष्ट्र		79				
		ग्रेटर मुम्बई		25			
		नागपुर		17	1172707.36	514953.68	287318.08
		नासिक		6			
		नांदेड़		11			
		पुणे		20			
			3				
18.	मणिपुर	इम्फाल		3	15395.66	13856.10	3464.03
19.	मेघालय		2		21795.72	19616.15	4904.04
		शिलाँग		2			
			1				

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मिजोरम				1681.80	1513.62	1135.23
		आइजोल		1			
21.	नागालैंड		2		7568.03	6811.23	2271.07
				2			
		कोहिमा					
			5				
22.	उड़ीसा	भुवनेश्वर		3	81197.66	63712.53	15928.23
		पुरी		2			
23.	पंजाब		6		72539.00	36269.50	14672.88
		अमृतसर		5			
		लुधियाना		1			
24.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	2	2	25306.00	20224.80	5061.20
25.	राजस्थान		13		122908.11	76622.50	37908.44
		जयपुर		9			
		अजमेर-पुष्कर		4			
26.	सिक्किम		2		9653.67	8688.30	2740.27
		गंगटोक		2			
27.	तमिलनाडु		47		518518.28	208612.98	94036.80
		चेन्नई		34			
		कोयंबटूर		5			
		मदुरै		8			
28.	त्रिपुरा		2		18047.00	16043.40	4010.85
		अगरतला		2			
29.	उत्तर प्रदेश		33		538452.72	270705.90	122679.09
		लखनऊ		7			
		इलाहाबाद		4			

1	2	3	4	5	6	7	8
		आगरा		4			
		मेरठ		3			
		मथुरा		3			
		वाराणसी		6			
		कानपुर		6			
30.	उत्तराखंड		12		40026.99	31625.18	12730.16
		देहरादुन		5			
		हरीद्वार		4			
		नैनीताल		3			
31.	पश्चिम बंगाल		56		551741.68	202237.35	82383.56
		कोलकाता		47			
		आसनसोल		9			
	कुल		527	527	6024175.09	2789948.23	1226553.89

श्री समीर भुजवल: मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना एक अत्यधिक सफल योजना है, इस योजना की वजह से ही नगरीय शहरों में अवसंरचना का समुचित विकास हुआ है।

महोदया मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य के नगरीय शहरों हेतु जेएनएनयूआरएम के माध्यम से मूलभूत नगरीय सेवाएं और अवसंरचना मुहैया करने के लिए, वर्ष 2011-12 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने जेएनएनयूआरएम की सफलता की प्रशंसा भी है। परन्तु मैं कह सकता हूँ कि यह कोई योजना नहीं है यह एक सात वर्षीय मिशन है। महाराष्ट्र राज्य हेतु सात वर्षो के लिए कुल आवटंन 5055 करोड़ रुपए था। जिसे बढ़ाकर 5505 करोड़ रुपए कर दिया गया। लगभग पूरी धनराशि का व्यय हो चुका है और शेष निधि केवल 85 करोड़ रुपए के करीब है। इसलिए, यह वार्षिक आवंटन का प्रश्न नहीं है। यह सात वर्षीय मिशन अवधि के लिए आवंटन का प्रश्न है जिसमें में महाराष्ट्र के लिए केवल 85 करोड़ रुपए शेष हैं।

श्री समीर भुजबल: भारत में लगभग 62 छावनी बोर्ड हैं। और आम जनता की आबादी छावनी बोर्ड़ों में तेजी से बढ़ रही है। एक लिखित प्रश्न के माध्यम से मैनें रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि छावनी बोर्डो में अवसंरचना विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। मंत्रालय ने तब बताया था। कि शहरी विकास मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था। कि छावनी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले अवसंरचना विकास की लागत का वहन सम्बन्धित बोर्ड़ों को करना होगा। महोदया मैं आप के माध्यम से मानवीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूँ कि छावनी बोर्ड़ों में जल, सड़कों और मल प्रवाह व्यवस्था जैसे अवसंरचना संबंधी कई समस्याएं हैं। क्या मंत्रालय ने इन छावनी बोर्ड़ों के लिए कोई योजना रखी है?

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं कोई छावनी बोर्ड किसी मिशन सिटी के पास हों, तो इसे जेएनएनयूआरएम के दायरें में लाया जा सकता है। उदाहरण के

लिए, देवलाली छावनी नासिक के पास है और इसलिए, शहरी विकास के प्रयोजनार्थ नासिक में देवलाली को लाने में कोई बाधा नहीं है।

[हिंदी]

प्रो. रमाशंकर: अध्यक्ष महोदया, शहरों में एक तरफ निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ केन्द्र की योजनाएं ठीक प्रकार से लागू नहीं हो रही हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। शहरों में स्थिति यहां तक है कि वहां पीने के लिए पानी भी नहीं है। सबसे अधिक खराब बात तो यह है कि आज भी शहरों में मैला ढोया जा रहा है, जबकि सरकार ने यह संकल्प लिया था कि वर्ष 2010 तक पूरी तरह से इसे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी शहरों में मैला ढोने वाले लोग उपलब्ध हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कुप्रथा कब तक समाप्त होगी और पूरे देश में ऐसे कितने लोग हैं?

प्रो. सौगत राय: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 27.8 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। वर्ष 2026 तक यह बढ़कर 535 मिलियन या 38.2 प्रतिशत लोग हो जाएंगे। शहरों में पीने का पानी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रैनेज पर बहुत दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए जेएनएनयूआरएम शुरु किया गया। वर्ष 2012 में इसके समाप्त होने के बाद क्या करना है? इसके लिए हमने एक हाई पावर कमेटी डॉ. ईशर जज अहलूवालिया की अध्यक्षता में एप्वाइंट की थी, जिसने 7 तारीख को एक रिपोर्ट शहरी विकास मंत्री को दी है। लेकिन शहरों के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत है। वर्ष 2031 तक 39 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। सवाल यह है कि इतने संसाधन कहां से आएंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यह बात सही है कि जिस ढंग से शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शहरों की समस्या बढ़ती जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिंदी]

प्रो. सौगत राय: यह बात सही है और आपको शायद पता है कि आईएलसीएस, इंटीग्रेटेड लोको सेनिटेशन स्कीम हम लोगों ने चालू की थी और वह पूरी होगी। हमारे हिसाब में अभी नहीं है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन पावर्टी एलिविएशन वाले देखते हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह हिन्दुस्तान में आईएलसीएस पूरी हो जाने तक खत्म होने वाली है, यही हमारा लक्ष्य है।

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर)**:** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरु अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत भारत सरकार की तरफ से शहरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें दी जा रही हैं। हमारे यहां मुंबई में बेस्ट को भी बहुत सारी बसें दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन बसों की क्या संख्या है और कितनी दी जा रही हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो ये बसें दे रहे हैं तो क्या हम राज्य सरकारों को या राज्य सरकार की जो ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं, उनको ऐसा कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं कि वे बसें किस रूट पर चलेंगी? पहले से 4500 बसें चल रही हैं, उन्हीं रुट्स पर नयी-नयी बसें भी आ रही हैं। उसकी वजह से जो कंजेशन हो रहा है, उससे बचने के लिए क्या कोई अलग से नयी गाइडलाइन दी जा सकती है ताकि उन्हें अलग रूट्स पर चलाया जा सके।

प्रो. सौगत राय: हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में बताया कि अभी तक हिन्दुस्तान के 65 मिशन सिटीस के लिए 15260 बसें मंजूर की गई हैं। लेकिन हम बसों का स्पेसिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ अरबन डेवलपमेंट से कर लेते हैं कि लो फ्लोर बस, इतनी बड़ी विंडोज और इस ढंग की बस होनी चाहिए। लेकिन किस रूट पर बस चलेगी, यह प्रांतीय सरकार तय करेगी। अभी तक हम लोगों ने महाराष्ट्र में 299 करोड़ रुपए नई बसें खरीदने के लिए दिए हैं। मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां 35 प्रतिशत रुपए केन्द्र सरकार देती है और नासिक जैसे जो छोटे शहर हैं, वहां 50 प्रतिशत रुपए केन्द्र सरकार देती है। वे किस रूट पर बस चलाएंगे, हमने हर प्रांतीय सरकार को अर्ज किया है कि आप लोग एक युनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी और एक स्पेशल परपज व्हीकल बनाइए, जो कि इन बसों को ठीक से चला सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्र. 264. श्री जोसेफ टोप्पो। उपस्थित नहीं।

(श्री हरीश चौधरी):

पशुपालन का विकास

***264. श्री हरीश चौधरी:**
श्री जोसेफ टोप्पो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पशुपालन को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए योजनाएं कार्यन्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वार्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए आवंटन और उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वात्तर राज्यों में सुअर पालन और कुक्कुट पालन फार्म अर्थक्षम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों में पशुपालन के संवर्धन और विकास के लिए विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। ये मांग आधारित योजनाएं हैं और कोई राज्य विशिष्ट आबंटन नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर राज्यों में सुअर कुक्कुट पालन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

(1) विभाग निम्नलिखित तीन घटकों के साथ कुक्कुट विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है:

- राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता
- ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास
- कुक्कुट संपदा

बैंक योग्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग "कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना की क्रियान्वित कर रहा है, जिसे नाबार्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कुक्कुट विकास योजनाओं के लिए 711 लाख रु. का आबंटन किया गया था, जिसमें से 455.44 लाख रु. जारी किए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान जारी धनराशि का राजवार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(2) विभाग नाबार्ड के माध्यम से सुअर विकास पर एक साख से जुड़ी एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को 77.64 लाख रु. की राशि जारी की गई है। ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

अनुबंध-I

विभाग अपेक्षित बुनियादी सुविधा के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के त्वरित विकास को हासिल करने में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
2. केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना
3. केन्द्रीय प्रायोजित कुक्कुट विकास योजना
4. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का समेकित विकास
5. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
6. ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण*
7. नर भैंस बछड़ों को बचाना और पालना*
8. मृत पशुओं का उपयोग*
9. सुअर विकास

*इन योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध-II

पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी धनराशि का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)
1.	अरूणाचल प्रदेश	358.00	382.70	166.85	206.74
2.	असम	231.65	368.80	639.14	1046.83
3.	मणिपुर	250.80	306.00	578.80	10.00
4.	मेघालय	206.34	231.54	157.47	244.00
5.	मिजोरम	520.50	426.10	155.00	434.89
6.	नागालैंड	630.64	409.29	249.76	532.64
7.	सिक्किम	328.00	371.82	691.75	300.89
8.	त्रिपुरा	292.24	680.58	0.00	608.74

अनुबंध-III

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपान विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजना "कुक्कुट संपदा" के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष (अब तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी धनराशि का विवरण

(i) राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	100.00	-	-
2.	असम	130.00	-	-	-
3.	मणिपुर	-	-	-	-
4.	मेघालय	-	-	-	-
5.	मिजोरम	27.50	-	-	-
6.	नागालैंड	191.25	40.00	-	23.75
7.	सिक्किम	135.00	100.00	107.50	42.50
8.	त्रिपुरा	66.24	83.76	-	-

(ii) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	69.60
2.	असम	-	-	-	157.33
3.	मणिपुर	-	-	-	-
4.	मेघालय	-	-	49.10	-
5.	मिजोरम	-	-	20.00	20.00
6.	नागालैंड	-	-	-	77.76
7.	सिक्किम	-	-	72.00	-
8.	त्रिपुरा	-	-	-	60.50

(iii) कुक्कुट संपदा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-
2.	असम	-	-	-	-
3.	मणिपुर	-	-	-	-
4.	मेघालय	-	-	-	-
5.	मिजोरम	-	-	-	-
6.	नागालैण्ड	-	-	-	-
7.	सिक्किम	-	-	301.52	-
8.	त्रिपुरा	-	-	-	-

(iv) कुक्कट उद्यम पूंजीगत कोष

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-
2.	असम	6.65	-	25.00	2.50

1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	2.80	-	-	-
4.	मेघालय	-	-	-	-
5.	मिजोरम	15.00	3.60	-	-
6.	नागालैंड	-	-	-	-
7.	सिक्किम	-	-	-	-
8.	त्रिपुरा	-	-	-	1.50

अनुबंध-IV

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय क्षेत्र की "सुअर विकास" योजना के तहत 2010-11 के दौरान पर्वोत्तर राज्यों को जारी धनराशि का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11 (आज तक)
1.	अरूणाचल प्रदेश	-
2.	असम	43.05
3.	मणिपुर	-
4.	मेघालय	1.02
5.	मिजोरम	-
6.	नागालैंड	33.57
7.	सिक्किम	-
8.	त्रिपुरा	-

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे जिले बाड़मेर के अंदर जब सन् 1961 में जनगणना हुई थी तो उस समय पशुओं की संख्या 6,34,000 थी। सन् 2001 में जब जनगणना हुई तो वह 3,50,000 आधी रह गई और जब इंसानों की जनगणना हुई, जो सन् 1961 में 6,77,000 थी, वह सन् 2001 में 19,35,000 हो गई। सन् 1960 के बाद हम लोग पशुओं और गायों के बारे में चर्चाएं और बातें बहुत कर रहे हैं तथा योजनाएं बहुत बना रहे हैं, परन्तु धरातल के अन्दर इन्सान गायों और पशुओं से दूर होता जा रहा है। हम सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना बनाएं, जैसे हम पशुओं को पारम्परिक तौर पर अपने साथ लेकर चलते थे, उनकी सेवा करते थे, ऐसा वातावरण पूरे देश में वापस बने, क्या ऐसी कोई सरकार की योजना है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): महोदया, उत्तर में हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में ब्यौरा दिया है, जो गायों, भैसों, सुअर पालन, मुर्गी पालन, और अन्य सभी वर्गो, के हितों की रक्ष करेंगी। अनेक योजनाएं मौजूद हैं और इस देश में भारी धनराशि खर्च हो गई है। यह प्रश्न विशेष मुख्यत: ध्यानियों के संबंध में है और मैं माननीय सदस्य के क्षेत्र विशेष के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे पाउंगा। यदि वे मुझसे एक पृथक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे मुझे नोटिस दे सकते हैं। मुझे उन्हें अतिरिक्त जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है।

कृषि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

***265. श्रीमती दीपा दासमुंशी:**
श्री एम. बी. राजेश:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर सहयोग बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) इन समझौतों से कृषि क्षेत्र को मिलने वाले संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप में विश्व के अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी भागिदारीयों को विकसित करते हुए कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे-खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम इत्यादि के माध्सम से व्यापक आधार पर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी, 2011 तक) के दौरान 20 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन करारों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) ऐसे करारों/समझौता ज्ञापनों से प्रौभ्दूत संभावित लाभ क्षमता निर्माण की प्रकृति, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के दौरों के माध्यम से ज्ञान का आदान-प्रदान, आनुवांशिक संसाधनों का आदान-प्रदान इत्यादि के होते हैं। जिससे किसानों के खेतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यथोचित प्रौद्योगिकियों और कृषि प्रथाओं के विकास में सहायता मिलती है। ऐसे सहयोग से कृषि जिंसों में व्यापार के अवसरों के सृजन भी सुकर होते हैं। भारत के कार्यनीति हितों को भी अन्य देशों के साथ भागीदारी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

अनुबंध

2008, 2009, 2010 और 2011 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करारों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख	मंत्रालय/विभाग का नाम	सहयोग के लिए अभिज्ञात क्षेत्र
1	2	3	4	5
		2008		
1.	इटली	16.1.2008	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	इन समझौता ज्ञापनों/करारों में अभिज्ञात सहयोग के लिए व्यापक रूप से क्षेत्रों में शामिल हैं, अनुसंधान एवं विकास में सहयोग, क्षमता निर्माण, जर्म प्लाजम आदान-प्रदान, कटाई पश्चात प्रबंधन, मूल्य वर्द्धन/खाद्य प्रसंस्करण, पौध संरक्षण, पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी इत्यादि।
2.	हंगरी	18.1.2008	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
3.	ब्राजील	16.4.2008	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
4.	चिली	29.4.2008	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
5.	इक्वाडोर	17.11.2008	कृषि मंत्री (डेयर)	
6.	इण्डोनेशिया	01.12.2008	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
		2009		
7.	कनाडा	13.1.2009	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
8.	सर्बिया	03.3.2009	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
9.	स्पेन	23.4.2009	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
10.	रूस	27.4.2009	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	

1	2	3	4	5
		2010		
11.	मालावी	8.1.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
12.	बोत्सवाना	9.1.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
13.	नार्वे	2.3.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
14.	यूएसए	16.3.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
15.	दक्षिण अफ्रीका	4.6.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
16.	अर्जेन्टीना	11.9.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
17.	आस्ट्रिया	13.9.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
18.	तज़ाकिस्तान	7.10.2010	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	
		2011		
19.	इण्डोनेशिया	को नवीकृत 25.1.2011	कृषि मंत्री (डीएएचडी एवं एफ)	
20.	अफगानिस्तान	14.2.2011	कृषि मंत्री (कृषि एवं सहकारी विभाग)	

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

कृषि मंत्री : कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारी विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग

डेयर : कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

डीएएचडी एवं एफ : पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग

श्रीमती दीपा दासमुंशी: महोदया, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने स्थानीय उत्पादकता संवर्धन तकनीकों पर ध्यान दिया है, जो अपनी प्रभावोत्पादकता साबित कर चुकी हैं। उदाहरणस्वरूप परिचय बंगाल में जलपाईगुडी जिले में एक व्यक्ति है.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछें।

श्रीमती दीपा दासमुंशी: एक व्यक्ति है जो उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जो एक छोटा भूखंड लेता है और उसमें कृषि संबंधी कार्यकलापों को बखूबी अंजाम दे रहा है। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने स्वयं वहाँ अपने दल भेजे। मैं जानना चाहती हूँ कि लघु ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि उत्पादकता हो रही है... *(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री महोदय, आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्रीमती दीपा दासमुंशी: महोदया, मैंने अभी अपना प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदया: आप शीघ्र ही प्रश्न पूछें। अब हमारे पास कम समय बचा है।

श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या सरकार अन्य देशों के सहयोग से ऐसा कुछ कर रही है। जिससे ऐसी उत्पादकता संवर्धन तकनीक को बढ़ावा मिल सके?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): हमने अनेक देशों के साथ अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक महत्त्वपूर्ण विंदु जिस पर हम सदैव ध्यान में यह है कि क्या कोई देश ऐसी प्रौधोगिकी उपलब्ध करा सकता है जो उत्पादन में सुधार करेगी, क्या कोई देश जनन-द्रव्य (जर्मप्लाज्मा) की आपूर्ति कर सकता जो उत्पादकता को बढ़ाने में उपयोगी होगा। हम इन बातों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और हम इन मुद्दों को सदैव अपने समझौतों में शामिल करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मीडिया में अभद्रता को रोकना

***266. श्री सी. राजेन्द्रनः**
श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार एक प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परिषद की संरचना क्या होगी तथा इसे क्या-क्या शक्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और यह परिषद कब तक कार्य करना आरंभ कर देगी;

(ग) उक्त परिषद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभद्रता को रोकने में किस प्रकार सहायक होगी;

(घ) क्या सरकार का प्रिंट मीडिया में अभ्रदता दर्शाने वाले मामलों से ढंग से निपटने के लिए भारती प्रेस परिषद को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) प्रमुख सैटेलाइट टीवी चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक औद्योगिक निकाय, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा मनोरंजन चैनलों की विषय-वस्तु पर एक स्व-विनियामक तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जिसका प्रथम स्तर प्रसारक का होगा तथा द्वितीय स्तर प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) का होगा। प्रस्तावित बीसीसीसी की व्यापक संरचना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय और आईबीएफ के बीच कई विचार-विमर्श बैठकें हुई हैं।

बीसीसीसी को एक 13 सदस्यीय निकाय बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायाधीश होगा तथा 12 अन्य सदस्य शमिल होंगे। इन 12 सदस्यों में से चार सदस्य प्रसारकों में से लिए जाएंगे, चार सदस्य उद्योग से बाहर के सुविख्यात और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा चार सदस्य सांविधिक राष्ट्रीय आयोगों से होंगे। अंतिम श्रेणी में राष्ट्रीय आयोगों में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) का अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व होगा। बीसीसीसी की बैठक हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे अन्य राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधित्व के लिए चौथे सदस्य का चयन शिकायत के स्वरूप के आधार पर किया जाएगा। यह परिकल्पना है कि या तो आयोग का अध्यक्ष अथवा आयोग का सदस्य बीसीसीसी का प्रतिनिधित्व करेगा।

बीसीसीसी को मनोरंजन चैनलों द्वारा संहिता के उल्लघंन से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करने और किसी भी आपत्तिजनक विषय-वस्तु को आशोधित करने अथवा उसे वापस लेने के लिए संबंधित चैनलों को उपयुक्त निदेश देने का अधिदेश प्राप्त होगा। चूंकि बीसीसीसी के अधिकार सदस्य सुविख्यात व्यक्ति और सांविधिक आयोगों के सदस्य होंगे इसलिए, टीपी चैनलों पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक विषय-वस्तु से संबंधित मुद्दों का निदान करने के संबंध में बीसीसीसी द्वारा एक विश्वसनीय एवं स्वीकार्य स्व-विनियामक तंत्र मुहैया कराए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) भारत में प्रैस की स्वतंत्रता परिरक्षित करने और समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने तथा प्रैस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के लिए प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) नामक एक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की गई थी। पीसीआई ने अपने निदेशों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने हेतु प्रैस परिषद को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक रूप से परामर्श करने और मीडिया से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने के पश्चात उक्त अधिनियम में संशोधनों के प्रारूप को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा।

बुलेट प्रुफ जैकेटें

***267. श्री पी. कुमार:**
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को बुलेट-प्रुफ जैकेटों से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बल-वार कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) ने हल्की और उच्च क्वालिटी की बुलेट प्रुफ जैकेटों के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो की गई सिफरिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने समयबद्ध रूप से इस प्रकार की जैकेटें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) सभी केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को बुलेट प्रुफ जैकेटों का अनुमोदन निम्नवत है:

बल का नाम	प्राधिकृत मात्रा	उपलब्ध मात्रा
असम राइफल्स	18,600	12,363
सीमा सुरक्षा बल	45,805	33,438
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	17,477	2,650
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	1,09,000	74,156
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	12,150	3,934
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2,941	1,216
सशस्त्र सीमा बल	6,190	3,545
कुल	2,12,163	1,31,302

(ग) और (घ) बी पी आर एंड डी ने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); रक्षा मनोविज्ञान और संबद्ध विज्ञान संस्थान, आईआईटी दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी (टीबीआरएल) से परामर्श करके बी पी जैकेटों के वर्तमान विनिर्देशन में आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश की थी और गृह मंत्रालय ने उन सिफारिशों को स्वीकार किया था तथा संशोधित विनिर्देशनों को दिनांक 05.05.2009 को अधिसूचित कर दिया गया था। इन विनिर्देशन के आधार पर वर्तमान निविदा जुलाई, 2009 में आमंत्रति की गई थी। विनिर्देशन, राष्ट्रीय न्याय संस्थान (एनआईजे) यूएसए के मानकों के स्तर-III के समरूप है।

मंत्रालय ने भी हाल ही में दिनांक 18 जनवरी, 2010 को फुल बॉडी प्रोटेक्शन (360°) के साथ बी पी जैकेट के लिए बेहतर तकनीकी विनिर्देशन अधिसूचित किए थे जो एनआईजे मानकों के स्तर-III ए में समरूप हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अत्याधुनिक बीपी जैकेट के लिए विनिर्देशनों का विकास करने हेतु बीपीआरएंडडी से अनुरोध किया है जो आर्मर पीयरसिंग बुलैटों से सुरक्षा करने के लिए एन आई जे मानकों के स्तर पर IV के समरूप हों। थ्रैट लेवल-V जैकेट के विनिर्देशनों की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ) सीआरपीएफ ने दिनांक 27.04.2010 को मैसर्स एक के यू कानपुर को 59,000 बुलेट प्रुफ जैकेटों का आदेश दिया है। 59,000 बुलेट प्रुफ जैकेट का आवंटन निम्नवत है:

क्र.सं.	संगठन	मात्रा
1	2	3
1.	असम राइफल्स	6,237
2.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2,966
3.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	35,517
4.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	8,216
5.	राष्ट्रीय सुरक्षा बल	1,725
6.	सशस्त्र सीमा बल	2,645
7.	दिल्ली पुलिस	1,500
8.	अंडमान और निकोबार पुलिस	100

1	2	3
9.	लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली	50
10.	एनसीबी	44
	कुल	59,000

बुलेट प्रुफ जैकेटों की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। 7500 लाइट वेट बुलेट प्रुफ जैकटों की आपूर्ति प्राप्त हो गई है और उन्हें निम्नलिखित बलों को आवंटित किया गया है:

बल का नाम	जारी की गई मात्रा
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	5,225
दिल्ली पुलिस	500
लोक सभा सचिवालय	50
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	1,725
कुल	7,500

उपर्युक्त के अलावा, फर्म से 6,000 बुलेट प्रुफ जैकेटों की आपूर्ति भी प्राप्त हो गई है और उन्हें वितरित किया जा रहा है। बाकी आपूर्ति जून, 2011 तक प्राप्त होने की आशा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

***268. श्री हरिभाऊ जावले:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से उनके विचार मांगने के लिए उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रारूप विधेयक अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कानून की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकारों से एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंसी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने 4.6.2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह घोषण की थी कि सरकार का एक नया कानून-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव है-जो फ्रेम वर्क के लिए सांविधिक आधार प्रदान करेगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रतिमाह चावल अथवा गेहूँ की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणालीगत सुधार लाने के लिए भी किया जाएगा।

सरकार विधिवत परामर्श तथा विचार करने के बाद इस महत्त्वपूर्ण विधान को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तवित विधान संबंधी एक अवधारणा नोट सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को 5.6.2009 तथा 10.6.2009 को परिचालित किया गया था। इस विभाग ने राज्य खाद्य सचिवों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, योजना आयोग, विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों के साथ भी आरंभिक परामर्श किए हैं। खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद भी खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रही है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप पर एक फ्रेम वर्क नोट तैयार किया है और जनता की राय के लिए वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा 7 मार्च, 2011 तक टिप्पणियां मांगी हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने फ्रेम वर्क नोट पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी टिप्पणियां मांगी हैं।

प्रस्तावित विधान के कवरेज, पात्रता आदि सहित सभी पहलू फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं। हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर खाद्यान्नों की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तवित को अंतिम रूप देने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

खेलों में प्रदर्शन

***269. श्री ए. गणेशमूर्तिः**
श्री. एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई खालों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनसे की गई अपेक्षाओं तथा खेल क्षेत्र में किए गए निवेश के अनुरूप रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त खेल आयोजनों के दौरान मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए घोषित नकद पुरस्कार संवितरित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी खेल प्रतिस्पर्धा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) वर्ष 2008 से आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

अगस्त, 2008 में बीजिंग में आयोजित 29वें ओलंपिक खेलों में भारत ने 3 पदक (1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक) जीते जो ओलंपिक खेलों में अब तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

ढाका में आयोजित 11वें दक्षिण एशियाई खेल, 2010 में भारत 174 पदक (90 स्वर्ण, 55 रजत और 29 कांस्य) जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी) 2010 में भारत ने 101 पदक (38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य), जो सीडब्ल्यूजी मेलबोर्न, 2006 में भारत द्वारा जीते गए पदकों से लगभग दो गुना थे, जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्शाया। इस उपलब्धि से भारत ने आस्ट्रेलिया के बाद और इंग्लैण्ड, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख खेल देशों से आगे रहते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

ग्वांगझू (चीन) में आयोजित 16वें एशियाई खेल 2010 में भारतीय खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया और रिकार्ड 64 पदक (14 स्वर्ण, 17 रजत और 33 कांस्य) जीते। भारत ने पदक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया जो एशियाई खेलों के आरंभ से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय दल की तैयारी हेतु भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। 678 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ सीडब्ल्यूजी, 2010 के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारी हेतु योजना के अंतर्गत भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू और विदेशी दोनों में विस्तृत और गहन प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर पैदा किए गए। इस प्रयास में 170 भारतीय और 30 विदेशी प्रशिक्षक, 78 सहायक तकनीकी कार्मिक शामिल थे।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता तथा सीडब्ल्यूजी, 2010 के लिए टीमों की तैयारी की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता हेतु खेल विधाओं को चिन्हित करने के लिए एथलीटों और टीमों की तैयारी के लिए दी गई वित्तीय सहायता की राशि निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि
1.	2007-08	53.37
2.	2008-09	109.50
3.	2009-10	279.96
4.	2010-11 (31.01.2011 तक)	89.40

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षणों के लिए विशेष पुरस्कार की योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि का संवितरण एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) द्वारा संस्तुत नकद पुरस्कार के लिए आवेदनों पर भाखेप्रा द्वारा खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सत्यापन करने के पश्चात योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पुरस्कार राशि हेतु विचार किया जाता है।

सीडब्ल्यूजी-2010 और एशियाई खेल-2010 के समस्त पदक विजेताओं को अतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार की योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वर्ण पदक विजेताओं को 20 लाख रु., रजत पदक विजेताओं को 10 लाख रु. और कांस्य पदक विजेताओं का 6 लाख रु. की पुरस्कार राशि दी गई। टीम स्पर्धाओं में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि दी गई जो व्यक्तिगत पुरस्कार राशि के आधे से कम नहीं थी। सीडब्ल्यूजी-2010 और एशियाई खेल-2010 के 323 पदक विजेताओं को 26.82 करोड़ रु. की पुरस्कार राशि संवितरित की गई है। खेल विधा-वार ब्यौरे संलग्न-विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	खेल विधा का नाम	पुरस्कार राशि प्रदान किए गए पदक विजेताओं की संख्या		
		सीडब्ल्यूजी-2010	एशियाई खेल-2010	कुल
1	एथलेटिक्स	21	14	308,00,000
2.	तीरंदाजी	16	7	1,69,999,97
3.	एक्वाटिक्स (पैरा खेल)	1	–	600000
4.	बैडमिंटन	14	–	12600000
5.	मुक्केबाजी	6	9	1,58,00,000
6.	बिलयडर्स एवं स्नूकर	–	6	51,99,998
7.	शतरंज	–	6	24,00,000
8.	जिम्नास्टिक्स	2	1	22,00,000
9.	गोल्फ	–	4	20,00,000
10.	कबड्डी	–	24	2,40,00,000
11.	हाकी	16	16	1,28,00,000
12.	नौकायन	–	20	1,14,00,000
13.	रोलर स्पोटर्स	–	3	15,00,000
14.	निशानेबाजी	42	16	5,9699,996
15.	सेलिंग (पाल नौकायन)	–	5	30,00,000
16.	स्क्वैश	–	9	36,00,000
17.	तैराकी	–	1	6,00,000
18.	टेबल टेनिस	15	–	93,00,000
19.	टेनिस	6	10	1,31,00,000
20.	कुश्ती	19	3	2,92,00,000
21.	भारोत्तोलन	9	–	1,04,00,000
22.	वुशू	–	2	1600000
	कुल	167	156	26,81,99,991

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

***270. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित देश में कृषि योग्य भूमि का बड़ा भू-भाग अवक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है जिसके कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कितने प्रतिशत भूमि को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने का खतरा बना रहता है;

(ग) क्या सरकार की ऐसी कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा करने, उसका सुधार तथा विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) वर्ष 2005 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आइसीएआर द्वारा अध्ययन यह संकेत देता है कि देश में कुल 328.73 मिलियन हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 146.82 मिलियन हैक्टेयर विभिन्न प्रकार के भूमि अवक्रमण से प्रभावित है। वर्ष 2010-11 में उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 31.1.2011 तक उड़ीसा सहित पूरे देश में 8.81 मिलियन हैक्टेयर कृषि भूमि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं अर्थात बाढ़/चक्रवाती आंधी, भूस्खलन/बादल फटने और सूखे से प्रभावित था। अवक्रमित भूमि, कृष्य भूमि और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है। तथापि, भारत सरकार अवक्रमित भूमि के विकास हेतु विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन्हीं कार्यक्रमों के फलस्वरूप निवल बुवाई क्षेत्र कमोवेश रूप में 141.00 मिलियन हैक्टेयर पर अपरिवर्तित रहा है। कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण प्राकृतिक आपदाओं उपलब्ध/अग्रिम अनुमानों के अनुसार के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन 2006-07 में 217.28 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 232.07 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। इसी अवधि के दौरान बागवानी फसलों का भी उत्पादन 191.81 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 233.81 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है।

(ग) और (घ) कृषि और विपदा प्रबंधन राज्य सरकारों का विषयवस्तु है। भारत सरकार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत सहायता देने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का समन्वय करती है तथा उनमें सहायता देती है। राज्य सरकारों के पास आवश्यक सहायता देने के लिए राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरफ) सहज रूप से उपलब्ध है। "गंभीर किस्म" की आपदा के मामले में एसडीआरफ के अधीन जब उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त हो जाता है तो निर्धारित प्रक्रियाओं जिसमें नुकसान का जायजा लेने के लिए अंत: मंत्रालयी केन्द्रीय दल का दौरा शामिल है, का अनुसरण करने के बाद राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में उड़ीसा सहित एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत निधियों के आवंटन और निर्मुक्ति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

कृषि योग्य भूमि के संरक्षण और सुधार तथा विभिन्न प्रकार के भू उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार पूरे देश में विभिन्न पनधारा कार्यक्रम अर्थात वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूपीआरए) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी एंड एफपीआर) क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास (आरएडीएएस), झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए) और समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित कर रही है। विगत तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में इन डब्ल्यूडीपी के अधीन आवंटित निधि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि योग्य भूमि, अवक्रमित भूमि और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित भूमि का राज्यवार क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवक्रमित भूमि	कृषि योग्य भूमि	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित भूमि	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि भूमि का%
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	14992	15928	1207	7.58
2.	अरूणाचल प्रदेश	4503	422	164	38.86
3.	असम	2213	3211	187	5.82
4.	बिहार	6283	6637	1941	29.25
5.	छत्तीसगढ़	#	5581	0	0.00
6.	गोवा	162	197	0	0.00
7.	गुजरात	8133	12422	67	0.54
8.	हरियाणा	1467	3728	131	3.51
9.	हिमाचल प्रदेश	4178	822	26	3.16
10.	जम्मू और कश्मीर	7020	1044	14	1.34
11.	झारखंड	#	4289	741	17.28
12.	कर्नाटक	7631	12892	10	0.01
13.	केरल	2608	2305	3	0.01
14.	मध्य प्रदेश	26210	17322	0	0.00
15.	महाराष्ट्र	13055	21148	0	0.00
16.	मणिपुर	952	243	0	0.00
17.	मेघालय	1208	1053	0	0.00
18.	मिजोरम	1881	377	2	0.50
19.	नागालैंड	995	659	0	0.00
20.	उड़ीसा	6122	7126	878	12.32
21.	पंजाब	1280	4215	84	1.99
22.	राजस्थान	11368	25578	0	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	234	150	0	0.00
24.	तमिलनाडु	5334	8146	417	5.11
25.	त्रिपुरा	628	310	0	0.00
26.	उत्तराखंड	#	1547	502	32.45
27.	उत्तर प्रदेश	2752	5689	1625	28.56
28.	पश्चिम बंगाल	15324	19179	815	4.25
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2752	5689	1625	28.56
30.	चंडीगढ़		47	0	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली		2	0	0.00
32.	दमन और दीव		24	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	287	5	0	0.00
34.	पुड्डुचेरी		30	0	0.00
35.	दिल्ली		54	0	0.00
	सकल योग	146820	182385	8814	4.83

नोट: #बिहार के अवक्रमित भूमि में झारखण्ड, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड शामिल है।

स्त्रोत: *आईसीएआर **अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ***राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई 2010-11 (31.1.2001 तक) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र।

विवरण-II

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तथा वर्तमान (2010-11) के दौरान सीआरएफ/एसडीआरफ और एनसीसीफ/पनडीआरफ/एनडीआरफ के आवंटन और निर्मुक्ति का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सीआरफ/एसडीआरएफ के अधीन आवंटन				सीआरफ/एसडीआरएफ से निर्मुक्त केन्द्रीय अंश				एनसीसीफ/एनडीआरएफ से निर्मुक्त			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	379.35	398.31	418.22	508.84	219.99	298.73	313.67	481.63	37.51	29.82	685.81	582.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	29.97	30.87	31.81	36.74	22.48	23.15	23.85	33.07	0.00	26.40	32.29	0.00
3.	असम	204.48	210.63	217.06	263.77	153.36	157.97	162.80	237.39	0.00	300.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	157.74	162.48	167.45	334.49	233.24#	121.86	125.59	250.87	0.00	1000.00	267.48	368.01
5.	छत्तीसगढ़	118.35	121.91	125.62	151.32	65.57	45.72	139.935#	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	2.32	2.44	2.56	2.96	1.74	1.83	1.92	1.11	0.00	0.00	4.04	0.00
7.	गुजरात	271.22	284.77	299.00	502.12	48.57	315.29#	224.25	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	137.13	143.99	151.18	192.90	102.85	54.00	167.39	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	106.65	109.87	113.21	130.76	79.99	103.63	63.69	117.68	24.59	40.33	14.58	149.95
10.	जम्मू और कश्मीर	91.58	94.33	97.21	172.46	68.68	35.38	108.275#	77.61	13.51	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	133.53	137.55	141.75	259.45	148.79#	51.58	157.89#	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	126.41	132.73	139.36	160.96	71.11	99.55	104.52	120.72	68.89	189.11	1594.36	0.00
13.	केरल	94.26	98.98	103.91	131.08	70.70	74.23	77.93	98.31	50.81	9.48	0.00	12.78
14.	मध्य प्रदेश	269.29	277.39	285.88	392.75	151.48	208.04	214.41	371.88	0.00	0.00	40.53	0.00
15.	महाराष्ट्र	245.75	258.04	270.94	442.69	47.70	0#	488.90	366.01	168.92	0.00	182.10	127.06
16.	मणिपुर	5.89	6.05	6.25	7.22	10.67#	4.48#	6.96	3.25	0.00	5.45	0.91	0.00
17.	मेघालय	11.95	12.31	12.68	14.65	8.96	9.23	9.51*	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	6.97	7.19	7.40	8.55	7.77#	0*	10.941#	3.85	8.81	49.60	0.00	4.57
19.	नागालैंड	4.05	4.16	4.30	4.97	7.42#	3.12	3.22	2.24	0.00	0.00	8.47	0.00
20.	उड़ीसा	319.38	328.97	339.03	391.58	180.87	324.50	176.50	293.69	0.00	98.87	0.00	0.00
21.	पंजाब	160.99	169.04	177.49	222.92	178.24#	126.78	133.12*	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	458.25	481.16	505.21	600.66	257.34	360.87	378.90	225.25	0.34	0.00	115.12	0.00
23.	सिक्किम	18.57	19.13	19.70	22.75	27.46#	14.35	14.78	10.24	0.00	8.36	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	230.51	242.03	254.13	293.52	172.88	229.17	142.95	220.14	0.00	522.51	0.00	317.17
25.	त्रिपुरा	13.61	14.03	14.44	19.31	10.07#	10.37#	16.09	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	313.45	322.87	332.75	385.39	235.10	242.15	249.55	289.04	0.00	0.00	148.96	554.26
27.	उत्तराखंड	98.58	100.67	101.85	117.66	73.19#	112.47#	76.39	105.89	0.00	0.00	0.00	517.66
28.	पश्चिम बंगाल	248.62	256.09	263.92	304.83	186.47	192.07	197.93	228.62	0.00	0.00	166.87	704.85
	कुल	4258.85	4427.99	4604.31	6077.30	2842.69	3220.52	3791.87	4337.63	373.38	2279.93	3261.52	3338.42

सीआरएफ/एसडीआरएफ आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष एनसीसीएफ/एनडीआरएफ–राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष/राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष।

*पहले से निर्युक्त कोष को जमा करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र और वार्षिक रिपोर्ट के अभाव में सीआरएफ/एसडीआरएफ का केन्द्रीय अंश निर्युक्त नहीं किया गया।

#पिछले वर्ष के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ का बकाया सहित।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों (2007-2008 से 2009-10) और वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अधीन आवंटित/निर्मुक्त का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन/निर्मुक्ति 2007-08	आवंटन/निर्मुक्ति 2008-09	आवंटन/निर्मुक्ति 2009-10	आवंटन/निर्मुक्ति 2010-11 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13107.36	14675.47	12414.29	18799.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	2342.36	4247.86	3808.98	6161.20
3.	असम	3389.80	4924.05	6412.80	6424.00
4.	बिहार	320.00	1321.88	1305.09	498.90
5.	छत्तीसगढ़	4691.19	7171.86	5915.15	8191.00
6.	गुजरात	15832.68	19622.67	26542.86	24035.63
7.	हरियाणा	4116.41	2147.03	3406.00	3146.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5221.25	5277.83	4645.89	9634.80
9.	झारखण्ड	864.33	2165.40	2887.59	4198.20
10.	जम्मू और कश्मीर	4256.43	4989.70	5153.00	4191.00
11.	कर्नाटक	13920.70	20023.39	22719.00	17315.00
12.	केरल	1511.90	2556.01	794.22	1424.30
13.	मध्य प्रदेश	15525.84	17130.67	16744.00	18755.00
14.	महाराष्ट्र	14591.97	14610.98	22876.32	13398.04
15.	मणिपुर	2338.00	2846.50	2709.00	4488.00
16.	मेघालय	1714.00	2240.37	2488.00	5399.00
17.	मिजोरम	5292.00	4987.56	6425.74	5616.00
18.	नागालैंड	5195.70	4753.00	2806.00	5524.98
19.	उड़ीसा	6399.00	8618.47	10895.44	13761.93
20	पंजाब	1061.84	1217.63	759.00	941.32
21.	राजस्थान	20471.69	32276.20	25607.00	43519.04
22.	सिक्किम	824.20	905.52	1772.00	1167.00

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	8483.00	9073.12	6674.52	10027.44
24.	त्रिपुरा	865.20	998.87	1490.57	2562.25
25.	उत्तर प्रदेश	13525.68	19068.58	16601.00	22044.50
26.	उत्तराखंड	5060.54	4978.00	1571.00	5466.10
27.	पश्चिम बंगाल	891.04	1975.95	1150.00	2560.57
28.	गोवा	281.00	284.20	75.34	50.60
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	172095.11	215089.77	216649.80	279300.91

[अनुवाद]

विद्यालयों/महाविद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन देना

***271. श्री के.पी. धनपालन:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में राज्य-वार कितनी खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना की स्थापना के लिए भी सहायता उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने और वहां खेल अवसंरचना के सृजन के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) मंत्रालय की पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) नामक शीर्ष योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए, चालू वर्ष से, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) को पूरे देश में वर्ष 2010-11 के दौरान जिला और राज्य स्तर पर अंतर-विद्यालय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय के अंतर्गत, एक स्वायत निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना के तहत स्कूलों के 8-14 वर्षों के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली कुशल बच्चों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्टीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं का संचालन कर भावी पदकों की प्राप्ति हेतु शिक्षा भी प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, उन नियमित विद्यालयों को जहां खेल-कूद की अच्छी अवसंरचना है, अपनाया जाता है तथा उन्हें सुयोग्य कोचों के माध्यम से खेल कोचिंग प्रदान की जाती है। प्रशिक्षार्थियों को (वर्ष में 300 दिनों के लिए) भोजन व्यवस्था तथा आवास के साथ-साथ उपभोज्य खेल-कूद उपस्कर, स्पोर्टस किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन तथा बीमा आदि के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) स्कूल तथा साथ ही जिन स्कूलों में देशी खेलों एवं मार्शल आर्टस (आईजीएमए) की परम्परा हो, उन्हें भी एनएसटीसी योजना में अपनाया जाता है।

विद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने स्कूल गेम्स फैडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआई) को मान्यता

प्रदान की है, जो राष्ट्रीय स्तर की अनेक चैम्पियनशिप का आयोजन करता है। सरकार ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेशों में टीमें भेजने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नेशनल स्पोर्टस प्रमोशन आर्गनाईजेशन के रूप में मान्यता प्रदान की है।

विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ को मान्यता प्रदान की है और अंतर-विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं आदि के लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमश: 150 लाख रु. और 381 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मंत्रालय में कार्यान्वित केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल-कूद अवसंरचना विकास योजना को वर्ष 2005 से समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेल-कूद अवसंरचना के सृजन हेतु कोई पृथक योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। फिर भी, पायका, योजना के अंतर्गत खेल-मैदानों के विकास हेतु स्थलों का चयन करते समय विद्यालयों/महाविद्यालयों को अग्रता प्रदान की जाती है। पायका योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे 90 प्रतिशत से अधिक खेल-मैदान विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को क्रीड़ाश्री पदनामित किया जाता है तथा उन्हें खेल-मैदानों के रख-रखाव तथा खेल-कूद संबंधी कार्यकलाप चलाने का जिम्मा सौंपा जाता है।

(ङ) अभी तक (28.02.2011 तक) खेल-कूद अवसंरचना के सृजन तथा खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आबंटित तथा जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत मंजूर तथा जारी किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	अनुमोदित कुल राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	25.98	12.99
2.	असम	333	22	4.81	-
3.	बिहार	847	53	10.44	5.22
4.	छत्तीसगढ़	982	14	10.11	-
5.	गोवा	19	04	6.35	-
6.	गुजरात	900	22	9.65	-
7.	हरियाणा	619	12	6.51	3.26
8.	हिमाचल प्रदेश	324	08	4.02	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	413	14	5.32	2.66
10.	केरल	100	15	1.60	0.80
11.	मध्य प्रदेश	2304	31	23.65	11.82

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	2689	35	27.55	8.91
13.	मणिपुर	79	04	1.08	0.87
14.	मिजोरम	82	03	1.07	0.85
15	नागालैंड	110	05	1.48	1.18
16.	उड़ीसा	623	31	7.34	3.67
17.	पंजाब	1233	14	12.55	6.27
18.	राजस्थान	869	24	9.43	3.71
19.	सिक्किम	16	10	0.67	0.54
20.	तमिलनाडु	1261	38	13.82	5.00
21.	त्रिपुरा	104	04	1.36	1.09
22.	उत्तर प्रदेश	5203	82	53.91	10.00
23.	उत्तराखंड	750	10	8.89	3.00
24.	पश्चिम बंगाल	335	33	4.63	-
25.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसएआई को जारी किया गया अनुदान				8.15
	कुल	22385	601	246.22	92.00

विवरण II

वर्ष 2009-10 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मंजूर तथा जारी किया गया अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश				12.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	355	32	5.56	4.44
3.	असम	-	-	-	3.85
4.	बिहार	-	-	-	5.02

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	5.06
6.	गोवा	–	–	–	0.18
7.	गुजरात	–	–	–	7.10
8.	हरियाणा	–	–	–	3.25
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	2.01
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	2.10
11.	झारखंड	403	21	4.79	2.39
12.	कर्नाटक	565	18	6.22	3.12
13.	केरल	–	–	–	0.80
14.	महाराष्ट्र	–	–	–	4.86
15	मेघालय	83	08	1.32	1.06
16.	मिजोरम	164	05	2.08	0.21
17.	नागालैंड				0.30
18.	उड़ीसा	623	31	7.34	8.05
19.	पंजाब	–	–	–	6.27
20.	राजस्थान	–	–	–	4.72
21.	सिक्किम	32	20	1.35	0.13
22.	तमिलनाडु	–	–	–	1.91
23.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	16.96
24.	उत्तराखंड	–	–	–	5.90
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	2.32
26.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसएआई को जारी किया गया अनुदान				30.00
	कुल	2225	135	28.67	135.00

विवरण III

वर्ष 2010-11 के लिए (28 फरवरी 2011 तक) पायका योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुमोदित तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	अनुमोदित कुल राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,190	113	25.98	25.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	355	32	5.56	6.67
3.	गुजरात	-	-	-	2.55
4.	हरियाणा	619	12	7.92	7.92
5.	हिमाचल प्रदेश	324	08	4.77	4.77
6.	कर्नाटक	564	18	6.23	9.34
7.	केरल	100	15	11.17	11.17
8.	महाराष्ट्र	2752	35	28.16	41.94
9.	मेघालय	83	08	1.32	1.19
10.	मिजोरम	-	-	0.18	2.27
11.	नागालैंड	220	10	2.96	2.96
12.	उड़ीसा	-	-	3.01	5.98
13.	पंजाब	1,233	14	15.32	15.32
14.	सिक्किम	-	-	-	1.35
15.	त्रिपुरा	208	08	2.97	3.24
16.	उत्तर प्रदेश			11.81	38.76
17.	उत्तराखण्ड	750	10	10.59	10.59
18.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	2.32
	संघ राज्य क्षेत्र				
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	06	1.06	1.06

1	2	3	4	5	6
20.	लक्षद्वीप	02	09	0.51	0.51
21.	पुडुचेरी	50	05	0.69	0.69
	कुल	9510	303	140.21	196.58

विवरण IV

2010-11 के दौरान (28.02.11) वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जारी की गई निधि का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.म.	राज्य/संघ राज्य	ग्रामीण प्रतियोगिताएं			महिला प्रतियोगिताएं		कुल [(5) + (7)]
		ब्लॉकों की संख्या	जिलों की संख्या	जारी की गई राशि	जिलों की संक्ष्या	जारी की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,108	22	11.26	-	-	11.26
2.	अरूणाचल प्रदेश	161	16	2.05	-	-	2.05
3.	असम	219	27	2.96	27	0.38	3.34
4.	बिहार	534	38	6.19	-	-	6.19
5.	छत्तीसगढ़	146	18	2.01	-	-	2.01
6.	गोवा	04	02	0.18	02	0.08	0.26
7.	गुजरात	202	23	2.69	-	-	2.69
8.	हरियाणा	92	18	1.50	21	0.31	1.81
9.	हिमाचल प्रदेश	77	12	1.18	12	0.15	1.33
10.	जम्मू और कश्मीर	143	22	2.10	-	-	2.10
11.	झारखंड	212	24	2.81	24	0.35	3.16
12.	कर्नाटक	176	30	2.52	30	0.42	2.94
13.	केरल	98	10	1.32	-	-	1.32
14.	मध्य प्रदेश	283	46	4.13	50	0.66	4.79
15.	महाराष्ट्र	309	29	3.88	35	0.48	4.36

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मेघालय	39	07	0.67	07	0.12	0.79
17.	मिजोरम	26	08	0.58	08	0.13	0.71
18.	नागालैंड	–	–	–	11	0.13	0.13
19.	उड़ीसा	314	30	3.85	30	0.42	4.27
20.	पंजाब	104	16	1.55	20	0.30	1.85
21.	तमिलनाडु	385	31	4.66	32	0.44	5.10
22 .	त्रिपुरा	40	04	0.67*	04	0.11	0.78
23.	उत्तर प्रदेश	820	71	9.47	–	–	9.47
24.	उत्तराखंड	95	13	1.38	13	0.09	1.47
25.	पश्चिम बंगाल	292	15	3.31	–	–	3.31
26.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	–	–	–	–	0.03	0.03
27.	द्वारा एनवाईकेएस	263	25	3.22	–	–	3.22
	कुल	6,142	557	76,14	326	4.60	80.74
28.	626 जिलों एवं 35 जिलों में अंत: विद्यालय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एनवाईकेएस को जारी की गई निधि						7.31#
	कुल योग						88.05

*आमें त्रिपुरा राज्य को निम्न स्तरीय उत्तर पूर्वी खेलों के आयोजन हेतु जारी किए गए 7.2 लाख रुपये शामिल हैं।

@इसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु शामिल है।

#इसमें अंत: विद्यालयों में खेल-कूद और खेलों को बढ़ा देने हेतु अरसे से चली आ रही योजनाओं से एनएस, एनआईएस, पाटियाला द्वारा एनवाईकेएस को जारी की गई 3.20 करोड़ रुपयों की राशि शामिल है।

शहरी परिवहन

***272. श्री एस. सेम्मलई:**
श्री खगेन दास:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के महानगरों और शहरी में यातायात और परिवहन आवश्यकताओं तथा उनमें निवेश के संबंध में कोई आकलन/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरी क्षेत्रों में मेट्रो रेल, मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) तथा बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) सहित विभिन्न ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने के लिए कुल कितने निवेश की आवश्यकता है;

(ग) देश के विभिन्न शहरों में कार्यान्वित किए गए/कार्यान्वित किए जा रहे मेट्रो रेल, एमआरटीएस और बीआरटीएस परियोजनाओं को गुजरात सहित शहर-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि/सहायता राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी हां।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मेसर्स विल्बर स्मिथ एसोशिसन प्रा.लि. के माध्यम से हाल ही में कराए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक अभिज्ञात 87 शहरों में शहरी परिवहन हेतु निधियों की कुल आवश्यकता लगभग 4,35,380 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अनुमोदित तीव्र बस परिवहन प्राणाली (बीआरटीएस) परियोजनाओं तथा उनके कार्यावयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत निधियों/सहायता राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विभिन्न शहरों में कार्यान्वित की जा रही मेट्रो रेल परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्षो के दौरान इनके लिए जारी धनराशियों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण II एवं III दिए गए हैं।

विवरण

बीआरटीएस परियोजनाओं का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	वर्ष 2007-08 उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2008-09 उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2009-10 उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2010-11 उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम हेतु बस परिवहन प्रणाली (I) सुरंग सहित सिंहाचालम ट्रॉजिट कोरिडोर (II) पेडुरथी ट्रॉजिट कोरिडोर	45293.00	22646.50	5661.63	0.00	5661.63	0.00
2.	गुजरात	अहमदाबाद	बीआरटीएस फेज-II	48813.00	17085.00	0.00	4271.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	राजकोट	बस हेतु परिवहन प्रणाली फेज-I (ब्ल्यू कोरिडोर भाग I का विकास)	11000.00	5500.00	1375.00	0.00	2750.00	0.00
4.	गुजरात	सूरत	सूरत हेतु बीआरटीएस का विकास	46902.00	23451.00	0.00	5862.75	0.00	0.00
5.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर सीआरटी एस फेज-I का नदी के किनारे केरिडोर	18000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	महाराष्ट्र	पुणे	मुंबई-पुणे राजमार्ग (8.5 किमी.) और औधरावेत सड़क (14.5 किमी.) हेतु सीआरटीस बस कोरिडोर	31214.00	15607.00	3901.75	7803.50	3901.75	0.00
7.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे (विक्रंतवादी 13.9 किमी. से डिघी-आक्ट्रोई नाका तक हेतु बी आर टी कोरिडोर के रूप में नए अलंडी सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	3703.00	1851.50	0.00	462.88	0.00	0.00
8.	महाराष्ट्र	पुणे	पीसीएससी-बीआरटीएस कोरिडोर-कालेवाड़ी के एस बी चौक से देहू-अलंडी सेड ट्रंक मार्ग-7	21920.00	8768.00	0.00	2192.00	0.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	पुणे	पीसीएससी-बीआरटीएस कोरिडोर-नासिक फाटा से वाकड़ तक (ट्रंक मार्ग सं.-7)	20682.00	8272.80	0.00	2068.20	0.00	0.00
10.	राजस्थान	जयपुर	सिकररोड से होते हुए पानीपेक तक क्रासिंग सी जोन बाईपास से बीआरटीएस परियोजना प्रस्ताव (पैकेज-I बी)	7519.00	3759.50	939.88	1879.76	0.00	0.00
11.	राजस्थान	जयपुर	पैकेट टूर के अंतर्गत बस हेतु परिवहन प्रणाली।	14400.00	7200.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
12.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर हेतु बीआरटीएस -पैकेज III ए एवं III बी।	26035.94	13017.97	0.00	3254.49	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गोरियाटक बीआरटीएस	25291.00	8851.85	0.00	0.00	0.00	2212.26
	कुल			320772.94	145011.12	13678.26	27794.58	12313.38	2212.96

विवरण II

(क) पूर्ण हो चुकी मेट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

क्र.स.	परियोजना	लम्बाई (किमी)	लागत (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	**दिल्ली एसआरटीएस फेज-I**	65.05	10571
	शहदरा-रिठाला	22.06	
	विश्वविद्यालय-केंद्रीय सचिवालय	10.84	
	इंद्रपस्थ-द्वारका	25.65	
		6.50	
2.	**दिल्ली एसआरटीएस फेज-II**	54.68	8605.36
	विश्वविद्यालय-जंहागीरपुरी	6.36	
	शाहदरा-दिलशानगार्डन	12.53	3086.00
	इंद्रप्रस्थ-न्यू अशोकनगर	3.09	11691.36
	यमुना बैंक-आन्नद विहार आईएसबीटी	8.07	
	कीर्तिनगर-अशोक पार्क	6.16	
	इन्द्रलोक-मुण्डका	3.36	
		15.15	
3.	दिल्ली मेट्रो का गुड़गाव तक विस्तार दिल्ली में अंबेडकर नगर से गुड़गाव में सुशांतलोकं	14.47	1589.44
4.	दिल्ली मेट्रो का नोएडा तक विस्तार दिल्ली में न्यू अशोक नगर से नोएडा तक सेक्टर-32 तक	7.0	827.00
5.	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर तक	20.16	4012.00
6.	द्वारका सेक्टर-9 से सेक्टर-21 तक मेट्रो लिंक	2.76	356.11
	एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिंक	19.2	3076.00
		3.50	793.00

1	2	3	4

(ख) अनुमोदित चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

बैंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पीटीए	इक्विटी पूजी	अनुदान	अनुषंगी ऋण	कुल
2007-08	10.00	134.00	–	10.00	154.00
2008-09	56.00	205.99	–	18.01	280.00
2009-10	235.00	150.00	–	1.01	486.01
2010-11 (11.3.2011 की स्थित के अनुसार)	451.21	100.00	–	25.00	576.21

मुबंई मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.

वर्ष	पीटीए	इक्विटी पूजी	अनुदान	अनुषंगी ऋण	कुल
2007-08	–	–	–	–	–
2008-09	–	–	–	–	–
2009-10	–	–	235.50	–	235.50
2010-11 (11.3.2011 की स्थित के अनुसार)	–	–	–	–	–

विवरण III

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान मेट्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधियों का ब्यौरा

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्री के लिए)

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पीटीए	इक्वीटी पूजी	अनुषंगी ऋण		कुल
			भूमि	केन्द्रीय कर	
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	2.00	10.00	0.00	0.00	12.00
2009-10	62.00	61.00	0.00	1.00	124.00
2010-11 (11.3.2011 की स्थिति के अनुसार)	270.00	60.00	0.00	20.00	350.00

चेन्नई मेट्रो रेल कारपोरेशन (तमिलनाडु)

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पीटीए	इक्विटी पूजी	अनुदान	अनुषंगी ऋण	कुल
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	100.00	51.79	0.00	1.00	152.79
2010-11 (11.3.2011 की स्थिति के अनुसार)	470.00	137.00	0.00	45.00	652.00

कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल)

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पीटीए	इक्विटी पूजी	अनुदान	अनुषंगी ऋण	कुल
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	2.00	10.00	0.00	0.00	12.00
2009-10	62.00	61.00	0.00	1.00	124.00
2010-11 (11.3.2011 की स्थिति के अनुसार)	270.00	60.00	0.00	20.00	350.00

बैंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पीटीए	इक्विटी पूजी	अनुदान	अनुषंगी ऋण	कुल
2007-08	10.00	134.00	-	10.00	154.00
2008-09	56.00	205.99	-	18.01	280.00
2009-10	235.00	150.00	-	1.01	486.01
2010-11 (11.3.2011 की स्थित के अनुसार)	451.21	100.00	-	25.00	576.21

मुबंई मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.

वर्ष	पीटीए	इक्विटी पूजी	अनुदान	अनुषंगी ऋण	कुल
2007-08	-	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-	-
2009-10	-	-	235.50	-	235.50
2010-11 (11.3.2011 की स्थित के अनुसार)	-	-	-	-	-

[हिन्दी]

जैव उर्वरकों का प्रयोग

***273. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में जैव उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और उनके प्रयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मृदा उर्वरता और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले जैव उर्वरकों के प्रयोग के लाभ के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी उपयोग में लाई गई?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) बायो उर्वरकों का उत्पादन इनकी शैल्फ-लाईफ कम होने के कारण मांग आधारित है। तीन वर्षों के दौरान बायो-उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादन पर बायो-उर्वरको के लाभ और उपयोगिता संबंधी अध्ययन बताते हैं कि बायो-उर्वरकों के उपयोग द्वारा उत्पादन में औसतन 10-25% वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। पोषक तत्वों के रूप में, बायो-उर्वरक प्रति फसल मौसम प्रति हैक्टेयर 10-20 कि.ग्रा. एन मुहैया करा सकते हैं और $पी_2ओ_5$ का 10-20 किलो ग्राम विलेय कर सकते हैं। बायो-उर्वरकों के उपयोग से अन्य लाभकारी सूक्ष्म-आर्गेनिज्म उगाने में मदद से मृदा-स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।

(घ) और (ङ) समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, जागरूकता लाए जाने तथा फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से बायो-उर्वरकों के उपयोग का संवर्धन किया जा रहा है।

बायो उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए वाणिज्यिक बैकों और नाबार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक प्रतिबंधित 25% पश्च-अंत राजसहायता के रूप में वित्तीय समर्थन भी राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के माध्यम से दिया जाता है।

राज्यों की आवश्यकता के आधार पर निधियां आवंटित की जाती हैं। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान कुल बायो-उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्न वर्षों में उत्पादन (एमटी)		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4515.81	168.14	1345.28
2.	असम	70.90	129.36	121.04
3.	बिहार	20.00	0	0
4.	दिल्ली	168.44	1165.10	1021.85
5.	गुजरात	1263.30	1149.70	1309.19

1	2	3	4	5
6.	गोवा	0	0	0
7.	हरियाणा	8.89	14.25	6.20
8.	हिमाचल प्रदेश	56.21	0	8.50
9.	झारखण्ड	201.68	15.00	15.00
10.	कर्नाटक	2841.27	11921.00	3695.50
11.	केरल	814.45	1187.00	1936.45
12.	मध्य प्रदेश	1884.87	848.50	1587.68
13.	महाराष्ट्र	2486.41	1249.87	1861.33
14.	मिजोरम	3.58	2.00	2.50
15.	नागालैंड	13.98	16.01	18.25
16.	उड़ीसा	331.94	405.03	289.87
17.	पंजाब	2.00	1.00	301.00
18.	पुडुचेरी	471.29	561.79	452.79
19.	राजस्थान	302.30	353.67	805.57
20.	तमिलनाडु	3466.97	4687.82	3732.59
21.	त्रिपुरा	14.27	14.68	278.40
22.	उत्तर प्रदेश	250.15	885.52	962.64
23.	उत्तराखंड	0	48.35	32.00
24.	पश्चिम बंगाल	922.34	241.24	256.50
	कुल	20111.05	25065.03	20040.13

विवरण-II

नाबार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के तहत जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्न वर्षों में राजसहायता के रूप में निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.635	17.68	10.00	23.25
2.	गोवा	10.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	7.13	0	0	13.25
4.	जम्मू और कश्मीर	10.00	0	0	0
5.	मिजोरम	10.00	0	0	0
6.	नागालैंड	10.00	0	0	0
7.	पंजाब और हरियाणा	10.00	18.53	8.277	0
8.	हिमाचल प्रदेश	40.00	13.9	0	0
9.	कर्नाटक	0	0	0	11.65
10.	केरल	10.64	9.36	20.00	0
11.	मध्य प्रदेश	0	4.15	0	0
12.	महाराष्ट्र	32.535	20.0	37.316	10.00
13.	उड़ीसा	10.00	0	0	0
14.	राजस्थान	5.41	2.842	0	0
15.	तमिलनाडु	91.50	3.19	0	5.30
16.	उत्तराखंड	8.75	9.81	8.445	8.75
17.	पश्चिम बंगाल	8.48	5.42	0	0
	कुल	315.08	104.882	84.038	72.20

*वर्ष 2010-11 के लिए सूचना दिसम्बर 2010 तक है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास

***274. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समक्ष आ रही विभिन्न सामाजक-आर्थिक चुनौतियों और अवसंरचनात्मक बाधाओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर-पूर्व परिषद (एनईसी) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक आयोजन, अन्तर्राज्यीय परिवहन, संचार, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कदमों सहित इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और अवसंरचनात्मक बाधाओं का सतत् मूल्यांकन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केन्द्र सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा की विभिन्न नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया और आयोजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने श्री एस.पी. शुक्ला, सदस्य आयोग की अध्यक्षता में वर्ष, 1996 में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था, जिसने वर्ष 1997 में प्रस्तुत

की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सम्मुख आने वाली निम्नलिखित चार बाधाओं की पहचान की थी:

* बुनियादी जरूरत संबंधी बाधा
* अवसंरचना संबंधी बाधा
* संसाधन संबंधी बाधा
* शेष देश के साथ समझ की दुतरफा बाधा

तदुपरांत 12 अप्रैल, 2005 को हुई पूर्वोत्तर परिषद की 50वीं पूर्ण बैठक के दौरान माननीय प्रधान मंत्री थी मनमोहन सिंह ने निर्देश दिए थे कि पूर्वोत्तर परिषद को उत्तर-पूर्व के लिए 15 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में एक विजन दस्तावेज तैयार करना चाहिए जिसे "जनता की योजना के रूप में देखा जाना चाहिए"। इसके बाद एनईसी ने स्टेकहोल्डरों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विजन 2020 दस्तावेज तैयार किया था। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा दिनांक 12-13 मई, 2008 को अगरतला में हुई अपनी 56वीं पूर्ण बैठक में इस दस्तावेज को अपनाया गया था और दिनांक 02 जुलाई, 2008 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसे औपचारिक रूप से जारी किया गया था।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विजन 2020 दस्तावेज (www.mdoner.gove.in) में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास हेतु विभिन्न सैक्टरों के लिए रोड मैप उपलब्ध कराया गया है, लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई और कार्यान्वियन कार्यनीतियों के बारे में सुझाव दिए गए हैं। इस दस्तावेज में क्षेत्र के व्यापक विकस के लिए छः स्तरीय कार्यनीति का सुझाव दिया गया है।

(i) समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक स्तर पर आयोजना के माध्यम से स्वःशासन और भागीदारी विकास को बढ़ाकर लोगों को सशक्त बनाना।

(ii) कृषि और पशुपालन, बागवानी, पुष्प कृषि, मात्स्यिकी जैसी संबद्ध गतिविधियों में उत्पादकता बढ़ाकर तथा ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के माध्यम से आजीवन विकल्पों के सृजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अवसरों का सृजन।

(iii) क्षेत्र में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, पन बिजली उत्पादन जैसे सैक्टरों का विकास जिनसे तुलनात्मक लाभ हो।

(iv) लोगों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना तथा सरकार के भीतर और बाहर संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण।

(v) निजी- क्षेत्र द्वारा विशेषकर अवसंरचना के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैत्रीपूर्ण निवेश वातावरण तैयार करना।

(vi) विजन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन।

कुल मिलाकर, विजन दस्तावेज में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास, भौतिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, भागीदारी विकास और समावेशी शासन पर जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में किए गए संशोधन द्वारा एनईसी को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय आयोजना निकायों के रूप में काम करने का सांविधिक रूप से विधान किया गया है। इसने क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए विभिन्न पहले की हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

सड़क

एनईसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक महत्व की कई सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए सहायता प्रदान की है। एनईसी के योजनागत बजट में सड़क और पुल सैक्टर का सबसे बड़ा घटक है। यह पुलों और अंतर्राज्यीय बस तथा टर्मिनलों के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है।

एनईसी ने अपनी शुरुआत से अब तक 11000 कि.मी. से अधिक लंबाई की 157 सड़कों के निर्माण/सुधार/उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से अब तक लगभग 9000 कि.मी. लंबाई की सड़कों के निर्माण/सुधार/उन्नयन का काम पूरा हो चुका है। 11वीं योजना में एनईसी ने क्षेत्रीय और आर्थिक महत्व की 16 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है जिनकी संयुक्त लंबाई 979 कि.मी. है। 10वीं योजना में 77 लकड़ी के पुलों के प्रतिस्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थीं जिनमें से 74 पुलों का काम पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त एनईसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दो पुलों के निर्माण सहित तीन प्रमुख पुलों के निर्माण का आंशिक निधियन किया है। एनईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में 13 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों और ट्रक टर्मिनलों का निधियन किया गया है।

हवाई संपर्क

एनईसी ने 9वीं और 10वीं योजना के दौरान भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 10 हवाई अड्डों अर्थात् गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, दीमापुर , सिल्चर, तेजपुर, इम्फाल, अगरतला और अमरोई (मेघालय) के सुधार का काम शुरू किया है। 7 हवाई अड्डों के सुधार का काम पूरा हो चुका है। सिल्चर, डिब्रुगढ़ और अमरोई हवाई अड्डों का काम प्रगति

के विभिन्न चरणों में है। एनईसी ने आईजोल में लेंगपुई हवाई अड्डे (जो मिजोरम सरकार के स्वामित्व में है) के सुधार और अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे के प्रचालन संबंधी परियोजना के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई है।

एनईसी वर्ष, 2002 से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए अलायंस एयर को व्यवहार्यता गैप निधियन के लिए सहायता उपलब्ध कराता रहा है। यह सहायता उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उन हवाई अड्डों के लिए दी जाती है जो अन्य वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा समुचित रूप से नहीं जोड़ों गए हैं।

विद्युत

एनईसी ने अपनी शुरूआत से अब तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संस्थापित विद्युत क्षमता में 694.50 मे.वा. (630 हाइड्रों और 64.50 थर्मल) अतिरिक्त क्षमता का योगदान दिया गया है। इसने पूरे क्षेत्र में 1285.50 सर्किट कि.मी लंबाई की महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन/वितरण लाइनों, 40 से अधिक प्रणाली सुधार स्कीमों 28 सबस्टेशनों और 12 ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की है। एनईसी ने "सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत टांसमिशन एवं सब ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है।

एनईसी ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन स्कीमों के व्यवहार्यता गैप निधियन के लिए भी सहायता उपलब्ध करा रहा है जिसमें माइक्रो/मिनी हाइडल परियोजनाएं, सोलर हाईब्रिड और वायु ऊर्जा परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

पर्यटन एवं आतिथ्य

एनईसी ने परामर्शदाता के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक व्यापक पर्यटन मास्टर प्लान तैयार करने का काम शुरू किया है। तथा यह मानव संसाधन विकास और पर्यटन सहित राज्यों में पर्यटन परियोजनाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध कराता है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

एनईसी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए सहायता उपलब्ध कराई है:

* पन बिजली और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण जिसमें सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और विद्युत उत्पादन शामिल हैं।

* छ: सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

* 18 बाढ़-नियंत्रण और नदी प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू।

* सिक्किम में जलापूर्ति और ड्रेनेज से संबंधित 13 स्कीमें।

चालू वित्त वर्ष के दौरान एनईसी 12 पनबिजली परियोजनाओं, 2 लघु सिंचाई स्कीमों और 8 बाढ़ एवं भूक्षरण नियंत्रण स्कीमों का निधियन कर रही है।

एनईसी ने तेजपूर, असम में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरईडब्ल्यूएएलएम), जो जल और भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और क्षमता निर्माण के काम में लगा हुआ है, की स्थापना की है। तथा एनईसी द्वारा उसे सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

जैव कृषि

***275. श्री अनंत कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव कृषि का विकास जागरूकता की कमी, बॉयोमास की कमी, अपर्याप्त सहायता अवसंरचना और विपणन समस्याओं सहित अनेक कठिनाईयों के कारण बाधित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने मृदा उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से देश में जैव कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी उपयोग में लाई गई।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (शरद पवार): (क) और (ख) 2004-05 में राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के शुरू होने के बाद जैविक कृषि निरन्तर रूप से बढ़ी है। जैविक कृषि के तहत क्षेत्र 2004-05 में 42000 है. से बढ़कर 2009-10 में 1.08 मिलियन है. हो गया है। पिछले वर्षो के दौरान जैविक उत्पादों का निर्यात भी निरन्तर बढ़ा है। निर्यात मूल्य 2006-07 के 301 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 525.5 करोड़ रु. हो गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 2004-05 में राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना शुरू की। परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ फल एवं सब्जी अपशिष्ट/कृषि अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों,

जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी उत्पादन इकाईयों के लिए पूंजी निवेश राजसहायता के जरिए पोषण संघटन एवं पादप संरक्षण हेतु वाणिज्यिक जैविक आदान उत्पादन इकाईयों की स्थापना, कार्बनिक एवं जैविक तथा जैविकीय आदानों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था एवं तकनीकी सहायता का विकास एवं कार्यान्वयन, प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधन विकास, जैविक मृदा स्वास्थ्य आकलन एवं जैविक पोषक संसाधन मानचित्रण के लिए क्षमता निर्माण एवं कम लागत वाले वैकल्पिक प्रमाणीकरण के लिए क्षमता निर्माण हेतु भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

जैविक कृषि को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन जैसी अग्रणी स्कीमों के तहत भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जैविक आदान उत्पादन की स्थापना, जैविक कृषि अपनाना, प्रमाणीकरण, जागरूकता सृजन एवं प्रचार इत्यादि के लिए इन स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के संवर्धन हेतु आवंटित एवं निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III में दिया गया।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य सरकार और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को स्वीकृति एवं निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क.	**उत्तर पूर्वी राज्य**			
1.	अरूणाचल प्रदेश	25.25	0	0
2.	असम	91.64	0	0
3.	मणिपुर	12.60	9.33	0
4.	मेघालय	0	11.02	0
5.	मिजोरम	146.41	25.76	0
6.	नागालैंड	198.55	0	0
7.	सिक्किम	0	0	0
8.	त्रिपुरा	0	100.08	0
ख.	**अन्य राज्य**			
1.	आंध्र प्रदेश	19.54	24.14	0
2.	बिहार	1.78	1.65	0
3.	छत्तीसगढ़	178.85	0	0

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	06.00	17.97	0
5.	गोवा	0	0	3.00
6.	हरियाणा	29.95	1.64	0
7.	हिमाचल प्रदेश	39.44	47.47	0
8.	जम्मू और कश्मीर	106.30	0	0
9.	झारखंड	0	0.86	0
10.	कर्नाटक	183.93	22.84	8.00
11.	केरल	2.40	13.19	1.00
12.	मध्य प्रदेश	109.11	55.06	0
13	महाराष्ट्र	86.51	186.49	0
14.	उड़ीसा	142.69	6.56	0
15.	पंजाब	15.20	0	0
16.	पुडुचेरी	0	7.92	0
17.	राजस्थान	25.68	38.74	28.08
18.	तमिलनाडु	45.78	154.75	0
19.	उत्तर प्रदेश	43.93	13.73	0
19.	उत्तराखंड	22.89	1.40	0
20.	पश्चिम बंगाल	2.98	5.28	0
ग.	**केन्द्रीय एजेंसियां**	**0**	**0**	**0**
I.	मैनेज, हैदराबाद	7.5	7.5	0
II.	नाबार्ड, मुम्बई	250	118.33	0
III.	एनपीसी दिल्ली	0	9.00	9.00
	कुल	1794.81	880.71	49.08

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जैविक खेती के लिए एनएचएम के अधीन निर्मुक्त राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

राज्य	जैविक कृषि को अपनाना			वर्मी कम्पोस्ट इकाई			प्रमाणीकरण		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
आंध्र प्रदेश	314.50	212.50	68.00	102.00	232.05	170.00	0.00	212.50	68.00
बिहार	0.00	85.00	0.00	0.00	510.00	169.83	0.00	85.00	0.00
छत्तीसगढ़	323.00	0.00	55.25	1466.25	127.50	726.75	0.00	0.00	119.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	5.10	0.00	0.00	0.00
गुजरात	15.73	0.00	42.50	25.51	44.63	0.00	0.00	0.00	24.47
हरियाणा	30.41	271.19	0.00	132.93	255.00	274.64	4.25	271.19	0.00
झारखंड	59.50	0.00	0.00	10.20	68.85	25.50	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	264.35	0.00	0.00	667.17	892.51	752.25	46.00	0.00	0.00
केरल	86.70	0.00	0.00	348.85	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	319.18	0.00	212.50	39.95	81.60	63.75	48.25	0.00	212.50
महाराष्ट्र	405.25	188.92	0.00	107.61	25.50	1.28	38.26	0.00	0.00
उड़ीसा	68.00	0.00	0.00	132.61	58.27	89.25	0.00	0.00	0.00
पंजाब	106.25	306.00	586ए50	26.02	21.68	51.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	199.76	340.00	92.48	136.43	51.00	12.75	39.17	340.00	0.00
तमिलनाडु	522.90	0.00	0.00	29.84	63.75	23.71	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	940.53	114.75	0.00	353.69	188.70	152.24	0-00	114.75	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	25.50	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	3656.06	1518.36	1057.23	3604.56	3066.29	2518.05	175.93	1023.44	423.97

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान जैविक खेती के लिए आरकेवीवाई और एमएमए के अधीन निमुक्त राज्य-वार निधियां।

(लाख रु. में)

राज्य	आरकेवीवाई			एमएमए		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश		2500.00			792.00	384.49
अरूणाचल प्रदेश			5.00	408.90	206.09	
असम			129.25	142.23	81.40	157.89
बिहार		743.50	1808.86	250.08	54.00	50.78
छत्तीसगढ़		240.00	875.00	28.50	79.50	
गोवा						8.00
गुजरात		74.00	293.91	160.12	10.12	20.00
हरियाणा		82.00		424.45	45.00	25.00
जम्मू और कश्मीर				225.18	171.23	
झारखंड	75.00			81.50	5.00	8.00
कर्नाटक	703.00		763.00		523.00	37.23
केरल				420.00	30.50	
लक्षद्वीप				9.00		
मध्य प्रदेश		400.00		259.16	115.48	200.00
महाराष्ट्र				1832.50	614.50	278.00
मणिपुर				568.53	482.00	293.88
मिजोरम				514.68	275.02	6.00
मेघालय				20.12		
नागालैंड				87.50	51.20	
उड़ीसा	203.35		104.44	82.00	25.00	
पंजाब				189.30	90.50	64.00

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान			2272.00	187.10		5.00
सिक्किम			835.00	1378.10	394.08	222.00
तमिलनाडु	871.00	910.00		467.00	10.60	
त्रिपुरा			40.00	17.60	2.10	24.20
उत्तर प्रदेश		1000.00		532.64	218.14	150.00
पश्चिम बंगाल			977.55	691-20	278.12	55.00
उत्तराखंड	199.03		1151.34			14.79
हिमाचल प्रदेश		150.00	310.52	250.00	179.00	10.00
कुल	2369.35	8099.50	9565.87	9368.95	4733.46	2014.26

शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

***276. श्री एस.एस. जेयदुरई:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी विशेषज्ञ समिति ने देश के शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रचालन और रख-रखाव संबंधी मुद्दों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई अनेक पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति किया गया, कितनी को कार्यान्वित किया गया और कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं के लिए आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी हां।

(ख) अगले 20 वर्षों (2012-2031) में शहरी अवस्थापना सेवाओं में निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) ने बताया है कि विद्यमान परिसंपदाओं का व्यापक रूप से रख-रखाव नहीं हो रहा है। उसके अनुसार शहरी जलापूर्ति सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षरण (ओ एंड एम) पर 5.46 लाख करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। एचपीईसी द्वारा विचारित ओ एंड एम की लागत में वास्तविक परिसंपत्तियों के साथ-साथ 20 वर्ष अवधि में निर्मित होने वाली नई परिसंपत्तियों दोनों की ओ एंड एम की लागत शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और गवर्नेस घटक के अंतर्गत विलंबित जलापूर्ति परियोजनाओं से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गयी है। लघु और मझौले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास योजना के अंतर्गत विलंबित जलापूर्ति परियोजनाओं से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-III और IV में दी गयी है।

जनवरी, 2009 में 908.2 करोड़ रु. की कुल लागत से चेन्नई की जलापूर्ति बढ़ाने के लिए नेम्मेली में एक "100 एमएलडी समुद्री जल रिवर्स ओस्मोसिस संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी गई है। 871.24 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता में से 300 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। यह परियोजना विलंबित है।"

शहरी विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक वास्तविक और वित्तीय प्रगित रिपोर्टों (क्यूपीआर) के माध्यम से परियोजनाओं पर निगरानी रखता है। केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति प्रत्येक मास जेएनएनयूआरएम के क्रियान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त राज्य सचिवों (शहरी विकास) के साथ वार्षिक पुनरीक्षा की जाती है तथा क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठकें भी होती है। राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी को सूचित करने वाली स्वतंत्र पुनरीक्षा और मानीटरिंग एजेंसियों द्वारा भी परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाती है। इसमें विलम्ब होने के कारणों में निदेश देने, भूमि अधिग्रहण, मुकदमेबाजी, श्रमिकों की कमी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के चरण में अपर्याप्त नियोजन, अनुचित भूमि प्रयोग, अंतर-विभागीय समन्वयन की कमी आदि शामिल है।

विवरण I

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के घटक शहरी अवसंरचना एवं शासन के अंतर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं (अनुमोदित व देरी वाली) के वर्षवार ब्यौरे।

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2007-08 में अनुमोदित परियोजना	वित्त वर्ष 2008-09 में अनुमोदित परियोजना	वित्त वर्ष 2009-10 में अनुमोदित परियोजना	वित्त वर्ष 2010-11 में अनुमोदित परियोजना	पिछले चार वर्षो में अनुमोदित परियोजना	देरी वाली परियोजनायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	2	1		7	5
2.	असम	1				1	1
3.	बिहार		5			5	5
4.	चंडीगढ़			1		1	1
5.	गुजरात	1	2	2	1	6	1
6.	हरियाणा		1			1	1
7.	हिमाचल प्रदेश		1			1	1
8.	जम्मू और कश्मीर	1	1			2	1
9.	झारखंड		2			2	
10.	कर्नाटक	1				1	1
11.	मध्य प्रदेश	2	2			4	3
12.	महाराष्ट्र	2	7			9	5
13.	मेघालय		1			1	1
14.	मिजोरम	1				1	1
15.	उड़ीसा		1			1	
16.	पंजाब			1		1	

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	1				1	1
18.	सिक्किम			1		1	
19.	तमिलनाडु	6	5			11	11
20.	त्रिपुरा		1			1	
21.	उत्तर प्रदेश	6	4	1		11	9
22.	उत्तराखंड	3				3	3
23.	पश्चिम बंगाल	5	5	6	1	17	9
	कुल	34	40	13	2	89	60

विवरण II

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के घटक शहरी अवसंरचना एवं शासन के अंतर्गत देरी वाली जलापूर्ति परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना शीर्षक	अनमोदित लागत (लाख रुपए में)	कुल प्रतिबद्ध एसीए (केन्द्रीय अंश)	वित्त मंत्रालय आदेशानुसार-अब तक जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद के पुराने नगर निगम के 10 क्षेत्रों के लिए नेटवर्क के वितरण सहित विद्यमान फिडर प्रणाली को संवारना।	23,222.00	8,127.70	2,031.92
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	जीवीएमएसी (चरण-2) के गजूवाका क्षेत्र की जलापूर्ति वितरण प्रणाली व्यवस्था करना।	4,600.00	2,300.00	1,150.00
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	जीवीएमएसी (चरण-2) के 32 परिधि क्षेत्रों की जलापूर्ति बढ़ाना	24,074.00	12,037.00	6,018.50
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	ग्रेटर विशाखापटनम नगर निगम के केन्द्रीय क्षेत्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति प्रणाली के वितरण प्रक्रिया को संवारना	19,018.00	9,509.00	2,377.25
5.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	ग्रेटर विशाखापटनम के पुराने शहर में व्यापक जलापूर्ति योजना	4,793.48	2,396.76	599.18

1	2	3	4	5	6	7
6.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी मैट्रोपोलिटन विकास क्षेत्र में दक्षिण गुवाहाटी पश्चिम जलपूर्ति योजना के लिए प्रस्ताव	28,094.00	25,284.60	16,434.84
7.	बिहार	पटना	फुलवारी शरीफ जलापूर्ति योजना	2,470.26	1,235.13	308.78
8.	बिहार	पटना	खगौल जलापूर्ति योजना का विस्तार	1,315.43	657.72	154.43
9.	बिहार	पटना	दानापुर के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार	6,896.45	3,448.23	862.06
10.	बिहार	पटना	पटना शहर में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार और विस्तार	42,698.00	21,349.00	5,337.25
11.	बिहार	बोधगया	बोधगया जलापूर्ति परियोजना	3,355.72	2,684.56	671.14
12.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	जलापूर्ति फेज-5 चंड़गढ़ का विस्तार	13,421.00	10,736.80	-
13.	गुजरात	वड़ोदरा	जलापूर्ति वड़ोदरा फेज-2 के लिए स्रोत का विस्तार	3,839.00	1,919.50	480.00
14.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद टाउन, हरियाण के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	49,349.00	24,674.50	9,869.77
15.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला शहर के जलापूर्ति वितरण प्रणाली का विस्तार	7,236.00	5,788.80	1,447.20
16.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	तांगर (श्रीनगर) के लिए जलापूर्ति योजना	14,837.00	13,353.30	3,338.33
17.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर के लिए जलापूर्ति परियोजना	10,881.99	8,705.59	2,176.50
18.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल के लिए नर्मदा जलापूर्ति परियोजना	30,604.16	15,302.08	11,479.56
19.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल नगर निगम क्षेत्र के लिए जलापूर्ति वितरण नेटवर्क	41,545.64	20,772.84	5,193.20
20.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	रांझी फगवा में विद्यमान पंपिंग स्टेशनों का पुर्निर्माण और भोगंडवार डब्ल्यूटीपी में नये पंपिंग स्टेशनों का निर्माण	1,406.00	703.00	175.75

1	2	3	4	5	6	7
21.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	क्रास मैदान में मालाबार हिल जल संचयन से भूतल सुरंग	9,398.79	3,289.58	1,644.78
22.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कल्याण डोंबीटिली नगर निगम की 150 एमएलडी जलापूर्ति योजना	10,681.49	3,738.52	1,869.26
23.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	उलहास नगर जलापूर्ति वितरण प्रणाली	12,765.23	4,467.83	1,116.96
24.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कल्याण डोम्बीटिली नगर निगम की विद्यमान जलापूर्ति योजना का विस्तार	25,363.48	8,877.22	2,219.13
25.	महाराष्ट्र	पूणे	जलापूर्ति	13,511.82	6,755.91	5,066.94
26.	मेघालय	शिलांग	शिलांग को जलापूर्ति बढ़ाने के लिए ग्रेटर शिलांक जलारपूर्ति परियोजना (फेज-2)	19,349.72	17,414.75	4,353.69
27.	मिजोरम	आइजोल	ग्रेटर आइजोल की पंपिंग मशीनों और उपस्करों तथा संचरण का उपस्करों तथा संचरण का नवीकरण	1,681.80	1,513.62	1,135.23
28.	राजस्थान	अजमेर पुष्कर	अजमेर पुष्कर को जलापूर्ति	16,642.00	13,313.60	3,328.25
29.	तमिलनाडु	चेन्नई	पोरूर टाऊन पंचायत की जलापूर्ति सुधार	1,235.79	432.53	324.39
30.	तमिलनाडु	चेन्नई	मडरावोइले की जलापूर्ति में सुधार	2,330.00	815.50	203.88
31.	तमिलनाडु	चेन्नई	अपरिष्कृत जल परिस्करण संयंत्र के के लिए पूंडी संचयन के निकटस्थ 90 क्यूसेक नहर पर संप-सह-पंप हाऊस का निर्माण	911.00	318.85	286.96
32.	तमिलनाडु	चेन्नई	अवधिनगर पालिका के लिए व्यापक जलापूर्ति योजना	10,384.00	3,634.40	1,817.10
33.	तमिलनाडु	चेन्नई	उल्लाग्राम पूजीथीवक्कम नगर पालिका को व्यापक जलापूर्ति योजना की व्यवस्था करना।	2,424.00	848.40	212.10

1	2	3	4	5	6	7
34.	तमिलनाडु	चेन्नई	नरकेंदरम ग्राम पंचायत जलापूर्ति में सुधार	1,917.00	670.95	67.09
35.	तमिलनाडु	चेन्नई	तिरूवोट्टयूर नगर पालिका के लिए व्यापक जलापूर्ति योजना की व्यवस्था करना	8,511.70	2,979.10	745.00
36.	तमिलनाडु	चेन्नई	अल्लूंडर के लिए अल्लंडूर व्यापक जलापूर्ति योजना	6,439.00	2,253.65	564.00
37.	तमिलनाडु	चेन्नई	अंबाटूर नगर पालिका के समग्र क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति योजना की व्यवस्था करना।	26,708.00	9,347.80	3,739.20
38.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	कोयम्बटूर शहरी क्षेत्र समूह में 16 कस्बा पंचायतों के लिए जलापूर्ति सुधार योजना	5,882.36	2,941.18	735.30
39.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै शहरी क्षेत्र समूह को संयुक्त जलापूर्लि योजना की व्यवस्था करना	20,141.00	10,070.50	2,517.62
40.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा जलापूर्ति	8,270.50	4,135.25	3,101.43
41.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर का जलापूर्ति संघटन	8,969.00	4,484.50	4,484.52
42.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के आंतरिक पुराने क्षेत्र के लिए जलापूर्ति योजना	27,094.89	13,547.45	8,805.72
43.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर के बाकी क्षेत्र के लिए जलापूर्लि योजना भाग-2	37,778.92	18,889.48	7,555.80
44.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ की जलापूर्ति के कार्य (फेज-1 भाग-1 खंड 1 से 5)	38,861.00	19,430.50	14,572.88
45.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ के लिए जलापूर्ति (फेज-1 भाग-2)	14,656.60	7,328.30	3,664.12
46.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ के लिए जलापूर्ति	27,301.00	13,650.50	6,825.13
47.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी के जलापूर्ति संघटक को प्राथमिकता	11,102.00	5,551.00	4,995.90

1	2	3	4	5	6	7
48.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सिस्वरूण क्षेत्र की जलापूर्ति भाग-2	8,610.00	4,305.00	1,722.00
49.	उत्तराखण्ड	देहरादून	जलापूर्ति पुनर्संगठन योजना फेज-1	7,002.70	5,602.16	4,201.62
50.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	जलापूर्ति पुनर्संगठन योजना	4,784.43	3,827.54	2,870.53
51.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	नैनीताल जलापूर्ति योजना का विस्तार और नवीकरण योजना भाग-1	547.00	437.60	218.80
52.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा नगर निगम शामिल किये गये कई क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति योजना	9,068.91	3,174.12	2,380.59
53.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नावा डिंगाटा इंडस्ट्रीयल टाउनशिप अथारिटी के अंतर्गत सैक्टर-5 में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	2,606.62	912.32	912.32
54.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बैरकपुर और उत्तरी बैरकपुर नगर निगम क्षेत्र	12,950.88	4,532.81	2,266.40
55.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चन्द्र नागोरे नगर निगम के लिए 24 × 7 जलापूर्ति योजना	2,521.87	882.65	441.34
56.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नयी हाटी, हाली शहर कंचरापारा गयेशपुर और कल्याणी कोलकाता के शामिल नहीं किये गये क्षेत्रों के लिए सतही जलापूर्ति योजना	14,194.25	4,967.99	4,968.00
57.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गरूलिया नगर पालिका के लिए 24 × 7 व्यापक जलापूर्ति योजना	4,719.26	1,651.74	412.94
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भ्रदेश्वर नगरपालिका क्षेत्र कोलकाता यूए के लिए जलापूर्ति योजना	7,462.89	2,612-00	653.00
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बुजबुज नगर पालिका, कोलकाता, के यूए के लिए 24 × 7 जलापूर्ति योजना	8,164.12	2,857.44	714.36
60.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चन्दनगर निगम के लिए जलापूर्ति योजना की मीटरिंग	1,369.41	479.29	119.82

विवरण III

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं के वर्ष-वार ब्यौरे (अनुमोदित और देरी वाली)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2007-08 में एसीए रिलीज हेतु अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2007-08 में एसीए रिलीज हेतु अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2007-08 में एसीए रिलीज हेतु अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2007-08 में एसीए रिलीज हेतु अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2007-08 में एसीए रिलीज हेतु अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	देरी वाली परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	32	0		32	
2.	असम	1	0	0		1	1
3.	बिहार	0	1	0		1	
4.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0		1	
5.	गुजरात	7	20	0		27	7
6.	झारखंड	2	0	0		2	2
7.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	1	2	
8.	केरल	0	11	0		11	
9.	कर्नाटक	2	10	0		12	1
10.	मध्य प्रदेश	7	8	0		15	6
11.	महाराष्ट्र	5	56	0		61	5
12.	मणिपुर	1	4	0		5	1
13.	मिजोरम	0	2	0		2	
14.	उड़ीसा	4	6	0		10	4
15.	पंजाब	2	7	0		9	2
16.	पुडुचेरी	0	0	1		1	
17.	राजस्थान	0	2	0		2	
18.	सिक्किम	1	0	0		1	1
19.	तमिलनाडु	13	15	0		28	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उत्तर प्रदेश	6	19	4		29	6
21.	पश्चिम बंगाल	3	9	0		12	3
	कुल	54	204	5	1	264	39

विवरण IV

यूआईडीएसएसएमटी: देरी हुई जलापूर्ति परियोजनाओं की संख्या

राज्य	कस्बे का नाम	जिला	अनुमोदित लागत	केन्द्रीय हिस्सा	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
असम	लखिमपुर (कछार)	कछार	815.88	734.29	367.65
असम	1				
गुजरात	चक्लस	खेडा	713.20	581.26	581 .26
गुजरात	धरागधरा	सुरेंद्रनगर	1461.04	1190.74	606.33
गुजरात	जेतपुर	राजकोट	2384.09	1943.03	989.40
गुजरात	पेथपुर	गांधीनगर	428.20	348.98	177.70
गुजरात	रजुल	अमरेली	366.89	293.51	299.02
गुजरात	सर्वकुंडला	अपरेली	555.45	444.36	230.51
गुजरात	वीजापुर	महेसन	273.04	222.52	22253
गुजरात	7				
झारखंड	चास	बोकारो	3324.19	2709.21	1379.54
झारखंड	देवधर	देवधर	4737.77	3861.28	1966.17
झारखंड	2				
कर्नाटक	यरगोल (कोलार-बांगरपेट-मलूर)	हासन	7992.00	6513.48	6513.48
कर्नाटक	1				
मध्य प्रदेश	आश्त	सेहोरे	980.40	799.03	406.87

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	डाबरा	ग्वालियर	1441.84	1175.10	598.36
मध्य प्रदेश	खांडवा	ईस्ट निमर	10672.30	8537.84	4268.92
मध्य प्रदेश	रतलाम	रतलाम	3265.10	2661.06	1355.02
मध्य प्रदेश	सेहोरे	सेहोरे	1454.52	1185.44	603.63
मध्य प्रदेश	शिवपुरि	शिवपुरि	5964.66	4861.20	2475.33
मध्य प्रदेश	6				
महाराष्ट्र	अहमदनगर-चरण-1	अहमदनगर	2539.00	2031.20	2031.20
महाराष्ट्र	बारामति	पुणे	1368.00	1114.92	1114.92
महाराष्ट्र	बीद	बीद	2076.00	1691.94	1691.94
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	5844.00	4762.86	4762.86
महाराष्ट्र	सांगली, मिराज और कुपवाड (सांगली-डब्ल्यूएस)	सांगली	7902.00	6440.13	3279.33
महाराष्ट्र	5				
मणिपुर	थोबल	थोबल	1386.00	1268.19	644.49
मणिपुर	1				
उड़ीसा	अंगुल	अंगुल	1273.32	1037.76	528.43
उड़ीसा	बरहामपुर	गंजम	520.15	423.92	215.86
उड़ीसा	कोरापुट	कोरापुट	87.50	71.31	36.31
उड़ीसा	पारलेखमुंडी	गजपति	527.74	430ए10	219.01
उड़ीसा	4				
पंजाब	भटिंडा	भटिंडा	2642.00	2113.60	1056.80
पंजाब	मजिथ	अमृतसर	121.00	96.80	48.40
पंजाब	2				
सिक्किम	मंगन	उत्तर सिक्किम	1580.82	1446.45	735.08

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	1				
उत्तर प्रदेश	बरुआसागर	झांसी	718.62	574.90	574.41
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुलंदशहर	1937.86	1579.36	1579.36
उत्तर प्रदेश	फैज़ाबाद	फैज़ाबाद	1880.82	1504.66	752.33
उत्तर प्रदेश	गोंडा	गोंडा	985.71	803.36	803.35
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	1598.85	1279.08	1254.56
उत्तर प्रदेश	लोनी	गाजियाबाद	4983.63	3986.90	3978.90
उत्तर प्रदेश	6				
पश्चिम बंगाल	अराम बाग	हुग्ली	1122.21	914.60	914.58
पश्चिम बंगाल	ओल्ड मालदा	मालदाह	1819.86	1455.89	1455.88
पश्चिम बंगाल	तरकेश्वर	हुग्ली	927.58	755.98	755.98
पश्चिम बंगाल	3				
कुल योग	50				

फोन टैपिंग के संबंध में मानदंड

***277. श्री उदय सिंह:**
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने फोन टैपिंग के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सरकार को कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो, सरकार द्वारा इस संबंध में स्वीकृति नए मानदंड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कथित फोन टैपिंग और मीडिया में उनकी अनुलिपि लीक करने के मामलों में जाँच का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पी यू सी एल बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1991 की रिट याचिका संख्या 256 मे दिनांक 18.12.1996 के निर्णय के तहत भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) (जो टेलीफोन के विधिसम्मत अन्तरावरोधन की अनुमति देता है) की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराते हुए, इस शक्ति के समुचित प्रयोग के संबंध में एक रूपरेखा/दिशानिर्देश का भी प्रावधान किया था।

(ख) उक्त निर्णय के अनुसार में, भारत सरकार ने दिनांक 16.02.1999 को संशोधन करके भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 419-क को अधिसूचित किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसमें हुए संशोधनों को शामिल करने के लिए इसे वर्ष 2007 में पुन: संशोधित किया गया था। इन संशोधनों ने प्रभावकारी रूप से उच्चतम न्यायालय के निदेशों को सांविधिक नियमों में रूपान्तरित किया।

(ग) और (घ) हाल ही में/लम्बित रिट याचिका संख्या 398/2010, रतन, एन. टाटा बनाम भारत संघ में, भारत सरकार ने

अपने जवाबी हलफनामें माननीय न्यायालय को यह सूचित किया है कि उसने टेपों/अनुलिपि के कथित लीकेज की जांच करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है। समिति के निष्कर्षों को शीर्ष न्यायालय को सूचित किया जाएगा और सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

बांस की खेती

*278. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने भू-क्षेत्र पर बांस की खेती की जाती है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बांस का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने और इस संबंध में राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) योजना आयोग अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित "राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन" की रिपोर्ट के अनुसार देश के 8.96 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र में बांस उगाया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बांस का उत्पादन संलग्न विवरण I में दिया गया है।

सरकार वर्ष 2006-07 से बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदित कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं। महाराष्ट्र सहित राज्यवार वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दी गई सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

नाबार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के तहत जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्न वर्षों में राजसहायता के रूप में निर्मुक्त निधियां (लाख रूपये में)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	45,157	37,435	42,940	36,761
2.	अरुणाचल प्रदेश	34,368	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
3.	बिहार				
4.	छतीसगढ़	4,00,900	4,20,900	4,53,600	4,76,800
5.	गोवा	48,006	59,067	38,235	1,149
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	85,421	67,030	79,799	6,534
8.	जम्मू और कश्मीर	433	63	16,782	एन.ए.
9.	झारखंड	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	33,754	11,834	18,584	एन.ए.
12.	महाराष्ट्र	1,17,684	1,01,882	78,507	15,554
13.	उड़ीसा	1,53,474	17,850	47,190	3,236
14.	पंजाब	एन.ए.	98,930	49,733	एन.ए.
15.	राजस्थान	0	594	571	एन.ए.
16.	मणिपुर	2,386	3,516	2,970	एन.ए.
17.	उत्तर प्रदेश	3,713	3,518	3,222	2,690
18.	उत्तराखंड	893	116	0	0
19.	मिजोरम	6,70,000	6,70,000	6,70,000	6,70,000
20.	असम**	11,162	9,890	7,372	493
21.	मणिपुर	12,804	2,658	3,292	एन.ए.
22.	मेघालय	14,184	32,955	39,568	10,263
23.	नागालैंड	एन.ए.	36,000	54,000	63,000
24.	सिक्किम	2,400	2,700	3,000	3,000
25.	त्रिपुरा	54,756	11,237	58,899	73,541

एन.ए. राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन आंकड़े की सूचना नहीं दी जाती है।
*अरुणाचल प्रदेश ने बांस की संख्या में अपने उत्पादन की सूचना दी है।
**असम सरकार ने 6,70,000 मीटरी टन प्रति वर्ष वार्षिक सूचना दी है।
वर्ष 2007-08 से 2010-11 अवधि हेतु केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हेतु बांस के उत्पादन आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा सूचित नहीं किए गए हैं।

विवरण-II

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आवंटित और निर्मुक्त राज्यवार निधि

क्र.सं.	राज्य	आवंटित और निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)							
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		आवंटित	निर्मुक्त	आवंटित	निर्मुक्त	आवंटित	निर्मुक्त	आवंटित	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	112.80	112.80	170.62	117.65	25.09	0.00	139.80	40.00
2.	बिहार	608.95	543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	273.40	108.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	छतीसगढ़	1411.98	786.98	729.49	548.96	445.00	427.46	649.62	357.00
4.	गोवा	40.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	204.98	194.83	608.92	450.23	490.00	370.00	249.36	100.00
6.	हिमाचल प्रदेश	282.58	127.25	272.34	188.08	0.00	0.00	170.34	81.00
7.	जम्मू और कश्मीर	357.78	0.00	200.78	110.20	40.00	20.00	54.00	0.00
8.	झारखंड	387.97	100.00	310.23	276.56	317.00	109.14	467.65	252.00
9.	कर्नाटक	900.00	212.17	697.01	324.25	415.00	323.07	641.24	172.00
10.	केरल	151.00	151.00	194.38	48.59	90.00	30.00	46.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	601.59	601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82	0.00
12.	महाराष्ट्र	219.56	109.78	702.36	483.59	341.91	190.74	443.79	200.00
13.	उड़ीसा	870.73	736.72	263.77	140.94	350.00	184.68	391.63	216.00
14.	पंजाब	395.71	395.71	317.92	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	राजस्थान	220.45	0.00	310.85	270.00	339.23	200.00	362.61	113.00
16.	तमिलनाडु	262.89	258.32	198.39	149.59	0.00	0.00	54.22	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	410.19	391.16	355.50	188.88	68.51	62.79	195.27	68.00
18.	उत्तराखंड	502.26	387.00	389.90	285.47	106.00	79.50	297.04	150.00
19.	पश्चिम बंगाल	108.62	0.00	216.60	129.15	0.00	0.00	57.71	0.00
20.	अरुणाचल प्रदेश	1115.05	873.60	838.17	196.00	232.49	50.00	200.00	200.00
21.	असम	601.36	601.36	906.17	755.16	783.00	338.44	1083.71	519.00
22.	मणिपुर	472.71	371.21	497.77	497.77	150.00	130.00	1408.35	757.00
23.	मेघालय	361.63	332.54	619.11	355.28	392.00	338.67	289.29	95.00
24.	मिजोरम	1001.97	1001.97	901.11	825.27	900.00	900.00	1750.34	1064.09
25.	नागालैंड	1565.86	1484.17	1508.44	1370.44	965.34	965.34	1499.08	855.00
26.	सिक्किम	600.89	450.44	375.36	213.84	379.85	155.50	333.23	249.00
27.	त्रिपुरा	664.90	646.63	550.67	137.67	100.00	40.00	350.00	190.00
	कुल	14434.41	10902.1	12135.86	8143.05	6930.42	4915.33	11466.5	5786.09

पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण

***279. डॉ. गिरिजा व्यास:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंतरिक अशांति एवं नक्सली खतरे से जूझ रहे विभिन्न राज्यों में पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना का सृजन करने हेतु धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई एवं कितनी उपयोग में लाई गयी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण की क्वालिटी का उच्च स्तर सुनिश्चित करने तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) पुलिस, राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। पुलिस की क्षमता संवर्धन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों की सहायता, केन्द्र सरकार द्वारा भारत और विदेश में पुलिस कार्मिकों प्रशिक्षण दिलाकर की जाती है। केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राज्य पुलिस कार्मिकों के लिए उग्रवाद-रोधी, वामपंथी उग्रवाद-रोधी इत्यादि जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है जिसमें उग्रवाद रोधी और आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) विद्यालयों की स्थापना और पुलिस बल की आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत सहायता शामिल है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना भी सम्मिलित है। वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि के संबंध में एम पी एफ स्कीम और सी आई ए टी स्कीम के तहत राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं में अनुमोदित धनराशि और प्रशिक्षण अवसंरचना संबंधी प्रावधानों को ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। निधियों का वर्षवार उपयोग उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है क्योंकि विभिन्न योजनाओं के तहत उपयोग प्रमाण-पत्र अलग-अलग तारीखों पर देय हैं। इसके अतिरिक्त, XIIIवें वित्त आयोग ने राज्यों में प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन/स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 2266 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।

(ग) और (घ) प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ाने और सुदृढ़ीकरण करने के साथ-साथ, सामरिक प्रशिक्षण जैसे नए पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पाठ्यक्रमों के लिए नियमित रूप से प्रतिसूचना प्राप्त की जा रही हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने उग्रवाद-रोधी और आतंकवादी-रोधी क्षेत्र में एक मानक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। जिसे सभी संबंधित राज्यों को अंगीकार करने हेतु परिचालित किया गया है।

विवरण I

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना-प्रशिक्षण अवसंरचना हेतु राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं में अनुमोदित धनराशि

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6.29	10.03	3.74	1.64	21.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	23.00	66.63	36.00	125.63
3.	असम	32.16	-	-	-	32.16
4.	बिहार	0	1.01	0	0	1.01
5.	छत्तीसगढ़	0.78	0.71	0.87	0.55	2.91

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	0	0.01	0.27	0.16	0.44
7.	गुजरात	0	0	10.80	21.85	32.65
8.	हरियाणा	1.50	10.66	4.90	1.10	18.16
9.	हिमाचल प्रदेश	0.29	0.74	1.16	0.81	3.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0.06	0	0	0.06
11.	झारखंड	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	1.25	14.61	2.00	17.86
13.	केरल	0	0.81	5.79	2.94	9.54
14.	मध्य प्रदेश	0.09	0	9.40	0.15	9.64
15.	महाराष्ट्र	1.81	4.53	15.84	2.21	24.39
16.	मणिपुर	104.35	32.81	114.00	-	251.16
17.	मेघालय	19.96	77.35	6.00	-	103.31
18.	मिजोरम	-	15.50	-	-	15.50
19.	नागालैंड	29.06	42.30	66.51	48.60	186.40
20.	उड़ीसा	0.18	0.75	0.25	2.12	3.30
21.	पंजाब	1.71	0.12	4.45	0.39	6.67
22.	राजस्थान	3.32	1.25	6.77	5.92	17.26
23.	सिक्किम	15.24	23.90	-	-	39.14
24.	तमिलनाडु	2.80	2.46	2.72	5.55	13.53
25.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	0.78	1.16	1.73	0.28	3.95
27.	उत्तराखंड	1.74	2.76	0.17	0.92	5.59
28.	पश्चिम बंगाल	0.37	0	0	2.00	2.37

विवरण II

सी आई ए टी विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण अवसंरना हेतु उपलब्ध करायी गई निधियां **

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2008-09 में उपलब्ध करायी गई धनराशि	वर्ष 2009-10 में उपलब्ध करायी गई धनराशि	वर्ष 2010-11 में उपलब्ध करायी गई धनराशि
1.	असम	1.5	3.00	-
2.	बिहार	1.5	3.00	-
3.	छत्तीसगढ़	3.00	1.5	-
4.	झारखंड	3.00	1.5	-
5.	उड़ीसा	3.00	1.5	-
6.	पश्चिम बंगाल	-	-	1.5
7.	नागालैंड	-	-	1.5
8.	मणिपुर	-	-	1.5*
9.	त्रिपुरा	-	-	1.5*

*राज्यों के साथ हुए एम ओ यू के अध्यधीन

**वर्ष 2008-09 से आगे निधियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

चारे का उत्पादन

280. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्री अर्जुन राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहित/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में चारे की आवश्यकता और वास्तविक उत्पादन का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस विभाग द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:

(1) केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना: ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संशोधित घटक/नए घटकों के नाम	सहायता की प्रणाली
1.	चारा ब्लाक बनाने वाली यूनिटों की स्थापना	50:50
2.	घास रिजर्व सहित चरागाह विकास	100:00
3.	चारा बीज खरीद और वितरण	75:25
4.	आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	50:50
5क	हाथ से चलने वाले शेफ कटर शुरू करना	75:25
5ख	बिजली से चलने वाले शेफ कटर शुरू करना	75:25
6.	सिलेज निर्माण यूनिटों की स्थापना	100:00
7.	अजोला खेती और उत्पादन यूनिटों का प्रदर्शन	50:50
8.	बाई पास प्रोटीन उत्पादन यूनिटों की स्थापना	25:75
9.	क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण/आहार पेलेटिंग/आहार निर्माण यूनिटों की स्थापना	25:75

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात केन्द्रीय चारा विकास संगठन में निम्नलिखित घटक हैं:

(क) सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र

(ख) एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म

(ग) केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम

चारा केन्द्रों के माध्यम से गुणवत्ता चारा बीजों के उत्पादन और चारा फसलों की उच्च उत्पाद किस्मों संबंधी विस्तार गतिविधियों और बेहतर कृषि प्रणालियों को अपनाने का प्रसार किया जाता है। केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों के बीच मुफ्त वितरण के लिए राज्य सरकारों को चारा मिनिकिट सप्लाई किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) 2007-08 में नाबार्ड परामर्शी सेवाओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में चारे की मांग और आपूर्ति के बीच काफी अंतर है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

किस्म	मांग	उपलब्धता	अंतर
सूखा चारा	416	253	163 (40%)
हरा चारा	222	143	79(36%)

विवरण

चारा और आहार विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राशि

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 10.3.2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	82.25	622.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.00	0.00	55.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	85.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	100.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	6.00	0.00
6.	गुजरात	136.03	165.00	224.00	300.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	145.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	258.75
9.	झारखण्ड	0.00	93.50	0.00	255.00
10.	जम्मू और कश्मीर	279.19	56.70	66.50	53.19
11.	कर्नाटक	55.00	0.00	0.00	435.00
12.	केरल	133.00	0.00	138.95	102.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	140.00	0.00	114.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	.000	54.50	21.00
15.	मणिपुर	0.00	80.00	80.00	0.00
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	26.00
17.	मिजोरम	30.00	199.50	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	71.00
19.	उड़ीसा	0.00	0.00	12.00	0.00
20	पंजाब	0.00	190.21	0.00	465.51
21.	राजस्थान	0.00	0.00	129.26	145.00
22.	सिक्किम	33.00	0.00	50.00	65.00
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	63.50	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	32.25
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	118.34	0.00
26.	उत्तराखंड	21.25	0.00	0.00	230.00
27.	पश्चिम बंगाल	136.00	0.00	0.00	57.91
28.	(संस्थान/संगठन)	0.00	2.99	29.70	0.00
	कुल	920.47	927.90	1110.00	3498.61

[अनुवाद]

विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

2991. श्री पी.सी. मोहन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कई सोसाइटियां जिन्हें, रियायती दर पर भूमि आवंटित की गयी है, विद्यालयों के लिए भावनों का निर्माण नहीं कर पायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें, विद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा दी गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन चूककर्ता सोसाइटियों के खिलाफ कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है क 2005 में सक्षम प्राधिकरण ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था कि विद्यालय के भवनों सहित संस्थागत श्रेणी अंतर्गत प्लाट के निर्माण के लिए स्वीकृति अधिकतम अवधि को नए आबंटन के लिए 20 वर्षो से घटा कर 10 वर्ष कर दिया जाए तथा ऐसी सभी उत्तरजीवी लीज के लिए जिनमें अधिग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के बाद भी निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया हैं, उन्हें 31.12.2007 तक प्लाट निर्मित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस अविध को आगे 31.12.2009 तक बढ़ा दिया गया। 11.3.2011 तक की स्थिति के अनुसार ऐसी सोसायइटियों ने जिनके अधिग्रहण की अवधि 10 वर्ष से अधिक है, 31.12.2009 तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है।

भूमि और विकास कार्यालय ने सूचित किया है कि जिन दो सोसायइटियों को भूमि आबंटित की गई है, वे 3.2.1967 और 31.12. 2008 तक की निर्धारित समयावधि के भीतर भवन निर्माण करने में असफल रही हैं।

(ङ) और (च) डीडीए ने आगे यह भी सूचित किया है। कि सात सोसाइटियों में से चार सोसाइटियां विवाद अथवा न्यायिक मामलों के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं/पूरी नहीं कर सकी हैं, शेष तीन सोसाइटियों के मामले में पट्टे के विलेख का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई शुरु की गई है।

भूमि और विकास कार्यालय ने सूचित किया है कि एक सोसाइटी के संबंध में आबंटित स्थल को पुन: दर्ज किया गया और अब यह मामला न्यायाधीन है। अन्य सोसाइटी के संबंध में मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के अंतर्गत उपलब्ध एफएआर का उपयोग करने की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

डीडीए/एनडीएमसी के अधीन परियोजनाएं

2992. श्री नवीन जिंदल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए जैसी एजेंसियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर शुरु किए गए कार्य दिल्ली शहरी कला आयोग की आपत्तियों/अनुमोदन के कारण रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उन्होंने सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों द्वारा जनता के हित में शुरु की गई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) ने सूचित किया है कि 3.3.2011 कि स्थिति के अनुसार डीयूएसी ने 14.02.2011 तक प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया है, दिनांक 1.4.2010 से 31.12.2010 तक डीयूएसी ने 118 प्रस्तावों पर विचाार किया जिसमें से यथोचित जांच के बाद 56 प्रस्ताव मंजूर किए गए और 47 प्रस्तावों पर टिप्पणियां दी गई। डीयूएसी अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार आयोग का यह दायित्व होगा कि वह दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच, मंजूरी, अस्वीकृत को अथवा उनमें संशोधन करे। इन एजेंसियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे प्रक्रियात्मक और दस्तावेज संबंधी जरुरतों को पूरा करें और प्रस्तावों पर विचार के दौरान आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, का अनुपालन करें।

(ख) और (ग) डीयूएसी अधिनियम, 1973 के सेक्शन 13 में यह प्रावधान है कि यदि कोई स्थानीय निकाय डीयूएसी के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के सेक्शन 13 के प्रावधानों के तहत

की गई अपीलों पर तत्परता से निर्णय दिए गए हैं, सरकार ने भी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर तत्परता से निर्णय देने के बारे में विगत में डीयूएसी से कहा है।

[हिन्दी]

निर्माण कंपनियों द्वारा फ्लैट्स का निर्माण

2993. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवासीय फ्लैटों के निर्माण में शामिल कई निर्माण कंपनियों द्वारा खरीददारों को भ्रमित करने तथा पैसा लूटने के संबंध में कदाचार को शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भूमि तथा कालोनीकरण चूँकि राज्य के विषय हैं, इसलिए बेइमान बिल्डरों को संबंधित नगर एवं ग्राम नियोजन/विकास प्राधिकरण अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित/नियंत्रित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/विकास प्राधिकरणों की है। इसलिए बिल्डरों द्वारा की गई त्रुटियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

एक तरफ उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा दूसरी तरफ सुचारू और तेज शहरी निर्माण कार्य को आसान बनाने की दृष्टि से कालोनियों और अपार्टमेंटों के नियोजित तथा स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्रारुप आदर्श स्थावर संपदा (विकास का विनियमन) अधिनियम 200--- तैयार किया है। इस प्रारुप विधेयक को, अगस्त 2009 में मंत्रालय की वेबसाइट(http: // mhupa/gov.in) में डाला गया। प्रारुप विधेयक पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, बिजनेस चैम्बरों सहित आम जनता और अन्य स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए। स्थावर संपदा संगठनों, स्थावर संपदा विकास को, उपभोक्ताओं और राज्य सरकारों से 350 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्राप्त टिप्पणियां और उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मार्च 2010 में हुई बैठक तथा बाद में अप्रैल 2010 में आयोजित अनेक कार्यशालाओं में विचार विमर्श किया ताकि कुछ राज्यों के शहरी विकास तथा शहरी कानून विशेषज्ञों की सहभागिता से दूसरा प्रारुप तैयार किया जा सके। इस प्रारुप को 11 जून 2010 को आयोजित दूसरे चरण के परामर्शों में अनेक राज्यों, विकासकों और विशेषज्ञों के समक्ष रखा गया। तथापि, विभिन्न स्तरों के परामर्शों के जरिए मूल आदर्श विधेयक के मूल स्वरूप में काफी परिवर्तन हो गया है और तदनुसार मंत्रालय ने मामले को विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजा ताकि इस मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाना उपयुक्त होगा अथवा अन्यथा के बारे में सलाह ली जा सके।

विधि एवं न्याय मंत्रालय का यह अभिमत है कि प्रस्तावित विधेयक के कुछ पहलू राज्य के क्षेत्राधिकार में है और इसमें शामिल कुछ मुद्दे समवर्ती सूची और समवर्ती क्षेत्राधिकार में आते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह को ध्यान में रखते हुए, विधेयक के रूप में कानून का प्रारुप पुन: तैयार किया जा रहा है जिसे समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद में रखा जा सकता है। अत: इसके लिए परामर्श और जांच का कार्य चल रहा है। अत: विधेयक के दायरे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और इसे अंतिम रूप देने के लिए इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कानून के कार्यान्वयन के चरण की कार्रवाई के लिए सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रस्ताव की जांच पूरी कर ले और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करे।

इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्थावर संपदा प्रबंधन (संवर्द्धन एवं विनियमन) विधेयक तैयार करने पर विचार कर रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू होगा। इसमें निहित प्रशासनिक एवं कानूनी मुद्दों को देखते हुए प्रस्तावित विधेयक को पेश करने के लिए इस समय कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

लोगों का पलायन

2994. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हर वर्ष अन्य स्थानों से पलायन करके दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इनमें 60 प्रतिशत से अधिक बेघर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपयुक्त अवसंरचना के साथ समुचित आवासीय एकक उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, बंगलौर तथा हैदराबाद सहित अन्य महानगरों के संबंध में अन्य स्थानों से पलायन कर यहां बसने की प्रवृत्ति का काई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के शहरों में पर्याप्त आवासीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)ने सूचित किया है कि भारत की पिछली जनगणना के अनुसार, 1991-2001 के दशक के दौरान दिल्ली की आबादी में 22.22 लाख की बढ़ोतरी प्रवास की वजह से हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आबादी में वृद्धि में प्रवासियों का प्रतिशत जोकि वर्ष 1991 में 40.78% था, 2001 में घटकर 39.82% हो गया। इनके ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	1991	2001
आबादी	94.20	138.50
वद्धि दर	51.45:	47.02:
आबादी की वृद्धि (लाख में)	32.00	44.30
प्रवासियों का घटक (लाख में)		
(क) अप्रवासी	15.87	22.22
(ख) बाहर	2.82	4.58
(ग) निवल प्रवासी	13.05 (40.78%)	17.64 (39.82%)
प्राकृतिक वृद्धि घटक (लाख में)	18.95 (59.21%)	26.66 (60.18%)

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2011 में उल्लेख किया गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार, दिल्ली में रिहायशी तथा रिहायशी-सह-अन्य उपयोग श्रेणी के अंतर्गत 24.5 लाख मकान हैं जिनमे 25.55 लाख परिवार रह रहे हैं। यह लगभग 1 लाख मकानों/आवासीय यूनिटों की निवल कमी दर्शाता है। वर्ष 20-21 तक 230 लाख की अनुमानित आबादी के आधार पर, लगभग 24 लाख अतिरिक्त आवासीय यूनिटों का अनुमान लगाया गया है। इसमें अतिरिक्त आबादी के लिए 20 लाख आवासीय यूनिटों और लगभग 4 लाख बकाया आवासीय यूनिटें जिनमें 1 लाख आवासीय यूनिटों की निवल कमी और बाकी ऐसे जर्जर और कच्चे ढांचे शामिल हैं जिनका पुनस्थापन अपेक्षित है, सम्मिलित हैं। आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उक्त मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रमुख पहल-प्रयास की परिकल्पना की गई है।

(i) भूमि एकत्रीकरण, विकास और आवास में उपलब्ध निजी औ सार्वजनिक दोनों संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित भूमि एकत्रीकरण

(ii) अतिरिक्त फर्शी अनुपात (एफएआर) समेत आधारित विकास।

(iii) भूमि के इष्टतम उपयोग हेतु प्लाट पर आवास की जगह ग्रुप हाउसिंग।

(iv) आवास के विकास/पुनर्विकास हेतु निजी क्षेत्र सहभागिता।

(v) भूमि के इष्टतम उपयोग हेतु गैर जरुरी नियंत्रण हटाना।

(vi) सभी श्रेणी के आवासीय प्लाटों हेतु भूमि कवरेज, फर्शी अनुपात और ऊँचाई बढ़ाना।

(vii) स्वस्थाने पुनर्वास जिसमें निजी क्षेत्र सहभागिता हेतु संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग शामिल हैं।

(viii) शहरी गरीबों के आवास हेतु कुल आवास का 50-55% तक निर्धारित करना।

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के आवास हेतु अनिवार्य प्रावधान करना।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में वास्तविक बुनियादी सुविधा में शामिल विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करते हुए पानी, सीवेज, बिजली, ठोस कचरे आदि के लिए विस्तृत सापेक्ष योजना निर्दिष्ट की गई है।

(घ) और (ङ) पिछले 5 दशकों की अवधि में, आबादी में प्राकृतिक वृद्धि और आजीविका की खोज में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की वजह से शहरी आबादी को वार्षिक वृद्धि दर 2.7 से 3.8% रही है।

देश में शहरी आवास की कमी का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2006 में गठित तकनीकी समूह ने अनुमान लगाया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) के अंत तक में आवास की कुल 24.71 मिलियन कमी थी। 11वीं योजना के लिए 1.82 मिलियन आवासीय यूनिटों की अतिरिक्त जरुरत का भी अनुमान लगाया गया है जिससे 11वीं योजना अवधि के दौरान कुल 26.53 मिलियन आवासीय यूनिटों की जरुरत है।

राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 का उद्देश्य देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है कि ताकि समाज के सभी वर्गो को किफायती दामों पर भूमि, आश्रय और सेवाएं सम्यक रूप से मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, "भूमि" और "कोलोनाईजेशन" राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है किये एन यू एच पी 2007 के तहत शुरू किए गए कार्यो का निष्पादन करें। सभी नागरिकों को आवास मुहैया कराने हेतु कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीबों वर्गो के लिए आवास निर्माण में सहायता कर रही है।

सरकार द्वारा 2005 में शुरु किए गए जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन (बीएसयूपी) के तहत विनिर्दिष्ट 65 शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने का प्रावधान है।

शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो और निम्न आय समूह को ऋण लेने हेतु समर्थ बनाने संबंधी उपायों के रूप में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है तथा उक्त स्कीम में मकान के निर्माण/अधिग्रहण हेतु वाणिज्यिक बैंकों/आवासीय वित्त कंपनियों के जरिए उक्त परिवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे 1.00 लाख रु. तक के ऋण पर ब्याज भुगतान पर 5% सब्सिडी प्राप्त कर सकें। स्कीम का उद्देश्य 11वीं योजना अविध के दौरान 3.10 लाख लाभार्थियों को शामिल करना है।

भागीदारी में किफायती आवास संबंधी स्कीम का उद्देश्य किफायती आवासों के निर्माण हेतु भूमि का एकत्रीकरण करना तथा आंतरिक और बाहरी संपर्क हेतु बुनियादी सुविधा की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता उपलब्ध कराना है। वर्ष 209 में 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/कम आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए एक मिलियन मकानों, जिसमें 25 प्रतिशत मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होंगे, का निर्माण करना है।

राजीव आवास योजना (आरएवाई) संबंधी प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य स्लम पुनर्विकास हेतु आश्रम तथा बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाओं के लिए तथा उन राज्यों को किफायती निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराना है जो स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार सौंपने के इच्छुक है।

पेंशन का संशोधन

2995. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो के 1986 से पूर्व की अवधि के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार संशोधित सेवानिवृत्ति/परिवार पेंशन संस्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पेंशनरों की संख्या कितनी है जिन्हें संशोधित पेंशन स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) छठे वेतन आयोग के अनुसार वर्ष 1996 से पूर्व की अवधि के पत्र सूचना कार्यालय के पेंशनरों सहित सभी पेंशनरों के लिए संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन वितरणकारी बैंको के माध्यम से किया जाना है जिसकी सूचना केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय (सीपीएओ) तथा पीपीओ जारी करने वाले रेखा अधिकारी को दी जाएगी।

(ख) वेतन एवं लेखा कार्यालय, डीडी, चैन्ने ने दो मामलों में पेंशन को संशोधित किया है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

- श्रीमती के. सरस्वती अम्माल, पत्नी श्री पी. कुप्पूस्वामी, पीपीओ सं. 286607700053

  सेवानिवृत्ति की तारीख: 26.12.1977

- श्रीमती वी. जयलक्ष्मी, पत्नी श्री वी चित्तीबाबू पीपीओ सं. 1262/एफपी

  सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख: 18.09.1973

(ग) श्रीमती ए. कावेरी कुट्टी, पत्नी स्वर्गीय श्री वाई. रामाचन्द्रन, पूर्व सूचना सहायक, पीपीओ सं. पीआईबी/30 से पारिवारिक पेंशन में संशोधन करने हेतु एक अभ्यावेदन पत्र सूचना कार्यालय में प्राप्त हुआ है। श्री रामाचन्द्रन का वर्ष 1978 में निधन हो गया था और इस मामले के बहुत अधिक पुराने हो जाने के कारण रिकॉर्ड फिलहाल सुलभ नहीं है। तथापि, उन रिकॉर्डों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आतंकवादियों को धन मुहैया कराना

2996. श्री के. आर. जी. रेड्डी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश आतंकवादियों के वित्त पोषण की समस्या से निपटने के लिए 'वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल' में शामिल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) भारत जून, 2010 से वित्तीय कार्रवाई कृकि बल का 34वां सदस्य बन गया है। वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ), धन-शोधन निवारण संबंधी वैश्विक मानकों को लागू करने और आतंकवाद का वित्तपोषण किए जाने से रोकने के लिए जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेलों में अनियमितताएं

2997. श्री अधीर चौधरी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों में अनियमितताओं की जानकारी मिली है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है/किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच का ब्यौरा और उसका परिणाम क्या है तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार को झारखंड राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल उपस्करों की खरीद में अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाते हुए एक गुमनामी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। आईओए ने सूचित किया है कि सभी खेल उपस्करों की खरीद राष्ट्रीय खेल आयोजित समिति (एनजीओसी), रांची द्वारा की गई थीं। आईओए, एनजीओसी और राज्य सरकार के बीच हुए मेजबान नगर करार के अनुसार आईओए के ब्रांडों के साथ-साथ उपस्करों की सूची मुहैया करायी जानी थी। आईओए ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से एक समिति गठित की और समिति ने सभी उपस्करों की सूची जो एनजीओसी को दी गई थी, उसे अंतिम रूप दिया। यह मामला समुचित कार्रवाई हेतु युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सतर्कता शाखा को संदर्भित कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं यदि कोई हो, की जांच करने का अधिकार राज्य सरकार, राज्य ओलंपिक संघ और भारतीय ओलंपिक संघ का है।

सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा

2998. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** 3 दिसम्बर, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4133 तथा 30 जुलाई, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी आवास पर अवैध कब्जा किए हुए अधिकारियों, पूर्व संसद सदस्यों और पूर्व मंत्रियों के नाम और पते क्या हैं और उन पर अर्थदंड सहित बकाए का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बकाए की वसूली के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभागों सहित अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं जिनके खिलाफ मकानों को आगे किराए पर देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गयी है; और

(घ) उनके वेतन से बाजार दर पर किराया काटे जाने की कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जल-मल शोधन संयंत्र

2999. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **शहरी विकस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में नगर पालिका स्तर पर जल-मल शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. (सौगत राय): (क) और (ख) सीवरेज शोधन संयंत्र सहित सीवरेज, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी अवस्थापना और शासन घटक और छोटे एवं मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य घटकों में से एक घटक है। यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी के तहत अनुमोदित सीवरेज परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के साउथ में ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन:स्थापित कराना और सुदृढ़ करना (जोन-1 में कैचमेंट एस 2 से एस 11, एस 12, एस-14)	14881.00	5208.35	2604.16
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के साउथ में ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन:स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जोन-2 में कैचमेंट एस 7 से एस 11, एस 13, एस-15)	25125.00	8793.75	3517.50
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सिरीलिंगमपल्ली नगरपालिका में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	20038.00	7013.30	1753.32
4.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा के कृष्णलंका क्षेत्र में सिवरेज प्रणाली मुहैया करवाया	743.00	371.50	278.61

1	2	3	4	5	6	7
5.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सिंहनगर (यूएएसबीआर) (से 0-8) में सीवरेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना	949.00	474.50	355.88
6.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	हाउसिंग बोर्ड कोलानी गुंडाला, देवीनगर केदारेसवरपेट इत्यादि सहित वीएमसी के अनसवर्ड क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा मुहैया कराना	1985.00	992.50	741.39
7.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम के ओल्ड सिटी क्षेत्र सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	3708.00	1854.00	1390.50
8.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम शहर के सेन्ट्रल भाग भाग में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	24444.00	12222.00	9166.00
9.	गुजरात	अहमदाबाद	पिराना में मोजूदा सीवेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	6922.00	2422.70	2422.72
10.	गुजरात	अहमदाबाद	बसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	1135.00	397.25	397.24
11.	गुजरात	अहमदाबाद	पूर्व एयूडीए क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और बीनजोल के समीप सीवेज शोधन संयंत्र	3681.26	1288.44	966.33
12.	गुजरात	अहमदाबाद	वेस्ट एयूडीए क्षेत्र टर्मिनल सीवरेज पंपिंग, पंपिंग मेन और वसाना के समीप सीवेज शोधन संयंत्र	10692.01	3742.20	2806.65
13.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहरी बस्ती के पूर्वी एयूडीए क्षेत्र का सीवरेज नेटवर्क	23541.00	8239.00	2059.00
14.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहरी बस्ती के पूर्वी एयूडीए क्षेत्र का सीवरेज नेटवर्क	7765.00	2718.00	680.00
15.	गुजरात	सूरत	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	1098.00	549.00	549.00
16.	गुजरात	सूरत	अदाजान सीवरेज की क्षमता बढ़ाना	1193.00	596.50	596.50
17.	गुजरात	सूरत	भेसान सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	1509.00	754.50	754.50

1	2	3	4	5	6	7
18.	गुजरात	सूरत	बामरोली में सीकेंडरी सीवेज शोधन संयंत्र	1322.47	661.24	661.23
19.	गुजरात	सूरत	वेसू क्षेत्र के लए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	3437.00	1718.50	1718.50
20.	गुजरात	सूरत	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	2128.00	1064.00	1064.00
21.	गुजरात	सूरत	नये ईस्ट जोन क्षेत्रों के लिए सीवरेज और सीवरेज शोधन प्रणाली	11065.73	5532.86	2766.42
22.	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के मौजूदा पंपिंग स्टेशन और एसटीपी का ऑटोमेशन/एससीडीए	3063.43	1537.71	765.86
23.	गुजरात	सूरत	एसएमसी के न्यू नार्दन ड्रेनेज जोन हेतु सीवरेज प्रणाली	18404.35	9202.18	4601.06
24.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर के लिए सीवरेज प्रणाली	10514.93	5257.47	5257.47
25.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्य की रिवैम्पिंग	10383.00	5191.50	4672.37
26.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू के डिवीजन ए हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	12923.00	11630.70	2907.68
27.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के जोन 3 (से. 1) हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	13292.00	11962.80	2990.70
28.	कर्नाटक	बंगलौर	मौजूदा सीवरेज प्रणाली का एनवायरमेंटल एक्शन प्लान रिपलेशमेंट रिहैबिलेशन	17675.00	6186.25	1546.56
29.	कर्नाटक	बंगलौर	येलहनका में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	1500.63	525.22	131.30
30.	कर्नाटक	बंगलौर	केनगिरी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	1876.36	656.73	164.18
31.	केरल	कोचीन	कोच्चि के 6 डिवीजनों और वार्डो (सं. 43, 49, 50, 51, 54 और 56) सहित केंद्रीय जोन हेतु सीवरेज स्कीम	7841.00	3920.50	935.13
32.	केरल	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम नगर निगम हेतु सीवरेज स्कीम का सुधार	21541.00	17232.80	4308.20
33.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर सीवरेज प्रयोगशाला	30717.00	15358.50	7679.24

1	2	3	4	5	6	7
34.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-II	7801.00	3900.50	975.00
35.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-II	7081.00	3540.50	885.00
36.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मुम्बई सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट स्टेज-2 प्रायोरिटी वर्क	36447.00	12756.45	6378.22
37.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे हेतु अंडरग्रउंड सीवरेज स्कीम फेज-1	14956.79	5234.88	2617.44
38.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	डिसेंट्रलाइज प्रणाली पर आधारित मीरा-भयंदकर-अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना	33142.27	11599.80	2899.95
39.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे हेतु अंडरग्रउंड सीवरेज स्कीम फेज-2	14009.00	4903.15	1225.79
40.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे हेतु अंडरग्रउंड सीवरेज स्कीम फेज-3	4179.00	1463.35	365.84
41.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	केडीएमसी के भाग हेतु अडंरग्राउंड सीवरेज	16963.35	5937.17	1484.29
42.	महाराष्ट्र	नादेंड	नार्थ नादेंड, जोन-1 में सीवरेज प्रणाली	4025.00	3220.00	1610.00
43.	महाराष्ट्र	नादेंड	नार्थ नादेंड, जोन-2 में सीवरेज प्रणाली	4889.00	3911.20	1955.50
44.	महाराष्ट्र	नादेंड	नार्थ नादेंड, जोन-3 में सीवरेज प्रणाली	3931.00	3144.80	1572.45
45.	महाराष्ट्र	नादेंड	अंडरग्राउंड सीवरेज और सीवेज शोधन (नादेड-साउथ)	4093.00	3274.40	2455.80
46.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक शहर फेज-1 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना	14846.00	7423.00	6680.70
47.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड हेतु सीवरेज प्रस्ताव	11938.88	5969.44	5969.44
48.	महाराष्ट्र	पुणे	पीसीएमसी हेतु सीवरेज प्रणाली (फेज-II)	12070.45	6035.23	4526.40
49.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	एकीकृत सीवरेज परियोजना	49891.35	39913.08	9978.27

1	2	3	4	5	6	7
50.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी के शहरी क्षेत्र के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	20340.00	16272.00	4068.00
51.	पंजाब	अमृतसर	वाल्ड सिटी क्षेत्र फेज-II हेतु मौजूदा सीवरेज प्रणाली का पुर्नस्थापन	3690.00	1845.00	461.25
52.	पंजाब	लुधियाना	सीवरेज और सीवेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना	24139.00	12069.50	3017.37
53.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	सीवरेज परियोजना	11208.00	8966.00	2521.50
54.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर (फेज-1) के लिए सीवरेज प्रणाली	7495.97	3747.99	2811.00
55.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर सीवरेज परियोजना फेज-II	11086.00	5543.00	4107.25
56.	सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक में सीवर का पुर्नस्थापन	2392.01	2152.81	1076.40
57.	तमिलनाडु		पेरुंगुडी में 54 एमएलडी के अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	3147.98	1101.79	716.16
58.	तमिलनाडु		पूझुथिवक्कम (उल्लागरम) हेतु सीवरेज सुविधाएं	2808.05	982.80	245.70
59.	तमिलनाडु		अवेडी नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	15805.41	5531.89	1659.56
60.	तमिलनाडु		अम्बट्टूर नगरपालिका हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना फेज-III	13091.00	4581.85	1145.46
61.	तमिलनाडु		व्यापक भूमिगत सीवरेज स्कीम	37712.88	18856.44	9428.22
62.	तमिलनाडु		फेज-III क्षेत्र हेतु भूमिगत सीवरेज स्कीम और मौजूदा सीवरेज तंत्र का नवीकरण	22934.00	11467.00	8600.25
63.	उत्तर प्रदेश		आगरा में नाईन जोन और वेस्टर्न जोन में ब्रांच और लेटरल सीवर लाईन्स हेतु यमुना एक्शन प्लान फेज-II	2162.00	1081.00	1081.00
64.	उत्तर प्रदेश		कानपुर शहर हेतु सीवरेज कार्य आंतरिक कॉर क्षेत्र)	19088.22	9544.11	7158.06
65.	उत्तर प्रदेश		लखनऊ सिटी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट I (खंड I और II) हेतु सीवेज कार्य	23623.00	11811.50	11811.48

1	2	3	4	5	6	7
66.	उत्तर प्रदेश		लखनऊ सिटी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट III (भाग-I) हेतु सीवेज कार्य	26216.00	13108.00	3277.00
67.	उत्तर प्रदेश		कानपुर शहर हेतु सीवरेज शोधन	10100.45	5050.22	1262.55
68.	पश्चिम बंगाल		कोलकाता (फेज-1) में सीवर तंत्र का उन्नयन	9712.00	3399.20	1699.60
69.	पश्चिम बंगाल		कोलकाता हेतु मैन एंट्री ब्रिक सीवर सिस्टम (पार्क) का उन्नयन	40291.00	14101.85	10576.38
70.	पश्चिम बंगाल		नाबा डिजिआंटा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप आथॉरिटी, साल्ट लेक के अंतर्गत सेक्टर-V (भाग-II सीवरेज प्रणाली) में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	3407.15	1192.50	1192.52
71.	कर्नाटक	बंगलौर	अर्स्टव्हाइल दर्शरहल्ली शहर नगरपालिका परिसर ड्रेनेज जोन 7-8 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	13657.00	4780.00	1195.00
72.	कर्नाटक	बंगलौर	के आर पुरम सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-III हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	8789.00	3077.00	769.00
73.	कर्नाटक	बंगलौर	महादेव पुरा सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-III हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज स्टिम और रोड रीस्टोरेशन	11018.00	3856.00	964.00
74.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई मदुरावोयल-नगरपालिका हेतु सीवेज सुविधा मुहैया कराना	5745.50	2011.00	503.00
75.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी ट्रांस वरुणा क्षेत्र हेतु सीवेज सुविधा मुहैया कराना	30912.00	15456.00	3864.00
76.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सिटी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (भाग III) हेतु सीवेज कार्य	21443.00	10722.00	2681.00
77.	महाराष्ट्र		कुलगांव-बदलापुर-भूमिगत सीवरेज स्कीम	15146.18	5301.16	1325.29

1	2	3	4	5	6	7
78.	दिल्ली	दिल्ली	निलोठी और पपनकलां प्रत्येक में 20 एमजीडी एचटीपी स्थापित करना	24544.00	8590.00	2148.00
79.	तमिलनाडु	चेन्नई	पोरुर टाऊन पंचायत हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	3829.00	1340.15	335.03
80.	तमिलनाडु	चेन्नई	नेसापक्कम, चेन्नई में 54 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र	5457.00	1910.00	478.00
81.	तमिलनाडु	चेन्नई	तम्बरम नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	16096.59	5633.80	1408.45
82.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरुनगुड़ी टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	2019.24	706.73	176.68
83.	तमिलनाडु	चेन्नई	थिरुमजहिसाय टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	2047.32	716.56	179.14
84.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	नवीं मुंबई-नवीं मुंबई हेतु आंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम	35366.52	12378.28	6189.14
85	तमिलनाडु	चेन्नई	पल्लीकरनी टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	5861.00	2051.00	512.00
86	गुजरात		बड़ोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-II	6055.74	3027.87	756.96
87.	केरल		तिरुवंतपुरम के दक्षिणी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली एफ एंड जी ब्लॉक का विस्तार और सीवरेज प्रणाली का पुर्नस्थापन, सीवर सफाई मशीन खरीदना, अट्टूकल क्षेत्र हेतु सीवरेज प्रणाली, सरकारी मेडिकल कालेज तिरुवंतपुरम हेतु एसटीवी	12115.00	9692.00	0.00
88.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	17815.00	8908.00	2227.00
89.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर (जोन-डी) फेज-I की सीवरेज प्रणाली	35598.00	17799.00	4449.75
90.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के डिस्ट्रिक्ट-IV में सीवरेज कार्य	20736.00	10000.00	2500.00
91.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	नैनीताल सीवरेज का पुन:निर्माण और विस्तार	1960.00	1570.00	392.50

1	2	3	4	5	6	7
92.	बिहार	बोधगया	बोधगया नगर पंचायत के लिए सीवरेज स्कीम	9594.34	7675.47	1918.87
93.	उत्तराखण्ड	देहरादून	देहरादून सीवरेज स्कीम	5465.00	4372.00	1092.75
94.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा सीवरेज स्कीम	19592.00	9000.00	2250.00
95.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ शहर के सीवरेज जोन 5-7 में सीवरेज कार्य	18589.00	9000.00	2250.00
96.	गुजरात	राजकोट	सीवरेज प्रणाली फेज-II, राजकोट शहर के लिए भाग-II	19195.12	9000.00	2250.00
97.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	रानीगंज नगरपालिका के लिए सीवरेज परियोजना	4008.82	2004.41	501.10
98.	महाराष्ट्र		खराब जल का रिसाइकिल और पुर्नउपयोग	13011.00	6505.50	1626.38
99.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	6035.77	4500.00	1125.00
100.	त्रिपुरा	अगरतल्ला	सीवरेज और जोन (प्राथमिकता 1 क्षेत्र) के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन स्कीम	10221.00	9000.00	2250.00
101.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीधन नगर कोलकाता में निकास और सीवरेज परियोजना	2358.45	825.46	206.37
102.	दिल्ली	नई दिल्ली	ट्रंक सीवर का पुर्नस्थापन	25337.00	8868.00	2216.99
103.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला, फेज-I के विभिन्न जोनों में छूटी हुई/ध्वस्त सीवरेज तथा मिशिंग लाइन में सीवरेज नेटवर्क का पुनरुद्धार	5474.00	3880.00	970.00
104.	महाराष्ट्र	नासिक	भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज II	17182.92	8591.46	2147.87
105.	उत्तराखण्ड	देहरादून	एल जोन के लिए देहरादून सीवरेज स्कीम (फेज-1)	6283.00	4628.00	1157.00
106.	दिल्ली	नई दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए तीन मुख्य नालों अर्थात नजफगढ़ सप्लीमेंटरी और शाहदरा के साथ-साथ इन्टरसेप्टर सीवर विछाना	135771.00	47520.00	11880.00
	कुल			1462137.89	694806.68	269602.27

विवरण II

(रु. लाख में)

क्र.सं.	शहर	सीवरेज		
		अनुमोदित लागत रु. लाख में	केन्द्रीय अंश वचनबद्ध रु. लाख में	जारी कुल एसीए रु. लाख में
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	मिरयालगुडा	3493.00	2794.40	2829.13
2.	कडापा	4915.00	3932.00	3966.41
3.	नालगोंडा	4687.50	3750.00	3793.36
4.	नरसरओपेट	2641.00	2112.80	2120.19
5.	नागारी	983.00	786.40	786.20
6.	निजामाबाद	8106.00	6484.80	6606.39
7.	करीम नगर	6237.00	4989.60	5083.16
8.	येमिनगनूर	3983.00	3186.40	1651.01
	छत्तीसगढ़			
9.	बिलास पुर	19025.00	8578.00	4289.00
	दमन और दीव (यूटी)			
10.	दमन (मोती दमन व नेनी दमन)	942.370	753.896	31.00
	हरियाणा			
11.	बहादुरगढ़ जोन-1	4576.04	3660.83	1899.06
12.	बहादुरगढ़ जोन 2 व 3	2707.01	2165.61	1082.80
13.	अम्बाला सदर	2082.19	1665.75	832.88
14.	नारनौल	812.99	650.39	325.20
15.	चरखी-दादरी	709.25	567.40	283.70
	कर्नाटक			
16.	दवांगेरे	336.00	268.80	139.44

1	2	3	4	5
17.	पांडव पुरा	602.09	481.67	490.71
18.	श्रीरंगपटना	522.18	417.74	425.57
19.	ननजागुड	974.58	779.66	404.45
20.	मल्लावल्ली	730.41	584.33	595.28
21.	चन्नापटन	1311.00	1048.80	544.06
22.	शिकारीपुरा	1317.00	1053.60	1073.36
23.	होलेनरसीपुरा	303.00	242.40	125.75
24.	बसवाना बगबडी	844.00	675.20	350.26
25.	सोनदत्ती	867.84	694.27	347.14
	केरल			
26.	चलकुड्ई	4978.00	3982.40	2065.87
	मध्य प्रदेश			
27.	इटारसी	708.43	566.74	283.37
28.	बुंदी	195.05	156.04	78.02
29.	रेहथी	143.48	114.78	57.39
30.	विदिशा	218.00	174.40	87.20
31.	जरोआ	294.25	235.40	117.70
32.	ग्वालियर	6650.00	5320.00	2660.00
33.	सागर	7661.55	6129.24	3064.62
	महाराष्ट्र			
34.	कोल्हापुर	3198.00	2558.40	1327.17
35.	सोनेर	631.50	505.20	262.07
36.	शिरडी	2426.00	1940.80	1977.19
37.	अम्बाद	811.00	648.80	660.97
38.	शरुर	889.80	711.84	355.92

1	2	3	4	5
39.	अमरावती (फेज-1)	8612.28	6889.82	3444.91
40.	अकोला	13275.00	10620.00	4998.48
41.	पंचगनी	320.00	256.00	128.00
42.	चंदरपुर	7201.30	5761.04	2880.52
43.	दौंद	1915.80	1532.64	766.32
44.	पनवेल	3107.15	2485.72	1242.86
45.	मलवन	1884.40	1507.52	753.76
46.	वेंगुरला	795.35	636.28	318.14
47.	अलीबाग	1240.00	992.00	496.00
48.	कमटी	2221.21	1776.97	888.49
	उड़ीसा			
49.	सम्बलपुर	593.23	474.58	246.20
	पंजाब			
50.	जिरकापुर	4197.61	3358.09	1679.04
51.	पटियाला	8940.00	7152.00	3654.23
52.	पाठनकोट	4766.00	3812.80	1951.44
53.	मलोट	2286.00	1828.80	914.40
54.	जालंधर	4955.00	3964.00	3964.00
55.	जालंधर (सीवरेज फेज-2)	4696.85	3757.48	1878.74
56.	तलवंडी साबो	1016.00	812.80	406.40
57.	मुक्तसर	2789.45	2231.56	1115.78
	राजस्थान			
58.	बीकानेर	3876.10	3100.88	1550.44
59.	चित्तौगढ़ 05-06	328.18	262.54	262.54
60.	जालोर	1066.31	853.05	442.51
61.	झलवाड़-झलरापट्टन	1904.02	1523.22	790.17

1	2	3	4	5
62.	सुमेरपुर	927.74	742.19	385.02
63.	जोधपुर	6167.00	4933.60	2559.31
64.	माउंट आबू	2715.00	2172.00	1086.00
65.	किशनगढ़	2601.00	2080.80	1040.40
66.	हनुमानगढ़	4279.00	3423.20	1711.60
67.	पाली	3329.53	2663.62	1331.81
68.	कोटा	5122.42	4097.94	2048.97
69.	झुनझुनू	3781.000	3024.80	1512.40
70.	सरदारशहर	3692.000	2953.60	1476.80
	सिक्किम			
71.	नामची	1097.00	987.30	493.65
72.	जोरथंग	480.00	432.00	216.00
73.	मिली	341.00	306.90	153.45
74.	रंगपो	494.00	444.60	222.30
	तमिलनाडु			
75.	थिरुपथूर	1219.650	975.720	487.86
76.	अरंततंगी	2397.540	1918.032	959.02
77.	मराइमल्लईनगर	375.00	300.000	300.00
78.	मल्लापुरम	608.00	486.400	486.40
79.	तिरुचेंदूर	1122.00	897.600	448.80
80.	लेबाईकुड्ईकुडू	99.70	79.760	39.88
81.	हसूर	5155.33	4124.264	2062.13
82.	अरुपुकोट्टई	4006.07	3204.856	1602.43
83.	उदयमलपेट	3034.23	2427.384	1213.69
84.	बोडीनायकनूर	2628.810	2103.048	1051.52

1	2	3	4	5
85.	तिरुवंतीपुरम	1523.110	1218.488	609.24
86.	गुडईथाम	3123.610	2498.888	1249.44
87.	सेविलाइमेंड्डू	770.340	616.272	308.14
88.	तिरुवंतीपुरम	1815.360	1452.288	726.14
89.	अरीयेलूर	2555.20	2044.160	1022.08
	उत्तर प्रदेश			
90.	फिरोजाबाद	8691.66	6953.33	7031.12
91.	मैनपुरी	4874.18	3899.34	3972.45
92.	बलिया	4472.31	3577.85	3642.29
93.	लोनी	7341.24	5872.99	5819.14
94.	वृंदावन	3463.00	2770.40	1385.20
	उत्तराखंड			
95.	मसूरी	6173.25	4938.60	2469.30
	पश्चिम बंगाल			
96.	कुरशियांग	1251.59	1001.27	500.64
	कुल	286228.62	222582.10	139470.99

भारतीय नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रलेखन

3000. **श्री के. सुगुमार:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत के नीति निर्माण की प्रक्रिया के रिकार्ड का प्रलेखन किए जाने की कोई परियोजना शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में तेजी लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक रिकार्ड नियमावली 1997 के तहत कार्य करना है। रिकाडों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के अलावा यह सार्वजनिक रिकार्डों क प्रशासन, प्रबंधन, संरक्षण, चयन, निपटान और अंतरण से संबंधित प्रचालनों का समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए केंन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 2010 के बाद के रिकार्डों का प्रलेखन और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा विशेष अभियान के रूप में निम्नलिखित समयबद्ध परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

1. मंत्रालयों और विभागों के 1947 के बाद और वर्तमान सार्वजनिक रिकार्डों के सर्वेक्षण, निरीक्षण, मूल्याकंन और अंतरण संबंधी परियोजना।

2. (क) सार्वजनिक रिकार्डों के संदर्भ मीडिया तैयार करना।

(ख) निजी रिकार्डों के संदर्भ मीडिया तैयार करना।

3. सार्वजनिक रिकार्डों की सुरक्षा माइक्रों फिल्म तैयार करना, पॉजिटिव बनाना और डिजिटीकरण करना तथा अभिलेख राइटर का उपयोग करके उन्हें फिल्म में एनालॉग इमेजों के रूप में परिवर्तित करना।

विवरण

महानिदेशक अभिलेखागार को, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम में यथा निर्धारित सार्वजनिक अभिलेखों के संचालन, प्रबंधन, परिरक्षण आदि से जुड़े सभी कार्यो के पर्यवेक्षण और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन जिम्मेदारियों में निम्नलिखित में शामिल हैं।

- अभिलेखों का पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण; उस अवधि के बाद जो निर्धारित की जाये, स्थायी किस्म के सार्वजनिक अभिलेखों को जमा करने की स्वीकृति;
- सार्वजनिक अभिलेखों की अभिरक्षा, इस्तेमाल और वापसी;
- सार्वजनिक अभिलेखों का प्रबंधन, परिरक्षण तथा प्रदर्शन;
- सार्वजनिक अभिलेखों की माल सूची, विषयसूची, सूची पत्र तथा अन्य संदर्भ माध्यम तैयार करना;
- अभिलेख, प्रबंधन प्रणाली में सुधार हेतु मानकों, पद्धतियों तथा तकनीकों का विश्लेशण, विकास, सवंर्धन और समन्वय;
- अभिलेखागार तथा अभिलेख सृजक एजेंसी के कार्यालयों में सार्वजनिक अभिलखों का अनुरक्षण, प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चत करना;
- उपलब्ध स्थान के उपयोग का संवर्धन तथा सार्वजनिक अभिलेख के परिरक्षण हेतु उपस्करो का रख-रखाव करना;
- अभिलेखों के संकलन, वर्गीकरण तथा निपटान तथा अभिलेख प्रबंधन के मानकों, पद्धतियों तथा तकनीकों के अनुप्रयोग के संबंध में अभिलेख सृजक एजेंसियों को सलाह देना;
- सार्वजनिक अभिलेखों का सर्वेक्षण और निरीक्षण;
- अभिलेख संचालन और अभिलेख प्रबंधन की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- किसी भी निजी स्रोत से अभिलेख स्वीकार करना;
- सार्वजनिक अभिलेखों की सुगम्यता विनियमित करना;
- समाप्त हो चुके निकायों से अभिलेख प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में सार्वजनिक अभिलेख प्राप्त करने की व्यवस्था करना;
- अभिलेख अधिकारी से अभिलेख प्रबंधन और निपटान की प्रक्रियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना;
- सार्वजनिक अभिलेखों की, या उनके अंशों की अधिप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना;
- सार्वजनिक अभिलेखों को नष्ट करना या उनका निपटान करना;
- ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्त्व के किसी भी दस्तावेज को पट्टे पर प्राप्त या खरीदना या उपहार स्वरूप प्राप्त करना।

[हिन्दी]

सरकारी कॉलोनियों में किराएदारों की पहचान

3001. **श्री मिथिलेश कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कॉलोनियों में किराएदारों की पहचान करने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा मैसर्स ईगल विजन सर्विसेज प्राइवेट लिमि, एजेन्सी की संविदा आधार पर सेवाएं ली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एजेंसी के सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी आवंटी को क्वार्टर खाली करने का नोटिस दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में स्थित संपदा निदेशालय के रिहायशी परिसरों का निरीक्षण कार्य मैसर्ज इगल विजन सर्विसेज प्रा.लि., रोहिणी, दिल्ली को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) केवल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी भी आबंटी का क्वार्टर खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया। मैसर्ज इगल विजन सर्विसेज प्रा.लि. की निरीक्षण रिपोर्ट की निदेशालय में जांच की जाती है। उप-किराएदारी के संदेह की स्थिति में आबंटी को अपना मामला रखने का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद संपदा उप-निदेशक अर्द्ध न्यायिक तरीके से उप-किराएदारी संबंधी तथ्यों का निर्णय लेता है। उप किराएदारी को प्रमाणित मामलों में क्वार्टर का आबंटन रद्द कर दिया जाता है। आबंटी को रद्द करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।

[अनुवाद]

कृषि मशीनरी सेवाएं

3002. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री पोन्नम प्रभाकरः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को कस्टम हायरिंग आधार पर नवीनतम कृषि मशीनरी उपलब्ध कराए जाने के लिए देश में कृषि मशीनरी सेवा केन्दों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों से किसानों को कितना फायदा पहुंचेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने कस्टम हायरिंग आधार पर कृषि यंत्रीकरण सेवाएं देने के लिए 60,000 गांवों को कवर करने लिए अभिज्ञात 6000 क्लस्टर में यंत्रीकरण हब स्थापित करने के लिए वर्ष 2010-11 में एक विशेष पहल शुरू की। यह पहल, जिसमें "वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन और तिलहन ग्राम का आयोजन" राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तत्वाधान में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस पहल के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारें हब और स्पोक मॉडल के समीपवर्ती क्षेत्रों में लाभानुभोगियों को कृषि यंत्रीकरण प्रदान करने के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित कर रही है।

(ग) ये कस्टम हायरिंग केन्द्र अन्य कार्यक्रमों के विकासात्मक प्रयासों में सहायता देने के अलावा किसानों को मुख्यतः अपनी कृषि उत्पादकता सुधारने, आर्थक लाभ बढ़ाने और कृषि श्रमिकों पर निर्भरता कम करने में लाभ पहुंचाएंगे।

[हिन्दी]

सरकारी बंगलों का रख-रखाव

3003. श्री के. डी. देशमुखः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की दिल्ली स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संस्वीकृत परियोजनाओं/सरकारी बंगलों/क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए कोई निगरानी प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों के आवासों के रख-रखाव के लिए कितनी राशि जारी की गयी है;

(घ) क्या रख-रखाव संबंधी निधि का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा ठेकेदारों की सांठ-गांठ से दुरुपयोग करने की रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी, हां। परियोजनाओं की प्रगति वैब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) के माध्यम से मॉनीटर की जाती है और क्वार्टरों का अनुरक्षण वैबसाइट केलोनिवि सेवा के माध्यम से मानीटर किया जाता है।

(ग) संसद सदस्यों के बंगलों के अनुरक्षण हेतु विगत दो वर्षो के दौरान जारी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष	सामान्य मरम्मत	विशेष मरम्मत	कुल बजट आवंटन
2008-09	24.5	2.85	27.35
2009-10	30.00	3.5	33.5

(घ) और (ङ) घटिया कोटि का फर्नीचर, घटिया सामग्री हेतु अधिक प्रभार घटिया सामग्री हेतु अधिक प्रभार, कार्यो के नकली

बिलों आदि से संबंधित एक शिकायत थी, श्री गंगाचरन राजपूत, माननीय संसद सदस्य से प्राप्त हुई थी। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए गुणवत्ता आश्वासन विंग आदि सहित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा विनिर्देशनों के अनुसार कार्य निष्पादन सुनिश्चित करना, गुणवत्ता जांच और निरीक्षणों जैसी निर्मित सुरक्षा उपाय प्रणाली में विद्यमान है। व्यक्तिगत शिकायत पर जांच के पश्चात निवारक कार्रवाई भी की जाती है।

लापता विदेशी

3004. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों सहित बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के लापता होने की जानकारी मिली है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं कि देश में आंतकवादी गतिविधियों के पीछे इन लोगों का हाथ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार पर देश में आए कई विदेशी राष्ट्रिक निर्धारित समय से अधिक समय तक रुके हुए पाए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, 32,644 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों और 13,569 अफगानिस्तानी राष्ट्रिकों सहित 73.441 विदेशी राष्ट्रिक देश में निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रुके हुए पाए गए थे। वर्ष 2010 के ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं। भारत में आतंकवादी हमलों की कम से कम 5 घटनाओं में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संलिप्तता की सूचना है। कानून का उल्लंघन करने और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए विदेशी राष्ट्रिकों के विरूद्ध मामलों का पंजीकरण संबंधित पुलिस स्टेशनों और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के कार्यक्षेत्र में आता है।

देश में गैर कानूनी रूप से रुके हुए विदेशी नागरिकों का पकड़ा जाना और उन्हें निर्वासित किया जाना एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी विदेशी राष्ट्रिक को निर्वासित करने का अधिकार है। देश में गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के अधिकार भी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भी दिए गए हैं।

डेयरी उद्यम पूंजी निधि परियोजना

3005. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुग्ध संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कार्यान्वित डेयरी उद्यम पूंजी निधि परियोजना में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना में डेयरी के अतिरिक्त अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को भी शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) डेयरी पूंजीगत उद्यम कोष योजना को संशोधित कर इसका नाम बदल कर 1 सितम्बर 2010 से डेयरी उद्यमशील विकास योजना कर दिया गया है। प्रबंधन विकास केन्द्र द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर तथा लाभार्थियों, क्रियान्वयन एजेंसियों और प्रमुख बैंकों इत्यादि के अनुरोध पर योजना के अंतर्गत संशोधन किए गए थे। योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं-

1. लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) के स्थान पर (परिव्यय का 50%), परियोजना के परिव्यय का 25% बैक-एंडेड पूंजीगत राजसहायता (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%) प्रदान की जाएगी।

2. आपरेशन फ्लड जिलों सहित सभी जिले वर्णसंकरित गायों/स्वदेशी प्रजातीय दुधारू गोपशु और 10 पशुओं तक ग्रेडेड भैंसों के साथ छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए पात्र होंगे।

3. सभी घटकों के लिए परिव्यय को संशोधित कर बढा दिया गया है।

4. वर्मि कम्पोस्ट, डेयरी विपणन बिक्री केन्द्र/डेयरी पार्लर और वर्ण संकरित हीफर पालन, स्वदेशी प्रजातीय दुधारू गोपशु और 20 की संख्या तक ग्रेडेड भैंसों जैसी योजना में नए घटकों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल हैं-

(1) वर्णसंकरित गाय/स्वदेशी प्रजातीय दुधारू गाय जैसे साहिवाल, रेड सिंघी, गिर, राठी इत्यादी/10 पशुओं तक ग्रेडेड भैंसों के साथ छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करना।

(2) हीफर बछड़े-वर्ण संकरित, स्वदेशी प्रजातीय दुधारू नस्ल के गोपशु और 20 बछड़ों तक ग्रेडेड भैंसों का पालन।

(3) दुधारू पशु यूनिट के साथ वर्मि कम्पोस्ट (दुधारू पशुओं/छोटे डेयरी फार्मो के साथ विचार करने के लिए अलग से नहीं)

(4) मिल्किंग मशीन/मिल्को टेस्टर/थोक दुग्ध प्रशीतन यूनिटों की खरीद (2000 लीटर क्षमता तक)

(5) स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद।

(6) डेयरी उत्पाद ढुलाई सुविधाएं और कोल्ड चेन स्थापित करना।

(7) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं।

(8) प्राइवेट पशुचिकित्सा क्लीनिक स्थापित करना।

(9) डेयरी विपणन बिक्री केन्द्र/डेयरी पार्लर।

फसल बीमा की इकाई

3006. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी हल्का संख्या को कृषि बीमा की इकाई बनाए जाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही पटवारी हल्का पर राष्ट्रीय बीमा योजना (एनएआईएस) ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है। जबकि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के मामले में मौसम केन्द्रों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार द्वारा बीमा यूनिट अधिसूचित की जाती है।

[अनुवाद]

आपराधिक विधि में संशोधन

3007. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवकों द्वारा उत्पीड़न की कार्रवाई के लिए सख्त दण्ड दिए गए जाने हेतु आपराधिक विधि मे संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो 'सरकारी सेवकों' तथा 'उत्पीड़न' की प्रस्तावित संशोधित परिभाषा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत ने उत्पनीड़न और अन्य क्रूर, अमानवीय और व्यहार दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर काफी किए जाने के बाद, 'स्टैंड एलोन' विधायन लाने का निर्णय लिया गया है ताकि अभिसमय का अनुसमर्थन किया जा सके। तद्नुसार, दिनांक 26.04.2010 को लोक सभा में उत्पीड़न निवारण विधेयक, 2010 को पुन: स्थापित किया गया था। लोक सभा द्वारा दिनांक 06.05.2010 को विधेयक पारित भी कर दिया गया था। तथापि, इस विधेयक को इसकी जांच के लिए राज्य सभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। प्रवर समिति की रिपोर्ट दिनांक 7.12.2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट दिनांक 15.02.2011 को गृह मंत्रालय में प्राप्त हुई है। विधेयक में, अन्य उपबंधों के साथ-साथ उत्पीड़न, उत्पीड़न के लिए दंड, अपराधों का संज्ञान लेने और अभियोजना चलाने के लिए पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित उपबंध निहित हैं।

खाद्य बाजार

3008. श्री पी. बलराम: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य बाजार के 2015 में 310 बिलियन डॉलर तक पंहुचने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उक्त लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल मुहैया कराने हेतु पर्याप्त अवसंरचना, वित्तीय सहायता और आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षमता दोनों का लाभ लेने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विजन 2015 दस्तावेज को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें 2015 तक शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर में 6% से 20% मूल्यवृद्धि में 20 से 35% तक वृद्धि करके प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि कारोबार-विजन, रणनीति एवं कार्ययोजना को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि कारोबार-विजन, रणनीति एवं कार्ययोजना को प्रोत्साहन देने के लिए एक एकीकृत रणनीति भी सरकार ने अनुमोदित की है।

11वीं योजना में मंत्रालय मजबूत बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजों के साथ पूर्व में पहचाने गए क्लस्टर आधार पर देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा मांग आधारित पॉल्ट्री, मांस, डेयरी, मात्स्यिकी आदि समेत कृषि वस्तुओं को मूल्यवृद्धि उपलब्ध करने के लिए मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने के लिए योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में भूमि घटक को छोड़कर परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% तक परन्तु अधिकतम 50.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

कृषि फार्म

3009. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय/राज्य कृषि फार्मों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त फार्मों में उगाए जाने वाले पादपों की किस्मों/विभिन्न कृषि उत्पादों, उन्नत बीज उत्पादों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सहित कुल फार्मों में कृषि संबंधी गतिविधियां रोक दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इन बंद पड़े फार्मों को पुनजीर्वित किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमि. के नियंत्रणाधीन कुल 6 केन्द्रीय राज्य फार्म हैं। ये सूरतगढ़ (राजस्थान), सरदारगढ़ (राजस्थान), जेतसर (राजस्थान), हिसार (हरियाणा), बहराईच (उत्तर प्रदेश) और रायचूर (कर्नाटक) में स्थित है।

(ख) इन फार्मों में खरीफ के दौरान मूंग, उड़द, धान, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के बीज का उत्पादन किया जाता है जबकि रबी के दौरान गेहूं, जौ, चना, सरसों, तोरिया, तारमीरा आदि जैसी फसलों के बीज का उत्पादन किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच में अधिकतर कृषि संबंधी कार्यकलाप अक्टूबर 2010 से रोक लिए गए हैं। तथापि इस फार्म में रबी 2009-10 के उत्पादन का प्रसंस्करण कार्य और खरीफ 2010 के दौरान फसलों के अधीन कुछ क्षेत्र बढ़ाने का कार्य फिलहाल चल रहा है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्म स्थापित करने के लिए वर्ष 1973-76 की अवधि के दौरान एसएफसीआई को 3828 हैक्टे. अल्प विकसित वन भूमि सौंप दिया था। चूंकि कृषि भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है अत: कृषि कार्य सहित गैर-वानिकी कार्यकलाप वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव प्राकृतिक वास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने केन्द्रीय राज्य फार्म बहराईच के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दायर किए हैं और फार्म के कार्यकलापों को अवैधानिक मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। फार्म के पट्टा विलेख को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फार्म को ठीक ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है और इसके पास बहुत बड़ी संचित हानि है। परिणामस्वरूप अक्तूबर 2010 में फार्म को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

अलगाववादी गतिविधियां

3010. श्री रमेश बैस: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर राज्य में कतिपय शिक्षण संस्थाओं में अलगाववादी गतिविधियों की जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) शिक्षण संस्थाओं में अलगाववादी गतिविधियों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु अलगाववादियों द्वारा समय-समय पर चलाए गए कार्यक्रमों में शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के भाग लेने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई नगरीय परिवहन परियोजना

3011. श्री मिलिंद देवरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई नगरीय परिवहन परियोजना के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए ब्यौरों के अनुसार, मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चारण-I के रेल घटक की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2003-04 में दी गयी थी। इस परियोजना के वर्ष 2011-12 में पूरा होने की आशा है। मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना के चरण-II वर्ष 2008-09 में दी गयी है। इसका आरंभ हो चुका है और इसे मार्च 2015 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-I को मूलत: जून, 2008 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। तथापि, मुम्बई शहरी परिवहन चरण-I के अवस्थापन कार्य में रेलवे भूमि के अतिक्रमण और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास ओर पुर्नस्थापना कार्य के कारण विलंब का दूसरा कारण कार्य इलैक्ट्रीकल मल्टीपल (ईएमयू) के रैंकों की खरीद प्रक्रिया था। मूल प्रस्ताव के अनुसार, इलैक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट ट्रेनों की खरीद अन्तर्राष्ट्रीय बोली के जरिए की जानी थी। ईएमयू कारों की आपूर्ति हेतु बाम्बारडियर कारपोरेशन की केवल एक बोली प्राप्त हुई थी और बाम्बारडियर द्वारा उल्लिखित दरें काफी ज्यादा पाई गई और निर्णय लिया गया कि उक्त बोली को रद्द किया जाए और भारतीय रेल के इन्ट्रेगल कोच फैक्ट्री में ईएमयू कारों का निर्माण किया।

महाराष्ट्र में स्मारक

3012. श्री हरिशचंद्र चव्हाण: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नासिक शहर में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यूनेस्कों के 'विश्व विरासत स्थलों' में नासिक के विभिन्न स्मारकों को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। नासिक जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ग्यारह संरक्षित स्मारक हैं ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन स्मारकों पर संरक्षण कार्य मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित रूप से किया जाता है और ये भली-भांति परिरक्षित हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

नासिक जिले में स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान
1	2	3
1.	हिंदू मंदिर	अम्बेगांव
2.	पुराना मंदिर	अंजनेरी
3.	गुफाएं	अंकई

1	2	3
4.	हिंदू मंदिर	देवथान
5.	पुरानी मटिची	गढ़ी नासिक
6.	पांडव लेना गुफाएं	पथार्डी
7.	एश्वर का मंदिर	सिन्नार
8.	गोंडेश्वर महादेव का मंदिर	सिन्नार
9.	त्रिम्बकेश्वर का मंदिर	त्रिम्बक
10.	जैन गुफाएं	त्रिगंलवाडी
11.	महादेव का हेमदपंथी मंदिर	जोदगा

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में शांति क्षेत्र

***3013. श्री राकेश सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होटलों को दिशा-निर्देश

***3014. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी होटलों एवं पर्यटन स्थलों को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निदेश दिया गया है। जिससे औरतों एवं बच्चों के खिलाफ यौन संबंधी अपराधों का समय पर पता चल सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों को विस्तृत सलाहें भेजी है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन पुलिस तैनात करने की सलाह दी है। पर्यटन मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानपूर्ण पर्यटन' के लिए आचार-संहिता भी अपनाई है, जो स्टेकहोल्डरों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने वाले मार्गनिर्देशों का एक सेट है; जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों की और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की मान-मर्यादा सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे बुनियादी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। 'सुरक्षित एवं सम्मानपूर्ण पर्यटन' के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए दिनांक 27 सितम्बर, 2010 को स्टेकहोल्डरों ने औपचारिक रूप से एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सरकारी मशीनरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सक्रिया सहभागिता के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने की सलाह दी है और उनसे जागरूकता पैदा करने वाले तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया है।

नगरों का विकास

3015. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शहरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नगरों के विकास के लिए धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो परिवहन, स्वच्छता, पीने के पानी, इत्यादि क्षेत्रों के विकास के लिए देश के विभिन्न शहरों और कस्बों विशेष रूप से हैदराबाद को पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी निधि प्रदान की गई;

(ग) क्या विभिन्न नगरों की विशाल जनसंख्या और वाणिज्यकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार हैदराबाद सहित विभिन्न नगरों/कस्बों के लिए और निधियों की व्यवस्था करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या रणनीत बनाई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान देश के शहरों और नगरों को मुहैया कराई गई धनराशियों का ब्यौरा इस प्रकार है;

(i) **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के घटक, शहरी अवस्थापना एचं शासन (यूआईजी) और छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी):** यूआईजी के तहत 65 शहर सहायता के लिए पात्र हैं, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान यूआईजी के अंतर्गत क्रमश 1250.1098 करोड़ रुपए, 2385. 4328 करोड़ रुपए और 2480.6132 करोड़ रुपए जारी किए गए है। हैदराबाद के लिए वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमश: 268.765 करोड़ रुपए, 15.7693 करोड़ रुपए तथा 12.6239 करोड़ रुपए जारी किए गए।

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत सभी गैर यूआईजी शहर तथा कस्बे सहायता के लिए पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत क्रमश: 1144.95 करोड़ रुपए, 3218.68 करोड़ रुपए और 280.27 करोड़ रुपए जारी किए गए।

(ii) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बसों की खरीद जेएनएन यूआरएम के अंनर्गत शहरी परिवहन हेतु बसों की खरीद संबंधी स्कीम वर्तमान में हैदराबाद सहित 63 मिशन शहरों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010 के दौरान क्रमश: 1015.64 करोड़ रुपए, 17.90 करोड़ रुपए और 53.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। हैदराबाद के लिए 2008-09 में 1000 बसों की खरीद के लिए 49.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) स्कीमों के अंतर्गत अगरतला (त्रिपुरा), आइजॉल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्कम), कोहिमा (नागालैंड) और शिलांग (मेघालय) के लिए 2008-09 में 0.90 करोड़ रुपए और 2009-10 में 21.90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह स्कीम हैदराबाद के लिए लागू नहीं है।

(iv) सूचना प्रणाली सुधार योजनाओं (आईएसआईजी) की स्कीम में क्षमता विकास स्कीमों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वीकृति कुल राशि 53.67 करोड़ रु. है जिसमें से 2009-10 के दौरान 16.10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। हैदराबाद के लिए स्वीकृति राशि 6.93 करोड़ रु. हैं और 2009-10 के दौरान 2.08 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

(v) राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति के अंतर्गत 8 राज्यों की शहरी सफाई योजनाओं के विकास के प्रस्ताव के अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 13.3771 करोड़ रु. थी और 2009-10 के दौरान 4.5932 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई थी। हैदराबाद शहर इस स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हाँ, भारतीय शहरों की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत की जनगणना ने यह अनुमान लगाया है कि 2026 तक शहरी आबादी 2001 में 285.35 मिलियन (कुल आबादी का 27.8%) से बढ़कर लगभग 535 मिलियन अथवा कुल आबादी का 35.2% हो जाएगी। बढ़ती आबादी से शहरी बुनियादी सेवाओं और अवसंरचना पर काफी दबाव पड़ता है। तथापि, सरकार द्वारा परस्पर विभिन्न क्षेत्रों में खर्च का निर्णय सरकार द्वारा सामूहिक जिम्मेदारी और प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है।

कलाकारों के लिए पेंशन योजना

3016. श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री बद्री राम जाखड़:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलाकारों के लिए कोई पेंशन योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष मे विभिन्न राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान को आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित कलाकारों की महाराष्ट्र एवं राजस्थान सहित राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कलाकारों की पेंशन राशि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस राशि को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां, इस स्कीम का नाम "साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों और उनके आश्रितों, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं, को वित्तीय सहायता की स्कीम" है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए किया गया निधियों का कुल आबंटन निम्नलिलिखत है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	योजनागत	गैर योजनागत
2007-08	3.20	1.55
2008-09	3.45	1.46
2009-10	6.80	1.89
2010-11	10.72	2.20

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित कलाकारों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गत वित वर्ष (2009-10) में मासिक मानदेय को 2000/-रुपए बढ़ाकर 4000/-रुपए कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	300
2.	असम और मणिपुर	176
3.	बिहार	46
4.	दिल्ली	50
5.	गोवा और गुजरात	26
6.	हरियाणा	29
7.	हिमाचल प्रदेश	7
8.	जम्मू और कश्मीर	1
9.	झारखंड	9
10.	कर्नाटक	492
11.	केरल	210
12.	मध्य प्रदेश	34
13.	महाराष्ट्र	694
14.	मेघालय	2
15.	मिजोरम	8
16.	नागालैंड	1
17.	उड़ीसा	263
18.	पुडुचेरी	12
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	9
21.	तमिलनाडु	142
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	284
24.	पश्चिम बंगाल	75
	कुल	2872

[हिन्दी]

सूखे एवं बाढ़ के लिए बीजों पर राजसहायता

3017. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को बीजों पर राजसहायता, ऋण पर ब्याज माफी एवं अन्य सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के विचाराधीन बीजों पर राजसहायता और फार्म ऋण पर ब्याज माफी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार अधिसूचित प्राकृतिक आपदा जिसमें सूखा और बाढ़ भी शामिल हैं के लिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सहायता प्रदान करता है। अनुमोदित सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान (3.3.2011 तक) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एजीआरएफ) से निधियों का आबंटन और निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आबंटन			एसडीआरएफ से निर्मुक्ति		एनडीआरएफ से निर्मुक्ति
		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	381.63	127.21	508.84	190.815	190.815+ 100*	582.11 (74.78+ 300** +207.33)
2.	अरूणाचल प्रदेश	33.07	3.67	36.74	16.535	16.535	-
3.	असम	237.39	26.38	263.77	118.695	118.695	-
4.	बिहार	250.87	83.62	344.49	125.44	125.44	368.01
5.	छत्तीसगढ़	113.49	37.83	151.32	56.745	-	-
6.	गोवा	2.22	0.74	2.96	1.11	-	-
7.	गुजरात	376.59	125.53	502.12	188.30	188.30	-
8.	हरियाणा	144.68	48.22	192.90	72.34	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	117.68	13.08	130.76	58.84	58.84	149.95
10.	जम्मू और कश्मीर	155.21	17.25	172.46	77.605	-	-
11.	झारखण्ड	194.59	64.86	259.46	97.295	97.295	-
12.	कर्नाटक	120.72	40.24	160.96	60.360	60.36	-
13.	केरल	98.31	32.77	131.08	49.155	49.155	12.78

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	294.56	98.19	392.75	147.280	147.28+ 77.3225*	–
15.	महाराष्ट्र	332.02	110.67	442.69	166.010	166.01+ 33.99*	127.06
16.	मणिपुर	6.50	0.72	7.22	3.250	–	–
17.	मेघालय	13.19	1.46	14.65	6.595	–	–
18.	मिजोरम	7.70	0.85	8.55	3.850	–	4.566
19.	नागालैण्ड	4.47	0.50	4.97	2.235	–	–
20.	उड़ीसा	293.69	97.89	391.58	146.845	·146.845	–
21.	पंजाब	167.19	55.73	222.92	83.595	–	–
22.	राजस्थान	450.50	150.16	600.66	225.250	–	–
23.	सिक्किम	20.48	2.27	22.75	10.240	–	
24.	तमिलनाडु	220.14	73.38	293.52	110.070	110.07	317.14
25.	त्रिपुरा	17.38	1.93	19.31	8.690	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	289.04	96.35	385.39	144.520	144.52	554.26
27.	उत्तराखण्ड	105.89	11.17	117.66	52.945	52.945	517.66
28.	पश्चिम बंगाल	228.62	76.21	304.83	114.310	114.310	704.85
	कुल	4677.82	1399.48	6077.30	2338.910	1998.72	3338.42

**बाढ़-10 के लिए "खातों पर" आधारित निर्मुक्ति।

*वर्ष 2010-11 के दौरान वर्ष 2011-12 के लिए एसडीआरएफ का अंश अग्रिम में निर्मुक्ति।

[अनुवाद]

युवकों के लिए नवोन्मुखी पाठ्यक्रम

3018. श्री के. सुधाकरण: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और राजीव गांधी डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, पैराम्बतूर की भागीदारी से समाज सेवा, युवा विकास, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय अखंडता और समावेशी समाज नीति क्षेत्र में युवकों के लिए नवोन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरु किया है/प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए वत्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): *(क) से (घ) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) को 23 अक्टूबर, 2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समकक्ष विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने के आधार पर संस्थान ने युवा विकास से संबंधित पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरु किए हैं। ये कार्यक्रम हैं:

(i) एम. ए. कार्पोरेट समाज शास्त्र

(ii) एम. ए. युवा संसाधन प्रबंध

(iii) एम. ए. विकास प्रबंध

(iv) एम. ए. समाज कार्य एवं समाज नीति

(v) एम. ए. नीति अनुसंधान एवं मूल्यांकन

इन कार्यक्रमों के अलावा, संस्थान युवाओं और किशोरों के विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान भी करता है।

सरकार, युवाओं से संबंधित इन कार्यक्रमों के लिए आरजीएन आईवाईडी को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

शहरी क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां

3019. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि नक्सली मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता, कोची, तिरुवनंतपुरम और लखनऊ सहित विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में नक्सल घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) सी पी आई (माओवादी) के जब्त दस्तावेजों के अनुसार, उनकी, अन्य बातों के साथ-साथ, एक 'शहरी योजना' है जिसमें देश के शहरी क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और औद्योगिक कर्मियो के माध्यम से अपना आधार स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है।

(ग) चूँकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, अत: कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है, जिन राज्यों में नक्सली गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से स्वयं निपटती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती है और सुरक्षा एवं विकास दोनों क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है।

[हिन्दी]

सीडब्ल्यूजी आवासों का दुरुपयोग

3020. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी) के प्रतिभागियों को सरकार द्वारा आवास सुविधा प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिभागियों की बजाय अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त आवासों पर कब्जा किए जाने की शिकायतें/रिपोर्ट मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) आयोजन समिति राष्ट्रमंडल खेल, 2010 ने खेल गांव, अशोक/सम्राट होटल, डीडीए फ्लैट बसंत कुंज में एथलीटों, टीम पदाधिकारियों, सीजीएफ पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों, राष्ट्रीय तकनीकी पदाधिकारियों, डोपिंग रोधी पदाधिकारियों आदि को आवासीय सुविधाएं प्रदान की।

---

*दिनांक 15.3.2011 के वाद-विवाद में अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के भाग (क) से (घ) के उत्तर को बाद में 23.8.2011 को सभा में दिए एक शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से शुद्ध किया गया। तदनुसार, उत्तर को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है।

प्रश्न का भाग	के स्थान पर	पढ़िए
भाग (क) से (घ)	ये कार्यक्रम निम्नलिखित है:	राजीव गांधी युवा विकास संस्थान के वर्तमान पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का ढांचा तैयार किया है:

(ख) आयोजन समिति ने सूचित किया है कि अनधिकृत व्यक्तियों को आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि नीति

3021. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अड्सुल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में उच्च विकास प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति, 2007 में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसानों और विभिन्न पक्षों में सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने सरकार से किसान हितैषी नीति बनाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (च) राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक श्रेणी के विचार के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय किसान नीति विचार-विमर्श एक गतिशील दस्तावेज है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय संशोधित किया जाता है। नीति के प्रावधानों को विभिन्न कार्यक्रमों और सरकारी स्कीमों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में अधिक बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करना है।

ढुलाई के दौरान होने वाला नुकसान

3022. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता तक पहुंचने के पहले ही मार्ग में खराब हो जाने वाले खाद्यान्नों, दालों एवं सब्जियों आदि का प्रतिशत क्या है;

(ख) बीजों, कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग तथा शीतगारों के अभाव के कारण खाद्यान्नों, दालों और सब्जियों की अलग-अलग प्रतिशत हानि क्या है; और

(ग) एसी हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) खाद्यान्नों, दलहन और सब्जी आदि जो ग्राहकों तक पहुंचने से पहले ही परिवहन में नष्ट हो जाती हैं और खरपतवार के कारण खाद्यान्नों, दलहन और सब्जियों के प्रतिशतता में हानि, भी कृमिनाशियों का अनियमित उपयोग और शीतागारों की कमी आदि की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट का अनियमित उपयोग और शीतागारों की कमी आदि की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2005 से 2007 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "भारत में प्रमुख कृषि उत्पादों की मात्रात्मक कटाई और कटाई पश्चात नुकसान के अनुमान" पर अध्ययन के अनुसार किया गया। परिवहन के कारण और गोदामों/भण्डारणों/शीत भण्डारों श्रेणी के कारण कटाई पश्चात नुकसान चिह्नित अनाजों के लिए प्रतिशतता क्रमशः 0.1-0.2 से और 0.2-0.6 दलहनों के लिए 0.1-0.2 प्रतिशत और चुने गए सब्जी में 0.3-2.2 प्रतिशत है।

(ग) सरकार ने कृमि प्रबंधन दृष्टिकोण से सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के अधीन समेकित कृमि प्रबंधन को सरल बनया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बृहत कृषि प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से पौध संरक्षण हस्तक्षेपों और शीत भंडारों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

बी.एस.एफ. को विद्युत आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति

3023. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब सीमा पर बी.एस.एफ. को की गई विद्युत आपूर्ति का खर्च वहन करने के लिए पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव/निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निवेदन पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पंजाब में भारत-पाक सीमा पर बी.एस.एफ. को 24 घंटे लगातार की जा रही विद्युत आपूर्ति के लिए पंजाब सरकार को क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) संघ सरकार को पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पंजाब सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) को उपलब्ध कराई जा रही बिजली के लिए पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था और सीमा जांच चौकियों के बिजली बिलों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

आतंकवाद पर अध्ययन

***3024. श्री जनार्दन स्वामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आतंकवाद के बढ़ने एवं उसकी व्याप्तता के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) ऐसा कोई सामान्य (जनेरिका) अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार निरंतर आधार पर आंतकवादी घटनाओं, प्रवृत्तियों, ग्रुपों और व्यक्तियों का मूल्यांकन और आकलन करती है ताकि इस खतरे का पूर्वानुमान लगाया जा सके और प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा सके। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार की लगातार यह स्थिति बनी हुई है कि भारत "आतंकवाद के मूल कारणों" की परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है और कि कोई संताप या उद्देश्य, आतंकवाद के किसी कृत्य को क्षमा या न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।

(ग) आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चेन्नई, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हब स्थापित करना, सख्त आप्रवासन नियंत्रण, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों में क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ बनाया गया है और पुनगर्ठित किया गया है ताकि अन्य आसूचना एंजेंसियों के साथ आसूचना का सही समय पर मिलान और साझा करने के लिए 24 × 7 आधार पर कार्य किया जा सके। स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सुरक्षा आसूचना जानकारी भी साझा की जाती है जो राज्यों और केन्द्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के बीच निकट समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान तथा सूचना का बेरोकटोक प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी माड्यूल नष्ट किए गए और कई संभावित आतंकवादी हमले निष्फल किए गए।

[हिन्दी]

विज्ञान शहर

3025. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेष रूप से केरल में और विज्ञान शहर स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर शहर-वार कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) ऐसे विज्ञान शहर स्थापित करने के लिए अर्हता मानदंड का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम), जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विज्ञान केंद्र (विज्ञान शहरों सहित) स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। केरल राज्य में विज्ञान शहर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार एक विज्ञान शहर की स्थापना करने पर 50 करोड़ रूपए का व्यय किया जाता है। अनुमोदित मानदण्डों की अन्य मुख्य विशेषताएं। निम्नलिखित हैं:-

1. विज्ञान शहर का स्थल, राज्य की राजधानी या राज्य के किसी ऐसे महत्वपूर्ण शहर में हो जहां। उसके आस-पास के इलाके सहित 50 लाख से कम आबादी न हो।

2. किसी विज्ञान शहर के स्थल का निर्णय लेते समय मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाए कि उसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम 10 लाख दर्शक आएं।

3. नए विज्ञान शहर अधिमानत: केवल ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, जहां कोई बड़ा विज्ञान केंद्र न हो।

शॉर्ट वेव प्रसारण केन्द्र

3026. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शॉर्ट वेव प्रसारण केंद्रों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में स्थापित किए गए ऐसे केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दस वर्षों से ज्यादा पुराने ऐसे केन्द्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उनकी प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, जो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय देश में आकाशवाणी के 28 लघु तरंग (शॉ.वे.) प्रसारण केंद्र कार्यशील हैं। गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कोई नए शॉ.वे.केंद्र/स्टेशन स्थापित नहीं किए गए हैं। मौजूदा आकाशवाणी शॉ.वे.केद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आकाशवाणी के सभी 28 शॉ.वे. केंद्र 10 वर्षों से अधिक पुराने हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। 11वीं योजना के अंतर्गत नई स्कीम में दिल्ली में 100 कि.वा.शॉ.वे. ट्रांसमीटर (संख्या 2), अलीगढ़ में 250 कि.वा.शॉ.वे. ट्रांसमीटर (संख्या 2) और बंगलौर में 500 कि.वा. शॉ.वे. ट्रांसमीटर (संख्या 1) नए डिजिटल (डीआरएम) ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्तमान शार्ट वेव आकाशवाणी केंद्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य	शार्ट वेव ट्रांसमीटर की संख्या	प्रेषित प्रकार/ क्षमता शार्ट वेव	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1	50 किवा	
2.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	1	50 किवा	
3.	गुवाहाटी	असम	2	50 किवा	यह एक पुराना ट्रांसमीटर है जिसे किंग्सवे कैम्प, दिल्ली से स्थानान्तरित किया गया है।
				50 किवा	
4.	दिल्ली	दिल्ली	15	50 किवा (6)	
				100 किवा (2)	
				250 किवा (7)	

1	2	3	4	5	6
5.	पणजी	गोवा	2	250 किवा	
				250 किवा	
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1	50 किवा	
7.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	1	50 किवा	
8.	लेह	जम्मू और कश्मीर	1	10 किवा	
9.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	1	50 किवा	
10.	रांची	झारखंड	1	50 किवा	
11.	बंगलौर	कर्नाटक	6	500 किवा(6)	
12.	त्रिवन्थपुरम्	केरल	1	50 किवा	
13.	भोपाल	मध्य प्रदेश	1	50 किवा	
14.	मुम्बई	महाराष्ट्र	2	100 किवा	
				50 किवा	
15.	इम्फाल	मणीपुर	1	50 किवा	
16.	शिलांग	मेघालय	1	50 किवा	
17.	आइजोल	मिजोरम	1	10 किवा	
18.	कोहिमा	नागालैंड	1	50 किवा	
19.	जैपोर	उड़ीसा	1	50 किवा	
20.	जयपुर	राजस्थान	1	50 किवा	
21.	गंगटोक	सिक्किम	1	10 किवा	
22.	चेन्नई	तमिलनाडु	2	50 किवा	
				100 किवा	
23.	पोर्टब्लेयर	संघ शासित क्षेत्र (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)	1	10 किवा	
24.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	4	250 किवा (4)	
25.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	1	50 किवा	
26.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1	50 किवा	
27.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1	50 किवा	
28.	करसियांग	पश्चिम बंगाल	1	50 किवा	
	कुल ट्रांसमीटर		54		

[अनुवाद]

कर्नाटक में विज्ञान केन्द्र

3027. **श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हावेरी एवं टुनकुर में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) इस की अद्यतन स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एमसीएसएससम) को दो उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, हवेरी और तुमकुर में एक-एक केंद्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वर्तमान में, कर्नाटक राज्य में दो विज्ञान, केन्द्र, एक बंगलौर में (राष्ट्रीय स्तर का) और दूसरा गुलबर्गा में (जिला स्तर का) कार्यरत हैं। अन्य दो बड़े विज्ञान केंद्र (धारवाड़ और पिलिकुला) पूर्णता के अग्रिम चरण में है जिन्हें 2011 के अंत तक खोला जाना निर्धारित है। एनसीएसएम कर्नाटक में तब तक किसी अतिरिक्त परियोजना को प्राराम्भ करने की स्थिति में नहीं है जब तक कि चल रही परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो जाती। इसके अलावा किसी अतिरिक्त परियोजना को शुरु करने से सम्पूर्ण देश में विज्ञान केंद्रों की कुल मांग प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

*3028. **श्री मदन लाल वर्मा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंरिक बाधाओ आतंकवाद और नक्सल गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी.पी.एफ.) की तैनाती की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तैनात किए गए जवनों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या आंतकवाद और नक्सलवाद सहित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे विभिन्न राज्यों में सी.पी.एफ. की तैनाती में असंतुलन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) ऐसे असंतुलन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त भर्ती अभियान कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें प्राथमिक तौर पर आंतरिक अशान्तियों, आंतकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, राज्य सरकारों को अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल (सीपीएफ) उपलब्ध कराये जाते हैं।

आतंकवाद और नक्सलवाद सहित सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे विभिन्न राज्यों में इन बलों की तैनाती राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं/जरुरतों, स्थिति की संवेदनशीलता, समग्र सुरक्षा परिदृश्य और सी.पी.एफ की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में सी.पी.एफ. की तैनाती की गई है। किसी राज्य में सी.पी.एफ. की तैनाती का स्तर परिवर्तनशील है और किसी विशेष समयावधि में सुरक्षा की सुधरती हुई स्थिति के आधार पर उसमें फेर-बदल होता रहता है। सी.पी.एम.एफ. की तैनाती के स्तर को लोक-हित में प्रकट नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में कार्मिकों की भर्ती एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बलों में हुई कमी को पूरा करने और नए विस्तार के लिए देश/राज्यों के विभिन्न भागों में स्थिति संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बल भर्ती बोर्डों की सहायता से इनकी भर्ती की जाती है।

मीडिया के लिए राष्ट्रीय परिषद्

3029. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही खबरों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय परिषद्/समिति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिषद्/समिति में प्रस्तावित सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), 1995 और तहत् बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रमों और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए गृह, रक्षा, विदेश, विधि, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) से सदस्यों को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का गठन पहले ही कर दिया है। आईएमसी की नियमित रूप से बैठकें होती हैं जिनमें कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं। समाचार और समसामयिक चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक औद्योगिक निकाय, समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) ने भी समाचार चैनलों द्वारा किए जाने वाले उल्लघंनों की विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए समाचार प्रसारण मानक निदान प्राधिकरण नामक एक निकाय के जरिए एक स्व-विनियामक तंत्र स्थापित किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पशु संख्या

3030. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में उच्च पशु संख्या वाला देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अधिशेष दुग्ध उत्पादन वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या भारी मात्रा में दुग्ध की उपलब्धता के कारण इन राज्यों में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) पशुधन संख्या के संबंध में वर्ष 2008 के लिए खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पशुधन संख्या वाला देश है।

(ग) 31 मार्च, 2010 के अनुसार डेयरी संयंत्रों की संख्या और उनकी प्रसंस्करण क्षमता के संबंध में तथा प्रमुख दुग्ध उत्पाद राज्यों के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान दुग्ध उत्पादन का अनुमान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग डेयरी क्षेत्र के संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(1) **केन्द्रीय प्रायोजित योजना**-"सघन डेयरी विकास कार्यक्रम" को गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में तथा उन जिलों में भी क्रियान्वित किया जाता है। जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत डेयरी विकास के लिए 50.00 लाख रुपए से भी कम मिले थे। इस योजना के तहत गोपशु शामिल करने संबंधी घटक को छोड़कर, जिसके लिए नाबार्ड के मानकों के अनुसार गोपशु की 50% लागत अनुदान के रूप में दी जाती है, सभी घटकों के लिए 100% अनुदान सहायता दी जाती है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: दुधारू गोपशुओं का विकास, तकनीकी आदान सेवाएं उपलब्ध करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्यों का सुनिश्चय करना।

(2) **केन्द्रीय प्रायोजित योजना**-"गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधा का सुदृढ़ीकरण" को निम्नलिखित घटकों के लिए 100% अनुदान सहायता आधार पर क्रियान्वत किया जाता है: (क) किसान सदस्यों का प्रशिक्षण, (ख) डिटर्जेंट्स, स्टेनलैस स्टील के बर्त्तन, अपमिश्रण परीक्षण किट् अवसंक्रमित आदि की स्पलाई, (ग) मौजूदा प्रयोगशाला सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण । यह योजना भारत सरकार और संबंधित डेयरी सहकारिता सोसाइटी/संघ के बीच 75:25 के अनुपात में बल्क दुग्ध कूलरों के रूप में ग्रामीण स्तर पर दुग्ध प्रशीतन सुविधाओं की स्थापना के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराती है।

(3) **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना**-डेयरी उद्यमशील विकास: "उद्यम पूंजीगत कोष डेयरी/कुक्कुट क्षेत्र" नामक योजना को 2004-05 में शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण स्तर पर दूध के प्रसंस्करण, लागत प्रभावी तरीके से दूध के विपणन, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके गुणवत्ता उन्नयन जैसे उपायों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में ढांचात्मक परिवर्तन किए जा सकें। सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट केरल द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की सिफरिशों और क्रियान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों तथा बैंकों के अनुरोध को देखते हुए डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष नामक योजना को 1 सितम्बर, 2010 से संशोधित किया गया है। इस योजना का नाम बदलकर "डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना" किया गया है। योजना में किए गए अन्य प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(i) ब्याजमुक्त ऋण की बजाय, योजना के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25% बैंक एंडेड पूंजी राजसहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए योजना के तहत पूंजी राजसहायता की दर 33.33% की होगी।

(iii) ऑपरेशन फ्लड जिलों सहित सभी जिले 10 पशुओं (वर्ण संकर गाय, मान्यता प्राप्त स्वदेशी दुधारू नस्लें जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और ग्रेडिड भैंस) की छोटी डेयरी यूनिट की स्थापना के लिए पात्र होंगे।

(iv) मौजूदा घटकों के लिए वित्तीय सीमा में संशोधसन किया गया है और वर्मी कम्पोस्ट, डेयरी विपणन बिक्री केन्द्र/डेयरी पार्लन तथा वर्ण संकर बछड़ियां, स्वदेशी गोपशु बछड़े और 20 संख्या तक ग्रेडिड भैंस बछड़ा पालन जैसे नए घटकों के लिए सहायता दी जाएगी।

विवरण

दुग्ध और दुग्ध उत्पादन आदेश, 1992 के तहत पंजीकृत डेयरी संयंत्रों की संख्या और 31 मार्च, 2010[1] तक उनकी प्रसंस्करण क्षमता और प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में 2009-10 के दौरान दुग्ध उत्पादन का अनुमान

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	डेयरी संयंत्र*		दुग्ध उत्पादन (हजार टन)
		संख्या	क्षमता (हजार लीटर प्रतिदिन)	
1.	उत्तर प्रदेश	182	19792	20203
2.	आंध्र प्रदेश	34	6872	10429
3.	राजस्थान	36	3826	9548
4.	पंजाब	58	5658	9389
5.	गुजरात	31	11015	8844
6.	महाराष्ट्र	297	22285	7679
7.	मध्य प्रदेश	39	4906	7167
8.	बिहार	11	785	6124
9.	हरियाणा	31	2447	6006
10.	तमिलनाडु	33	8042	5778
11.	कर्नाटक	25	4238	4822

*संयंत्र सहकारिता, निजी और सरकार के अधीन

नोट: इस विवरण में उन डेयरी यूनिटों का ब्यौरा शामिल नहीं है जिन्हें ट्रेडिंग/विपणन प्रयोजन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया था।

स्रोत: 1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

2. राज्य/संघ शासित प्रदेश पशुपालन विभाग

भारतीय कला और संस्कृति संस्थान

3031. श्री राम सिंह राठवा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में असंरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों तथा स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए एक भारतीय कला और संस्कृति संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश की संस्कृति विरासत के बारे में स्कूली और कालेज छात्रों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए क्ल्चर हैरिटेज यंग लीडरशिप कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। केंद्र सरकार ने विरासत स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन; विरासत स्थलों के वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के विकास के लिए और उनके द्वारा परिरक्षण और प्रस्तुतीकरण के लिए पेश किए पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित मानकों; विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने; विरासत स्थलों की पहचान और श्रेणीकरण के लिए अध्ययन और अनुसंधान करने; विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के साथ अतिसूक्ष्म सांस्कृतिक प्रणालियों के संरक्षण और समाकलन के लिए उचित उपायों और तरीकों की पहचान करने और केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी सिफारिश करने; अध्ययन और अनुसंधान के परिणाम के आधार पर तैयार किए गए विरासत नक्शों को आवधिक रूप से प्रकाशित करने; संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व वरासत सूची में नामांकन के लिए विरासत स्थलों की सूची बनाने; केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इसे भेजे गए विरासत से संबंधित किसी मामले पर केंद्र सरकार को आवधिक रिपोर्टें भेजने और विरासत स्थलों के विवरण वाले विरासत स्थल रोस्टर का रखरखाव करने के संबंध में अल्प और दीर्घकालीन नीतियों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग के गठन के लिए एक विधेयक पेश किया है।

(ग) और (घ) ऐसे किसी संस्थान के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विचाराधीन ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नियमित आधार पर सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। स्मारकों पर आवाधिक रूप से विशेष व्याख्यान, आरेखण और चित्रकला प्रतियोगिता, भ्रमण दौरे, विरासत पद यात्रा और विभिन्न प्रकार के रूचिकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी निधियां

3032. श्री नारन भाई कछाडिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के अंतर्गत निधियों के अनुदान हेतु विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों से अनुमति के लिए आवेदन करने वाले और साथ ही अनुमति प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं:

(ख) क्या विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों के कार्यकर्ता राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध पाए गए हैं: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतू पूर्वानुमति के लिए आवेदन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पूर्वानुमति प्रदत्त गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची मंत्रालय क वेबसाइट http://www.mha.nic.in/fcra.htm पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) विदेशी स्त्रोत से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु पूर्वानुमति के लिए आवेदन करने वाले संगठनों के लिए दाता एजेन्सी से एक प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें प्राप्त किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की धनराशि तथा उस प्रयोजन का वर्णन किया गया है जिसके लिए उक्त राशि का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी अनुमति प्राप्तकर्त्ता संगठनों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन कराए जाने के बाद ही दी जाती है। यदि प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तावित विदेशी अभिदाय की धनराशि प्रारंभिक सीमा से अधिक है तो दाता एजेन्सी के पूर्ववृत्तों का भी एक विस्तृत

सत्यापन कराया जाता है। यदि विधिवत् सत्यापन के बाद किसी विशेष दाता एजेन्सी के खिलाफ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं जिसमें उसके राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने अथवा इसके वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों के भारत-विरोधी प्रचार/विदेश में क्रियाकलापों में संलिप्त होने की बात कही गयी हो तो ऐसी दाता एजेन्सियों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने संबंधी पूर्वानुमति को अस्वीकार कर दिया जाता है।

विवरण I

दिनांक 1.1.2008 से 28.2.2011 तक पूर्वानुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राज्य का नाम	कुल
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
आंध्र प्रदेश	335
अरूणाचल प्रदेश	3
असम	13
बिहार	51
चंडीगढ़	7
छत्तीसगढ़	4
दादरा और नगर हवेली	0
दमन और दीव	1
दिल्ली	538
गोवा	9
गुजरात	155
हरियाणा	41
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू और कश्मीर	38
झारखंड	33
कर्नाटक	305
केरल	50
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	51
महाराष्ट्र	388
मणिपुर	13
मेघालय	2
मिजोरम	15
नागालैंड	6
उड़ीसा	71
पुडुचेरी	27
पंजाब	47
राजस्थान	66
सिक्किम	5
तमिलनाडु	420
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	133
उत्तराखंड	37
पश्चिम बंगाल	249
कुल	3131

[अनुवाद]

विशेष प्रकोष्ठों का सृजन

***3033. श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शत्रु देशों के दुष्प्रभारों/अभियानों से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाकर विभिन्न आसूचना एजेंसियों को मजबूत बनाने की कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) शत्रु देशों द्वारा देश के विरूद्ध लक्षित कुप्रचार से किस तरह से निपटा जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) भारत सरकार, विदेशों में स्थिति अपने मिशनों के माध्यम से यह सुनिश्चत करती है कि भारत में विकासों से संबंधित सही तथ्य और सूचना, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों को उपलब्ध करवाई जाएं क्योंकि यह महसूस किया गया है कि सही और निश्चित सूचना प्रदान कर, दुष्प्रचार का मुकाबला करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

बम विस्फोट के पीड़ितों को मुआवजा

***3034. श्री महेन्द्र कुमार राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट के पीड़तों को अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 18.02.2007 को हुए समझौता एक्सप्रेस विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कुल 136.70 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।

मछुआरों को केरोसीन राजसहायता

3035. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों द्वारा प्रयोग में लायी जाने की वाली मछली पकड़ने की नौकाओं के लिए केरोसीन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से मछुआरों को राजसहायता प्राप्त दर पर अलग केरोसीन कोटा स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक मूजर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (घ) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच करवाई गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस मंत्रालय एसकेओ नियंत्रण आदेश 1993 के तहत प्रदत्त प्रावधानों के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केवल भोजन पकाने और दीप जलाने के प्रायोजन के लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत तिमाही आधार पर सुपीरियर केरोसिन ऑयल आबंटित करता है। तथापि, संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रों के भीतर आबंटित पीडीएस एसकेओं का आगे वितरण राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जिम्मेवारी है। केरोसिन नियंत्रण आदेश 1993 की धारा 3(1) के तहत राज्य सरकार विशिष्ट आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को केरोसिन का प्रयोग गत्स्यन प्रयोजनों सहित कुकिंग और दीप जलाने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग की अनुमति दे सकती है। सरकार के पास पीडीएस के माध्यय से मछुआरों को राजसहायता प्राप्त दर पर अलग केरोसिन कोटा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के मानदण्डों में संशोधन

3036. श्री अर्जुन मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्चिक प्रवृत्ति की तर्ज पर प्राकृतिक आपदा/भयानक प्रतिकूल मौसम दशाओं द्वारा हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता के मानदण्डों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी सहायता के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त निधियों के अंतर्गत समुद्री कटाव, शीत लहर/लू/पाला और आसमानी बिजली को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किये जाने हेतु सुझाव प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार द्वारा क्रमिक वित्त आयोगों के अधिनिर्णय को स्वीकार करने के पश्चात् आपदा राहत निधि (सीआरएफ) अब एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ)/ अब एनडीआरएफ से सहायता की मदों और मानदण्डों की समीक्षा और संशोधन करने की सामान्य रूप से परम्परा रही है। ऐसा अन्तिम संशोधन बारहवें वित्त आयोग (2005-10) के अधिनिर्णय के पश्चात जून, 2007 और जुलाई, 2009 में किए गए थे।

इन मदों और मानदण्डों में संशोधन, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। गृह मंत्रालय ने मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को अब वित्त मंत्रालय से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

तेरहवें वित्त आयोग ने राहत सहायता के लिए हिम-स्खलन, चक्रवात, बादल-फटने, सूखा, भूकम्प, सूनामी, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन और कीट हमला जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सिफारिश की है और भारत सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। वित्तीय सहायता राहत हेतु है और न कि क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए। भारत सरकार द्वारा दोनों प्रकार की निधियों से संबंधित दिशानिर्देश दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को जारी कर दिए गए हैं। ये दिशानिर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट: www.ndmindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से व्यय करने के प्रयोजन के लिए पहचान की गई प्राकृतिक आपदाओं की सूची में विशिष्ट आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। 13वें वित्त आयोग (2010-15 की अवधि हेतु) ने अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) के तहत वित्तपोषित करने हेतु पात्र प्राकृतिक आपदाओं की अधिसूचित सूची में समुद्री-अपक्षरण, शीत लहर/लू, कोहरा और बिजली गिरना सहित कतिपय प्रस्तावित नई आपदाओं को शामिल करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया था। तथापि, आयोग ने, सी आर एफ/एस डी आर एफ और एन सी सी एफ/एन डी आर एफ से सहायता के लिए पात्र प्राकृतिक आपदाओं की विद्यमान सूची में इन आपदाओं को शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।

भारत सरकार ने एन डी आर एफ/एस डी आर एफ के अन्तर्गत राहत के लिए पात्र आपदा के रूप में शीत लहर/कोहरा को शामिल करने के मुद्दे की जांच करने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2011 को मंत्रियों के एक समूह (जी ओ एम) का गठन किया है।

बकरी पालन

3037. श्रीमती कैसर जहां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उन्नत एवं वाणिज्यिक बकरी पालन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था करने का है/उसने कोई ऐसी व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विभाग 134.825 करोड़ रुपए के 11वीं योजना परिव्यय तथा 2010-11 के लिए 42.00 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय से ''जुगाली करने वाले छोटे पशुओं तथा खरगोशों का समेकित विकास'' नामक एक नई स्वीकृत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है। नाबार्ड इस योजना के लाभार्थोन्मुख घटकों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है जिसके तहत 40 भेड़ी/मृगी और 2 मेढ़े/मृग की छोटी यूनिटें अथवा 500 भेड़ी/मृगी तथा 25 मेढ़े/मृग के प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25% पूंजीगत राजसहायता (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 33.33%) प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों के संस्थानों से संबंधित गतिविधियों को राज्य भेड़/बकरी खरगोश फार्म के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार के माध्यम से नामित राज्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा हाथ में लिया जाएगा। इस योजना के तहत नाबार्ड के माध्यम से किसानों और बैंकरों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। राज्य सरकार के सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति एक फेसिलिटेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रति किसान अधिकतम 2,000/-रुपए खर्च कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए योजना के तहत 3.00 करोड़ रुपए आवंटित हैं। किसानों के प्रशिक्षण के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

शहरी विकास योजनाओं के लिये विदेशी सहायता

3038. श्री अंजन कुमार एम. यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता/विदेशी सहायता के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान शहरी विकास के लिए वित्तीय सहायता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के संघटक शहरी अवस्थापना और गवर्नेंस (यूआईजी) और छोटे व मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को यूआईजी के अंतर्गत विगत तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमश: 489.1654 करोड़ रु. (9 परियोजनाएं), 188.9895 करोड़ रु. (8 परियोजनाएं) तथा 248.8507 करोड़ रु. (3 परियोजनाएं) की राशि जारी की गई।

आंध प्रदेश राज्य को यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान जारी की गई निधियां क्रमश: 235.46 करोड़ रु 755.86 करोड़ और 4.77 करोड़ रु. है।

(ii) सात मेगा शहरों के आस पास सेटेलाइट कस्बों के लिए शहरी विकास स्कीम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए दो परियोजनाएं नामत: विकाराबाद के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम और विकाराबाद के लिए जल आपूर्ति सुधार स्कीम अनुमोदित की गई हैं तथा पहली किस्त के रूप में 26.97 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(iii) हैदराबाद और गुंटूर शहरों के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण स्कीमों (सीबीयूएलबी) के अंतर्गत सूचना प्रणाली सुधार योजनाओं के क्रियान्यन (आईएसआईपी) के लिए प्रस्ताव वर्ष 2009-10 में प्राप्त हुए हैं: 4.38 करोड़ रु. और 6.93 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत राशि में से वर्ष 2009-10 के दौरान गुंटूर और हैदाराबाद शहरी के लिए क्रमश: 1.31 करोड़ रु. और 2.08 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(iv) वर्ष 2009-10 में आन्ध्र प्रदेश के 5 कस्बों नामत: श्रीकाकुलम, एलुरु, ओंगोले, नैल्लोर और विजयानगरम के लिए राष्ट्रीय शहरी सफाई व्यवस्था नीति के अंतर्गत शहरी सफाई व्यवस्था योजनाएं बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन 5 शहरों के लिए स्वीकृत किए गए 32.5 लाख रु. में से वर्ष 2009-10 में 9.75 लाख रु. जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

लंबित विधेयक

3039. श्री संजय निरूपम:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक विधेयक अनुमोदन देने हेतु प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) बिल, 2010 सहित प्राप्त विधेयकों के तिथि-वार और राज्य-वार क्या नाम हैं।

(ग) राज्य-वार अलग-अलग स्वीकृत और लंबित विधेयकों के नाम क्या हैं तथा इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित विधयेकों को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनवरी, 2008 तक अनुमोदन के लिए प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए विधेयकों की राज्य-वार सूची और प्रत्येक विधेयक की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य विधानों की जांच तीन दृष्टिकोणों से की जाती है, अर्थात् (I) केद्रीय कानूनों से विरोध, (II) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीत से विचलन और (III) कानूनी एवं संवैधानिक वैधता। जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों में आशोधन/संशोधन करने की सलाह दी जाती है। किसी निर्णय पर शीघ्रता से पहुंचने के प्रयोजन से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से विचार-विमर्श भी किया जाता है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

विवरण

(ख) और (ग) जनवरी, 2008 तक प्राप्त हुए राज्य विधेयकों का ब्यौरा

वर्ष 2008

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधायन का नाम	प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति अंतिम रूप दिया गया/लंबित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश निषेध (संशोधन) विधेयक, 2007	07.01.2008	वर्तमान स्थिति: अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश वन (संशोधन) विधेयक, 2007	06.08.2008	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंद्र प्रदेश संशोधन) विधेयक 2008.	16.09.2008	अंतिम रूप दिया गया
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश न्यायालय फीस और मुकदमा, मूल्यांकन (संसोधन) विधेयक, 2007	12.11.2008	अंतिम रूप दिया गया
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2007	09.01.2008	अंतिम रूप दिया गया
6.	आंध्र प्रदेश	भूमि अधिग्रहण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	20.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
7.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	22.05.2008	अंतिम रूप दिया गया
8.	अरूणाचल प्रदेश	----		
9.	असम	असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2007	07.05.2008	अंतिम रूप दिया गया
10.	असम	पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2008	19.08.2008	अंतिम रूप दिया गया
11.	बिहार	----		
12.	छत्तीसगढ़	भारतीय दंड संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन), विधेयक, 2008.	29.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
13.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2008	29.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
14.	छत्तीसगढ़	दांडिक प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2008	19.08.2008	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5
15.	गोवा	पंजीकरण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2008	09.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
16.	गुजरात	पंजीकरण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2008	04.04.2008	अंतिम रूप दिया गया
7.	हरियाणा	----		
18.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	30.04.2008	अंतिम रूप दिया गया
19.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सड़क प्रयोक्ता और पैदल यात्री (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2008.	11.12.2008	अंतिम रूप दिया गया
20.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशष्ट भ्रष्ट आचरण (संशोधन) विधेयक, 2008	15.05.2008	अंतिम रूप दिया गया
21.	झारखंड	बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2007.	08.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
22.	केरल	त्रिपुवरम पेमेंट (अबोलिशन) अमेंटमेंट बिल, 2008	08.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
23.	केरल	केरल मेडिकल ओफिसर एडिमिसन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर सर्विस कोट ओर्डिनेंस, 2008	21.08.2008	अंतिम रूप दिया गया
24.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आतंकावादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007	04.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
25.	मध्य प्रदेश	औद्योगिक विवाद (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	22.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
26.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007	22.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
27.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टैम्प विधेयक, 2008	17.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
28.	मध्य प्रदेश	पंजीकरण (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008	31.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
29.	महाराष्ट्र	भारतीय दंड संहिता (महराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2008.	08.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
30.	महाराष्ट्र	दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2008.	29.02.2008	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5
31.	महाराष्ट्र	आवासीय क्षेत्र विनियामक आयोग विधेयक, 2008	24.04.2008	अंतिम रूप दिया गया
32.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (डिवीजन बैंच द्वारा रिट पैटिशन की सुनवाई और लैटर्स पेटेंट अपील की समाप्ती) (संशोधन) विधेयक, 2008	15.05.2008	अंतिम रूप दिया गया
33.	मणिपुर	मणिपुर विवाहों का आवश्यक पंजीकरण विधेयक, 2008	11.12.2008	लम्बित
34.	मेघालय	----		
35.	मिजोरम	----		
36.	नागालैण्ड	----		
37.	उड़ीसा	भारतीय स्टैंप (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2008	31.12.2008	अंतिम रूप दिया गया
38.	पंजाब	दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2007	07.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
39.	पंजाब	पंजाब का विवाहों का आवश्यक पंजीकरण विधेयक, 2008	22.05.2008	लम्बित
40.	राजस्थान	राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप बिल, 2008	25.01.2008	अंतिम रूप दिया गया
41.	राजस्थान	राजस्थान स्टेम्प (संशोधन) बिल, 2008	26.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
42.	राजस्थान	राजस्थान गोजातीय पशु (जानवरों को काटने पर निषेध और अस्थायी प्रवासी और निर्यात पर नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2008	08.05.2008	अंतिम रूप दिया गया
43.	राजस्थान	राजस्थान धर्म स्वातंत्र विधेयक, 2008	22.09.2008	लम्बित
44.	सिक्किम	सिक्किम स्थानीय रोजगार उन्नयन विधेयक, 2008	25.07.2008	लम्बित
45.	सिक्किम	सिक्किम नर्स, मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर बिल, 2008	25.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
46.	सिक्किम	सिक्किम (कोस्टीचुशन ऑफ स्पेशल इको टास्क फोरस्ट गार्ड) बिल 2008	29.09.2008	लम्बित
47.	सिक्किम	सिक्किम वन, जन स्रोत और सड़क अनुक्षण (संरक्षण और अनुरक्षण) संशोधन विधेयक, 2008	29.12.2008	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5
48.	तमिलनाडु	ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	19.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
49.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	01.07.2008	अंतिम रूप दिया गया
50.	तमिलनाडु	भवन और अन्य निर्माण मजदूर (रोजगार का विनयमन तथा सेवाओं की स्थिति) और भवन तथा अन्य निर्माण मजदूर कल्याण नियम (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	07.08.2008.	अंतिम रूप दिया गया
51.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	07.11.2008	अंतिम रूप दिया गया
52.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	20.11.2008	अंतिम रूप दिया गया
53.	तमिलनाडु	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	10.06.2008	अंतिम रूप दिया गया
54.	तमिलनाडु	औद्योगिक रोजगार (स्थगन आदेश) (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	09.06.2008	लम्बित
55.	तमिलनाडु	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2008	10.06.2008	अंतिम रूप दिया गया
56.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2008	17.12.2008	अंतिम रूप दिया गया
57.	तमिलनाडु	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2008	06.02.2008	अंतिम रूप दिया गया
58.	त्रिपुरा	----		
59.	उत्तराखण्ड	----		
60.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2008	24.04.2008	अंतिम रूप दिया गया
61.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश स्टेम्प बिल, 2008	10.09.2008	अंतिम रूप दिया गया
62.	पश्चिम बंगाल	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2008	21.08.2008	अंतिम रूप दिया गया
63.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्रशासन (विद्यालय विवादों का निर्णयन) आयोग विधेयक, 2008	27.10.2008	लम्बित है।

1	2	3	4	5
		वर्ष 2009		
1.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008.	23.01.2009	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	ठेकेदारी मजदूरी (विनियमन और निरसन) (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	04.03.2009	अंतिम रूप दिया गया
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2009	04.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
4.	अरूणाचल प्रदेश	-		
5.	असम	असम चाय बागान भविष्य निधि (और पेंशन निधि) और निपेक्ष से जुड़ी बीमा (निधि) योजना (संशोधन) विधेयक, 2009	24.04.2009	अंतिम रूप दिया गया
6.	असम	पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2009	24.04.2009	अंतिम रूप दिया गया
7.	असम	असम निवारक नजरबंदी (संशोधन) विधेयक, 2009	24.04.2009	अंतिम रूप दिया गया
8.	असम	असम अधिवक्ता कल्याण कोष (संशोधन), विधेयक, 2009	22.10.2009	लम्बित
9.	असम	वन्य जीव (संशोधन) विधेयक, 2009	22.10.2009	अंतिम रूप दिया गया
10.	असम	असम अधिवक्ता कल्याण कोष (संशोधन) विधेयक, 2009	22.10.2009	अंतिम रूप दिया गया
11.	असम	असम ग्रामीण स्वास्थ्य विनियमन प्राधिकरण विधेयक, 2004	30.12.2009	लम्बित
12.	बिहार	बिहार विशेष अदालत विधेयक, 2009	24.06.2009	अंतिम रूप दिया गया
13.	छत्तीसगढ़	-		
14.	गोवा	पंजीकरण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2009	09.06.2009	अंतिम रूप दिया गया
15.	गोवा	पशु निर्ममता निवारण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2009.	14.09.2009	अंतिम रूप दिया गया
16.	गुजरात	बम्बई किरायेदारी और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2009.	06.03.2009	अंतिम रूप दिया गया
17.	गुजरात	गुजरात अचल सम्पत्ति अन्तरण निषेध एवं अशान्त क्षेत्रों में स्थिति भवनों से बाहर किए गए किरायेदारों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2003	16.11.2009	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5
18.	गुजरात	गुजरात आतंकवाद एंव संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003	16.11.2009	अंतिम रूप दिया गया
19.	हरियाणा	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2008	12.01.2009	अंतिम रूप दिया गया
20.	हरियाणा	हरियाणा श्री माता मंसा देवी धर्मस्थल (संशोधन) विधेयक, 2009	06.04.2009	अंतिम रूप दिया गया
21.	हरियाणा	हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्रीबद्री नारायण, श्री मंत्र देवी और श्री केदार नाथ धर्मस्थल विधेयक, 2009	06.04.2009	अंतिम रूप दिया गया
22.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	01.10.2009	लंबित
23.	हिमाचल प्रदेश	शिमला सड़क प्रयोक्ता एवं पैदल यात्री (नागरिक सुरक्षा एवं सुविधा) संशोधन विधेयक, 2009	26.10.2009	अंतिम रूप दिया गया
24.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर संविधान (चौतीसंवा संशोधन) विधेयक, 2009.	04.06.2009	अंतिम रूप दिया गया
25.	झारखंड	विधि में राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची, अध्यादेश, 2009	15.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
26.	झारखंड	झारखंड विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2007	26.06.2009	अंतिम रूप दिया गया
27.	कर्नाटक	कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) (संशोधन) विधेयक, 2009	13.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
28.	कर्नाटक	कर्नाटक अत्यावस्यक स्वेग्दा निर्वहन विधेयक, 2009	05.10.2009	लंबित
29.	कर्नाटक	कर्नाटक संगठित अपराध नियतंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009	01.10.2009	लंबित
30.	कर्नाटक	कर्नाटक चालबाजी, स्वापक अपराधी, जूआबाजी, गुण्डागर्दी, अनैतिक दुर्व्यापार अपराधी तथा झुग्गी माफियों के खतरनाक क्रियाकलापों का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009	07.10.2009	लंबित
31.	कर्नाटक	भारती दण्ड संहिता तथा दांडिक प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2009	30.10.2009	लंबित

1	2	3	4	5
32.	केरल	भारतीय साझेदारी (केरल संशोधन) विधेयक, 2008	16.01.2009	अंतिम रूप दिया गया
33.	केरल	पंजीकरण (केरल संशोधन) विधेयक, 2008	03.02.2009	अंतिम रूप दिया गया
34.	केरल	बगान मजदूर (केरल संशोधन) विधेयक, 2008	04.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
35.	केरल	केरल काजू फैक्ट्री (अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 2009	30.09.2009	अंतिम रूप दिया गया
36.	केरल	दांडिक प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) विधेयक, 2008	21.10.2009	लंबित
37.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पंजीकरण (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	23.09.2009	अंतिम रूप दिया गया
38.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मोटरयान् काराधान (संशोधन) विधेयक, 2009	10.12.2009	अंतिम रूप दिया गया
39.	महाराष्ट्र	पंजीकरण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009	26.02.2009	अंतिम रूप दिया गया
40.	महाराष्ट्र	बम्बई प्राथमिक शिक्षा, (संशोधन) विधेयक, 2009	06.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
41.	महाराष्ट्र	मुम्बई नगर पालिका, बम्बई प्रादेशिक नगर निगम, नागपुर शहर निगम, बम्बई पुलिस और महाराष्ट्र नगर पालिका परिषद, नागपुर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप (संशोधन) विधेयक, 2009	22.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
42.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भू-जल (विकास और प्रबंधन) विधेयक, 2009	29.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
43.	महाराष्ट्र	दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009	24.09.2009	अंतिम रूप दिया गया
44.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र झुग्गीस्वामी, चालबाज, स्वापक अपराधी तथा खतरनाक व्यक्तियों के खतरनाक क्रियाकलापों का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009	18.12.2009	अंतिम रूप दिया गया
45.	मणिपुर	मणिपुर अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2009	20.01.2009	अंतिम रूप दिया गया
46.	मणिपुर	मणिपुर चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008	08.06.2009	अंतिम रूप दिया गया
47.	मणिपुर	मणिपुर चिकित्सा परिषद विधेयक, 2009	23.11.2009	लंबित
48.	मेघालय	औद्योगिक विवाद (मेघालय संशोधन) विधेयक; 2009	05.01.2009	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5
49.	मिजोरम	-		
50.	नागालैण्ड	-		
51.	उड़ीसा	उड़ीया उत्पादन शुल्क विधेयक, 2008	10.02.2009	लंबित
52.	उड़ीसा	दंड प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2009	18.09.2009	अंतिम रूप दिया गया
53.	पंजाब	आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2008	11.02.2009	लंबित
54.	पंजाब	भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2008	11.02.2009	लंबित
55.	पंजाब	औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2009	05.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
56.	पंजाब	औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2009	01.09.2009	लंबित
57.	राजस्थान	-		
58.	सिक्किम	-		
59.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2009	28.08.2009	अंतिम रूप दिया गया
60.	तमिलनाडु	तमिलनाडु व्यवसाय सुविधा विधेयक, 2009	28.08.2009	लंबित
61.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य अल्पसंख्या आयोग विधेयक, 2008	12.01.2009	लंबित
62.	त्रिपुरा	त्रिपुरा लोकायुक्त विधेयक, 2008	14.01.2009	अंतिम रूप दिया गया
63.	त्रिपुरा	औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 2009	24.04.2009	अंतिम रूप दिया गया
64.	त्रिपुरा	दंड प्रक्रिया संहिता (त्रिपुरा आठवां संशोधन) विधेयक, 2009	04.05.2009	अंतिम रूप दिया गया
65.	उत्तराखण्ड	-		
66.	उत्तर प्रदेश	-		
67.	पश्चिम बंगाल	दरिद्र बांधव भंडार (प्रबंध एवं उतरवर्ती अधिग्रहण का नियंत्रण) विधेयक, 2009	22.10.2009	लंबित

1	2	3	4	5
		वर्ष 2010		
1.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	07.05.2010	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2010	11.05.2010	लंबित
3.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	18.08.2010	लंबित
4.	आंध्र प्रदेश	ठेका मजदूर (विवियमन एवें उन्मूलन) (आंध्र प्रदेश) (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	18.08.2010	लंबित
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आपराधियों की सामुदायिक सेवा विधेयक, 2010.	18.08.2010	लंबित
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मनी लेंडार विधेयक, 2008	25.08.2010	लंबित
7.	अरूणाचल प्रदेश	-		
8.	असम	असम सहकारी समिति विधेयक, 2007	22.09.2010	लंबित
9.	असम	असम राज्य सतर्कता आयोग विधेयक, 2010	08.10.2010	लंबित
10.	असम	असम भूमि ग्रैबिंग (निषेध) विधेयक, 2010	22.10.2010	लंबित
11.	बिहार	पंजीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010	19.07.2010	लंबित
12.	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टैम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010	19.07.2010	अंतिम रूप दिया गया
13.	गोवा			
14.	गुजरात	गुजरात शिक्षण संस्थान सेवा न्यायाधिकरण विधेयक, 2006	14.09.2010	लंबित
15.	हरियाणा	हरियाणा डोहलीडर, बूटीमार, भोंडेडर और मुकारडीउर (स्वामित्वाधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2010	06.05.2010	अंतिम रूप दिया गया
16.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचनल प्रदेश उत्पाद शुल्क विधेयक, 2009	26.03.2010	लंबित

1	2	3	4	5
17.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009	18.06.2010	लंबित
18.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश माता-पिता एवं आश्रितों की देखभाल (संशोधन) विधेयक, 2010	06.10.2010	लंबित
19.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश किराएदारी एवं भूमि सुधार (संधोधन) विधेयक, 2010	06.10.2010	लंबित
20.	जम्मू और कश्मीर	-		
21.	झारखंड	झारखंड सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2010	20.08.2010	लंबित
22.	कर्नाटक	कर्नाटक सहकारी समितियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	06.05.2010	लंबित
23.	कर्नाटक	दंड प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2009	24.05.2010	लंबित
24.	कर्नाटक	कर्नाटक पशुधन संरक्षण एवं वध निषेध विधेयक, 2010	11.08.2010	लंबित
25.	कर्नाटक	कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक, 2008	27.09.2010	लंबित
26.	केरल	केरल व्यापार संघों को मान्यता विधेयक, 2009	29.04.2010	अंतिम रूप दिया गया
27.	केरल	पंजीकरण (केरल संशोधन) विधेयक, 2009	04.05.2010	लंबित
28.	केरल	केरल स्थानीय क्षेत्रों में माल-प्रवेश पर कर विधेयक, 2007	01.07.2010 (पुन: प्रस्तुत)	लंबित
29.	मध्य प्रदेश	भारतीय वन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	06.01.2010	अंतिम रूप दिया गया
30.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009	03.03.2010	लंबित
31.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010	03.05.2010	लंबित
32.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं अच्छेदक गतिविधियों तथा संगठित अपराध निवारण विधेयक, 2010	25.05.2010	लंबित
33.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010	14.09.2010	लंबित

1	2	3	4	5
34.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश कपास बीज (पूर्ति वितरण) एवं विक्रय का विनियम तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण विधेयक, 2010	08.10.2010	लंबित
35.	महाराष्ट्र	अनाथालय और अन्य धर्मार्थगृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण), अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी भागीदारी), भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवाशर्तों का विनियमन (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009	05.01.2010	लंबित
36.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मनी लेडिंग (विनियमन) विधेयक, 2010	12.05.2010	लंबित
37.	महाराष्ट्र	न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	12.05.2010	लंबित
38.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नगर निगम, नगरपालिका परिषदें और महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं शहरी नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2010	12.05.2010	लंबित
39.	महाराष्ट्र	मजदूरी का भुगतान एवं न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	17.05.2010	अंतिम रूप दिया गया
40.	महाराष्ट्र	बाम्बे प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009	17.05.2010	लंबित
41.	महाराष्ट्र	पंजीकरण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	04.08.2010	लंबित
42.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं महाराष्ट्र अनूसूचित जनजातियों को भूमि पुनः स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2010	04.08.2010	लंबित
43.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	25.08.2010	लंबित
44.	महाराष्ट्र	मोटर वाहन (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	18.12.2010	लंबित
45.	महाराष्ट्र	बोनस का भुगतान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	30.12.2010	अंतिम रूप दिया गया
46.	महाराष्ट्र	मुंबई नगर निगम, बोम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर शहर निगम, बाम्बे पुलिस एवं महाराष्ट्र नगर पालिका परिषद नगर पंचायत एवं उद्योगिक शहर नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2009	27.12.2010	लंबित
47.	मणिपुर	–		

1	2	3	4	5
48.	मेघालय	–		
49.	मिजोरम	–		
50.	नागालैण्ड	–		
51.	उड़ीसा	–		
52.	पंजाब	पंजाब भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010	6.12.2010	लंबित
53.	पंजाब	पंजाब भूमि टेनयोर की सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010	06.12.2010	लंबित
54.	पंजाब	पंजाब मानव तस्करी निवारण विधेधक, 2010	06.12.2010	लंबित
55.	पंजाब	पंजाब सरकारी एवं निजी सम्पत्ति का क्षति निवारण विधेयक, 2010	20.12.2010	लंबित
56.	राजस्थान	राजस्थान किरायेदारी (संशोधन) विधेयक, 2010	अक्तूबर 2010	लंबित
57.	सिक्किम	–		
58.	तमिलनाडु	तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010	04.02.2010	अंतिम रूप दिया गया
59.	तमिलनाडु	कैदियों की पहचान (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2010	मई 2010	अंतिम रूप दिया गया
60.	त्रिपुरा	–		
61.	उत्तराखण्ड	–		
62.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	25.02.2010	लंबित
63.	उत्तर प्रदेश	दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	01.09.2010	लंबित
64.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थाओं में जमाकर्ताओं के ब्याज का संरक्षण विधेयक, 2009	29.01.2010	लंबित
65.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विशेषीकृत क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर विधेयक, 2003	11.02.2010 (पुन: प्रस्तुत)	लंबित
66.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्टेट अधिग्रहण संशोधन विधेयक, 2009	फरवरी, 2010	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5
67.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल ग्रामीण स्वास्थ्य विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009	03.03.2010	लंबित
68.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल विधेयक, 2010	11.05.2010	लंबित
69.	पश्चिम बंगाल	भारतीय स्टाम्प (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2010	16.08.2010	लंबित
70.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद विधेयक, 2010	08.10.2010	लंबित
71.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल कृषि मजदूरों, कलाकारों एवं मछुआरों के लिए आवासीय भूमि का अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2010	08.10.2010	लंबित

वर्ष 2011

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधायन का नाम	प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति अंतिम रूप दिया गया/लंबित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	(कृषि भूमि को लीज पर दिया जाना) विधेयक, 2010		
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-
7.	गुजरात	-	-	-
8.	हरियाणा	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
11.	झारखंड	-	-	-
12.	कर्नाटक	-	-	-

1	2	3	4	5
13.	केरल	-	-	-
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-
15.	महाराष्ट्र	-	-	-
16.	मणिपुर	-	-	-
17.	मेघालय	मेघालय भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010	09-02-2011	लंबित
18.	मिजोरम	-	-	-
19.	नागालैण्ड	-	-	-
20.	उड़ीसा	-	-	-
21.	पंजाब	-	-	-
22.	राजस्थान	-	-	-
23.	सिक्किम	-	-	-
24.	तमिलनाडु	तमिलनाडु निजी वनों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011	08-03-2011	लंबित
25.	त्रिपुरा	-	-	-
26.	उत्तराखंड	-	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	-	-	-

दिल्ली मेट्रो की दुर्घटनाओं में वृद्धि

3040. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो में दुर्घटनाओ की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली मेट्रो में कुल कितने लोग मारे गये और घायल हुए तथा मृतकों के आश्रित को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सुरक्षा के मानदण्डों एवं कार्य की गुणवत्ता नहीं बनाये रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं। जुलाई, 2009 के बाद कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि विगत में दो बड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में उनके द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई थी।

(i) लक्ष्मीनगर दुर्घटना-अक्टूबर 2008

- मैसर्स अफाकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. को दिनांक 16.3.2009 से एक वर्ष की अवधि तक डीएमआरसी के किसी भी कार्य के लिए कोट करने से बाहर कर दिया गया।

- मैसर्स अफाकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के परियोजना प्रबंधक एवं लांचिंग प्रभारी ठेके से हटा दिया गया।

(ii) जमरुदपुर दुर्घटना-जुलाई, 2009

- मैसर्स आर्क कंसल्टैनसी सर्विसेज लि. के दिनांक 15.9. 2009 से पांच वर्ष के लिए कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- मैसर्स टंडन कंसल्टैन्स को दिनांक 29.7.2009 से एक वर्ष की अवधि तक के लिए डीएमआरसी कार्यों से बहिस्कृति कर दिया गया है।

- मैसर्स गैमन इंडिया लि. को दिनांक 20.10.2010 से दो वर्षों की अवधि के लिए डीएमआरसी में कोई नया ठेका सौंपे जाने से बहिष्कृत कर दिया गया है।

- एक निदेशक, जो प्रतिनियुक्ति पर था, को दिनांक 15.7. 2009 को भारतीय रेलवे के पास वापस भेज दिया गया था।

- दो उप मुख्य अभियंताओं को दिनांक 10.9.2009 को उनके मूल विभाग में वापस भेजा गया।

- सामान्य सलाहकार के एक बाहरी गुणवत्ता विशेषज्ञ को दिनांक 30.9.2009 को हटा दिया गया था।

पाण्डुलिपि संसाधन और संरक्षण

3041. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में पाण्डुलिपि संसाधन और संरक्षण केंद्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इन केंद्रों की स्थापना करने हेतु कुल कितनी निधियां मंजूर की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी हां। कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित 54 पांडुलिपि संसाधन केंद्र और 44 पांडुलिपि संरक्षण केंद्र हैं। देश भर मे पांडुलिपि संसाधन केंद्रों और पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों और उनकी स्थापना तथा कार्यकरण के लिए मंजूर निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) पांडुलिपि संसाधन केंद्रों तथा इनकी स्थापना और कार्यकरण के लिए मंजूर निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	पाण्डुलिपि संसाधन केंद्र का नाम	जारी की गई निधि	प्रत्येक राज्य के लिए कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	आरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय तिरुपति- 517502 आंध्र प्रदेश	23,45,015	
2.		ए.पी. सरकारी ओरिएन्टल पांडुलिपि लाइब्रेरी एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जामा-प-उस्मानिया, उस्मानिया, विश्वविद्यालय कैंपस, हैदराबाद-500007, आंध्र प्रदेश	15,87,216	39,32,231
3.	असम	गुरचरण महाविद्यालय, सिलिचर, असम -788004	7,82,728	34,17,132
4.		त्रिपुरा विश्वविद्यालय सूर्यामनीनगर पश्चिमी त्रिपुरा	4,50,000	

1	2	3	4	5
5.		गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	21,84,404	
6.	बिहार	खुदा बख्स ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अशोक राजपथ, पटना-800004 बिहार	24,17,000	
7.		कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगरम, दरभंगा-846 004 बिहार	6,45,000	73,38,456
8.		नव नालंदा महाविहार (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) नालंदा-803111 बिहार	12,41,972	
9.		श्री देव कुमार जैन ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट देवाश्रम, महादेवा रोड, आरा बिहार-802 301	30,34,484	
10.	छत्तीसगढ़	आयुक्त संस्कृति एवं पुरातत्व विज्ञान रायपुर (छत्तीसगढ़)	4,50,000	4,50,000
11.	तमिलनाडु	पुरातत्व विज्ञान विभाग तमिल वालार्ची वेलागाम हिल्स रोड ईगमोर चेन्नई-600 008.	4,50,000	43,40,890
12.		तमिल साहित्य विभाग मद्रास विश्वविद्यालय मरीना परिसर, चेन्नई-600 005.	10,15,000	
13.		तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महाल लाइबेरी तंजावुर -613009 तमिलनाडु	12,65,000	
14.		श्री चन्द्रशेखरन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय डिम्ड विश्वविद्यालय, इनाथूर कांचीपुरम-651561	16,10,890	
15.	दिल्ली	साहित्य सदन भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट नई दिल्ली-1	10,00,000	14,50,000
16.		बी.एल. भारत विद्या शास्त्र संस्थान वल्लभ स्मारक काम्प्लेक्स 20वां किमी जीटीके रोड़ डाक खाना अलीपुर, दिल्ली-36	4,50,000	
17.	गुजरात	लालभाई दलपतभाई भारत विद्या शास्त्र संस्थान नवरंगपुर, गुजरात विश्वविद्यालय के समीप अहमदाबाद-380 009, गुजरात	30,92,220	35,42,220
18..		श्री द्वारकाधीश संस्कृत अकादमी एवं भारत विद्या शास्त्र संस्था द्वारका, गुजरात	4,50,000	
19.	हरियाणा	संस्कृति पाली और प्राकृतिक विभाग कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र -136119 फोन: -01744-238367, 238567	25,65,000	25,65,000

1	2	3	4	5
20.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल कला संस्थान, संस्कृति और भाषा, संस्कृति और भाषा क्लीफ-एण्ड इस्टेट, शिमला-171001 फोन : 0177-2624330ध2623149	32,60,251	59,45,344
21.		तिब्बती कार्य और अभिलेख लाइब्रेरी, गंगचन कियसोग, धर्मशाला-176215 हिमाचल प्रदेश	26,85,093	
22.	जम्मू और कश्मीर	डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट आर्चियोलोजी अभिलेखागार एवं संग्रहालय स्टोन बिल्डिंग, ओल्ड सेक्रेटिरिएट श्रीनगर-190001, जम्मू और कश्मीर	30,04,210	52,73,654
23.		केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोंगलमसेर लेह (लद्दाख)-1 94001	22,69,444	
24.	कर्नाटक	ओरिएन्टल अनुसंधान संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय कौटिल्य सर्कल, मैसूर-570005 कर्नाटक	45,21,378	
25.		कनाडा विश्वविद्यालय हम्पी, विद्यारानाया-583276 होसपेट टी. क्यू. बेल्लारी कनार्टक	25,15,000	
26.		राष्ट्रीय संस्थान सरुताकेवली शिक्षा ट्रस्ट सरवनबेरागोला-573 135, जिला हसन, कर्नाटक	34,91,225	1,31,06,308
27.		खेलाड़ी संग्रहालय एवं इतिहास संस्थान डाक खाना खेलाड़ी सागर टी. क्यू. -577401 सिमोगा डीटी., कर्नाटक	11,09,388	
28.		महाभारत समाशोधन प्रतिष्ठान 1/ई, 3वां क्रास, गिरीनगर 1 ला फेस बैंगलुरू-560085	14,69,317	
29.	केरल	ओरिएन्टल अनुसंधान संस्थान एवं पांडुलिपि लाईब्रेरी केरला विश्वविद्यालय करियावोटम, त्रिरूअन्तपुरम-695585 केरला	37,88,503	
30.		तुन्चन मेमोरियल ट्रस्ट तुन्चन पैरामबला त्रिरूर-676101 जिला-मामलापुरम, केरला	40,87,343	83,25,846
31.		डी.जी. सैंटर फॉर हैरीटेज स्टीडीज हिल पैलेस तिरिपुनितुरा, जिला-इरनाकुलम (केरला)	4,50,000	
32.	पश्चिम बंगाल	पांडुलिपि लाइब्रेरी हार्डिंग बिल्डिंग, प्रथम मंजिल, 87/1, कालेज स्ट्रीट, सीनेट हाउस, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073	72,60,851	72,60,851
33.	मध्य प्रदेश	सिंधिया ओरिएन्टल अनुसंधान संस्थान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश	19,93,000	

1	2	3	4	5
34.		डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, गौर नगर, सागर-470003 मध्य प्रदेश	30,52,962	67,00,436
35.		कोरडीनेटर, एमआरसी कुंड-कुंड जाननपीठ 584, एम. जी. रोड़ तुकोगंज, इन्दौर-452001	16,54,474	
36.	महाराष्ट्र	भंडारकर ओरिएन्टल अनुसंधान संस्थान दक्कन जिमखाना पुणे-411037	26,15,000	71,06,952
37.		कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय बागला भवन, शीतलवड़ी मन्डा रोड़, रामटेक-441106	3,65,000	
38.		आनन्दआश्रम समस्ता 22, बुद्धावर पीठ पुणे-411 002	13,66,952	
39.		श्री सेठ श्रुत प्राभावना ट्रस्ट 580, जुनी मानिकवडी, भावनगर-364001	24,20,000	
40.		ओरिएन्टल अध्ययन संस्थान, शिव शक्ति, पश्चिमी थाने महाराष्ट्र	3,40,000	
41.	मणिपुर	मणिपुर राज्य अभिलेखवाशिंगलूम लीकोई, इम्फाल 795001 मणिपुर	51,64,200	51,64,200
42.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य संग्रहालय संग्रहालय भवन, भुवनेश्वर उड़ीसा	41,72,000	64,62,021
43.		डॉ. सदानन्दा दीक्षित भारत की वैदिक और संबंद्ध परम्परा के जरिए संस्कृत उच्चस्तरीय समाज अनुसंधान अकादमी (सरस्वती), सरस्वती विहार, बारपाड़ा, भादरक-756113 उड़ीसा	22,90,021	
44.	पुडुचेरी	फ्रेंच इन्स्टीट्यूट ऑफ पुडुचेरी 11, सेंट लुईस स्ट्रीट, पीबी-33 पुडेचरी-605001	22,17,046	22,17,046
45.	पंजाब	विश्वेशरानन्द विश्वबन्धु संस्कृत एवं भारत विद्या शास्त्र अध्ययन संस्थान साधु आश्रम, होशियारपुर-146021, पंजाब	19,20,044	19,20,044
46.	राजस्थान	राजस्थान ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पी.डब्ल्यू.डी. रोड़, जोधपुर,-342011, राजस्थान	21,45,248	21,45,248
47.	उत्तर प्रदेश	रामपुर रजा लाइब्रेरी हामिद मंजिल, रामपुर उत्तर प्रदेश-244901	18,45,000	

1	2	3	4	5
48.		समपूर्णनन्दा संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी-221001	25,97,991	
49.		श्री हरिमोहन मालवीय वृन्दावन रिसर्च इन्स्टीट्यूट रमन रेती मार्ग वृन्दावन-281121	16,50,000	
50.		अखिल भारतीय संस्कृत परिषद महात्मा गांधी मार्ग हजरतगंज, लखनऊ	7,45,896	76,08,887
51.		हस्तलेखागार एवं संग्रहालय के. एम. हिन्दी इन्स्टीट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज एंड लिंगुस्टीक, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क, आगरा	3,20,000	
52.		मजहर मेमोरियल म्यूजियम, बाहरीबाद, गाजीपुर (यूपी)	4,50,000	
53.	उत्तराखण्ड	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी जिला पंचायत आफिस के नजदीक हरिद्वार-249401	24,56,800	
54.		संस्कृति विभाग एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल	3,20,000	27,76,800
		सभी राज्यों के लिए जारी कुल राशि		10,90,49,566

(ख) पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों तथा इनकी स्थापना और कार्यकरण के लिए मंजूर निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

1.	आंध्र प्रदेश	ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय तिरूपति-517507	8,58,700	
2.		सालारंजग संग्रहालय, सालारजंग रोड, हैदराबाद-500002	14,15,000	5,23,700
3.		आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार और अनुसंधान संस्थान, टारनाका हैदराबाद-7	2,50,000	
4.	अरूणाचल प्रदेश	तंवाग मठ, तंवाग जिला, अरूणाचल प्रदेश	2,00,000	2,00,000
5.	असम	गुरूचरण महाविद्यालय, सिलचर-4 (असम)	2,50,000	
6.		त्रिपुरा विश्वविद्यालय सूर्यामणीनगर, त्रिपुरा पश्चिम	2,50,000	16,73,277
7.		कृष्ण कांता हाण्डीक्वी पुस्तकालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारडोलाई नगर गुवाहाटी-781014 असम	11,73,277	
8.	बिहार	खुदा बक्श ओरिएंटल पब्लिक पुस्तकालय, अशोक राजपथ, पटना-800004 बिहार	19,10,000	25,20,578

1	2	3	4	5
9.		श्री देव कुमार जैन ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, देवाश्रम, महादेवा रोड़ आराह, बिहार-802 301	6,10,578	
10.	छत्तीसगढ़	आयुक्त संस्कृत एवं पुरातत्व विज्ञान, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2,50,000	2,50,000
11.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकारी संग्रहालय एगमोर, चैन्नई-600008	16,02,089	20,52,089
12.		तंजौर महाराजा सरफोजी का सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर-613009, तमिलनाडु	4,50,000	
13.	दिल्ली	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जनपथ, नई दिल्ली-10001	10,40,000	12,90,000
14.		बी.एल. भारत विद्या शास्त्र संस्थान वल्लभ स्मारक काम्प्लेक्स 20 कि.मी. जीटीके रोड़ पी.ओ. अलीपुर, दिल्ली-3	2,50,000	
15.	गुजरात	लालभाई दलपतिभाई भारत विद्या शास्त्र संस्थान नवारंगपुर समीप गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद-380009, गुजरात	6,00,000	6,00,000
16.	हिमाचल प्रदेश	भाषा एचं संस्कृति, कासुमपुट्टी शिमला	19,57,077	19,57,077
17.	जम्मू और कश्मीर	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसार, लेह (लद्दाख)-194104	13,50,500	13,50,500
18.	कर्नाटक	आईसीकेपीएसी, इनटैक चित्रकला परिसाथ कला संरक्षण केंद्र, कुमार कुरूपा रोड़, बैंगलुरू-560001	28,27,883	48,57,883
19.		पांडुलिपि शास्त्र विभाग कनाडा विश्वविद्यालय, हम्पी विद्याराणया--583276 जिला बिलेरी (कर्नाटक)	2,50,000	
20.		राष्ट्रीय प्राकृरित अध्ययन एवं शोध संस्थान श्री दावला तीर्थम श्रीवनाबेलागोला जिला: हस्न, (कर्नाटक)	2,50,000	
21.		केलाडी संग्रहालय एवं ऐतिहासिक स्थल पी. ओ. केलाडी सागर टीक्यू-577401, सिमोगा जिला, कर्नाटक	2,50,000	
22.		राज्य अभिलेखागार कर्नाटक, कमरा सं. 9, भूतल, विधान सौधा बैंगलुरू-1	12,80,000	
23.	केरल	भित्ति-चित्र संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हिल्स पैलेस संग्रहालय परिसर त्रिपुनीथुरा, अर्नाकुलम, केरल	14,15,000	

1	2	3	4	5
24.		तुनचन मेमोरियल ट्रस्ट तनुचन प्रमभु त्रिरूर-676101 मल्लापुरम जिला, केरलम	2,50,000	29,97,992
25.		विरासत अध्ययन केंद्र हिल्स पैलेस त्रिपुनीथुरा, अर्नाकुलम, (केरल)	2,50,000	
26.		क्षेत्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान कोटन हिल्स रोड़ साओथमंगलम पो. ओ. तिरूवंतपुरम-695010	10,82,992	
27.	पश्चिम बंगाल	पांडुलिपि पुस्तकालय हार्डिंग भवन, प्रथम तल, 87/1, कालेज स्ट्रीट, सीनेट हाऊस, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073,	15,19,994	15,19,994
28.	मध्य प्रदेश	कुंड कुड जाननपीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 584, एम.जी. मार्ग टूकोगंज इंदोर-452001	2,50,000	2,50,000
29.	महाराष्ट्र	भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान डेक्कन जैमकाना पुणे-411037	14,15,180	14,15,180
30.	मणिपुर	राज्य अभिलेखागार मणिपुर वाशिंगलोम लिकोई, इम्फाल-795001 मणिपुर	13,39,148	13,39,148
31.	उड़ीसा	इनटैक आईसीआई उड़ीसा कला संरक्षण केंद्र राज्य संग्रहालय परिसर उड़ीसा भुवनेश्वर-उड़ीसा-751014	33,81,259	
32.		आतिथ्य प्लाट सं. 4/330, प्रथम तल, रघुनाथपुर, पो.ओ. शिशुपाल गढ़ (समीप गंगुआ पुल, पुरी रोड़, भुवनेश्वर-2 उड़ीसा	11,90,000	61,93,323
33.		साम्बलपुर पुस्तकालय विश्वविद्यालय साम्बलपुर विश्वविद्यालय बुरला-768001	16,22,064	
34.	पंजाब	वीवीआईएस और आईएस, होशियारपुर	1,50,000	1,50,000
35.	राजस्थान	राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान पी. डब्ल्यू. डी. रोड़, जोधपुर-342011	12,79,695	
36.		दिगम्बर जैन पांडुलिपि समरक्षण केंद्र जैन विद्या समस्थान दिगम्बर जैन नसीम भट्टाराकजी सवाई रामसिंह रोड़ जयपुर-302004, राजस्थान	15,97,893	28,77,5888
37.	उत्तर प्रदेश	आईसीआई संरक्षण केंद्र रामपुर रज़ा पुस्तकालय, हामिद मंजिल रामपुर-244901	13,70,000	

1	2	3	4	5
38.		नागार्जन बौद्ध प्रतिष्ठान 18, अंधियारी बाग, गोरखपुर-273 001	13,42,771	
39.		वृंदावन अनुसंधान संस्थान रमन रेटी, वृंदावन-281121	20,35,545	92,52,439
40.		भारतीय परिषद संरक्षण अनुसंधान एचआईजी-44, सैक्टर-ई, अलीगंज स्कीम लखनऊ-226024, ई-मेल:	34,84,123	
41.		केंद्रीय पुस्तकालय का मुख्य अनुभाग बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी	7,70,000	
42.		मज़हर मेमोरियल संग्रहालय भारियाबाद गाजीपुर (यू.पी)	2,50,000	
43.	उत्तराखंड	संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तरांचल, मारकण्डेय हाऊस (समीप एचएमटी मेन गेट), रानी बाग, जिला-नैनीताल-263126 उत्तरांचल	9,28,527	24,20,167
44.		हिमालय सोसायटी विरासत एवं कला संरक्षण केंद्र, नैनीताल, उत्तरांचल	14,91,640	
		सभी राज्यों के लिए जारी की गई कुल राशि	4,76,90,435	

पांडुलिपि संसाधन केंद्रों को द्वारा जारी की गई कुल निधियों	= 10,90,49,566/-रु.
पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों को द्वारा जारी की गई कुल निधियां	= 4,76,90,435/-रु.
महायोग	= 15,67,40,001/-रु.

(केवल पंद्रह करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार एक रुपए)

सांस्कृतिक अकादमियों का नवीकरण

3042. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ललित कला, संगीत नाटक और साहित्य अकादमी का नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अकादमियों का नवीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक स्मारकों में परिचर

3043. श्री एस.एस रामासुब्बु: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ने अपने क्षेत्राधिकार के ऐतिहासिक/विरासत स्मारकों पर कितने परिचरों की तैनाती की है तथा उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है;

(ख) क्या इन स्मारकों पर तैनात परिचरों की संख्या उनकों दिये गए कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक परिचरों की भर्ती करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनको सेवा पर कब से लगाये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन स्मारकों, पुरातत्ववीय स्थलों और अवशेषों पर इस समय 3463 स्मारक परिचर (पहरा तथा निगरानी स्टाफ) तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा आवश्यकताओं की देख-देख के लिए निजी सुरक्षा गार्डो, सशस्त्र पुलिस गार्डो/होम गार्डो और संवेदनशील स्मारकों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों की भी तैनाती की है। ब्यौरा इस प्रकार है:

(i)	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	387 कार्मिक
(ii)	सशस्त्र पुलिस गार्ड/होम गार्ड:	140
(iii)	निजी सुरक्षा गार्ड:	803

गत तीन वर्षो के दौरान स्मारक परिचरों की नियुक्ति पर किए गए खर्च (रूपए में) का ब्यौरा इस प्रकार है:

2007-2008:	34,32,44,035
2008-2009:	39,32,00,359
2009-2010:	47,54,48,033

(ख) और (ग) जी, नहीं। सामान्यत: प्रत्येक संरक्षित प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों पर केवल पहरा और निगरानी ड्यूटी के लिए लीव रिजर्व के अलावा तीन स्मारक परिचरों को तैनात किए जाने की आवश्यकता होती है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही संरक्षित प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों पर 1000 भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती करके पहरा तथा निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों पर पहरा तथा निगरानी ड्यूटी के लिए निजी सुरक्षा गार्डो की संख्या लगभग 700 तक बढ़ाने का भी लिया गया है। पहरा और निगरानी स्टाफ तथा सुरक्षा गैजेट्स की वास्तविक आवश्यकता जानने के लिए संरक्षित स्मारकों के सुरक्षा परीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

गोधुली-संतालपुर सड़क का निर्माण

***3044. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गौधुली-संतालपुर सड़क के निर्माण/उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गौधुली-संतालपुर सड़क के निर्माण/उन्नयन हेतु भी संशोधित अनुमान प्राप्त हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सड़क परियोजना को कब तक मंजूर और शुरू किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) 550 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से लगभग 255 किमी. की गौधुली-संतालपुर सड़क का निर्माण/सुधार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2010 को किया गया है। तैयारी संबंधी प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल, 2011 में शुरू किया जाना है।

आप्रवास सेवाओं का उन्नयन

3045. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में आप्रवास सेवाओं के आधुनिकीकरण एचं उन्नयन का कोई प्रस्ताव/परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक शुरू किये जाने तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। देश में आप्रवासन सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए सरकार मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) को कार्यान्वित कर रही है।

देश में आप्रवासन सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (एन ई जी पी) के अन्तर्गत गृह मंत्रालय द्वारा शरू की गई एक मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) है। एम एम पी को "आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण एवं टैकिंग (आई वी एफ आर टी)" नाम दिया गया है। यह परियोजना वीजा जारी करने की प्रक्रिया में सुरक्षा एवं सुविधा को बढ़ाने वाल एक सुरक्षित एवं एकीकृत सेवा सुपुर्दगी के ढाँचे को विकसित करेगी, विदेशियों का प्रभावी रूप से पता लगाने के लिए विदेशियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त आप्रवासन कार्य को सुदृढ़ बनाएगी।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1011 करोड़ रुपए है। यह परियोजना एक सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है और साढ़े चार वर्षों की अवधि अर्थात अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2014 तक फैली हुई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से, विश्वभर में फैले समस्त 169 भारतीय मिशन, 77 आप्रवासन जांच चौकियां (आई सी पी) और देश के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ आर आर ओ) विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफ आर ओ) केन्द्रीय विदेशी ब्यूरो (सी एफ बी) से जुड जाएंगे।

[हिन्दी]

सब्जियों और फलों के मूल्य में वृद्धि

3046. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में असमय वर्षा होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं जिससे सब्जियां एवं फलों की कमी हो गई है और इसके कारण इनके बिक्री मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवंबर, 2010 से जनवरी 2011 के महीनों के दौरान प्याज, टमाटर, मटर, बंदगोभी, सेम, गाजर, केला, सेब आदि के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन कितना रहा; और

(घ) सरकार ने मूल्य नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) महोदया, चालू वर्ष के दौरान सब्जियां और फलों के उत्पादन में नीचे दी गई तालिका के अनुसार कोई भंडार नहीं किया गया है:-

बागवानी	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)		
जिंस	2008-09	2009-10	2010-11 (अनुमानित)
फल	68466	72282	75770
सब्जियां	129072	133545	141354

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और सहकारिता विभाग

हाल में प्याज के अधिक दामों का मुख्य कारण प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के कुछ भागों में नवंबर और दिसंबर, 2010 के दौरान असमय वर्षा के कारण खरीफ फसल की प्रारंभिक क्षति होने की वजह से बाजार में कम और विलंब से प्याज पहुंचना है। तथापि वर्ष 2010-11 में सब्जियों और फलों का कुल उत्पादन 2009-10 में उत्पादन की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।

उत्पादन 000 मीट्रिक टन में

फसल	2009-10	2010-11 (अनुमानित)
1	2	3
प्याज	12190.7	13147.1
टमाटर	12424.9	12909.4
मटर	3011.0	3157.6
पतागोभी	7245.5	7397.6
सेम	494.1	782.1
गाजर	305.4	308.9
केला	27142.0	27862.0
सेब	1772.0	2402.0

स्रोत: एनएचबी. कृषि और सहकारिता विभाग

(घ) फलों और सब्जियों का खुदरा बिक्री मूल्य कई बड़े कारकों प्राथमिक रूप से मांग और आपूर्ति की स्थिति, परिवहन लागत, शीत भडारण की लागत आदि पर निर्भर करता है। बागवानी उत्पादों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए अधिक प्रभावी उपाय देश में कटाई पश्चात प्रबंधन की अच्छी अवसंरचना स्थापित करना है जिसे कृषि और सहकारिता विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी सहायता (एचएमएनईएच) के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। इसमें उपभोक्ताओं को फलों और सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीतागार की स्थापना, टर्मिनल मंडियों की स्थापना, थोक मंडी और ग्रामीण प्राथमिक मंडल/अपनी मंडी और किसानों को लाभकारी आय प्राप्त करना भी शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी "बागवानी उत्पादन के लिए शीतागार के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीनिवेश राजसहायता" कार्यान्वित कर रहा है।

बागवानी उत्पादों विशेषकर प्याज के मूल्य को सीमित करने के लिए सरकार ने सितम्बर, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमईपी को 275 पीएमटी अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 1200 पीएमटी अमेरिकी डालर करने सहित अनेक उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त 22 दिसम्बर, 2010 से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा था और प्याज के निशुल्क आयात की अनुमति घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए दी गई थी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार नेफेड और अन्य एजेंसियों के माध्यम से जनवरी, 2011 के दौरान दिल्ली में राजसहायता प्राप्त दर पर ब्याज का वितरण शुरु किया है। फरवरी, 2011 दूसरे सप्ताह में बंगलौर रोज और कृष्णापुरम प्याज जैसी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है क्योंकि इनकी अपने देश में खपत नही की जाती है, इन्हें अधिक अवधि तक स्टोर नहीं किया जा सकता तथा साथ ही प्रतिबंध से किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाल ही में सरकार ने पूरे देश में अधिक मात्रा में प्याज के आवक तथा गिराते हुए मूल्य को देखते हुए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध पूरी तरह हटाने का निर्णय लिया है और प्रति मीट्रिक टन एमईपी को घटाकर 600 अमेरिकी डालर कर दिया है।

एरान में प्राचीन स्थल

3047. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के एरान गांव में विभिन्न प्राचीन पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक/स्थल घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्मारकों/स्थलों के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश में एरान गांव स्थित प्राचीन स्थल, जहां विभिन्न पुरातत्वीय स्मारक और अवशेष हैं, को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) इस स्थल पर संरक्षण का कार्य मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित रूप से किया जाता है और यह स्मारक भली-भांति परिरक्षित है। संरक्षण कार्य पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.स.	स्मारक का नाम	वर्षवार खर्च की गई राशि रूपये में		
		2008-09	2009-10	2010-11 फरवरी, 11 तक
1.	एरान स्थित प्राचीन स्थल	3,77,124	7,42,853	3,87,099

[अनुवाद]

नये भारतीय सांख्यिकी संस्थान

3048. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नये भारतीय सांख्यिकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान संस्थान-वार शामिल किये गये संकाय सदस्यों तथा उक्त प्रयोजनार्थ प्रदत्त निधियों सहित इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): (क) और (ख) वर्तमान में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की सांख्यिकीय गुणवत्ता तथा प्रचालन अनुसंधान (एसक्यूसी एंड ओआर) इकाई अवस्थित है।

जहां तक भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के और अधिक केंद्र स्थापित करने का सम्बन्ध है, तेज़पुर में भा. सां. सं. स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) चालू वित्त वर्ष में तेज़पुर में भा. सां. सं. के लिए 6 करोड़ उपलब्ध करवाए गए हैं। प्राध्यपन सदस्यों को भरती करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

[हिन्दी]

दालों का आरक्षित भण्डार

3049. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपातकालीन संकट से निपटने हेतु दालों का आरक्षित भण्डार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दालों की मांग को पूरा करने तथा मौजूदा जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) इस समय दालों के आरक्षित भंडार के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा दालों की मांग को पूरा करने और जमाखोरी और काला-बाजारी को रोकने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) दालों के आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है-31.3.2011 तक।

(2) दालों के निर्यात (काबुली चने को छोड़कर) पर 31.3. 2011तक प्रतिबंध लगाया गया है।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए दालों के आयात पर हुए घाटे के 15 प्रतिशत तक और सी आई एफ वैल्यू के 1.2 प्रतिशत के सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था को 31.3.2011 तक आगे बढ़ाया गया है।

(4) राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से सब्सिडी वाली दालों के 10 रुपए प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रतिमाह 1 कि.ग्रा. की दर से वितरण की स्कीम। यह स्कीम 31.3.2011 तक लागू है।

(5) दालों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा स्टॉक सीमा आदेश अधिरोपित किया जाना 30.9.2011 तक जारी रखा गया है।

(6) वर्ष 2010-11 के दौरान चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 2100 रुपए प्रति क्विन्टल, मसूर 2250 रुपए प्रति क्विन्टल, अरहर 3000 रुपए प्रति क्विन्टल, मूंग 3170 रुपए प्रति क्विन्टल और उड़द 2900 रुपए प्रति क्विन्टल हो गया।

(7) मध्यकालीन अवधि में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दाल कार्यक्रम को दाल उगाने वाले 16 प्रमुख राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जो देश के लगभग 97.5 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करते हैं। इसके अलावा, मैक्रो मैनेजमेंट एग्रीकल्चरल स्कीम के तहत उन राज्यों को दालों के विकास के लिए भी सहायता दी जाती है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और आई एस ओ पी ओ एम कार्यक्रम के तहत कवर नहीं होते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दालों के तहत संभावित क्षेत्रों दालों के गहन अधिक गहन संवर्धन के लिए एक तीव्र दाल उत्पादन कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। इसी प्रकार दाल उतपादन बढ़ाने में अन्य स्कीमों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए प्रमुख दाल उगाने वाले राज्यों में 60,000 दालें और तिलहन ग्राम आयोजन के नई पहल कार्यान्वित की जा रही है।

(8) यैलो पीज की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान शुरू किए गए है।

[अनुवाद]

कृषि आपूर्ति श्रृंखला

3050. श्री वरूण गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्यस्थों की बहुस्तरीय संरचना के कारण मौजूदा विपणन अदक्षता को समाप्त करने हेतु कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) जी, हां। विपणन अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए पर्याप्त निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र शामिल है, को सरल बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उन्हें अपनाये जाने के लिए मॉडल कृषि उत्पादन विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2003 परिचालित किया है। मॉडल अधिनियम में ठेका कृषि, प्रत्यक्ष विपणन, निजी और सहकारी क्षेत्रों द्वारा मंडियों की स्थापना का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला और विपणन प्रणाली में विचौलिए की कमी के जरिए किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभ में सुधार करना है। सरकार विभिन्न स्कीमों अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विपणन अवसंरचना ग्रेडिंग और मानकीकरण, कृषि वस्तुओं हेतु विपणन अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला के विकास हेतु पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन जैसी विभिन्न स्कीमों के जरिए सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए द्वारा फ्लैट का आबंटन

3051. श्री महेश्वर हजारी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुल कितने व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किये गये:

(ख) ऐसे आवंटियों की संख्या क्या है जिन्होंने अन्य श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को अपना फ्लैट बेच दिया है;

(ग) क्या ये फ्लैट अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरणीय हैं;

(घ) यदि हां, ता इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को आवंटित फ्लैटों के हस्तान्तरण/बिक्री के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किए गए अनुसार पिछले तीन वर्षो के दौरान उक्त प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित फ्लैटों की कुल संख्या निम्नलिखित अनुसार है।

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2008	948	303
2009	37	7
2010	15	02

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि वर्ष 1992 से आंबटन फ्री होल्ड आधार पर किए जा रहे हैं, इसलिए फ्लैटों की बिक्री/हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा इसलिए फ्लैटों की बिक्री/हस्तांतरण संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ख) से (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होम गार्ड्स

***3052. श्री अमरनाथ प्रधान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से होम गार्ड्स की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर कुल कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, होत गार्ड कमाण्डेंट

जनरल कार्यालय, उड़ीसा ने होम गार्ड की वर्तमान क्षमता को 15708 से बढ़ाकर 19708 करने के लिए अक्टूबर 2009 तथा 2010 में सिविल डिफेंस महानिदेशालय को एक प्रस्ताव भेजा था। उड़ीसा सरकार, जिसे व्यय का अधिकांश भाग वहन करना है, ने होम गार्डो की क्षमता को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) वर्धित क्षमता की वित्तीय विवक्षा का आकलन राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गायब दस्तावेज

3053. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस प्रकार की सूचना मिली है कि आपातकाल से संबंधित अनेक संवेदनशील दस्तावेज कथित तौर पर गायब हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

दिल्ली में भूमि

+**3054. डॉ बलीराम:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिड़ला मंदिर के सामने कोई भूखंड अधिग्रहित/आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूखंड के अधिग्रहण/आवंटन का लक्ष्य एवं उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उचित विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है क्या इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(घ) इसके विपरीत की वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारी वर्षा से फसलों का नुकसान

3055. श्री विभू प्रसाद तराई: क्य **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान में भारी वर्षा के कारण फसलों के नुकसान की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न वर्गों से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, और उड़ीसा राज्य सरकारों ने वर्ष 2010-11 के दौरान भारी/गैर मौसमी वर्षा के कारण फसलों को हुआ नुकसान सूचित किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विस्फोट के मामले

***3056. श्री पी. लिंगम:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री असादूद्दीन आवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हुए विभिन्न बम विस्फोटों/आतंकी हमलों की जांच के संबंध में कोई प्रति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए बम विस्फोटों/आतंकवादी हमलों के 14 मामले या तो जांच अधीन हैं या सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन हैं। एक मामले में दोषसिद्धि और सजा सुनाई जा चुकी है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्फोटों/आंतकवादी हमलों का ब्यौरा

क्र.सं.	तारीख	घटना	स्थिति
1.	7.12.2010	वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में बम विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।
2.	19.09.2010	जामा मस्जिद (दिल्ली) में गोलीबारी और विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।
3.	17.04.2010	चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।
4..	13.2.2010	पुणे में बम विस्फोट	विचारणाधीन
5.	16.10.2009	मरगावों विस्फोट	विचारणाधीन
6.	26.11.2008 28.11.2008	मुम्बई में आतंकवादी हमले	अजमल कसाब को दिनांक 6.5.2010 को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने सजा को कायम रखा।
7.	29.9.2008	मालेगांव, महाराष्ट्र में बम विस्फोट	विचारणाधीन
8.	29.9.2008	साबरकांठा, गुजरात में बम विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।
9.	27.9.2008	महरौली, दिल्ली में बम विस्फोट	मामले की जांच की जा रही है।
10.	13.9.2008	दिल्ली में पांच बम विस्फोटों को श्रृंखला	विचारणाधीन
11.	26.7.2008	अहमदाबाद में 18 बम विस्फोटों की श्रृंखला	विचारणाधीन
12.	25.7.2008	बंगलौर में 8 बम विस्फोटों की श्रृंखला	विचारणाधीन
13.	13.5.2008	जयपुर में बम विस्फोटों की श्रृंखला	विचारणाधीन
14.	1.1.2008	रामपुर में श्री आर पी एफ ग्रुप सेंटर पर हमला	विचारणाधीन

केरल से प्रस्ताव

3057. श्री एंटो एंटोनी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार से टीएमबी ऑपरेशन और कायल पारिस्थितिकी के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) जी नहीं।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्वी राज्यों का विकास

3058. श्री वीरेन्द्र कश्यपः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री पी.करुणाकरनः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री आर.थामराईसेलवनः
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेलाः

क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के समग्र विकास के लिए पैकेज मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) इसे परियोजना-वार किस तरह लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों को राज्य-वार तथा परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उन्होंने कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन, अर्थव्यवस्था में सुधार तथा इस क्षेत्र को रेल, सड़क एवं विमान सेवा से जोड़ने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या केंद्र सरकार के पास उत्तर-पूर्वी राज्यों के त्वरित विकास के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) से (ज) सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई विशेष पैकेजों/कार्यक्रमों की घोषणा की है जिनमें संपर्क सहित अवसंरचना के सुधार पर मुख्य जोर दिया गया है। प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है-

विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रमः इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की राजधानियों को 2/4 लेन की सड़कों से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन करना और सभी जिला मुख्यालयों को उचित संपर्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया है अर्थात् चरण-क, चरण-ख और अरुणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज तथा इस कार्यक्रम के तहत कुल लगभग 10141 कि.मी. की सड़कें कवर होंगी। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत किया गया बजट आबंटन और व्यय निम्नानुसार है-

वर्ष	आबंटन (रु करोड़ में)	व्यय (रु करोड़ में)
2007-08	700	651
2008-09	1000	637
2009-10	1200	676
2010-11	1500	583 (आज की तारीख को)

रेल नेटवर्क का विस्तारः जैसा कि रेल मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2011-12 में घोषणा की गई है, रेल परियोजनाओं के लिए अव्यपगत निधि का सृजन किया गया है जिससे क्षेत्र में परियोजनाओं की प्रगति बढ़ेगी। अगले 7 वर्षों में सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल द्वारा जोड़ दिया जाएगा।

बीटीसी पैकेजः सरकार बोडो प्रादेशिक परिषद क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक संरचना के विकास के लिए विशेष पैकेज कार्यान्वित कर रही है। आरंभ में इस पैकेज के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये (प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु.) 50 जारी किए जान थे। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने अगस्त, 2008 में अपने असम दौरे के दौरान 250 करोड़ रु. के अतिरिक्त बीटीसी पैकेज की घोषणा की थी। दो पैकेजों के तहत अब तक 52 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और कुल 480.20 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

सामाजिक आर्थिक अवसंरचना विकास निधि (एसआईडी एफ): केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-09 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और सीमाक्षेत्र के लिए एसआईडीएफ के तहत 500 करोड़ रु. के प्रावधान की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत चालू परियोजनाओं की संख्या 7 है। इस निधि के अस्तित्व

में आने के 2 साल के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

एसआईडीएफ स्कीम के तहत (रु करोड़ में)

राज्य	2009-10	2010-11
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	10.00	27.98
असम	-	1.48
नागालैंड	-	22.99
सिक्किम	7.42	-
कुल	17.42	62.45

अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल: एनएलसीपीआर के तहत चालू परियोजनाओं की कुल संख्या 651 है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय की एनएलसीपीआर स्कीम के तहत जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

एनएलसीपीआर स्कीम के तहत (रु. करोड़ में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-2011
अरुणाचल प्रदेश	105.28	165.98	152.89	92.99
असम	146.09	94.38	107.49	164.96
मणिपुर	61.86	84.35	90.09	50.37
मेघालय	60.39	94.82	76.72	51.96
मिजोरम	29.82	14.94	19.91	44.14
नागालैंड	71.70	103.81	102.94	77.77
सिक्किम	48.46	62.91	22.91	48.67
त्रिपुरा	112.40	39.19	95.67	61.12
कुल	636.00	660.38	668.62	591.98

एनईसी द्वारा जारी की गई राशि: उपर्युक्त के अतिरिक्त एनईसी ने भी अपनी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 600 करोड़ रु. और वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष 624 करोड़ रु. की राशि जारी की है। चालू वर्ष के दौरान इसका 700 करोड़ रु. की राशि जारी करने का प्रस्ताव है।

एनईसी द्वारा हवाई संपर्क में सुधार के लिए किए गए प्रस्ताव: एनईसी ने 10वीं योजना के दौरान भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 10 हवाई अड्डों अर्थात गुवाहटी, लीलाबाड़ी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, दीमापुर, सिल्वर, तेजपुर, इम्फाल, अगरतला और अमरोई (मेघालय) के सुधार का काम शुरू किया है। 7 हवाई अड्डों के सुधार का काम पूरा हो चुका है। सिल्वर, डिब्रूगढ़ और अमरोई हवाई अड्डों का काम प्रगति के विभिन्न चरणों में है। एनईसी ने आईजोल में लेंगपुई हवाई अड्डों का काम प्रगति के विभिन्न चरणों में है। एनईसी ने आईजोल में लेंगपुई हवाई अड्डे (जो मिजोरम सरकार के स्वामित्व में है) के सुधार और अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे के प्रचालन संबंधी परियोजना के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई है।

एनईसी वर्ष, 2002 से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए अलायंश एयर को व्यवहार्यता गैप निधियन के लिए सहायता उपलब्ध कराता रहा है। यह सहायता उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उन हवाई अड्डों के लिए दी जाती है जो अन्य वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा समुचित रूप से नहीं जोड़े गए हैं।

उपर्युक्त कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आर्थिक विकास में सुधार होगा। सरकार ने एनईआईआईपीपी, 2007 की भी घोषणा की है जिसके तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और इससे भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/एनईसी ने एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया है।

[अनुवाद]

उत्पीड़न के मामले

***3059. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:**
श्री बदरूद्दीन अजमल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में पश्चिम बंगाल के निवासियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें संदिग्ध मतदाता तथा अवैध प्रवासी की संज्ञा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों को कोई सलाह जारी की गई है ताकि वे ऐसे मामलों को रोक सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश के कुछ हिस्सों से कतिपय ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी राष्ट्रीय समझकर पकड़ लिया गया है।

(ग) और (घ) अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और देशान्तर करने की विस्तृत कार्यप्रणाली तैयार कर ली गई है और नवम्बर, 2009 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दी गई है। राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 05 अगस्त, 2010 को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि किसी भी समुदाय के किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाए और नवम्बर, 2009 में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन करें। कार्यप्रणाली के बारे में आगे और अनुदेश दिनांक 22.2.2011 को जारी किए गए।

भीड़ का प्रबंधन

***3060. श्री एम.के. राघवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भीड़ प्रबंधन संबंधी किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं एवं इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने अघातक शस्त्रों/उपकरणों, की पहचान करने तथा आतंकवादरोधी क्षमता तथा आसूचना जानकारी को सुदृढ़ करने पर विचार करते हुए विद्यमान प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए किसी पृथक समिति का भी गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ज) दिनांक, 25-27 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में जन-आन्दोलन और अघातक उपायों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया था। इस कार्यबल में गृहमंत्रालय, आसूचना ब्यूरों (आई बी), केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों (बी पी आर एंड डी), रक्षा अनुसंधान विकास

संगठन (डी आर डी ओ), राज्य सरकार और राज्य पुलिस के सदस्य शामिल हैं।

दिनांक 26.10.2010 को हुई कार्य बल की पहली बैठक में दो उप-समूहों का गठन किया गया था। उप समूह-I का अध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के महानिदेशक को बनाया गया था और उसे जन-आन्दोलनों एवं अघातक उपायों से निपटने के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया एस ओ पी तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। उप-समूह-II का अध्यक्ष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के महानिदेशक को बनाया गया था और उसे मौजूदा अघातक उपकरणों के लिए विभिन्न नए अघातक उपकरणों की पहचान करने के कार्य सौंपा गया था। एस ओ पी मुख्यतया कोर-पोजीशन के अनुरूप/विधि विरुद्ध सभा को तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ न्यूनतम आवश्यक बल के प्रयोग के उद्देश्य से तैयार की जाती है।

उप-समूहों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और इन्हें सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों को भेजा गया है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

3061. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों पर हमलों सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी को नियंत्रित करने तथा इनकी आपूर्ति को बनाए रखने संबंधी नियमों/कानूनों को लागू करने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. थॉमस): (क) से (ग) आवश्यक सूचना अधिनियम , 1955 का प्रवर्तन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। भारत सरकार को हाल में जमाखोरी और चोर बाजारी के नियंत्रण से संबंधित नियमों/कानूनों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन प्राधिकारियों पर आक्रमण सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा के कोई विस्तृत मामले सूचित नहीं किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए वर्ष 2010 के दौरान मारे गए छापों, अभियोजित व्यक्तियों, दोष सिद्ध व्यक्तियों और जब्त की गई वस्तुओं के मूल्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रूपए में)
2010 (23.02.2011) तक	204783	10906	4539	161	10500.7

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा कम्पनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के विशाल स्टाकों की जमाखोरी के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं दी गई है।

राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं। राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत जारी किए गए नजरबंदी आदेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

राज्य का नाम	2010
1	2
गुजरात	79
तमिलनाडु	120

1	2
उड़ीसा	02
महाराष्ट्र	02
आंध्र प्रदेश	01
छत्तीसगढ़	01
कुल	205

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6.2.2010 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के अनुसरण में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का एक स्थायी कोर ग्रुप गठित किया गया था। कोर ग्रुप ने 8.4.2010 को हुई अपनी पहली बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल) उपभोक्ता मामलों पर एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया। कार्यदल के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन और संशोधन शामिल था। उपभोक्ता मामलों पर कार्यदल 2.3.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

फौन टैपिंग उपकरणों की बिक्री

***3062. श्री रघुवीर सिंह मीणा:**
डॉ. चरण दास महन्तः
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के प्रयोजनार्थ कुछ कंपनियों को ऑफ दि रायट फोन टैपिंग उपकरणों का आयाता करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उपकरणों की खरीद अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस के क्या कारण है;

(ङ) क्या देश में अनेक विक्रेता उक्त टैपिंग उपकरणों की बिक्री कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (च) पैसिव आफ-दि एअर जी एस एम सिस्टम, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं और दूर संचार आपरेटरों को अपने लाइसेंसिंग करार के एक भाग के रूप में विधिक अन्तरावरोधक प्रणाली को लगाने के अधिदेश हैं। तथापि, "आफ-दि-एअर निगरानी उपकरण" जो 'खुली सामान्य अनुज्ञप्ति' (ओ जी एल) के अधीन थे, को ओ जी एल सूची से बाहर कर दिया गया है और इन्हें दिनांक 15 जुलाई, 2010 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्या 53/2009-2014 के तहत प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। इसके अलावा, दूर-संचार विभाग ने दिनांक 31.12.2010 की प्रेस विज्ञप्ति के तहत उन व्यक्तियों और कम्पनियों, जिन्होंने बातचीत की निगरानी/अन्तरावरोधन और अन्वीक्षण करने वाले उपकरण/उप प्रणालियों का आयात किया है/किया था अथवा खरीदा था अथवा इन्हें लगा रखा है, को ऐसे उपकरणों के ब्योरे निर्धारित प्रोफार्मा में 60 दिनों के भीतर दूर संचार विभाग के संबंधित दूर-संचार प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी (टी ई आर एम) प्रकोष्ठों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में परियोजनाएं

3063. श्री सी. आर. पाटिल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं के नाम तथा वित्तीय ब्यौरा क्या है जिन्हें निष्पादन के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है एवं उनकी अनुमानित लागत कितनी है तथा इनके पूरा होने की तिथि क्या है;

(ख) क्या परियोजना पूरी होने में विलम्ब की स्थिति में किसी प्रकार की शास्ति का उपबंध है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त शास्तियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में केन्द्रीय निर्माण विभाग को सौंपी गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। केलोनिवि की संविदा की सामान्य शर्तों में सभी परियोजनाओं में विलंब की स्थिति में दण्ड का प्रावधान है।

(घ) कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए संविदा की धाराएं एवं लक्ष्य दिए गए है।

विवरण

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई परियोजनाओं के नाम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनंतिम लागत	पूर्ण होने के लक्ष्य तारीख
1.	जनपथ, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरु भवन	185.56 करोड़ रु.	31.5.2011
2.	सुनहरी बाग (एलबीजेड क्षेत्र), नई दिल्ली के प्लाट सं. 1, 12, 13 तथा 15 मंत्रियों के बंगलों का निर्माण कार्य	8.26 करोड़ रु.	31.3.2011
3.	30 जीआरजी रोड़ नई दिल्ली में टाइप-VII बंगले का निर्माण कार्य	1.03 करोड़ रु.	31.3.2011
4.	2, जनपथ रोड, नई दिल्ली में टाइप-VIII बंगले का निर्माण कार्य	2.17 करोड़ रु.	15.6.2011
5.	7, मोतीलाल नेहरु मार्ग, नई दिल्ली में टाइप VIII के दो बंगलों का निर्माण कार्य	4.59 करोड़ रु.	15.2.2012 (अनंतिम)
6.	डा. विशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली में लोक सभा के लिए 52 बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण कार्य	63.79 करोड़ रु.	1.7.2013 (अनंतिम)
7.	एम्स चरण-II के अंसारी नगर काम्पलेक्स में नाले को कवर करना	24.86 करोड़ रु.	30.4.2012
8.	एम्स, नई दिल्ली में 8 लिफ्टों का निर्माण कार्य	4.50 करोड़ रु.	30.6.2011
9.	एम्स, नई दिल्ली में सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य	3.44 करोड़ रु.	304.2011
10.	अलीगंज में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप-II के 300 क्वार्टरों का निर्माण कार्य	35.00 करोड़ रु.	31.6.2011

[हिन्दी]

प्रदर्शनों पर रोक

3064. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रदर्शनी या राजनीतिक आंदोलन आयोजित करने पर कोई रोक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता चला है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन को रोक कर वापस लौटाया गया था और उन्हें वापस कर्नाटक भेज दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ख) बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति के एक भाग के रूप में प्रदर्शनों या राजनीतिक आंदोलनों को आयोजित करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) में निहित प्रतिबंधों के अध्यधीन है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा/कानून एवं व्यवस्था की चिंताओं के आधार पर प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेशों को लागू करने सहित समस्त निवारक उपाय करने की शक्ति प्राप्त है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एकता यात्रा की पराकाष्ठा पर गणतंत्र

दिवस 2011 पर लाल चौक, श्रीनगर में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए भारतीय युवा जनता मोर्चा के आह्वान पर भारतीय युवा जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू एवं कश्मीर जाना था। राज्य सरकार की जानकारियों से पता चला कि देश के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं के आने से राज्य में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती थीं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अनुरोध किया था कि सभी संबंधितों को जम्मू एवं कश्मीर के लिए रेलवे स्पेश/स्पेशल ट्रेनों के आने पर तत्काल रोक/प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुरोध का समर्थन किया। तदनुसार, रेलवे मंत्रालय/रेलवे प्राधिकारियों ने उस विशेष ट्रेन को बीच में रोक दिया और वापस भेज दिया जो यशवंतपुर से पहले ही चल चुकी थीं।

[अनुवाद]

जनगणना, 2011 में अनिवासी भारतीयों को शामिल करना

***3065. श्री पी. के बिजू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जनगणना, 2011 में अनिवासी भारतीयों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) जी नहीं, वर्तमान जनगणना में देश की जनसंख्या 1 मार्च, 2011 को 00.00 बजे की स्थिति के अनुसार घोषित की जाएगी। इसलिए जनगणना 2011 में केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की गई है जो गणना की अवधि अर्थात् 9 से 28 फरवरी, 2011 के दौरान देश में मौजूद थे। इस प्रक्रिया में देश में रहने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं:

(i) वे सभी व्यक्ति जो सम्पूर्ण गणना अवधि अर्थात् 9 से 28 फरवरी, 2011 (दोनों दिन शामिल हैं) के दौरान सामान्यतः उस परिवार में रहते हैं और उपस्थित हैं:

(ii) वे व्यक्ति भी जो सामान्यतः वहां के निवासी के रूप में जाने जाते हैं और जो गणना अवधि (9 से 28 फरवरी, 2011) के कुछ भाग के दौरान परिवार में वास्तव में रहे हैं लेकिन प्रगणक के पहुंचने के समय उपस्थित नहीं हैं;

(iii) वे व्यक्ति भी जो परिवार के सामान्य निवासी के रूप में जाने जाते हैं और प्रगणक के पहुंचने के समय उपस्थित नहीं हैं लेकिन 28 फरवरी, 2011 तक जिनकी वापसी की संभावना है; और

(iv) आगंतुक जो प्रगणक द्वारा गणना किए गए परिवार में उपस्थित हैं और सम्पूर्ण गणना अवधि के दौरान जिनकी अपने सामान्य निवास स्थान से दूर रहने की संभावना है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनिवासी भारतीयों की गणना नहीं की गई है जो कि गण्ना की अवधि के दौरान देश में मौजूद नहीं थे।

निजी गुप्तचर एजेंसियां

***3066. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री उमा शंकर सिंह:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गुप्तचर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के पास पंजीकृति घरेलू और विदेशी निजी गुप्तचर तथा जांच एजेन्सियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन एजेंसियों के पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या यह पता चला है कि देश में कुल गुप्तचर एजेंसियां सरकार के पास पंजीकरण कराए बिना ही काम कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकारी आसूचना एजेंसियों से सेवानिवृत्त होने वाले अनेक अधिकारी अपनी सरकारी सेवा से सेनानिवृत्ति के तुरन्त बाद इन एजेंसियों में काम करने लगते हैं:

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस बात क आशंका है कि ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा अपनी सेवाकाल के दौरान एकत्रित की गई सूचना निजी ग्राहकों को दी जा सकती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) गुप्तचर और जांच एजेंसियों के पंजीकरण के संबंध में कोई केन्द्रीय कानून नहीं है। इसलिए इन भागों के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या ऐसी एजेन्सियां राज्य में लागू किसी राज्य कानून के तहत राज्य सरकार में पंजीकृति हैं।

(ङ) से (ज) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किसी वाणिज्यिक संस्थान/उद्यम में रोजगार प्राप्त करता है तो वह उन नियमों द्वारा शासित होता है जिसमें सरकारी कर्मचारी को यह अधिदेश है कि वह सेवानिवृत्ति के एक साल के अंदर रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करें। ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

पाकिस्तानी नागरिकों को अनुमति

***3067. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात के कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किस आधार पर दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, कतिपय सीमावर्ती/अधिसूचित/प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा करने/वहां ठहरने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रीय सहित विदेशी राष्ट्रीय द्वारा गृह मंत्रालय से विशेष अनुमति ली जानी अपेक्षत है। सरकार ने विधिवत पुलिस सत्यापन के बाद और राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रीय को गुजरात के कच्छ जिले में ठहरने की अनुमति दी है।

राष्ट्रमंडल खेलों में ओवरले संविदाएं

3068. श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी) के लेखे परीक्षा में यह पाया गया है कि राष्ट्रमंडल खेले आयोजन समिति (ओसी) ने ओवरले संविदाओं सहित कतिपय मदों की दरें अत्यधिक बढ़ी हुए थीं;

(ख) यदि हां, तो ओवरले हेतु आयोजन समिति को आवंटित निधियों के ब्यौरे सहित मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोजन समिति ने विक्रेताओं के पक्ष में ओवरले की सूची जानबूझ कर बढ़ायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) आयोजन समिति राष्ट्रमंडल खेल, ने सूचित किया है कि सीएजी से लेखा परीक्षा रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आयोजन समिति को ओवरले लिए 687.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। जिसमें अस्थाई स्कोर बोर्ड, नेटवर्क स्वीच आदि के लिए 53.23 करोड़ रु. शामिल हैं।

(ग) से (ङ) इन मामलों की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने पर उनके द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शिकायतों का निपटान

3069. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एस. आर. जेयदुरई:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो. नि.वि.) ने निशुल्क टेलीफोन नम्बरों के माध्यमों से अनुरक्षण तथा मरम्मत की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोइ सेन्टर शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ पूछताछ कार्यालय उक्त काल सेन्टर के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतों को प्रमुख श्रेणी में परिवर्तित किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. सौगत राय): (क) जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) ने दिल्ली में सरकारी रिहायशी कालोनियों के लिए निःशुल्क टेलीफोन नंबर के माध्यम से मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी शिकायतें दर्ज करने के

लिए एक काल सेंटर शुरु किया है। यह स्कीम दिल्ली में कुछ कार्यालय भवनों के लिए चलाई गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। सामान्य शिकायतें यथा समय दूर की जाती है तथापि, बड़ी शिकायतें दूर करने में समय लगता है क्योंकि उसमें बड़ी प्रकृति का कार्य शामिल होता है। और उसे ठेकेदार के माध्यम से कराना अपेक्षित होता है। ठेकेदारों के माध्यम से कार्य निष्पादन में कार्य की स्वीकृति प्राप्त करना, निविदाएं आमंत्रित करना तथा ठेकेदारों को कार्य अवार्ड करना आदि जैसी प्रक्रियाएं अपेक्षित हैं।

(घ) विगत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान काल सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायतों और बड़ी शिकायतों में परिवर्तित शिकायतों की कुल संख्या 1,31,385 है।

[हिन्दी]

भारत विरोधी नारे

3070. डॉ. भोला सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादियों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर भारत विरोधी नारे ध्यान में नहीं आए हैं। तथापि, इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में सितंबर, 2010 के महीने में सी पी आई (माओवादी) द्वारा छापे हुए/हस्तलिखित कुछ पोस्टर चिपकाए हुए पाए गए थे।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर रोक

***3071. श्रीमति सुप्रिया सुले:**
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों के कार्यों पर कोई रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी कंपनी द्वारा उक्त क्षेत्र में काम करने वाली किसी भारतीय कंपनी से बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने का पता चला है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशी कंपनियों के कार्यो/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ आपरेट करने वाली भारतीय कंपनी से हिस्सेदारी प्राप्त करने पर रोक लगाने के संबंध में संगत कानून/नियमों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई रोक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कोई आंकड़ें नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अपराध दर

***3072. श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में बच्चों से संबंधित अपराध की दर दिल्ली में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालक अधिकार केन्द्र ने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों को भ्रामक बताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा बच्चों के प्रति अपराधों को नियंत्रित/रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा गई अद्यतन सूचना के अनुसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली में बच्चों के प्रति अपराध दर सर्वाधिक है। 2.1 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली में 16.0 की अपराध दर (एक लाख की जनसंख्या पर अपराध की घटना) सूचित की गई है जिसे वर्ष 2009 के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार के पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) दिल्ली पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस यूनिट स्थापित की हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली, 2007 के तहत पुलिस के कर्तव्यों के संबंध में स्थाई आदेश संख्या 68 जारी किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

***3073. श्री अम्बिका बैनर्जी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इकाईयों के साथ-साथ राज्य पुलिस बलों को रेडियोधर्मी पार्थो का पता लगाने तथा उनका निपटान करने संबंधी उपकरणों से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) ने प्रमुख मैट्रो और कुछ बड़े शहरेां में चुने हुए पुलिस स्टेशनों में अतिरिक्त आपात कार्रवाई केन्द्र (ए ई आर सी) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव पुलिस स्टेशनों को रेडिएशन मानीटरिंग उपकरण और पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर, दोनों प्रदान किए जाने के बारे में है। इसके अलावा पुलिस वाहनों में लगाए जाने के लिए जाएं/न जाएं किश्म का मानीटरिंग उपकरण का भी प्रस्ताव किया गया है।

अवैध ढांचों को हटाना

3074. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवासीय तथा व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सभी अवैध ढांचों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): स्थानीय निकायों अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं एनडीएमसी ने सूचति किया है कि अवैध/अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए एक समर्पित विभाग बिल्डिंग के नियमों/उप नियमों का उल्लंघन करने, अवैध निर्माण आदि के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का कार्य कर रहा है और एनडीएमसी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए अभियंताओं को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता हैं।

एमसीडी ने सूचित किया है जब कभी भी उसके अधिकार क्षेत्र में किसी अनधिकृत निर्माण/अधिक्रमण का पता चलता है दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के संबद्ध अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। एमसीडी ने आगे यह भी बताया है कि अनधिकृत अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का मानीटर करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा एक नोडल संचालन समिति गठित की गई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान एमसीडी द्वारा 5399 मामलों में गिरने/सील बंद करने की कार्रवाई की गई है तथा उसके द्वारा कुल 10416 मामले बुक किए गए हैं।

डीडीए ने सूचित किया है कि जब भी कोई अनधिकृत/अवैध ढांचे का मामला उसके ध्यान में आता है तो कानून और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के संबद्ध उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। लीजहोल्ड परिसम्पत्तियों के संबंध में लीज/आबंटन का निर्धारित करने की कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में अवैध और खतरनाक निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कार्यनीति और योजना बनाने के विषय पर उप राज्यपाल, दिल्ली के स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है तथा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें विशेष कार्यबल का गठन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता दिल्ली पुलिस अधिनियम, भारतीय दंड सहिता आदि के उपबंधों

के अंतर्गत कार्रवाई शुरु करना, विद्युत और जल के कनेक्शन बंद करना तथा स्वीकृति बिल्डिंग प्लान के बिना निर्मित परिसम्पत्तियों के संबंध में लेन-देन निदिर्ष्ट करना आदि शामिल हैं।

गन्ने की बकाया धनराशि

3075. श्री पूर्णमासी राम:
श्री रमेश बैस:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा गन्ने के आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान अब भी लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2007-08 और इससे पहले के गन्ने के मौसम से संबंधित गन्नों के बकाया का भुगतान अब भी लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक गन्ने का बकाया मूल्य दर्शाते हुए इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुसार चूककर्ता गन्ना मिलों से गन्ने का बकाया मूल्य वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या धामपुर चीनी मिल द्वारा स्वीकृत भुगतान और किए गए भुगतान में अनियमितताओं का पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(छ) गन्ना बकाया का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 के उपबंधों के अनुसार चीनी मिलों को किसानों से खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान उसकी सुपुर्दगी की तारीख से 14 दिन के भीतर करना अपेक्षित है जब तक कि दोनों पार्टियों के बीच लिखित रूप से इसके विपरीत कोई करार न हो।

(ख) से (घ) जी, हां। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 2008-09 और पूर्व के चीनी मौसमों से संबंधित राज्यवार गन्ना मूल्य बकाया दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गन्ना मूल्य बकाया प्रमुख रूप से खराब वित्तीय स्थिति, उच्च उत्पादन लागत, बिक्री से कम वसूली, चीनी के अधिक स्टॉक, कुप्रबंधन और लंबित न्यायिक मामले आदि कारणों से है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तमि़लनाडु द्वारा चूककर्ता चीनी मिलों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि वसूल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य राज्य सरकारो से इस बारे में अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि धामपुर चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में कोई अनियमितता बरतने के बारे में सूचना नहीं मिली है।

(छ) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन संबंधित जिलों के समाहर्ताओं, जहां चीनी मिल स्थिति है, को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि वसूली भूराजस्व के बकाये की वसूली के समान करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

विवरण

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के तहत चूककर्ता चीनी मिलों से गन्ना मूल्य बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय

आंध्र प्रदेश: चीनी मौसम 2002-03 के लिए 12 निजी चीनी फैक्ट्रियों के प्रति 33.09 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। यह मामला माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

कर्नाटक

भद्रा एसएसके लि. - राज्य सरकार ने एलआरओटी आधार पर फैक्ट्री पट्टे पर दी है और शेष 17.52 लाख रूपये का भुगतान पट्टे की राशि से किया जाएगा।

दक्षिण कन्नड एसएसके लि. - सरकार ने फैक्ट्री पट्टे पर दी है और 192.78 लाख रुपये का भुगतान पट्टे की राशि से किया जाएगा।

नरांजा एसएसके लि. 930 लाख रुपये की शेष राशि वसूल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

बदामी शुगर्स लि. - उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वित्तपोषण करने वाले अपनी बकाया राशि सार्वजनिक नीलामी द्वारा

वसूल करनी है और पहली प्राथमिकता सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी से प्राप्त राशि से गन्ना बिल के भुगतान के प्रति दी जाएगी।

ध्यानयोगी शुगर्स - 287 लाख रुपए वसूल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

सिरगुप्पा शुगर्स लि. गौरीबिदानूर - फैक्ट्री ने संबंधित किसानों को ब्यौज सहित शेष पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने की सहमति दी है।

महाराष्ट: चूककर्ता चीनी मिलों के विरूद्ध राजस्व रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं

पंजाब: पंजाब सरकार ने 2007-08 और पूर्व चीनी मौसमों के संबंध में शून्य गन्ना मूल्य बकाया सूचित किया है।

उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चीनी मौसम 2006-07 के लिए 3 चीनी फैक्ट्रीयों, 2007-08 चीनी मौसम के लिए 3 चीनी फैक्ट्रीयों और चीनी मौसम 2008-09 और 2009-10 के लिए 1 चीनी मिल के विरुद्ध रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं जो गन्ना मूल्य बकाया के चूककर्ता हैं।

तमिलनाडु: राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला समाहर्ता, थिरुवन्नामलई से अनुरोध किया गया है कि वे राजस्व वसूली अधिनियम के तहत अरुणाचलम शुगर मिल्स, थिरुवन्नामलई से 215.23 लाख रुपए के गन्ना मूल्य बकाया की वसूली करने के लिए कार्रवाई करें।

विवरण II

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 2008-09 और पूर्व के चीनी मौसमों से संबंधित राज्यवार गन्ना मूल्य बकाया।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 और पूर्व के मौसमों के लिए गन्ना मूल्य बकाया
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	6970.97
2.	उत्तराखण्ड	629.73
3.	मध्य प्रदेश	1061.67
4.	गुजरात	1162.00
5.	महाराष्ट्र	2062.78
6.	बिहार	3246.99
7.	आंध्र प्रदेश	3309.32
8.	कर्नाटक	2165.00
9.	तमिलनाडु	215.23
10.	केरल	384.74
	कुल	21208.43

चीन से आयातित माल की गुणवत्ता

3076. श्री मानिक टैगोर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरों (बी आई एस) ने कहा है कि चीन से सस्ती दरों पर आयातित कुछ सामग्री और उत्पाद खराब गुणवत्ता के हैं तथा बच्चों के स्वास्थ्य हेतु खतरनाक है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासियों को नागरिकता

3077. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों सहित विदेशी प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृहं मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी अनुरोध पर नागरिकता अधिनियम, 1955 की 5 और धारा 6 के

प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विचारा किया जाता है। नागरिकता नियमावली, 2009 के नियम 11 और 12 के अनुसार, भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित आवेदन, आवेदक द्वारा उस केलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है जिसके क्षेत्राधिकार का आवेदक मूल रूप से रहने वाला है। कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, भारत का नागरिक बनने की आवेदक की पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात, उस आवेदन को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, तत्पश्चात, आवेदनों को अपनी सिफारिश के साथ गृह-नागरिकता अधिनियम, 1955 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समूह के सदस्य भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते वे कानून के प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गोदामों हेतु निविदाएं

3078. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी.आई.) द्वारा गोदामों के निर्माण/विकास हेतु निजी क्षेत्र से विशेषकर बिहार में आमंत्रित निविदाओं को बार-बार निरस्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) निजी उद्यमियों के जरिए गोदामों का निर्माण करने हेतु आमंत्रित निविदाओं को केवल तभी रद्द किया जाता है जब ऐसा करने के वैध कारण होते हैं। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई स्कीम में आरंभ में 5 वर्ष की गारंटी अवधि की पेशकश की गई थी। निविदा प्रक्रिया के प्रति निवेशकों का उत्तर अधिक उत्साहवर्धक बनाने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 25-1-2010 के पत्र द्वारा गारंटी अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया था और अब इसे 10 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार पूर्व की 5 वर्ष की गांरटी स्कीम के अधीन मंगाई गई निविदाएं पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रद्द कर दी गई थीं। बिहार में केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी जिसे रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह तकनीकी रूप से अर्हक नहीं थी। बिहार राज्य भंडारण निगम ने दिनांक 24-4-2010 को पुन: निविदाएं आमंत्रित की थीं जिसके प्रति 7-6-2010 को 5000 टन के लिए केवल एक पेशकश प्राप्त हुई थी। राज्य स्तरीय समिति से 21-7-2010 को हुई अपनी बैठक में ऊंची दरें होने के कारण इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। बिहार राज्य भंडारण निगम ने बिहार में 20 केंद्रों पर 2.65 लाख टन क्षमता का निर्माण करने के लिए 3-1-2011 को फिर से निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाएं खोलने की तारीख 23-3-2011 है।

उग्रवादियों द्वारा दुष्प्रचार

***3079. डॉ. रत्ना डे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कश्मीर घाटी सहित देश के विभिन्न भागों में नक्सलियों सहित उग्रवादी गुटों द्वारा किए जा रहे कुप्रचार के विरूद्ध जनता हो जागृत करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) द्वारा किया जा रहे दुष्प्रचार के प्रति लोगों को जगरूक बनाने के उद्देश्य से एल डब्ल्यू प्रभावित राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के माध्यम से पोस्टर प्रकाशित और चिपकाएं जाते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी के हिन्दी क्षेत्र के स्टेशनों में दिनांक 15.08.2010 से 28.9.2010 तक और इन एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में हैदराबाद, कटक, नागपुर और कोलकाता के आकाशवाणी स्टेशनों में दिनांक 09.09.2010 से 23.10.2010 तक नक्सल प्रबंधनों से संबंधित तीन स्पॉट भी प्रसारित किए गए। वर्ष 2011-2012 के दौरान एल डब्ल्यू ई प्रभावित राज्यों में समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का प्रस्ताव है।

अपराध के बारे में एन.सी.आर.बी. का प्रकाशन

***3080. श्री जोस के. मणि:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) ने भारत में होने वाले अपराधों के संबंध में हाल ही में एक वार्षिक प्रकाशन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा हिंसा और अपराधों में वृद्धि के संबंध में राज्यों की रैंकिंग क्या है;

(ग) क्या सरकार को पुलिसकर्मियों द्वारा मानवधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी हां,। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एन सी आर बी), जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश में विभिन्न अपराधों के संबंध में आंकड़ों का संकलन करता है, ने हाल ही में वर्ष 2009 के लिए अपना वार्षिक प्रकाशन "भारत में अपराध" जारी किया है।

(ख) वर्ष 2007 से 2009 के दौरान पंजीकृत कुल भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अपराध के राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं; अतः राज्य सरकारें अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और जाँच पड़ताल करने और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधियों को अभियोजित करने और साथ ही, नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध की रोकथाम के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है और इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से दंड न्याय प्रणली के प्रसारण में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देने और अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यथा आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करती रही है। अपराध की रोकथाम, उसके पंजीकरण, जाँच पड़ताल और अभियोजन के संबंध में दिनांक 16 जुलाई, 2010 को सभी राज्यों सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक सलाह जारी की गई है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एन सी आर बी), जो अपराधों से संबंधित आंकड़े संकलित करता है, के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान पुलिस द्वारा "मानवाधिकार उल्लंघन" के तहत देश में कुल क्रमशः 64,253 और 191 मामले दर्ज किए गए थे।

विवरण

वर्ष 2007 से 2009 के दौरान कुल आई पी सी अपराध के तहत हुई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार घटनाएं और अपराध दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007		2008		2009	
		घटनाएं	दर	घटनाएं	दर	घटनाएं	दर
1		2	3	4	5	6	7
राज्य:							
1.	आंध्र प्रदेश	175087	214.6	179275	217.4	180441	216.6
2.	अरूणाचल प्रदेश	2286	192.1	2374	197.2	2362	193.6
3.	असम	45282	152.9	53333	177.3	55313	181.2
4.	बिहार	109420	117.9	122669	130.1	122931	128.4
5.	छत्तीसगढ़	45845	196.0	51442	216.4	51370	212.6
6.	गोवा	2479	155.3	2742	166.8	3005	177.7
7.	गुजरात	123195	220.5	123808	218.5	115183	200.5
8.	हरियाणा	51597	219.3	55344	231.7	56229	231.9
9.	हिमाचल प्रदेश	14222	218.5	13976	212.7	13315	200.9

1		2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू और कश्मीर	21443	177.2	20604	164.8	21975	170.2
11.	झारखंड	38489	129.4	38686	128.3	37436	122.6
12.	कर्नाटक	120606	211.7	127540	221.4	134042	230.3
13.	केरल	108530	319.1	110620	322.1	118369	341.5
14.	मध्य प्रदेश	202386	295.6	206556	296.4	207762	293.0
15.	महाराष्ट्र	195707	184.7	206243	192.1	199598	183.6
16.	मणिपुर	3259	125.1	3349	127.0	2852	106.8
17.	मेघालय	2079	82.7	2318	91.0	2448	95.0
18.	मिजोरम	2083	214.3	1989	202.1	2047	205.5
19.	नागालैण्ड	1180	54.4	1202	54.7	1059	47.6
20.	उड़ीसा	54872	138.5	56755	141.8	55740	137.9
21.	पंजाब	35793	135.6	35314	132.3	35545	131.7
22.	राजस्थान	148870	232.9	151174	232.6	166565	252.2
23.	सिक्किम	667	113.2	730	122.5	669	110.8
24.	तमिलनाडु	172754	261.7	176833	265.6	174691	260.3
25.	त्रिपुरा	4273	122.8	5336	151.4	5486	153.8
26.	उत्तर प्रदेश	150258	79.7	168996	88.0	172884	88.4
27.	उत्तराखण्ड	9599	102.1	8856	92.8	8802	90.9
28.	पश्चिम बंगाल	81102	93.0	105419	119.5	113036	126.7
	कुल (राज्य)	1923363	172.4	2033483	179.5	2061155	179.5
संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	807	199.3	882	212.5	941	222.5
30.	चंडीगढ़	3643	348.3	3931	367.0	3555	324.1
31.	दादरा और नगर हवेली	425	165.4	401	151.3	442	160.7
32.	दमन और दीव	260	141.3	248	131.2	276	142.3
33.	दिल्ली	56065	335.1	49350	286.1	50251	282.6

1		2	3	4	5	6	7
34.	लक्षद्वीप	56	82.4	95	137.7	134	188.7
35.	पुडुचेरी	5054	475.4	4989	461.9	4591	418.5
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	66310	335.6	59896	294.5	60190	287.5
	कलु (अखिल भारत)	1989673	175.1	2093379	181.5	2121345	181.4

स्रोत : भारत में अपराध

दर = प्रति लाख आबादी में घटनाएं

कृषि बजट

3081. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेल बजट की तर्ज पर अलग से कृषि-बजट भी तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) जी नहीं, वर्तमान में रेल बजट की तरह कृषि के लिए अलग से बजट कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

[हिन्दी]

भू-संपदा क्षेत्रक में काला धन

3082. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
श्री हरि मांझी:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास निर्माण भू-संपदा क्षेत्रक में बड़े पैमाने पर काले धन का निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवास-निर्माताओं के खिलाफ सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उक्त क्षेत्रक में काले धन के निवेश के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्रक में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

अस्पतालों के लिए भूमि

3083. **श्री इज्यराज सिंह:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास यह पता लगाने का कोई तंत्र है कि सस्ते मूल्य पर भूमि प्राप्त करने वाले अस्पतालों तथा नर्सिंग होम द्वारा वास्तव में गरीबी की देखरेख की भी जा रही है या नहीं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबों के निःशुल्क इलाज की वास्तविक शर्तों के अनुपालन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। "सामाजिक न्याय बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और अन्य" शीर्षक की रिट याचिका सं. 2866/2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में चिकित्सा अधीक्षक नर्सिंग होम्स, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन, ऐसे निजी अस्पतालों द्वारा गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार सेवाएं प्रदान करने का मानीटर करने के लिए किया गया है जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गयी है। यह समिति इन अस्पतालों का निरीक्षण करती है तथा जीएनसीटीडी, भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सांविधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

(ग) और (घ) यह निरीक्षण समिति वर्ष, 2008 से मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत कर रही है। अस्पतालों को निर्देश दिये गये हैं कि वे न्यायालय के आदेशों के अनुसार निःशुल्क उपचार करने की शर्त का अनुपालन करें। निरीक्षण करते समय अस्पतालों को निरीक्षण समिति द्वारा पाई गई कमियों के बारे में बताया जाता है तथा बाद में अनुपालन करने के लिए कमियों के बारे में उन्हें लिखित पत्र भी भेजे जाते हैं। अस्पतालों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे निःशुल्क बिस्तर सुविधाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के उपाय सुदृढ़ बनाने के कदम उठाये जिनमें अस्पतालों से प्रमुख स्थलों पर हिन्दी और अंग्रेजी में ऐसी जानकारी निर्दिष्ट करने वाले बोर्ड स्थापित करना, पेम्फलेट का वितरण, समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना आदि शामिल हैं। दो अस्पतालों के संबंध में गरीबों का निःशुल्क उपचार से मना करने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि विकास निधि

3084. श्री प्रबोध पांडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक लाख करोड़ रु. की स्थापना-निधि से राष्ट्रीय कृषि विकास निधि संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में किसानों सहित विभिन्न पक्षों से इस तरह की मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

सी.डब्ल्यू. जी. में अनियमितताएं

3085. श्री निशिकान्त दुबे: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है जिनमें हाल ही में सपंन्न राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एच.ओ.वी.ए. बैडमिण्टन कोर्ट बनाए गए थे;

(ख) क्या उक्त स्पर्धा के दौरान बैडमिण्टन स्टेडियम के लिए एच.ओ.वी.ए. कोर्टों की खरीद संबंधी कथित गबन की रिपोर्टें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच एजेंसी को मेजर ध्यासनचंद नेशनल स्टेडियम में रसोईघर के निर्माण तथा खेल-उपकरणों के संस्थापन, इत्यादि हेतु दी गई निविदाओं में अनियमितताएं मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) आयोजन समिति (ओसी), राष्ट्रमंडल खेल, 2010 ने सूचित किया है कि उनके द्वारा योनेक्स बैडमिंटन कोर्ट्स की सिफारिश की गई थी न कि होवा बैडमिंटन कोर्ट्स की। तदनुसार, डीडीए ने होवा कोर्टों के बजाय योनेक्स बैडमिंटन कोर्ट्स की खरीद की थी और उन्हें सीरीफोर्ट खेल परिसर और साकेत खेल परिसर में प्रतियोगिता एवं प्रक्षिण स्थलों पर लगाया गया था।

(ख) और (ग) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन और संचालन तथा भविष्य के लिए इसमें लिए जाने वाले सबकों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए भारत के पूर्व नियंत्रण एवं महालेखाकार

श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति ने मेजबान प्रसारण पर अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अंतिम रिपोर्ट सरकार को 31.3.2011 तक सौंपे जाने की उम्मीद है। नियंत्रक और महालेखाकार (सीएजी) ने खेल संबंधित सभी एजेंसियों की आडिट प्रारंभ कर दी है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य एजेंसियां जैसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग भी अपने-अपने अधिदेश के अनुसार जांच कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चावल की खरीद

3086. श्री विष्णु पद राय: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य और उत्तरी अंडमान क्षेत्र के किसानों को थोक बाज़ार में अपना चावल 7 रु. प्रति किलों बेचने पर बाध्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) खाद्य निगम तथा कृषि एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 1998 से 2004 के दौरान दिगलीपुर, मायाबंदर और रंगाट क्षेत्रों से कितना चावल खरीदा गया और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किस प्रकार वितरित किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों के हित संरक्षण के मद्देनजर, चावल की खरीद फिर से करने का है;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सच नहीं है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 के दौरान विकेन्द्रीकृत खरीद के अधीन 1200 टन के लक्ष्य के प्रति 247.65 टन चावल की खरीदारी की गई थी। खरीदे गए स्टाक को नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, अंडमान प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया था जिसने इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जारी किया था। 1998-2003 के दौरान कोई खरीदारी नहीं हुई।

(घ) और (ङ) गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्नों की कोई भी मात्रा जिसे किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किया जाता है उसे खरीद एजेंजियों द्वारा खरीद लिया जाता है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अब तक खरीदारी के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) श्री विष्णु पाडा रे, संसद सदस्य से दिनांक 4 मार्च, 2011 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंडमान की रंगाट और दिगलीपुर तहसील के किसानों से चावल/धान की खरीदारी करने का अनुरोध किया गया है और इस पत्र को उचित कार्रवाई हेतु भारतीय खाद्य निगम को भेज दिया गया है।

डी.एम.एस. में कथित अनियमितताएं

3087. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना (डी. एम.एस.) में कथित अनियमितताओं जिनसे इस संस्था को काफी घाटा हुआ है, की रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) डी.एम.एस. को लाभार्जक संस्था बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना में निम्नलिखित कारणों से पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि हुई बताई गई है:-

(1) आदान लगातों में वृद्धि

(2) संयंत्र का कम क्षमता उपयोग

(3) दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र और मशीनरी पुरानी है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत अधिक है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) समग्र कुशलता को बढ़ाने के लिए विपणन, परिवहन तथा संयंत्र संचालनों जैसे संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाया गया।

(2) खर्च घटाने के लिए दूध को तीन शिफ्टों की बजाय दो शिफ्टों में पैक किया जाता है।

(3) खर्च घटाने के लिए पुराने संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

महानगरों हेतु मास्टर प्लान

3088. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2021 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नगरों की बढ़ती आबादी के समायोजन तथा यहां मलिन बस्तियों के निर्माण के परिहार की दृष्टि से इन शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई शहर योजनाओं के अनुसार, वर्ष 2021 तक अनुमानित जनसंख्या निम्नवत है:

दिल्ली	230 लाख
मुंबई	142-163 लाख
कोलकाता	199 लाख
चेन्नई	111.97 लाख
बंगलुरु	100 लाख
हैदराबाद	136 लाख

(ग) से (ङ) दिल्ली मास्टर प्लान को अधिसूचित कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय का विचार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का नहीं है क्योंकि यह संबंधित राज्यों और शहरों के कार्यक्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

गुप्त सूचना का प्रकटन

3089. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी आसूचना एजेंसियों द्वारा संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक कार्मिक का इस्तेमाल करने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (घ) सरकार के पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) गोपनीय सूचना के किसी संभावित प्रकटन को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाते हैं।

निम्न/मध्यम आय वर्गों के लिए आवास

3090. श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के निम्न और मध्यम आय वर्गों के लिए आवास निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में निर्माण हेतु प्रस्तावित ऐसे आवासों का बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रस्तावित आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विधवा महिलाओं, गरीब तथा बेसहारा व्यक्तियों के लिए भी आवास उद्दिष्ट किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय शहरी विकास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 का उद्देश्य देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है ताकि समाज के सभी वर्गों को किफायती दामों पर भूमि, आश्रय और सेवाएं सम्यक रूप से मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, "भूमि" और "कोलोनाईजेशन" राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये एनयूएचचपी 2007 के तहत शुरू किए गए कार्यों का निष्पादन करें। केन्द्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के लिए आवास निर्माण में सहायता कर रही है।

- सरकार द्वारा 2005 में शुरु किए गए जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन (बीएसयूपी) के तहत विनिर्दिष्ट 65 शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों में निम्न आय समूह (एलआईजी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) शामिल हैं। बिहार राज्य सहित स्कीमों के अंतर्गत की स्वीकृतियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

- शहरी गरीबी के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह को ऋण लेने हेतु समर्थ बनाने संबंधी उपायों के रूप में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है तथा उक्त स्कीम में मकान के निर्माण/अधिग्रहण हेतु वाणिज्यिक बैंकों/आवासीय वित्त कंपनियों के जरिए उक्त परिवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे 1.00 लाख रु. तक के ऋण पर ब्याज भुगतान पर 5% सब्सिडी प्राप्त कर सकें। अब तक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्कीम के अंतर्गत 5573 परिवारों को लाभ पहुँचाया गया है।

- सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस/कम आय वर्ग (एलआईजी)/ मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए एक मिलियन मकानों, जिसमें 25% मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो, का निर्माण करने हेतु 5000 करोड़ रूपए के परिव्यय से भागीदारी में किफायती आवास की एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभिन्न एजेंसियों/सरकार/पैरा स्टेटलों/शहरी स्थानीय निकायों/विकासकों के बीच भागीदारी करना है। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 53.96 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार सहायता से 19100 मकानों के निर्माण हेतु विवरण-III में दिए गए ब्यौरों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि भूमि का मालिकाना हक अधिमानत: पत्नी के नाम पर तथा वैकल्पिक रूप से पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम होना चाहिए। अपवाद के मामलों में, पुरुष लाभार्थी के नाम पर मालिकाना हक की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त आईएसएचयूपी के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान शहर/शहरी समूह की कुल जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात के अनुसार स्कीम के अंतर्गत तरजीह महिला लाभार्थियों को दी जानी चाहिए (बशर्ते कि लाभार्थी ई डब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग से संबंधित हो)।

विवरण-I

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

कुल अनुमोदित परियोजना

26.2.2011 की स्थिति के अनुसार
(रु. करोड़ में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	कुल अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की सं. (नवीन+उन्नयन)	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश	कुल अनुमोदित राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त	स्वीकृत द्वितीय किस्त	स्वीकृत तृतीय किस्त	स्वीकृत चतुर्थ किस्त	जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	38	3007.98	134694	1496.32	1509.18	374.35	337.91	227.68	89.49	874.88
2.	असम	1	2	108.44	2280	97.60	10.84	24.40	0.00	0.00	0.00	48.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	49.25	552	43.95	5.31	10.99	0.84	0.00	0.00	11.83
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	2	564.94	25728	396.13	168.81	99.03	99.03	75.03	0.00	198.06
5.	छत्तीसगढ़	1	6	462.49	30000	364.99	97.50	91.25	78.05	0.00	0.00	169.29
6.	बिहार	2	18	409.98	22372	312.70	397.23	78.19	0.00	0.00	0.00	78.19
7.	दिल्ली	1	17	2783.78	73820	1229.28	1554.51	307.32	43.85	11.54	0.00	228.90
8.	गुजरात	4	19	1709.94	108044	822.46	887.48	205.62	187.18	146.10	109.65	621.68
9.	गोवा	1	1	10.22	156	4.60	5.62	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18	33.05	7.79	7.79	7.79	7.79	31.18
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27	5.74	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57
12.	जम्मू और कश्मीर	2	5	152.39	6677	134.44	27.95	33.61	3.19	0.00	0.00	33.61
13.	झारखंड	3	11	370.57	12228	251.59	119.06	62.90	0.00	0.00	0.00	62.90
14.	कर्नाटक	2	18	747.18	28118	407.97	339.21	101.99	63.95	25.85	0.00	160.95
15.	केरल	2	7	343.57	23577	233.58	110.11	58.39	50.60	16.38	0.00	125.37
16.	मध्य प्रदेश	4	22	704.85	41448	344.26	380.48	55.07	47.39	43.89	16.40	147.91
17.	महाराष्ट्र	5	60	6817.86	182841	3234.10	3583.76	808.53	403.99	174.15	46.36	1409.66
18.	मणिपुर	1	1	51.23	1250	43.91	7.32	10.98	0.00	0.00	0.00	10.96
19.	मेघालय	1	3	51.74	768	40.35	11.39	10.09	5.94	5.94	0.00	16.03
20.	मिजोरम	1	4	91.32	1098	90.11	11.21	20.03	7.23	0.00	0.00	27.26
21.	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60	28.90	26.40	26.40	26.40	0.00	79.20
22.	उड़ीसा	2	6	74.60	2508	54.18	20.44	13.54	9.95	0.00	0.00	13.54
23.	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15	36.28	9.04	9.04	8.32	0.00	26.39
24.	पुडुचेरी	1	3	135.96	2964	93.20	52.78	20.80	1.05	1.08	0.00	21.86
25.	राजस्थान	2	4	458.64	23151	257.30	201.34	64.33	21.14	0.00	0.00	85.47
26.	सिक्किम	1	3	33.58	254	29.08	4.52	7.26	7.26	0.70	0.00	15.23
27.	तमिलनाडु	3	51	2327.32	91318	1041.80	1285.53	260.45	198.23	86.49	25.93	494.87
28.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.98	2.77	3.49	3.49	3.49	3.49	13.96
29.	उत्तर प्रदेश	7	67	2342.51	67992	1144.24	1198.27	286.02	263.18	86.73	0.00	531.77
30.	उत्तराखण्ड	3	12	86.03	1799	65.33	20.70	18.33	1.28	0.00	0.00	17.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	पश्चिम बंगाल	2	99	3768.91	150074	1845.35	1923.55	461.70	207.19	105.22	11.78	684.90
	कुल	63 शहर	487	28287.24	1046780	14264.01	14020.84	3566.59	2089.57	1052.79	310.90	6253.00
	डीपी तैयारी प्रभार	20 जारी	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.59
	पीएमयू	27	0.00	0	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00			5.12
	पीआईयू	118	0.00	0	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00			16.82
	टीपीआईएमए		15									
	कुल योग	63 शहर	487	28287.24	1046780	14374.34	14020.84	3566.59	2089.57	1052.79	310.90	6285.54

विवरण-II

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कुल अनुमोदित परियोजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	नगरों/ यूएलबी का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं कुल सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं. (नवीन+	कुल केन्द्रीय अंश उन्यन	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम किस्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50%	अनुमोदित द्वितीय किस्त	जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	56	77	1139.10	47896	783.10	355.99	382.28	221.17	551.78
2.	असम	1	1	9.95	175	8.96	1.00	4.48	0.00	4.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	15.15	40	13.64	1.52	6.82	0.00	5.53
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	16	16	84.99	8668	70.22	14.77	35.11	0.00	35.11
5.	छत्तीसगढ़	19	20	275.22	12956	162.48	112.74	81.24	0.00	8124
6.	बिहार	17	18	225.60	17922	158.83	66.78	79.41	28.19	104.57
7.	दिल्ली	1	2	5.74	144	3.34	2.40	1.67	0.00	1.67
8.	गुजरात	1	1	0.69	16	0.58	0.11	0.29	0.00	0.29
9.	गोवा	37	38	381.78	28424	243.20	121.06	124.76	0.00	119.35
10.	हरियाणा	14	18	272.25	16426	209.70	62.57	104.85	39.61	104.85
11.	हिमाचल प्रदेश	8	6	55.34	1616	37.07	18.26	18.54	0.00	18.54
12.	जम्मू और कश्मीर	27	40	114.46	6670	87.97	21.64	41.22	4.42	41.22
13.	झारखण्ड	10	10	217.93	11544	131.33	86.60	62.79	0.00	55.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	कर्नाटक	32	34	398.13	17237	222.56	175.57	111.28	40.04	136.45
15.	केरल	45	53	273.32	26295	201.60	71.71	100.68	39.67	130.70
16.	मध्य प्रदेश	41	44	319.28	20739	221.83	97.43	110.97	4.76	115.73
17.	महाराष्ट्र	6	8	39.27	1950	29.78	9.49	14.89	0.00	14.89
18.	मणिपुर	51	57	804.96	41719	533.59	271.37	266.80	23.77	282.99
19.	मेघालय	3	3	41.48	912	22.43	19.05	11.21	0.00	11.21
20.	मिजोरम	6	6	43.38	2829	32.35	10.08	16.33	0.00	13.03
21.	नागालैण्ड	83	102	1803.93	90072	1228.48	575.44	575.97	34.48	601.30
22.	उड़ीसा	2	2	90.13	2781	44.74	43.60	22.67	7.25	29.92
23.	पंजाब	29	32	284.67	13049	191.88	92.79	92.90	9.01	92.90
24.	पुडुचेरी	2	3	63.42	4658	33.77	29.64	16.89	0.00	16.89
25.	राजस्थान	1	1	17.03	432	5.48	11.55	2.74	0.00	2.74
26.	सिक्किम	1	1	19.91	39	17.92	1.99	8.96	0.00	8.96
27.	तमिलनाडु	83	84	515.88	37585	372.10	127.13	187.76	141.12	294.35
28.	त्रिपुरा	5	5	43.64	3115	38.05	5.59	19.03	15.52	22.19
29.	उत्तर प्रदेश	135	153	1165.08	43035	751.74	413.34	375.84	73.72	366.82
30.	उत्तराखण्ड	18	21	161.28	5032	90.57	70.71	45.28	0.00	45.28
31.	पश्चिम बंगाल	81	120	1103.33	60171	826.59	276.25	413.37	172.86	498.79
	कुल	830	978	9986.30	524128	6775.86	3168.19	3337.02	856.20	3808.83

विवरण-III

भागीदारी में किफायती आवास
कुल अनुमोदित परियोजना

दिनांक 28.2.2011 की स्थिति के अनुसार
(रु. करोड़ों में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोनित परियोजना लागत	अनुमोनित कुल केन्द्रीय अंश (अवस्था, लागत का 25%)	अनुमोनित कुल राज्य अंश	कुल राज्य यूएलबी अंश	कुल राज्य लाभार्थी अंश	ईडब्ल्यूएस इकाइयां	एलआईजी	एलआईजी	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना सैक्टर-ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	35.33	2.48	1.68	0	31.16				816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वृन्दावन योजना सं. 1, सैक्टर-5 ई, लखनऊ, उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	57.73	4.63	2.75	0	50.35				1500
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना, सैक्टर-ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	132.81	8.32	6.32		118.17	1776	800		2576
4.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गहरू योजना, बिजनौर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	139.03	6.63	6.62		125.78	896	1536		2432
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गोमती नगर एक्स. योजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	103.63	9.41	4.93		89.28	1728	208		1936
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	देवपुर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	132.91	8.74	6.33		117.85	3152			3152
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना सैक्टर-ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	27.95	1.40	1.33		25.12	720			720
8.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	जानकीपुरम, सैक्टर-1, कानपुर, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	34.11	3.12	1.62		29.36	688			688
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	हंसपुरम, सैक्टर-7, कानपुर, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	21.71	2.05	1.03		18.62	564			564
10.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	रुकमणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में	31.72	1.70	1.51		28.52	672	304		976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास									
			उप योग	716.83	48.48	34.13	0.00	634.22	10196	2848	0	15360
11.	छत्तीसगढ़	रायपुर	धर्मपुरा सामाजिक आवास स्कीम धर्मपुरा, रायपुर में भागीदारी में किफायती आवास के तहत 648 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों (जी+2) का निर्माण	15.62	0.59			15.04	648			648
12.	छत्तीसगढ़	रायपुर	पुरैना सामाजिक आवास स्कीम पुरैना, रायपुर में भागीदारी में किफायती आवास के तहत 320 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों (जी+3) का निर्माण	7.75	0.27			7.48	320			320
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	राजपुरा, रायपुर में भागीदारी में किफायती आवास परियोजना	17.81	1.75			16.07	972			972
14.	छत्तीसगढ़	रायपुर	बोताखुर्द, रायपुर में भागीदारी में किफायती आवास परियोजना प्रस्ताव	34.03	2.88			31.15	1800			1800
			उप योग	75.21	5.48	0.00	0.00	69.73	3740	0	0	3740
	कुल			792.04	53.96	34.13	0.00	703.94	13936	2848	0	19100

आयतित कबाड़ में विस्फोट

***3091. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में आयातित कबाड़ (स्क्रैप) में विस्फोट होने की घटनाओं में राज्य-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) पीड़ितों को प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कबाड़ में जिंदा विस्फोट-सामग्री पाए जाने के मामलों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

(क) और (ख) यह जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। जिन स्थानों पर कबाड़ (स्क्रैप) के साथ जिंदा या निष्क्रिय दोनों तरह के विस्फोटक पाए गए हैं, वे संलग्न विवरण में दिए गए है। संबंधित राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे विस्फोटकों की मात्रा और प्रकृति का आंकलन करने के लिए इन स्थानों का निरीक्षण करें, जिंदा एवं निष्क्रिय सामग्रियों को पृथक करें तथा विस्फोटक सामग्री के निपटाप के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

विवरण

1. आई सीडी कंकड़ तुगलकाबाद, नई दिल्ली
2. आई सीडी कंकड़ जोधपुर, राजस्थान

3. सीएफएस एवं आईसीडी लुधियाना, पंजाब

4. आईसीडी कानपुर, उत्तर प्रदेश

5. सीएफएस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र

6. मुम्बई पोर्ट, मुम्बई

7. कांडला पोर्ट एवं मुंद्रा पोर्ट, गुजरात

आईसीडी	:	इण्डियन कंटेनर डिपो
कंकड़	:	कंटेनर कारपोरेशन
सीएफएस	:	कंटेनर फ्रेट स्टेशन

[हिन्दी]

शैक्षिक चैनल

3092. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर आधारित टी.वी.चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों को शैक्षिक चैनलों के अपलिंक/डाउनलिंक की अनुमति देने में कोई आपत्ति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य और क्या सुधारमूलक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार किसी टीवी चैनल को प्रचलित करने संबंधी अनुमति केवल एक कम्पनी को ही दी जा सकती है और इस प्रकार इस समय विश्वविद्यालय टीवी चैनलों को प्रचालित करने हेतु पात्र नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह सिफारिश की है कि बाल/वैज्ञानिक/शैक्षिक चैनलों के लिए 5 करोड़ रु. की निवल राशि की आवश्यकता होनी चाहिए। उसने यह भी सिफारिश की है कि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, जोकि शैक्षिक चैनल प्रचालित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं, के लिए निवल राशि संबंधी कोई आवश्यकताएं नहीं होनी चाहिएं।

सरकार का यह विचार है कि समाचार एवं गैर-समाचार चैनलों को छोड़कर मौजूदा दिशानिर्देशों में ऐसा कोई पृथक वर्गीकरण नहीं है और चैनल गैर-समाचार श्रेणी के भीतर किसी भी प्रकार की शैली चुनने के लिए स्वतंत्र है। मंत्रालय का यह विचार है कि किसी भी हालत में गैर-समाचार चैनलों के लिए निवल राशि की आवश्यकता को 5.00 करोड़ रु की राशि पर नियम किया जाए और ट्राई की सिफारिशों को पूरा करने वाले प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए उक्त राशि में 2.50 करोड़ रु. की वृद्धि कर दी जाए।

ट्राई ने दिनांक 22.02.2011 की अपनी अगली सिफारिशों के तहत यह सिफारिश की है कि शैक्षिक चैनलों को स्थापित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित समितियों/कंपनियों को अनुमति दी जा सकती है। तथापि, ऐसी समितियों/कंपनियों द्वारा स्थापित टीवी चैनलों के लिए निवल राशि की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। कोई अंतिम राय कायम नहीं की गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु परियोजना

*3093. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सीमावर्ती क्षेत्र में कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन और वहां के प्रतिनिधित्वविहीन ब्लॉकों में नये आई.टी.आई. खोलने तथा विद्यमान आई.टी.आई का उन्नयन करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार को 67.90 रुपए लागत की एक परियोजना प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक मंजूर होने तथा कार्यान्यिन हेतु धनराशि जारी होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत से अवैध उत्प्रवास

***3094. श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि भारत में बड़ी संख्या में अवैध ढंग से आने वाले बांग्लादेशी प्रवासी विदेश जाने के लिए एक उत्प्रवासन-स्थल की तहत प्रयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर लेने की भी रिपोर्टें है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हवाई अड्डों से ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(च) ऐसे व्यक्तियों से सांठगांठ में लिप्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(छ) अवैध प्रवासियों को भारत को उत्प्रवासन-स्थल की तरह प्रयुक्त करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (छ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बांग्लादेशी राष्ट्रिक, डबल-इन्ट्री ट्रांजिट वीजा के आधार पर भारतीय विमान पत्तनों से होकर विभान्न देशों में जाते रहे हैं। बांग्लादेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत होकर विभिन्न देशों में जाना सुकर बनाने के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की कोई विशिष्ट घटना जानकारी में नहीं आयी है। अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों की अधिकारियों के साथ सांठगांठ के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान विदेशी विषयक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भारत में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2007	12,080
2008	6,816
2009	5,312

वर्ष 2010 के ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं।

देश में बांग्लादेश से आप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सीमा पर बाड़, सड़कों का निर्माण और तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(ii) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा की चौबीसो घण्टे निगरानी।

(iii) सीमा पर प्रभावकारी अधिपत्य रखने के लिए बीओपी के बीच की दूरी को कम करने हेतु भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1185 सीमा जांच चौकियों (बीओपी) की स्थापना करना, जिनमें से 802 बीओपी पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। शेष 383 बीओपी की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

(iv) नाइट नैविगेशन डिवाइस सहित उच्च-प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरणों का समावेश।

[हिन्दी]

फर्जी वीज़ा देने वाले गिरोह

3095. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में फर्जी वीज़ा/पासपोर्ट उपलब्ध कराने के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में गिरोहबाज़ों द्वारा फर्जी वीज़ा और पासपोर्ट पर कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार और विदेशी जेलों में बंद किए गए और ऐसे कितने व्यक्तियों को वापस भारत भेजा गया; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे गिरोहबाज़ों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसी गतिविधियों को रोकने में क्या सफलता हासिल हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान आप्रवासन ब्यूरो के अधीन विमानपतनों पर भारतीयों और विदेशियों के संबंध में पासपोटों और वीजाओं में पकड़े गए जालसाजों के मामले निम्नलिखित हैं-

भारतीय			
विमानपत्तन	2008	2009	2010
दिल्ली	288	371	415
मुम्बई	244	373	437
कोलकाता	39	18	13
चेन्नई	2347	138	132
बैंगलोर	-	-	22
हैदराबाद	-	-	34
अमृतसर	60	54	55
कुल	865	954	1108
विदेशी			
विमानपत्तन	2008	2009	2010
दिल्ली	107	101	77
मुम्बई	190	191	176
कोलकाता	1	9	16
चेन्नई	68	33	19
बैंगलोर	-	-	4
हैदराबाद	-	-	17
अमृतसर	15	4	2
कुल	381	338	311

जाली/फर्जी यात्रा दस्तावेजों के पकड़े गए सभी मामलों की सूचना आप्रवासन जांच चौकी के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली स्थानीय पुलिस को दी जाती है और स्थानीय पुलिस द्वारा कानून की संगत धारा के तहत दाण्डिक मामले दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच-पड़ताल की जाती है।

(घ) सरकार द्वारा लोगों को जाली/फर्जी दस्तावेजों पर यात्रा करने से रोकने के अनेक कदम उठाए गए हैं इसमें निम्नलिखित शामिल है-

(i) यात्रा दस्तावेजों की विशिष्टताओं की जांच करने के लिए सभी आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में अल्ट्रा-वायलेट लैम्पों, मैग्नीफाइंग ग्लासों का प्रयोग और मिलान के लिए यात्रा दस्तावेज की नमूना प्रतियां।

(ii) यात्रा दस्तावेजों में की जाने वाली अत्याधुनिक जालसाजी पकड़ने के लिए प्रमुख आप्रवासन जांच चौकियों में पासपोर्ट रीडिंग मशीनें (पीआरएम) और क्वेश्चनेबल डोंक्यूमेंट इग्जामिनर (क्यूडीएक्स) मशीनें लगाना।

(iii) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आईपीएल) सॉफ्टवेयर स्थापित करना जो छद्म व्यक्तिकरण को रोकने के लिए यात्रियों के पासपोर्ट का सत्यापन करता है।

(iv) आप्रवासन जांच व्यक्तियों में आप्रवासन काउन्टरों पर कार्यरत आप्रवासन अधिकारियों को जाली/फर्जी दस्तावेजों को पकड़ने के संबंध में नियमित आधार पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग

***3096. श्री बाल कुमार पटेलः**
श्री जी. एम. सिद्देश्वरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को छोटे राज्यों के गठन के संबंध में विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव हुए;

(ग) क्या सरकार के छोटे राज्यों के गठन के लिए द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके सदस्यों तथा विचारार्थ विषयों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों से तत्संबंध में तथा कुछ राज्यों के बीच सीमा-विवाद के समाधान हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार इस समय राज्यों के सामान्य पुनर्गठन पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भोजपुर, गुजरात में सौराष्ट्र, कर्नाटक में कूर्ग, पश्चिमी उड़ीसा में कौशलांचल, पश्चिम बंगाल में गारेखालैंड, उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भागों से मिथिलांचल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पूर्वांचल, हरित प्रदेश, ब्रज प्रदेश और अवध प्रदेश जैसे नए राज्यों सृजन के लिए विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों से मांगें और अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। सरकार नए राज्यों के गठन के मामले में सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद निर्णय लेती है। सरकार द्वारा कार्रवाई अनुभूत आवश्यकता एवं सामान्य सर्वसम्मति पर निर्भर होगी।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा संयंत्र को खतरा

3097. योगी आदित्यनाथः
श्री एम.के. राघवनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को विभिन्न आतंकवादी समूहों एवं गुटों से खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मौजूद सुरक्षा एवं संरक्षण उपकरण क्या हैं; और

(घ) देश में ऐसे ऊर्जा संयंत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां। विद्यमान सुरक्षा परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, परमाणु विद्युत संयंत्र, आतंकवादी समूहों और संगठनों के लक्ष्य बने हुए हैं। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की समय-समय पर समीक्षा करती हैं और जहां कहीं अपेक्षित होता है, वहां सुरक्षा बढ़ाने की विशिष्ट सिफारिश करती हैं। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां इन संयंत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नियमित सुग्राहीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं और समय-समय पर परमाणु ऊर्जा विभाग और संबंधित सरकारों के उचित स्तर पर खतरा संबंधी जानकारियों का आदान-प्रदान करती हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सभी संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों से संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ के अतिरिक्त, प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने में सी आईएसएफ की

सहायता करने के लिए विभागीय सुरक्षा कार्मिक भी तैनात किए जाते हैं।

[अनुवाद]

आगमन पर वीजा

***3098. श्री पी.टी. थॉमसः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक विमानपत्तनों को ऐसी सुविधा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) आगमन पर वीज़ा सुविधा चार विमानपत्तनों नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

नेहरू युवा केंद्रों का प्रदर्शन

3099. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः
श्री के. सुधाकरणः
श्री पी.के. बिजूः

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शहरी और ग्रामीण युवाओं की संख्या एवं 13 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार नेहरू युवा केंद्रों के कार्यकरण का महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों तक प्रसार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में कार्यरत नेहरू युवा केंद्रों (एनवाईके) के कार्य-निष्पादन की कोई समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में एनवाईके के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 10 से 39 वर्ष के आयु समूह में युवाओं की जनसंख्या 47 करोड़ से अधिक है जो कि कुल जन संख्या का 42.8 प्रतिशत है। युवा जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग, लगभग 34 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और युवाओं का 27.8 प्रतिशत भाग लगभग 13 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

(ख) जी नहीं। सरकार द्वारा कॉलेज एव विश्वविद्यालय में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) है जो कि देश भर के कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को कवर करती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सरकार ने नेहरू युवा केन्द्रों की कार्य निष्पादन की समीक्षा की थी। नेहरू युवा केन्द्रों का जोर मुख्य रूप से ग्राम स्तरीय ग्रामीण युवा मण्डलों को तैनात करना और उन्हें परामर्श देना है। सरकार ने ढांचागत प्रोन्नति, क्षमता निर्माण और युवा मण्डलों के व्यावसायिकरण की दिशा में कदम उठाये हैं। केन्द्रों के युवा स्वयंसेवक सरकार के अन्य मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास (एमजीनरेगा) गृह मंत्रालय (पूवोत्तर राज्यों के युवाओं का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण), चुनाव आयोग (के मताधिकार पर वोटर जागरूकता अभियान), के साथ समन्वय स्थापित कर साक्षरता और विभिन्न राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का देश में 122 और अधिक जिलों में नेहरू युवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

आलू आधारित उद्योगों की स्थापना

3100. प्रो. रामशंकरः क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आगरा में आलू आधारित उद्योग की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है एवं उक्त प्रस्ताव का कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आलू आधारित उद्योग समेत अपने स्तर पर कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम के तहत उद्यमियों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

[अनुवाद]

किसानों को प्रोत्साहन

3101. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को तिलहनों, दालों, आयल पाम और मक्का (आईएसओपीएम) को समेकित योजना से लाभ पहुँचा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईएसओपीएम के अंतर्गत प्रदान कराये गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार 1.4.2004 से किसानों के लाभ के लिए समेकत तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) कार्यान्वित कर रही है। आइसोपाम के दलहन विकास कार्यक्रम को 1.4.2004 से राष्ट्रीय खाद्या सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में मिला दिया गया है।

आइसोपाम के तहत तिलहन एवं मक्का विकास कार्यक्रम के अन्नर्गत विभिन्न घटकों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है अर्थात प्रजनक बीजों का उत्पादन एवं तारीख, आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का वितरण, बीज अवसंरचना का विकास, बीज मिनीटिक, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम), ब्लॉक प्रदर्शन एवं फ्रंटलाइन प्रदर्शन, पौध संरक्षण रसायन, खरपतवारनाशी, न्यूक्लियर पोलीहाईड्रोसिस वायरस (एनपीवी), राइजोबियम/फास्फेंट घुलनशील बैक्टीरिया कल्चर, जिप्सम/पाइराइट/लाईम, स्प्रिंकलर सैट, सूक्ष्म पोषक, फार्म उपकरण, सिंचाई पाईप, प्रशिक्षण, प्रचार, स्टाफ, एवं आकस्मिकता इत्यादि। आयलपाम विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों नामत: रोपण सामग्री की लागत, चार वर्षो तक रोपण सामग्री का रखरखाव, कृषि आदान, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना, डीजल पम्प सैट, प्रशिक्षण, बंजर भूमि का विकास, विस्तार एवं प्रचार, स्थापना एवं स्टॅाफ, प्रदर्शन पर्ण-पोषक तथ्व विश्लेषण प्रयोगशालाओं एवं विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत जीनोटोइप परीक्षण एवं नवीन कार्यक्रमों इत्यादि के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्ष के दौरान प्रोत्साहन देने के लिए आइसोपाम के तहत राज्यवार आंवटन एवं निर्मुक्ति संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आइसोपाम के तहत राज्यवार आवंटन एवं निर्मुक्ति

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 9.3.2011 की स्थिति	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	सं आकलन में आवंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5325.00	5325.00	3000.00	3000.00	3731.84	3731.84		5756.710
2.	बिहार	1100.00	1100.00	800.00	800.00	859.66	859.66		599.360
3.	छत्तीसगढ़	500.00	500.00	884.06	884.06	1261.57	1261.57		1166.907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	गुजरात	1000.00	1000.00	1600.00	1600.00	2363.15	2363.15		1500.000
5.	गोवा@	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.000
6.	हरियाणा	800.00	800.00	700.00	700.00	655.88	655.88		503.110
7.	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00	10.00	10.00	59.43	59.43		89.261
8.	जम्मू और कश्मीर	75.00	75.00	0.00	0.00	82.63	82.63		86.300
9.	कर्नाटक	2500.00	2500.00	2700.00	2700.00	1738.49	1738.49		5038.139
10.	केरल@	0.00	0.00	60.00	60.00	35.22	35.22		0.000
11.	मध्य प्रदेश	2500.00	2500.00	3500.00	3500.00	4329.32	4329.32		5619.360
12.	महाराष्ट्र	2000.00	2000.00	2900.00	2900.00	3428.42	3428.42		4166.364
13.	मिजोरम	300.00	300.00	390.00	390.00	553.76	553.76		876.840
14.	उड़ीसा	900.60	900.00	575.00	575.00	3164.04	3164.04		3050.000
15.	पंजाब@	0.00	0.00	30.94	30.94	58.09	58.09		60.766
16.	राजस्थान	3600.00	3600.00	3140.00	3140.00	3001.64	3001.64		5070.900
17.	तमिलनाडु	1200.00	1200.00	1900.00	1900.00	1753.83	1753.83		1132.559
18.	उत्तर प्रदेश	1600.00	1600.00	1450.00	1450.00	1822.08	1822.08		1221.880
19.	पश्चिम बंगाल	800.00	800.00	400.00	400.00	754.73	754.73		328.140
	कुल	24300.00	24300.00	24040.00	24040.00	29653.78	29653.78	39742.00	36266.596

@राज्यों के पास उपलब्ध खर्च नहीं की गई निधियां।

खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

3102. श्री जयंत चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूनिया के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण उत्पादन की बढ़ी लागत के मद्देनजर खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने का है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) के (ग) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएमपी) निर्धारित करती है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कारकों जिनमें उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समता, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य

मूल्य स्तर पर प्रभाव, निर्वाह लागत पर प्रभाव, किसानों/अन्यों आदि से प्राप्त सुझाव शामल हैं, पर विचार करता है।

कृषि जिन्सों हेतु सरकार की मूल्य नीति (एमएसपी) का उद्देश्य उच्चतर निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के विचार के साथ उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभाकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

आईआईपी श्रृंखला

3103. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन सूचंकाक की नयी श्रृंखला प्रारंभ की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत में भी, तकनीकी, आर्थिक सुधार व उत्पादन प्रवृति में आए परिवर्तन के कारण उद्योग के संयोजन व ढांचे में आने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से आधार वर्ष का आवधिक संशोधन किया जाता रहा है। सरकार वर्तमान आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) को 1993-1994 से 2004-05 में संशोधित कर रही है।

बीजों में नियासिन

3104. **श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चेन्नई स्थित बीसीजी लैब का विकास कार्य रोककर बीज स्ट्रेन में निआसिन पोजिटिविटी के मुद्दे का समाधान करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला गुइन्डी द्वारा बीसीजी वैक्सीन के उत्पादन को हाल ही में निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि टीआरसी, छेतपुट द्वारा किए गए परीक्षण में दो नमूनें नीआसीन पाजिटिव पाये गये हैं।

प्राचीन मंदिरों का संवर्धन

3105. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु सहित देश में कई कम प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों को लोकप्रिय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को सुकर बनाने के लिए इन मंदिरों के आसपास की अवसंरना के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों, जिसमें मंदिर भी शामिल हैं, जिन्हें प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनिधम, 1958 के उपबंधों के अधीन संरक्षित घोषित किया गया है, के सरंक्षण और अनुरक्षण का प्रभारी है। तमिलनाडु राज्य में 413 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वी मानकों के अनुसार किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटन संबंधी सुविधाएं (अर्थात् पेयजल, प्रसाधान खंड, विकलांगों के लिए सुविधाएं, रास्ते, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/संकेतक, वाहनों के लिए पार्किंग आदि) भी प्रदान करता है।

नवीन मूल्य सूचकांक

3106. **चौधरी लाल सिंह:**
श्री रमेश राठौड़:
श्री जी. एस. बासवराज:
डा. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने नवीन मूल्य सूचकांक तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सूचकांक की जांच करने के लिए नए पैनल की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): (क) और (ख) जी हां। सांख्यिकी कार्यालय ने 2010=100 के आधार पर 18 फरवरी, 2011 को जनवरी, 2011 के लिए पृथक रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा संयुक्त (ग्रामीण तथा शहरी) रूप से भी अखिल भारत तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संख्या की नई श्रृंखला जारी की है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए अपनाए गए उपभोक्ता पैटर्न को 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों से लिया गया है। उपभोग की निर्धारित मदों के मूल्य को प्रति माह सीपीआई (ग्रामीण) के लिए सभी जिलों को सम्मिलित करते हुए चुने हुए 1181 गांवों तथा सीपीआई (शहरी) के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की राजधानी को शामिल करते हुए चुने हुए 310 शहरों से लिया जाता है।

(ग) से (च) इस नए मूल्य सूचकांक की जांच करने के लिए सरकार ने किसी पैनल की नियुक्ति नहीं की है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

3107. श्री महेश जोशी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) कितनी है;

(ख) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश में पीसीआई में कोई असमानता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): (क) 31 जनवरी, 2011 को जारी राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2009-10 में प्रचलित मूल्यों पर देश की प्रति व्यक्ति आय 46.492 रु. थी।

(ख) जी, हां। नीचे दी गई तालिका में कुछ विकासशील देशों की खरीद शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का ब्यौरा दिया गया है, इससे विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय में असमानता को देखा जा सकता है। ये आंकड़े विश्व बैंक की 15 दिसम्बर, 2010 की विश्व विकास संकेतक डाटाबेस रिपोर्ट से जुटाए गए हैं।

वर्ष 2009 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय

देश	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय डालर)
ब्राजील	10,200
दक्षिण अफ्रीका	10,050
चीन	6,890
श्रीलंका	4,720
फिलीपींस	4,060
भारत	3,250
पाकिस्तान	2,680
बंगलादेश	1,550

(घ) अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2010-11 में 8.6 प्रतिशत की दर से और वित्तीय वर्ष 2011-12 में 9% +/-0.25% की दर से बढ़ेगी। सरकार ने विकास दर को स्थाई तथा सर्वनिहित बनाने के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी ढांचा संबंधी कमियों को दूर करना, वित्तीय समेकन तथा सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों के लिए और ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। समर्ग अर्थव्यवस्था के विकास तथा इसके द्वारा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में सुधार के लिए बहुमुखी कार्यनीतियां बनाई गई हैं। रोजगार सृजन के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्कीमों को लागू किया जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण तथा दूरसंचार के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा भारत निर्माण की समयबद्ध स्कीम शुरू की गई है।

पीडीएस के अंतर्गत वस्तुएं

3108. शेख सैदुल हक: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वर्तमान में वितरित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को जारी की गयी उक्त वस्तुओं की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान में वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अलावा पीडीएस के माध्यम से वितरण हेतु दाल सहित अन्य वस्तुओं को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन कर रही है जिसका ध्यान गरीबों पर केंद्रित है और इसका प्रचालन केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन किया जाता है। खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाजों) तथा चीनी का आबंटन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को किया जाता है ताकि वे उचित दर दुकानों के जरिए राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर उनका तथा मिट्टी के तेल के डीलरों के जरिए मिट्टी के तेल वितरण राशन कार्डधारकों को कर सकें।

2008-09 और 2009-10 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित चाावल/गेहूं तथा 20.1.2010 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को किए गए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन का समरिक क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। 2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित मिट्टी के तेल और चीनी के ब्यौरे क्रमस: संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित उपर्युक्त वस्तुओं के अलावा दाल और खाद्य तेल जैसी कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी वितरण हेतु राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09				2009-10			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.09	654.29	1,871.31	3,577.68	1,052.09	654.29	2,177.87	3,884.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.52	15.97	60.06	101.56	25.52	15.97	60.06	101.56
3.	असम	475.22	295.69	635.34	1,406.26	475.22	295.69	715.05	1,485.97
4.	बिहार	1,719.80	1,019.99	218.33	2,958.12	1,719.80	1,019.99	697.69	3,437.48
5.	छत्तीसगढ़	485.69	301.94	150.07	937.70	485.69	301.94	304.32	1,091.95
6.	दिल्ली	108.70	63.08	420.77	592.55	108.70	63.08	420.77	592.55
7.	गोवा	5.46	6.11	24.79	36.36	5.46	6.11	35.14	46.71
8.	गुजरात	486.47	340.08	215.49	1,042.04	481.97	340.08	796.44	1,618.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हरियाणा	208.57	122.82	272.10	603.49	208.57	122.82	649.08	980.47
10.	हिमाचल प्रदेश	133.14	82.74	247.30	463.18	133.14	82.74	281.59	497.47
11.	जम्मू और कश्मीर	201.70	107.39	467.72	776.80	201.70	107.39	447.72	756.80
12.	झारखंड	619.96	385.54	60.44	1,065.93	619.96	385.54	306.30	1,311.79
13.	कर्नाटक	798.86	503.89	730.59	2,033.34	810.38	503.89	853.22	2,167.49
14.	केरल	402.35	250.26	512.00	1,164.60	402.35	250.26	649.00	1,301.60
15.	मध्य प्रदेश	1,068.22	664.26	353.21	2,085.68	1,068.22	664.26	1,298.39	3,030.87
16.	महाराष्ट्र	1,709.42	1,034.88	421.48	3,165.79	1,709.42	1,034.88	1,765.06	4,509.36
17.	मणिपुर	43.01	26.72	36.68	106.42	43.01	26.72	47.41	117.15
18.	मेघालय	47.38	29.48	67.42	144.28	47.38	29.48	70.42	147.28
19.	मिजोरम	17.64	10.92	54.35	82.91	17.64	10.92	54.35	82.91
20.	नागालैंड	32.11	19.97	74.80	126.88	32.11	19.97	77.47	129.55
21.	उड़ीसा	1,165.57	531.12	170.09	1,866.78	1,165.57	531.12	419.16	2,115.85
22.	पंजाब	121.18	75.36	466.38	662.92	121.18	75.36	1,017.38	1,213.92
23.	राजस्थान	629.53	391.49	343.60	1,364.62	629.53	391.49	924.44	1,945.46
24.	सिक्किम	11.30	6.94	25.98	44.22	11.30	6.94	25.98	44.22
25.	तमिलनाडु	1,259.23	783.14	1,640.46	3,682.83	1,259.23	783.14	1,725.46	3,767.83
26.	त्रिपुरा	76.38	47.52	151.10	275.00	76.38	47.52	178.10	302.00
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.70	1,719.48	440.67	4,925.85	2,765.70	1,719.48	2,554.71	7,039.89
28.	उत्तराखण्ड	145.66	63.52	153.08	362.25	145.66	63.52	226.83	436.00
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.58	621.68	856.68	3,031.94	1,553.58	621.68	1,141.28	3,316.54
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.04	1.80	22.50	29.34	5.12	1.80	25.04	31.96
31.	चंडीगढ़	3.01	0.82	1.80	5.63	3.57	0.62	21.60	25.80
32.	दादरा और नगर हवेली	4.52	2.20	1.43	8.15	4.52	2.20	2.16	8.88
33.	दमन और दीव	1.04	0.64	0.69	2.37	1.04	0.64	2.64	4.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	लक्षद्वीप	0.76	0.49	3.36	4.61	0.76	0.50	3.36	4.61
35.	पुडुचेरी	21.56	13.55	3.24	38.35	21.56	13.55	18.60	53.71
	कुल	17,405.37	10,195.77	11,175.29	38,776.43	17,413.03	10,195.58	19,994.09	47,602.70

विवरण II

दिनांक 20.1.2010 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष तदर्थ अतिरिक्त

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20.1.2010 को अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के लिए आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	316.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.84
3.	असम	89.86
4.	बिहार	237.58
5.	छत्तीसगढ़	88.22
6.	दिल्ली	55.64
7.	गोवा	6.40
8.	गुजरात	175.14
9.	हरियाणा	62.96
10.	हिमाचल प्रदेश	25.14
11.	जम्मू और कश्मीर	36.04
12.	झारखंड	87.12
13.	कर्नाटक	188.74
14.	केरल	122.20
15.	मध्य प्रदेश	194.06
16.	महाराष्ट्र	354.54
17.	मणिपुर	8.14
18.	मेघालय	8.98
19.	मिजोरम	3.34
20.	नागालैंड	6.04
21.	उड़ीसा	135.82
22.	पंजाब	79.52
23.	राजस्थान	177.34
24.	सिक्किम	2.10
25.	तमिलनाडु	277.64
26.	त्रिपुरा	14.44
27.	उत्तर प्रदेश	522.83
28.	उत्तराखण्ड	24.38
29.	पश्चिम बंगाल	290.46
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.62
31.	चंडीगढ़	4.06
32.	दादरा और नगर हवेली	0.72
33.	दमन और दीव	0.51
34.	लक्षद्वीप	0.22
35.	पुडुचेरी	4.48
	कुल	3607.54

विवरण III

2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आवंटन

मात्रा मिट्रिक टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2008-09
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5659	5816
2.	आंध्र प्रदेश	517102*	517158
3.	अरूणाचल प्रदेश	9170	9257
4.	असम	257893	258007
5.	बिहार	643786	647430
6.	चंडीगढ़	7181	9999
7.	छत्तीसगढ़	145822	146938
8.	दादरा और नगर हवेली	2785	2782
9.	दमन और दीव	2073	2118
10.	दिल्ली	135235	160935
11.	गोवा	19209	19212
12.	गुजरात	742668	743759
13.	हरियाणा	144830	145619
14.	हिमाचल प्रदेश	45466	49409
15.	जम्मू और कश्मीर	75326	76044
16.	झारखंड	210964	211175
17.	कर्नाटक	461340	461478
18.	केरल	216310	216308
19.	लक्षद्वीप	795	795
20.	मध्य प्रदेश	487845	488609
21.	महाराष्ट्र	1276588	1276876
22.	मणिपुर	19743	19907
23.	मेघालय	20359	20401
24.	मिजोरम	6181	6217
25.	नागालैण्ड	13318	13312
26.	उड़ीसा	314334	314977
27.	पुडुचेरी	12249	12257
28.	पंजाब	234700	237192
29.	राजस्थान	398431	398913
30.	सिक्किम	5566	5582
31.	तमिलनाडु	558428	558929
32.	त्रिपुरा	30740	30832
33.	उत्तर प्रदेश	1240789	1241772
34.	उत्तराखंड	89845	89849
35.	पश्चिम बंगाल	751536	752103
	कुल आवंटन	9104266	9151967

*राज्य के लिए आवंटन में लद्दाख के लिए आवंटन शामिल है जो 3600 टन प्रति वर्ष है।

विवरण IV

2008-09 और 2009-10 चीनी मौसम के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	चीनी मौसम (अक्तूबर से सितम्बर)	
		2008-09 (वार्षिक त्यौहार कोटा और विशेष त्यौहार कोटा सहित)	2009-10 (वार्षिक त्यौहार कोटा और सहित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	132.48	124.37
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.29	10.29
3.	असम	233.26	224.38
4.	बिहार	97.58	165
5.	छत्तीसगढ़	59.92	55.26
6.	दिल्ली	37.76	37.16
7.	गोवा	2.48	1.58
8.	गुजरात	79.66	75.44
9.	हरियाणा	33.64	32.08
10.	हिमाचल प्रदेश	59.62	57.07
11.	जम्मू और कश्मीर	91.57	88.04
12.	झारखंड	4.9	84.87
13.	कर्नाटक	115.89	109.66
14.	केरल	53.02	52.92
15.	मध्य प्रदेश	161.13	155.8
16.	महाराष्ट्र	189.45	176.37
17.	मणिपुर	22.73	21.88
18.	मेघालय	21.76	20.96
19.	मिजोरम	8.65	8.35
20.	नागालैंड	15.14	14.64
21.	उड़ीसा	111.42	108.52
22.	पंजाब	21.7	20.87
23.	राजस्थान	99.3	94.54
24.	सिक्किम	4.91	4.7
25.	तमिलनाडु	146.44	140.14
26.	त्रिपुरा	34.38	32.88
27.	उत्तर प्रदेश	433.35	412.2
28.	उत्तराखण्ड	75.78	73.38
29.	पश्चिम बंगाल	188.43	178.58
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.74	4.77
31.	चंडीगढ़	0.93	0.91
32.	दादरा और नगर हवेली	0.63	0.6
33.	दमन और दीव	0.13	0.12
34.	लक्षद्वीप	1.34	1.32
35.	पुडुचेरी	2.32	2.12
	कुल	2557.73	2591.77

[हिन्दी]

हॉकी को बढ़ावा देना

3109. श्री सज्जन वर्मा: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हॉकी को पुनर्जीवित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हॉकी को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के गौरवशाली अतीत को फिर से दुहराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो पुरुष एवं महिला हॉकी खिलाड़ियों को दी गयी धनराशि/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा औद्योगिक घरानों के माध्यम से प्रायोजन करने का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अनुसार प्रत्येक स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए खेल मैदान, खेल उपकरण तथा अंशकालिक प्रशिक्षकों का प्रावधान करना अपेक्षित है। तथापि, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में हॉकी या किसी अन्य विशिष्ट खेल को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों की तैयारी के लिए हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रही है जिसमें सघन कोचिंग, उच्च प्रदर्शन वाले कोचों की नियुक्ति, नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराना, खेल विज्ञान सहायता तथा विदेश में स्पर्धाओं के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा इनमें भाग लेने सहित हाकी के विकास के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई राशि निम्नलिखित है-

(करोड़ रूपए)

वर्ष	प्रदान वित्तीय सहायता
2007-08	3.16
2008-09	3.45
2009-10	7.82
2010-11	0.92 (21.2.2011 तक)

खेलों के विकास के लिए औद्योगिक घराने के साथ प्रायोजन करार, संबंधित परिसंघों द्वारा किया जाता है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केंद्रों आकाशवाणी केन्द्रों का कार्यकरण

3110. श्री राजेन्द्रसिंह राणा:
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों (एआईआर) एवं दूरदर्शन केन्द्रों (ड़ीड़ीके)स्टूड़ियो का राज्यवार, एआईआर ड़ीड़ीके स्टूड़ियो वार ब्यौरा क्या है

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात के भावनगर जिले सहित देश के विभिन्न भागों में एआईआर स्टेशनों डीडीके एवं स्टूडियो की स्थापना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार, डीडीके/स्टूडियो/एआईआर स्टेशन का तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा पूरे देश में डीडी/एआईआर कार्यकमों के प्रसारण कवरेज के लिए उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय आकाशवाणी की प्रसारण सेवा देशभर के 238 केंदों से उपलब्ध करायी जा रही है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 41 और स्थानों पर 100 वॉट के एफएम टांसमीटर (रिले) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और शीघ्र ही इन्हें नियमित सेवा में शमिल किया जाएगा।

इस समय 66 दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो केंद्र) देश में कार्य कर रहे हैं जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां 11वीं योजना में 10वीं योजना की अनुमोदित एवं चालू स्कीम के भाग के रूप में आकाशवाणी द्वारा 100 स्थानों (पूर्वोत्तर अंचल में) पर 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर (रिले) सहित 145 और स्थानों पर एफएम/एएम केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इसके अलावा, 11वीं योजना में नई स्कीम के अंतर्गत भावनगर में 100 वाट के एक एफएम ट्रांसमीटर सहित 138 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटरों के अधिष्ठापन को अनुमोदित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV एवं V में दिया गया है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में एक नया दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केन्द्र) कार्यान्वयनाधीन है।

(ङ) आकाशवाणी अपने नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करके देश में अपनी कवरेज एवं गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) पुराने मी.वे./शां.वे./एफएम ट्रांसमीटर, जिनकी उपयोगिता अवधि पूरी हो गई है, को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

(ii) 11वीं योजना के दौरान देश में आकाशवाणी के 28 ट्रांसमीटरों की शक्ति का स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

(iii) मौजूदा संगत मी.वे./शॉ.वे. ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

(iv) देश में नए एफएम टांसमीटरों का अधिष्ठापन करके एफएम नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

(v) कार्यक्रम निर्माण संबंधी सुविधाओं और कनेक्टिविटी का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा दूरदर्शन के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर क्यू बैंड पर 21 रेडियों चैनल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर सारे भारत में उपलब्ध हैं।

इस समय दूरदर्शन नेटवर्क में 1415 टीवी ट्रांसमीटर हैं जो कि देश के लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई लगभग 92% जनसंख्या को कवरेज मुहैया कराते हैं। स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों के साथ-साथ देश के शेष भाग में दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के जरिए बहु-चैनल टीवी चैनल कवरेज उपलब्ध करायी गई है जिनके सिगनल छोटे आकार के डिश अभिग्रहण इकाइयों की सहायता से देश में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कवरेज के विस्तार के लिए फिलहाल नए ट्रांसमीटरों की परिकल्पना नहीं है।

विवरण-I

वर्तमान आकाशवाणी केंद्रों की सूची प्रेषित सहित

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य	प्रेषित्र प्रकार/क्षमता		
			मी. वेव	एफ.एम.	शार्ट वेव
1	2	3	4	5	6
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	1 किवा		
2.	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
3.	करीमनगर	आंध्र प्रदेश		1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
4.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	100 किवा		
5.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	200 किवा	6 किवा	50 किवा
			20 किवा	5 किवा	
6.	कोठागुडम्	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
7.	कुरनूल	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
8.	मचरेला	आंध्र प्रदेश		3 किवा	
9.	मरकापुरम्	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
10.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
11.	तिरूपती	आंध्र प्रदेश		10 किवा	
				3 किवा	
12.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	100 किवा	1 किवा	
			1 किवा	(अन्तरिम सेट अप)	
13.	विशाखापटनम्	आंध्र प्रदेश	100 किवा	10 किवा	
14.	वारंगल	आंध्र प्रदेश		10 किवा	
15.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	100 किवा	10 किवा	50 किवा
16.	पासीघाट	अरूणाचल प्रदेश	10 किवा		
17.	तवांग	अरूणाचल प्रदेश	10 किवा		
18.	तेजू	अरूणाचल प्रदेश	10 किवा		
19.	जीरो	अरूणाचल प्रदेश	1 किवा		
20.	धुबरी	असम		6 किवा	
21.	दिबरूगुढ़	असम	300 किवा		
22.	दिफू	असम	1 किवॉ		
23.	गुवाहाटी	असम	100 किवा	10 किवा	50 किवा
			10 किवा		50 किवा
24.	हाफलांग	असम		6 किवा	
25.	जोरहट	असम		10 किवा	
26.	कोकराझार	असम	20 किवा		
27.	नोगांग	असम		6 किवा	
28.	सिलचर	असम	20 किवा		
29.	तेजपुर	असम	20 किवा		
30.	औरंगाबाद	बिहार		100 वाट	
31.	भागलपुर	बिहार	20 किवा		
32.	दरभंगा	बिहार	20 किवा		
33.	पटना	बिहार	100 किवा	6 किवा	

1	2	3	4	5	6
34.	पुर्णिया	बिहार		6 किवा	
35.	सासाराम	बिहार		6 किवा	
36.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	20 किवा		
37.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़		6 किवा	
38.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	100 किवा		
39.	रायगढ़	छत्तीसगढ़		6 किवा	
40.	रायपुर	छत्तीसगढ़	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
41.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़		1 किवा	
42.	दिल्ली	दिल्ली	200 किवा 'ए'	20 किवा	50 किवा (6)
			100 किवा 'बी'	20 किवा	100 किवा (2)
			20 किवा 'सी'		250 किवा (7)
			10 किवा 'डी'		
			20 किवा एनसी		
43.	पणजी	गोवा	100 किवा	6 किवा	250 किवा
			20 किवा		250 किवा
44.	अहमदाबाद	गुजरात	200 किवा	10 किवा	
45.	अहवा	गुजरात	1 किवा		
46.	भुज	गुजरात	20 किवा		
47.	गोधरा	गुजरात		6 किवा	
48.	हिम्मतनगर	गुजरात	1 किवा		
49.	राजकोट	गुजरात	300 किवा	10 किवा	
			1000 किवा (अस्थायी रूप से शट डाउन)		
50.	सूरत	गुजरात		6 किवा	
51.	वड़ोदरा	गुजरात		10 किवा	
52.	हिसार	हरियाणा		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
53.	कुरूक्षेत्र	हरियाणा		6 किवा	
54.	रोहतक	हरियाणा	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
55.	बारमौर	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
56.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश		10 किवा	
57.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश		6 किवा	
58.	कसौली	हिमाचल प्रदेश		10 किवा	
59.	केलौंग	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
60.	किनौर (कल्पा)	हिमाचल प्रदेश	1 किवा		
61.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश		6 किवा	
62.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा
63.	भदरवा	जम्मू और कश्मीर		6 किवा	
64.	डिसकिट	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
65.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
66.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	300 किवा	3 किवा	50 किवा
				10 किवा	
67.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
			200 किवा		
68.	कठुआ	जम्मू और कश्मीर		10 किवा	
69.	खलसी	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
70.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा		
71.	लेह	जम्मू और कश्मीर	20 किवा	100 वाट	10 किवा
72.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा		
73.	न्योमा	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
74.	पदम्	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
75.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
76.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर		10 किवा	
77.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	300 किवा	10 किवा	50 किवा
			10 किवा		
78.	त्रिसूरू	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
79.	चाईबासा	झारखंड		6 किवा	
80.	डालटनगंज	झारखंड		10 किवा	
81.	हजारीनगंज	झारखंड		6 किवा	
82.	जमशेदपुर	झारखंड	1 किवा	6 किवा	
83.	रांची	झारखंड	100 किवा	6 किवा	50 किवा
84.	बंगलौर	कर्नाटक	200 किवा	10 किवा	500 किवा
				10 किवा	(6)
85.	बेल्लारी	कर्नाटक		1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
86.	भद्रावती	कर्नाटक	20 किवा		
87.	बीजापुर	कर्नाटक		6 किवा	
88.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक		6 किवा	
89.	धारवाड़	कर्नाटक	200 किवा	10 किवा	
90.	गुलबर्गा	कर्नाटक	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
91.	हसन	कर्नाटक		6 किवा	
92.	होसपेट	कर्नाटक		10 किवा	
93.	करवार	कर्नाटक		3 किवा	
94.	मेडिकेरी (मरकारा)	कर्नाटक		6 किवा	
95.	मंगलोर/उदीपी	कर्नाटक	20 किवा	10 किवा	
96.	मैसूर	कर्नाटक		10 किवा	
97.	रायचूर	कर्नाटक		6 किवा	
98.	अलापुझां (एलेपी)	केरल	200 किवा		

1	2	3	4	5	6
99.	इडुकी (देविकुलम)	केरल		6 किवा	
100.	कन्नूर	केरल		6 किवा	
101.	कोचीन	केरल		6 किवा	
				10 किवा	
102.	कोजीकोड (कालीकट)	केरल	100 किवा	10 किवा	
103.	मंजेरी	केरल		3 किवा	
104.	त्रिचूर	केरल	100 किवा		
105.	त्रिवन्थपुरम्	केरल	20 किवा	10 किवा	50 किवा
106.	बालाघाट	मध्य प्रदेश		6 किवा	
107.	बेतुल	मध्य प्रदेश		6 किवा	
108.	भोपाल	मध्य प्रदेश	10 किवा	6 किवा	50 किवा
109.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	20 किवा		
110.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश		6 किवा	
111.	गुना	मध्य प्रदेश		6 किवा	
112.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	20 किवा		
113.	इंदौर	मध्य प्रदेश	200 किवा	6 किवा	
114.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	200 किवा	10 किवा	
115.	खंडवा	मध्य प्रदेश		6 किवा	
116.	मंडला	मध्य प्रदेश		1 किवा	
117.	राजगढ़	मध्य प्रदेश		3 किवा	
118.	रीवा	मध्य प्रदेश	20 किवा		
119.	सागर	मध्य प्रदेश		6 किवा	
120.	शहडोल	मध्य प्रदेश		6 किवा	
121.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश		6 किवा	
122.	अहमदनगर	महाराष्ट्र		6 किवा	
123.	अकोला	महाराष्ट्र		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
124.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
125.	बीड	महाराष्ट्र		6 किवा	
126.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र		6 किवा	
127.	धूले	महाराष्ट्र		6 किवा	
128.	जलगांव	महाराष्ट्र	20 किवा		
129.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र		6 किवा	
130.	मुम्बई	महाराष्ट्र	100 किवा 'ए'	10 किवा	100 किवा
			100 किवा 'बी'	10 किवा	50 किवा
			50 किवा		
131.	नागपुर	महाराष्ट्र	300 किवा	6 किवा	
			1000 किवा		
132.	नांडेड	महाराष्ट्र		6 किवा	
133.	नासिक	महाराष्ट्र		6 किवा	
134.	ओरस	महाराष्ट्र		5 किवा	
135.	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र		6 किवा	
136.	परभणी	महाराष्ट्र	20 किवा		
137.	पुणे	महाराष्ट्र	100 किवा	6 किवा	
138.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	20 किवा		
139.	सांगली	महाराष्ट्र	20 किवा		
140.	सतारा	महाराष्ट्र		6 किवा	
141.	शोल्हापुर	महाराष्ट्र	1 किवा		
142.	यावतमल	महाराष्ट्र		6 किवा	
143.	इम्फाल	मणिपुर	300 किवा	10 किवा	50 किवा
144.	चुराचांदपुर	मणिपुर		6 किवा	
145.	जोवाई	मेघालय		6 किवा	
146.	नांगस्टोन	मेघालय	1 किवा		

1	2	3	4	5	6
147.	शिलांग	मेघालय	100 किवा	10 किवा	50 किवा
148.	तुरा	मेघालय	20 किवा		
149.	विलियमनगर	मेघालय	1 किवा		
150.	आइजोल	मिजोरम	20 किवा	6 किवा	10 किवा
151.	लुंगलेह	मिजोरम		6 किवा	
152.	सइहा	मिजोरम	1 किवा		
153.	कोहिमा	नागालैण्ड	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा
154.	मोकाकचुंग	नागालैण्ड		6 किवा	
155.	मोन	नागालैण्ड	1 किवा		
156.	त्युनसैंग	नागालैण्ड	1 किवा		
157.	बारीपदा	उड़ीसा		5 किवा	
158.	बरहामपुर	उड़ीसा		6 किवा	
159.	भवानीपटना	उड़ीसा	200 किवा		
160.	बोलांगीर	उड़ीसा		6 किवा	
161.	कटक	उड़ीसा	300 किवा 1 किवा	6 किवा	
162.	देवगढ़	उड़ीसा		100 वाट	
163.	जैपोर	उड़ीसा	100 किवा		50 किवा
164.	जोरांडा	उड़ीसा	1 किवा		
165.	क्योंझार	उड़ीसा	1 किवा		
166.	पुरी	उड़ीसा		3 किवा	
167.	राउरकेला	उड़ीसा		6 किवा	
168.	सम्बलपुर	उड़ीसा	100 किवा		
169.	सोरो	उड़ीसा	1 किवा		
170.	भटिंडा	पंजाब		6 किवा	
171.	जालंधर	पंजाब	300 किवा 200 किवा 1 किवा	10 किवा	

1	2	3	4	5	6
172.	पटियाला	पंजाब		6 किवा	
173.	अजमेर	राजस्थान	200 किवा		
174.	अलवर	राजस्थान		6 किवा	
175.	बांसवाड़ा	राजस्थान		6 किवा	
176.	बाड़मेर	राजस्थान	20 किवा		
177.	बिकानेर	राजस्थान	20 किवा		
178.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान		6 किवा	
179.	चुरू	राजस्थान		6 किवा	
180.	जयपुर	राजस्थान	1 किवा	6 किवा	50 किवा
181.	जैसलमेर	राजस्थान		10 किवा	
182.	झालावाड़	राजस्थान		6 किवा	
183.	जोधपुर	राजस्थान	300 किवा	6 किवा	
184.	कोटा	राजस्थान	20 किवा		
185.	माउंट आबू	राजस्थान		6 किवा	
186.	नागौर	राजस्थान		6 किवा	
187.	सवाई माधोपुर	राजस्थान		6 किवा	
188.	सूरतगढ़	राजस्थान	300 किवा		
189.	उदयपुर	राजस्थान	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
190.	गंगटोक	सिक्किम	20 किवा		10 किवा
191.	चेन्नई	तमिलनाडु	200 किवा 'ए'	20 किवा	50 किवा
			20 किवा 'बी'	20 किवा	100 किवा
			20 किवा		
192.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	20 किवा	10 किवा	
193.	धर्मापुरी	तमिलनाडु		10 किवा	
194.	कोडाईकनाल	तमिलनाडु		10 किवा	
195.	मदुरई	तमिलनाडु	20 किवा	1 किवा	

1	2	3	4	5	6
196.	नागरकोइल	तमिलनाडु		10 किवा	
197.	ओटाकामुंड	तमिलनाडु	1 किवा	100 वाट	
198.	सलेम/यारकुड	तमिलनाडु		100 वाट	
199.	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु	100 किवा	10 किवा	
200.	तिरूनलवेली	तमिलनाडु	20 किवा		
201.	थनजावर	तमिलनाडु		100 वाट	
202.	तुटीकोरीन	तमिलनाडु	200 किवा		
203.	अगरतला	त्रिपुरा	20 किवा	10 किवा	
204.	बेलोनिया	त्रिपुरा		6 किवा	
205.	कैलाशनगर	त्रिपुरा		6 किवा	
206.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र		6 किवा	
207.	दमन	संघ शासित क्षेत्र (दमन और दीव)		3 किवा	
208.	कराईकल	संघ शासित क्षेत्र (पुडुचेरी)		6 किवा	
209.	पुडुचेरी	संघ शासित क्षेत्र (पुडुचेरी)	20 किवा	5 किवा (अंतरिम सेट अप)	
210.	कावारती	संघ शासित क्षेत्र (लक्षद्वीप)	1 किवा		
211.	पोर्टब्लेयर	संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	100 किवा	10 किवा	10 किवा
212.	आगरा	उत्तर प्रदेश	20 किवा		
213.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश		6 किवा	250 किवा (4)
214.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	20 किवा	10 किवा	
215.	बरेली	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
216.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
217.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा
218.	झांसी	उत्तर प्रदेश		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
219.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	1 किवा	1 किवा (अतंरिम सेट अप)	
220.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	300 किवा, 10 किवा	10 किवा	50 किवा
221.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1 किवा		
222.	नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश	200 किवा		
223.	ओबरा	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
224.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	20 किवा		
225.	वारणसी	उत्तर प्रदेश	100 किवा 1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
226.	अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड	1 किवा		
227.	गोपेश्वर (चमोली)	उत्तराखण्ड	1 किवा		
228.	मसूरी	उत्तराखण्ड		10 किवा	
229.	पौड़ी	उत्तराखण्ड	1 किवा		
230.	पिथौरागढ़	उत्तराखण्ड	1 किवा		
231.	उत्तरकाशी	उत्तराखण्ड	1 किवा		
232.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल		6 किवा	
233.	दार्जीलिंग	पश्चिम बंगाल		100 वाट	
234.	कोलकत्ता	पश्चिम बंगाल	200 किवा 'ए' 100 किवा 'बी' 20 किवा 1000 किवा	20 किवा 20 किवा	50 किवा
235.	करसियांग	पश्चिम बंगाल	1 किवा	5 किवा	50 किवा
236.	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल		6 किवा	
237.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल		3 किवा	
238.	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	200 किवा	10 किवा	
	कुल	(381 ट्रांसमीटर)	149 (मी.वेव)	178 (एफ.एम)	54 (शार्ट वेव)

विवरण II

विद्यमान दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र (स्टुडियों केंद्र)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यक्रम निर्माण केंद्र की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	3
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	4
बिहार	2
छत्तीसगढ़	2
गोवा	1
गुजरात	2
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	4
झारखंड	2
कर्नाटक	2
केरल	3
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	3
मणिपुर	1
मेघालय	2
मिजोरम	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	3
पंजाब	2
राजस्थान	1
सिक्किम	1
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	7
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
चंडीगढ़	1
दिल्ली	2
पुंडुचेरी	1
कुल	66

विवरण III

स्थानों का ब्यौरा जहां 11वीं योजना के अंतर्गत कंटीन्यूयिंग स्कीम में नए एफ.एम./ए.एम. केन्द्रों की स्थापना की जानी है

क्र.सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित ट्रांसमीटर का क्षमता
1	2	3	4
1.	महबूब नगर	आंध्र प्रदेश	10 किवा एफ.एम.
2.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
3.	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश	10 किवा एफ.एम.

1	2	3	4
4.	अनीनी	अरूणाचल प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
5.	बोमडीला	अरूणाचल प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
6.	चांगलैंग	अरूणाचल प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
7.	डापोरीजो	अरूणाचल प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
8.	खोन्सा	अरूणाचल प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
9.	गोलपारा	असम	1 किवा एफ.एम.
10.	करीमगंज	असम	1 किवा एफ.एम.
11.	लुमडिंग	असम	1 किवा एफ.एम.
12.	जूनागढ़	गुजरात	10 किवा एफ.एम.
13.	धनबाद	झारखंड	10 किवा एफ.एम.
14.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	5 किवा एफ.एम.
15.	अमरावती	महाराष्ट्र	10 किवा एफ.एम.
16.	तमेंगलेंग	मणिपुर	1 किवा एफ.एम.
17.	उखरूल	मणिपुर	1 किवा एफ.एम.
18.	चेरापुंजी	मेघालय	1 किवा एफ.एम.
19.	कोलासिब	मिजोरम	1 किवा एफ.एम.
20.	ट्यूपेंग	मिजोरम	1 किवा एफ.एम.
21.	चम्फई	मिजोरम	1 किवा एफ.एम.
22.	फेक	नागालैण्ड	1 किवा एफ.एम.
23.	वोखा	नागालैण्ड	1 किवा एफ.एम.
24.	जूनहेबोटो	नागालैण्ड	1 किवा एफ.एम.
25.	रायरंगपुर	उड़ीसा	1 किवा एफ.एम.
26.	अमृतसर	पंजाब	20 किवा एफ.एम.
27.	फाजिल्का	पंजाब	20 किवा एफ.एम.
28.	चौटन हिल	राजस्थान	20 किवा एफ.एम.
29.	डुंगरपुर	राजस्थान	1 किवा मी.व.

1	2	3	4
30.	लौंगथराय	त्रिपुरा	5 किवा एफ.एम.
31.	नूतन बाजार	त्रिपुरा	1 किवा एफ.एम.
32.	उदयपुर	त्रिपुरा	1 किवा एफ.एम.
33.	बांदा	उत्तर प्रदेश	10 किवा एफ.एम.
34.	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	10 किवा एफ.एम.
35.	मउनाथभंजन	उत्तर प्रदेश	10 किवा एफ.एम.
36	राइबरेली	उत्तर प्रदेश	20 किवा एफ.एम.
37	बागेश्वर	उत्तराखण्ड	5 किवा एफ.एम.
38	चंपावत	उत्तराखण्ड	1 किवा एफ.एम.
39	देहरादून	उत्तराखण्ड	10 किवा एफ.एम.
40	गैरसेन	उत्तराखण्ड	1 किवा एफ.एम.
41	हल्दवानी	उत्तराखण्ड	10 किवा एफ.एम.
42.	न्यू टीहरी	उत्तराखण्ड	1 किवा एफ.एम.
43.	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल	10 किवा एफ.एम.
44.	वर्धमान	पश्चिम बंगाल	10 किवा एफ.एम.
45.	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	10 किवा एफ.एम.
46-145	उत्तर पूर्वी क्षेत्र लघु क्षमता एफ.एम ट्रांसमीटर	(100 स्थानों पर)	100 वाट एफ.एम.

विवरण-IV

11वीं योजना के अंतर्गत आकाशवाणी के नये एफ.एम. प्रेषित लगाने के स्थानों की सूची:

क्र.सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित क्षमता	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
2.	कडप्पा		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
3.	डिब्रूगढ़	असम	1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
4.	तेजपूर		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल

1	2	3	4	5
5.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
6.	भुज	गुजरात	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
7.	जमशेदपुर	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
8.	द्रास	जम्मू कश्मीर	100 वाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
9.	ग्रीन रीज (उरी सेक्टर)		10 किलोवाट एफ.एम.	नया स्थल
10.	हिमबोटिंगला कारगिल लद्दाख रीजन		10 किलोवाट एफ.एम.	नया स्थल
			100 वाट एफ.एम.	नया स्थल
11.	कारगिल		200 किवा मी.व.	आकाशवाणी स्थल
			1 किवा मी.व.	
12.	नाथ्थाटोप (उधमपुर)		10 किलोवाट एफ.एम.	नया स्थल
13.	नौशेरा		10 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
14.	पदम		100 वाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
15.	त्रिसुरू		100 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
16.	भद्रावती	कर्नाटक	1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
17.	त्रिचूर	केरल	1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
18.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
19.	ग्वालियर		5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
20.	जलगांव	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
21.	परभणी		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
22.	नत्लागिरी		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
23.	सांगली		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
24.	तूरा	मेघालय	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
25.	भवानीपटना	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
26.	कटक		10 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
27.	क्योंझार		10 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
28.	जैपोर		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल

1	2	3	4	5
29.	सम्बलपुर		5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
30.	अजमेर	राजस्थान	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
31.	जयपुर		10 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
32.	कोटा		5 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
33.	तूटीकोरिन	तमिलनाडु	1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
34.	आगरा	उत्तर प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
35.	रामपुर		1 किलोवाट एफ.एम.	आकाशवाणी स्थल
36.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
37.	कर्सियांग	पश्चिम बंगाल	5 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
38.	कर्सियांग		10 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन स्थल
39-138.	100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर	पूरी देशभर में	100 किलोवाट एफ.एम.	दूरदर्शन की विद्यमान एल पी टी जगहों पर

*ये 10 किवा. एफएम ट्रांसमीटर मौजूदा 1 किवा. मीवे. ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन है।

विवरण-V

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	नांडयाल	कुरनूल
2.		अदोनी	कुरनूल
3.		खमाम	खमाम
4.		बंसवाडा	निजामाबाद
5.		कमरेडी	निजामाबाद
6.		काकीनाडा	काकीनाडा
7.	असम	नजीरा	सिबसागर
8.		उत्तरी लखीमपुर	लखीमपुर
9.	बिहार	बैतिया	पश्चिम चंपारन

1	2	3	4
10.		मोतिहारी	मोतिहारी
11.		मुजफरपुर	मुजफरपुर
12.		मधुबनी	मधुबनी
13.		सुपोल	सुपोल
14.		फोरसिबगंज	अरारिया
15.		भागलपुर	भागलपुर
16.	छत्तीसगढ़	कनकेर	कनकेर
17.		कोरबा	कोरबा
18.		कोंटा	दांतीवाड़ा
19.		डोंगरगढ़	राजनंदगांव
20.		पनदारिया	बिलासपुर
21.		खरोड	जांजगिर चंपा
22.		जगदलपुर	जगदलपुर
23.	गुजरात	भरूच	भरूच
24.		द्वारिका	द्वारिका
25.		मेहसाना	मेहसाना
26.		भावनगर	भावनगर
27.		पोरबंदर	पोरबंदर
28.		जामनगर	जामनगर
29.		अहवा	अहवा
30.	हरियाणा	सिरसा	सिरसा
31.		अम्बाला	अम्बाला
32.	झारखंड	गिरीडीह	गिरीडीह
33.		देवघर	देवघर
34.		दुमका	दुमका
35.		गुमला	गुमला

1	2	3	4
36.		घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम
37.		छत्तरा	छत्तरा
38.		बोकारो	बोकारो
39.	कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर
40.		सागर	सिमोगा
41.		देवंगीर	देवंगीर
42.		होसदुर्ग	चित्रदुर्ग
43.		कुमटा	कुमटा
44.	केरल	पुनालुर	कोलम
45.		कलपेटा	वायनाड
46.		ईडुकी	पेनावू
47.		कसारगोडे	कसारगोडे
48.	मध्य प्रदेश	सतना	सतना
49.		झाबुआ	झाबुआ
50.		मंदसौर	मंदसौर
51.		हरदा	हरदा
52.		चंदेरी/अशोकनगर	गुना
53.		नीमच	नीमच
54.		रतलाम	रतलाम
55.	महाराष्ट्र	वरधा	वरधा
56.		गोंडिया	गोंडिया
57.		जलाना	जलाना
58.		बुलडाना	बुलडाना
59.		ब्रहमपुरी	चंद्रपुर
60.		मालेगांव	नासिक
61.	मिजोरम	सइहा	सइहा

1	2	3	4
62.		लौंगतराई	लौंगतराई
63.	उड़ीसा	नौपारा	नौपारा
64.		बलीगुरहा	फूलबानी
65.		रायगाडा	रायगाडा
66.		अंगुल	अंगुल
67.		सुंदरगढ़	सुंदरगढ़
68.		पारलेखीमुंडी	गजापति
69.		पारादीप	पारादीप
70.	पंजाब	गुरदासपुर	गुरदासपुर
71.		फिरोजपुर	फिरोजपुर
72.	राजस्थान	अनुपगढ़	गंगानगर
73.		झुनझुनु	झुनझुनु
74.		नाथद्वारा	राजसमंद
75.		भरतनपुर	भरतपुर
76.		करौली	करौली
77.		सीकर	सीकर
78.	तमिलनाडु	थिरूपतूर	वैलोर
79.		रामेश्वरम	रामानाथपुरम
80.		वैलोर	वैलोर
81.	उत्तराखण्ड	पौड़ी	पौड़ी
82.		कालागढ़	पौड़ी गढ़वाल
83.		हरिद्वार	हरिद्वार
84.		पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
85.		काशीपुर	रूद्रपुर
86.	उत्तर प्रदेश	हरदौई	हरदौई
87.		बहराइच	बहराइच

1	2	3	4
88.		ओरई	जालौन
89.		बलरामपुर	बलरामपुर
90.		महोबा	महोबा
91.		पीलीभीत	पीलीभीत
92.		मथुरा	मथुरा
93.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	पुरूलिया
94.		मेदनीपुर	मेदनीपुर
95.		बलरामपुर	बलरामपुर
96.		बसंती	चौबीस परगना
97.		फरक्का	फरक्का
98.		कृष्णा नगर	कृष्णा नगर
99.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	सिलवासा
100.	लक्षद्वीप	कावारती	लक्षद्वीप

सब्जियों एवं फलों की मांग और आपूर्ति

3111. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए सब्जियों एवं फलों की मांग एवं आपूर्ति पर निगरानी रखने एवं इन्हें विनियमित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विनियामक/निगरानी एजेंसी की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) और (ख) जी हां, सब्जियों एवं फलों का मूल्य मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है जो उत्पादन एवं मंडी में आवकों को प्रभावित करते हुए कई कारकों पर निर्भर है एवं वर्ष भर भिन्न-भिन्न रहता है। सरकार ने बागवानी वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कई लघु अवधि और मध्यम अवधि उपायों की शुरूआत की है।

लघु अवधि उपाय

(i) बागवानी उत्पादों विशेषत: प्याज के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) का उपयोग करती है। सितम्बर, 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को 275 यूएसडालर पीएमटी से बढ़ाकर 1200 यूएसडालर पीएमटी कर दिये गये थे। इसके अलावा 22 दिसम्बर, 2010 से प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था और घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्याज के शुल्क रहित आयात की अनुमति दी गई थी। फरवरी, 2011 के दौरान सप्ताह में बैंगलोर रोज एवं कृष्णापुरम प्याज जैसी किस्मों जैसाकि इनकी स्थानीय खपत नहीं है एवं इन्हें लम्बे समय तक भण्डारित नहीं किया जा सकता और इसके अलावा प्रतिबन्ध से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए थे, के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया। हाल ही में सरकार ने देश में प्याज की उन्नत

आवकों और गिरती कीमतों के दृष्टिगत प्याज की सभी किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है और एमईपी को 600 युएस डालर प्रति मिट्रिक टन तक घटा दिया।

(ii) उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने जनवरी, 2011 के दौरान दिल्ली में नैफैड एवं अन्य एजेंसियों के माध्सम से कम दर पर प्याज सहित बागवानी उत्पादों की बिक्री शुरू की थी।

मध्यावधि उपाय

बागवानी उत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए प्रभावी उपाया देश में बेहतर फसलोपरान्त प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना करना है जिसके लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों (एचएमएनईएच) के लिए बागवानी मिशन के तहत सहायता प्रदान करता है। इसमें उचित दरों पर उपभोक्तओं तक फलों एवं सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए शीत भण्डारों की स्थापना, टर्मिनल मण्डियों की स्थापना करना, थोक मंडी एवं ग्रामीण प्राथमिक मंडी/अपनी मंडियों की स्थापना करना शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "बागवानी उत्पादन हेतु शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता" की एक स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग) और (घ) प्याज सहित प्राथमिक खाद्य वस्तुओं पर फोकस के साथ मूल्य नियंत्रण हेतु समीक्षा करने एवं उपाय सुझाने के लिए उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन, योजना आयोग और आर्थिक मामले विभाग से प्रतिनिधियों के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में हाल ही में एक अन्तर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया।

फोन टेपिंग

***3112. श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री पी. लिंगम:
श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय:
डॉ. चरण दास महन्त:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसके अनुसार विभिन्न टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को व्यक्ति विशेष के फोन टेप करने का निदेश दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्यंबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत टेलीफोनों को टेप करने का प्राधिकर जारी करती है जिसमें कोई सार्वजनिक आकस्मिकता होने अथवा लोक-सुरक्षा के हित में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संबंध में विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, समुचित संतुष्टि के पश्चात, भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रतापुर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था के हित में अथवा कोई अपराध करने के लिए उकंसाए जाने को रोकने के लिए, तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिसूचित एजेंसियों को टेलीफोनों के अन्तरोवधन/टेप करने के बारे में प्राधिकरण जारी करता है। इस प्रकार के प्राधिकर की प्रक्रिया का उल्लेख वर्ष 1999 और वर्ष 2007 में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 419 क में विधिवत किया गया है।

[हिन्दी]

जे. जे. कॉलोनियां

3113. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी (जे.जे.) कॉलोनियों की स्थान-वार संख्या कितनी है एवं इनके नाम क्या हैं;

(ख) इन कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जे.जे. कॉलोनियों के कुछ घरों को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचा गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन लोगों को स्वामित्व अधिकार से वंचित किए जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बागवानी एवं तिलहन फसलें

3114. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा सहित देश में अन्य फसलों के स्थान पर बागवानी एवं तिलहन फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा एवं अन्य राज्यों में बागवानी एवं तिलहन फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) जी, हां बागवानी फसलें और बीज फसलें कृषि जलवायु स्थितियों पर निर्भर होते हुए किसानों को प्रति यूनिट क्षेत्र बेहतर आय मुहैया कराती है।

बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात 2001-02 से पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु 11 राज्यों में बागवानी मिशन (एनएमएनईएच) तथा 2005-06 से उड़ीसा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्ष्यद्वीप और पुडुचेरी के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों सहित शेष 18 राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रही है।

देश में तिलहनों, मक्का का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए तथा आयल पाम के अधीन क्षेत्र विस्तार के लिए, भारत सरकार 14 तिलहन, 15 मक्का उत्पादक राज्यों तथा उड़ीसा सहति 9 आयल पाम उत्पादक राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम(आइसोपाम) कार्यान्वित कर रही है। वृहद कृषि प्रबंधन(एमएमए) स्कमी आइसोपाम के अधीन कवर नहीं किए गए राज्यों को तिलहनों के लिए सहायता मुहैया कराती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अधीन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों, जहां दलहन और तिलहन मुख्य रुप से उगाए जाते हैं, में छह हजार 'दलहन एवं तिलहन ग्राम' आयोजित करने के लिए अलग से निधियां मुहैया कराई गई हैं।

पट्टा संबंधी नियमों का उल्लंघन

3115. श्री अबू हशीम खां चौधरी: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पट्टा संबंधी नियमों का घोर उल्लंघन कर दिल्ली में सहकारी आवास समितियों के सार्वजनिक स्थान को व्यावसायिक संगठनों को पट्टे पर देने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में उक्त दोषी सहकारी आवास समितियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या डीडीए ने उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाली आवास समितियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एनडीएमसी कर्मचारी

3116. श्रीमती तबस्सुम हसन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में वर्तमान में विभिन्न वर्गों में स्थायी/अस्थायी एवं अनुबंध मस्टर रॉल आधार पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) एनडीएमसी में सेवानिवृत्त के बाद भी कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में विभिन्न वर्गों के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(घ) रिक्तियों को भरने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि इसमें 15006 कर्मचारी स्थायी आधार पर और 880 कर्मचारी अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त, एनडीएमसी मौसमी/सामयिक कार्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के प्रयोजन से दैनिक मजदूरी/कार्य निष्पादन के आधार पर भी कर्मचारियों की भरती करती हैं।

(ख) एनडीएमसी में 33 सेवानिवृत कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) एनडीएमसी में स्वीकृत पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या
समूह 'क'	365
समूह 'ख'	588
समूह 'ग'	6905
समूह 'घ'	10191

(घ) और (ङ) रिक्तियां होना और रिक्तियों को भरना एक नियमित प्रक्रिया है और रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए प्रयासों में पदोन्नति कोटे के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करना, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत रिक्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी करना, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियां

***3117. श्री रमेन डेका:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी खबरें हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में माओवादी सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गुटों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सीपीआई माओवादियों को पूर्वोत्तर के कुछ भारतीय विद्रोही गुटों (आईआईजी) के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करते हुए पाया गया है।

(ग) सरकार ने विद्रोह-रोधी अभियान चलाने और संवेदनशील संस्थानों एवं संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय आधुनिकीकरण की तैनाती की है; निरन्तर आधार पर आसूचना का आदान-प्रदान किया है; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सुरक्षा तंत्र और विद्रोहरोधी अभियानों के विभिन्न पहलुओं के सुदृढीकरण के लिए सहायता प्रदान की हैं। यह योजना मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनों के रुप अतिरिक्त बलों के गठन में भी सहायता प्रदान की है।

आव्रजन कानूनों का उल्लंघन

3118. डॉ. चरण दास महन्त: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी कलाकारों को आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी पाकिस्तानी कलाकार द्वारा आव्रजन कानूनों का उल्लंघन किए जाने के किसी विशिष्ट दृष्टांत की सूचना नहीं मिली है। तथापि, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम आदि जैसे अन्य अधिनियमों कें उपबंधों का पाकिस्तानी कलाकारों द्वारा उल्लंघन किए जाने के कतिपय दृष्टांतों की सूचना मिली है और ऐसे सभी मामलों में संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पूजा स्थलों का सौंदर्यीकरण

3119. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पूजा स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों/स्थलों के परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। जहां तक पूजा स्थलों का संबंध है, इस अधिनियम के तहत ऐसी कोई श्रेणी विनिर्दिष्ट नहीं है। आज की तारीख तक महाराष्ट्र में 285 स्मारकों सहित देश में 3,676 स्मारक/स्थल हैं जिनमें मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद, स्तूप आदि शामिल हैं। इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण और पर्यावरणीय विकास के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पेय जल, प्रसाधन खंड, विकलांगों के लिए सुविधाएं, रास्ते, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/संकेतक, वाहन पार्किंग आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है।

पीडीएस के तहत आवंटन

3120. श्री मोहम्मद असरारुल हक:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत विभिन्न वस्तुओं के लिए राज्यों को किया गया आवंटन आवश्यकता से कम था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कतिपय राज्यों के कोटा को कम कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या राज्यों से कोटा बहाल करने अथवा इसे बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) जिंसवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

खाद्यान्न:

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अथवा प्रत्येक राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और जारी किए गए कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा विगत के उठाने के आधार पर किया जाता है। खाद्यान्नों के तत्कालीन कम स्टाक को देखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के आबंटन विगत के उठान के आधार पर 2006, 2007 और 2008 में युक्तिसंगत बनाए गए थे। तथापि, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की बाद में पर्याप्त उपलब्धता को हिसाब में लेते हुए और राज्यों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होने पर खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के ये आबंटन 10 और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

मिट्टी का तेल:

सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी का तेल नियंत्रण आदेश 1993 के तहत मिट्टी के तेल का आबंटन केवल खाना पकाने और रोशनी करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु तिमाही आधार पर किया जाता है। आबंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आगे वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। देश में मिट्टी के तेल की समग्र कमी नहीं है। सरकार ने एलपीजी कनैक्शनों में वृद्धि होने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसका उठान न करने के कारण 2010-11 की प्रथम तिमाही से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के कोटे में कमी कर दी है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

लेवी चीनी:

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके निर्धारित मासिक कोटे के अनुसार और न कि उनकी आवश्यकतानुसार लेवी चीनी का आबंटन करती रही है।

बिहार और झारखंड का लेवी चीनी कोटा राज्य सरकारों द्वारा लेवी चीनी का उठान न करने के कारण कम किए जाने की सूचना मिली है। तथापि, उनके लेवी चीनी के कोटे को पूर्ण मात्रा में बहाल कर दिया गया है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने हाल में अपने लेवी चीनी के मासिक कोटे को बढ़ाने का अनुरोध किया है। तथापि, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2007-08, 2008-09 और 2009-10 तथा वर्तमान मौसम 2010-11(अप्रैल 2011 तक) के दौरान लेवी चीनी के राज्यवार और चीनी मौसमवार आबंटन बताने वाला ब्यौरा संलग्न वितरण IV में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08				2008-09			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,052.09	654.29	2178.45	3884.82	1052.09	654.29	1871.31	3577.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.52	15.97	62.05	103.55	25.52	15.97	60.06	101.56
3.	असम	475.47	295.45	574.61	1345.53	475.22	295.69	635.34	1406.26
4.	बिहार	1719.80	1019.99	28.24	2768.03	1719.80	1019.99	218.33	2958.12
5.	छत्तीसगढ़	472.69	301.94	50.78	825.42	485.69	301.94	150.07	937.70
6.	दिल्ली	125.87	45.91	576.40	748.18	108.70	63.08	420.77	592.55
7.	गोवा	5.46	6.11	20.61	32.18	5.46	6.11	24.79	36.36
8.	गुजरात	524.47	332.18	273.39	1130.04	486.47	340.08	215.49	1042.04
9.	हरियाणा	208.57	122.82	120.53	451.92	208.57	122.82	272.10	603.49
10.	हिमाचल प्रदेश	133.14	82.74	261.62	477.50	133.14	82.74	247.30	463.18
11.	जम्मू और कश्मीर	201.70	107.39	514.51	823.60	207.70	107.39	467.72	776.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	झारखण्ड	653.40	352.09	52.24	1057.74	619.96	385.54	60.44	1065.93
13.	कर्नाटक	770.38	503.89	1372.76	2647.03	798.86	503.89	730.59	2033.34
14.	केरल	402.35	250.26	532.00	1184.61	402.35	250.26	512.00	1164.60
15.	मध्य प्रदेश	1028.81	652.66	125.55	1807.03	1068.22	664.26	353.21	2085.68
16.	महाराष्ट्र	1682.63	1021.67	176.38	2880.68	1709.42	1034.88	421.48	3165.79
17.	मणिपुर	47.17	22.57	37.93	107.66	43.01	26.72	36.68	106.42
18.	मेघालय	47.38	29.48	63.56	140.42	47.38	29.48	67.42	144.28
19.	मिजोरम	17.64	10.92	56.49	85.05	17.64	10.92	54.35	82.91
20.	नागालैण्ड	32.11	19.97	78.81	130.89	32.11	19.97	74.80	126.88
21.	उड़ीसा	1165.57	531.12	203.38	1900.07	1165.57	531.12	170.09	1866.78
22.	पंजाब	131.12	65.41	83.49	280.03	121.18	75.36	466.38	662.92
23.	राजस्थान	592.53	391.49	290.95	1274.97	629.53	391.49	343.60	1364.62
24.	सिक्किम	11.30	6.94	27.55	45.79	11.30	6.94	25.98	44.22
25.	तमिलनाडु	1259.23	783.14	2805.51	4847.88	1259.23	783.14	1640.46	3682.83
26.	त्रिपुरा	77.96	45.94	139.31	263.21	76.38	47.52	151.10	275.00
27.	उत्तर प्रदेश	2765.70	1719.48	65.51	4550.69	2765.70	1719.48	440.68	4925.85
28.	उत्तराखण्ड	145.66	63.52	132.37	341.54	145.66	63.52	153.08	362.25
29.	पश्चिम बंगाल	1553.58	621.68	847.94	3023.20	1553.58	621.68	856.68	3031.94
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.04	1.80	22.40	29.24	5.04	1.80	22.50	29.34
31.	चण्डीगढ़	2.94	0.89	0.30	4.13	3.01	0.82	1.80	5.63
32.	दादरा व नगर हवेली	4.52	2.20	5.09	11.81	4.52	2.20	1.43	8.15
33.	दमन और दीव	1.04	0.64	1.02	2.70	1.04	0.64	0.69	2.37
34.	लक्षद्वीप	0.71	0.46	3.66	4.84	0.76	0.49	3.36	4.61
35.	पुडुचेरी	21.56	13.55	30.69	65.80	21.56	13.55	3.24	38.35
	जोड़	17365.142	10096.545	11816.057	39277.744	17405.371	10195.770	11175.290	38776.431

वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10				2010-11			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1052.09	654.29	2177.87	3884.25	1052.09	654.29	1970.10	3676.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.52	15.97	60.06	101.56	25.52	15.97	60.06	101.56
3.	असम	475.22	295.69	715.05	1485.97	475.22	295.69	902.21	1673.13
4.	बिहार	1719.80	1019.99	697.69	3437.48	1691.91	1047.88	803.40	3543.19
5.	छत्तीसगढ़	485.69	301.94	304.32	1091.95	485.69	301.94	380.40	1168.03
6.	दिल्ली	108.70	63.08	420.77	592.55	108.70	63.08	423.95	595.73
7.	गोवा	5.46	6.11	35.14	46.71	5.46	6.11	57.18	68.75
8.	गुजरात	481.97	340.08	796.44	1618.49	550.37	340.08	995.55	1886.00
9.	हरियाणा	208.57	122.82	649.08	980.47	208.57	122.82	353.85	685.24
10.	हिमाचल प्रदेश	133.14	82.74	281.59	497.47	133.14	82.74	293.11	508.99
11.	जम्मू और कश्मीर	201.70	107.39	447.72	756.80	201.70	107.39	448.02	757.10
12.	झारखण्ड	619.96	385.54	306.30	1311.79	619.97	385.53	313.92	1319.41
13.	कर्नाटक	810.38	503.89	853.22	2167.49	810.38	503.89	946.20	2260.48
14.	केरल	402.35	250.26	649.00	1301.60	402.35	250.26	747.04	1399.65
15.	मध्य प्रदेश	1068.22	664.26	1298.39	3030.87	1068.22	664.6	877.98	2610.45
16.	महाराष्ट्र	1709.42	1034.88	1765.06	4509.36	1709.42	1034.88	1746.11	4490.41
17.	मणिपुर	43.01	26.72	47.41	117.15	43.01	26.72	72.11	141.84
18.	मेघालय	47.38	29.48	70.42	147.28	47.38	29.48	106.07	182.93
19.	मिजोरम	17.64	10.92	54.35	82.91	17.64	10.92	41.58	70.14
20.	नागालैण्ड	32.11	19.97	77.47	129.55	32.11	19.97	74.80	126.88
21.	उड़ीसा	1165.57	531.12	419.16	2115.85	1165.57	531.12	525.10	2221.79
22.	पंजाब	121.18	75.36	1017.38	1213.92	121.18	75.36	589.81	786.35
23.	राजस्थान	629.53	391.49	924.44	1945.46	629.53	391.49	1016.11	2037.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सिक्किम	11.30	6.94	25.98	44.22	11.30	6.94	26.01	44.25
25.	तमिलनाडु	1259.23	783.14	1725.46	3767.83	1259.23	783.14	1680.46	3722.83
26.	त्रिपुरा	76.38	47.52	178.10	302.00	76.38	47.52	178.72	302.62
27.	उत्तर प्रदेश	2765.70	1719.48	2554.71	7039.89	2764.70	1719.48	2463.77	6948.95
28.	उत्तराखण्ड	145.66	63.52	226.83	436.00	140.10	69.07	264.95	474.12
29.	पश्चिम बंगाल	1553.58	621.68	1141.28	3316.54	1553.58	621.68	1426.60	36.01.86
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.12	1.80	25.04	31.96	5.34	1.80	26.88	34.02
31.	चण्डीगढ़	3.57	0.62	21.60	25.80	3.76	0.62	27.00	31.38
32.	दादरा व नगर हवेली	4.52	2.20	2.16	8.88	5.03	2.20	270	9.92
33.	दमन और दीव	1.04	0.64	2.64	4.32	1.04	0.64	3.30	4.98
34.	लक्षद्वीप	0.76	0.50	3.36	4.61	0.76	0.50	3.36	4.62
35.	पुडुचेरी	21.56	13.55	18.60	53.71	21.56	13.55	21.00	56.11
	जोड़	17413.031	10195.578	19994.088	47602.697	17448.901	10229.027	19869.401	47547.329

विवरण-II

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20.1.2010 को अंअयो/गरेनी/गरेऊ के लिए आबंटन	19.5.2010 को अंअयो/गरेनी/गरेऊ के लिए आबंटन	7.9.2010 को गरेनी के लिए आबंटन	6.1.2011 को गरेऊ के लिए आबंटन	6.1.2011 को गरेनी के लिए आबंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	316.42	268.96	155.79	255.22	155.79
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.84	4.11	3.80	3.10	3.80
3.	असम	89.86	196.38	70.40	57.67	70.40
4.	बिहार	237.58	201.94	250.11	116.26	250.11
5.	छत्तीसगढ़	88.22	149.97	71.89	55.05	71.89
6.	दिल्ली	55.64	47.29	15.68	51.51	15.68

1	2	3	4	5	6	7
7.	गोवा	6.40	5.44	1.84	5.90	1.84
8.	गुजरात	175.14	148.87	81.29	144.06	81.29
9.	हरियाणा	62.96	53.52	30.25	51.21	30.25
10.	हिमाचल प्रदेश	25.14	21.37	19.71	16.13	19.71
11.	जम्मू और कश्मीर	36.04	30.63	28.22	23.14	28.22
12.	झारखण्ड	87.12	74.05	91.79	42.59	91.79
13.	कर्नाटक	188.74	160.43	119.97	136.92	119.97
14.	केरल	122.20	153.87	59.58	98.89	59.58
15.	मध्य प्रदेश	194.06	164.95	158.16	121.08	158.16
16.	महाराष्ट्र	354.54	301.36	250.53	242.96	250.53
17.	मणिपुर	8.14	6.92	6.37	5.23	6.37
18.	मेघालय	8.98	7.63	7.02	5.77	7.02
19.	मिजोरम	3.34	5.68	2.61	2.15	2.61
20.	नागालैण्ड	6.04	10.27	4.76	3.86	4.76
21.	उड़ीसा	135.82	115.45	126.45	75.82	126.45
22.	पंजाब	79.52	67.59	17.94	76.15	17.94
23.	राजस्थान	177.34	301.48	250.53	242.96	250.53
24.	सिक्किम	2.10	2.29	1.65	1.35	1.65
25.	तमिलनाडु	277.64	235.99	186.46	195.77	186.46
26.	त्रिपुरा	14.44	12.27	11.31	9.27	11.31
27.	उत्तर प्रदेश	522.83	444.41	409.44	335.64	409.44
28.	उत्तराखण्ड	24.38	20.72	19.09	15.65	19.09
29.	पश्चिम बंगाल	290.46	246.89	198.58	202.82	198.58
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.62	1.38	1.07	1.15	1.07
31.	चण्डीगढ़	4.06	3.45	0.88	3.91	0.88
32.	दादरा और नगर हवेली	0.72	0.61	0.69	0.39	0.69

1	2	3	4	5	6	7
33.	दमन और दीव	0.51	0.00	0.13	0.48	0.13
34.	लक्षद्वीप	0.22	0.19	0.12	0.17	0.12
35.	पुडुचेरी	4.48	3.81	3.22	3.04	3.22
	जोड़	3607.54	3470.18*	2500.00	2500.00	2500.00

*इसमें 30.66 लाख टन के समय आवंटन के अंदर कुछ राज्यों को किए गए पुन: आवंटन शामिल हैं।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आवंटन

(मात्रा टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5816	5816	5659	5640
2.	आंध्र प्रदेश	517158	517158	517102	463658
3.	अरूणाचल प्रदेश	9257	9257	9170	9133
4.	असम	258007	258007	257893	257725
5.	बिहार	647430	647430	643786	641837
6.	चण्डीगढ़	13067	9999	7181	7135
7.	छत्तीसगढ़	146938	146938	145822	145504
8.	दादरा और नगर हवेली	2782	2782	2785	2363
9.	दमन और दीव	2118	2118	2073	1812
10.	दिल्ली	168484	160935	135235	108093
11.	गोवा	19212	19212	19209	17650
12.	गुजरात	743759	743759	742668	716386
13.	हरियाणा	145619	145619	144830	134344

1	2	3	4	5	6
14.	हिमाचल प्रदेश	50537	49409	45466	31331
15.	जम्मू और कश्मीर*	76044	76044	75326	73994
16.	झारखण्ड	211175	211175	210964	210780
17.	कर्नाटक	461478	461478	461340	437986
18.	केरल	216308	216308	216310	175172
19.	लक्षद्वीप	795	795	795	794
20.	मध्य प्रदेश	488609	488609	487845	487480
21.	महाराष्ट्र	1276876	1276876	1276588	1217258
22.	मणिपुर	19907	19907	19743	19723
23.	मेघालय	20401	20401	20359	20339
24.	मिजोरम	6217	6217	6181	6163
25.	नागालैण्ड	13312	13312	13318	13307
26.	उड़ीसा	314977	314977	314334	313728
27.	पुडुचेरी	12257	12257	12249	12243
28.	पंजाब	237192	237192	234700	222098
29.	राजस्थान	398913	398913	398431	398167
30.	सिक्किम	5582	5582	5566	5136
31.	तमिलनाडु	558929	558929	558428	493111
32.	त्रिपुरा	30832	30832	30740	30584
33.	उत्तर प्रदेश	1241772	1241772	1240789	1240286
34.	उत्तराखण्ड	89849	89849	89845	86428
35.	पश्चिम बंगाल	752103	752103	751536	751275
	जोड़	9163712	9151967	9104266	8758663

*राज्य के लिए आवंटन में लद्दाख क्षेत्र के लिए आवंटन शामिल हैं जो 3600 टन प्रति वर्ष है।

विवरण-IV

2007-08 से 2010-11 (अप्रैल, 2011 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08* (वार्षिक त्यौहार कोटा सहित)	2008-09* (वार्षिक त्यौहार और विशेष त्यौहार कोटा सहित)	2009-10* (वार्षिक त्यौहार कोटा सहित)	2010-11 (वार्षिक त्यौहार कोटा सहित अप्रैल, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	124.46	132.48	124.37	71.91
2.	अरुणाचल प्रदेश#	10.32	11.29	10.29	5.99
3.	असम#	224.29	233.26	224.38	132.15
4.	बिहार	84.60	97.58	165	148.20
5.	छत्तीसगढ़	54.12	59.92	55.26	32.65
6.	दिल्ली	36.49	37.76	37.16	21.47
7.	गोवा	1.58	2.48	1.58	0.91
8.	गुजरात	75.35	79.66	75.44	43.76
9.	हरियाणा	31.16	33.64	32.08	19.48
10.	हिमाचल प्रदेश	56.74	59.62	57.07	33.52
11.	जम्मू और कश्मीर#	88.47	91.57	88.04	51.57
12.	झारखंड	0.12	4.90	84.87	51.11
13.	कर्नाटक	109.64	115.89	109.66	63.54
14.	केरल	52.92	53.02	52.92	28.77
15.	मध्य प्रदेश	155.53	161.13	155.80	90.41
16.	महाराष्ट्र#	171.89	189.45	176.37	102.15
17.	मणिपुर#	21.93	22.73	21.88	12.88
18.	मेघालय#	20.86	21.76	20.96	12.31
19.	मिजोरम#	8.35	8.65	8.35	4.84
20.	नागालैण्ड#	14.49	15.14	14.64	8.55
21.	उड़ीसा	106.99	111.42	108.52	62.15

1	2	3	4	5	6
22.	पंजाब	20.77	21.70	20.87	11.95
23.	राजस्थान	97.05	99.30	94.54	57.30
24.	सिक्किम	4.68	4.91	4.70	2.76
25.	तमिलनाडु	136.74	146.44	140.14	75.81
26.	त्रिपुरा#	32.94	34.38	32.88	18.98
27.	उत्तर प्रदेश	412.02	433.35	412.20	246.88
28.	उत्तराखंड	73.28	75.78	73.38	43.10
29.	पश्चिम बंगाल	169.62	188.43	178.58	107.54
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	4.60	4.74	4.77	2.76
31.	चण्डीगढ़	0.90	0.93	0.91	0.50
32.	दादरा और नगर हवेली	0.60	0.63	0.60	0.35
33.	दमन और दीव	0.12	0.13	0.12	0.07
34.	लक्षद्वीप#	1.32	1.34	1.32	0.77
35.	पुड्डुचेरी	2.12	2.32	2.12	1.19
	जोड़	2407.06	2557.73	2591.77	1568.28

*चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर तक माना जाता है।

यह लेवी चीनी के आबटन एवं उठान के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचलित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र हैं।

[अनुवाद]

नेफेड द्वारा निधियों का संवितरण

3121. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने लौह-अयस्क जैसे गैर-कृषि मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के बहाने निजी पार्टियों को बहुत अधिक मात्रा में निधियां संवितरित की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निजी पार्टियों को संवितरित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शर्तो के अनुरुप निधियों के पुर्नभुगतान में इन पार्टियों ने बड़े पैमाने पर चूक की हैं;

(घ) यदि हां, तो नेफेड को वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त पार्टियों से लंबित देयताओं की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (घ) नेफेड ने सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान नेफेड ने 62 पार्टीयों को 3945.50 करोड़ रु की राशि की वित्तीय सुविधाओं को बढ़ाते हुए कृषि और गैर-कृषि मदों में सार्वजनिक-निजी

भागीदारी विधि के अंतर्गत गठबंधन व्यापार को शुरु किया है। उपरोक्त में से 2880.81 करोड़ रु की राशि उन व्यापारिक सहयोगियों से 31.1.2011 तक पहले से ही प्राप्त की जा चुकी है। 1696.12 करोड़ रु की राशि जिसमें 1064.69 करोड़ की मूलधन राशि, 7.47 करोड़ रु के सेवा प्रभार तथा 31.1.2011 तक ब्याज के 623.96 करोड़ रु. शामिल हैं, 29 पार्टीयों के पास बकाया हैं। पार्टीयों से भुगतान की प्राप्ति न होने के कारण, नेफेड के अपने व्यापारिक कार्य प्रभावित हुए हैं। उच्चतर ब्याज के बोझ से इसकी लाभप्रदत्ता प्रभावित हो रही हैं।

(ङ) नेफेड ने दोषी पार्टीयों के खिलाफ सीबीआई/दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध विंग में अपराधिक शिकायतें दर्ज करके पांचाट और अन्य कानूनी कार्रवाईयों को शुरु करते हुए बकायों को वसूल करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। इन सभी कानूनी मामलों को नेफेड द्वारा प्रबलता से जारी रखा जा रहा है। सभी संभव मामलों में दोषी पार्टीयों की संपत्तियों/भंडारण इत्यादि को माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेशों के माध्यम से अधिकार में रखा/कुर्क किया गया है और ऐसी संपत्तियों/भण्डारणों के निपटान के कार्रवाई भी शुरु की जा चुकी है। दोषी पार्टीयों के चेकों के वापिस आने पर पराक्राम्य दस्तावेज अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। नेफेड ने, वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एकबारगी व्यवस्थापन नीति भी निर्धारित की है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए निधियां

3122. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजटीय बाध्यताओं के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) हेतु निधियों का संवितरण नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य सहित देश में ऐसे मामलों में संस्वीकृत किए जाने हेतु लंबित निधियों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ एफपीआई को वित्तीय सहायता संस्वीकृत नहीं की गई है जबकि कतिपय एफपीआई जिन्होंने बाद में आवेदन किया था उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक 11.03.2011 की स्थिति के अनुसार 96.56 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है, तथापि, एचडीएफसी बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बजटीय बाध्यताओं के कारण 22.11.2010 की स्थिति के अनुसार 731.73 करोड़ रुपए की राशि के उड़ीसा के 33 मामलों समेत 2681 मामले विभिन्न स्तरों पर लम्बित पड़े हैं।

(ग) और (घ) बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन अनुदान ई-पोर्टल अनुरोध और अपेक्षित त्रुटि रहित दस्तावेज की प्राप्त होने पर मंजूर किया जाता है। हो सकता है कि कुछ मामलों में त्रुटि रहित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने में देरी के कारण अनुदान स्वीकृत न किया गया हो जबकि कुछ आवेदकों ने बाद में आवेदन किया, परन्तु आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए हों और उन्हें अनुदान स्वीकृत किया गया हो।

(ङ) आवेदनों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन, अनुदान पात्रता की गणना और निधियों के संवितरण को 2007-08 से पूर्णतया विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत, कोई भी उद्यमी/आवेदक पड़ोस के बैंक की शाखा/वित्तीय संस्था में आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात बैंक/वित्तीय संस्था आवेदन का मूल्यांकन करके मंत्रालय द्वारा दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र अनुदान राशि की गणना करेगी। बैंक/वित्तीय संस्था इस उद्देश्य से स्थापित ई-पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को अनुदान जारी करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट एवं अपनी संस्तुति भेजते हैं। बैंक/वित्तीय संस्था से संस्तुति और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात, मंत्रालय अनुदान की मंजूरी देता है और ई-पोर्टल के माध्यम से धनराशि अंतरित करता है। ई-पोर्टल के जरिए आंकड़ों का रखरखाव और संकलन का कार्य एचडीएफसी बैंक को सौंपा गया है।

एचडीएफसी बैंक से समय-समय पर अद्यतन किए गए आंकड़े प्राप्त होते हैं और उन्हें सार्वजनिक जानकारी हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाता है। इन आंकड़ों में क्षेत्र, राज्य आवेदक का नाम, संवितरित राशि, बैंक और किस्तों के ब्यौरे आदि समेत संगत क्षेत्र दर्शाए जाते हैं इस प्रकार प्रणाली को पूर्णतया पारदर्शी बनाया जाता है।

वित्तीय संस्थान के लिए निधियां:

3123. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम लि. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आवास प्रयोजनार्थ निधियां उधार लेता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उधार ली गई निधियों तथा अंतिम उपयोगकर्ता (प्राथमिक क्षेत्र को ऋण सहित) को सीधे ही संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार जुटाई गई और उपयोग की गई निधियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या कंपनी के पास निधियों को जुटाने तथा उनके उपयोग की निगरानी करने का कोई तंत्र उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां, हडको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको/वित्तीय संस्थानों से ऋण सहित दीर्घ अवधि एवं अल्पअवधि मिश्रित ऋण के माध्यम से अपने संसाधन जुटाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हडकों द्वारा उधार ली गई निधियों एवं संवितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है।

(ग) हडको एक आवास वित्त कम्पनी है जो राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत है और यह आवास वित्त बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है। बैंकों/ऋणदाताओं के साथ निष्पादित ऋण करार के भाग के रुप में, हडको को आरबीआई के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। हडको वर्ष के शुरुआत में संसाधन योजना तैयार करता है जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण सहबद्ध होते हैं। हडको ऋण लेने वाली एजेंसियों के साथ सहमत शर्तो के अनुबंधों के अनुसार निधि जारी करता है जिसकी निगरानी हडको द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा जुटाए गए संसाधन

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	उधार की गई निधियां	प्राथमिक क्षेत्र ऋण (उधार ली गई समग्र निधियों में)
2010-11 (28.2.2011 स्थिति के अनुसार	2900.81	शून्य
2009-10	3339.96	शून्य
2008-09	4249.16	900 (बकाया शून्य)

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संवितरण और आवास में संवितरण

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल संवितरण	आवास के संवितरण	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी में संवितरण
2010-11 (28.2.2011 स्थिति के अनुसार)	3845	576	43.62
2009-10	3098	802	143.16
2008-09	4020	842	78.47

हम्पी विश्व विरासत स्थल

3124. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में हम्पी एक विश्व विरासत स्थल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हम्पी उत्सव समारोहों के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त विरासत स्थल पर जनता द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही सरकार द्वारा इस स्थल पर अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। हम्पी को विश्व विरासत स्थल के रुप में घोषित किया गया है और 1986 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दशहरा त्यौहार के साथ ही हम्पी उत्सव मनाया जाता है और इसका पूरा खर्च कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन त्यौहारों को मनाने के लिए कोई राशि खर्च नहीं की है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 57 (सत्तावन) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में से अतिक्रमण केवल विरुपाक्ष मंदिर के बाजार मंडपों में देखा गया है जो पहले राज्य पुरातत्व विभाग, कर्नाटक सरकार के संरक्षणाधीन था और वर्ष 2002-03 में केन्द्रीय संरक्षण के अधीन लाया गया था। ये मंडप पहले ही अतिक्रमणाधीन थे जब यह पुरातत्व विभाग, कर्नाटक सरकार के अधीन था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन मंडपों से अतिक्रमणों को हटाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अतिक्रमणकारियों और पट्टाधारियों दोनों अधिभोक्तओं की पहचान के लिए इन मंडपों का व्यापक प्रलेखन किया गया है और हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आगे कार्रवाई प्रारंभ की है। हाल ही में, हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के लिए एक सुविस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। जिला प्रशासन (अर्थात् बेलारी जिला) ने पुनर्वास के उद्देश्य के लिए 11 एकड़ भूमि दी है।

मॉडल पुलिस अधिनियम

***3125. श्री हरीश चौधरी:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मॉडल पुलिस अधिनियम को अधिनियमित करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समिति/आयोग का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समितियों/आयोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही प्रत्येक समिति/आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केंन्द्र सरकार ने ऐसी सिफारिशों को राज्य सरकारों को उनकी सिफारिशों हेतु अग्रेषित किया है;

(छ) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ज) गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2005 में नए आदर्श पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने अक्टूबर, 2006 में एक आदर्श पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया। आदर्श पुलिस अधिनियम में एक लोकतांत्रिक समाज में पेशेवर पुलिस सेवा के होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो नागरिक की आवश्यकताओं के प्रति कार्य-क्षम, प्रभावी, संवेदनशील हो तथा कानून के प्रति जवाबदेह हो। आदर्श अधिनियम की मुख्य बातों में उत्साहवर्द्धक व्यावसायिकता, महत्वपूर्ण और अधिकतम जवाब देही, उन्नत सेवा शर्तें, कर्यात्मक स्वायत्तता इत्यादि शामिल हैं। आदर्श अधिनियम के मसौदे की प्रति उपयुक्त विचारार्थ समस्त राज्यों को भेजी गई है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड राज्यों ने पुलिस अधिनियम को अधिनियमित कर लिया है या वर्तमान अधिनियम को संशोधित कर दिया है।

खाद्यान्नों की खरीद

3126. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्न-वार ब्यौरा और प्रमात्रा क्या है;

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान प्रतिपूर्ति लागत तथा खाद्य राजसहायता सहित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा भुगतान की गई खाद्यान्न की मितव्यय लागत ब्यौरा क्या है; और

(घ) अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में विभिन्न खाद्यानों के बफर स्टॉक का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनकि वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) चावल खरीदारी वाले राज्यों के खाद्य सचिवों द्वारा दी गई संभावित खरीदारी के आरंभिक अनुमानों के आधार पर खरीफ और रबी सहित फसल वर्ष 2010-11 के लिए 327.52 लाख टन चावल की खरीदारी होने का अनुमान लगाया गया था। फसल वर्ष 2010-11 के लिए 9.3. 2011 की स्थिति के अनुसार 236.10 लाख टन चावल की कुल खरीदारी की गई है। चावल खरीद मौसम 1 अक्तूबर से 30 सितम्बर तक होता है और 2010-11 के दौरान होने वाली चावल की कुल खरीदारी का पता 1 अक्तूबर, 2011 को चल सकेगा। गेहूं खरीद राज्यों के खाद्य सचिवों के अनुमानों के आधार पर फसल वर्ष 2010-11 के दौरान 262.75 लाख टन गेहूं की खरीदारी होने की संभावना का आरंभिक अनुमान है। गेहूं की वास्तविक खरीदारी 1 अप्रैल, 2011 से शुरु होगी।

(ग) 2011-12 के लिए भारतीय खाद्य निगम के बजट अनुमानों के अनुसार चावल और गेहूं की आर्थिक लागत क्रमशः 20431.40 रुपए प्रति टन और 15439.30 रुपए प्रति टन है। संशोधित अनुमान 2010-11 में वित्त मंत्रालय द्वारा 59354.56 करोड़ रुपए की कुल खाद्य राजसहायता (भारतीय खाद्य निगम-46154.56 करोड़ रुपए और विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाले राज्य-13200 करोड़ रुपए) आबंटित किए गए हैं तथा खरीद एजेंसियों को रिलीज कर दिए गए हैं।

(घ) बफर मानदंड और रणनीतिक रिजर्व की आवश्यकता की तुलना में 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहू और चावल के वास्तविक स्टाक के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

गेहूं		चावल	
वास्तविक स्टाक	बफर मानदंड और रणनीतिक रिजर्व	वास्तविक स्टाक	बफर मानदंड और रणनीतिक रिजर्व
161.25	70	267.13	142

सीमा पर बाड़ लगाए जाने के लिए भू-अधिग्रहण

***3127. श्री हरिन पाठक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाए जाने और सीमा पर सड़कों के निर्माण के लिए सीमा क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण हेतु नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी भूमि की उत्पादकता तथा फसल के आधार पर ऐसे किसानों को मुआवजा दिए जाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रभावित किसानों को मुआवजे के भुगतान हेतु आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सरकार ने देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। ये कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भारत सरकार के अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से किए जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण समय-समय पर यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जाता है। भूमि के मुआवजे का निर्णय संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिकारियों, जिला कलक्टरों और अन्तिम रुप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा

लिया जाता है। भूमि की उत्पादकता एवं अन्य प्रतिफलों सहित भूमि की लागत को अंतिम रुप देने के लिए विस्तृत मानदण्ड हैं। किन्तु यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। निर्माण एजेंसियां भूमि के मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों द्वारा की गई मांगों के अनुसार करती हैं। भूमि के मुआवजे की लागत परियोजना का एक अभिन्न अंग है। इस संबंध में कोई केन्द्रीकृत सूचना नहीं रखी जा रही है क्योंकि भूमि की वित्तीय लागत परियोजना की कुल लागत में शामिल होती है। तथापि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन और किसानों को मुआवजे के भुगतान में पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है।

मंगलोर मत्स्यग्रहण पत्तन

3128. श्री शिवराम गौडा:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक स्थायी मूल्यांकन समिति ने कर्नाटक राज्य में मंगलोर मत्स्य ग्रहण पत्तन के विस्तार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मत्स्य ग्रहण पत्तन के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता अब तक कर्नाटक राज्य को जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सहायता कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी मूल्यांकन समिति (एसईसी) ने मंगलौर मत्स्यन बंदरगाह का निर्माण पश्चात विस्तृत मूल्यांकन किया था और दिसम्बर, 2008 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। सुरक्षित लैंडिग और बर्थिंग तथा मौजूदा सुविधाओं की बढती मांगों को पूरा करने के लिए एसईसी ने अपनी मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण सहित मंगलोर मत्स्यन बंदरगाह के विस्तार की सिफारिश कर दी थी।

(ग) से (ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय ने 20 सितबंर, 2010 को 75% की केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 5760 लाख रुपए की कुल लागत से मंगलोर स्थित मौजूदा मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण सहित कर्नाटक सरकार के तीसरे चरण के विकास के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 4320 लाख रुपए की केंद्रीय देयता में से राज्य सरकार को 500 लाख रुपए की पहली किश्त 20 सितबंर 2010 को ही जारी कर दी गई है।

वायदा बाजार के तहत वस्तुएं

3129. श्री एल. राजगोपाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायदा बाजार में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वायदा बाजार व्यापार में शामिल की गई तथा हटाई वस्तुओं का ब्यौरा क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) ऐसी 66 वस्तुएं हैं, जिनके लिए संविदाओं को वर्तमान में वायदा बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी गई है। चावल, तूर और उड़द में वायदा व्यापार को 2007 के आरंभ से निलम्बित किया गया है। वायदा बाजार में व्यापारित वस्तुओं में कृषि वस्तुएं, अप धातु, सर्राफा और ऊर्जा उत्पाद सम्मिलित हैं। उन वस्तुओं की सूची, जिनकी संविदाओं को वर्तमान में वायदा बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान व्यापार से किसी वस्तु को निलम्बित नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 2006-07 (जनवरी-फरवरी,2007) के दौरान व्यापार से निलम्बित 4 वस्तुओं के निलम्बन को जारी रखा गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 4 वस्तुओं अर्थात चना, सोया तेल, आलू और रबड़ को 7.5.2008 को व्यापार से निलम्बित किया गया था और 4.12.2008 को बहाल कर दिया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान चीनी के व्यापार को 26.5.2009 को निलम्बित किया गया था और हाल ही में 27.12.2010 को बहाल किया गया है। गेहूं के व्यापार को दिनांक 15.5.2010 से बहाल किया गया था। बिजली में वायदा व्यापार को चालू वर्ष के दौरान 23.8.2010 से निलम्बित किया गया था।

विवरण

क्र.सं.	नाम
1	2
क. कृषि वस्तुएं	
(क) खाद्य मदें:	
1.	जौ
2.	चना
3.	आलू (2 प्रकार के)
4.	चीनी (2 प्रकार की)
5.	गेहूं
(ख) अन्य खाद्य मदें:	
6.	बादाम
7.	इलाइची
8.	मिर्च
9.	कोफी रेप बल्फ
10.	कच्चा पॉम ऑयल
11.	गुड
12.	धनिया
13.	सोयाबीन
14.	इसबगोल
15.	सोया तेल
16.	कच्ची घानी सरसों का तेल
17.	जीरा
18.	काली मिर्च
19.	हल्दी
20.	नारियल का तेल
21.	मूंगफली**
22.	सुपारी**
23.	पीली मटर**
24.	सरसों
(ग) अन्य कृषि मदे	
25.	सूत**
26.	बिनोंला/तेल की खली
27.	ग्वार गॉद
28.	ग्वार
29.	कपास
30.	मकई
31.	मेल्टेड मेन्थाल फ्लेक्स/अेन्थाल क्रिस्टल
32.	मेन्था तेल
33.	नारियल
34.	टाट
35.	कच्चा जूट
36.	अरण्ड
37.	रबड़
(ख) धातुएं	
	(क) सर्राफा
38.	स्वर्ण (4 प्रकार के)
39.	प्लेटिनम
40.	चांदी (2 प्रकार की)
(ख) बेस धातु/खनिज	
41.	इस्पात (2 प्रकार की)
42.	अल्यूमिनियम
43.	तांबा
44.	शीशा (2 प्रकार का)

1	2
45.	निक्कल
46.	टिन
47.	जिक (2 प्रकार की)
48.	अयस्क लौह
49.	स्पांज आयरन**
(ग) ऊर्जा	
50.	एवीएशन टरबाइन फ्यूल**
51.	लाइट स्वीट क्रूड ऑयल
52.	प्रमाणित उत्सर्जन में कमी** (सीईआर)
53.	गैसोलीन
54.	हीटिग ऑयल
55.	प्राकृतिक गैस
56.	ताप कायेला
57.	ब्रण्ट क्रूड ऑयल
58.	एमईएस कच्चा ऑयल**
59.	फरनास ऑयल**
60.	सीएफआई कार्बन फाइनेंसियल इंस्टूयूमेंट**
(घ) प्लास्टिक	
61.	उच्च धनत्व पोलिथ (एचडीपीईएचएम)**
62.	पोलीप्रोपीलीन (पीपीटीक्यू)**
63.	पोलीविनायल (पीवीसी)**
64.	लिनियर लो डेन्सिटी पालीएट**
65.	पोलीप्रो इन्जेक्शन मोल्डिग**

**जिन वस्तुओं में सक्रिय व्यापार नहीं होता (15)

शस्त्र लाइसेंस

***3130. श्री अशोक अर्गलः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संविधान में 69वें संशोधन के और शस्त्र नियम, 1962 के कतिपय उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शस्त्र लाइसेंस के मामले में अपीलों में सुनवाई करने और निर्णय लिए जाने की सक्षम प्राधिकारी में परिवर्तन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने शस्त्र लाइसेंस को अखिल भारतीय वैधता में परिवर्तित करने की शक्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रक्रिया में किसी विचलन को नोट कर लिया गया है तथा शस्त्र लाइसेंस की वैधता को अखिल भारतीय लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उपयुक्त सिफारिश/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) गैर-प्रतिबंधित बोर वाले शस्त्र लाइसेंसों को अखिल भारतीय वैधता प्रदान करने की शक्ति वर्ष 1990 से राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है। तथापि, वर्ष 2010 में जारी किए गए अद्यतन अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकारों को गैर प्रतिबंधित बोर (एनपीबी) शस्त्र लाइसेन्सों के मामले में अधिकतम तीन सटे हुए राज्यों तक की क्षेत्र वैधता की अनुमति देने और राज्य स्तर पर निम्नलिखित के संबंध में अखिल भारतीय वैधता के अनुरोधों पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (i) वर्तमान केन्द्रीय मंत्री/संसद सदस्य (ii) सेना, अर्ध सेना के कार्मिक (iii) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी (iv) भारत में किसी भी स्थान पर सेवा के दायित्व वाले अधिकारी (v) खिलाड़ी। उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदकों से प्राप्त अनुरोधों को संबंधित राज्य के सचिव (गृह) स्तर पर अनुमोदित किया जा सकता है। उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत न आने वाले आवेदकों के मामले में, राज्य सरकार पात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त करेगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मठ पर छापा

3131. **श्री रामसुंदर दास:**
श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री मधुगौड यास्खी:
श्री के.डी. देशमुख:
श्री बलीराम जाधव:
डॉ. थोकचोम मैन्या:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्थिति किसी मठ से विदेशी मुद्रा सहित आपराधिक प्रवृति की सामग्री जब्त होने का समाचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश प्राधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश स्थित ग्याट्सों मठ से विदेशी मुद्रा जब्त की थी। राज्य पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जांच की जा रही है।

मानव दुर्व्यापार में प्लेसमेंट एजेन्सियां

3132. श्रीमती मीना सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिला और बच्चों सहित मानव दुर्व्यापार में प्लेसमेंट एजेन्सियों की संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि महिलाओं को विदेशों में भेजकर दुर्व्यापार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(च) क्या कोलकाता उच्च न्यायालय ने पुलिस को महिला दुर्व्यापार पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है;

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सरकार द्वारा उक्त गतिविधि को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ङ) प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा मानव के कथित दुर्व्यापार और विदेशों को महिलाओं का दुर्व्यापार किए जाने के दृष्टांतों की सूचना मिली है। इन मामलों को कानून के अनुसार दर्ज किया जाता है और जांच-पड़ताल की जाती है।

(च) और (छ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कोलकाता उच्च न्यायालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है अर्थात् संपूर्ण ढंग से दुर्व्यापार के अपराध से निपटने और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के अलावा पीड़ितों का बचाव करने, राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रभावी और विस्तृत रणनीति तैयार करने, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा मानव दुर्व्यापार-रोधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरु करने और एकीकृत मानव दुर्व्यापार-रोधी युनिटें स्थापित करके और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करके कानून प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के लिए विस्तृत योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 9.9.2009 को सलाह जारी की गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 8.72 करोड़ रुपए तक की निधियां जारी की हैं।

आटो माफिया

3133. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में फर्जी नाम तथा नाम लिखने की शैली में परिवर्तन कर आटो परमिट रखने वाले आटो माफिया की मौजूदगी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आटो माफिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आटो ड्राइवरों का भी शोषण करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे माफिया के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऑटो माफिया की ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेट्रो फीडर बस सेवा

3134. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **शहरी विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मुण्डका तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन में इस सेवा को पर्याप्त संख्या में यात्री मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या स्टेशन से आस-पास के क्षेत्रों तक फीडर की कमी तथा अच्छी सड़कों का अभाव इसका मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अच्छी सड़कों तथा फीडर बस सेवा के अभाव में अनेक क्षेत्रों में आबंटन के बाद भी डीडीए फ्लैट खाली पड़े हुए है; और

(च) सरकार द्वारा फीडर बस सेवा आरंभ करने तथा इन क्षेत्रों में सड़क विकास कार्य आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली मैट्रो रेल कार.(डीएमआरसी) लि. ने सूचित किया है कि मैट्रो में पर्याप्त संख्या में यात्रियों के न मिलने का मुख्य कारण फीडर बसों का अभाव होना प्रतीत नहीं होता। डीएमआरसी के पास 120 फीडर बसों का बेड़ा है जो पायलट आधार पर चल रहा है। बेड़े का पूर्ण रुप से उपयोग हो रहा है और मुंडका मार्ग पर फीडर बसों को चलाने की कोई योजना नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली परिवहन निगम/हरियाणा रोडवेज की बसें मेट्रो एलाइनमेंट के लिए समानान्तर रूप से चल रहीं हैं, जो, हो सकता है, मैट्रो राइडरशिप को प्रभावित कर रही हो।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि वे फ्लैटों के दखलकारों के संबंध में कोई सूचना नहीं रखते हैं।

(च) डीएमआरसी पश्चिम विहार से टैगोर गार्डन तक (28/4/2010 से 19.5.2010 तक) मार्ग सं. एमएल-41 और पश्चिम विहार (पूर्व) से चन्दन विहार (19.4.2010 से 19.5.2010 तक) मार्ग सं. एमएल-67 पर प्रचालन कर रहा था परन्तु बहुत कम यात्रियों के कारण इन मार्गो से प्रचालन हटा लिया गया। इंटर माडल एकीकरण एवं सड़क विकास, जहां-कहीं भी इन क्षेत्रों में आवश्यक हों, हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा आगे के कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं।

महिला कर्मियों को प्रशिक्षण

***3135. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए महिला कर्मियों को कमाण्डो प्रशिक्षण प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रेंक-वार कुल कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का अन्य राज्यों में महिला पुलिस कर्मियों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 2011 से दिल्ली पुलिस की महिला कार्मिकों को कमाण्डो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और चालू वर्ष (दिनांक 28.2.2011 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस की

कम से कम 461 महिला कांस्टेबलों को कमाण्डों प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य पुलिस बलों की महिला पुलिस कार्मिकों को कमाण्डो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनके अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं।

निजी सुरक्षा एजेन्सियां

***3136. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में निजी सुरक्षा एजेन्सियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण सहित उनके कार्यकरण को विनियमित करने का कोई तंत्र मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार ने निजी सुरक्षा एजेन्सियों के विनियमन के लिए निजी सुरक्षा एजेन्सी(विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी सुरक्षा एजेन्सी केन्द्रीय आदर्श नियमावली, 2006 राज्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए परिचालित की गयी है। निजी सुरक्षा एजेन्सी(विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11(1) के अनुसार राज्य सरकारों को नियमावली तैयार करनी है जिसमें सुरक्षा गार्डो के प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ साथ, सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तथा व्यापक विषय-वस्तु, निजी सुरक्षा गार्डो की शारीरिक योग्यता का मानक, इत्यादि निर्धारित किया गया है। निजी सुरक्षा एजेन्सी केन्द्रीय आदर्श नियमावली, 2006 के खण्ड 5 (1) में सुरक्षा गार्डो के लिए न्यूनतम 100 घंटे की अवधि के लिए क्लास रूम अनुदेशन तथा 60 घंटे के फील्ड प्रशिक्षण सहित अनिवार्य प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है जो कम-से-कम 20 कार्य दिवसों में फैला हुआ हो। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों तथा पूर्व पुलिस कर्मियों को न्यूनतम चालीस घंटे के क्लास रूम अनुदेशन तथा सोलह घंटे के फील्ड प्रशिक्षण वाले केवल एक गहन पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता होगी जो कम-से-कम सात कार्य दिवसों में फैला हुआ हो। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए या तो केन्द्रीय आदर्श नियमावली को अपनाना अथवा अपनी खुद की नियमावली तैयार करना आवश्यक है। अब तक, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निजी सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियमावली को अधिसूचित किया है।

ट्रांसमीटरों का निष्क्रिय होना

3137. श्री एस. अलागिरी:
डॉ. संजय सिंह:
श्रीमती रमा देवी:
श्री के. सुधाकरण:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्याप्त संख्या में कर्मचारिवृंद नहीं होने के कारण वर्तमान में 46 कम शक्ति के ट्रांसमीटर इस समय आंशिक प्रसारण कर रहे हैं और देश में 22 स्टूडियों में कार्यकलाप सीमित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) नई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो तकनीकी रुप से तैयार हैं परंतु आरंभ नहीं किए जा सके, इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं के प्रचालन के लिए अन्य आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र भी वित्तीय समस्या तथा श्रमशक्ति की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन नेटवर्क में स्टाफ की काफी अधिक कमी होने के कारण आंशिक ट्रांसमिशन को रिले कर रहे 46 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों तथा दूरदर्शन में सीमित कार्यकलाप कर रहे 22 स्टूडियों के राज्य-वार अवस्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अंतिम लगभग 10 वर्षों में नए दूरदर्शन केंद्रों के संचालन हेतु स्टाफ की संख्या संस्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, अन्य केंद्रों से बुलाए गए अनिवार्य स्टाफ की पुन: तैनाती करके दूरदर्शन केंद्रों का प्रचालन किया गया है। दूरदर्शन का यह निरंतर प्रयास रहा है कि उपलब्ध संसाधनों के प्रतिबंधों के भीतर अपनी सुविधाओं का सर्वोत्तम रुप से उपयोग किया जाए।

(घ) और (ङ) जी, हां। धर्मानगर (त्रिपुरा), डुंगरपुर (राजस्थान), रायरंगपुर (उड़ीसा), सूर्यापेट (आंध्र प्रदेश) एवं लौंगथेराइ (त्रिपुरा) नामक ऐसे 5 आकाशवाणी केंद्र हैं जो तकनीकी रुप से तैयार हैं, परन्तु इन सुविधाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक

अनिवार्य स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण उन्हें चालू नहीं किया जा सका।

अंतिम 10 वर्षो के दौरान अनिवार्य संचालन एवं अनुरक्षण स्टाफ की उपलब्धता के बिना ही आकाशवाणी की परियोजनाएं/स्कीमें प्रारंभ की गई हैं, जिसके कारण ये परियोजनाएं/स्कीमें इष्टतम रुप से कार्य नहीं कर रही हैं। संचालन एवं अनुरक्षण स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण निर्माण सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद 23 नए आकाशवाणी केंद्र/चैनल कार्यक्रमों को केवल रिले कर रहे हैं। ऐसे केंद्रो/सुविधाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। इन्हीं कारणों से प्रसारण सुविधाओं के इष्टतम उपयोग हेतु अन्य केंद्रों पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की नई परियोजनाओं/स्कीमों के संचालन एवं अनुरक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केंद्रों के संचालन में कोई वित्तीय अड़चन नहीं है।

विवरण-I

राज्य	सीमित गतिविधियों वाले स्टुडियो केंद्र	आंशिक प्रसारण देने वाले अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
1	2	3
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	पंगानूर
	वारंगल	मरियालगुडा
		कंदुकुर
		कोल्हापुर
		मदुगुला
		पेडापल्ली
		सिरपुर
		सिरसिल्ला
		तलकोंडापल्ली
		वेमलवाड़ा
बिहार	–	बांका
		भभुआ
		रामनगर
चंडीगढ़	चंडीगढ़	–
छत्तीसगढ़	जगदलपुर	खरोड
		कोंटा
		पंडरिया

1	2	3
हरियाणा	हिसार	फतेहाबाद
		कैथल
जम्मू और कश्मीर	राजौरी	-
कर्नाटक		इंडी
		कोप्पा
		मुढोल
		मुंडार्गी
		सिंधनूर
		तलिल्कोटा
केरल	कालीकट	-
	त्रिचर	
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सिंधवा
	इंदौर	बरेली
		बड़वाणी
		लखनदोन
महाराष्ट्र	पुणे	भामरागड
		धडगांव
		शिर्डी
मेघालय	—	चेरापूंजी
उड़ीसा	भवानीपटना	बौध
		अठामलिक
		बहाल्दा
		बालीगुडा
		भुबन
		वीरमित्रपुर
		दुधारकोट

1	2	3
		पदमपुर
		रेराखोल
		सोहेला
पंजाब	पटियाला	
सिक्किम	गंगटोक	
तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै (डीडी न्यूज)
	कोयम्बटूर	
त्रिपुरा	–	अंबास्सा
	–	जोलैबारी
उत्तराखण्ड	देहरादून	
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	–
	मथुरा	
	वाराणसी	–
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	कूच बिहार
	शंतिनिकेतन	

विवरण-II

आकाशवाणी केन्द्रों की सूची, जो कि परिचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ स्वीकृत न होने के कारण रिले केन्द्र की तरह कार्य कर रहे है।

क्र.सं.	आकाशवाणी केन्द्र का नाम	राज्य	ट्रांसमीटर क्षमता
1	2	3	4
1.	मचरैला	आंध्र प्रदेश	3 किवा एफ.एम.
2.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	10 किवा एफ.एम.
3.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़	1 किवा एफ.एम.
4.	रोहतक	हरियाणा	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)
5.	बैल्लारी	कर्नाटक	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)
6.	गुलबर्गा	कर्नाटक	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)

1	2	3	4
7.	मंजेरी	केरल	3 किवा एफ.एम.
8.	मांडला	मध्य प्रदेश	1 किवा एफ.एम.
9.	राजगढ़	मध्य प्रदेश	3 किवा एफ.एम.
10.	ओरस (एल. आर.एस)	महाराष्ट्र	5 किवा मी.व
11.	इम्फाल	मणिपुर	10 किवा एफ.एम.
12.	शिलांग	मेघालय	10 किवा एफ.एम.
13.	आइजोल	मिजोरम	6 किवा एफ.एम.
14.	कोहिमा	नागालैण्ड	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)
15.	सोरो (एल.आर.एस)	उड़ीसा	1 किवी मी.व
16.	माउंट आबू	राजस्थान	6 किवा एफ.एम.
17.	धर्मापुरी	तमिलनाडु	10 किवा एफ.एम.
18.	मदुरई	तमिलनाडु	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)
19.	अगरतला	त्रिपुरा	10 किवा एफ.एम.
20.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)
21.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)
22.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल	3 किवा एफ.एम.
23.	गोपेश्वर (चमोली)	उत्तराखंड	1 किवा मी.व

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3138. श्री प्रेम दास राय:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पूर्वोत्तर राज्यों सहित कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य-वार चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों को उनके विकास तथा रोजगार सृजन हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराई है/कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इन उद्योगों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिपर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोतर राज्यों की यूनिटों समेत देश में 25,367 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें हैं। कोटा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले

उद्यमियों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है। पिछले 3 वर्षो और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत यूनिटों को दी गई वित्तीय सहायता और सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इन उद्योगों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, फिर भी सभी पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कुल ऑटपुट और जोड़ा गया शुद्ध मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	प्रचालनरत कारखाने संख्या	निवेश की गई पूंजी	कुल आउटपुट	जोड़ा गया निवल मूल्य राशि (करोड़ रुपए में)	लाभ
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	6,402	9,676	2,7275	2583	1,198
तमिलनाडु	3,736	6,319	14,181	1,503	455
महाराष्ट्र	2,238	16,055	28,679	2,692	-201
उत्तर प्रदेश	1,719	14,023	24,549	2,552	676
पंजाब	1,628	4,186	11,604	1,298	594
कर्नाटक	1,390	6,275	11,270	1,658	584
गुजरात	1,307	6,625	26,018	1,228	363
पश्चिम बंगाल	1,147	2,910	7,563	532	105
केरल	1,059	2,018	6,787	613	69
असम	897	1,626	4,183	477	177
हरियाणा	564	3,202	6,160	669	182
छत्तीसगढ़	561	1,086	3,206	5	-82
उड़ीसा	535	1,046	2,190	75	-31
मध्य प्रदेश	517	2,965	13,289	446	105
राजस्थान	506	1,674	6,246	513	283
उत्तराखण्ड	274	1,272	2,315	194	14
बिहार	191	915	1,209	124	-8
झारखंड	108	117	302	40	15

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	103	586	3,442	208	100
हिमाचल प्रदेश	97	394	716	71	29
जम्मू और कश्मीर	93	270	519	11	-22
गोवा	80	410	806	185	129
पुडुचेरी	55	198	972	219	183
त्रिपुरा	50	46	89	19	13
दमन और दीव	28	79	176	47	22
चंडीगढ़ (यूटी)	27	39	156	15	4
नागालैण्ड	16	8	31	2	0
मेघालय	13	44	61	-21	-25
मणिपुर	12	7	24	1	0
दादरा और नगर हवेली	10	18	241	100	95
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	5	2	1
कुल	25,367	84,094	204,267	18,061	5,027

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार अनुमोदित और वित्तिय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (तक 22.11.2010)	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	27	288.915
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	असम	12	442.17	13	176.79	22	418.74	11	247.54
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	102.11
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	26	228.495
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	1	16.3
9.	गोवा	1	17.00	1	24.57	1	24.26	2	40.6
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	54	1092.716
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	11	255.78
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	175.34
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	4	48.59
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	84.00
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	20	435.74
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	16	241.69
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	207.185
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	61	902.965
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	0	0
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	66.62
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0
22.	नागालैण्ड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	0	0
23.	उड़ीसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	10	213.28
24.	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0
25.	पंजाब	32	481.45	61	481.36	13	172.37	16	271.49
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	643.939
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	26	405.94
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	46	894.33
31.	उत्तराखण्ड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	9	191.3
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	8	155.76
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	429	7210.625

*आंकड़े समन्सच बैंक अर्थात एचडीएफसी बैंक के समन्वयाधीन हैं।

'गुजकोक' विधेयक, 2003

***3139. बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु 'गुजकोक विधेयक, 2003' पुनर्प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक केन्द्र सरकार को कब प्राप्त हुआ तथा इस विधेयक की तत्संबंधी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य राज्यों से ऐसे ही विधयेक को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'गुजकोक' विधेयक को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राज्य विधान मंडल द्वारा यथापारित और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित विधेयक अर्थात् गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 इस मंत्रालय में 11. 11.2009 को प्राप्त हुआ।

विधेयक के महत्वपूर्ण उपबंध निम्नवत हैं:-

(i) संगठित अपराध करने वालों, दुष्प्रेरकों और इसके आश्रयदाताओं को कठोर दंड;

(ii) अपराधों का विचारण विशेष अदालतों द्वारा किया जाना;

(iii) कम से कम पुलिस अधीक्षक के रैंक के पुलिस अधिकारी के सामने की गई अपराध स्वीकारोक्ति को विचारण में अनुमत किया जाना;

(iv) गवाहों की पहचान सुरक्षित रखने का उपबंध;

(v) संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती;

(vi) संपत्ति की कुर्की करने के आदेश देने के लिए पुलिस अधिकारियों को शक्तियां;

(vii) प्रतिकूल सिद्ध न होने तक कतिपय परिस्थितियों में किसी कृत्य को अपराध मान लेना।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार की तत्कालीन नीति के अनुसार संगठित अपराध नियंत्रण के निम्नलिखित राज्य विधायनों को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है:

क्र.सं.	विधेयक का नाम	स्वीकृति की तारीख
1.	महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 1999	23.04.1999
2.	आन्ध्र प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2001	16.01.2001
3.	कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2000	22.12.2001

(ङ) "गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003" पर अब सरकार आगे और विचार कर रही है।

राज्य विधायनों की जांच तीन दृष्टिकोणों से की जाती है: अर्थात् (क) केन्द्रीय कानूनों से प्रतिकूलता (ख) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से पृथकता और (ग) विधिक और संविधानिक वैधता। जब कभी आवश्यकता होती है राज्य सरकारों को उक्त को ध्यान में रखकर ऐसे विधायनों के उपबंध में आशोधन/संशोधन करने का परामर्श दिया जाता है। किसी निर्णय पर यथाशीघ्र पहुंचने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श

भी किया जाता है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

एमएसपी हेतु मानदण्ड

3140. **श्री जयाप्रदा:**
श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण करते समय कृषि के उत्पाद मूल्य की गणना करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ध्यान दिए जाने वाले घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी का निर्धारण करते समय सीएसीपी द्वारा कृषि उत्पाद के मूल्य की गणना करने हेतु वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रिया के प्रति आपत्ति जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारो ने इस संबंध में खरीफ फसल हेतु सीएसीपी को प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण करने के लिए उत्पादन लागत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा ध्यान में रखे गये लागत घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ, मानव, बैल तथा मशीन श्रम, बीजों, उर्वरकों, खाद कीटनाशकों, सिंचाई प्रभारों आदि पर लागत शामिल है। इसके अतिरिक्ति, कार्यशील व अचल पूंजी पर ब्याज एवं स्वामित्वप्राप्त भूमि का आरोपित किराया मूल्य, परिवहन प्रभार और बीमा की किस्त भी शामिल है।

(ख) से (ङ) आयोग में कोई औपचारिक आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। सिफारिशों को तैयार करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) राज्य सरकारों, कृषक संघों व अन्य पणधारियों से विचार-विमर्श करता है।

जेलों में म्यांमार के नागरिक

*3141. **डॉ. थोकचोम मैन्या:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि म्यांमार के कई नागरिक बिना किसी औचित्य के देश के जेलों में पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको रिहा किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौधोगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत 'कारागार' राज्य का विषय है। पूरे देश की विभिन्न जेलों में राष्ट्रीकता-वार कैदियों से संबंधित आंकड़े, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते है।

जब कोई विदेशी कैदी, भारत में अपनी सजा पूरी कर लेता है तो संबंधित देशों के साथ परामर्श करके उनकी राष्ट्रीकता आदि के बारे में आवश्यक सत्यापन करने के बाद उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

तथापि, प्रेजिडेंशियल करेक्शनल होम, कोलकाता में बंद प्रजातंत्र समर्थक म्यांमार के 34 कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई शरण के संबंध में भारत सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हाल में एक संदर्भ प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्हें भय है कि यदि उन्हें उनके देश वापस भेजा गया तो या तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) के साथ परामर्श करके की गई थी। इन कैदियों ने शरण मांगने का पंजीकरण आवेदन यूएनएचसी आर को भेजा है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में बाधायें

3142. **श्री भूदेव चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन की बाधा सहित कोई बाध्यताओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में ऐसी बाध्यताओं युक्त कृषि परिदृश्य पर भारतीय चिंता प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार के बीच समन्वयन और वित्तीय निर्णय हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु फ्लैटस

3143. श्री सतपाल महाराजः
श्री एस.पक्कीरप्पाः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्रेणी-वार कुल कितने सरकारी फ्लैट स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2010-12 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने हेतु नए भवनों के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सहित श्रेणी-वार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा पुनर्निर्मित/मरम्मत किए गए आवासों की संख्या कितनी है तथा इस हेतु कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) सभी लंबित कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित सरकारी मकानों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न वितरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2011-12 में निर्माण शुरू किए जाने के लिए विचार किए गए नए मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पुनर्निर्मित/मरम्मत किए गए मकानों की संख्या एवं उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। सरकारी क्वार्टर की मरम्मत करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार के मरम्मत कार्य सामान्यता प्रक्रियातमक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद निधि की उपलब्धता के अध्यधीन निर्धारित समयावधि में पूरे किए जाते हैं।

विवरण-I

दिल्ली में टाइप-वार सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआर) (दिनांक 28-2-2011 की स्थिति के अनुसार)

टाइप	(दिनांक 28-2-2011 की स्थिति के अनुसार स्टाक)		
	जीपी	डीपी	कुल
1	2	3	4
1	16696	1030	17726
2	23412	1513	24925
3	11748	994	12742
4	5335	425	5760
4एस	792	18	810
5ए	1432	376	1808

1	2	3	4
5बी	867	61	928
6ए	444	68	512
6बी	157	157	314
7	194	142	336
8	145	43	188
डीएस	1675	105	1780
एसके	287	10	297
एसएस	129	24	153
कुल	63313	4966	68279

जीपी: सामान्य पूल

डीपी: विभागीय पूल

डीएस: डबल सूट

एसके: किचन सहित एकल सूट

एसएस: बिना किचन के एकल सूट।

विवरण-II

वर्ष 2011 के दौरान निर्माण शुरू करने के लिए विचार किए गए सरकारी क्वार्टरों की संख्या

	राज्य			
क्वार्टर का प्रकार	दिल्ली	चंडीगढ़	उत्तर प्रदेश	कुल
टाइप-I	-	-	-	-
टाइप-II	332	-	12	344
टाइप-III	816	-	18	834
टाइप-IV	72	-	18	90
टाइप-IV(विशेष)	1252	-	-	1252
टाइप-V	264	41	-	310
टाइप-VI	412	3		415
टाइप-VII	99	-		99
कुल				3344

विवरण-III

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पुनर्निर्मित/मरम्मत किए गए मकानों की संख्या तथा उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

क्षेत्र/जोन	पुनर्निर्मित/मरम्मत की गई मकानों की संख्या	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में)
नई दिल्ली जोन-I	1433	41.24
नई दिल्ली जोन-II	14969	43.63
नई दिल्ली जोन-III	37868	133.28
नई दिल्ली जोन-IV	18182	9.31
नई दिल्ली को छोड़कर उत्तरी क्षेत्र	541	1.33
दक्षिणी क्षेत्र	328	0.60
पूर्वी क्षेत्र	3511	8.27
पश्चिमी क्षेत्र	1940	18.38

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को सहायता

3144. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाताओं में भाग लेने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि युवा, पुरुष और महिला खिलाड़ी वित्तीय समर्थन/सहायता के अभाव में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार, छात्रों के लिए विश्व यूनिवर्सिटी खेलों, विश्व स्कूल खेलों आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय एथलीटों/टीमों को भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता में अनुज्ञेयता के अनुसार हवाई यात्रा लागत, भोजन और आवास लागत, जेब खर्च भत्ता, समारोह वर्दी किट, प्रवेश शुल्क आदि शमिल होते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैम्पों के माध्यम से राष्ट्रीय टीमों के गहन प्रशिक्षण के लिए पूरी सहायता प्रदान करती है। सरकार, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कोचों के अधीन व्यक्तिगत प्रशिक्षण/कोचिंग, भारत और विदेश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने और उपकरणों की खरीद के लिए प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित योजना के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण सब-जूनियर (8-14 वर्ष, जूनियर (14-18 वर्ष) तथा सीनियर स्तर पर संभावित प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाता है और उन्हें योग्य कोचों के माध्यम से संबंधित विधाओं में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी (बीएससी) योजना
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) योजना

4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना

5. उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) योजना

इन योजनाओं में ग्रामीण, जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल हैं। निशुल्क भोजन और आवास सुविधाएं, खेलकिट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन भी प्रदान कराए जाते हैं, जबकि गैर-आवासीय प्रशिक्षुओं को भोजन और आवास के बदले मासिक वजीफा दिया जाता है। उत्कृष्टता केन्द्र में प्रशिक्षुओं को विशेषज्ञ प्रशिक्षक के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाएं, उपकरण और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाता है। भाखेप्रा योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 प्रशिक्षुओं को लाभ मिलता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भाखेप्रा प्रशिक्षुओं को उपलब्ध लाभ संलग्न विवरण का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

भाखेप्रा स्कीमों के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध लाभ

योजना	उद्देश्य	शामिल खेल विधाएं	उपलब्ध सुविधाएं
1	2	3	4
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना	अधिकतम आयु में प्रतिभा के वैज्ञानिक दोहन के लिए आवश्यक है कि आनुवांशिक और शारीरिक रुप से प्रतिभावान बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भावी पदक विजेता बनाना	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हाकी, कबड्डी, खो-खो, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबाल, कुश्ती और प्रतिवर्ष): देशज खेल तथा मार्शल आटर्स	300 दिनों के लिए प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन आवास एवं भोजन (केवल दो (विद्यालय): 75 रु. खेल सामान (प्रतिव्यक्ति 2000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष: 1500 रु. 10 माह के लिए वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 3000 रु.
जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के लिए एनएसटीसी योजना का विस्तार	दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का संवर्धन तथा ग्रामीण बच्चों को अत्यधिक संतुलन प्रदान करना	उपरोक्त के समान	खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 1500 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 1500 रु. 10 माह के लिए वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 3000 रु.
देशज खेलों और मार्शल आटर्स की परंपरा (आईजीएमए)	ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में देशीय खेलों और युद्धकला को	देशज खेल तथा मार्शल आटर्स	खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 1500 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति

1	2	3	4
वाले विद्यालयों के लिए एनएसटीसी योजना का विस्तार	संबंधित करना तथा इन प्रतिभाओं को आधुनिक खेलों में शामिल करना.		प्रतिवर्ष): 32 रु. 10 माह के लिए वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 3000 रु.
अखाड़ों के लिए एनएसटीसी योजना का विस्तार	आधुनिक कुश्ती के लिए व्यापक आधार सृजित करना तथा विभिन्न अखाडों द्वारा किए गए प्रयास को संपूरित करना	कुश्ती	वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह: 1000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु.
अखाड़ों की पद्धति पर अपनाए गए खेल केन्द्रों के लिए एनएसटीसी योजना का विस्तार	उच्च कार्यनिष्पादन वाले केन्द्रों को सहायता प्रदान करना	एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी और आधुनिक खेलों के समान अन्य मान्यता प्राप्त मार्शल आटर्स	वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 1000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु.
सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना	यह योजना विभिन्न सेवा रेजिमेंट केन्द्रों में उपलब्ध खेल प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट अवसरंचना, कुशल प्रशासन और अनुशासित वातावरण उपलब्ध होने की दृष्टि से सेना प्राधिकारियों और भाखेप्रा का एक संयुक्त उद्यम है। इस योजना में (8-16) वर्ष के आयु समूह के बच्चे शामिल किए जाते हैं।	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, डाइविंग, घुडसवारी, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हैण्डबाल, हाकी, कायाकिंग एवं कनोइंग, तैराकी, निशानेबाजी, नौकायन, वालीबाल, कुश्ती और भारोत्तोलन	300 दिनों के लिए प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन आवास एव भोजन: 125 रु. शैक्षणिक व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 1000 रु. खेल उपस्कर (प्रति यूनिट प्रतिवर्ष): 2,75,000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 2000 रु. 10 माह के लिए वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 3000 रु. चिकित्सा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 300.00 रु.
भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) योजना	14-21 वर्ष के आयु समूह में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना। इस	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, साइक्लिंग,	**आवासीय प्रशिक्षार्थी:** 330 दिनों के लिए गैर- पर्वतीय क्षेत्रों के लिए

1	2	3	4
	योजना के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ शसित क्षेत्र प्रशासन के साथ संयुक्त सहयोग के केन्द्र स्थापित किए जाते हैं।	डाइविंग, फुटबाल, तलवारबाजी, जिम्नास्टिक्स, हैण्डबाल, हाकी, जूडो, कबड्डी खो-खो, कराटे, लान टेनिस, तैराकी, सेपाक:टकरो, निशानेबाजी, साफ्टबाल, टेबल टेनिस, ताईक्वांडो, वालीबाल, जलक्रीड़ा भारोत्तोजन, कुश्ती और वुशु	प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन आवास एवं भोजन: 125 रु. और पर्वतीय क्षेत्रों के और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 140 रु. खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 4000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 3000 रु. शैक्षणिक व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 1000 रु. चिकित्सा व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 300 रु. अन्य व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 100 रु. गैर-आवासीय प्रशिक्षार्थी: खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 4000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 3000 रु. वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 6000 रु.
विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना	देश के आदिवासी, ग्रामीण, तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों तथा आनुवांशिक तथा भौगोलिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों से आधुनिक प्रतियोगी खेलों में स्वाभाविक प्रतिभा का दोहन करना तथा उनका उपयोग आधुनिक प्रतियोगी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्केटबाल, केनोइंग व कयाकिंग साइक्लिंग, तलवारबाजी, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हैण्डबाल, हाकी, जूडो, कराटे, कबड्डी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, ताईक्वांडो, वालीबाल,	**आवासीय प्रशिक्षार्थी:** 330 दिनों के लिए गैर-पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन आवास एवं भोजन: 125 रु. और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 140 रु. खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 4000 रु.

1	2	3	4
	करना। इन प्रशिक्षुओं को 14-21 वर्ष के आयु समूह में अपनाया जाता है।	भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु	बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 3000 रु. शैक्षण्कि व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 1000 रु. चिकित्सा व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 300 रु. अन्य व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 100 रु. **गैर-आवासीय प्रशिक्षार्थी:** खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 4000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 3000 रु. वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 6000 रु.
व्यापक प्रचार हेतु विद्यालयों/महाविद्यालयों को शामिल करने के लिए एसटीसी/एसएजी केन्द्रों का विस्तार	उन स्कूलों और कालेजों जो विशिष्ट खेलों का आयोजन करते हैं और सराहनीय परिणाम दर्शाए हैं उनमें खेल मानक विकसित करना 14-21 वर्ष के आयु वर्ग के प्रशिक्षुओं को इस योजना में अपनाया जाता है।	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्केटबाल, केनोइंग व कयाकिंग, साइक्लिंग, तलवारबाजी, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हैण्डबाल, हाकी, जूडो, कराटे, कबड्डी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, ताईक्वांडो, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु	खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 4000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 2000 रु. वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 6000 रु. चिन्हित संस्थानों में अवसंरचना तथा उपस्कार सहायता के लिए प्रति वर्ष वित्तीय सहायता (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष)

1	2	3	4
उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) योजना	किसी खास विधा में शीर्ष खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण तथा उनके लिए प्रतियोगिता प्रदर्शन भी प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 17-25 वर्ष की आयु वर्ग में प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है जिन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है।	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, तलवारबाजी, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हाकी, जूडो, कयाकिंग एवं केनोइंग, कराटे, कबड्डी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताईक्वांडो, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु	**आवासीय प्रशिक्षार्थी:** 330 दिनों के लिए प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन आवास एवं भोजन: 175 रु. खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 6000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 3000 रु. चिकित्सा व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 500 रु. अन्य व्यय (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 100 रु. **गैर-आवासीय प्रशिक्षार्थी:** खेल सामान (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 6000 रु. बीमा (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 32 रु. प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर (प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष): 3000 रु. वजीफा (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह): 9000 रु.

शहरी गरीबों को आवास की सुविधा

3145. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसा कोई निर्देश दिया है कि वह महानगरों में गरीब वर्ग के लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु उन शहरों की भूमि का 20 से 25 प्रतिशत तक आरक्षित रखें:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 में इस बात का समर्थन किया गया है कि उपयुक्त विधिक विनिदिष्टयों और स्थानिक प्रोत्साहनों के जरिए प्रत्येक नई सार्वजनिक/निजी आवासीय परियोजनाओं में 10-15%

भूमि अथवा 20-25% फर्शी क्षेत्र (एफएआर)/फर्श स्थल सूचकांक (एफएसआई) जो भी अधिक हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवास हेतु आरक्षित किया जाए।

इसके अलावा, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत कार्यान्वित किए जा रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी स्कीम (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के दिशा निर्देशों में वैकल्पिक सुधार के रूप में, परस्पर सब्सिडी प्रणाली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों दोनों द्वारा) में विकसित भूमि का न्यूनतम 20-25% निर्धारित करने का प्रावधान है।

मंत्रालय ने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवास हेतु भूमि/फर्शी क्षेत्र (एफएआर) के आरक्षण के लिए अपने कानूनों (अर्थात नगर निगम अधिनियम/शहर आयोजना अधिनियम/शहरी विकास अधिनियम आदि) में संशोधन करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश देने हेतु एक मॉडल संशोधन अधिनियम तैयार और परिचालित किया है।

'भूमि' और 'कालोनी बसाना' राज्य का विषय है, इसलिए उक्त के समर्थन हेतु ध्यान देना राज्य सरकारों का दायित्व है।

पुनर्वास कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं

3146. श्री भक्त चरण दास: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों के अन्य शहरों के मलिन बस्ती और पुनर्वास कॉलोनियों में स्वच्छ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जल-मल व्ययन प्रणाली तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य राज्यों में कितने मलीन बस्ती और कालोनी हैं जो ये सुविधाएं प्रदान करती हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं (बीएसयूपी) के अंतर्गत देश के 65 शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास तथा अवस्थापना सुविधाएं शुरु करने हेतु शहरों एवं कस्बों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरुआत की। गैर-मिशन शहरों में आवास तथा स्लम उन्नयन कार्यक्रमों को शुरु करने के लिए स्मल निवासियों को पर्याप्त आश्रय और बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वस्थ एवं अनुकूल पर्यावरण के साथ समग्र स्मल विकास करने के प्रयास करने के लक्ष्य के साथ एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरु किया गया था। इन परियोजनाओं के अनुमत घटक जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास, सामुदायिक शौचालय, स्नानघर आदि हैं।

(ग) बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के दिल्ली सहित राज्य ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा(उप मिशन-II)

कुल अनुमोदित परियोजना

22.2.2011 की स्थिति के अनुसार

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	कुल अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की सं (नवीन+आयन)	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश	कुल अनुमोदित राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त	स्वीकृत द्वितीय किस्त	स्वीकृत तृतीय किस्त	स्वीकृत चतुर्थ किस्त	जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	36	3007.98	134694	1496.32	1509.18	374.35	337.91	227.68	89.49	874.86
2.	असम	1	2	108.44	2260	97.60	10.84	24.40	24.40	0.00	0.00	48.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	49.25	852	43.95	5.31	10.99	0.84	0.00	0.00	11.83
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	2	564.94	25728	396.13	168.81	99.03	99.03	75.03	0.00	198.06
5.	छत्तीसगढ़	1	6	462.49	30000	364.99	97.50	91.25	78.05	0.00	0.00	169.29
6.	बिहार	2	18	709.98	22372	312.76	397.23	78.19	0.00	0.00	0.00	78.19
7.	दिल्ली	1	17	2783.78	73820	1229.28	1554.51	307.32	43.85	11.54	0.00	228.90
8.	गुजरात	4	19	1709.94	106044	822.46	887.48	205.62	167.18	146.10	109.65	621.68
9.	गोवा	1	1	10.22	155	4.60	5.62	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18	33.05	7.79	7.79	7.79	7.79	31.18
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27	5.74	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57
12.	जम्मू और कश्मीर	2	5	162.39	6677	134.44	27.95	33.61	3.19	0.00	0.00	33.61
13.	झारखंड	3	11	370.67	12226	251.59	119.08	62.90	0.00	0.00	0.00	62.90
14.	कर्नाटक	2	18	747.18	28118	407.97	339.21	101.99	63.96	25.85	0.00	165.95
15.	केरल	2	7	343.67	23577	233.56	110.11	58.39	50.60	16.38	0.00	125.37
16.	मध्य प्रदेश	4	22	704.65	41446	344.26	360.48	86.07	47.39	43.89	16.40	147.91
17.	महाराष्ट्र	5	60	6817.86	182841	3234.10	3583.76	808.53	403.99	174.15	46.36	1409.68
18.	मणिपुर	1	1	51.23	1250	43.91	7.32	10.98	0.00	0.00	0.00	10.98
19.	मेघालय	1	3	51.74	768	40.35	11.39	10.09	5.94	5.94	0.00	16.03
20.	मिजोरम	1	4	91.32	1096	80.11	11.21	20.03	7.23	0.00	0.00	27.26
21.	नागालैण्ड	1	1	134.50	3504	105.60	28.90	26.40	26.40	26.40	0.00	79.20
22.	उड़ीसा	2	6	74.62	2508	54.18	20.44	13.54	9.95	0.00	0.00	13.54
23.	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15	36.28	9.04	9.04	8.32	0.00	26.39
24.	पुडुचेरी	1	3	135.98	2964	83.20	52.78	20.80	1.06	1.06	0.00	21.86
25.	राजस्थान	2	4	458.64	23151	257.30	201.34	64.33	21.14	0.00	0.00	85.47
26.	सिक्किम	1	3	33.58	254	29.06	4.52	7.26	7.26	0.70	0.00	15.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	तमिलनाडु	3	51	2327.32	91318	1041.80	1285.53	260.45	198.23	86.49	25.93	494.87
28.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96	2.77	3.49	3.49	3.49	3.49	13.96
29.	उत्तर प्रदेश	7	67	2342.51	67992	1144.24	1198.27	286.02	263.18	86.73	0.00	531.77
30.	उत्तराखंड	3	12	86.03	1799	65.33	20.70	16.33	1.28	0.00	0.00	17.61
31.	पश्चिम बंगाल	2	99	3768.91	150074	1845.35	1923.55	461.70	207.19	105.22	11.78	684.90
		63 Cities	487	28287.24	1046780	14264.01	14020.84	3566.59	2089.57	1052.78	310.90	6253.00

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

कुल अनुमोदित परियोजना

28.2.2011 की स्थिति के अनुसार

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नगरों/यूएलबी का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं.	कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम किस्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50%	अनुमोदित द्वितीय किस्त	जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	56	77	1139.10	47896	783.10	355.99	382.28	221.77	551.78
2.	असम	1	1	9.95	176	8.96	1.00	4.48	0.00	4.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	15.15	40	13.64	1.52	6.82	0.00	5.53
4.	असम	16	16	84.99	8668	70.22	14.77	35.11	0.00	35.11
5.	बिहार	19	20	275.22	12956	162.48	112.74	81.24	0.00	81.24
6.	छत्तीसगढ़	17	18	225.60	17922	158.83	66.78	79.41	28.19	104.57
7.	दिल्ली	1	2	5.74	144	3.34	2.40	1.67	0.00	1.67
8.	दमन और दीव	1	1	0.69	16	0.58	0.11	0.29	0.00	0.29
9.	गुजरात	37	38	381.78	28424	243.20	121.06	124.76	0.00	119.35
10.	हरियाणा	14	18	272.26	16426	209.70	62.57	104.85	39.61	104.85
11.	हिमाचल प्रदेश	6	6	55.34*	1616	37.07	18.26	18.54	0.00	18.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	जम्मू और कश्मीर	27	40	114.46	6670	87.97	21.64	41.22	4.421	41.22
13.	झारखंड	10	10	217.93	11544	131.33	86.60	62.79	0.00	55.05
14.	कर्नाटक	32	34	398.13	17237	222.56	175.57	111.28	40.04	136.45
15.	केरल	45	53	273.32	26295	201.60	71.71	100.68	39.67	130.70
16.	मध्य प्रदेश	41	44	319.26	20739	221.83	97.43	110.97	4.76	115.73
17.	मिजोरम	6	8	39.27	1950	29.78	9.49	14.89	0.00	14.89
18.	राजस्थान	51	57	804.96	41719	533.59	271.37	266.80	23.77	282.99
19.	मेघालय	3	3	41.48	912	22.43	19.05	11.21	0.00	11.21
20.	मणिपुर	6	6	43.38	2829	32.35	10.08	16.33	0.00	13.03
21.	महाराष्ट्र	83	102	1803.93	90072	1228.48	575.44	575.97	34.48	601.30
22.	नागालैण्ड	2	2	90.13	2761	44.74	43.60	22.67	7.25	29.92
23.	उड़ीसा	29	32	284.67	13049	191.88	92.79	92.90	9.01	92.90
24.	पंजाब	2	3	63.42	4658	33.77	29.64	16.89	0.00	16.89
25.	पुडुचेरी	1	1	17.03	432	5.48	11.55	2.74	0.00	2.74
26.	सिक्किम	1	1	19.91	39	17.92	1.99	8.96	0.00	8.96
27.	तमिलनाडु	83	84	515.88	37585	372.10	127.13	187.76	141.12	294.35
28.	त्रिपुरा	5	5	43.64	3115	38.05	5.59	19.03	15.52	22.19
29.	उत्तर प्रदेश	135	153	1165.08	43035	751.74	413.34	375.84	73.72	366.82
30.	उत्तराखण्ड	18	21	161.28	5032	90.57	70.71	45.28	0.00	45.28
31.	पश्चिम बंगाल	81	120	1103.33	60171	826.59	276.25	413.37	172.86	498.79
	कुल	830	978	9986.30	524128	6775.86	3168.19	3337.02	856.20	3808.83

एफपीआई हेतु दृष्टिकोण पत्र

3147. श्री रमेश राठौड़:
श्री क्रुपारानी किल्ली:
श्री के. सुधाकरण:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) को बेहतर गुणवत्ता और प्रसंस्करण सहित पूर्णतया निर्यातोन्मुख बनाने हेतु दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कितना निवेश किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशों को निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष मानदंड निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षमता दोनों का लाभ लेने के लिए विजन 2015 दस्तावेज को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंतिम रुप दे दिया गया है जिसमें 2015 तक शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर में 6% से 20%, मूल्यवृद्धि में 20 से 35% और वैश्विक खाद्य व्यापार के हिस्से में 1.5% से 3% तक वृद्धि करके प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि कारोबार-विजन, रणनीति एवं कार्ययोजना को प्रोत्साहन देने के लिए एक एकीकृत रणनीति भी सरकार ने अनुमोदित की है।

(ग) मंत्रालय के पास 11वीं योजना अवधि में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए कुल निवेश/संभावित निवेश संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निवेश विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी स्कीमों, राज्या सरकारों, वित्तीय के अंतिम 4 निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। जहाँ तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संबंध है 11वीं योजना के अंतिम 4 वर्षों में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 1132.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (i) प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (ii) गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन (iii) एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000/जीएचपी/जीएमपी, गुणता/सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का क्रियान्वयन और (iv) संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी अपनी स्कीम के अंतर्गत समग्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसे अन्य संगठन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्योग विकास आयुक्त भी गुणवत्ता विकास की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहे है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के उपबंध के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की स्थापना के फलस्वरुप, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मामले कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

शहरी जनसंख्या को अन्यत्र बसाना

3148. डॉ ज्योति मिर्धा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं से संबंधित शहरी अवसंरचना के निर्माण की प्रक्रिया में शहरी जनसंख्या को अन्यत्र बसाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी अवसंरचना के विकास से संबंधित नीति में ऐसे विस्थापित लोगों.के पुनर्वास के प्रावधान को शामिल किया गया है तथा इस संबंध में बनायी गयी योजनाओं/परियोजनाओं में भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार शहरी क्षेत्रों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) शहरी अवसंरचना के निर्माण के कारण विस्थापित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की मौजूदा नीतियों के अनुसार राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों की है। शहरी विकास मंत्रालय इस संबंध में आकड़ों का संकलन नहीं करता है।

फसल की बीमारी से रक्षा

3149. श्री मनोहर तिरकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफ्रीका सहित विश्व के अनेक भागों में गेहूं में स्टेम रस्ट फंगल बीमारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में इसके फैलने की संभावना के संबध में कोई आकलन करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की किस्में अधिकाशंत: भारतीय प्रजातियों की स्टेम रस्ट की प्रतिरोधी है। केनिया और इथोपिया में किए गए परीक्षण के अनुसार कई किस्में स्टेम रस्ट की नई प्रजाति (यूजी 99) की भी प्रतिरोधी हैं। यूजी 99 स्टेम रस्ट का सर्वेक्षण और फसल स्वास्थ्य निगरानी रिपोर्टो के अनुसार भारत में अभी तक पता नहीं लग पाया है।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

1. भारत में यूजी 99 का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।
2. भारतीय गेहूं की किस्मों का केनिया और यूथोपिया में स्टेम रस्ट रेस यूजी 99 के लिए मूल्यांकन किया गया और उन किस्मों में लगभग 30 किस्मों को इस रोग का प्रतिरोधी पाया गया।
3. रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने के लिए गेहूं उत्पादन कार्यक्रम में यूजी 99 प्रतिरोधी आनुवांशिक भंडारणों का प्रयोग किया जा रहा है।

तिहाड़ जेल में संगीत संबंधी चिकित्सा

***3150. डॉ. क्रुपारानी किल्ली:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिहाड़ जेल ने कैदियों को अवसाद से लड़ने हेतु संगीत संबंधी चिकित्सा शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश के सभी जेलों में ऐसी संगीत संबंधी चिकित्सा शुरु करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसे कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। तिहाड़ जेल ने हाल ही में, दिल्ली की प्रत्येक जेल में संगीत कक्ष स्थापित किया है। संगीत कक्षों की शुरुआत का कैदियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे कैदियों जो संगीत में पहले से ही प्रशिक्षित है अथवा संगीत प्रतिभा के धनी है, को आउटलेट देने के साथ-साथ यह एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराता है जहां कैदी संगीत सीख सकते हैं। यह वहां रहने वाले कैदियों को व्यस्त रखता है और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल में सुधार आता है।

(ग) से (च) भारत के संविधान की सतावीं अनुसूची की सूची II के अन्तर्गत कारागार राज्य का विषय है। इसलिए, कारागार प्रशासन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है तथापि, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह अनुरोध करते हुए दिनांक 08.11.2010 को सर्वोत्तम कारागार प्रथाओं के संबंध में सलाह जारी की है कि वे कारागारों के कुशल और प्रभावकारी प्रबंधन के साथ-साथ, कारागार में रहने वाले कैदियों के बेहतर सुधार और पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाये जाने हेतु इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के बारे में विचार करें।

जनगणना हेतु बेरोजगार युवाओं का उपयोग

***3151. श्री के. सी. सिंह 'बाबा':**
श्रीमती प्रिया दत्त:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की सेवा का जनगणना कार्य/यूआईडी कार्य में उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे कार्य में सरकारी शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति को कोई विशिष्ट लाभ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (घ) जी, नहीं। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार की जाती है। जनगणना

कार्य में लगाए गए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों में स्कूल शिक्षकों की बहुतयात होती है क्योंकि वे गांवों तथा नगरों दोनों में स्थानीय स्तर पर उपलबध होते हैं। वे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होते हैं और समुदाय में स्वीकार्य होते हैं। इसके अलावा, चूंकि वे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय का ही हिस्सा होते हैं इसलिए लोग बगैर किसी भय के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते हैं। जनगणना के लिए प्रत्येक घर को शामिल करना होता है और प्रत्येक व्यक्ति से संवेदनशील प्रश्न पूछने होते हैं। पूर्व-वृत के समुचित सत्यापन के बगैर किसी व्यक्ति को इतना जिम्मेदारी भरा कार्य सौंपा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनगणना कार्य एक अंशकालिक कार्य है जिसके लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है। ऐसे अंशकालिक कार्य के लिए नए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना बुद्धिमानी नहीं है।

यौन उत्पीड़न की शिकयतें

3152. **श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश:** क्या **आवास और श्हारी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय में इस उद्देश्य हेतु गठित समिति को यौन उत्पीड़न की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जहां तक आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, इस उद्देश्य के लिए गठित समिति को पिछले दो वर्षो के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में बोडो

*3153. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल के दिनों में असम सरकार से बोडो/बोडो कच्छारी को अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) की सूची में शामिल करने की कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) अक्टूबर, 2010 में, असम सरकार ने सिफारिश की है कि कारबी आंगलोंग और एन.सी. हिल्स जिलों में स्थायी रुप से रहने वाली अन्य मैदानी जनजातियों के साथ बोडो कछारियों और असम के मैदानी जिलों में रहने वाली पहाड़ी अनुसूचित को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करके इन दोनों स्वायत्तशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियां (पहाड़ी) की सूची में शमिल किया जाना चाहिए और अनुसूचित जनजाति (मैदानी) को मैदानी जिलों में स्वायत्तशासी जिले की छठी अनुसूची से बाहर रखा जाना चाहिए।

उपभोक्ता मंच

3154. **श्री गणेश सिंह:**
श्री मनोहर तिरकी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने उपभोक्ता मंच हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान यहां कितने मामले दर्ज किए गए और निपटाए गए तथा कितने लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मंच के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) ममालों के त्वरित निपटान हेतु उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मंच के सुदृढ़ीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में उपभोक्ता मंचों की संख्या और वर्ष 2007 से उनमें दायर, निपटाए गए और लम्बित मामलों की संख्या संलग्न वितरण में दी गई है। वर्ष 2011 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की समीक्षा विभाग विभाग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मंगवाई गई आवधिक

रिपोर्टों के जरिए की जाती है जिनमें निपटाए गए और लंम्बित मामलों सहित उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण के सभी पहलुओं पर सूचना मंगवाई जाती है।

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपभोक्ता मंचों को सुदृढ़ करने और उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार दिए गए हैं-

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्तमान में उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला मंचों और राज्य आयोगों (भवन और गैर-भवन परिसम्पत्तियां) के आधार-ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देश भर में सभी उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग भी राष्ट्रीय सूचना केंद्र के जरिए 'कन्फोनेट' स्कीम के तहत किया जा रहा है।

(2) कुछ राज्य आयोग और जिला मंच मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया भी अपना रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग ने भी लोक अदालतें आयोजित करना शुरू कर दिया है।

(3) राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 22ग के उपबंधों के अनुसार सर्किट बैंच की बैठके भी आयोजित करता है। अब तक राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, एरनाकुलम, और अहमदाबाद में सर्किट बैंच की बैठकें आयोजित की हैं।

(4) राष्ट्रीय आयोग की मौजूदा पांच बैंचों के अलावा, केंद्रीय सरकार ने पिछले लम्बित मामलों के निपटान के लिए हाल ही में राष्ट्रीय आयोग के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए एक अतिरिक्त बैंच की मंजूरी दी है।

(5) निम्नलिखित राज्यों में सर्किट बैंच/अतिरिक्त बैंच कार्य कर रहे हैं-

(क) गुजरात	-	03 अतिरिक्त पीठें
(ख) महाराष्ट्र	-	नागपुर और औरंगाबाद में सर्किट पीठ
(ग) उत्तर प्रदेश	-	01 अतिरिक्त पीठ
(घ) पश्चिम बंगाल	-	01 अतिरिक्त पीठ
(ङ) मध्य प्रदेश	-	01 अतिरिक्त पीठ
(च) पंजाब	-	01 अतिरिक्त पीठ

विवरण-I

वर्ष-वार दायर और निपटान किए गए मामले राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग

	2007		2008		2009		2010	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
राष्ट्रीय आयोग	4866	4662	5873	5456	5399	7350	4236	3394
राज्य आयोग	2007		2008		2009		2010	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2101	2061	2014	1595	1485	552	1518	221
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	7	5	3	4	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	26	19	146	20	79	194		
बिहार	780	766	616	755	720	717	700	389
चंडीगढ़	1228	1090	2376	1448	783	1127	575	1061
छत्तीसगढ़	728	710	962	451	891	1232	843	1109
दादरा और नगर हवेली/ दमन और दीव	10	8	0	0	4	0		
दिल्ली	1541	2475	1464	1859	1359	1129		
गोवा	136	93	89	176	73	119		
गुजरात	2565	1618	2428	1739	2248	2516		
हरियाणा	3570	1792	2274	2134	1923	3906	2013	4201
हिमाचल प्रदेश	2180	1935	1508	1521	1694	1789	1722	1689
जम्मू और कश्मीर	321	200	187	234				
झारखंड	820	268	583	515	448	418	368	435
कर्नाटक	2685	3294	3149	3105	4610	2978	5569	2496
केरल	449	864	463	1632	834	1684		
लक्षद्वीप	2	1	0	0	2	2	0	0
मध्य प्रदेश	3101	2706	3250	3201	2764	1962		
महाराष्ट्र	4708	3153	4673	3935	3839	3783	3532	3645
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
मेघालय	23	5	22	4	11	6		
मिजोरम	22	21	21	25				
नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
उड़ीसा	1238	1613	1122	573	1216	1136	840	1725
पुडुचेरी	26	5	48	34	19	25	9	12
पंजाब	1716	1303	1742	1926	2020	1791	2339	1681
राजस्थान	3204	5213	3196	4604	2887	3902	3535	3201
सिक्किम	1	1	0	2	4	0	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	2777	91	1039	933	566	309	1056	1180
त्रिपुरा	85	82	68	121	71	63	53	57
उत्तर प्रदेश	3181	3293	2832	3569	2733	2161	2760	6998
उत्तरांचल	453	115	290	289	242	391	482	330
पश्चिम बंगाल	707	983	502	694	769	825	967	743
योग	40391	35783	37067	37098	34294	34717	28884	31179

वर्ष-वार दायर और निपटान किए गए मामले जिला मंच

राज्य	2007		2008		2009		2010	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	6724	6638	5561	5358	5015	4075	5418	1749
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
अरुणाचल प्रदेश	7	6	16	13				
असम	138	57	743	802	154	60		
बिहार	3846	2942	2873	2326	3952	4046	3044	4002
चंडीगढ़	1421	1348	2908	2791	2600	2477	2509	2123
छत्तीसगढ़	1966	1606	1976	2105	2064	2271	2123	2018
दादरा और नगर हवेली/ दमन और दीव	13	14	6	0				
दिल्ली	11770	10528	11378	10358	11288	9411		
गोवा	202	305	213	334	191	225		
गुजरात	11714	10382	9418	7895	9970	9636		
हरियाणा	12299	13139	10986	8751	12050	11732	12165	12649
हिमाचल प्रदेश	2064	2332	2153	2290	2387	2253	2229	1956
जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	1658	1372	1748	2308	1488	1802	918	843
कर्नाटक	9541	9528	10073	10189	10041	9672	11799	10744
केरल	3113	1553	5119	5802	5608	6177		
लक्षद्वीप	1	0	2	3	5	0	8	4
मध्य प्रदेश	12008	10398	12267	11006	13889	11644		
महाराष्ट्र	11780	12830	16956	16375	17933	14578	13708	13614
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
उड़ीसा	5444	4306	4099	4108	4420	4250	4271	3376
पुडुचेरी	89	108	104	61	102	12	123	67
पंजाब	7089	7031	8684	8917	10559	10247	10745	10961
राजस्थान	14247	12208	17690	15558	15543	10518	18943	16360
सिक्किम	4	4	19	6	7	13	12	13
तमिलनाडु	7529	357	3363	3354	3985	2520	3904	6672
त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		
उत्तर प्रदेश	23875	20796	24895	19671	24868	18829	25804	24514
उत्तरांचल	1220	1636	1073	939	1037	890	1218	1626
पश्चिम बंगाल	3467	3334	3907	3325	5207	4911	3849	4467
योग	153229	134758	158230	144645	164363	142249	122790	117758

जैविक कृषि संबंधी नीति

3155. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैविक कृषि संबंधी सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त नीति को लागू करने हेतु क्या कदम उठाया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई नीति बनाए जाने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (घ) सरकार के पास राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति है जिसमें तकनीकी रूप से सुदृढ़, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से गैर-निम्नीकृत तथा जैविक कृषि के अनुकूल सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाने की मांग की जाती है।

देश में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और सुकर बनाने के लिए सरकार ने 2004-05 के दौरान ''राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना'' (एनपीओएफ) को शुरू किया है।

स्कूल जाने वाले बच्चों का अपहरण

***3156. डॉ. के. एस. राव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्कूल जाने वाले बच्चों के अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले प्रकाश में आए तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार पता लगे ऐसे बच्चों की कुल संख्या कितनी है तथा सभी बच्चों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विद्यालय प्राधिकारियों को यह निदेश दिया है कि यातायात वाहनों में ट्रैक मैजिक (टीएम) तंत्र लगाया जाए ताकि अपहरण के मामले को कम किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान देश में बच्चों के अपहरण एवं व्यपहरण के कुल क्रमश: 6,377, 7,650 और 8,945 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के प्रत्येक वर्ष के लिए "लापता" सूचित किए गए और "पता लगाए गए" बच्चों की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, परिवहन वाहनों में ट्रैक मैजिक (टी एम) सिस्टम लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं इसके अतिरिक्त, शिक्षा समवर्ती सूची में होने की वजह से अधिकांश विद्यालय राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं।

भारत के संविधान की सांतवी अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए, अपराध रोकने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच पड़ताल करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण के संबंध में अत्यधिक चिन्तित है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न योजनाओं और सलाह के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में उनकी सहायता करती रहती है।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14 जुलाई, 2010 को विस्तृत सलाह जारी की है जिसमें राज्यों/संघ राज्य को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सार्वजनिक परिवहन, बच्चों के पार्कों/खेल के मैदानों, रिहाइशी स्थानों/सड़कों आदि की सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाना सुनिश्चित करें। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाये और विद्यार्थियों विशेष रूप से बालिकाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की घटना पर नजर रखने के लिए तंत्र स्थापित किए जायें। इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:-

(i) बीट कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाना;

(ii) विशेष रुप से दूर दराज और सुनसान क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथ/कियोस्क की संख्या बढ़ाना;

(iii) विशेष रुप से रात के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना।

(iv) अपराध संभावित क्षेत्रों में पुलिस आधारभूत संरचना के साथ पूरी तरह से लैस पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठायें है जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लापता व्यक्तियों की सूचना देने के लिए

24x7 हैल्प लाइन संख्या, लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, प्राथमिकी दर्ज करना, वेब आधारित कम्प्यूटर आवेदन पत्र का विकास करना, जोनल इन्टीग्रेटेड पुलिस नेट (जिपनेट) स्थापित करना शामिल है जो लापता बच्चों से सम्बंधित सूचना एकत्र करता है। दिल्ली पुलिस ने 18 वर्ष और इससे कम की आयु की पता न लगाई गई बालिकाओं और 12 वर्ष या इससे कम आयु के पता न लगाए गए बालकों की प्रत्येक घटना में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में संशोधित स्थायी आदेश संख्या 258/09 में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

वर्ष 2007-2009 के दौरान लापता हुए/पता लगाए गए बच्चों की (लिंगवार) संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007				2008				2009			
		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला	
		लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	10	25	25	21	20	35	33	16	15	30	29
2.	आंध्र प्रदेश	348	254	426	281	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
3.	अरूणाचल प्रदेश	4	4	3	3	6	6	6	4	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
4.	असम	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
5.	बिहार	354	250	122	96	232	428	328	178	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
6.	चंडीगढ़	105	86	67	53	51	34	67	43	51	26	68	42
7.	छत्तीसगढ़	1159	1050	1769	1337	1089	1023	1617	1523	997	913	1826	1441
8.	दादरा और नगर हवेली	12	9	3	2	8	5	15	12	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
9.	दमन और दीव	5	5	6	3	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
10.	दिल्ली	98	65	133	63	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
11.	गोवा	103	85	169	134	107	87	150	121	90	75	146	131
12.	गुजरात	1175	964	1207	1026	1158	1008	1486	1176	1071	883	1647	1238
13.	हरियाणा	567	303	187	97	580	367	265	123	598	328	317	163
14.	हिमाचल प्रदेश	163	102	116	60	192	117	170	95	131	73	139	92
15.	जम्मू और कश्मीर	287	207	158	112	155	104	121	59	209	136	157	111
16.	झारखंड	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
17.	कर्नाटक	1347	1075	2283	1947	1818	1535	2374	2199	1697	1489	2299	2058
18.	केरल	447	372	521	457	496	427	710	602	401	344	595	524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	एन आर	एन आर	1	1	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
20.	मध्य प्रदेश	4413	4050	4439	3775	3857	3341	4798	3899	4121	3948	5377	4782
21.	महाराष्ट्र	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
22.	मणिपुर	29	16	10	9	29	12	16	8	28	27	17	15
23.	मेघालय	9	4	27	8	28	22	43	39	65	55	103	91
24.	मिजोरम	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
25.	नागालैण्ड	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	-64	42	64	35	50	28	67	38
26.	उड़ीसा	675	427	982	598	620	344	1113	555	633	246	1249	422
27.	पुडुचेरी	30	30	38	38	31	31	45	45	25	25	32	32
28.	पंजाब	433	613	131	179	188	1	80	0	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
29.	राजस्थान	1480	1327	945	830	1385	1129	1092	883	1248	1044	1483	1179
30.	सिक्किम	110	67	186	116	82	50	136	82	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
31.	तमिलनाडु	774	607	1013	875	683	498	1130	959	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
32.	त्रिपुरा	56	54	137	135	67	56	225	202	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
33.	उत्तर प्रदेश	3223	2764	1040	896	2624	2122	973	766	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
34.	उत्तराखण्ड	240	168	116	84	295	144	119	140	260	198	171	133
35.	पश्चिम बंगाल	4740	2433	6957	3292	4220	1923	6872	2673	3926	1370	7601	1985
	कुल	22396	17401	23216	16531	20086	14876	24051	16455	15617	11223	23324	14506

टिप्पणी: जिन राज्यों से अभी आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए 'एन आर' दर्शाया गया है।

कृषि उत्पादों हेतु बाजार

3157. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कृषि उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचने हेतु नए बाजारों की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक चरण में स्थापित होने वाले संभावित बाजारों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (घ) कृषि उत्पादकों को उपभोक्ताओं को अपना उत्पादन सीधे ही बेचने की सुविधा देने सहित वैकल्पिक विपणन चैनलों के चयन को सुकर बनाने के लिए, कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को

माडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एपीएमसी अधिनियम), 2003 को अपनाने के लिए प्रचालित कर दिया है। माडल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता/किसान मंडियों की स्थापना का प्रावधान है, जहां उत्पादक उपभोक्ताओं को सीधे ही अपना उत्पाद बेच सकते हैं। 31 मार्च, 2010 के अनुसार देश में 21,221 संख्या में ग्रामीण प्राथमिक मंडियां है जिससे कि कृषि उत्पादकों को उपभोक्ताओं सहित क्रेताओं को सीधे ही अपना उत्पाद बेचने में सुविधा हो। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य अभिनव किसानों/उपभोक्ता मंडियों की स्थापना को सुकर बना रहे हैं। सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर एवं हिमालीय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, कृषि मंडी अवसरंचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मंडी अवसंरचना के सृजन को सुकर बनाती है।

मादक पदार्थों की आवक

***3158. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी सूचना है कि सीमावर्ती देशों से गांजा, चरस, अफीम, हिरोइन और ब्राउन शुगर सहित निषिद्ध की आवक बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो पदार्थ-वार और देश-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे जब्त पदार्थो का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में यह प्राप्त हुआ है; और

(घ) ऐसे क्रियाकलापों को रोकने तथा इस कार्य में शामिल लोगों को दण्डित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हाँ। विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्टो से पता चलता है कि भारत - म्यामांर सीमा, भारत - नेपाल सीमा तथा भारत - पाकिस्तान सीमा के क्षेत्र स्वापक पदार्थो की तस्करी/दुर्व्यापार के लिए सुभेद्य हैं। पड़ोसी देशों की सीमाओं पर स्वापक पदार्थो की जब्ती के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सीमावर्ती देशों से मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने, पता लगाने तथा निवारण करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मादक द्रव्य के ज्ञात मार्गो के साथ-साथ गहन निरोधात्मक एवं अवरोधात्मक प्रयास।

(ii) आयात एवं निर्यात स्थलों पर सख्त निगरानी एवं प्रवर्तन।

(iii) मुहैया कराने के लिए सीमा चौकसी बलों सहित विभिन्न ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेन्सियों के बीच बेहतर समन्वय।

(iv) संचालनात्मक आसूचना के संग्रहण, विशलेषण एवं प्रसार को सुधारने के लिए असुचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(v) स्वापक द्रव्यों की जब्ती कराने वाली जानकारी के लिए मुखबिरों तथा अधिकारियों के लिए मौद्रिक पुरस्कारों की योजना का कार्यान्वयन।

(vi) स्वापक पदार्थ और मन: प्रभावी द्रव्य अधिनियम (एन डी पी एस) 1985 के उपबंधों का सख्त प्रवर्तन तथा एन डी पी एस अधिनियम अध्याय v - ए के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध वित्तीय जांच और अभियुक्त (तों) एवं उनके सहयोगियों की सम्पत्ति की जब्ती, अभिग्रहण तथा समपहरण।

[हिन्दी]

गन्नों का भार किया जाना

3159. श्री राजू शेट्टी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसानों से गन्ने की खरीद के समय चीनी मिलों द्वारा कम भार किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों के शोषण को रोकने हेतु तटस्थ भार केन्द्रों की स्थापना किए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सरकार को वर्तमान चीनी मौसम 2010-11 में किसानों से गन्ने की खरीद के दौरान चीनी मिलों द्वारा कम भार किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। गन्ना सहित अन्य वस्तुओं का भार किया जाना वर्तमान में बाट और माप मानक अधिनियम 1976 के साथ पठित बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शामिल है। इन उपबंधों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाना है।

खाद्य कानून

3160. श्री जगदानंद सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवश्यक खाद्यान्न का निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्तावित "खाद्य सुरक्षा विधेयक" को "खाद्य सुरक्षा का अधिकार विधेयक" में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस प्रयोजन हेतु किसानों द्वारा उगाये जाने वाले खाद्यान्नों के लिए किस प्रकार लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियममित करने का प्रस्ताव है जिसके तहत सांविधिक आधार पर एक ढांचा उपलब्ध होगा जो गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को राजसहायता दरों पर खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा पाने के लिए खाद्य सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी पहलुओं जिसमें इसका कवरेज, हकदारी, खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता आदि शामिल है, पर सरकार विचार कर रही है।

डीएवीपी विज्ञापनों की दर

3161. श्री महाबल मिश्रा:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार/विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापनों हेतु निर्धारित दरों और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीएवीपी द्वारा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों की दरें निजी कंपनियों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की दरों की तुलना में अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास डीएवीपी की दरों का निर्धारित/जांच करने के लिए कोई तंत्र/मानदंड है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) डीएवीपी के विज्ञापनों के लिए दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु सरकार की विज्ञापन नीति में यथानिर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं:

श्रेणियां	रुपए के रूप में प्रतिशतता
लघु	15% (न्यूनतम)
मध्यम	35% (न्यूनतम)
बड़े	50% (अधिकतम)
भाषाएं	रुपए के रूप में प्रतिशतता
अंग्रेजी	30% (लगभग)
हिन्दी	35% (लगभग)
क्षेत्रीय और अन्य भाषाएं	35% (लगभग)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभिन्न विज्ञापनों की दरें सरकार द्वारा दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डीएवीपी विज्ञापनों के लिए दरों का ब्यौरा

सजिल्द साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक प्रकाशनों के लिए विदृप्रनि की दरें

		मानक अखबारी कागज		चमकीला अखबारी कागज	
		साप्ताहिक/पाक्षिक	मासिक	साप्ताहिक/पाक्षिक	मासिक
क्र.सं	प्रसार	रु. प्रति वर्ग से.मी.	रु. प्रति वर्ग से.मी.	रु. प्रति वर्ग से.मी.	रु. प्रति वर्ग से.मी.
1.	5000 तक	8.18	8.78	9.05	9.65
2.	5001 से 15000	11.43	12.03	12.66	13.26
3.	15001 से 25000	15.24	15.84	16.92	17.52
4.	25001 से 35000	19.18	19.78	21.31	21.91
5.	35001 से 45000	23.04	23.64	25.61	26.21
6.	45001 से 55000	26.67	27.27	29.67	30.27
7.	55001 से 65000	27.34	27.94	30.4	31.00
8.	65001 से 75000	31.45	32.05	34.99	33.59
9.	75001 से 85000	35.56	36.16	39.58	40.18
10.	85001 से 100000	41.73	42.33	46.45	47.05

दैनिक, बिना जिल्द के साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक प्रकाशनों के लिए विदृप्रनि की दरें

		दैनिक कुल दर	साप्ताहिक/पाक्षिक	मासिक
क्र.सं	प्रसार	रु. प्रति वर्ग से.मी.	रु. प्रति वर्ग से.मी.	रु. प्रति वर्ग से.मी.
1	2	3	4	5
1.	5000 तक	5.88	6.48	7.08
2.	5001 से 15000	8.38	8.98	9.58
3.	15001 से 25000	11.34	11.94	12.54
4.	25001 से 35000	14.39	14.99	15.59

1	2	3	4	5
5.	35001 से 45000	17.38	17.98	18.58
6.	45001 से 55000	20.19	20.79	21.39
7.	55001 से 65000	20.71	21.31	21.91
8.	65001 से 75000	23.9	24.5	25.1
9.	75001 से 85000	27.08	27.68	28.28
10.	85001 से 100000	31.86	32.46	33.06

[अनुवाद]

सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए स्टाफ क्वार्टर

***3162. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कार्मिकों के लिए कुछ स्टाफ क्वार्टर/कार्यालय इकाईयों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसके लिए पारदर्शी तरीके से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं; और

(घ) यदि हां तो कंपनियों के नाम क्या है जिन्हें उक्त कार्य सौंपा गया है और विलंब की स्थिति में लगाए जाने वाल शस्ति का ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में रिहाइशी और कार्यालय भवन की मंजूरी सरकार ने दे दी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए कार्यालय और रिहाइशी भवन से संबंधित निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को आवंटित किया गया है जो एक सरकारी संगठन है। जगदलपुर में कोबरा का निर्माण कार्य, शहारी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद सामान्य वित्तीय नियम 126(4) के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटिड (एनबीसीसी) को आवंटित किया गया हैं। एनबीसीसी, शहरी विकास मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सीआरपीएफ द्वार एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है जिसमें विल्म्ब होने पर दंड का प्रावधान है।

विवरण

1. ग्रुप संटर, सीआरपीएफ, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए स्टाफ क्वार्टर/कार्यालय भवन की मंजूरी का ब्यौरा निम्नवत है:

(राशि रुपए)

क्र.सं.	विवरण	मंजूर की गई राशि
1	2	3
1.	बाउंड्री वाल	5,33,20,000.00
2.	240 लोगों वाले 3 बैरक	20,73,86,000.00

1	2	3
3.	सामूहिक प्रशासनिक, क्वार्टर गार्ड और स्टोर ब्लॉक	9,85,62,000.00
4.	50 बिस्तर वाला कंपोजिट अस्पताल	12,19,86,810.00
5.	राजपत्रित अधिकारियों की मैस/स्यूट	4,76,08,000.00
6.	अधीनस्थ अधिकारियों की मैस/डॉरमेटरी	6,35,02,000.00
7.	स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के 317 क्वॉटर	33,99,07,000.00
8.	240 लोगों वाला एक बैरक	6,37,34,000.00
9.	बिन टाइप मैग्जीन	29,00,000.00
10.	कैंटीन सहित पुरुषों का क्लब	1,99,00,000.00
11.	परिवार कल्याण केन्द्र, ग्रेन गोदाम और प्राथमिक स्कूल	3,05,00,000.00
12.	अर्द्ध-स्थाई भवन 6 नग	98,00,000.00
13.	100 मीटर बैफल फायरिंग रेंज	1,39,00,000.00
14.	अस्थाई स्टोर शेड	22,00,000.00
15.	धोबी घाट	22,00,000.00

2. जगदल पुर में कोबरा के लिए सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए स्वीकृत स्टाफ क्वार्टर/कार्यालय भवन का ब्यौरा निम्नवत् है:

(राशि रुपए)

क्र.सं.	विवरण	मंजूर की गई राशि
1	2	3
1.	छः बैरक, विकास कार्यो के साथ अधिकारियों की मैस, अधीनस्थ अधिकारियों की डॉरमेटरी कुक हाउस, ऑफिस और कोट,	6,28,35,835.00
2.	विभिन्न प्रकार के 250 स्टाफ क्वॉटर	24,23,56,354.00
3.	240 लोगों वाले 3 बैरक और अधीनस्थ अधिकारियों की मैस/डॉरमेटरी	20,77,15,901.00
4.	240 लोगों वाले 3 बैरक और अधिनस्थ अधिकारियों की मैस/डॉरमेटरी	20,77,15,901.00
5.	विभिन्न प्रकार के 288 स्टॉफ क्वॉटर	27,31,90,203.00
6.	प्रशासनिक ब्लॉक	7,35,13,167.00
7.	अधिकारियों की मैस/स्यूट और 30 बिस्तर वाला अस्पताल	14,39,41,487.00
8.	2 क्वार्टर गार्ड, स्टोर ब्लॉक, बिन टाइप मैग्जीन	9,62,00,000.00

1	2	3
9.	प्राथमिक स्कूल, परिवार कल्याण केन्द्र और ग्रेन गोदाम	4,71,00,000.00
10.	दो एम टी गैराज	4,05,00,000.00
11.	6 डॉग केनल	26,00,000.00
12.	कैंटीन सहित पुरुष क्लब	2,86,00,000.00
13.	बाउंड्री वाल	4,33,00,000.00
14.	परेड ग्राउंड/फोर्टवाल/दर्शक दीर्घा	4,76,00,000.00
15.	बीओएसी का एक सैट	23,71,00,000.00

[हिन्दी]

आवास की लागत

3163. डॉ. संजय सिंह:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों में स्थित एस्टेट में वृद्धि के कारण आवास मध्य तथा निम्न वर्गों के लोगों की पहुंच से दूर हो जा रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने सूचित किया है कि एनएचबी रेजीडेक्स, जो कि 2007 को आधार वर्ष भारत में सभी शहरों में रिहायशी सूचकांक मुहैया कराने हेत राष्ट्रीय आवास बैंक का एक प्रयास है, ने सितम्बर, 2010 को समाप्त तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में एनएचबी रेजीडेक्स के अंतर्गत शामिल 15 शहरों में एक संयुक्त रूप दर्शाया गया है।

5 शहरों में रिहायशी आवास मूल्यों ने पूर्व तिमाही (अप्रैल-जून, 2010) की तुलना में इस तिमाही (जुलाई-सितम्बर, 2010) में बढ़ोत्तरी का रूख दर्शाया है। ये शहर चैन्नई (12%), जयपुर (9%), हैदराबाद (8%), पुणे (8%), बंगलुरु (2%) हैं। चैन्नई (12%) ने अधिकतम बढ़ोतरी दर्शायी है इसके बाद जयपुर (9%) और हैदराबाद (8%) आते हैं। 8 शहर ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व तिमाही की तुलना में मूल्यों में संशोधन दर्शाया है, जो कि सूरत (-21%), लखनऊ (-13%), भोपाल (-7%), फरीदाबाद (-4%), अहमदाबाद (-3%), कोच्ची (-3%), कोलकाता (-3%) और दिल्ली (-2%) हैं। सूरत (-21%) ने रिहायशी संपत्ति मूल्यों में अधिकतम मूल्य संशोधन दर्शाया है, इसके बाद लखनऊ (-13%) और भोपाल (-7%) आते हैं। पटना और मुम्बई ने मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया है।

सूचकांक में परिवर्तन का शहर-वार ब्यौरा संलग्न वितरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 का उद्देश्य देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है ताकि समाज के सभी वर्गों को किफायती दामों पर भूमि, आश्रय और सेवाएं सम्यक रूप से मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, "भूमि" और "कोलोनाईजेशन" राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये एनयूएचएचपी 2007 के तहत शुरू किए गए कार्यों का निष्पादन करें तथा मूल्यों को स्थिर करने और किफायती मूल्यों पर आवास मुहैया कराने हेतु अतिरिक्त आवासीय स्टाक सृजित करें।

तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहरी क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गो के लिए आवास निर्माण में सहायता कर रही है।

- सरकार द्वारा 2005 में शुरू किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन (बीएसयूपी) के तहत विनिर्दिष्ट 65 शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने का प्रावधान है। इन स्कीमों में निम्न आय समूह (एलआईजी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वाले आय वर्ग शामिल हैं।

- शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह को ऋण लेने हेतु समर्थ बनाने संबंधी उपायों के रूप में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है तथा उक्त स्कीम में मकान के निर्माण/अधिग्रहण हेतु वाणिज्यक बैंकों/आवासीय वित्त कंपनियों के जरिए उक्त परिवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे 1.00 लाख रु. तक के ऋण पर ब्याज भुगतान पर 5% सब्सिडी प्राप्त कर सकें। स्कीम का उद्देश्य 11वीं योजना अवधि के दौरान 3.10 लाख लाभार्थियों को शामिल करना है।

सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूस)/कम आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए एक मिलियन मकानों, जिसमें 25% मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो, का निर्माण करने हेतु 5000/-करोड़ रुपए के परिव्यय से भागीदारी में किफायती आवास की एक नई स्कीम शुरु की है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभिन्न एजेंसियों/सरकार/पैरा स्टेटलों/शहरी स्थानीय निकायों/विकासकों के बीच भागीदारी करना है।

विवरण

शहर-वार सूचकांक

शहर	2007 सूचकांक	जनवरी जून, 2008 सूचकांक	जुलाई-दिसंबर, 2008 सूचकांक	जनवरी-जून, 2009 सूचकांक	जुलाई-दिसंबर 2009 सूचकांक	जनवरी-जून, 2010 सूचकांक	अप्रैल-जून 2010 सूचकांक	जुलाई-सितंबर 2010 (पी) सूचकांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हैदराबाद	100	96	92	65	81	81	82	88
फरीदाबाद	100	100	121	139	145	154	152	146
पटना	100	103	100	107	119	127	124	124
अहमदाबाद	100	106	100	127	128	113	131	127
चेन्नई	100	104	95	120	143	164	183	204
जयपुर	100	119	115	71	63	66	61	66
लखनऊ	100	103	102	104	119	112	133	116
पूणे	100	101	97	103	117	124	135	145
सूरत	100	101	98	111	123	109	136	107
कोच्ची	100	106	95	90	83	79	83	80
भोपाल	100	139	151	139	162	158	153	142
कोलकाता	100	114	140	162	185	165	176	171
मुम्बई	100	112	117	124	126	134	160	160
बंगलुरु	100	73	76	58	59	64	68	70
दिल्ली	100	124	130	121	113	106	110	108

(पी) जुलाई-सितम्बर, 2010 की तिमाही हेतु अनन्तिम सूचकांक

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का भंडार

3164. श्री संजय धोत्रे:
श्री सुभाष बापूराव वानखेडे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फिलहाल खाद्यान्नों का कितना भंडार है:

(ख) क्या उक्त खाद्यान्न भंडार सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक मात्रा सहित देश में खाद्यान्नों की अपेक्षित आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए देश में खाद्यान्नों की अपेक्षित मांग को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का खाद्यान्नों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता और बढ़ती कीमतों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) दिनांक 1.3. 2011 की स्थिति के अनुसार पूल में खाद्यान्नों का 428.83 लाख टन स्टाफ था जिसमें 171.57 लाख टन गेहूं और 287.26 लाख टन चावल था। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक का वर्तमान स्तर आबंटनों के मौजूदा स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के ये आबंटन 10 और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित मध्याहन भोजना योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, कल्याण संस्थान, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के लिए इन स्कीमों के अधीन आकलित आवश्यकताओं के आधार पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता 488.62 लाख टन है।

सरकार ने 9.2.2007 और 1.4.2008 से क्रमश: गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा यह प्रतिबंध मित्र राष्ट्रों को मानवीय सहायता/राजनैतिक आधार पर किए जाने वाले निर्यात को छोड़कर अभी भी जारी है। गैर बासमती चावल और गेहूं के आयात भी शून्य शुल्क पर अनुमत है। यह काम घरेलू बाजार में गेहूं और गैर बासमती चावल के मूल्यों को स्थिर रखने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टाक बनाए रखने के लिए किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन के सामान्य आबंटन के अलावा सरकार ने खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए बाजार में अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय पूल से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 136.72 लाख टन खाद्यान्नों का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

3165. श्री जगदीश ठाकोर:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को इंगित करते हुए इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां एनएचएम का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ग) एनएचएम के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु स्वीकृत मानदंड क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबंधन तथा विपणन को कवर करते हुए एक आद्योपान्त प्रणाली की परिकल्पना की गई है। एनएचएम के तहत शामिल विभिन्न क्रियाकलापों की प्रमुख विशेषतायें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड नामक हिमालयी राज्यों को छोड़कर जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिये बागवानी मिशन में शामिल है, शेष सभी राज्य तथा 3 संघ शासित क्षेत्र, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी इस मिशन के तहत शामिल है।

(ग) एनएचएम के तहत कोष आबंटन के लिये अपनाये गये मानदण्ड में बागवानी फसलों के तहत मौजूदा क्षेत्र, मानव शक्ति के रूप में राज्य की क्षमता तथा संस्य जलवायुवीय दशाओं के आधार पर बागवानी फसलों के विकास की क्षमता तथा स्कीम के क्रियान्वयन में अवसंरचना एवं निष्पादन शामिल हैं।

(घ) विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एनएचएम के तहत कोष के आबंटन का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शामिल विभिन्न क्रियाकलापों की प्रमुख विशेषताएं

1. **रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण**-गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये नर्सरियों की स्थापना, सब्जी बीजों के लिये अवसंरचना, नये ऊतक संवर्द्धन एककों की स्थापना तथा मौजूदा ऊत्तक संवर्द्धन एककों की पुनर्स्थापना हेतु सहायता दी जाती है।

2. **क्षेत्र विस्तार-इसके तहत उत्पादन तथा उत्पादकता** में वृद्धि करने तथा बागवानी फसलों के तहत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने के लिये फलों, मसालों, फूलों, सुगन्धित पौधों तथा काजू व कोको की रोपण फसलों जैसी विभिन्न बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।

3. **पुराने तथा जीर्ण बगानों का पुनरूद्धार/पुनः रोपण**-इसके तहत जीर्ण रोपणों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, आदानों, छटाई तथा कलम की तकनीकी के उचित एवं समेकित मिश्रण के साथ नये स्टाक का रोपण आदि हेतु सहायता दी जाती है।

4. **जल स्रोतों का निर्माण**-इसके तहत, जिन्स/वैयक्तिगत टेंक का निर्माण, फार्म पौंडस/बागान फसलों की जीवन बचाव सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग के माध्यम से खुदाई कुएं के माध्यम से जल संसाधन ससर्जन के लिए सहयोग उपलब्ध कराया जाता है।

5. **संरक्षित खेती**-इसके तहत शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस, पलवार डालना, प्लास्टिक टनेल, पक्षी/ओलारोधी नेट जैसे क्रियाकलापों को बे-मौसमी सब्जियों तथा फूलों की खेती के लिये बढ़ावा दिया जाता है ताकि चरम जलवायु दशाओं व कीटों तथा रोगों से फसलों की सुरक्षा की जा सके।

6. **समेकित कीट प्रबंध तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन**-इसके तहत कीटनाशियों/कृमिनाशियों के संतुलित उपयोग के लिये आई पी एम तथा रासायनिक उर्वरकों तथा जैव उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिये आई एन एम को अपनाने हेतु सहायता दी जाती है।

7. **जैविक खेती**-इसके तहत जैविक खेती प्रणालियों को अपनाने के लिये सहायता दी जाती है।

8. **मधुमक्खी पालन के जरिये परागण में सहायता**-इसके तहत मूल स्टॉक के विकास एवं बहुलीकरण, मधुमक्खी के छत्तों तथा कालोनियों के वितरण तथा मधुमक्खी पालन के उपकरणों जैसे मधु निष्कर्षक तथा खाद्य ग्रेड कन्टेनर के लिये सहायता दी जाती है।

9. **अग्रणी प्रदर्शन के जरिये प्रौद्योगिकी का प्रचार**-इसके तहत फसल उत्पादन तथा संरक्षण के क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन तथा अपनाने हेतु किसानों के खेत पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिये सहायता दी जाती है।

10. **मानव संसाधन विकास**-इसके तहत किसानों, मालियों, उद्यमियों, क्षेत्र स्तर के कार्मियों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

11. **फसलोपरान्त प्रबंधन के लिये अवसंरचना का विकास**-इसके तहत फलोपरान्त प्रबंधन यथा-पैक हाउस शीतागार, पूर्व प्रशीतन यूनिट, परिपक्कता कक्ष, रेफ्रिजरेटर, गाड़ियों, प्राथमिक/सचल प्रसंस्करण यूनिटों-कम ऊर्जा शीत कक्ष तथा प्याज भण्डारण व्यवस्था आदि के लिये अवसंरचना के विकास हेतु ऋण से जुड़ी हुई बैंक-एन्डेड सब्सीडी दी जाती है।

12. **विपणन के लिये अवसंरचना का विकास**-इसके तहत मण्डियों, यथा-ग्रामीण मण्डियों, थोक मण्डियों, टर्मिनट मण्डियों तथा एकत्रण, छॅटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटों आदि के लिये प्रकार्यात्मक अवसंरचना के विकास हेतु ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी दी जाती है।

विवरण-II

विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान के दौरान एनएचएम के तहत कोष के आबंटन का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	2007-08 (भारत सरकार का शेयर)	2008-09 (भारत सरकार का शेयर)	2009-10 (भारत सरकार का शेयर)	2010-11 (भारत सरकार का शेयर)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	143.72	196.94	112.48	105.19
2.	बिहार	107.71	142.35	38.25	38.25
3.	छत्तीसगढ़	131.01	107.49	69.90	97.75
4.	गोवा	1.27	2.27	3.36	4.25
5.	गुजरात	69.17	85.00	63.00	62.90
6.	हरियाणा	91.3	179.29	85.48	68.85
7.	झारखण्ड	90.18	98.73	47.67	42.50
8.	कर्नाटक	129.80	209.45	112.20	112.20
9.	केरल	173.68	148.07	47.41	71.30
10.	मध्य प्रदेश	117.90	104.00	68.00	85.02
11.	महाराष्ट्र	222.67	241.78	209.39	127.50
12.	उड़ीसा	89.67	81.12	65.20	55.25
13.	पंजाब	68.53	78.02	38.53	42.50
14.	राजस्थान	75.75	121.81	59.79	59.50
15.	तमिलनाडु	222.27	153.76	102.00	110.50
16.	उत्तर प्रदेश	180.62	144.21	114.77	106.25
17.	पश्चिम बंगाल	31.14	47.65	36.27	44.10
18.	दिल्ली	-	-	2.87	-
19.	लक्षद्वीप	0.29	-	-	1.35
20.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	4.00
21.	पुडुचेरी	-	-	1.34	0.84
	कुल	1946.68	2142.42	1277.90	1240.00

विसरा परीक्षण

3166. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्घटनाओं/आपराधिक घटनाओं में मृत व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में शव परीक्षण में विसरा परीक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विसरा परीक्षण केन्द्रों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विसरा परीक्षण हेतु लंबित कुल मामलों की संख्या का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी लंबित मामलों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) विसरा परीक्षण की सुविधा कोलकाता, चण्डीगढ़, हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सी एफ एस एल) तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इत्यादि जैसी प्रमुख राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है।

(ग) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में लम्बित मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है-

प्रयोगशाला का नाम	लम्बित मामलों की संख्या	प्रदर्शों की संख्या
केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता	736	2900 (लगभग)
केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़	137	1400 (लगभग)
केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद	शून्य	शून्य
केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सी बी आई	05	19

राजस्थान सहित राज्यवार देश में ऐसे परीक्षण के लिए लम्बित मामलों की संख्या के बारे में केन्द्रीय स्तर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है/नहीं रखी जाती है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपराध के भार और आबादी के दबाव को पूरा करने के लिए विधि विज्ञान के अनुप्रयोग में क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं–

(1) भोपाल, पुणे तथा गुवाहाटी में नई उच्च तकनीक वाली केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(2) अरूणाचल प्रदेश, छतीसगढ़, गोवा, सिक्किम, उत्तराखण्ड तथा पुडुचेरी नामक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक अर्थात छ: क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (आर एफ सी एल) की स्थापना।

(3) भारत के विभिनन राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में बावन जिला चल विधि विज्ञान इकाइयों (डी एम एफ यू) की स्थापना।

इन सभी प्रयासों से विधि विज्ञान सेवाओं/सहायता में सुधार होगा, जो परीक्षण तंत्र को अपराध की रोकथाम करने तथा समय पर पता लगाने में तीव्र गति प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप समय दोष सिद्धि की दर में वृद्धि होगी जो अपराध कर्मों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगा।

[अनुवाद]

प्री-पेड सिम के लिए सत्यापन

3167. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर: क्या **गृह मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सेवा प्रदाताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जिन्होंने देश में बिना समुचित सत्यापन के प्री-पेड सिम जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क)

से (ग) सरकार ने प्रीपेड सिम कार्डो को जारी करने से पहले उपयुक्त सत्यापन करने के निरन्तर जोर दिया है। ऐसे प्रयासों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्यापारियों के साथ नियमित रुप से परामर्श किया जाता है। जब कभी इस प्रक्रिया में कमी पाई जाती है तब स्थानीय/राज्य पुलिस द्वारा मामले को दर्ज करने सहित कार्रवाई की जाती है। चूककर्ता कम्पनियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई के ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न लाइसेंस सर्विस एरिया में कार्यरत उन विभिन्न सेवा प्रदाताओं पर जनवरी, 2011 तक टर्म सेल द्वारा ऐसे ग्राहक आवेदन फार्मो के लिए 700 करोड़ रुपए (अनुमानित) का जुर्माना लगाया गया है, जो ग्राहक सत्यापन मार्गनिर्देशों के अनुरुप नहीं है।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए आवास

3168. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जोएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटकों के अंतर्गत आंग्ल-भारतीय समुदाय के पात्र सदस्यों को शहरों में छोटी कालोनियां बनाने के लिए आवास आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरों में कालोनियां गठित करने के लिए "प्रायोगिक परियोजना" के कार्यान्वयन हेतु आंग्ल-भारतीय समुदाय और राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या प्रायोगिक परियोजना के रुप में कोलकाता, हैदराबाद, मुबई, बैंगलौर, चेन्नई, कोचीन और कालीकट सहित विभिन्न शहरों में आवासीय कालोनियां स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते यह संबंधित राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) एवं एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटकों के तहत आंग्ल-भारतीय समुदाय के पात्र सदस्यों सहित शहरी गरीबों को आवास आबंटित करें।

(ग) और (घ) माननीय सांसद श्री चार्ल्स डिएस जो आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, के अनुरोध पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वह आंग्ल-भारतीय समुदाय से संबंध रखने वाले शहरी गरीबों/स्लम वासियों को भूमि मुहैया कराने के प्रावधान पर विचार करें और जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी/आईएचएसडीपी के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। शहरों में कालोनियां गठित करने के लिए "प्रायोगिक परियोजना" के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) राज्य/राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न शहरों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आवासीय कालोनियों की योजना बनाना एवं उन्हें स्थापित करना संबंधित राज्य सरकारों के ऊपर है।

[हिन्दी]

शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु सहायता

3169. डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री ई. जी. सुगावनम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता पाने के लिए प्रयास कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक देश के विभिन्न शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता की सुचारू संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के अंतर्गत चिन्हित शहरों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश के अन्य शहरों में इस परियोजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि

3170. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप मांझी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ) की महत्वपूर्ण विशेषताओं और संरचना तथा इसके गठन से आज की तिथि तक सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त निधियों का संगठन-वार और व्यक्ति-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएसडीएफ को दिए गए अंशदान पर आयकर से छूट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ङ) उप खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त योजना के दौरान एंथेस ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियन खेल 2010 से पूर्व प्रशिक्षण सह प्रतियोगी कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अग्रिम सहायता दी गई/स्वीकृत की गई;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत निधियों को स्वीकृत करने हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(छ) एनएसडीएफ के लिए सरकार द्वारा अन्य संसाधन/निधियों के सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केंद्रीय सरकार ने 1998 में चैरिटेबुक इन्डॉमेंट अधिनियम 1890 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विकास निधि एनडीएफ की स्थापना की थी। प्रारंभ में सरकार ने 1998-99 के दौरान दो करोड़ रुपये का अंशदान दिया। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अशंदान के बराबर सरकार अंशदान करती है।

इस निधि के उद्देश्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आम तौर पर खेलों और खासकर विशिष्ट खेल विधाओं का संवर्धन, खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करना, कोच और खेल विशेषज्ञ, खेल अवसंरचना का निर्माण और रख-रखाव खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन की दृष्टि से सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों को उपकरणों की आपूर्ति, खेलों में अनुसंधान को हाथ में लेना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

इस निधि का प्रबंधन एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं तथा ख्याति प्राप्त खिलाड़ी और कारपोरेट क्षेत्र आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा मंत्रालय के अधिकारीगण इसके सदस्य होते हैं। इस निधि के दैनिक कार्यकलाप का प्रबंधन 10 सदस्यीय कार्य समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष सचिव, खेल विभाग होते हैं। वर्तमान में इस निधि का आकार 67 करोड़ रुपये हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एनएसडीएफ को दिये गए अंशदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अनुच्छेद (क) की उपधारा (2) (iii) एचजी के अंतर्गत कर से 100% छूट प्राप्त है।

(ङ) जिन खिलाड़ियों को एथेंस ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल, 2010 से पहले प्रशिक्षण व प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की गई उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) एनएसडीएफ से निधि स्वीकृत करने का कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है। वित्तीय सहायता मांगने वाले खिलाड़ियों और संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा मंजूर किया जाता है बशर्ते कि वे निधि के उद्देश्यों के दायरे में आते हैं।

(छ) मंत्रालय द्वारा कारपोरेट क्षेत्र तथा अन्यों से इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), कंफडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई), एसोशिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया (एसोचेम), आदि जैसे व्यावसायिक संघों के माध्यम से नियमित आधार पर निधियां जुटाने का प्रयास किया जाता है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान अन्य स्रोतों से योगदान

वर्ष	स्रोत का नाम जहां से निधि आई हैं (प्रदाता का नाम)	राशि (रुपये में)
1	2	3
2007-08	भारतीय स्टील प्राधिकरण	1,00,00,000.00
	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)	15,00,00,000.00

1	2	3
2008-09	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)	35,00,00,000,00
2009-10	राय फाउन्डेशन	10,00,00,000,00
	मध्य प्रदेश सरकार	1,00,00,000,00
	हरियाणा सरकार	1,00,00,000,00
2010-11*		
	कुल	53,10,00,000,00

*महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है जो अभी प्राप्त होनी है

पछिले सरकार ने 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है जो अभी प्राप्त होनी है

वर्ष	भारत सरकार का योगदान (रुपये में)
2007-08	5,00,00,000.00
2008-09	10,25,00,000.00
2009-10	8,62,00,000.00
2010-11	20,00,00,000.00
कुल	43,87,00,000.00

विवरण-II

खिलाड़ियों को एनएसडीएफ सहायता

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	सहायता की अवधि	राशि (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	अनिल कुमार	एथलीट	2002-04 और 2009-10	1,978,771.00
2.	सुश्री अंजु बाबी जार्ज	एथलीट	2003-04 और 2005-06	1,562,659.00
3.	सुश्री बाबी एलियास	एथलीट	2002-05	3,411,602.00
4.	अनूप श्रीधर	बैडमिंटन	2008-10	590,003.00
5.	परिमार्जन नेगी	शतरंज	2006-11	5,434,502.00
6.	तानिया सचदेव	शतरंज	2008-10	1,137,468.00
7.	अभिनव बिंद्रा	निशानेबाजी	2001-11	23,752,192.00

1	2	3	4	5
8.	अंजली भागवत	निशानेबाजी	2008-09	1,094,749.00
9.	अनवर सुल्तान	निशानेबाजी	2004-09	2,053,397.00
10.	अवनीत कौर	निशानेबाजी	2008-09	1,187,564.00
11.	गगन नारंग	निशानेबाजी	2004-06 और 2008-09	1,961,323.00
12.	ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर	निशानेबाजी	2003-06 और 2007-08	12,394,629.00
13.	मानवजीत सिंह संधू	निशानेबाजी	2004-11	20,343,499.00
14.	मनशेर सिंह	निशानेबाजी	2004-11	16,160,154.00
15.	मुराद अली खान	निशानेबाजी	2005-06	900,000.00
16.	रंजन सोढी	निशानेबाजी	2006-11	17,412,947.00
17.	संजीव राजपूत	निशानेबाजी	2008-09	1,178,798.00
18.	सुश्री सुमा शिरोर	निशानेबाजी	2004-05 और 2007-09	1,149,364.00
19.	रमरेश जंग	निशानेबाजी	2008-09	1,671,770.00
20.	विक्रम भटनागर	निशानेबाजी	2007-09	987,156.00
21.	जोरावर सिंह संधू	निशानेबाजी	2007-09	995,818.00
22.	नरेश कुमार शर्मा	निशानेबाजी (पैरालंपिक्स)	2008-10	4,449,393.00
23.	संदीप सेजवाल	तैराकी	2008-09	344,045.00
24.	वीरधवल खाडे	तैराकी	2007-09	1,351,246.00
25.	शिव केशवन केपी	ल्यूज (शीतकालीन खेल)	2009-10	1,624,008.00
26.	जमयंग नमगियाल	अल्पाइन स्कीइंग	2009-10	869,322.00
27.	ताशी लुनडुप	क्रास कंट्री स्कीइंग	2009-10	756,805.00
28.	सोमदेव वर्मन	टेनिस	2010-11	619,005.00
29.	लेंडर पेस	टेनिस	2007-08	2,208,675.00
30.	अखिल भारतीय टेनिस संघ (3 टेनिस खिलाड़ी सहित)		2008-09	1,492,400.00

1	2	3	4	5
31.	भारतीय जूडो परिसंघ (2 खिलाड़ी सहित)		2008-09	458,434.00
32.	भारतीय नौकायन परिसंघ (3 खिलाड़ी सहित)		2008-09	1,353,182.00
33.	भारतीय मुक्केबाजी परिसंघ (9 टेनिस खिलाड़ी सहित)	2008-09	1,164,158.00	
33.	भारतीय कुश्ती परिसंघ (11 खिलाड़ी सहित)	2008-09	291,133.00	
	कुल			134,340,171.00

टिप्पणी: क्र. सं. 29 और 33 के लिए वास्तविक भुगतान वर्ष 2010-11 के दौरान किया गया है।

[हिन्दी]

पशुपालन और डेयरी योजनाएं

3171. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पशुपालन और डेयरी के विकास हेतु कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा जारी कुल निधियों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/अन्य संस्थानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या देश में पशुओं की संख्या में कमी हो रही है; और

(छ) यदि हां, इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पशुपालन और डेयरी विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न वितरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष में शुरू की गई/कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) से (छ) आईसीआर ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। विकसित हो गई कुछ प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं अर्थात्

उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुक्कुट की उन्नत नस्लों (लेयर, बायलर, ग्रामीण कुक्कुट) सहित गोपशु, भैंस, भेड़ बकरी और सूअर का उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म; पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध सम्पूर्ण आहार ब्लाक प्रौद्योगिकी; पुनरउत्पादक प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण; जुगाली करने वाले बाड़े एवं छोटे पशुओं की गर्भधारण दर को बढ़ाने के लिए क्रिस्टोस्कोप; दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए बाईपास पोषक प्रौद्योगिकी; आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन और कुक्कुट के प्रमुख रोगों के लिए टीकाकरण एवं निदान प्रणाली; मूल्यबर्द्धन बढ़िया दूधा एवं मांस उत्पाद तथा दूध के उत्कृष्ट मानक सुनिश्चित करने के लिए दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए परीक्षण किटें; अल्प कोलोस्ट्रोल घी, गरीबी उपशमन को मददगार घरेलू कुक्कुट पालन सहायता व्यवसाय के तौर पर बटेर (क्वेल) प्रजनन और सुअर पालन के लिए अल्प लागत प्रौद्योगिक जिसे अभीष्ट प्रयोक्ताओं को अंतरित कर दिया गया है।

आईसीएआर के अतिरिक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधीन केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन के केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म भी राज्यों में वितरण के लिए स्वदेशी नस्ल के उत्कृष्ट सांड बछड़े गोपशु की वर्णसंकर और विदेशी नस्लें और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें उत्पादित कर रहे हैं।

विवरण-I

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का संक्षिप्त सार

पशुपालन

1. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना-भारत सरकार 5 वर्ष के दो चरणों में "राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजन्न परियोजना" (एनपीसीबीबी) की केंन्द्रीय प्रायोजित योजना अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वित कर रही है। एन पी सी बी बी में बोवाईनों का प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन की व्यवस्था है। परियोजना में स्वदेशी नस्लों के विकास तथा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम-इस योजना के आठ घटक हैं जिनमें से 5 घटक चालू वर्ष से कार्यान्वित हैं। नए घटकों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। विगत तीन वर्षों में कार्यान्वित किए गए 3 घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(क) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)-इस घटक के तहत, राज्य/संघ शासित सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों का प्रतिरक्षण के जरिए नियंत्रित करने, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कार्यक्रम में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, से विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप पर सूचना एकत्र करने और इसे पूरे देश के संबंध में संकलित करने की व्यवस्था है।

(ख) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)-पशुप्लेग फटे हुए खुरों वाले पशुओं का अत्यधिक संक्रामक वायरल (मोर, बिल्ली वायरस संक्रमण) रोग है जो गोजातीय पशुओं के साथ-साथ छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में अत्यधिक मृत्यु का कारण बनता है। मौजूदा राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना को 100% केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य देश को पशुप्लेग और सीबीपीपी संक्रमण से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना है जो क्रमशः मई, 2006 और मई 2007 में हासिल की गई थी।

(ग) व्यावसायिक दक्षता का विकास (पीईडी)-इस योजना का उद्देश्य पशुचिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करना तथा पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों को रजिस्टर रखना है। इस कार्यक्रम में केंद्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद तथा उन राज्यों में राज्य पशुचिकित्सा परिषद स्थापित करने की व्यवस्था है जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 अपना लिया है। इस समय इसे जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)-आर्थिक दुष्प्रभाव की दृष्टि से खुरपका और मुहपका रोग एक प्रमुख पशु रोग है। योजना के प्रारंभ में, इसे खुरपका और मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण से जिसमें टीके का खर्च और सहायक खर्चे शामिल हैं, देश के 54 विनिर्दिष्ट जिलों जिनमें 8 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश (आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा उत्तर प्रदेश के 16 जिले) शामिल हैं, में कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोग के प्रकोप में कमी होने की दृष्टि से वांछित परिणाम दर्शाए हैं। क्रियान्वित की जा रही है।

3. कुक्कुट विकास-इस योजना के तीन घटक हैं, नाम: 'राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता', 'ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास', और 'कुक्कुट सपंदा'।

(क) राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता-उपर्युक्त योजना का यह घटक वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मौजूदा राज्य कुक्कुट फार्मों को सुदृढ़ करना है ताकि वे ग्रामीण घरेलू कुक्कुट पालन के लिए उपर्युक्त उन्नत स्टाक को उपलब्ध कराने के संदर्भ में आदान उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें। आहार मिल, गुणवत्ता मॉनिटरिंग और इन-हाऊस रोग नैदानिक सुविधाओं के लिए प्रावधान के साथ पक्षियों के हैचिंग, ब्रूडिंग और पालन की दृष्टि से फार्मों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करने के लिए अधिकतम 85 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, जहां पर 100% वित्तीय सहायता दी जाती है इस योजना को केंद्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में प्रचालित किया जाता है।

(ख) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास-यह घटक वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास घटक में गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को कवर करना परिकल्पित है जिससे कि उन्हें अनुपूरक आय और पौषणिक सहायता मिल सके।

(ग) कुक्कुट संपदा-"कुक्कुट संपदा" के अन्वेषणात्मक पायलट घटक के माध्यम से उद्यमी दक्षता को सुधारा जाना है जिसमें इस स्तर पर दो संपदाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। यह मुख्यत: कुछ मार्जिन धन वाले शिक्षित, बेरोजगार युवाओं और छोटे किसानों के लिए हैं ताकि, वे विभिन्न कुक्कुट संबंधी गतिविधियों से वैज्ञानिक और जैव सुरक्षा दृष्टिकोण तरीके से लाभकारी उद्यम बना सके।

4. पशुधन बीमा-पशुधन बीमा योजना मृत्यु के कारण किसानों और पशुपालकों को पशुओं की किसी प्रकार की संभावित हानि के लिए उन्हें संरक्षण तंत्र उपलब्ध कराने और लोगों को पशुधन बीमा के लाभ मुहैया कराने के दोहरे उद्देश्य से सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार ने इस योजना को 2005-06 में 100 चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया था। इस योजना में 10.12.2009 से 300 चुनिंदा जिलों को शामिल किया गया था।

यह योजना उन किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाती है जिनके पास स्वदेशी और वर्ण संकरित दुधारू गोपशु और भैंस हैं। इस योजना के तहत धनराशि का इस्तेमाल प्रीमियम राजसहायता के भुगतान, पशुचिकित्सा प्रेक्टिशनरों को मानदेय और जागरूकता सृजन के लिए प्रचार अभियान के लिए किया जाता है। बीमा के प्रीमियम का 50% लाभार्थी द्वारा दिया जाता है और शेष भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

5. केंद्रीय प्रायोजित आहार एवं चारा विकास योजना-यह योजना राज्यों को आहार एवं चारा विकास क्षेत्र में उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में पहले चार घटक नामत:-चारा ब्लाक बनाने वाले एककों की स्थापना, घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास, चारा बीज उत्पादन एवं वितरण तथा बायो प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं, मौजूदा थे।

इसे कुछ संशोधनों के साथ उपर्युक्त घटकों में से पहले तीन घटकों को रखते हुए और 6 नए घटकों को शामिल करते हुए 1.4. 2010 से संशोधित किया गया था। ये घटक हैं-आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, हाथ से चलाए जाने वाले और बिजली से चलाए जाने वाले शैफ कटर को लागू करना, सिलेज अजोला कटाई यूनिट प्रदशर्न एवं उत्पादन यूनिटों की स्थापना, बाई पास प्रोटीन उत्पादन यूनिटों की स्थापना और क्षेत्र विशिष्ट मिनरल मिश्रण/आहार पैलेटिंग/आहार निर्माण यूनिट की स्थापना।

6. संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण-दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई इस केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य गोपशु एवं भैंस को छोड़कर पशुधन की संकटाधीन नस्लों की जिनकी संख्या 10,000 से कम है और स्वदेशी कुक्कुट जिनकी संख्या 1000 से कम है, को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। गोपशु और भैंस को छोड़कर संकटाधीन पशुधन की केंद्रीय प्रजनन इकाईयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करना है।

7. ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण-केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के माध्यम से तीन राज्यों अर्थात् आंध्र, प्रदेश, उत्तर प्रदेश. और मेघालय में किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं-पशुधन वध की नई प्रणाली स्थापित करना; बूचड़खानों की स्थापना करना जिनका संचालन उद्यमियों द्वारा 50,000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में किया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकों के मूल्य-वर्धन को प्रोत्साहित करना ताकि पशुधन स्वामी उपोत्पादों के उपयुक्त इस्तेमाल के साथ बेहतर आय प्राप्त कर सकें; कोल्ड चेन का नेटवर्क स्थापित करके तथा वाणिज्यिक आधार पर वितरण करके बूचड़खानों से उपभोक्ता की मेज तक मीट उत्पादन में साफ-सफाई का सुनिश्चय करना; और चोरी-छिपे वध को कम-से-कम करना और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराना।

8. पशु स्वास्थ्य निदेशालय

(क) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं-इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके तथा पशुधन एवं पशुधन से संबंद्ध उत्पादों, जिसका निर्यात भारत से किया जाता है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्यात प्रमाणीकरण प्रदान करके भारत में पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकना है। देश में छ: पशु संगरोध केन्द्र हैं जिनमें से नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र अपने परिसरों में सुचारू रूप से कार्यरत हैं जिसमें एक छोटी प्रयोगशाला शामिल है। हैदराबाद और बंगलौर स्थित अन्य दो पशुसंगरोध केन्द्र एयरपोर्ट कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं जहां से कुक्कुट, पालतू पशुओं, प्रयोगशाला पशुओं के मूल स्टॉक और पशुधन का आयात पहले ही शुरू हो गया है।

ख. राष्ट्री पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र, बागपत-बागपत, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया गया है ताकि टीकों और जैविकों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

(ग) केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाए-राज्यों में मौजूदा 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के जरिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित हो गई हैं। केंद्रीय प्रयोगशाला क्षेत्रीय प्रयोगशाला के तकनीकी निष्पादन को समन्वित करती है।

9. एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम-देश में एवियन इंफ्लूएंजा की रोकथाम के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण एवं रोकथाम की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए विश्व बैंक से बात की थी। यह परियोजना अप्रैल, 2007 से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए थी जिसकी अवधि अब मार्च, 2012 तक बढ़ा दी गई है।

10. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

(क) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म की स्थापना की गई है और यह गोपशु/भैंस विकास परियोजनाओं के प्रजनक सांडों की कमी को पूरा कर रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए महत्वपूर्ण गोपशु तथा भैंस में दुग्ध उत्पादन में सुधार लाने के लिए निरंतर आनुवंशिक उन्नयन, गोपशु तथा भैंस प्रजनन कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए उत्कृष्ट/उच्च नस्ल के साडों का उत्पादन और वितरण, स्वदेशी जर्मप्लाजम का संरक्षण और विशिष्ट प्रजनन ट्रैक्स के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट जर्मप्लाजम का उत्पादन करना है।

(ख) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा (सीएफएसपीटी आई)-हैस्सरघट्टा, कर्नाटक में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान (एआई) में उपयोग के लिए स्वदेशी, विदेशी वर्ण संकर नस्ल तथा मुर्राह भैंसों की हिमित वीर्य खुराकों का उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है और देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है।

(ग) केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)-केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा यह अच्छी नस्ल की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के लिए अपेक्षित स्वदेशी जर्मप्लाज्म को जुटाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विकास कार्यक्रम में उपयोग के लिए यह योजना अच्छी किस्म की डेयरी गायों और भैंसों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों और उनकी संतति की खरीद में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों, निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों को सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

11. पशुधन संगणना-1919-1920 के दौरान पहली पशुधन संगणना आयोजित की गई थी और तब से भारत के सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पांच वर्ष में एक बार इसे आयोजित किया जा रहा है। 15.10.2007 को संदर्भ तारीख मानते हुए 18वीं पशुधन संगणना आयोजित की गई। यह संगणना 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर आयोजित की जाती है। पशुधन संगणन एकमात्र ऐसा संसाधन है जो सभी प्रकार के पशुधन और कुक्कुट, पशुचालित कृषिकीय यंत्र एवं मशीनरी और मात्स्यिकी संबंधी सांख्यिकी से संबंधित ब्यौरेवार सूचना प्रदान करती है।

12. एकीकृत नमूना सर्वेक्षण-पशुधन सांख्यिकी विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। प्रमुख पशुधन उत्पादों का आकलन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण इस क्षेत्र में एक प्रमुख स्रोत है। सर्वेक्षण देश में साल भर चलता है।

13. केन्द्रीय चारा विकास संगठन-केन्द्रीय चारा विकास संगठन में शामिल हैं (क) क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र (ख) केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म (ग) केन्द्रीय मिनिकिट प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(क) क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र-जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), गांधी नगर (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र स्थापित है।

(ख) केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा (बंगलौर) में शामिल है-ये संस्थान फार्म के साथ कृषकों के खेत में भी चारा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों और फसल पैकेजों के प्रदर्शन के साथ-साथ कृषकों को प्रशिक्षित किए जाते हैं। इनके द्वारा ब्रीडर, फाउंडेशन विभिन्न चारा फसलों, घास और लेग्यूम्स की उच्च उत्पादकता वाले किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जाता है और कृषकों के बीच वितरित किए जाने के लिए राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र में अधिकतम बीज उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम-मिनीकिट योजना का उद्देश्य हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारा संबंधी फसलों की अधिक उपज देने वाली नवीनतम किस्मों तथा उन्नत कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों के बारे में क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए किसानों को शिक्षित करना है। इस योजना के तहत किसानों में मुफ्त बांटे जाने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय फार्म, हैस्सरघट्टा, दुग्ध संघों अथवा अन्य सरकारी चारा बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा उत्पादित उच्च पैदावार वाली चारा फसलों/घासों/लैग्यूमों के बीजों को राज्यों को आवंटित किए जाते हैं।

14. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (सीपीडीओ)-चंडीगढ़ भुवनेश्वर, मुंबई और हैस्सरघट्टा स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन कुक्कुट के संबंध में सरकार की नीतियों में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों के दायित्व को विशेष रूप से पुन: उन्मुख बनाया गया है ताकि उन्नत स्वदेशी पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो औसतन प्रतिवर्ष 180-200 अंडे देते है और आहार उपभोग तथा भार लाभ के संदर्भ में इन्होंने तेजी से आहर परिवर्तन अनुपात में सुधार किया है। इन केंद्रीय विकास संगठनों में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि उनकी तकनीकी क्षमता का उन्नयत किया जा सके।

15. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)-फार्म की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी जिसका उद्देश्य मैकेनिकल भेड़ पालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए और विभिन्न राज्य भेड़ पालन फार्मों को वितरित करने के लिए अनुकूल विदेशी भेड़ों का उत्पादन करना है। समय के साथ और विशेषज्ञों को सिफारिशों से, वर्ण संकरित भेड़ों (नली ज्र, रामब्यूलेट और सोनड ज्र कोरिडेल) के साथ-साथ बीतल बकरी का उत्पादन करने के लिए फार्म के प्रजनन कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

16. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का विकास-केंद्रीय क्षेत्र को इस योजना को 134.83 करोड़ रुपए के परिव्यय से 11वीं योजना में 2009-10 से आरंभ करते हुए तीन वर्षों के लिए अप्रैल, 2009 में अनुमोदित किया गया था। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से तथा अवसंरचना विकास और संस्थागत पुन: संरचना के माध्यम से उद्यम पूंजी के साथ 54 सघन जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के विकास की बस्तियां स्थापित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से भेड़/बकरी के अलग-अलग फार्म स्थापित करने का प्रावधान है इस योजना में महिला लाभार्थियों, गरीब एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है।

17. कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष-इस योजना को पूर्ववर्ती "डयेरी/कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष" से 2009-10 में अलग किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कुक्कुट गतिविधियों में उद्यमशील दक्षता को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत विभिन्न कुक्कुट गतिविधियों जैसे निम्न इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों के साथ प्रजनन फार्म की स्थापना तथा (बत्तख/टर्की/गुनिया फाउल/जापानी बटेर/तीतर आदि के लिए भी) आहार भंडार, आहार मिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं, कुक्कुट उत्पादों के विपणन (विशिष्ट परिवहन वाहनों, शीत कक्ष भंडारण सुविधाएं और पक्षियों आदि के लिए अवरोधन शेड) अंडों के श्रेणीकरण, निर्यात क्षमता के लिए पैकिंग व भंडारण आदि के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जा रहे हैं।

2. डेयरी विकास

18. डेयरी विकास परियोजनाएं

संघन डेयरी विकास कार्यक्रम-सघन डेयरी योजना को पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्रों तथा उन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रलापों के लिए 50.00 लाख रुपये से कम धनराशि मिली थी। जो धनराशि क्रियान्वित एजेंसी अर्थात् राज्य डेयरी परिसंघ/जिला, दुग्ध संघ को जारी की जाती है वे मुख्यत: 100% अनुदान सहायता होती है सिवाय भूमि की लागत, जल और विद्युत का प्रावधान, परियोजना का वेतन आदि जैसी कुछ मदों को छोड़कर। घटकों में शामिल हैं गोपशु को शामिल करना, डेयरी सहकारिता समितियों का सृजन, किसानों का प्रशिक्षण, तकनीकी आदान सेवाओं का प्रावधान, अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं आदि का सृजन।

गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना-दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने के कारण दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण तथा प्रसंस्करण में विद्यमान गुणवत्ता मानकों में सुधार की आवश्यकता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में संबंधित ज्ञान में कमी और ग्रामों में परवर्ती दुग्ध प्रशीतित सुविधाओं में कमी होने के कारण दुग्ध की माइक्रोबायलोजिकल गुणवत्ता घटिया है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के डेयरी उत्पादों का उत्पादन आवश्यक हो गया है।

19. डेयरी उद्यम पूंजीगत निधि-असंगठित क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन करने के लिए दुग्ध ग्रामीण स्तरीय प्रसंस्करण, लागत प्रभावी तरीके से पाश्च्यूरीकृत दूध की बाजार गुणवत्ता संवर्द्धन और आधुनिक उपकरण तथा प्रवर्धन कुशलता का उपयोग करके वाणिज्यिक स्केल का रखरखाव करने के लिए परम्परागत प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन एक

केंन्द्रीय प्रायोजित योजना यथा 2004-05 में आरंभ की गई पूर्ववर्ती "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत योजना" के कुक्कुट घटक को अलग करने के बाद 250.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्यम पूंजीगत निधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बैंकयोग्य परियोजनाओं के माध्यम से योजनागत प्रस्ताव के तहत ग्रामीण/शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में खेतिहर किसान, प्रत्येक उद्यमी, देश के विभिन्न हिस्सों के सहकारिता तथा गैर-सहकारी संगठनों सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी वर्गों के समूहों को शामिल किया गया है। इस योजना का संशोधित किया गया है और 1 सितंबर। 2010 से इसका नाम बदलकर "डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना" कर दिया गया है।

20. सहकारिता को सहायता-देश के विभिन्न भागों में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत त्रिपक्षीय ढांचे अर्थात् ग्राम स्तर प्राथमिक सहकारिताए, जिला स्तरीय संघ और राज्य स्तरीय परिसंघ के साथ अनेक डेयरी सहकारिताएं स्थापित की गई हैं। अनेक कारणों से इन संघों/परिसंघों को हानि हुई है। ये हानि दुग्ध उत्पादकों और उनकी अर्थव्यवस्था को कई तरह से कठिनाइयां पैदा कर रही हैं जिसके फलस्वरूप दूसरी बातों के अलावा, इन सहकारिताओं के किसान सदस्यों को विलबित और अनियमित भुगतान होता है। इस योजना में रुग्ण सहकारिता दुग्ध संघों/परिसंघों की सहायता करने और उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था है।

21. दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस)-दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना 1959 में की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर पौष्टिक दूध की सप्लाई करना तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। घी, टेबल बटर, योगर्ट, पनीर, छाछ और फ्लेवर्ड दूध जैसे दुग्ध उत्पादों के निर्माण और बिक्री के कार्य को भी सहायक गतिविधि के रूप में शुरू किया गया है। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रारंभिक स्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण/पैकिंग करने की थी। तथापि शहर में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता को 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर पर चरणों में विस्तारित किया गया है।

22. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज-आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के कई जिलों में आर्थिक कठिनाई के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या की कई घटनाए। देखी गई हैं। पहचान किए गए ऐसे जिलों की संख्या 31 (आंध्र प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 6 कर्नाटक में 6 तथा केरल में 3) है। इन जिलों में किसानों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के लिए यह विभाग बजटीय समर्थन और ऋण घटक के साथ ने वर्ष 2006-07 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल राज्यों में पशुधन क्षेत्र तथा मात्स्यिकी के लिए विशेष पैकेज क्रियान्वित कर रहा है प्रारंभ में इस पैकेज को तीन वर्ष के लिए शुरू किया गया था किन्तु पैकेज के गैर ऋण घटक के क्रियान्वयन की अवधि को 30.9.2011 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण-II

पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए चालू वर्ष में क्रियान्वित की गई नई योजनाओं का विवरण

1. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण-चालू वर्ष में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित चार नए घटकों को शामिल किया गया है।

(क) मौजूदा पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-देश में मात्र 8,732 पशु चिकित्सालय/पॉलीक्लीनिक और 18,830 औषधालय हैं। संख्या में काफी कम होने के अलावा इन संस्थाओं में भवन और उपकरण जैसी बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं की कमी है। नए पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने तथा मौजूदा अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ़/सुसज्जित करने में राज्यों की मदद करने के लिए विभाग 75:25 (केन्द्र:राज्य) की हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि मुहैय्या करा रहा है। इसमें अब पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं है जहां 90:10 के आधार पर अनुदान मुहैय्या कराया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीबी)-ब्रूसेलोसिस जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जेनेटिक रोग हैं, देश के अधिकाश भागों में महामारी का रूप ले चुका है। यह पशुओं में गर्भपात और बांझपन का कारण बनती है। गर्भपात को रोकने से नई बछड़ियां पैदा होंगी जिससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इस तरह दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा। लगभग मात्र 20 रुपए प्रति बछिया की लागत वाला एक बारगी टीका पूरे जीवन काल के लिए प्रतिरक्षण प्रदान करता है। यह नया घटक वर्ष 2010 में शुरू किया गया है और राज्य/संघ शासित प्रदेशों को उन इलाकों में जहां इस रोग का प्रकोप अधिक है बड़े पैमाने पर टीके लगाने की व्यवस्था के लिए, 100% केन्द्रीय सहायता मुहैय्या कराई जाती है।

(ग) राष्ट्रीय पेस्ट-डेस पेटिट्स रूमिनेंटस (एनसीपी पीपीआर)-पेस्ट-डेज-पेट्टिस रूमिनेंटस (पीपीआर) एक वायरल

रोग है जिसमें तेज बुखार, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल मार्ग में जलन जिसकी वजह से श्लेष्म झिल्ली को नुकसान पहुंचता है और उसमें अल्सर हो जाता है, तथा अतिसार के लक्षण दिखाई देते हैं। पीपीआर संक्रमण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भेड़ और बकरियों में रूग्णता और मृत्यु दोनों रूपों में भारी नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2010 में 100% केन्द्रीय सहायता के आधार पर पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें पशुओं का गहन टीकाकरण शामिल है, शुरू किया गया है। कार्यक्रम में सभी संवेदी बकरियों और भेड़ों और उनकी तीन अनुवर्ती पीढ़ियों का टीकाकरण शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस)-इस घटक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान रोग सूचना प्रणाली जो डाक द्वारा सूचना भेजने पर निर्भर है और जिसमें बहुत विलम्ब हो जाता है, के स्थान पर पशु रोग सूचना की कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करना है जिसमें प्रत्येक ब्लॉक, जिले और राज्य मुख्यालयों को केन्द्रीय रोग सूचना एवं अनुवीक्षण एकक, नई दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस पहल के कारण रोग के प्रकोप को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम के लिए समय पर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा जिससे पशुधन मालिकों और देश को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है।

(ङ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)-अन्य क्षेत्रों की तुलना में, क्रियान्वित किए गए राज्यों में रोग के प्रकोप में हुई कमी को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अगस्त, 2010 से इसे और 167 जिलों में विस्तारित कर दिया जाए। इस प्रकार इस कार्यक्रम के तहत आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी राज्य/संघ शासित प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के 16 जिले शामिल हैं।

2. सूअर विकास

सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के समर्थन में इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में गुणवत्ता वाले सुअर के गोश्त का उत्पादन करने और सुगठित सूअर के गोश्त का विपणन करने के लिए स्टालों में पाले गये सूअरों की पालना द्वारा विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में किसानों/भूमिहीन श्रमिकों/सहकारिताओं, जनजातियों का सहायता देना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और अवसंरचना स्थापित करके सुअरों के व्यापारिक पालन को प्रोत्साहित करना।
- उन्नत जर्मप्लाज्म का उत्पादन और आपूर्ति।
- वैज्ञानिक प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए साझेदारी (स्टॉकहोल्डरों) को संगठित करना।
- मीट उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना।
- अच्छी आय के लिए मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

3. मृत पशुओं के उपयोगिता-मीट आयात करने वाले देश स्वच्छता के उपाय के रूप में पशुधन के अपशिष्ट और मृत पशुओं के उचित निपटान के लिए सुविधाएं मुहैय्या कराने पर जोर देते हैं। केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीटेलआरआई) चैन्नई ने प्रतिवर्ष 24 मिलियन बड़े पशुओं तथा 17 मिलियन जुगाली करने वाले पशुओं की मृत्यु की सूचना दी है और यह भी आकलन लगाया है कि देश में मृत पशुओं के चमड़े/खाल और अन्य उप उत्पादों की प्राप्ति न होने/आंशिक रूप से प्राप्ति होने के कारण प्रतिवर्ष 985 करोड़ रुपये का काफी बड़ा नुकसान होता है। इस योजना में ऐसे स्थानों पर कंकालों के उपयोग केन्द्र स्थापित करने की योजना है जहां अधिक मात्रा में पशु होते हैं और इससे गरीबों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- पर्यावरणीय प्रदूषण और पशुओं संबंधी बीमारियों को फैलने से रोकना।
- कंकालों को एकत्र करना, चमड़ी उतारने और उप उत्पादों को संशोधित करने में लगे हुए ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैय्या कराना।
- समय पर प्राप्ति, अच्छे रखरखाव और परिवहन के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की खाल और चमड़े का उत्पादन।
- सिविल और रक्षा संबंधी हवाई जहाजों की पक्षियों के टकराने से होने वाले खतरों को रोकना।

4. नर भैंस बछड़ों को बचाना और पालन करना-इस योजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मीट उत्पादन के लिए भैंस बछड़ों को पालना निर्यात करने वाले बूचड़खानों के साथ संबंध विकसित करना है। इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं मीट और हड्डियों के लिए उप-उत्पादों की उपलब्धता में सुधार लाना और भैंस मीट और चमड़ा निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन करना। इसके उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाना है।

5. पशुधन विस्तार और डिलीवरी सेवाएं-विभाग के कृषकों और प्रजनकों को हस्तांतरित करने के लिए डेयरी विकास और पशुधन उत्पादन प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए "पशुधन विस्तार और विस्तार सेवाएं" नामक एक नई योजना का प्रस्ताव किया है। योजना आयोग ने पशुधन विस्तार पर एक उप-दल का गठन किया है और इस उप-दल की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण घटकों को प्रस्तावित ईएफसी में शामिल किया गया है। 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित योजना के लिए कुल परिव्यय 45.00 करोड़ रुपए हैं ईएफसी नोट को मूल्यांकन एजेंसियों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

6. खाद्य सुरक्षा और उनकी पहचान-खाद्य सुरक्षा को एक वरीयता आधार पर लोक स्वास्थ्य के रूप में अब मान्यता दी गई है। इसके लिए एक विश्व व्यापी दृष्टिकोण अपेक्षित है, उत्पादन से उपभोग तक, जिसे "स्टेबल से टेबल तक" और "खेत से प्लेट तक" के अभिप्राय में उपयुक्त रूप से व्यक्त किया गया है। अत: प्राथमिक उत्पादन स्तर पर पशुमूल की खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास अपेक्षित है। (फार्म या उत्पादन युनिअ स्तर तक क्रियान्वित) जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि पशु उपादों में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रह जाए, यदि ऐसा होता है तो इनका स्तर अधिकतम अनुमन्य स्तर, महत्वपूर्ण रूप में अधिकतम सीमाओं और माइक्रोबायोलाजिल से अधिक न हो। प्राथमिक उत्पादकों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है यानि कृषक और प्रजनक को प्रशिक्षित करने और फार्म में पशुओं की शुरूआत के लिए स्वास्थ्य स्थिति, पशु आहार, पशुओं को पानी देना, अन्य प्रबन्धन प्रक्रिया, रिकार्ड और पहचान के लिए सामान्य उपाय को शामिल करने के लिए दिशानिदेश तैयार करने की आवश्कता है। खाद्य सुरक्षा के अनुमन्य स्तर को प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र योजना खाद्य सुरक्षा और पहचान का प्रस्ताव किया गया है। भारत में पशु पहचान और खोज पर एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की सेवाओं के लिए विभाग ने एफएओ से संपर्क किया है। एकएओ ने विभाग को पशु पहचान और खोज प्रणाली पर तकनीकी सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत एक अध्ययन प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है।

विवरण-III

2007-08 से 2010-11 के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं लिए जारी की गई कुल धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना			
		जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	400.00	905.96	1000.00	1000.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	200.00	162.70	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	614.00	0.00
4.	बिहार	0.00	508.25	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	562.35	284.08	0.00	10.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	643.24	1000.00
8.	हरियाणा	0.00	774.35	1200.00	1000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	155.46	297.19	500.37

1	2	3	4	5	6
10.	झारखंड	0.00	417.40	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	300.00	250.00	300.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	500.00	0.00
13.	केरल	450.00	792.39	865.73	413.50
14.	मध्य प्रदेश	197.50	500.00	750.00	900.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	250.00	678.85	1140.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	323.80	0.00
17.	मेघालय	103.34	65.34	0.00	200.00
18.	मिजोरम	150.00	0.00	65.00	171.57
19.	नागालैंड	109.39	68.29	69.76	227.28
20.	उड़ीसा	562.00	882.98	390.58	323.00
21.	पंजाब	100.00	646.00	441.81	1000.00
22.	राजस्थान	0.00	632.73	700.00	0.00
23.	सिक्किम	75.00	131.82	77.30	100.00
24.	तमिलनाडु	600.00	234.15	700.00	1000.00
25.	त्रिपुरा	211.00	256.82	0.00	120.49
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	737.60	0.00
27.	उत्तराखंड	356.72	415.68	0.00	200.00
28.	पश्चिम बंगाल	770.43	352.60	1300.00	927.54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4947.73	8736.97	11604.86	10623.75

पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	532.00	750.00	1129.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	121.00	100.00	86.85	70.00
3.	असम	0.00	350.00	0.00	0.00
4.	बिहार	100.00	400.00	347.00	400.00
5.	छत्तीसगढ़	330.00	0.00	300.00	625.00
6.	गोवा	25.00	0.00	26.00	0.00
7.	गुजरात	280.00	509.00	667.28	563.37
8.	हरियाणा	200.00	384.00	0.00	150.00
9.	हिमाचल प्रदेश	117.00	99.85	99.74	100.00
10.	झारखंड	0.00	150.00	0.00	150.00
11.	जम्मू और कश्मीर	200.00	250.00	400.00	150.00
12.	कर्नाटक	480.00	700.00	913.00	700.00
13.	केरल	0.00	100.00	100.00	250.00
14.	मध्य प्रदेश	362.00	450.00	200.00	275.00
15.	महाराष्ट्र	1172.00	1000.00	1535.00	500.00
16.	मणिपुर	244.00	190.00	150.00	0.00
17.	मेघालय	75.00	149.00	88.37	0.00
18.	मिजोरम	275.00	203.00	50.00	0.00
19.	नागालैंड	310.00	273.00	150.00	100.00
20.	उड़ीसा	450.00	650.00	1059.98	0.00
21.	पंजाब	0.00	200.00	250.00	226.00
22.	राजस्थान	289.00	158.00	250.00	150.00
23.	सिक्किम	75.00	125.00	83.43	25.00

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	608.00	1271.87	1100.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	330.00	0.00	86.00
26.	उत्तर प्रदेश	732.00	750.00	700.00	1000.00
27.	उत्तराखंड	100.00	31.00	100.00	50.00
28.	पश्चिम बंगाल	1250.00	756.28	750.00	587.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.20	25.00	10.00	10.00
30.	चंडीगढ़	7.00	6.50	3.50	4.00
31.	दादरा और नगर हवेली	7.00	7.00	6.30	0.00
32.	दमन और द्वीव	2.80	1.50	3.72	0.00
33.	दिल्ली	60.00	23.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	8.00	5.00	6.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	25.00	0.00	20.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	8424.00	10423.00	10565.17	6191.37

राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	20.00	30.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.00	20.00	25.00	15.00
3.	असम	10.00	10.00	0.00	15.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	10.00	20.41	0.00
6.	गोवा	0.00	5.00	5.00	0.00
7.	गुजरात	25.00	30.00	25.00	0.00

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	17.95	20.00	0.00	10.00
9.	हिमाचल प्रदेश	20.00	4.82	14.44	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	10.00
11.	जम्मू और कश्मीर	10.00	15.00	25.00	20.00
12.	कर्नाटक	0.00	20.00	20.00	15.00
13.	केरल	18.00	23.00	20.00	20.00
14.	मध्य प्रदेश	32.00	20.00	30.00	20.00
15.	महाराष्ट्र	20.00	8.00	30.00	8.00
16.	मणिपुर	0.00	20.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	10.00	15.00	15.00	10.00
18.	मिजोरम	15.00	5.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	20.00	15.00	15.00	0.00
20.	उड़ीसा	5.00	20.00	20.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	20.00	0.00	6.00
22.	राजस्थान	20.00	8.00	20.00	0.00
23.	सिक्किम	10.00	10.00	0.00	15.00
24.	तमिलनाडु	0.00	10.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	15.00	0.00	0.00	20.00
26.	उत्तर प्रदेश	29.06	19.18	12.15	0.00
27.	उत्तराखंड	10.00	10.00	5.00	8.00
28.	पश्चिम बंगाल	25.00	20.00	25.00	15.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	5.00	5.00	5.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	8.00	4.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	1.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	70.23	0.00
	कुल	327.00	387.00	432.23	204.00

व्यावसायिक दक्षता का विकास

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	8.80	0.00	0.00
4.	बिहार	1.22	3.08	1.55	5.00
5.	छत्तीसगढ़	10.00	10.00	12.00	15.00
6.	गोवा	5.00	3.00	0.00	5.00
7.	गुजरात	10.00	15.00	15.00	15.00
8.	हरियाणा	5.00	0.00	5.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5.00	0.00	10.00	0.00
10.	झारखंड	20.00	20.00	0.00	5.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	20.00	10.00	14.00	15.00
13.	केरल	0.00	10.00	15.00	10.00
14.	मध्य प्रदेश	4.36	14.00	0.00	10.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	20.00	4.87
16.	मणिपुर	4.00	16.00	25.00	0.00
17.	मेघालय	18.00	2.20	5.00	8.00

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	8.00	15.00	20.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	13.00	15.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	9.21	15.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	15.00
22.	राजस्थान	20.00	18.75	24.00	6.00
23.	सिक्किम	0.00	5.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	10.00
25.	त्रिपुरा	0.00	10.00	0.00	8.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	21.27	9.22	5.00
27.	उत्तराखंड	6.68	6.69	20.23	10.00
28.	पश्चिम बंगाल	18.74	15.00	15.00	25.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00	5.00	5.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	14.30	15.00	15.00	5.00
	अन्य	0.00	0.00	160.12	93.00
	कुल	204.30	250.00	425.12	274.00

खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	35.00	75.00	60.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	4.00
7.	गुजरात	15.00	35.00	40.00	96.00
8.	हरियाणा	50.00	50.00	30.00	95.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	200.00
13.	केरल	44.00	25.00	40.00	100.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	65.00	70.00	25.00	180.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	15.00	30.00	60.00	85.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	10.00	5.00	0.00	105.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	90.40	150.00	182.00	125.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	2.00	2.00	2.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	3.00	2.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	1.00	1.00	1.00	1.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	4.00
	टीकों की लागत	0.00	0.00	2520.76	0.00
	कुल	394.40	405.00	2975.76	1057.00

राज्य कुक्ट/बत्तख फार्मों को सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	34.00	0.00	34.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	100.00	0.00	0.00
3.	असम	130.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	84.00	0.00	96.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	32.30	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	23.00	14.49	8.51	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	134.00	0.00	44.00	0.00
12.	कर्नाटक	56.00	34.00	63.20	0.00

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	58.00	167.40	170.00	102.00
14.	मध्य प्रदेश	200.00	0.00	34.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	50.19	61.81	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	27.50	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	191.25	40.00	0.00	23.75
20.	उड़ीसा	301.92	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	10.20	0.00	00.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	135.00	100.00	107.50	42.50
24.	तमिलनाडु	28.00	120.00	34.00	0.00
25.	त्रिपुरा	66.24	83.76	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	28.00	136.00	134.91	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	285.29	84.00	0.00	414.80
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	38.50	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	टीकों की लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1,842.99	973.76	764.62	583.05

ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	187.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	69.60
3.	असम	0.00	0.00	0.00	157.33
4.	बिहार	0.00	0.00	163.00	162.50
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	10.50
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	364.90
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	164.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	570.92
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	49.10	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	20.00	40.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	77.76
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	150.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	72.00	0.00

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	46.50
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	60.50
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	54.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	73.00	1,379.66
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	टीकों की लागत	0.00	0.00	18.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	559.10	3,331.39

कुक्कुट सम्पदा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	69.60
3.	असम	0.00	0.00	0.00	157.33
4.	बिहार	0.00	0.00	163.00	162.50
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	10.50
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	249.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	98.25	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य (नाबार्ड)	0.00	0.00	203.27	
	कुल	0.00	0.00	301.52	249.00

पशुधन बीमा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	300.00	0.00	500.00	400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	50.00	148.50
4.	बिहार	100.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	19.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	200.00
8.	हरियाणा	200.00	100.00	300.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	150.00	25.00	20.00	40.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	67.72	0.00
12.	कर्नाटक	300.00	0.00	150.00	0.00
13.	केरल	100.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	54.75	0.00
15.	महाराष्ट्र	250.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	40.00	0.00
20.	उड़ीसा	50.00	163.12	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	150.00	361.88	600.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	650.00	0.00

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	104.67
	कुल	1,600.00	650.00	2,432.47	912,17

केन्द्रीय प्रायोजित आहार एवं चारा विकास योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	82.25	622.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.00	0.00	55.00	0.00
3.	असम	85.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	100.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	6.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	136.03	165.00	224.00	300.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	145.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	258.75
10.	झारखंड	0.00	93.50	0.00	255.00
11.	जम्मू और कश्मीर	279.19	56.70	66.50	53.19

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	55.00	0.00	0.00	435.00
13.	केरल	133.00	0.00	138.95	102.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	140.00	0.00	114.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	54.50	21.00
16.	मणिपुर	0.00	80.00	80.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	26.00
18.	मिजोरम	30.00	199.50	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	71.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	12.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	190.21	0.00	465.50
22.	राजस्थान	0.00	0.00	129.26	145.00
23.	सिक्किम	33.00	0.00	50.00	65.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	63.50	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	32.25
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	118.34	0.00
27.	उत्तराखंड	21.25	0.00	0.00	230.00
28.	पश्चिम बंगाल	136.00	0.00	0.00	57.91
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	2.99	29.70	0.00
	कुल	920.47	927.90	1,110.00	3,498.60

विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का सरंक्षण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	50.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	28.50
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	36.81	102.25	56.81	32.25
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	70.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	6.00	20.00	50.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	34.45	20.75	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	32.00	0.00	44.95	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	30.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	30.00	30.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	20.00	18.25	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तर प्रदेश	28.25	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	45.00	0.00
29.	अंडमान औरनिकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	9.00	2.25	0.00	0.00
	कुल	136.06	194.95	355.76	110.75

एवियन इंफ्लूएन्जा के लिए तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	13.22	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	1.91	0.00	0.00
3.	असम	0.00	12.33	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	21.20	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	9.54	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.17	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	8.71	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	3.27	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	9.32	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	15.33	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	3.13	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	0.00	13.86	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.64	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	26.03	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	20.55	0.00	2.33
16.	मणिपुर	0.00	1.12	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	2.83	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.38	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.62	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	24.13	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	5.98	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	19.43	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.21	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	7.67	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.42	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	50.49	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	7.90	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	19.17	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.26	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.01	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.03	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.01	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.08	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.04	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	1,224.36	28.52
	कुल	0.00	300.00	1,224.36	30.85

पशुधन संगणना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	750.00	1100.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	70.00	40.00	0.00	0.00
3.	असम	756.00	950.00	0.00	0.00
4.	बिहार	130.00	1000.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	285.00	120.00	0.00	0.00
6.	गोवा	40.68	10.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	555.00	600.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	275.00	150.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	220.00	10.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	175.00	250.00	204.42	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	75.00	100.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	515.00	650.00	0.00	18.00
13.	केरल	277.00	400.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	155.00	900.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	400.00	900.00	145.00	0.00
16.	मणिपुर	114.00	63.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	164.00	36.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	59.00	2.00	1.22	0.00
19.	नागालैंड	109.00	65.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	300.00	430.00	0.00	182.38
21.	पंजाब	240.00	250.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	325.00	700.0	0.00	0.00
23.	सिक्किम	69.00	1.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	225.00	827.85	300.00	175.40
25.	त्रिपुरा	159.00	125.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	350.00	1750.00	626.08	109.62

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तराखंड	175.00	10.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	475.00	900.00	800.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.00	1.97	1.00	0.00
30.	चंडीगढ़	16.00	4.50	1.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	6.00	1.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	6.00	2.50	0.00	0.60
33.	दिल्ली	55.00	290.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	6.00	1.00	1.50	0.00
35.	पुडुचेरी	45.00	10.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	10.00	26.70
	कुल	7,592.68	12,668.82	2,090.22	512.70

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13.10	9.85	5.00	10.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.89	1.91	30.37	20.00
3.	असम	13.97	2.22	3.30	5.00
4.	बिहार	22.65	9.90	23.50	35.00
5.	छत्तीसगढ़	8.55	17.00	2.00	0.00
6.	गोवा	7.38	7.10	6.98	5.00
7.	गुजरात	18.70	47.86	44.21	70.00
8.	हरियाणा	21.10	15.00	91.18	10.00
9.	हिमाचल प्रदेश	20.88	26.00	27.00	15.00
10.	झारखंड	9.20	10.29	2.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.73	1.98	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	48.33	30.00	50.00	25.00
13.	केरल	45.20	38.04	55.00	30.00
14.	मध्य प्रदेश	37.55	40.00	55.00	35.00
15.	महाराष्ट्र	48.80	48.00	73.48	22.00
16.	मणिपुर	2.21	2.54	2.00	0.00
17.	मेघालय	9.28	3.81	12.33	10.00
18.	मिजोरम	31.05	35.50	30.00	46.00
19.	नागालैंड	9.02	5.40	3.00	0.00
20.	उड़ीसा	23.29	54.65	55.66	25.00
21.	पंजाब	0.73	17.98	5.00	0.00
22.	राजस्थान	85.73	26.35	14.17	30.00
23.	सिक्किम	4.54	5.00	3.00	0.00
24.	तमिलनाडु	22.85	15.84	5.00	15.00
25.	त्रिपुरा	25.04	8.57	16.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	68.70	26.76	103.80	40.00
27.	उत्तराखंड	6.46	10.06	2.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	24.55	17.00	35.00	40.00
29.	अंडमान औरनिकोबार द्वीपसमूह	8.51	8.13	18.00	10.00
30.	चंडीगढ़	11.21	10.53	15.00	15.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.87	1.00	0.50	0.00
32.	दमन और दीव	2.68	1.10	1.50	1.00
33.	दिल्ली	20.52	7.00	1.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	6.69	9.24	30.00	25.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	5.36	6.26	7.59	2.86
	कुल	690.32	577.90	829.57	541.86

छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	44.87	110.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	25.55
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	100.00	50.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	22.85
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	58.39
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	32.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	300.00	200.00
	कुल	0.00	0.00	444.87	498.79

कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.00	74.84	830.84	1,178.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	6.65	0.00	25.00	2.50
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	1.83
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	7.26	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	4.25	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	15.48	8.92	29.38	29.94
13.	केरल	0.00	12.50	0.00	28.28
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	108.63	276.83	18.74	124.75
16.	मणिपुर	2.80	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.80	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	15.00	3.60	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	4.72	15.04	0.00	0.00
21.	पंजाब	9.99	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	16.89	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	67.66	7.15	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1.50
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	6.23	0.00	0.00	11.70
28.	पश्चिम बंगाल	22.50	12.50	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	298.81	415.63	903.96	1379.37

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	298.33	334.53	100.00	171.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	148.30	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	119.39	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	100.00	40.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	90.51	80.27
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	200.00	400.00	516.66	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	340.05	0.00	250.00	109.90
10.	झारखंड	107.64	0.00	19.76	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	465.25	524.76	238.24	150.38
14.	मध्य प्रदेश	285.00	132.00	0.00	410.68
15.	महाराष्ट्र	200.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	200.00	24.61	175.00	200.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	139.70	50.00	50.00	0.00
19.	नागालैंड	35.00	0.00	70.80	0.00
20.	उड़ीसा	302.56	345.17	180.57	399.16
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	310.00	284.52	762.40	200.00
23.	सिक्किम	75.30	274.89	129.76	0.00
24.	तमिलनाडु	125.00	273.59	275.00	404.36
25.	त्रिपुरा	90.00	120.44	26.14	0.00

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तर प्रदेश	100.00	95.00	24.59	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	128.96	50.00	50.29
28.	पश्चिम बंगाल	70.83	0.00	55.86	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.34	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	12.20	13.86	33.32	0.22
	कुल	3,468.20	3,161.72	3,196.91	2,176.87

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	99.63	50.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	148.52	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	40.00	61.68	0.00	0.00
7.	गुजरात	342.42	429.44	697.32	516.14
8.	हरियाणा	125.33	31.56	20.49	68.60
9.	हिमाचल प्रदेश	2.40	0.00	26.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	69.89	243.06	216.00	30.00
13.	केरल	309.44	538.78	340.06	99.15
14.	मध्य प्रदेश	161.77	43.51	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	200.60	17.43	171.80	219.75
16.	मणिपुर	0.00	7.25	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	22.47	0.00	0.00	90.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	15.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	67.00	0.00
21.	पंजाब	81.25	120.95	286.90	353.84
22.	राजस्थान	286.97	0.00	38.41	0.00
23.	सिक्किम	17.28	8.74	8.74	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	382.46	281.66	224.40
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	203.82	0.00	7.03	26.66
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	75.20	43.71	0.00	51.22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	50.0	2.16	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2,088.46	2,129.25	2,176.41	1,679.76

सहकारिताओं को सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	45.00	320.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	94.51	89.00	65.49	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	250.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	5.00	5.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	336.00	604.93	619.14
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	175.00	100.00	35.49	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	188.57	75.00	89.09	102.86
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	46.92	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	505.00	900.00	1,120.20	722.00

विशेष पैकेज

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	*जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (**) (2010-2011)
1.	आंध्र प्रदेश	7,896.00	8,258.00	3,355.00	2284.00
2.	कर्नाटक	2,961.00	3,097.00	1,258.00	0.00
3.	महाराष्ट्र	2,961.00	3,097.00	1,258.00	0.00
4.	केरल	1,482.00	1,548.00	1,629.00	726.00
	कुल	15,300.00	16,000.00	7,500.00	3,010.00

*प्रत्येक राज्य को यथानुपात के आधार पर धनराशि आबंटित की गई है।

**2010-11 में कोई आबंटन नहीं किया था। प्रस्तावों के आधार पर धनराशि जारी की गई थी।

पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढीकरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1420.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	872.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	85.40
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	367.50
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	414.38
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	768.75
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	1000.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	400.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	100.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	534.38
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	700.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	6,862.40

राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीबी)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	55.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	130.70
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	14.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	25.14

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	98.18
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	56.64
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	380.00

राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिट्स रियूमिनेंटस् नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआर)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1175.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	596.98
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	37.70
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	539.20
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	383.20
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	2,732.28

सूअर विकास योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी (2007-08)	जारी (2008-09)	जारी (2009-10)	जारी (2010-2011)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	43.05
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्म और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	33.57
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	77.64

[अनुवाद]

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती प्रक्रिया

***3172. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में दबलाव लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में छोटे शहरों में इच्छूक लोगों की भारी संख्या को रोकने के लिए क्षेत्र-वार भर्ती करना शमिल है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी पी एम), जहां भारी संख्या में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के आने की उम्मीद हैं, में भविष्य में सुचारु भर्ती सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर रैली प्रणाली से भर्ती करने की बजाय पहले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा, चयन प्रक्रिया अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, चिकित्सा जांच इत्यादि में शमिल होने के लिए एक दिन में सीमित संख्या में, विशेषकर, क्षेत्रवार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों की अव्यवस्था और परेशानी को दूर करने के लिए भर्ती केन्द्रों पर उपयुक्त सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। सरकार द्वार पूर्वसावधानियों के संबंध में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को परिपत्र अपदेश भी जारी किया गया है जिसे भर्ती रैलियाँ आयोजित करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इन सभी उपायों से, छोटे शहरों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्र होने को रोका जा सकेगा।

संचार और ई-मेलों पर रोक

***3173. श्री सुरेश कुमार शेटकर:**
श्री के. आर. जी. रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी आतंकी संचार और ई-मेलों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। सरकार, सभी प्रकार के संचारों पर कानून सम्मत मानीटरिंग करने/हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के उपबंधों/लाइसेंसिंग शर्तो के तहत निरंतर आधार पर ऐसे कदम उठाती है:

(i) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा (5(2) सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह भरत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था के हित में या कोई अपराध किए जाने की उत्तेजना को रोकने के लिए, किसी संदेश या संदेशों के वर्ग को, जिसे किसी तार द्वारा प्रसारण करने के लिए लाया गया हो या प्रसारण किया गया हो या प्राप्त हुआ हो, उसे रोकने/रोके रखने और अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करे। भारतीय तार (संशोधन) नियम,

2007 में उस प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के उपबंधों के अनुसरण में विधि सम्मत अवरुद्द करते समय अपनाया जाना है।

(ii) सूचना प्रौद्योगिक (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69 सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की रक्षा, विदेशों के साथ मित्रवंत संबंध, लोक व्यवस्था/सुरक्षा के हित में या उपर्युक्त से संबंधित कोई संज्ञेय अपराध किए जाने या किसी अपाध की जांच पड़ताल की उत्तेजना रोकने के लिए किसी कंप्यूटर स्रोत में उत्पन्न प्रसारित, प्राप्त हुई या स्टोर की गई किसी सूचना को अवरुद्द करने, उस पर निगरानी रखने या उसे नष्ट करने के निर्देश जारी करे।

(iii) सभी दूर संचार सेवाओं के लाइसेंसिंग करारों में ये सुरक्षा शर्ते निहित हैं कि केन्द्र/राज्य सरकार के पदनामित व्यक्ति, लाइसेंसी या इसके नामिती के अतिरिक्त समय-समय पर लाइसेंसर (दूर संचार विभाग) को दी गई सूचना के अनुसार, को प्रत्येक एम एस सी/एक्सचेंज या लाइसेंसी द्वारा स्थापित नेटवर्क में तकनीकी रुप से संभाव्य किसी अन्य केन्द्र में दूर संचार यातायात पर निगरानी रखने का अधिकार होगा।

(ग) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान प्रतिभागियों को वीजा

3174. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिभागियों के जारी पर्यटन वीजा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जारी किए गए उक्त वीजाओं की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या थी;

(ग) क्या कथित रूप से अनेक विदेशी लोगों के वीजा अवधि समाप्त होने के पश्चात भी देश में रहने के समाचार हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे लोगों का पता लगाने और उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2009 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, अनुमोदित राष्ट्रमण्डल खेल परिवार के सदस्यों (सी जी एफ एम) को खेलों में भाग लेने के लिए नान वैलिडेटेड पास (एन वी पी) जारी किए गए थे और इस एन.वी.पी. को भारत में बहुप्रयोजनीय प्रवेश वीजा के रूप में माना गया था। भारत में आगमन के पश्चात, एन.वी.पी. को कॉमनवेल्थ गेम्स एक्रीडिशन कार्ड में परिवर्तित किया गया था। सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2009 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, एन वी पी 3 सितम्बर, 2010 से 13 नवम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए जारी किया गया था। यद्यपि अधिकांश सहभागी एन वी पी के आधार पर भारत आए थे, तथापि कुछ सहभागी भारतीय मिशनों द्वारा जारी किए गए राष्ट्रमण्डल खेल (सीडब्ल्यूजी) वीजा पर आए थे और कुछेक सहभागी, जो बगैर एन वी पी और सीडब्ल्यूजी वीजा के आए थे, उन्हें पहुंचने पर अस्थायी लैंडिंग सुविधा (टी एल एफ) प्रदान की गई थी। नॉन वैलिडेटेड पास/कामनवेल्थ गेम्स वीजा/टेम्परारी लैण्डिंग फैसिलिटी के आधार पर राष्ट्रमण्डल खेलों में भाग लेने के लिए भारत आने वाले विदेशी व्यक्तियों की कुल संख्या 9412 थी।

(ग) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रमण्डल खेलों में भाग लेने के लिए नॉन वैलिडेटेड पास/कामनवेल्थ गेम्स वीजा/टेम्परारी लैण्डिंग फैसिलिटी के आधार पर देश में आने वाले केवल 9 विदेशी वापस अपने देश नहीं गए हैं। उनके प्रस्थान का पता लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है और पता चल जाने पर कानून के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परिवहन परियोजनाएं

3175. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत देश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के विभिन्न शहरों में स्वीकृत बसों की संख्या और स्वीकृत बीआरटी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई भावी योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर भीड़-भाड़ वाले शहरों में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) शहरी परिवहन, जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करने के लिए अनुमेय घटकों में से एक है। उसके अंतर्गत सरकार ने देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार हेतु तीव्र बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) स्वीकृत की हैं। जनवरी, 2009 में सरकार द्वारा घोषित दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत भी, राज्यों को उनके शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु एक बार के उपाय के रुप में वित्तीय सहायता मुहैया करायी है। सहायता की सुविधा प्राप्त करते समय राज्यों ने एक मिलियन से अधिक आबादी वाले एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना, शहार तथा राज्य स्तर पर समिर्पित शहरी परिवहन निधि की स्थापना राज्य और शहरी स्थानीय निकाय के करों में की मॉफी प्रतिपूर्ति, विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का समावेशन, पार्क निर्माण, विज्ञापन, परिवहनों उन्मुखी विकास नीति आदि जैसे शहरी परिवहन के क्षेत्र में कुछ सुधारों का कार्यान्वियन आरंभ किया है।

गुजरात राज्य सहित जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत स्वीकृत बीआरटीएस परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण -I में दिया गया है। देश में मिशन शहरों के लिए स्वीकृत बसों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) शहरी परिवहन की तेजी से बढ़ रही समस्या को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन के लिए राष्ट्रीय शहरी नीति (एनयूटीपी) का निर्माण, शहरी परिवहन हेतु बसों का वित्तपोषण, तीव्र बस परिवहन प्रणाली परियोजनाएं, यातायात परिवहन प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना और विभिन्न शहरों के लिए मैट्रो रेल परियोजनाओं की स्वीकृत जैसे सक्रिय कदम उठाए है। स्वीकृत मैट्रो परियोजनाओं (पूर्ण/चालू/विचाराधीन) का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु में)	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	वर्ष 2007-08 में उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2008-09 में उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2009-10 में उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2010-11 में उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि	वर्ष 2007-11 में उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा (i) एम.जी.रोड़ (ii) नूजी वेदू रोड (iii) एल्लूरु रोड (iv) मार्ग सं 5 (v) एसएन पूरम रोड (vi) लूप रोड के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली	15264.00	7632.00	1908.00	0.00	1908.00	0.00	3816.00
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापतनम	विशाखापतनम (i) टर्नल सहित सिम्हाचलम परिवहन कोरिडोर (ii) पन्दुरथी परिवहन कोरिडोर के लिए दुत बस परिहवन प्रणाली	45293.00	22646.50	5661.63	0.00	5661.63	0.00	11323.26
3.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 कि.मी. लम्बे मार्ग (पहले फेज का मार्ग 1)	8760.00	3066.00	0.00	766.50	766.50	0.00	1533.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			बीआरटी रोडवेज का निर्माण तथा शेष मार्गों का विस्तृत अध्ययन और इंजीनियरिंग							
4.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (46 किमी मार्ग)	40572.00	14200.20	0.00	3550.05	3550.05	0.00	7100.10
5.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत जन परिवहन प्रणाली फेज-II	48813.00	17085.00	0.00	4271.00	0.00	0.00	4271.00
6.	गुजरात	राजकोट	द्रुत बस परिवहन प्रणाली फेज-I (ब्लू कोरिडोर भाग I का विकास)	11000.00	5500.00	1375.00	0.00	2750.00	0.00	4125.00
7.	गुजरात	सूरत	सूरत के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली का विकास	46902.00	23451.00	0.00	5862.75	0.00	0.00	5862.75
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (21.715 किमी लम्बे) के लिए प्रयोगिक कोरिडोर (न्यू मार्केट से विश्वविद्यालय)	23776.00	11888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	इंदौर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-प्रायोगिक परियोजना	9845.00	4922.50	0.00	1230.62	0.00	0.00	1230.62
10.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर बीआरटीएस फेज-I का नदी ओर का कोरिडोर	18000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली प्रायोगिक परियोजना (कटराज स्वारगेट हदबसर मार्ग 13.6 किमी.)	10313.50	5156.75	1558.00	1530.56	0.00	0.00	3088.56
12.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (राष्ट्रमणडल युवा खेल 2008 के लिए अवस्थापना का विकास)	43422.00	21711.00	3258.13	2069.62	10855.50	0.00	16183.25
13.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली (फेज-I)	47662.20	23831.10	10966.38	9.77	5957.78	0.00	16933.93
14.	महाराष्ट्र	पुणे	मुंबई-पुणे राजमार्ग (8.5 किमी.) और औधरावेत सड़क (14.5 किमी.) हेतु सीआरटीस बस कोरिडोर	31214.00	15607.00	3901.75	7803.50	3901.75	0.00	15607.00
15.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे (विकंतवादी 13.9 किमी. से डिघी-आक्ट्रोई नाका तक बी आर टी कोरिडोर के रुप में नए अलंडी सड़क सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	3703.00	1851.50	0.00	462.88	0.00	0.00	462.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	महाराष्ट्र	पुणे	पीसीएमसी-बीआरअटीएस कोरिडोर-कालेवाड़ी-के एस बी चौक से देहू-अलंडी रोड (ट्रंक मार्ग-7)	21920.00	8768.00	0.00	2192.00	0.00	0.00	2192.00
17.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली कोरिडोर-नासिक फाटा से वकार्ड (ट्रंक मार्ग-9)-पीसीएमसी	20682.00	8272.80	0.00	2068.20	0.00	0.00	2068.20
18.	राजस्थान	जयपुर	सी जॉन बाई पास क्रासिंग से पानीपेच वाया सीकाररोड तक द्रुत बस परिवहन प्रणाली परियोजना प्रस्ताव (पैकेज-1 बी)	7519.00	3759.50	939.88	1879.76	0.00	0.00	2819.64
19.	राजस्थान	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-2) का निर्माण	14400.00	7200.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
20.	राजस्थान	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-3 ए एण्ड 3 बी) जयपुर	26035.94	13017.97	0.00	3254.49	0.00	0.00	3254.49
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर क्षेत्र में उल्तादंगा से कोरिया तक द्रुत बस परिवहन प्रणाली	25291.00	8851.85	0.00	0.00	/0.00	2212.96	2212.96
			कुल	520387.64	237418.67	31368.77	36951.70	35351.21	2212.96	105884.64

विवरण-II

(i) वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान जारी निधिया:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	कुल स्वीकृत बसें	सी.एम.एम.सी. में अनुमोदित कुल लागत	सी.एम.एम.सी. में अनुमोदित ए.सी.ए.	जारी पहली किस्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1000	284	99.4	49.7
2.	आंध्र प्रदेश	तरुपति	50	11	8.8	4.4
3..	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	240	65.6	32.8	18.02
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	250	71	35.5	18.76
5.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	25	4.15	3.74	1.95
6.	असम	गुवाहाटी	200	52.55	47.29	7.11

1	2	3	4	5	6	7
7.	बिहार	बोध गया	25	6.75	5.4	2.7
8.	बिहार	पटना	100	39.9	19.95	9.97
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	100	14.85	11.88	5.94
10.	दिल्ली	दिल्ली	1500	765	267.75	115.52
	दिल्ली	डी.एम.आर.सी.	100	20	7	0
11.	गोवा	पणजी	50	7.7	6.16	3.08
12.	गुजरात	अहमदाबाद	730	251.99	88.2	39.08
13.	हरियाणा	फरीदाबाद	150	54.6	27.3	13.65
14.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	75	6.75	6.08	3.04
15.	झारखंड	धनबाद	100	14.3	7.15	3.58
16.	झारखंड	जमशेदपुर	50	5.5	2.75	1.38
17.	झारखंड	रांची	100	17.5	14	7
18.	कर्नाटक	बैंगलोर	1000	341.43	119.5	56.81
19.	कर्नाटक	मैसूर	150	49.43	39.54	19.77
20.	केरल	कोच्चि	200	71	35.5	17.75
21.	केरल	त्रिवेंदरम	150	53.4	42.72	21.36
22.	मध्य प्रदेश	इंदौर	225	88.75	44.38	22.19
23.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	175	59.75	29.88	14.94
24.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	75	31	15.5	7.75
25.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	50	14.2	11.36	5.68
26.	महाराष्ट्र	एम.एम.आर.-बी.ई.आर.टी.	1000	284	99.4	49.70
	महाराष्ट्र	एम.एन.आर. -नई मुम्बई	150	40.5	14.18	7.34
	महाराष्ट्र	एम.एम.आर.-थाने	200	47.8	16.73	9.94
27.	महाराष्ट्र	नागपुर	300	63.6	31.8	15.9
28.	महाराष्ट्र	नानंदेड	30	7.6	6.08	3.04

1	2	3	4	5	6	7
29.	महाराष्ट्र	पी.एम.पी.एल.-पुणे	500	233.43	116.71	40.5
	महाराष्ट्र	पी.एम.पी.एल-पी.सी.एम.सी.	150			16.25
30.	मणिपुर	इम्फाल	25	6.75	6.08	3.04
31.	मिजोरम	आईजोल	25	3.25	2.93	1.46
32.	उड़ीसा	पुरी	100	16.5	13.2	6.60
33.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	25	3.3	2.64	1.32
34.	पंजाब	अमृतसर	150	33.3	16.65	8.33
35.	पंजाब	लुधियाना	200	65.2	32.6	16.30
36.	राजस्थान	अजमेर	35	7.7	6.16	2.98
37.	राजस्थान	जयपुर	400	142.82	71.41	35.70
38.	सिक्किम	गंगटोक	25	3	2.7	0.68
39.	तमिलनाडु	चेन्नई	1000	295.92	103.52	51.79
40.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	300	88.78	44.39	22.19
41.	तमिलनाडु	मदूरई	300	88.78	44.39	22.19
42.	त्रिपुरा	अगरतला	75	16.28	14.65	7.65
43.	उत्तर प्रदेश	आगरा	200	48.73	24.37	20.97
44.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	150	28.7	14.35	13.52
45.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	304	65.25	32.63	31.92
46.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	300	75.05	37.52	31.92
47.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	60	6	4.8	4.51
48.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	150	31.33	15.67	13.45
49.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	146	27.17	13.58	14.01
50.	यूनियन टेरीटरी	चंडीगढ़	100	54	34.2	17.10
51.	उत्तराखंड	देहरादून	60	11.4	9.12	4.56
52.	उत्तराखंड	नैनीताल	60	12.9	10.32	5.16
53.	उत्तराखंड	हरिद्वार	25	2.88	2.3	1.15

1	2	3	4	5	6	7
54.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	100	22	11	5.5
55.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1200	384	134.4	63
	योग		14715	4620.02	2020.01	1020.80

(ii) वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान जारी निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	कुल स्वीकृत बसें	सी.एम.एम.सी. में अनुमोदित कुल लागत	सी.एम.एम.सी. में अनुमोदित ए.सी.ए	जारी पहली किस्त
1.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	75	13.2	11.88	2.97
2.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	75	13.2	11.88	2.97
3.	महाराष्ट्र	विजयवाडा	50	11	3.85	0.96
4.	महाराष्ट्र	एम.एम.आर.-कलान डोम्मबीबली	50	9	3.15	0.79
5.	महाराष्ट्र	नासिक	100	22	7.7	1.93
6.	मेघालय	शिंलाग	120	16.4	14.76	3.69
7.	नागालैण्ड	कोहिमा	25	3	2.7	0.68
8.	यूनियन टेरीटरी पुडुचेरी	पुडुचेरी	50	16.15	12.92	3.23
9.	सिक्किम	गंगटोक	25	3	2.7	0.68
	योग		570	106.95	71.54	17.9

(iii) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जारी निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना	जारी एसीए की दूसरी किश्त
1.	सिक्किम	गंगटोक	बसों की खरीद-फेज-II	1.12
2.	कर्नाटक	बैंगलोर	बसों की खरीद	26.52
3.	कर्नाटक	मैसूर	बसों की खरीद	12.04
4.	तमिलनाडु	चेन्नई	बसों की खरीद	13.09
		योग		52.77

विवरण-III

(क) पूर्ण हो चुकी मेट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	लम्बाई (किमी)	लागत (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	**दिल्ली एसआरटीएस फेज-I**	65.05	10571
	शाहदरा-रिठाला	22.06	
	विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय	10.84	
	इंद्रप्रस्थ-द्वारका	25.65	
	द्वारका उप शहर (द्वारका-द्वारका-vi)	6.5	
2.	**दिल्ली एमआरटीएस फेज-II**	54.68	8605.36
	विश्वविद्यालय-जंहागीरपुरी	6.36	
	केन्द्रीय सचिवालय-कुतुबमीनार	12.53	3086.00
	शाहदारा-दिलशानगार्डन	3.09	11691.36
	इंद्रप्रस्थ-न्यू अशोकनगर	8.07	
	यमुना बैंक-आन्नद विहार आईएसबीटी	6.16	
	कीर्तिनगर-अशोक पार्क	3.36	
	इन्द्रलोक-मुडण्का	15.15	
3.	**दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव तक विस्तार**		
	दिल्ली में अंबडेकर नगर से गुड़गाव में. सुशांतलोकं (हरियाणा भाग-हुडा सिटी सेटंर से सुल्तानपुरी 21-06-2010 से चालू है। दिल्ली भाग के 31.8.2010 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है)	14.47	1589.44
4.	**दिल्ली मेट्रो का नोएडा तक विस्तार** दिल्ली में न्यू अशोक नगर से नोएडा सेक्टर-32 तक	7.0	827.00
5.	**केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर तक** - केन्द्रीय सचिवालय से सरिता विहार - सरिता विहार से बदरपुर तक	20.16	4012.00

1	2	3	4
6.	**द्वारका सेक्टर-9 से सेक्टर-21 तक मेट्रो लिंक**	2.76	356.11
7.	**एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिंक**		
	- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई.जी.आई	19.2	3076.00
	एयरपोर्ट तक	3.50	793.00
	- आई.जी.आई एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर-21 तक	186.82	32915.91

निर्माणाधीन अनुमोदित मेट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	लम्बाई (किमी)	लागत (रु करोड़ में)
1.	बैंगलोर मेट्रो (कर्नाटक)	42.3	8158.00
2.	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कोरिडोर (प.बंगाल)	14.67	4874.58
3.	चेन्नई मेट्रो (तमिलनाडु)	45.046	14600.00
4.	मुंबई मेट्रो लाइन-1 (महाराष्ट्र) (सार्वजनिक-निजी भगीदारी पद्धति पर)	11.0	2356.00
5.	मुंबई मेट्रो लाइन-2 (महाराष्ट्र) (सार्वजानिक-निजी भागीदारी पद्धति पर)	31.87	7660.00
6.	जयपुर मेट्रो स्टेज-I (राजस्थान)	28.918	1250.00
7.	हैदराबाद मेट्रो (आंध्रप्रदेश) (सार्वजनिक -निजी भगीदारी पद्धति पर)	71.16	12132.00

विचाराधीन/तैयार की जा रही मेट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	लम्बाई (कि.मी)	लागत (करोड़ रु में)
1	2	3	4
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र		
1.	फरीदाबाद (हरियाणा तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार)	13.875	2,533
2.	आंनद विहार से वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार)	2.574	320

1	2	3	4
3.	बहादुरगढ़ (हरियाणा) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	11.781	1,432
4.	दिल्ली एमआरटीएस फेज-III	103.050	35,242 (केन्द्रीय कर सहित)
5.	कोची मेट्रो रेल (केरल)	25.3	2,991.5
6.	कोलाबा-माहिम/बाद्रा कोरिडोर लाइन-III (महाराष्ट्र)	20.4	12,000
7.	वासरमैनपैट से विमकोनगर (तमिलनाडु तक चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना फेज-II का विस्तार	9.051	3001

[हिन्दी]

चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी

3176. **डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील:**
श्री पी.सी. मोहन:
योगी आदित्यनाथ:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा से चीनी और पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी) ने भारत-नेपाल सीमा पर पर्याप्त दस्तावेज न रखने के कारण दिनांक 17.01.2011 को तीन चीनी राष्ट्रिकों और दिनांक 07.04.2009 को एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया था। तीनों चीनीं राष्ट्रिकों को रूपेदिहा पुलिस स्टेशन, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश के सुपुर्द कर दिया गया था और उनके विरूद्ध विषयक अधिनियम एवं पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी राष्ट्रिक को पुलिस स्टेशन देवधा, जिला मधुबनी, बिहार के सुपुर्द कर दिया गया था और उसके विरूद्ध विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जनजातीय लोगों संबंधी समिति

*3177. **श्रीमती उषा वर्मा:**
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री पी. बलराम:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय लोगों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों संबंधी मामलों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संसदीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट (वर्ष 2006-2007) में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नियमित रूप से बैठक करनी चाहिए और अपराधों को रोकने के उपाय करने चाहिए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण में, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2006 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन नीचे दिया गया है-

मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अध्यक्ष
मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय	विशेष आमंत्रित
सचिव, सामाजिक न्याय एवं सदस्य अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय	सदस्य
सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति सदस्य आयोग	सदस्य
संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के प्रभारी)	सदस्य
अनुसूचित जातियों के दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
अनुसूचित जनजातियों का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त सचिव (एस सी डी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य सचिव

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

3178. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात और निर्यात की गई चीनी की मात्रा और उसमें शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एजेंसियों को निर्यात और आयात के लिए अधिकृत करने हेतु सरकार द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया/नीति का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार ने अपने खाते पर चीनी का कोई आयात/निर्यात नहीं किया। तथापि, 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसमों में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 17.4.2009 से चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। शुरुआत में सकार ने चार केन्द्रीय एजेंसियों नामत: एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी और नेफॅड को उनके वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार 1 मिलयिन टन तक शुल्क मुक्त व्हाइट/रिफाइंड चीनी का आयात करने की अनुमति दी थी। बाद में शुल्क मुक्त आयात अन्य केन्द्रीय/सरकार की एजेंसियों और निजी व्यापार के लिए खोल दिया गया और 1 मिलियन टन की मात्रात्मक सीमा भी हटा दी गई। वर्तमान में यह सुविधा 31.3.2011 तक लागू है।

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकता के अनुसार पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात/निर्यात की गई चीनी की मात्रा निम्नानुसार है:-

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	आयातित मात्रा (मी.टन में)	निर्यात की गई मात्रा (मी. टन में)
2007-08	0.004	58.23
2008-09	10.97	2.17
2009-10	19.42	2.37

जेएनएनयूआरएम का विस्तार

3179. श्री बद्रीराम जाखड:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री भक्त चरण दास:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार जेएनएनयूआरएम का विस्तार देश के कुछ और शहरों तक करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु पहचान किए गए राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों में जेएनएनयूआरएम के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं और कार्यान्वित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं का प्रभावकारी रुप से कार्यान्वयन किया जा रहा है है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत 5 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूह को शमिल करने का प्रस्ताव किया गया था:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	नगर का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग-भिलाई नगर
3.	गुजरात	भावनगर, जामनगर
4.	कर्नाटक	बेलगांव, मंगलौर हुबली-धारवाड़
5.	केरल	कोझीकोड़
6.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
7.	महाराष्ट्र	अमरावती, भिवान्डी, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर
8.	उड़ीसा	कटक
9.	पंजाब	जालंधर
10.	राजस्थान	बीकानेर, जोधपुर, कोटा
11.	तमिलनाडु	सेलम, तिरुपुर, तिरुचिराप्पली
12.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद

संसाधनों की कमी के कारण, जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के तहत इन शहरों को शामिल नहीं किया जा सका

(घ) से (च) जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी अवस्थापना एवं शासन के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यवार अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण--II में दिया गया है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और राज्य के लिए स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी के जरिए राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है। अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भारत सरकार द्वारा भी तिमाही प्रगति रिपोर्टों और विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकों के जरिए की जाती है। मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक 84 परियोजनाओं के वास्तविक रुप होने की सूचना है शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-I

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी/बीएसयूपी के तहत शामिल शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)
1	2	3	4
(क)	**मेगा शहर**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34

1	2	3	4
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
(ख)	**मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरई	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61

1	2	3	4
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाडा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28	इन्दौर	मध्य प्रदेश	16.40
(ग)	**चुनिंदा शहर/शहरी समूह(यूएल)/1मिलियन से कम आबादी वाले**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखंड	8.63
8.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	8.90
9.	इंफाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	एजवाल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94

1	2	3	4
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पूरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
28.	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31
29.	पोरबन्दर	गुजरात	1.58
30.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	2.28

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 तक स्वीकृति परियोजनाओं की सं.	2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	2009-10 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सं. अनुमोदित लागत	2009-10 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए एसीए बचनबद्धता	2009-10 के दौरान जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	47	3	37595.00	13935.00	24885.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	0	0.00	0.00	2006.94
3.	असम	2	0	0.00	0.00	7112.41
4.	बिहार	8	0	0.00	0.00	7441.39
5.	चंडीगढ़	2	1	13421.00	10738.80	0.00
6.	छत्तीसगढ़	1	0	0.00	0.00	12145.60
7.	दिल्ली	2	25	534015.00	186904.60	17248.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	गोवा	0	0	0.00	0.00	0.00
9.	गुजरात	66	4	45483.26	20604.09	47788.21
10.	हरियाणा	4	0	0.00	0.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	3	1	5474.00	3880.00	2619.01
12.	जम्मू और कश्मीर	4	0	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	4	0	0.00	0.00	5384.66
14.	कर्नाटक	44	2	6215.00	4332.00	21578.53
15.	केरल	10	1	2210.00	1105.00	2439.45
16.	मध्य प्रदेश	20	2	37388.00	20115.70	12343.27
17.	महाराष्ट्र	77	2	22169.78	10336.86	88649.86
18.	मणिपुर	2	1	10250.13	9225.12	2883.37
19.	मेघालय	2	0	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	1	0	0.00	0.00	756.82
21.	नागालैण्ड	1	1	5042.43	4538.19	1702.81
22.	उड़ीसा	4	1	7182.00	4500.00	2491.60
23.	पंजाब	5	1	4578.00	2289.00	3346.62
24.	पुडुचेरी	2	0	0.00	0.00	0.00
25.	राजस्थान	13	0	0.00	0.00	2826.10
26.	सिक्किम	1	1	7261.66	6535.49	1663.87
27.	तमिलनाडु	46	1	22675.00	9000.00	37723.44
28.	त्रिपुरा	1	1	10221.00	9000.00	2250.00
29.	उत्तर प्रदेश	29	4	65132.77	31500.00	47632.21
30.	उत्तराखण्ड	9	1	6283.00	4628.00	7546.69
31.	पश्चिम बंगाल	38	12	111113.68	44822.75	27717.88
	कुल	451	65	953710.71	397990.60	390183.81

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटन

3180. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्कः
श्रीमती दीपा दासमुंशीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त में से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों के पास शेष बचे खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है और इसे किस प्रकार उपयोग किए जाने की सम्भावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये आबंटन 10 और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। गरीबी रेखा से नीचे, अत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए इन आंबटनों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य नीचे दिए गए हैं-

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिंस	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	200	415	610
चावल	300	565	साधारण-795 ग्रेड-ए-830

इसके अलावा सरकार ने समय-समय पर खाद्यान्नों के विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किए हैं। अतिरिक्त आबंटन गेहूं के लिए 10,800 रुपये प्रति टन और साधारण किस्म के चावल के लिए 14925.40 रुपये प्रति टन तथा ग्रेड ए चावल के लिए 15373.10 रूपये प्रति टन के केन्द्रीय निर्गम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित/उससे निकाले गए मूल्य पर तथा 8.45 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन और उठान तथा 2009-10 और 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संलग्न विवरण-I और II में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वितरण करने हेतु आबंटित खाद्यान्नों का उठान किया है। आबंटित खाद्यान्नों का उठान करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के जरिए लाभार्थियों के बीच इनका वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

विवरण-I

2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन और उठान

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	क्षेत्र	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3884.82	3,637.95	3577.68	3532.77	3884.25	3526.69	3676.480	2578.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	103.55	76.01	101.56	91.06	101.56	99.54	101.566	60.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	1345.53	1395.79	1406.26	1400.84	1485.97	1400.23	1673.126	1193.23
4.	बिहार	2768.063	1625.37	2958.12	1529.02	3437.48	2274.01	3543.192	2199.15
5.	छत्तीसगढ़	825.42	780.62	937.70	805.76	1091.95	1005.90	1168.032	855.78
6.	दिल्ली	748.18	701.59	592.55	561.82	592.55	577.28	595.734	461.80
7.	गोवा	32.18	29.86	36.96	33.36	46.71	45.31	68.751	41.37
8.	गुजरात	1130.04	882.49	1042.04	856.97	1618.49	1025.46	1885.998	1178.32
9.	हरियाणा	451.92	316.17	603.49	387.62	980.47	501.67	685.242	447.95
10.	हिमाचल प्रदेश	477.50	456.07	463.18	460.40	497.47	461.81	508.988	372.10
11.	जम्मू और कश्मीर	823.60	746.05	776.80	770.28	756.80	758.85	757.104	575.74
12.	झारखंड	1057.74	827.15	1065.93	883.36	1311.79	1038.28	1319.412	779.67
13.	कर्नाटक	2647.03	1905.70	2033.34	1951.27	2167.49	2092.19	2260.476	1647.69
14.	केरल	1184.61	1150.79	1164.60	1120.93	1301.60	1233.44	1399.646	1064.29
15.	मध्य प्रदेश	1807.03	1754.73	2085.68	1985.46	3030.87	2953.43	2610.454	1783.29
16.	महाराष्ट्र	2880.68	2399.36	3165.79	2706.94	4509.36	3576.02	4490.412	2822.50
17.	मणिपुर	107.66	101.15	106.42	98.04	117.15	122.10	141.844	32.39
18.	मेघालय	140.42	134.76	144.28	145.73	147.28	145.32	182.928	112.10
19.	मिजोरम	85.05	85.11	82.91	75.30	82.91	75.68	70.140	47.08
20.	नागालैण्ड	130.89	131.10	126.88	139.04	129.55	134.53	126.876	108.80
21.	उड़ीसा	1900.07	1627.52	1866.78	1826.34	2115.85	2080.70	2221.788	1578.78
22.	पंजाब	280.03	159.18	662.92	505.34	1213.92	987.53	786.348	497.38
23.	राजस्थान	1274.97	1143.29	1364.62	1280.80	1945.46	1919.34	2037.128	1468.93
24.	सिक्किम	45.79	46.35	44.22	44.60	44.22	44.21	44.250	32.40
25.	तमिलनाडु	4,847.88	3710.62	3682.83	3806.15	3767.83	3951.11	3722.832	2810.47
26.	त्रिपुरा	263.21	249.93	275.00	268.01	302.00	279.18	302.622	187.45
27.	उत्तर प्रदेश	4550.69	4215.77	4928.85	4255.34	7039.89	6455.01	6948.948	4969.05
28.	उत्तराखण्ड	341.54	284.05	362.25	308.12	436.00	408.47	474.122	329.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिम बंगाल	3023.20	2652.01	3031.94	2718.52	3316.54	3145.29	3601.864	2513.12
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29.24	18.07	29.34	16.38	31.96	18.49	34.020	13.63
31.	चण्डीगढ़	4.13	4.38	5.63	3.51	25.80	25.28	31.380	19.77
32.	दादरा और नगर हवेली	11.81	10.45	8.15	8.09	8.88	2.97	9.924	0.12
33.	दमन और दीव	2.70	0.70	2.37	0.42	4.32	1.35	4.980	0.29
34.	लक्षद्वीप	4.84	5.36	4.61	3.70	4.61	3.71	4.620	2.14
35.	पुडुचेरी	65.80	22.68	38.35	18.93	53.71	32.32	56.112	36.76
	जोड़	39277.74	33290.18	38776.43	34600.80	47600.70	42402.69	47547.329	32821.63

*दिसम्बर, 2010 तक

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20.1.2010 को अंअयो/ गरेनी/गरेऊ के लिए आवंटन ^		19.5.2010 को अंअयो/ गरेनी/गरेऊ के लिए आवंटन ^ ^		7.9.2010 को गरेनी के लिए आवंटन***		6.1.2010 को गरेनी के लिए आवंटन ^ ^		6.1.2010 को गरेनी के लिए आवंटन***	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान**	आवंटन	उठान@	आवंटन	उठान@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	316.42	125.56	268.96	3.00	155.79	85.03	255.22	2.92	155.79	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.84	0.00	4.11	1.34	3.80	0.00	3.10	0.00	3.80	0.00
3.	असम	89.86	23.24	196.38	87.94	70.40	65.07	57.67	14.24	70.40	0.00
4.	बिहार	237.58	0.00	201 .94	26.88	250.11	70.02	116.26	0.00	250.11	0.00
5.	छत्तीसगढ़	88.22	50.37	149,97	149.24	71.89	71.08	55.05	40.69	71.89	35.37
6.	दिल्ली	55.64	21.80	47,29	45.69	15.68	5.38	51.51	0.00	15.68	0.00
7.	गोवा	6.40	0.00	5.44	0.00	1.84	1.84	5.90	0.00	1.84	0.00
8.	गुजरात	175.14	9.03	148.87	14.13	81,29	67.37	144.06	0.00	81.29	3.54
9.	हरियाणा	62.96	15.42	53.52	17.68	30.25	9.01	51.21	6.67	30.25	5.31
10.	हिमाचल प्रदेश	25.14	6.04	21.37	21.08	19.71	12.74	16.13	0.71	19.71	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	जम्मू और कश्मीर	36.04	32.26	30.63	30.61	28.22	0.00	23.14	0.00	28.22	0.00
12.	झारखंड	87.12	0.00	74.05	6.81	91.79	15.23	42.59	0.20	91.79	0.00
13.	कर्नाटक	188.74	73.69	160.43	72.37	119.97	111.61	136.92	0.00	119.97	15.56
14.	केरल	122.20	8.24	153.87	129.90	59.58	59.06	98.89	2.63	59.58	3.05
15.	मध्य प्रदेश	194.06	0.00	164.95	68.87	158.16	0.00	121.08	0.00	158.16	0.00
16.	महाराष्ट्र	354.54	0.00	301 .36	116.80	250.53	124.13	242.96	0.00	250.53	3.32
17.	मणिपुर	8.14	6.47	6,92	0.00	6,37	3.74	5.23	0.00	6.37	0.00
18.	मेघालय	8.98	2.34	7.63	1.84	7.02	0.40	5.77	0.00	7.02	0.44
19.	मिजोरम	3.34	3.34	5.68	2.84	2.61	2.61	2.15	0.00	2.61	2.61
20.	नागालैण्ड	6.04	1.82	10.27	10.27	4.76	4.76	3.86	2.90	4.76	1.19
21.	उड़ीसा	135.82	5.69	115.45	0.00	126.45	70.78	75.82	0.00	126.45	0.00
22.	पंजाब	79.52	0.00	67.59	58.91	17.94	11.32	76–15	11.97	17.94	4.79
23.	राजस्थान	177.34	46.64	301.48	205.98	93.21	67.50	139.70	23.33	93.21	0.00
24.	सिक्किम	2.10	0.94	2.29	2.29	1.65	0.72	1.35	0.07	1.65	0.00
25.	तमिलनाडु	277.64	258.36	235.99	146.49	186.46	186.46	195.77	0.00	186.46	66.91
26.	त्रिपुरा	14.44	0.00	12.27	0.00	11.31	8.78	9.27	0.00	11.31	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	522.83	0.00	444.41	179.66	409.44	57.09	335.64	13.92	409.44	0.00
28.	उत्तराखण्ड	24.38	0.00	20.72	4.04	19.09	3.40	15.65	0.00	19.09	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	290.46	228.99	246.89	224,68	198.58	44.25	202.82	1.66	198.58	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.62	0.00	1.38	0.21	1.07	0.36	1.15	0.00	1.07	0.00
31.	चण्डीगढ़	4.06	0.00	3.45	0.72	0.88	0.20	3.91	0.55	0.88	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	0.72	0.72	0.61	061	0.69	0.69	0.39	0.00	0.69	000
33.	दमन और दीव	0.51	0.30	0.00	0.00	0.13	0.12	0.48	0.00	0.13	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.22	0.22	0.19	0.00	0.12	0.12	0.17	0.00	0.12	0.00
35.	पुडुचेरी	4.48	0.41	3.81	0.31	3.22	0.67	3.04	0.00	3.22	0.00
	जोड़	3607.54	921.86	3470.18*	1631.18	2500.00	1161.51	2500.00	122.44	2500.00	142.08

*30.66 लाख टन आवंटन में से कुछ राज्यों को किया गया पुन: आवंटन शामिल है।

**28.2.2011 के अनुसार स्थिति 6.3.2011 तक उठान की अनुमति है।

@28.2.2011 के अनुसार स्थिति जून, 2011 तक उठान की अनुमति है।

^ गेहूं 10800 रुपए प्रति टन, चावल साधारण किस्म 14925.40 रुपए प्रति टन और ग्रेड 'ए' 15373.10 रुपए प्रति टन के मूल्य पर किया गया।

^ ^ गेहूं 8.45 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 11.85 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर किया गया।

***गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्य पर किया गया।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि संबंधी सम्मेलन

3181. श्री कैलाश जोशी:
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:
श्री जोस के. मणि:
श्री सतपाल महाराज:
श्री कुवंरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री धलंजय सिह:
डॉ. अनूप कुमार साहा:
श्री अम्बिका बनर्जी:
श्री पी. करुणाकरन:
शेख सैदुल हक:
श्री रमेश बैस:
श्री एम.वेणुगोपाल रेड्डी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री मदन लाल शर्मा:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री उदय सिंह:
श्री कमल किशोर कमांडो:
श्री उमाशंकर सिंह:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री गणेश सिंह:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य वृद्धि और मूल्य पर रोक लगाने के अर्थोपाय तैयार करने के मुद्दे पर हाल ही में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दें और इस संबंध में लिए निर्णय का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रया है;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए राशनिंग प्रणाली में परिवर्तन करने तथा खुदरा बिक्री क्षेत्र आदि खोलने सहित दिशा मे सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) हाल ही में मूल्यों में वृद्धि को रोकने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी जोन, उत्तरी जोन, पूर्वी जोन और पश्चिमी जोन में खाद्य/सार्वजनिक वितरण/उपभोक्ता मामले के मंत्रियों की जोनल बैठकें आयोजित की गई।

चर्चा/सिफारिशों का केंद्र आबंटन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मुद्दे, भण्डारण में सुधार से संबंधित मुद्दे, खरीद, भंडारण और संचलन के बारे में भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मुद्दे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी की उपलब्धता, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और स्टॉक होल्डिग सीमाओं से संबंधित मुद्दे थे।

(ग) और (घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के विविध कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को निर्यंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(क) अल्पकालिक उपाय

1. राजकोषीय उपाय

(1) चावल गेहूं प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क घटाकर शून्य और रिफाइड व हाइडोजनीकृत तेलों व वनस्पति तेलों के लिए 7.5 प्रतिशत तक किया गया।

(2) स्किम्ड मिल्क पाउडर के लिए शुल्क दर कोटे के तहत शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में 10,000 मीटिक टन समग्र तक के आयात के लिए 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया।

(3) वर्ष 2010-11 के दौरान एन डी डी बी को शून्य शुल्क पर 30,000 टन मिल्क पाउडर और 15,000 टन मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई।

(4) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 31.3.2011 तक शून्य पर कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइड चीनी के आयात की अनुमति दी गई।

2. प्रशासनिक उपाय

(1) सभी आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइन्ड चीनी के संबंध में लेबी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।

(2) गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर आगामी आदेशों तक खाद्य तेलों (नारियल तेल और बन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और जैविक दालों के अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

(3) खाद्य तेलों के 5 कि. ग्रा. ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में निर्यात की अनुमति दी गई जिसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष में 10,000 टन होगी।

(4) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं।

(5) दालों, धान, चावल, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चीनी के मामले में स्टॉक सीमा आदेशों को बढ़ा दिया गया।

(6) प्याज और बासमती, चावल के निर्यात को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रयोग करना।

(7) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपये प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्य योजना के लिए 2 रुपये प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 2002 से कायम रखा गया।

(8) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010-11 दौरान जारी रहा। चीनी के भावी सौदा व्यापार को 27.5.2010 से 30.9.2010 तक निलंबित किया गया है।

(9) 2009-10 के चीनी मौसम के लिए लेवी चीनी के रुप में अपक्षित चीनी उत्पाद के अनुपात को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि वर्ष 2010-11 के चीनी मौसम के लिए लेवी की अनिवार्यता को 10 प्रतिशत तक घटा दिया गया।

(10) फरवरी 2011 के लिए 16.23 लाख टन गैर लेवी चीनी उपलब्ध कराई गई है जिसमें 13 लाख टन सामान्य गैर-लेवी चीनी आयातित कच्ची चीनी से संसाधित 0-23 लाख टन चीनी शामिल है तथा जनवरी, 2011 के गैर-लेवी कोटे में से 3 लाख टन अनुमानित उपलब्धता है जिसे 14.2.2011 तक बढ़ाया गया था। इसके अलावा, 2.10 लाख टन लेवी चीनी का कोटा भी रिलीज किया गया है। अतः जनवरी 2011 के लिए 18.39 लाख टन चीनी उपलब्ध कराई गई।

(11) अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्डो के स्वीकृत सदस्यों के लिए जनवरी और फरवरी 2010, में प्रतिमाह प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. की दर से गेहूं/चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। यह मौजूदा आबंटन से अतिरिक्त है, जबकि गेहूं का आबंटन 108,00 रु. प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया और चावल का आंबटन श्रेणी 'क' के लिए 15373.10 रु. प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य से व्युत्पन्न मूल्य पर किया गया।

(12) खाद्यान्नों के 30.66 लाख टन विशिष्ट पदर्थ अतिरिक्त आबंटन 19.5.2010 से सभी कार्डधारकों के लिए 20.11. 2010 तक गेहूं के लिए 8.45 रु. प्रति कि. ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रु. प्रति कि. ग्रा. तक उठान वैधता के साथ किया गया है।

(13) प्रचलित गरीबी रेखा से ऊपर केद्रीय निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए प्रतिमाह 4.57 लाख टन खाद्यान्न अतिरिक्त आबंटन 2.8.2010 को किया गया। यह प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए उन राज्यों के लिए लागू होगा, जहां गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किया गया आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह से कम था।

(14) 25 लाख टन के खाद्यान्न का आबंटन सितम्बर 2010 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सितम्बर 2010, से 6माह में वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(15) इसके अलावा 25, लाख टन के खाद्यान्न का आबंटन 6.1.2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून 2011, तक के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत मूल्यों पर किया गया है।

(16) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून 2011, के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को वितरण हेतु 25 लाख टन के खाद्यान्न का एक अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से गहूं और 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल दिया गया।

(17) इसके अलावा खुला बाजार बिक्री योजना दखल के अंतर्गत राज्य सरकारों को अतिरिक्त आबंटन किया गया।

(18) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए घाटे के 15 प्रतिशत और सी आई एफ वेल्यू की 1.2 प्रतिशत के सेवा प्रभार प्रतिपूर्ति पर दालों का आयात करने की मौजूदा छूट को 31.3.2011 तक बढ़ाया गया है।

(19) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर पर 10 रु. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण के लिए स्कीम। यह स्कीम 31.3.2011 तक लागू है।

(20) दिल्ली में नेफेड, केद्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और मदर डेयरी के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से पीली मटर की लोकप्रियता बनाने का भी प्रयोग किया गया।

(21) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1कि.ग्रा. राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण के लिए स्कीम। यह स्कीम 31.3.2011 तक लागू है।

(22) प्याज के निर्यात (सभी स्कीम) जिसमें बंगलौर रोज प्याज और कृष्णा पुरम प्याज ताजा अथवा शीतित, जमा हुआ अस्थायी रूप से तैयार अथवा सुखाया हुआ प्याज शामिल है, किन्तु इसमें कटा हुआ प्याज, टुकड़ा अथवा पाउडर वाला प्याज शामिल नहीं है, को 22 दिसम्बर 2010, से निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। प्याज के निर्यात पर बैन को 18 फरवरी 2011, से हटाया गया।

(23) प्याज और शैलेट्स को 21 दिसम्बर 2010, से मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है। परिणामत: इन वस्तुओं को विशेष 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क, शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से भी छूट दी जाएगी। यह छूट ओपन एंडिड है और इसमें कोई वैधता की शर्त नहीं है जिसमें अंतिम तारीख दी गई है।

(24) नेफेड और एन सी सी एफ, दिल्ली में अपने फुटकर बिक्री केंद्रों से कम कीमतों पर प्याज बेच रहे हैं।

(25) मूल्य स्थिति और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कन्फ्रेंस के जरिए की गई। अनेक राज्य सरकारें अपनी सहकारिताओं/कृषकों के बाजारों के जरिए बाजार में दखल कर रही हैं।

(26) नेफेड/एन सी सी एफ को प्याज की बिक्री पर होने वाले घाटों की प्रतिपूर्ति 31.1.2011 तक एक माह की अवधि के लिए लैंडिड लागत के 30 प्रतिशत पर घाटे की सीमा के साथ प्रतिपूर्ति की जा रही है। दोनों एजेंसियों प्याज खरीदना जारी रखेंगी तथा दिल्ली और अन्य केन्द्रों में 31.1.2011 के बाद बिना सब्सिडी के प्याज बेचती रहेंगी।

(27) गरीब और कमजोर वर्गो को मूल्य संचलन के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पहुंचाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन 6 फरवरी, 2010 को आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कुछ मुख्यमंत्रियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के एक कोर ग्रुप की बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 8.4.2010 को हुई और जिसमें अन्य बातों के अलावा उपभोक्ता मामलों से संबंधित एक कार्यदल के गठन (जिसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे) करने की सिफारिश की गई, जो किसान को खेत पर मिलने वाले मूल्य और खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को कम करने की कार्यनीति का सुझाव देगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का बेहतर कार्यान्वयन और संशोधन के लिए सिफारिश देगा। इनमें

शमिल हैं- वितरण संबंधी की कार्यकुशलता में सुधार, मध्यस्थता की लागतों को कम करना, उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का खुदरा व्यापार के लिए सरकार का दखल और अल्प और दीघकालिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से सांविधिक उपबंधों का प्रवर्तन शामिल है।

(ख) मध्यकालिक उपाय

मध्यकालिक उपाय के रूप में सरकार ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए राष्ट्रीय खाद्य मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलें की हैं।

'पेड न्यूज' संबंधी नीति

3182. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री उदय सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री खगेन दास:
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'पैसे लेकर समाचार देने' (पेड न्यूज) संबंधी मामले की जांच करने हेतु मंत्री समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंत्री समूह के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) मंत्री समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) मंत्री-समूह के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:-

- भारतीय प्रैस परिषद द्वारा तैयार की गई 'पेड न्यूज पर रिपोर्ट' की जांच करना, और
- पेड न्यूज की समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने और संस्थागत तंत्र स्थापित करने के संबंध में अपने विचार देना।

(ग) मंत्री-समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय झण्डे का फहराया जाना

3183. **श्री ए.टी. नाना पाटील:**
श्री राकेश सिंह:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्रीमती मीना सिंह
श्री भूदेव चौधरी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोगों द्वारा राष्ट्रीय झंडे के फहराये जाने पर कोई रोक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी हाल में किसी राज्य में राष्ट्रीय झंडे के फहराये जाने पर कोई रोक लगाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/प्रदर्शन/ध्वजारोहण को भारत की झण्डा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत की झण्डा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में उपबंधित सीमा को छोड़कर जन साधारण लोगों, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) भारत की झण्डा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की प्रति क्रमशः विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ): एकता यात्रा द्वारा लाल चौक, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में दिनांक 26 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति सरकार द्वारा कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर नहीं दी गई थी।

विवरण-I

भारतीय झंडा संहिता

2002

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली

भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में अनेक लोगों और सशस्त्र सैनिकों ने इस तिरंगे को पूर्ण गौरव के साथ फहराते रहने के लिये सहजता पूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिया है।

राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डा.राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डा.एस. राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि "भगवा या केसरिया रंग त्याग या नि:स्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे नेतागणों को भौतिक सुखों से विरक्त तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। इस झंडे तले शासन करने वाले लोगों को सत्य, धर्म या नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पुनश्च, चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चलना ही जिंदगी है। भारत को परिवर्तन की अनदेखी नहीं करनी है, अपितु आगे ही आगे बढ़ना है। चक्र शान्तिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है।"

सब के मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्राय: देखने में आया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए जो नियम, रिवाज़ और औपचारिकताएं हैं उसकी जानकारी न तो आम जनता को है और न ही सरकारी संगठनों और एजेंसियों को। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी असांविधिक निर्देशों, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का सं.12) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन नियंत्रित होता हैं। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में सभी नियमों, रिवाज़ों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है।

सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग I में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया हे। आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता के भाग II में विवरण दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों व एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण संहिता के भाग III में दिया गया है।

"झंडा संहिता-भारत" के स्थान पर "भारतीय झंडा संहिता, 2002" को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है।

भाग-I

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे पर तीन अलग-अलग रंगों की पट्टियां होंगी जो समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे भारतीय हरे रंग की पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी जिसके बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारियों वाला अशोक चक्र बना होगा। बेहतर होगा यदि अशोक चक्र स्क्रीन से प्रिंट किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ाई किया हुआ हो जो सफेद पट्टी के बीच में झंडे के दोनों और से स्पष्ट दिखाई देता है।

1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया है।

1.3 राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होंगे-

झंडे का आकार वर्ग	मिलीमीटरों में माप
1.	6300 × 4200
2.	3600 × 2400
3.	2700 × 1800
4.	1800 × 1200
5.	1350 × 900
6.	900 × 600
7.	450 × 300
8.	225 × 150
9.	150 × 100

1.5 फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाए। 450 × 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले हवाई जहाजों के लिये, 225 × 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 × 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए हैं।

भाग-II

आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा I

2.1 आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950* और राष्ट्रीय गौरव अपनत्व निवारण अधिनियम, 1971** तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के। उपर्युक्त अधिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख जाएगा–

(i) झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा अन्यथा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगा;

(ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नही जाएगा;

(iii) झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुका कर फहराने के आदेश जारी कि गए हों;

(iv) झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें व्यक्तिगत शवयात्रा शामिल है, के काम में नहीं लाया जाएगा;

(v) किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकियों, रूमालों, नेपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा;

---

*संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

धारा 2: इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'सप्रतीक' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, मोहर, झंडा, तमगा, कोट-आफ-आर्म्स या चित्रात्मक स्वरूप में है;

धारा 3: इस समय लागू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व अनुमति के बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए किसी पेटेंट के हक में या डिजाइन के किसी ट्रेड मार्क में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिह् या उससे मिलती-जुलती किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करना जारी नहीं रहेगा।

नोट: इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है।

** राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

धारा 2: कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा कृत्यों द्वारा) अपमान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1-भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2–'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3–'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

(vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे;

(vii) झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा;

लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी;

(viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ix) झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा;

(x) झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा;

(xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की टोपदार छत, ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा;

(xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(xiii) झंडे को जानबूझकर "केसरिया" रंग को नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा।

2.2. जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा रखने और उसे सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए–

(i) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए;

(ii) फटा हुआ या मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए;

(iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाए;

(iv) संहिता के भाग-III की धारा IX में की गई व्यवस्था के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा;

(v) यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है, तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए;

(vi) जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे, लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा (अर्थात् झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर);

(vii) जहां तक संम्भव हो झंडे का आकार इस संहिता के भाग-I में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए;

(viii) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए और न ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु उसके ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाए;

(ix) फूलों का गुच्छा या पताका या बन्दनवार बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा;

(x) जनता द्वारा कागज के बने झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। परन्तु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने के पश्चात् न तो विकृत किया जाएगा और न ही जमीन पर फेका जाएगा। जहां तक सम्भव हो, ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए;

(xi) जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, वहां मौसम को ध्यान में रखे बिना उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए;

(xii) झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर न किया जाए जिससे कि वह फट जाए; और

(xiii) जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकान्त में पूरा नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

धारा II

2.3 शैक्षिक संस्थाओं (स्कूल, कालेज, खेल शिविर, स्काऊट शिविर आदि) में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए ताकि मन से झंडे का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दी जा सके। मार्ग दर्शन के लिए हिदायतें नीचे दी गई हैं-

(i) स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगे। इस वर्ग में तीन तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई दूसरा हो) झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।

(ii) छात्र कक्षाक्रम से दस-दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से) खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाई ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाई ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम से अन्य कक्षाएं खड़ी होंगी।

(iii) हर पंक्ति के बीच कम से कम एक कदम (30 इंच) का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए।

(vi) जब हर कक्षा तैयार हो जाए, तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र-नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएं, तो स्कूल का छात्र-नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र-नेता सहायता कर सकता है।

(v) स्कूल का छात्र-नेता, जिसे परेड (या सभा) का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अटेंशन) हो जाने की आज्ञा देगा और झंडे के लहराने पर परेड को झंडे को सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर "कमान" आदेश पाने पर सावधान (अर्टेशन) की अवस्था में रहेगी।

(vi) झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्र गान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान (अर्टेशन) की अवस्था में रहेगी।

(vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्र गान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान (अर्टेशन) की अवस्था में खड़ी रहेगी। प्रधानाध्यापक शपथ पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएगी।

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी–

सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे-

"मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूं जिसका यह झंडा प्रतीक है।"

भाग-III

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा-I

रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों/कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना

3.1 राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जिन रक्षा प्रतिष्ठानों के अपने नियम हैं, उन पर इस भाग में की गयी व्यवस्था लागू नहीं होंगी।

3.2 राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों/कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है जहां राजनयिक और कोंसुलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालयों तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडों को फहराए जाने का प्रचलन है।

धारा-II

झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना

3.3 उपर्युक्त धारा I में उल्लिखित व्यवस्था के अध्ययीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.4 सरकारी तौर पर झंडा फहराये जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जांएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो

द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्यूरो का मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडे फहराना वांछनीय होगा।

धारा-III

झंडा फहराने का सही तरीका

3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

3.6 यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर यह रविवार और छुट्टियों में भी सभी दिन फहराया जाएगा और इस संहिता में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है किन्तु ऐसा केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना चाहिए।

3.7 झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए, और धीरे-धीरे एवं और आदर के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराते समय और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाय और उतारा जाए।

3.8 जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरी पट्टी सबसे दूर वाले सिरे पर होगी।

3.9 जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ा और चौड़ाई में किया जाता है तो केसरी पट्टी सबसे ऊपर रहेगी और जब वह लंबाई में फहराया जाए, तो केसरी पट्टी झंडे के हिसाब से दाई ओर होगी अर्थात् वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाई ओर होगी।

3.10 यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर रहे; अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा फहराया जाए।

3.11 किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

3.12 जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचों बीच या कार के आगे दाई ओर कसकर लगाये हुए एक डंडे (स्टाक) पर फहराया जाए।

3.13 जब झंडा किसी जुलूस या परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाई ओर अर्थात झंडे के भी दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में आगे होगा।

धारा-IV

झंडा फहराने के गलत तरीके

3.14 फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.15 किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।

3.16 किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और आगे बताई गई व्यवस्था को छोड़कर, राष्ट्रीय झंडे के बराबर में भी नहीं रखा जाएगा; और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी, जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल हैं।

3.17 फूलों का गुच्छा या झंडियां या बन्दनवार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

3.18 झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा।

3.19 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.20 झंडे का जमीन, या फर्श छूने या पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा।

3.21 झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा जिससे कि वह फट जाए।

धारा-V

झंडे का दुरुपयोग

3.22 राजकीय/सैन्य/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों से सम्बन्धित शवयात्राओं, जिनके सम्बन्ध में आगे व्यवस्था की गई है, को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.23 झंडे का वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपदार छत, बगल अथवा पिछले भाग को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।

3.24 झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या मैला हो जाए।

3.25 जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही अनादरपूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

3.26 झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.27 किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गद्दियों, रूमालों, बक्सों अथवा नेपकीनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।

3.28 झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।

3.29 किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उस डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा जिस पर कि झंडा फहराया जा रहा हो।

3.30 झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लेकिन विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा-VI

झंडे को सलामी

3.31 झंडे को फहराते समय या उतारते समय या झंडे की परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थित सभी लोग झंडे की ओर मुंह करके सावधान (अटैंशन) की अवस्था में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति समुचित ढंग से सलामी देंगे। जब झंडा जा रही सैन्य टुकड़ी के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान खड़ें होंगे या जब झंडा उनके पास से गुजरे तो वे उसको सलामी देंगे। गणमान्य व्यक्ति सिर पर कोई वस्त्र पहने बिना भी सलामी ले सकते हैं।

धारा-VII

राष्ट्रीय झंडे का दूसरे राष्ट्रों के झंडों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ फहराया जाना

3.32 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ एक ही पंक्ति में फहराया जाए तो उसे सबसे दाईं ओर रखा जाएगा, अर्थात् यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों की पंक्ति के बीच में श्रोताओं की ओर मुख करके खड़ा हाता है तो राष्ट्रीय झंडा उसके सबसे दाईं ओर होगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है।

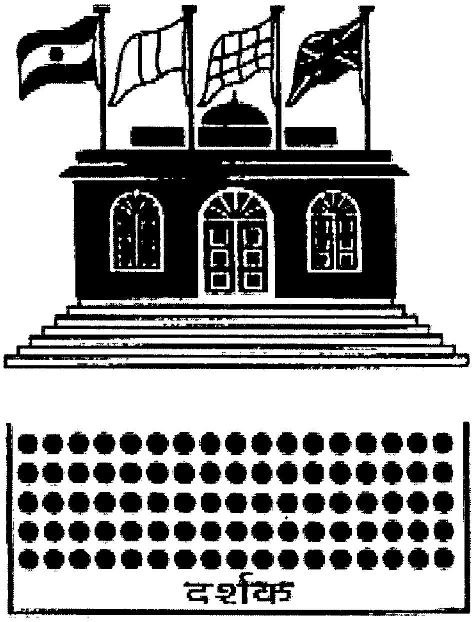

3.33 राष्ट्रीय झंडे के बाद दूसरे राष्ट्रों के झंडे संबंधित राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार लगाए जाएंगे। ऐसे मामले में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरू में, नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार झंडों की पंक्ति के मध्य में और पंक्ति के अंत में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा और सबसे बाद में उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को खुले गोलाकार में अर्थात अर्धगोलाकार में फहराया जाता है तो इस धारा के पिछले खंड में बताई गई कार्यविधि ही अपनाई जाएगी। यदि झंडे एक पूर्ण गोलाकार में फहराए जाते हैं तो आरंभ में राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी की सुई के दिशाक्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अन्तिम झंडा राष्ट्रीय झंडे तक आ जाए। गोलाई का आरंभ और अंत दर्शाने

के लिए दूसरा राष्ट्रीय झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बन्द गोलाकार में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को लगाया जाएगा।

3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों पर फहराये जाएं, तो एक-दूसरे को क्रास करते हों, तो राष्ट्रीय झंडा दायी ओर अर्थात् झंडे की अपनी दाई ओर होगा और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है।

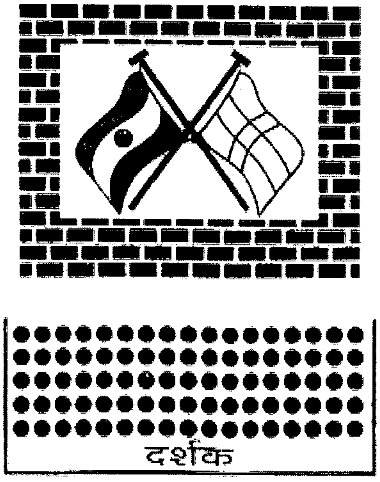

3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यत: राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाई ओर होता है, (अर्थात झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाई ओर) यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट हो गई है–

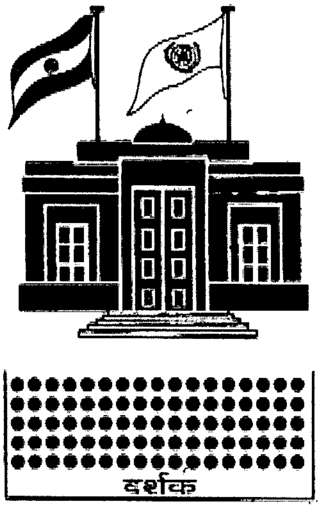

3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ फहराया जाता हे तो सारे झंडों के ध्वज-दंड समान आकार के होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शान्ति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊंचा नहीं फहराया जाता है।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग-अलग झंडों के लिए अलग-अलग ध्वज-दंड होंगे।

धारा-VIII

सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना

3.39 सामान्यत: उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, जिला कचहरियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए।

3.40 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा-शुल्क चौकियों, जांच चौकियों (चैकपोस्ट), सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और अन्य ऐसी खास जगहों पर, जहां कि झंडा फहराने का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गश्ती दलों (बार्डर पेट्रोल) के शिविरों पर भी झंडा फहराया जा सकता है।

3.41 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, जब अपने मुख्यालय में हों, तो उनके सरकारी आवासों पर, और जब वे अपने मुख्यालयों से बाहर दौरे पर हों, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन, सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन, सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुन: फहरा दिया जाना चाहिए। जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों तो जिस भवन में वे निवास करें, उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और जब वे उस स्थान से बाहर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर उक्त सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त

तक फहराया जाना चाहिए, चाहे गणमान्य व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में उपस्थित हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं तो उस संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सम्राट् राजा, उत्तराधिकारी युवराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हों और उस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती है तो उस संस्था द्वारा धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराए जाएं। यदि वह गणमान्य व्यक्ति उसी दिन किसी सरकारी भवन का भी दौरा करना चाहें जिस दिन वह उक्त संस्था में आए हों तो उन सरकारी भवनों पर भी धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराएं जाएं।

धारा-IX

मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.44 मोटर-कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को ही है-

(1) राष्ट्रपति;

(2) उप-राष्ट्रपति;

(3) राज्यपाल और उप-राज्यपाल;

(4) विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष;

(5) प्रधानमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;

केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री;

राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;

राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री;

(6) लोक सभा के अध्यक्ष;

राज्य सभा के उप सभापति;

लोक सभा के उपाध्यक्ष;

राज्य विधान परिषदों के सभापित;

राज्य और संघा शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष;

राज्य विधान परिषदों के उप सभापति;

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष;

(7) भारत के मुख्य न्यायाधीश;

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश;

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।

3.45 पैरा 3.44 के खंड (5) से (7) तक में उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति, जब कभी आवश्यक या उचित समझें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं।

3.46 जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे, तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाईं ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाया जाएगा।

धारा-X

रेल गाड़ियों और वायुयानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.47 जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है वहां ड्राईवर की कैबिन पर प्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाया जाए तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा केवल तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गन्तव्य स्टेशन पर पहुंच गई हो।

3.48 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। जिस देश की यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ लगाया जाना चाहिए, परन्तु मार्ग में जिन-जिन देशों में विमान उतरे तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं।

3.49 जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस ओर राष्ट्रपति विमान में चढ़ें या उससे उतरें।

धारा-XI

झंडे को आधा झुकाना

3.50 निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के सामने उल्लिखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाएगा:

गणमान्य व्यक्ति	स्थान
राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री	समस्त भारत
लोक सभा के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश	दिल्ली
केन्द्रीय केबिनेट मंत्री	दिल्ली और राज्यों की राजधानियां
केन्द्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री	दिल्ली
राज्यपाल उप-राज्यपाल राज्य का मुख्यमंत्री संघ शासित क्षेत्र का मुख्य मंत्री	संबंधित समस्त राज्य या संघ शासित क्षेत्र
राज्य का केबिनेट मंत्री	संबंधित राज्य की राजधानी

3.51 यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराह्न में प्राप्त होती है तो ऊपर बताए गए स्थान या स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा, बशर्ते कि उक्त दिन सूर्योदय से पूर्व अत्येष्टि न हुई हो।

3.52 ऊपर उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति की अत्येष्टि के दिन उस स्थान पर झंडा आधा झुका दिया जाएगा जहा। अत्येंष्टि की जानी है।

3.53 यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाता है तो केन्द्रीय गणमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति के मामले में संबंधित पूरे राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में शोकावधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा।

3.54 किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर झंडे को आधा झुकाये जाने और, जहां आवश्यक हो, राजकीय शोक मनाये जाने के संबंध में ऐसे विशेष अनुदेश लागू होंगे जो कि अलग-अलग मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

3.55 ऊपर बताई गई व्यवस्थाओं के बावजूद, यदि झंडे को आधा झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पड़ते हैं तो उस भवन को छोड़कर जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है, अन्य स्थानों पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा और उस भवन में भी, जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा गया है, उस समय तक ही झंडा झुका रहेगा जब तक कि दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर वहां से उठाया नहीं जाता है और दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर उठाये जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा पूरी तरह फहरा दिया जाएगा।

3.56 यदि झंडा ले जा रही परेड या जुलूस के रूप में शोक मनाया जाता है तो आगे काले कपड़े (क्रेप) की दो पट्टियां लगा दी जाएंगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार से काले कपड़े (क्रेप) का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकेगा।

3.57 जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊंचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा जाए किन्तु दिन-भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर पूरी ऊंचाई तक उठाया जाए।

टिप्पणी: *झंडा आधा झुकाए जो (हाफ-मास्ट) से तात्पर्य है झंडे को चोटी तथा 'गार्ड लाईन' के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और 'गाई लाइन' न होने की अवस्था में झंडे को डंडे (स्टाफ) के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।*

3.58 राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झंडे से ढक दी जाएगी और झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर होगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

3.59 किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में प्रत्यायित भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर भारतीय दूतावास को झंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहां की स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार (जिसका पता, जहां-कहीं भी आवश्यक है, राजनयिक कोर के अधिष्ठाता डीन आफ दि डिप्लोमेटिक कोर से लगाया जाना चाहिए) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।

विवरण-II

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
1971 की संख्या क69 (23 दिसम्बर, 1971)
(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या क51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1-भारत के संविधान में संशोधान करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2-'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3-'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4-भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या

(ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या

(घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,

(i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(ii) कुशनों, रूमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराये जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के यप में प्रयोग करना; या

(ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज़ या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या

(झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बंगल या पिछले भाग पर लपेटना, या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

***3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड**

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1: *राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31. दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2: #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

3184. श्री धनंजय सिंह:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री गजानन ध. बाबर:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्रीमती जया प्रदा:
श्री भक्त चरण दास:
श्री तकाम संजय:
श्री राजू शेट्टी:
श्री नीरज शेखर:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री यशवीर सिंह:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमी, बड़े स्तर पर अन्यत्र उपयोग और अद्यतनीकृत आंकड़ों के अभाव के कारण इसके अंतर्गत खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त न होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं उक्त कमियों को दूर करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमिततओं के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/प्रणाली में अनियमितताओं की शिकायतों की मानीटरिंग के लिए स्थापित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबों को बिना परेशानी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक प्रणाली लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के ये आबंटन 10 और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रमि माह की रेंज में हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

देश में कुछ क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। जब कभी भी व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रैस रिपोर्टों के जरिए सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता है।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने और उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इनका वितरण करने के लिए 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है जिसमें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह आदेश दिया गया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई करें। इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय अपराध है।

उक्त आदेश के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और उक्त आदेश के खंड 8 और 9 के प्रावधानों को लागू करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारो में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने कारण बताओं नोटिस जारी करने, प्राथमिकी दर्ज करने, उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलंबित/रद्द करने, गिरफ्तार करने, अभियोजित/दोष सिद्ध करने आदि जैसी कार्रवाई करने की सूचना दी है।

समाज के गरीब वर्गों को लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण को सुदृढ़ करना और उसे सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए जुलाई, 2006 में 9 सूत्री कार्य योजना क्रियान्वित करने के निदेश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को आबंटित खाद्यान्नों के लिए नियमित रूप राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाते है। इसके अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे जाली/अपात्र राशन कार्ड रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करें। इसके परिणामस्वरूप जुलाई, 2006 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 208.57 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करने की सूचना दी है।

सरकार ने इसकी नियमित रुप से समीक्षा की है तथा मॉनीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाकर, संशोधित मॉडल नागरिक अधिकार पत्र अपना कर और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके और उचित दर दुकानों की क्षमता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

मेगा फूड पार्क की स्थापना

3185. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री महेनद्र सिंह पी. चौहाण:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवसंरचना विकास योजना के दूसरे चरण में 5 अतिरिक्त मेगा फूड पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पार्को की स्थापना हेतु स्थान के चयन के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पार्को की स्थापना के लिए राज्य-वार किए गए/किए जाने वाले आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) किसानों को इस संबंध में होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(च) इन पार्को की स्थापना के लिए पंजाब सहित राज्य-वार विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): सरकार ने प्रथम

चरण में अनुमोदित की गई 10 चालू परियोजनाओं के अलावा, अवसरंचना विकास स्कीम के अंतर्गत दूसरे चरण में 5 नये मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना का अनुमोदन दिया है।

(ख) हाल ही में अनुमोदित 5 मेगा खाद्य पार्कों हेतु 10 राज्यों अर्थात मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, केरल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से अभिरुचि पत्र मांगे गए हैं। प्रत्युत्तर में, इन राज्यों से 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त 40 प्रस्तावों की सूची सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मेगा खाद्य पार्क परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त प्रस्तावों के मूल्यांकन और चयन हेतु विस्तृत कार्य पद्धति निर्धारित की गई है। स्कीम के दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) इन प्रस्तावों का बहु दक्षता व्यावसायिक एजेंसी द्वारा मूल्याकंन किया जा रहा है जिसे कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए) के तौर पर नियुक्त किया गया है। निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार, इन प्रस्तावों के परस्पर गुणावगुणों का मूल्यांकन तकनीकी समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित हैं तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर अंतरमंत्रालयी अनुमोदन समिति सबसे उपयुक्त प्रस्तावों को "सैद्धांतिक" अनुमोदन देने के लिए चयनित करती है।

(ङ) परियोजना का उद्देश्य किसानो की आय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करना है। प्रत्येक मेगा खाद्य पार्क से प्रत्यक्ष रूप से 6000 किसानों/उत्पादकों और अप्रत्यक्ष रूप से 25,000-30,000 किसानों को लाभ होने की आशा है।

(च) और (छ) मंत्रालय द्वारा मंगाए गए अभिरुचि पत्रों के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण पर दी गई हैं। उपयुक्त आवेदक का चयन करने के लिए निर्धारित कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

विवरण

5 नए मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए अभिरुचि पत्रों के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	आवेदक कंपनी के नाम
1	2
	गुजरात
1.	मैस, जाफी फूडस इंडसट्रीज प्रा. लि., अहमदाबाद
2.	मैस. संतोशी मसाला प्रा.लि. अहमदाबाद
3.	मैस, फनिधर मेगा फूड पार्क प्रा.लि. अहमदाबाद, गुजरात
4.	मैस, श्री एल.टी.सी. एस्पोर्टस इंडिया प्रा.लि., मुम्बई
5.	मैस, महाकाली मेगा फूड पार्क, मेहसाना
6.	मैस, अनिल लिमिटेड, अहमदाबाद
7.	मैस, विनफ्रा ग्रीन प्रोजेक्टस पी.लि., गुजरात
8.	मैस, गुजरात मेगा प्रोसेस्ड फूड पार्क प्रा. लि., गुजरात
9.	मैस, विबरेन्ट मेगा फूड पार्क, सूरत, गुजरात
	मध्य प्रदेश
10.	मैस. रुचि सोया इंडसट्रीज लि., मुम्बई
11.	मैस. एम.पी. स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, मुम्बई
12.	मैस. वशिष्ट होल्डिंग, हैदराबाद
13.	मैस. सेन्ट्रल इंडिया मेगा फूड पार्क लि., मध्य प्रदेश
14.	मैस. सनवारिया मेगा फूड पार्क लि. मध्य प्रदेश
15.	मैस. मध्यप्रदेश मेगा प्रोसेस्ड फूड पार्क प्रा.लि., इंदौर
16.	मैस. छिन्दवारा मेगा फूड पार्कस प्रा.लि., मध्य प्रदेश
	बिहार
17.	मैस. केवेन्टर फूड पार्क इंफ्रा लि., कोलकाता
18.	मैस. रुचि इंफ्रस्टकचर लि., मुम्बई
19.	मैस. जेवीएल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., बिहार
20.	मैस. बिहार मेगा प्रोसेस्ड फूड पार्क प्रा.लि., बिहार
21.	मैस. प्रिस्टाइन लोजेस्टिक एण्ड इंराप्रोजेक्टस प्रा.लि., दिल्ली
	हरियाणा
22.	मैस. हरियाणा हर्बल एण्ड फूड पार्क, रानीपुर, हरिद्वार
23.	मैस. स्टारवन रियलटास प्रा. लि., हरियाणा
24.	मैस. हरियाणा मेगा खाद्य पार्क प्रा. लि., उत्तर प्रदेश

1	2
	केरल
25.	मैस. केरल सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, कोची
26.	मैस. मालाबार मेगा फूड पार्क प्रा.लि. केरल
27.	मैस. नेशनल इंटिग्रटेड मेगा फूड पार्क लि. केरल
	राजस्थान
28.	मैस. राजस्थान मेगा फूड पार्क लि., जयपुर, राजस्थान
29.	मैस. एआरएल इंफ्राटेक लि. जयपुर राजस्थान
30.	मैस. मारवार एग्रो फूड पार्कस प्रा. लि., राजस्थान
	छत्तीसगढ़
31.	मैस. रामकी इंफ्रस्ट्रक्चर लि. आंध्र प्रदेश
32.	मैस. साहारा इंटिग्रेटेड मेगा फूड पार्क प्रा. लि.
33.	मैस. छत्तिसगढ़ एग्रो फूड पार्कस, नई दिल्ली
	उड़ीसा
34.	मैस. सेंटर ऑफ इन्टरप्रेनियूरशिप डेवलप्मेंट, रिजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा
35.	मैस. एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि., भुवनेश्वर उड़ीसा
36.	मैस. उड़िसा मेगा एग्रो फूड पार्क लि., हैदराबाद
	त्रिपुरा
37.	मैस. सिकारिया इंफ्राप्रोजेक्ट्स (पी.) लि., कोलकाता
38.	मैस. टयूब गिलास कॉनटेनर्स लि., त्रिपुरा
	जम्मू और कश्मीर
39.	मैस. सिम्पलेक्स प्रोजेक्टस लि., कोलकाता
40.	मैस. कश्मीर एग्रीफेश फूड पार्क, जम्मू और कश्मीर

[हिन्दी]

मीडिया के लिए आचार संहिता

3186. श्री देवजी एम. पटेलः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए आचार संहिता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार दोनों प्रकार के मीडिया में स्व-विनियम के लिए द्विस्तरीय प्रणाली का विकास करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कदम इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया को किस सीमा तक विनियमित कर सकेंगे; और

(ङ) केबल नेटवर्क अधिनियम के अंतर्गत अलग-अलग चैनलों के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति बनायी गई है तथा नयी प्रणाली के प्रस्तावित कार्य क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) केवल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पहले से ही प्रावधान है। सभी सेवा प्रदाताओं अर्थात केबल प्रचालकों, डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों तथा प्रसारकों द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि सृजित और प्रसारित की जा रही विषय-वस्तु इन संहिताओं के अनुरूप हो। जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारत में प्रैस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। सरकार उसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने तथा प्रैस में स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के लिए प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक सांविधानिक निकाय-भारतीय प्रैस परिषद् (पीसीआई) का गठन किया गया है। पीसीआई ने प्रैस को स्व-विनियमन के सिद्धात का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख) के अंतर्गत पत्रकार

आचरण के मानक तैयार किए हैं। इन मानदंडों में पत्रकारिता के सामान्य सिद्धांत और आचार संहिता के साथ-साथ सामुदायिक अशांति, उग्रवाद, पड्स, वित्तीय, पत्रकारिता, चुनाव संबंधी रिपोर्टिंग आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित दिशानिर्देश शामिल हैं। गत कई वर्षों में पीसीआई के 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों' का विकास होता रहा है और वर्तमान में प्रैस द्वारा वर्ष 2010 संस्करण क अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रमुख सैटेलाइट टीवी चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक औद्योगिक निकाय, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा मनोरंजन चैनलों की विषय-वस्तु पर एक दो स्तरीय स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रथम स्तर पर प्रसारक होगा तथा द्वितीय स्तर पर प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद् होगी। बीसीसीसी को 13 सदस्यीय निकाय बनाने का विचार है, जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होगा तथा 12 अन्य सदस्य होंगे। बीसीसीसी को मनोरंजन चैनलों द्वारा संहिता का उल्लंघन किए जाने संबंधी सभी शिकायतों की जांच करने तथा किसी भी आपत्तिजनक विषय-वस्तु में संशोधन करने अथवा उसे हटा लेने के लिए संबंधित चैनलों को उपयुक्त निदेश देने का अधिदेश प्राप्त होगा। चूंकि बीसीसीसी के अधिंकाश सदस्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों और सांविधिक आयोगों से लिए जाएंगे, इसलिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक विषय-वस्तु से संबंधित मुद्दों का निपटान करने के लिए बीसीसीसी द्वारा एक विश्वसनीय और स्वीकार्य स्व-विनियामक तंत्र उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारतीय प्रैस परिषद् प्रिंट मीडिया की विषय-वस्तु, जिससे प्रथम दृष्टया पत्रकारिता आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया जाता हो की निगरानी करती है तथा स्व-प्रेरणा अथवा शिकायत प्राप्त होने पर उसका संज्ञान लेती है।

(ङ) सभी टीवी चैनलों द्वारा केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। ये संहिताएं कतिपय विषय-वस्तु, जो कि परम्परागत सामुदायिक मानकों, लोक व्यवस्था, नैतिकता, देश की अखंडता और सुरक्षा आदि के प्रतिकूल हो, के प्रसारण हेतु निषेधात्मक स्वरूप की हैं।

फसल बीमा के अंतर्गत कवरेज

3187. श्री यशवीर सिंह:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती जया प्रदा:
श्री नीरज शेखर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना-वार और राज्यवार विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की संख्या क्या है;

(ख) योजना-वार और राज्य-वार इन फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई प्रीमियम राशि और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एकत्रित की गई प्रीमियम राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बीमा दावों के संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत प्रीमियम दरों में कोई अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के सभी किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(एनएआईएस) के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए, बीमांकित दरें तथा खाद्यान्न तथा तिलहन फसलों हेतु कृषकों से 1.5% से 3.5% (बीमित राशि) के बीच प्रीमियम की समान दर प्राप्त की जा रही है। 10% की दर से प्रीमियम सब्सीडी छोटे तथा सीमान्त को प्रदान की जाती है।

मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) प्रीमियम के वास्तविक दर पर आधारित है परन्तु स्कीम को आकर्षित बनाने के लिए, खाद्यान्न तथा तिलहन फसलों के संबंध में एनएआईएस के अनुसार किसानों से वास्तविक प्रीमियम वसूली सीमित है। किसानों से प्रभारित वास्तविक दर तथा प्रीमियम के बीच अंतर को 50:50 के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। सभी कृषकों को 25%-50% के बीच प्रीमियम सब्सीडी प्रदान की गई है।

नई लागू की गई संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एमएनएआईएस) सभी कृषकों के लिए 40% से 75% सब्सीडी के साथ वास्तविक प्रीमियम दर पर आधारित है।

एनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, शामिल, कृषक, संग्रहित प्रीमियम, निपटाए गए दावे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(च) से (ज) एनएआईएस, डब्ल्यूबीसीआईएस तथा एमएनएआईएस का कार्यान्वयन राज्यों के लिए वैकल्पिक है तथा राज्य सरकार के द्वारा जिन क्षेत्रों/फसलों के लिए अधिसूचना जारी की गई उनमें क्रियान्वित है। तथापि, डब्ल्यूबीसीआईएस तथा एमएनएआईएस केवल अभिज्ञात राज्यों/जिलों में सभी किसानों के लिये उपलब्ध है क्योंकि इनकों मार्गदर्शी आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

एन ए आई एस 2007-08 से 2009-10 (9.3.11 तक) विगत 3 वर्षों में राज्यवार लाभान्वित किसान, प्रीमियम तथा वितरित दान

क्र.सं.	राज्य/संघ	शामिल किसान	प्रीमि. (लाख में)	प्रस्ताव (लाख में)	शामिल किसान	प्रीमि. (लाख में)	प्रस्ताव (लाख में)	शामिल किसान	प्रीमि. (लाख में)	प्रस्ताव (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2333702	13929.93	1151.86	2152563	13074.50	83793.75	3346629	22635.14	69947.81
2.	असम	19609	70.88	71.30	35817	141.60	75.46	51907	273.31	68.70
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	176	0.59	0.02	198	0.60	0.00	170	0.53	0.00
4	बिहार	913018	4153.67	46000.19	769896	4025.88	25057.77	1062014	8045.93	20771.92
5.	छत्तीसगढ़	708590	1617.36	3.43	828297	2503.95	6814.17	910515	3015.67	12423.11
6.	गोवा	513	0.20	0.00	393	0.19	0.00	237	0.09	0.12
7.	गुजरात	839253	8222.72	2381.15	841690	8400.56	47846.69	948419	10582.04	80477.54
8.	हरियाण	140741	448.59	1421.75	1788	6.34	0.00	54931	551.88	27.02
9.	हिमाचल प्रदेश	13228	33.81	0.04	22293	59.97	451.34	45332	159.73	253.68
10.	जम्मू और कश्मीर	6012	12.52	0.00	1764	3.64	0.00	4333	13.91	0.00
11.	झारखंड	742089	571.58	587.71	742837	627.38	3228.56	1330955	2704.46	22342.99
12.	कर्नाटक	636976	3698.40	2872.00	1341946	4569.09	14970.29	1102064	4182.82	16772.68
13.	केरल	33961	151.59	634.98	27945	127.93	36.56	32810	158.25	49.57
14.	मध्य प्रदेश	2215524	9641.87	34102.45	1845126	8428.28	8011.75	2557165	13493.78	7488.74
15.	महाराष्ट्र	1984301	3222.94	8631.34	3504113	7500.48	47431ए61	3184348	10317.95	37625.77
16.	मणिपुर	स्कीम क्रियान्वित नहीं						10930	74.78	223.49
17.	मेघालय	1319	14.95	2.54	3225	26.70	0.72	5059	54.74	9.69
18.	मिजोरम	स्कीम क्रियान्वित नही			0	0.00	0.00	121	0.58	11.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	उड़ीसा	973145	3205.35	2429.21	773197	2674.78	3871.87	1203359	4434.64	5339.92
20.	पुडुचेरी	2670	12.14	28.00	1572	7.42	48.87	4210	21.08	3.21
21.	राजस्थान	2834649	7414.86	16591.38	2250722	8649.19	32487.51	3012900	10413.22	144952.26
22.	सिक्किम	23	0.05	0.00	314	0.72	0.00	40	0.09	0.00
23.	तमिलनाडु	557200	2065.48	28918.63	857459	5510.42	66815.17	909974	6095ए98	9731.55
24.	त्रिपुरा	1889	6.71	5.57	4118	19.72	5.65	588	3.92	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	2397911	6393.99	21300.46	2183557	5925.06	5263.54	2967896	8941.21	17127.29
26.	उत्तराखण्ड	33293	103.17	297.91	53741	243.34	1388.66	93174	442.02	959.77
27.	पश्चिम बंगाल	1052765	3308.67	4912.17	957052	6236.42	39122.93	1052942	8412.36	1845.46
	कुल	18442557	68302.02	172344.08	19201623	80764.19	386722.87	23893022	115030.11	448453.51

टिप्पण: वर्ष 2010-11 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि खरीफ 2010 को मौसम पर फैसला नहीं हुआ है तथा रबी 2010 मौसम अभी शुरु हुआ।

विवरण-II

मार्गदर्शी मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम

क्र.सं.	राज्य/संघ		20.1.2010			19.5.2010			7.9.2010 को			6.1.2010 को			6.1.2010 को		
			शामिल किसान	प्री.	क्षेत्र	शामिल किसान	प्री.	क्षेत्र	शामिल किसान	प्री.	क्षेत्र	शामिल किसान	प्री.	क्षेत्र	शामिल किसान	प्री.	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	खरीफ मौसम रबी																
1.	कर्नाटक	43790	50075	141.75	524.12	-	-	-	-	-	-	-	-	43790	50075	141.75	527.12
	कुल जोड़	43790	50075	141.75	524.12									43790	50075	141.75	527.12
	खरीफ/रबी 2007-08																
1.	राजस्थान	584415	923775	4028.04	9306.67	7468	33701	77.42	148.23					591883	957476	4105.46	9454.90
2.	बिहार	16158	16390	49.17	170.16									16158	16390	49.17	170.16
3.	छत्तीसगढ़	14371	26747	82.18	76.83									14371	26747	82.18	76.83
4.	मध्य प्रदेश	12223	17641	140.44	180.42									12223	17641	140.44	180.42
	खरीफ/रबी 2007-08	627167	984553	4299.83	9737.08	7468	33701.4	77.42	148.234					634635	1018254	4377.25	9882.31
	कुल जोड़	670957	1034628	4441.58	10258.19	7468	33701.4	77.42	148.234					678425	1068329	4519.00	10406.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	खरीफ 2008																
1.	मध्य प्रदेश	13563	12298	100.16	61.77	881	275	2.33	0.00					14444	12573	102.49	61.77
2.	हरियाणा	66	85	1.15	0.43									66	85	1.15	0.43
3.	पंजाब	17	95	0.48	0.00	50	243	0.72	0.57					67	338	1.20	0.67
4.	बिहार	78110	86654	433.27	486.90									78110	86654	433.27	486.90
5.	राजस्थान	1749	2832	11.81	33.27	16910	41530	125.06	163.31					18659	44382	136.87	196.59
6.	झारखण्ड	22157	14210	35.52	47.59	400	410	1.05	0.00					22557	14620	36.57	47.59
7.	महाराष्ट्र	3025	4107	11.64	36.23									3025	4107	11.64	36.23
8.	कर्नाटक	25006	28955	90.24	275.72									25006	28955	90.24	275.72
9.	उड़ीसा	13289	22278	111.39	414.81									13289	22278	111.39	414.81
10.	तमिलनाडु	8217	7141	35.71	83.10	118	78	0.50	1.11	13	30	0.075	0.32	8348	7249	36.29	84.52
	खरीफ 2008	165199	178655	831.37	1439.828	18359	42536.79	129.66	165.095	13	30	0.075	0.318	183571	221222	961.11	1805.24
	रबी 2007-09																
1.	हरियाणा	329	720	6.88	8.67									329	720	6.55	8.67
2.	बिहार	137544	138543.5	622.37	2163.91									137544	138544	822.37	2163.91
3.	राजस्थान	8405	28863	94.56	169.05	15671	60910	232	650.49					24076	89773	326.43	819.54
4.	झारखण्ड	542	307.86	0.92	0.36									542	308	0.92	0.36
5.	कर्नाटक	3621	6395	47.71	113.40									3621	8395	47.71	113.40
6.	तमिलनाडु	12727	10733	66.26	39.05	362	80	1.22	3.41	2	18	0.018	0	13091	10831	67.50	42.47
7.	केरल	1068	1154.74	17.37	72.83									1068	1155	17.37	72.83
8.	छत्तीसगढ़	208	516.35	1.29	20.62	5795	11063	19	74.22					6003	11579	20.44	94.84
9.	पश्चिम बंगाल	2909	968.27	5.77	10.52	1401	380	1	2.00	433	445	0.89	1.22	4743	1794	7.63	13.73
10.	हिमाचल प्रदेश	630	87.814	5.27	12.58									630	88	5.27	12.58
	रबी 2008-09	167983	188289.6	868.4	2610.969	23229	72433.57	253.21	730.1273	435	463	0.91	1.22044	191647	261186	1122.52	3342.32
	खरीफ 2008-09	333182	366944.6	1699.77	4050.797	41470	114892.4	382.87	894.1123	448	493	0.93	1.53844	375100	482330	2083.62	4946.45
1.	बिहार	396684	468292	2341.46	5195.59									396684	468292	2341.46	5195.59
2.	राजस्थान	299654	593285.7	1329.75	3913.62	20472	97930	402.70	474.44					320126	691216	1732.45	4388.06
3.	कर्नाटक	99068	118299.4	521.88	1593.05	1461	1286	5.81	0.00					100529	119588	527.69	1593.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	उड़ीसा	81429	113265.7	339.8	750.14									81429	113266	339.80	750.14
5.	महाराष्ट्र	49832	59124.77	168.42	957.72									49832	59125	168.42	957.72
6.	गुजरात	140891	56356.4	0.00	662.87									140891	56356	0.00	662.81
7.	मध्य प्रदेश	13506	17948.08	84.22	156.55	31	42	0.15	0.18					13537	17990	87.37	156.73
8.	झारखण्ड	15926	7364.55	28.65	144.24									15926	7365	28.55	144.21
9.	तमिलनाडु	9389	8605.904	93.56	90.56	11	14	0.08						9400	8620	93.64	90.56
10.	पश्चिम बंगाल	3947	2159.96	10.81	43.05	3712	2326	7.89	0.00	194	296	0.74	0	7853	4782	19.44	43.05
11.	केरल	6684	4432.43	35.17	85.56									6684	4432	35.17	85.56
12.	हरियाणा	42	75.2	0.56	3.33									42	75	0.56	3.33
13.	आन्ध्र प्रदेश	17303	11938.96	686.7	1734.23									17303	11939	686.70	1734.23
	खरीफ 2009	1134355	1461149	5640.98	15330.43	25687	101597.2	416.63	474.62	194	296	0.74	0	1160236	1663042	6058.35	15805.05
	रबी 2009-10																
1.	बिहार	380933	398903.5	1507.05	5540.42	87575	90031	312.58	1258.62					468508	488934	1819.63	6798.94
2.	राजस्थान	443912	734140.6	2008.42	7036.07	131930	521801	1194.03	347.28					575842	1255942	3202.45	10512.35
3.	कर्नाटक	3037	8776.39	27.11	38.77	4663	5682	14.21	6.22					7700	14459	41.32	44.98
4.	मध्य प्रदेश	27884	70249.73	236.93	475.14	14942	30251	102.02	3.52					42826	100500	338.95	478.66
5.	झारखण्ड	325	181.09	1.06	0.65									325	181	1.06	0.65
6.	तमिलनाडु	6699	6109	35.28	25.04	1384	8952	5.41	0.00	425	775.41	1.39	0	8508	15837	42.08	25.04
7.	पश्चिम बंगाल	1941	901.76	5.41	54.53	2585	3943	10.50	105.62	325	591	3.30	0	4854	5438	19.21	160.15
8.	केरल	1945	2496.23	40.28	89.34									1945	2496	40.28	88.34
9.	हरियाणा	1742	3668.576	22.92	22.92	100.00	987	2868	12.56	62.02				2729	6537	35.48	162.01
10.	आन्ध्र प्रदेश	5	14.68	0.07	0.00									5	15	0.07	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	4929	1553	113.81	428.70									4929	1553	113.81	428.70
	रबी 2009-10	873352	1226995	3998.34	13788.56	244066	663528.6	1651.31	4912.282	753	1366.41	4.69	0	1118171	1891890	5654.34	18700.84
	खरीफ 2010	2007707	2688144	9639.32	29118.99	269753	765125.8	2067.94	5386.903	947	1662.47	5.42	0	2278407	3454932	11712.6	34505.89
1.	आन्ध्र प्रदेश	113710	121744.8	1835.32	**									113710	121745	1838.32	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	बिहार	194901	230378	1151.89	6524.80	213425	238570	1192.85	286.00					408328	468948	2344.74	6810.80
3.	छत्तीसगढ़	372	693.36	2.60	3.34	227	654	3.16	0.00	316	1250	7.50	2.48	915	2597	13.26	5.82
4.	गुजरात	132951	132951	0.00	58.84									132951	132951	0.00	58.84
5.	हरियाणा	4241	10585.48	91.29	194.26	1597	5720	42.91	45.31					5838	16306	134.20	239.57
6.	झारखण्ड	30709	12929.11	52.42	**									30709	12929	52.42	0.00
7.	कर्नाटक	37060	38116.5	321.42	**	4878	9101	51.97	7.59					41935	47217	373.39	7.59
8.	केरल	10456	6324.385	63.63	**									10456	6321	63.63	0.00
9.	महाराष्ट्र	394627	507729.3	1388.95	2252.76									394627	507729	1388.95	2252.78
10.	मध्य प्रदेश	46390	122391	771.19	378.64	68140	92715	675.87	236.27					114530	215106	1447.06	814.90
11.	उड़ीसा	74734	101718.3	305.16	124.77									74734	101718	305.18	124.77
12.	राजस्थान	2830547	4689776	6758.02	2835.19	686027	996637	1689.76	777.91	479	1922.5	4.32	0.11	3517053	5688335	8452.10	3613.21
13.	तमिलनाडु	8344	7032.668	84.65	**	4768	13246	29.31	49.18	459	1064.9	13.12	1.74	13571	21343	127.08	50.92
14.	उत्तराखण्ड	1153	532.06	33.86	124.24									1153	532	33.86	124.24
15.	उत्तर प्रदेश	9701	4522.84	26.94	3.03	5410	4676	30.80	220.38	43	60.25	0.57	0.00	15154	9559	58.31	223.41
16.	पश्चिम बंगाल	6296	4364.62	21.82	81.61	3971	4963	15.52	0.00	3829	3761	37.61	25.72	14096	13088	74.95	107.33
	खरीफ 2010	3896192	5991786	12909.16	12581.48	988443	1366580	3732.15	1622.634	5126	8058.65	63.12	30.05208	4889761	7366425	18704.43	14234.16

शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी

3188. **श्रीमती रमा देवी:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:
श्री मिथिलेश कुमार:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री अम्बिका बनर्जी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री के. सुगुमार:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री निशिकांत दुबे:
डॉ संजीव गणेश नाईक:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री हंसराज गं. अहीर:
डॉ. बलीराम:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी अनेक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने का क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) देश में शहरी आवास की कमी का आकलन करने के लिए तकनीकी दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा दिल्ली सहित देश के शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधाओं की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है और कोई व्यापक रणनीति विकसित की गई है;

(छ) यदि हां, तो शहर/कस्बा-वार कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे सहित 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे आवासों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ज) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में अभी तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 का उद्देश्य देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है ताकि समाज के सभी वर्गों को किफायती दामों पर भूमि, आश्रय और सेवाएं सम्यक रूप से मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, "भूमि" और "कोलोनाईजेशन" राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये एनयूएचएचपी 2007 के तहत शुरू किए गए कार्यों का निष्पादन करें। सभी नागरिकों को आवास मुहैया कराने हेतु कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के लिए आवास निर्माण में सहायता कर रही है।

* सरकार द्वारा 2005 में शुरू किए गए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन (बीएसयूपी) के तहत विनिर्दिष्ट 65 शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने का प्रावधान है। ये स्कीमें मांग आधारित हैं और अभी तक 15,70,908 मकान स्वीकृत किए गए हैं तथा इस प्रयोजन के लिए 20139.87 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश की वचनबद्धता दी गई है।

* शहरी गरीबी के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह को ऋण लेने हेतु समर्थ बनाने संबंधी उपायों के रूप में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है तथा उक्त स्कीम में मकान के निर्माण/अधिग्रहण हेतु वाणिज्यिक बैंकों/आवासीय वित्त कंपनियों के जरिए उक्त परिवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे 1.00 लाख रु. तक के ऋण पर ब्याज भुगतान पर 5% सब्सिडी प्राप्त कर सकें। स्कीम का उद्देश्य 11वीं योजना अवधि के दौरान लाख 3.10 लाभार्थियों को शामिल करना है। अब तक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्कीम के अंतर्गत 5573 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।

* सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/कम आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए एक मिलियन मकानों, जिसमें 25 प्रतिशत मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हों, का निर्माण करने हेतु 5000 करोड़ रूपए के परिव्यय से भागीदारी में किफायती आवास की एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभिन्न एजेंसियों/सरकार/पैरा स्टेटली/शहरी स्थानीय निकायों/विकासकों के बीच भागीदारी करना है। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 53.96 करोड़ रूपए की केन्द्र सरकार सहायता से 19100 मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्कीमों के संबंध में मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) देश में शहरी विकास की कमी के आकलन के लिए वर्ष 2006 में मंत्रालय द्वारा गाठित तकनीकी दल ने आकलन किया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) के अंत तक देश में आवास की कमी 24.71 मिलियन थी। तकनीकी दल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान आवास की कुल आवश्यकता 26.53 मिलियन होने का भी अनुमान लगाया है।

(च) दिल्ली सहित राज्यों में पिछले तीन वर्षों अथवा चालू वर्ष के दौरान आवासीय सुविधाओं की कमी के संबंध में मंत्रालय द्वारा आवासीय कमी का कोई वर्ष-वार सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) चूंकि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न आवासीय स्कीमों मांग आधारित है, इसलिए राज्य-वार लक्ष्य नहीं दिए गए हैं। तथापि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत किए गए 7 वर्षीय आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) आबंटन, अनुमोदित रिहायशी यूनिट तथा जारी एसीए (बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7 वर्षीय नया आबंटन			अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश			अनुमोदित रिहायशी यूनिटें (नए+उज्जयन)			जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहस्यता		
		बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1547.42	764.57	2311.99	1496.32	783.10	2279.42	134694	47896	182590	874.86	551.78	1426.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	24.52	68.47	43.95	8.96	52.91	852	176	1028	11.83	4.48	16.31
3.	असम	121.94	67.25	189.19	97.60	70.22	167.82	2260	8668	10928	48.80	35.11	83.91
3.	बिहार	531.54	168.07	699.61	312.76	162.48	475.24	22372	12956	35328	78.19	81.24	159.43
4.	छत्तीसगढ़	385.21	158.83	544.04	364.99	158.83	523.82	30000	17922	47922	169.29	104.57	273.86
5.	गोवा	11.43	35.79	47.22	4.60	0.00	4.60	155	0	155	1.15	0.00	1.15
7.	गुजरात	1015.56	256.25	1271.81	822.46	243.20	1065.66	106044	28424	134468	621.68	119.35	741.03
8.	हरियाणा	57.31	209.70	267.01	31.18	209.70	240.88	3248	16426	19674	31.18	104.85	136.03
9.	हिमाचल प्रदेश	31.29	37.07	68.36	18.27	37.07	55.34	636	1616	2252	4.57	18.54	23.11
10.	जम्मू और कश्मीर	140.18	117.34	257.52	134.44	87.97	222.41	6677	6670	13347	33.61	41.22	74.83
11.	झारखंड	351.09	136.00	487.09	251.59	131.33	382.92	12226	11544	23770	62.90	55.05	117.95
12.	कर्नाटक	407.97	222.69	630.66	407.97	222.56	630.53	28118	17237	45355	165.95	136.45	302.40
13.	केरल	250.00	198.83	448.83	233.56	201.60	435.16	23577	26295	49872	125.37	130.70	256.07
14.	मध्य प्रदेश	351.10	276.64	627.74	344.26	221.83	566.09	41446	20739	62185	147.91	115.73	263.64
15.	महाराष्ट्र	3372.56	1130.60	4503.16	3234.10	1228.49	4462.59	182841	90072	272913	1409.68	601.30	2010.98
16.	मणिपुर	43.91	32.35	76.26	43.91	32.35	76.26	1250	2829	4079	10.98	13.03	24.01
17.	मेघालय	40.35	28.97	69.32	40.35	22.43	62.78	768	912	1680	16.03	11.21	27.24
18.	मिजोरम	80.11	29.78	109.89	80.11	29.78	109.89	1096	1950	3046	27.26	14.89	42.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	नागालैंड	105.60	44.14	149.74	105.60	44.74	150.34	3504	2761	6265	79.20	29.92	109.12
20.	उड़ीसा	78.74	176.33	255.07	54.18	191.88	246.06	2508	13049	15557	13.54	92.90	106.44
21.	पंजाब	444.46	172.56	617.02	36.15	33.77	69.92	5152	4658	9810	26.39	16.89	43.28
22.	राजस्थान	383.46	424.56	808.02	257.30	533.59	790.89	23151	41719	64870	85.47	282.99	368.46
23.	सिक्किम	29.08	20.90	49.96	29.06	17.92	46.98	254	39	293	15.23	8.96	24.19
24.	तमिलनाडु	1107.80	349.38	1457.18	1041.80	372.10	1413.90	91318	37585	128903	494.87	294.35	789.22
25.	त्रिपुरा	23.66	28.36	52.02	13.96	38.05	52.01	256	3115	3371	13.96	22.19	36.15
26.	उत्तर प्रदेश	1165.22	854.41	2019.63	1144.24	751.74	1895.98	67992	43035	111027	531.77	366.82	898.59
27.	उत्तराखंड	97.84	63.58	161.42	65.33	90.57	155.90	1799	5032	6831	17.61	45.28	62.89
28.	पश्चिम बंगाल	2126.98	681.04	2808.02	1845.35	826.59	2671.94	150074	60171	210245	684.90	498.79	1183.69
29.	दिल्ली	1481.28	0.00	1481.28	1229.28	0.00	1229.28	73820	0	73820	228.90	0.00	228.90
30.	पुडुचेरी	83.20	26.95	110.15	83.20	5.48	88.68	2964	432	3396	21.86	.2.74	24.60
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	27.29	27.29	0.00	13.64	13.64	0	40	40	0.00	5.53	5.53
32.	चंडीगढ़	446.13	0.00	446.13	396.13	0.00	396.13	25728	0	25728	198.06	0.00	198.06
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	20.56	20.56	0.00	3.34	3.34	0	144	144	0.00	1.67	1.67
34.	लक्षद्वीप	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
35.	दमन और दीव	0.00	21.97	21.97	0.00	0.58	0.58	0	16	16	0.00	0.29	0.29
	कुल	16356.35	6828.31	23184.66	14264.01	6775.86	21039.87	1046780	524128	1570908	6253.00	3808.83	10061.83

[अनुवाद]

खेलों के प्रोत्साहन के लिए निधि

3189. श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री मिथिलेश कुमार:
श्री रमेन डेका:
श्री भक्त चरण दास:
श्री राजू शेट्टी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री जयप्रकाश अग्रवाल:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना की भारी कमी एवं अन्य खेल सुविधाओं के निम्न स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खेल अवसंरचना के सृजन और खेल के प्रोत्साहंन/विकास के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार एवं योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में सफलता पूर्वक भाग लेने के लिए कोई नई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) देश के विशेषकर ग्रमीण क्षेत्रों में खेल-कूद अवसंरचना सुविधाओं की घोर अपर्याप्तता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' (पायका) नाम से एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रम आरंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य, पूरे देश में सभी ग्राम/ब्लॉक पंचायतों (तथा इसकी समकक्ष यूनिटों में), चरणबद्ध रीति से दस वर्ष की अवधि के अन्दर, सामान्य राज्य के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक कवरेज तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों को शमिल कर सीमावर्ती राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को 20 प्रतिशत वार्षिक कवरेज देते हुए बुनियादी खेल-कूद अवसंरचना का सजृन करना है। इस योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यन्वित किया जाता है। इस योजना में ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप, अंतर-विद्यालय प्रतियोगिताओं तथा उत्तर-पूर्वी खेलों का आयोजन करने के लिए अलग से भी निधि की व्यवस्था की जाती है।

(ग) पिछले दो वित्तीय वर्षो तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 (28 फरवरी 2011 तक) राज्यवार आवंटित तथा जारी की गई निधि का ब्यौरा सलंग्न विवरण-I-IV में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय एथेलीटों/टीमों के भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता में हवाई यात्रा लागत, भोजन तथा आवास लागत, जेब-खर्च भत्ता, समारोह पोशाक, स्पोर्ट किट, प्रवेश शुल्क आदि, जैसा भी लागू हो, कवर होता है।

सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कोचिंग कैम्पों के आयोजनों के माध्यम से राष्ट्रीय टीम को गहन कोचिंग प्रदान कर पूरी सहायता मुहैया कराती है। सरकार, प्रशंसनीय खिलाड़ियों की प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि से व्यक्तिगत प्रशिक्षण/कोचिंग से संबद्ध योजना के अंतर्गत भारत में तथा विदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों में भाग लेने तथा उपस्करों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर, सब-जूनियर (8-14 वर्ष), जूनियर (14-18 वर्ष) एवं सीनियर स्तर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से निम्न योजनाएं भी चलाती है तथा अन्य योग्य कोचों के माध्यम से खिलाड़ियों को संबंधित विधाओं में कुशल प्रशिक्षण भी प्रदान करती है:

1. नैशनल स्पोर्टस टैलेन्ट कन्टेस्ट स्कीम (एनएसटीसी)
2. आर्मी वायज स्पोर्टस कम्पनी (एबीएससी) स्कीम।
3. एसएआई ट्रेनिंग सेन्टर (एसटीसी) स्कीम।
4. स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी) स्कीम।
5. सेन्टर आफ एक्सलेन्स (सीओई)

मुफ्त खान-पान तथा आवास सुविधाएं, स्पोर्ट किट खेल-कूद उपस्कर, प्रतियोगिता प्रदर्शन भी दिया जाता है। जबकि गैर-आवासीय प्रशिक्षणर्थियों को खान-पान तथा आवास के स्थान पर मुफ्त मासिक वृत्ति दी जाती है। उत्कृष्टता केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक सुविधाएं, उपस्कर तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ वैज्ञानिक समर्थन भी मुहैया कराया जाता हैं एसएआई योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 15,000 प्रशिक्षणर्थियों को इससे लाभ हुआ है।

उपलब्धियां

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भाखेप्रा द्वारा दिए गए गहन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के परिणामस्वरुप पिछले तीन वर्षो में भाखेप्रा प्रशिक्षार्थियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2171 पदक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 712 पदक जीते है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में रिकार्ड 101 पदक जीनकर दूसरा स्थान तथा एशियाई खेल, 2010 में 64 पदक जीतकर कुल रैकिंग में छठा स्थान प्राप्त किया।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत मंजूर तथा जारी किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	25.98	12.99
2.	असम	333	22	4.81	-
3.	बिहार	847	53	10.44	5.22
4.	छत्तीसगढ़	982	14	10.11	-
5.	गोवा	19	04	0.35	-
6.	गुजरात	900	22	9.65	-
7.	हरियाणा	619	12	6.51	3.26
8.	हिमाचल प्रदेश	324	08	4.02	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	413	14	5.32	2.66
10.	केरल	100	15	1.60	0.80
11.	मध्य प्रदेश	2304	31	23.65	11.82
12.	महाराष्ट्र	2689	35	27.55	8.91
13.	मणिपुर	79	04	1.08	0.87
14.	मिजोरम	82	03	1.07	0.85
15	नागालैण्ड	110	05	1.48	1.18
16.	उड़ीसा	623	31	7.34	3.67
17.	पंजाब	1233	14	12.55	6.27
18.	राजस्थान	869	24	9.43	3.71
19.	सिक्किम	16	10	0.67	0.54
20.	तमिलनाडु	1261	38	13.82	5.00
21.	त्रिपुरा	104	04	1.36	1.09

1	2	3	4	5	6
22.	उत्तर प्रदेश	5203	82	53.91	10.00
23.	उत्तराखंड	750	10	8.89	3.00
24.	पश्चिम बंगाल	335	33	4.63	–
25.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसएआई को जारी किया गया अनुदान		8.15		
	कुल	22385	601	246.22	92.00

विवरण-II

2009-10 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मंजूर तथा जारी किया गया अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश				12.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	355	32	5.56	4.44
3.	असम	–	–	–	3.85
4.	बिहार	–	–	–	5.02
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	5.06
6.	गोवा	–	–	–	0.18
7.	गुजरात	–	–	–	7.10
8.	हरियाणा	–	–	–	3.25
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	2.01
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	2.10
11.	झारखंड	403	21	4.79	2.39

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	565	18	6.22	3.12
13.	केरल	–	–	–	0.80
14.	महाराष्ट्र	–	–	–	4.86
15	मेघालय	83	08	1.32	1.06
16.	मिजोरम	164	05	2.08	0.21
17.	नागालैण्ड				0.30
18.	उड़ीसा	623	31	7.34	8.05
19.	पंजाब	–	–	–	6.27
20.	राजस्थान	–	–	–	4.72
21.	सिक्किम	32	20	1.35	0.13
22.	तमिलनाडु	–	–	–	1.91
23.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	16.96
24.	उत्तराखंड	–	–	–	5.90
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	2.32
26	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसएआई को जारी किया गया अनुदान।				30.00
	कुल	2225	135	28.67	135.00

विवरण-III

वर्ष 2010-11 के लिए (28 फरवरी 2011 तक) पायका योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुमोदित तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,190	113	25.98	25.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	355	32	5.56	6.67

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	–	–	–	2.55
4.	हरियाणा	619	12	7.92	7.92
5.	हिमाचल प्रदेश	324	08	4.77	4.77
6.	कर्नाटक	564	18	6.23	9.34
7.	केरल	100	15	11.17	11.17
8.	महाराष्ट्र	2752	35	28.16	41.94
9.	मेघालय	83	08	1.32	1.19
10.	मिजोरम	–	–	0.18	2.27
11.	नागालैण्ड	220	10	2.96	2.96
12.	उड़ीसा	–	–	3.01	5.98
13.	पंजाब	1233	14	15.32	15.32
14.	सिक्किम	–	–	–	1.35
15.	त्रिपुरा	208	08	2.97	3.24
16	उत्तर प्रदेश			11.81	38.76
17.	उत्तराखंड	750	10	10.59	10.59
18.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	2.32
	संघ राज्य क्षेत्र				
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	06	1.06	1.06
20.	लक्षद्वीप	02	09	0.51	0.51
21.	पुडुचेरी	50	05	0.69	**0.69
	कुल	9510	303	140.21	#196.58

*इसमें पिछले वर्षो (अर्थात 2008-09 एवं 2009-10) में अनुमोदित जारी किए जाने वाला अनुदान शामिल है।

**एसएआई द्वारा बकाया न खर्च की गई राशि से संघ राज्य क्षेत्र पुडुचरी को जारी की गई।

#इसमें एमएसडीएफ-पायका निधि को 5.00 करोड़ रुपये का ट्रांसफर शामिल है।

विवरण-IV

2010-11 के दौरान (28.02.11 तक) वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जारी की गई निधि का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण प्रतियोगिताएं			महिला		कुल[(5)+(7)]
		ब्लॉकों की संख्या	जिलों की संख्या	जारी की गई राशि	जिलों की संख्या	जारी की गई रशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,108	22	11.26	–	–	11.26
2.	अरूणाचल प्रदेश	161	16	2.05	–	–	2.05
3.	असम	219	27	2.96	27	0.38	3.34
4.	बिहार	534	38	6.19	–	–	6.19
5.	छत्तीसगढ़	146	18	2.01	–	–	2.01
6.	गोवा	04	02	0.18	02	0.08	0.26
7.	गुजरात	202	23	2.69	–	–	2.69
8.	हरियाणा	92	18	1.50	21	0.31	1.81
9.	हिमाचल प्रदेश	77	12	1.18	12	0.15	1.33
10.	जम्मू और कश्मीर	143	22	2.10	–	–	2.10
11.	झारखंड	212	24	2.81	24	0.35	3.16
12.	कर्नाटक	176	30	2.52	30	0.42	2.94
13.	केरल	98	10	1.32	–	–	1.32
14.	मध्य प्रदेश	283	46	4.13	50	0.66	4.79
15.	महाराष्ट्र	309	29	3.88	35	0.48	4.36
16.	मेघालय	39	07	0.67	07	0.12	0.79
17.	मिजोरम	26	08	0.58	08	0.13	0.71
18.	नागालैण्ड	–	–	–	11	0.13	0.13
19.	उड़ीसा	314	30	3.85	30	0.42	4.27
20.	पंजाब	104	16	1.55	20	0.30	1.85

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	तमिलनाडु	385	31	4.66	32	0.44	5.10
22.	त्रिपुरा	40	04	0.67*	04	0.11	0.78
23.	उत्तर प्रदेश	820	71	9.47	-	-	9.47
24.	उत्तराखंड	95	13	1.38	13	0.09	1.47
25.	पश्चिम बंगाल	292	15	3.31	-	-	3.31
26.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	-	-	-	-	0.03	0.03
27.	द्वारा एनवाईकेएस	263	25	3.22	-	-	3.22
	कुल	6,142	557	76.14.	326	4.60	80.74
28.	626 जिलों एवं 35 जिलों में अंत: विद्यालय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एनवाईकेएस को जारी की गई निधि						7.31#
	कुल						88.05

*इस में त्रिपुरा को निम्न स्तरीय उत्तर पूर्वी खेलों के आयोजन हेतु जारी किए गए 7.2 लाख रुपये शामिल हैं।

@इसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु शामिल है।

#इसमें अंत: विद्यालयों में खेल-कूद और खेलों को बढ़ा देने हेतु अरसे से चली आ रही योजनाओं से एनएस, एनआईएस, पटियाला द्वारा एनवाईकेएस को जारी की गई 3.20 करोड़ रुपयों की राशि शामिल है।

खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए योजनाएं

3190. **श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री मिथिलेश कुमार:
श्री सतपाल महाराज:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तराखण्ड सहित देश में स्कीइंग और वाटर स्पोर्ट्स सहित विभिन्न खेल स्पर्द्धाओं में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना है/नई योजना को शुरु करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उपर्युक्त खेल स्पर्द्धाओं में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित/उत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के पास उत्तराखंड सहित पूरे देश में स्कीइंग और जलक्रीड़ा सहित खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को तथा व्यक्तिगत खेल प्रतिभा को भी सहायता प्रदान करने की योजनाएं हैं।

मृदा की गुणवत्ता

3191. **श्री मनीष तिवारी:**
श्री एम.बी. राजेश:
श्री एम. के राघवन:
श्री श्रीपाद येसो नाइक:
श्री गणेशराव नागोराव दूधागांवकर:
श्री एल. राजगोपाल:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायानिक उर्वरको के अत्यधिक प्रयोग एवं पारस्थितिकीय उर्वरीकरण की उपेक्षा के कारण पूरे देश में मृदा की गुणवत्ता से देश की भावी खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में कृषि के लिए प्रयुक्त मृदा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार द्वारा कौन सी नीतियां बनाई गई है;

(ग) देश में कृषि के आधारभूत घटक के रुप में रासायानिक और जैव-उर्वरको के उपयोग का अलग-उर्वरकों के उपयोग का अलग-अलग प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रासायनिक उर्वरीकरण के गंभीर दुष्प्रभावों के मुद्देनजर देश में जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई योजना प्रारंभ की है;

(घ) क्या सरकार ने रासायनिक उर्वरीकरण के गंभीर दुष्प्रभावों के मुद्देनजर देश में जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़वा देने के उद्देश्य से कोई योजना प्रारंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित राशि तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार देश में जैव उर्वरीकरण पर राजसहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) जबकि देश में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर 133 कि.ग्रा. खपत बहुत से अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम हैं, फिर भी वर्षा से सूक्ष्म तथा द्वितीयक पोषक तत्वों की उपेक्षा तथा जैविक सामग्री की कम मात्रा के साथ उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण देश के बहुत से हिस्सो में, विशेष रुप से गहन खेती वाले सिन्धु गंगा के मैदानी भागों में मृदा स्वास्थ्य में गिरावट तथा बहु-पोषक तत्वों की कमी उत्पन्न हो गई है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता सुनिश्चत करने के लिये उचित नीतियां तथा विधियां अपनाई गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता सुनिश्चत करने के लिए निरुपति नीतियों तथा अपनाई गई विधियों में अन्यों के साथ-2 रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं युक्तिसंगत संवर्द्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को बनाये रखने के लिये स्थानीय रुप से उपलब्ध जैविक खादों तथा जैव-उर्वरकों का उपयोग शामिल है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंध परियोजना नामक एक नई स्कीम 2008-09 से शुरु की गई है ताकि जैविक खाद के साथ रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान में उपलब्ध पोषक तत्वों के ऐसे सभी जैविक तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकूल स्रोत लगभग 25% तक रासायनिक उर्वरकों को अनुपूरित कर सकते है।

(घ) से (च) जी, हां। जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 2004-05 से राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरु की गई हैं। इस परियोजना के तहत अन्यों के साथ कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट तथा जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है। आर के वी वाई, एनएचएम तथा वृहत प्रबंध जैसी प्रमुख स्कीमों के तहत जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II तथा III पर दिया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एनपीओएफ के तहत स्थापित जैविक यूनिटों (एफवीएमडब्ल्यूसी, जैव उत्पादन यूनिट तथा वर्मीकल्चर हैचरी) की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	यूनिटों की कुल संख्या तथा सृजित क्षमता (मी.टन/वर्ष)					
		एफवीएमडब्ल्यूसी		जैव-उर्वरक		वर्मीकल्चर	
		संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	8	1068	05	600
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	40	1500

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1	32	0	0	67	2450
4.	बिहार	0	0	0	0	44	2230
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	37.5	108	4635
6.	दिल्ली	1	100	0	0	0	0
7.	गोवा	1	26.00	1	150	0	0
8.	गुजरात	1	44	3	405	86	3870
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	300	37	1470
10.	जम्मू और कश्मीर	2	200	1	37.5	25	937
11.	झारखंड	0	0	2	75	23	975
12.	कर्नाटक	2	110	1	150	54	5650
13.	केरल	2	50	2	300	1	10
14.	मणिपुर	0	0	1	37.5	20	750
15.	महाराष्ट्र	0	0	10	1035	35	3625
16.	मध्य प्रदेश	1	100	02	100	83	5512
17.	मिजोरम	1	100	1	37.5	62	2325
18.	मेघालय	0	0	1	84	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	1	37.5	103	3862
20.	उड़ीसा	0	0	1	37.5	147	5512
21.	पंजाब और हरियाणा	1	25	2	280	187	20437
22.	राजस्थान	0	0	1	81	144	12600
23.	सिक्किम	0	0	0	0	8	300
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	72	2700
25.	तमिलनाडु	2	110	9	490	45	2128
26.	उत्तर प्रदेश	2	125	1	37.5	138	18562
27.	उत्तराखण्ड	0	0	2	270	78	3037
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	2	210	7	753
	कुल	17	1022	55	5260.5	1619	106430

एफवीएमडब्ल्यूसी-फल एवं सब्जी मण्डी अपशिष्ट कम्पोस्ट यूनिट

विवरण-II

जैविक आदान उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिये मार्च, 2010 तक नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई कुल सब्सिडी तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा मंजूर की गई कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	कुल सब्सिडी/वित्तीय सहायता		कुल जारी राशि/स्वीकृति सब्सिडी
		कृषि एवं सह. द्वारा सीधे	नाबार्ड द्वारा जारी सब्सिडी	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	104.83	144.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	60.00	0	60.00
3.	असम	60.00	26.08	86.08
4.	बिहार	55.50	9.00	64.50
5.	छत्तीसगढ़	173.00	7.90	180.90
6.	दिल्ली	0	40.00	40.00
7.	गोवा	0	33.94	33.94
8.	गुजरात	0	167.31	167.31
9.	हिमाचल प्रदेश	74.00	21.58	95.58
10.	जम्मू और कश्मीर	137.50	0	137.50
11.	झारखंड	73.00	1.50	74.50
12.	कर्नाटक	18.00	114.46	132.46
13.	केरल	0	64.36	64.36
14.	मणिपुर	50.00	0	50.00
15.	महाराष्ट्र	49.00	164.61	213.61
16.	मध्य प्रदेश	148.50	37.32	185.82
17.	मिजोरम	153.00	0	153.00
18.	मेघालय	0	11.34	11.34
19.	नागालैण्ड	174.50	0	174.50
20.	उड़ीसा	240.5	0	240.5

1	2	3	4	5
21.	पंजाब और हरियाणा	97.50	203.62	301.12
22.	राजस्थान	18.00	135.53	153.54
23.	सिक्किम	12.00	0	12.00
24.	त्रिपुरा	108.00	0	108.00
25.	तमिलनाडु	171.50	54.64	226.14
26.	उत्तर प्रदेश	62.50	216.23	278.73
27.	उत्तराखंड	75.50	38.62	114.12
28.	पश्चिम बंगाल	0	34.58	34.58
	कुल	2051.50	1487.46	3538.96

विवरण-III

विगत 3 वर्षों के दौरान आरकेवीवाई तथा एमएमए की जैविक खेती के तहत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य	आरकेवीवाई			एमएमए		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश		2500.00			792.00	384.49
अरूणाचल प्रदेश			5.00	408.90	206.09	
असम			129.25	142.23	81.40	157.89
बिहार		743.50	1808.86	250.08	54.00	50.78
छत्तीसगढ़		240.00	875.00	28.50	79.50	
गोवा						8.00
गुजरात		74.00	293.91	160.12	10.12	20.00
हरियाणा		82.00		424.45	45.00	25.00
जम्मू और कश्मीर				225.18	171.23	

1	2	3	4	5	6	7
झारखंड	75.00			81.50	5.00	8.00
कर्नाटक	703.00		763.00		523.00	37.23
केरल				420.00	30.50	
लक्षद्वीप				9.00		
मध्य प्रदेश		400.00		259.16	115.48	200.00
महाराष्ट्र				1832.50	614.50	278.00
मणिपुर				568.53	482.00	293.88
मिजोरम				514.68	275.02	6.00
मेघालय				20.12		
नागालैण्ड				87.50	51.20	
उड़ीसा	203.35		104.44	82.00	25.00	
पंजाब				189.30	90.50	64.00
राजस्थान			2272.00	187.10		5.00
सिक्किम			835.00	1378.10	394.08	222.00
तमिलनाडु	871.00	910.00		467.00	10.60	
त्रिपुरा			40.00	17.60	2.10	24.20
उत्तर प्रदेश		1000.00		532.64	218.14	150.00
पश्चिम बंगाल			977.55	691.20	278.12	55.00
उत्तराखण्ड	199.03		1151.34			14.79
हिमाचल प्रदेश		150.00	310.52	250.00	179.00	10.00
कुल	2369.35	8099.50	9565.87	9368.95	4733.46	2014.26

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

3192. **श्री संजय दिना पाटील:**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री गणेशराव नागोगराव दूधगांवकर:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री डी. बी. सदानन्द गौडा:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का आज की तारीख में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त स्मारकों में से किसी स्मारक का नवीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए निश्चित की गई निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार संरक्षित स्मारकों की सूची में किसी नये स्मारक/स्थल को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थ्लों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित और खर्च की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न मंडल कार्यालयों के तहत प्रस्तावित संरक्षण कार्यो की कुल संख्या और चालू वित्त वर्ष के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रुप में घोषित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा (4) के अनुसार केन्द्र सरकार को भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने इरादे की घोषणा करने और इच्छुक व्यक्तियों से दो महीनों के अन्दर आपत्तियां आर्मत्रित करने के बाद प्राचीन स्मारकों अथवा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने का प्राधिकार है केन्द्रीय संरक्षण के लिए प्रस्तावित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की सूची संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरूणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	89
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैण्ड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	174
21.	उड़ीसा	78
22.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
23.	पंजाब	33
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	08
28.	उत्तर प्रदेश	743
29.	उत्तराखण्ड	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3676

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण पर वर्षवार किया गया खर्च और चालू वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आबंटन।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	खर्च 2007-2008	खर्च 2008-2009	खर्च 2009-2010	आबंटन 2010-2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	633.00	774.00	738.00	515.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	775.00	1201.39	1371.00	900.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	738.95	285.00	590.00	900.00
4.	महाराष्ट्र	मुम्बई मंडल	415.00	465.15	500.00	350.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1035.22	1088.94	1200.00	800.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	593.00	423.64	619.46	600.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	906.69	997.96	674.33	565.00
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर मंडल	278.29	234.16	276.49	215.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	338.13	419.34	435.23	380.00
10.	तमिलनाडु पुडुचेरी	चेन्नई मंडल	531.00	505.00	460.50	430.00
11.	पंजाब हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	494.82	512.48	694.46	425.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	125.00	118.00	70.87	80.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	786.36	728.64	1747.00	1000.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	92.20	118.00	120.61	105.00
15.	सिक्किम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्य	गुवाहाटी मंडल	103.52	175.25	135.08	140.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	285.00	280.00	275.55	255.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	743.23	865.00	610.00	535.00
18.	बिहार और उत्तर	पटना मंडल	427.97	377.72	314.99	260.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	300.00	405.30	338.44	305.00
20.	केरल	त्रिशूर मंडल	261.75	286.17	300.01	260.00

1	2	3	4	5	6	7
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	339.98	405.62	459.98	325.00
22.	उत्तरांचल	देहरादून मंडल	177.50	169.40	130.52	140.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	235.00	285.00	332.00	255.00
24.	झारखंड	रांची मंडल	74..92	78.45	64.75	60.00
		रसायन परिरक्षण (अखिल भारत)	609.90	555.36	655.45	675.00
		उद्यान गतिविधियां (अखिल भारत)	1584.76	1743.63	2185.71	1550.00
		महानिदेशक का कार्यलय	00	00	00	1565.00
		कुल	12886.19	13498.60	15300.43	13,590.00

विवरण-III

पिछले तीन वर्षो के दौरान स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यो की संख्या बताने वाला विवरण

क्र.सं.	मंडल का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यो की संख्या		
			2008-09	2009-10	2010-2011
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश	91	87	90
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	114	26	29
3.	बंगलौर	कर्नाटक	201	85	103
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश	85	103	106
5.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	61	48	49
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	22	40	43
7.	चेन्नई	तमिलनाडु पुडुचेरी	24	24	30
8.	चंडीगढ़	पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा	47	57	57
9.	देहरादून	उत्तराखण्ड	18	16	18
10.	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	36	38	50
11.	धारवाड़	कर्नाटक	36	50	60

1	2	3	4	5	6
12.	गोवा	गोवा	20	18	18
13.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	22	35	35
14.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	82	87	91
15.	जयपुर	राजस्थान	42	64	66
16.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	96	101	105
17.	पटना	बिहार, उत्तर प्रदेश	70	65	70
18.	रांची	झारखंड	7	12	11
19.	रायपुर	छत्तीसगढ़	67	68	69
20.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	21	20	20
21.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	34	36	37
22.	त्रिशूर	केरल, चेन्नई	18	16	19
23.	वडोदरा	गुजरात, दमन और दीव	30	46	49
24.	मुम्बई	महाराष्ट्र	47	37	41
25.	विज्ञान शाखा	सभी राज्य	68	65	66
26.	उद्यान शाखा	सभी राज्य	221	372	369
	कुल		1580	1616	1701

विवरण-IV

देश के ऐसे स्मारकों/स्थलों की सूची जिनकी राष्ट्रीय महत्व के रुप में घोषित किए जाने के लिए विचार करने हेतु पहचान की गई है।

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम तथा स्थान/जिला	राज्य का नाम
1	2	3
1.	जूनी करान स्थित प्राचीन स्थल, कच्छ	गुजरात
2.	फिरोजशाह पैलेस तथा तहखाना के पास पैलेस भवन, हिसार, जिला हिसार	हरियाणा
3.	हारादिब स्थित मंदिर समूह, जिला रांची	झारखंड
4.	शाहपुर किला, शाहपुर, जिला पलामू	झारखंड

1	2	3
5.	नवरतनगढ़ किला तथा मंदिर परिसर, गुमला	झारखंड
6.	तिलियागढ़ किला, साहेबगंज	झारखंड
7.	किला तथा जैन शैलकृत मूर्तिया, कोलुहा, पहाड़ी, चतरा	झारखंड
8.	जनार्दन मंदिर, पानामारमा, वायनाड जिला	केरल
9.	विष्णु मंदिर, नादवयाल, जिला वायनाड	केरल
10.	दौलताबाद किला की किला दीवार, औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	पुराना हाईकोर्ट भवन, नागपुर, जिला नागपुर	महाराष्ट्र
12.	किला गिन्नूरगढ़, जिला सिहोर	मध्य प्रदेश
13.	विरंची नारायण मंदिर, बुगुदा	उड़ीसा
14.	मंदिर समूह, रानीपुर झरियल, जिला बोलगिर	उड़ीसा
15.	सीता राम जी मंदिर, डीग, भरतपुर	राजस्थान
16.	रामबाग पैलेस, डीग, जिला भरतपुर	राजस्थान
17.	जामवान रामगढ़ किला, जयपुर, जिला जयपुर	राजस्थान
18.	बाला किला, अलवर तथा नीमराणा, अलवर में सीढ़ीदार कुआं	राजस्थान
19.	सैंट थामस चर्च, देहरादून, जिला देहरादून	उत्तराखण्ड
20.	उत्खनित स्थल, श्रृंगवेरपुरा, जिला इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
21.	नौसेरी बानू मस्जिद तथा चौक मस्जिद, केल्ला निजामत, जिला मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
22.	पुरातत्वीय स्थल (सकीसेना टीला), मोगलबारी, जिला पश्चिमी मेदिनापुर	पश्चिम बंगाल
23.	ख्वाजा अनवर बेर (नवाब बाड़ी) जिला बर्धमान	पश्चिम बंगाल
24.	वृन्दावन चन्द्र मंदिर तथा राधा दामोदर मंदिर जिला बांकुरा	पश्चिम बंगाल
25.	मोतीझील जामा मस्जिद, मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की उपलब्धि

3193. **श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री भक्त चरण दास:
श्री जगदीश ठाकोर:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान क्या उपलब्धि रही है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का उनकी मुख्य विशेषताओं सहित ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के अनुरुप कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, और तदनुसार आंकड़े मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार, देश में 25,367 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें हैं। पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I के कालम 4, 5 और 6 पर दिया गया है।

(ग) नई प्रसंस्करण क्षमता के सृजन एवं मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं के उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को संयत्र एवं मशीनिरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% के दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसियों में केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियां तथा निजी क्षेत्र की यूनिटें एवं व्यक्ति शामिल हैं। पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान देश में एजेंसियों/उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है अर्थात (i) मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना तथा बूचड़खानों का आधुनिकीकरण जैसे मुख्य घटकों वाली अवसंरचना विकास स्कीम और (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनीकीकरण (iii) गुणता अश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम।

विवरण-I

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	प्रचालनरत कारखाने संख्या	निवेश की गई पूंजी	कुल आउटपुट	जोड़ा गया निवल मूल्य राशि (करोड़ रुपए में)	लाभ
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	6,402	9,676	27,275	2,583	1,198
तमिलनाडु	3,736	6,319	14,181	1,503	455
महाराष्ट्र	2,238	16,055	28,679	2,692	-201
उत्तर प्रदेश	1,719	14,023	24,549	2,552	676
पंजाब	1,628	4,186	11,604	1,298	594
कर्नाटक	1,390	6,275	11,270	1,658	584

1	2	3	4	5	6
गुजरात	1,307	6,625	26,018	1,228	363
पश्चिम बंगाल	1,147	2,910	7,563	532	105
केरल	1,059	2,018	6,787	613	69
असम	897	1,626	4,183	477	177
हरियाणा	564	3,202	6,160	669	182
छत्तीसगढ़	561	1,086	3,206	5	-82
उड़ीसा	535	1,046	2,190	75	-31
मध्य प्रदेश	517	2,965	13,289	446	105
राजस्थान	506	1,674	6,246	513	283
उत्तराखंड	274	1,272	2,315	194	14
बिहार	191	915	1,209	124	-8
झारखंड	108	117	302	40	15
दिल्ली	103	586	3,441	208	100
हिमाचल प्रदेश	97	394	716	71	29
जम्मू और कश्मीर	93	270	519	11	-22
गोवा	80	410	806	185	129
पुडुचेरी	55	198	972	219	183
त्रिपुरा	50	46	89	19	13
दमन और दीव	28	79	176	47	22
चंडीगढ़ (यूटी)	27	39	156	15	4
नागालैण्ड	16	8	31	2	0
मेघालय	13	44	61	-21	-25
मणिपुर	12	7	24	1	0
दादरा और नगर हवेली	10	18	241	100	95
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	5	2	1
कुल	25,367	84,094	204,267	18,061	5,027

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार अनुमोदित और वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	27	288.915
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	11	247.54
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	102.11
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	26	228.495
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	1	16.3
9.	गोवा	1	17.00	1	24.57	1	24.26	2	40.6
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	54	1092.716
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	11	255.78
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	175.34
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	4	48.59
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	84.00
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	20	435.74
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.33	16	241.69
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	207.185
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	61	902.965
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	66.62
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0
22.	नागालैण्ड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	0	0
23.	उड़ीसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	10	213.28
24.	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	16	271.49
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	643.939
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	26	405.94
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	46	894.33
31.	उत्तराखण्ड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	9	191.3
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	8	155.76
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	429	7210.625

कृषि पर मुख्यमंत्रियों की बैठक

3194. श्रीमती जे. शांता: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में सरकार ने उच्च कृषि विकास दर प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा और उसका परिणाम क्या है; और

(ग) खाद्य उत्पादन बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गयी/की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 4 अप्रैल, 2010 को आयोजित बैठक में "आवश्यक जिन्सों के मूल्यों पर केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य मुख्य मंत्रियों के कोर समूह" द्वारा कृषि उत्पादन पर कार्यकारी समूह का गठन किया गया। यह कार्यकारी समूह, जिनमें मुख्य मंत्री हरियाणा (अध्यक्ष) पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार 7 जून एवं 30 अगस्त 2010 को मिला। कार्यवाही समूह ने वर्धित कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए विचार विमर्श किया और सिफारिशें की, जिनमें सतत कृषि वृद्धि के लिए अपेक्षित दीर्घकालिक नीतियां भी शमिल हैं।

कृषि उत्पादन पर कार्यकारी समूह के प्रमुख सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने वर्धित खाद्य उत्पादन के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए तथा पूर्वी भारत के लिए हरित क्रांति विस्तार करने पर नई पहलों पर कार्य प्रारंभ किए, वर्षा पोषित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांव, सब्जी समूह कार्यक्रम, पोषक तत्व कदन्नों को बढ़ावा और बजट में घोषित किए गए अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 4% तक प्रभावी रूप से ब्याज दर लाने संबंधी कार्यवाही की।

विवरण

कृषि उत्पादन पर कार्यकारी समूह की प्रमुख सिफारिशों का सार

1. समयबद्ध बिजाई, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और मृदा सुधारकों, पानी प्रयोग दक्षता सुधारना इत्यादि जैसे समुचित हस्तक्षेपों के माध्यम से तने विशिष्ट अध्ययनों के माध्यम से सुनिश्चत करने तथा उन्हें पहचानने के द्वारा उपज में क्षैतिजीय और उर्ध्वाधर अंतराल का पाटना।

2. फसल सघनता बढ़ाने के द्वारा बोरो (सर्दी) चावल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार विशेष रूप से असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में (इसे पहचानने के लिए चालू किए गए पूर्वी भारत कार्यक्रम तक हरित क्रांति बढाना)।

3. पूर्वी भारत कार्यक्रम के लिए विस्तारित हरित क्रांति में असम को भी शामिल किया जाए (सहित)।

4. चूंकि अपेक्षित मात्रा में बिजली उपलब्ध होने की संभावना नहीं है इसलिए पूर्वी राज्यों में पानी की व्यवस्था के लिए डीजल पम्पिंग सैटो की अधिक लागत वहन करने के लिए किसानों को सहायता देना आवश्यक है। बिहार की डीजल सब्सीडी योजना के अनुसार एक अन्य योजना अन्य राज्यों में भी चलाई जाए।

5. पूर्वी भारत में नलकूपों, उत्थले कूपों तथा लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के जरिये भूजल के उपयोग के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरु करना।

6. नहरी पानी के साथ खारे जल का उपयोग करने के लिए अनुसंधान को वित्तपोषित तथा नहरों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।

7. छोटे और सीमांत किसानों के लिए दोनों फार्म पर या फार्म से बाहर रोजगार पैदा करने के लिए फसलों, बागवान, पशुधन इत्यादि सहित एकीकृत कृषि प्रणालियां विकसित और उन्नयन करना।

8. देश की सिंचित अनाज उत्पादन प्रणालियों के अधीन क्षेत्रों में शून्य जुलाई के अंतर्गत अल्प अवधि ग्रीष्म मूंग-बीन किस्मों सहित और गन्ना उत्पादन प्रणाली क्षेत्रों में वर्षा पुष्प दलहन। पूर्वी भारत में, सर्द फलियां (मसूर, छोटी मटर इत्यादि) की शून्य जुलाई रोपण की आवधिक खेती चावल-प्रति भूमियों में संकेन्द्रित की जाए।

9. संकर बीज उत्पादन तीव्रता से बढ़ाना और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।

10. तिलहन फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर सुधारना। सी पी एम आधारित संकर बीजों को लोकप्रिय बनाना क्योंकि वे पर्याप्त उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्कृष्ट सुरजमुखी संकर बीज उत्तरी भारत में विकसित किए जाएं और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। अरंड में, सूखा और लवणता जैसे अजैविक दबावों के लिए संकर बीजों और रोधी किस्मों के विकास के लिए विशेष फोकस आवश्यक है।

11. राज्य बीज निगमों को जीवंत संगठनों को विकसित करने के लिए या तो इसमें सुधार किया जाए या इसे फर से गठित किया जाए इसे बंद किया जाए ताकि कोई वैकल्पिक प्रणाली विकसित हो सके।

12. उर्वरक कम्पनियां सभी कृषि-जलवायु जोनों में मिट्टी की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों के मिश्रणों के सही प्रकार पैदा करें। जैव-उर्वरक अनुप्रयोग के अंतर्गत कम से कम 10% क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखें। तरल उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

13. इसमें समुचित पेस्टीसाइड/जैव पेस्टीसाइड गुणवत्ता नियंत्रण ढांचा सर्जजित करने और अधिक पेस्टीसाइड के विक्रय के लिए कड़ा दंड उपलब्ध करने की आवश्यकता है।

14. फ्यूरो सिंचाई, मलचिंग, ड्रिप और स्पटिंग कलर सिंचाई इत्यादि जैसी कुछ सिंचाई प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रुप में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। दोनों नहरी और वर्षा पुष्प क्षेत्रों में प्राथमिकता के रूप में समष्टित सिंचाई प्रणालियों ड्रिप और स्परिंग कच्लर को अवश्य बढ़ावा दिया जाए, वर्षा पुष्प क्षेत्रों में स्वस्थानें जल संरक्षण कृषि, और फसलों की उपज सुधारने की स्थिरता और धारणीयता के लिए सर्वोत्तम हल है।

15. ऋण के समान वितरण के लिए राज्यों के पार संस्थागत विकास प्राथमिक क्षेत्र है। ऋण 4% प्रति वर्ष ब्याज दस से अधिक पर नहीं उपलब्ध कराया जाए।

16. फार्म तंत्रिककरण न केवल वर्धित उत्पादकता के लिए आवश्यक है, परन्तु अभरतीय श्रमिक कमी और सरकार से अत्यधिक समर्थन आवश्यकताओं की दृष्ट से भी आवश्यक है फार्म तंत्रिकरण पर एक प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया जाना चाहिए।

17. सीमा शुल्क किराए के अंतर्गत खरीद, रखरखाव और किसानों को फार्म मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देना।

18. सभी प्रकार के औजार, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर बिना किसी आयात शुल्क के मुक्त रूप से आयातित किए जाना अनुमत किए जाएं।

19. राज्य कृषि क्षेत्र को विद्युत की सतत उपलब्धता के लिए फिडरों की अलग से व्यवस्था पर विचार करें तथा पूर्वी भारत में वंचित क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

20. कृषि में सोलर, जैव समूह और पवन बिजली का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। कृषि में जैव ऊर्जा के दौहन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु करना वांछनीय होगा।

21. सभी किसान विकास केन्द्रों तथा विस्तार निदेशालयों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए उसे क्रियान्वित किया जाए।

22. कृषि क्लीनिकों की स्थापना के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनका निर्माण किया जाए।

23. किसानों को बेहतर विकल्प देने के लिए तथा कृषि उत्पादों के बेहतर रखरखाव के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मण्डी अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्रों निवेश लाना आवश्यक है।

24. कृषि विपणन में एक सबसे संस्थागत सुधार, स्पाट इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग के प्रणाली विकसित की है।

25. ग्रामीण भण्डारण योजना स्कीम के तहत उपलब्ध कोष को देश में ग्रामीण गोदामों के नेटवर्क तैयार करने हेतु प्रयोग में लाया जाए।

26. किसानों को लाभप्रद एवं आर्थिक मूल्य दिलाने की आवश्यकता के संदर्भ में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की खेती की लागत की परिकलन की विधि की समीक्षा की जाए। कार्यकारी समूह राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करता है जिसमें औद्योगिकी लागत की परिकलन के लिए प्रयुक्त बीआईसीपी को अपनाने या खेती की वास्तविक लागत की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक मूल्य का सुझाव दिया गया है।

27. सब्जियों विशेष रूप से आलू, प्याज तथा लहसुन, के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

28. कृषि उत्पादों की मण्डियों को परिवहन, व्यापार, स्टाकिंग, वित्त, निर्यात आदि पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए। कारपोरेट लाइसेंसधारकों या एपीएमसी सहित किसी प्रकार के एकाधिकार की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

29. व्यक्तिगत किसानों के लिए अधिकतम सीमा की तुलना में 25 गुना के स्तर पर कारपोरेट के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।

30. अनुबंध खेती तथा पटटे पर भूमि के लिए उचित नीति तैयार की जाए। यह सुनिश्चितम करने के लिए कि भूमि के मालिकों तथा पटटे पर खेती करने वाले के अधिकार सुरिक्षत हो, फार्मिंग/पटटे की व्यवस्था के लिए दिशानिर्देशों का निरुपण किया जाए।

31. भारतीय माध्यमिक एजेंसियों को दीर्घकालीन आपूर्ति अनुबंध के तहत दालों एवं तिलहनों के उत्पादन के लिए विदेशों में भूमि खरीदने हेतु भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

32. मौजूदा केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमों को नई संकेन्द्रित स्कीमों में बदलने के लिए योजना आयोग द्वारा एक समेकन प्रयास किया जाए।

33. 12वीं योजना से एनएफएसएम को गेहूं उत्पादक सभी राज्यों से संचालित करने के लिए सलाह दी गई है। मक्का तथा मोटे अनाज (सारेगम व बाजरा) जैसी फसलों को एनएफएसएम में शामिल किया जाए।

34. आंकड़ों के एकत्रण की परिशुद्धता में वृद्धि करने तथा उच्चतर दर पर निम्नतर बॉयस को हटाने के लिए तथा सभी फसलों को शामिल करने हेतु पूरी सांख्यिकीय प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।

35. आरकेवीवाई तथा अन्य कोषों का उपयोग करते हुए अभिज्ञात मौसम मानकों के एकत्रण तथा मानीटरिंग भी एक प्रणाली विकसित तथा लागू की जाए। आधुनिक आईसीटी उपकरणों तथा तकनीकों (एसएमएस, पंचायत ई-सेवा, एम.ए. रेडियो, एआईआर, टीवी आदि) का प्रयोग करते हुए मौसम की दैनिक जानकारी सहित मण्डी सूचना किसानों को दी जाए।

36. राज्य अलग से पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों की स्थापना पर विचार करें। केन्द्र सरकार पशुधन मिशन की भी स्थापना करें।

37. कृषि प्रचालनों में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए।

38. केन्द्र/राज्य सरकार में कृषि, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सिंचाई, उर्वरक तथा विद्युत मंत्रालयों में एक समन्वय प्रणाली का तात्मकालिक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कृषि संबंधी वैज्ञानिक परामर्श-परिषद की स्थापना की जाए।

39. राज्य अन्य संबद्ध विभागों के साथ समन्वय करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े सभी उत्पादन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें।

40. सभी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों तथा पशुधन के बीमा कवरेज के लिए एक व्यापाक नीति प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की आवश्यकता है तथा इसे केन्द्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता से प्रखण्ड के बजाय गांव को ईकाई मानते हुए क्रियान्वित किया जाए।

41. आपदा राहत कोष के मानकों में संशोधन किया जाए बाढ़/सूखा/पाला जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि के लिए क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपए प्रति हैक्टे. की जाए

42. राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के क्रियाकलापों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की पुसलोपरान्त हानि पर रोक लगाने के लिए आधुनिक प्रणाली विकसित करने हेतु अथक प्रयास किए जाए।

43. स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा जलवायुरोधी वर्षासिंचित खेती के लिए बीमा, वरीयता प्राप्त ऋण अवसंरचना व विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के रुप में उचित नीतिगत पहलों की आवश्यकता है।

44. कीट एवं रोगों के प्रतिरोधी, प्रतिकूल मौसम दशाओं के प्रति सहिष्णु, बेहतर पोषकीय मूल्य तथा उत्पादों की वद्धित अवधि वाली पादप किस्मों का विकास करके पारम्परिक प्रजनन विधि को सुदृढ़ बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग में प्रौद्योगिकीय सफलता के जरिए ही वर्षासिंचित क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए दूसरी हरित क्रांति से ही संभव है।

45. राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सुपरिभाषित निष्कर्षो एवं साहचर्यता के साथ वर्षापोषित कृषि के विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए।

अल्कोहल उत्पादन

3195. श्री उदय सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार पिछले दो वर्षों के दौरान अल्कोहल जनित विषाक्तता के कितने मामले सामने आए है;

(ख) क्या सरकार द्वारा स्थल दौरों के माध्यम से उत्पादन इकाइयों में उत्पादित की जा रही अल्कोहल की गुणवत्ता की निरंतर जांच किए जाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अल्कोहल के अवैध उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) अल्कोहल राज्य का विषय है। विनिर्माण लाइसेंस जारी करने से संबंधित सभी मामलों, निगरानी पहलुओं आदि पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तदनुसार, इस मंत्रालय को अल्कोहल जनित विषाक्तता संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, न ही मंत्रालय इसके आंकड़े रखता है।

[हिन्दी]

सरकारी कालोनियों में टेंट हाउस

3196. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न सरकारी कालोनियों में टेंट हाउसों के कार्यकरण के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकारी परिसर के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आंबटियों के विरुद्ध और उक्त क्षेत्र से टेंट हाउसों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) आराम बाग कालोनी में अनधिकृत रूप से टेंट हाऊस चलाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी और उसे जनवरी, 2011 में हटाया जा चुका है।

(ग) के.लो.नि.वि. अनधिकृत अतिक्रमणों का पता लगाने और उनकी सूचना देने के अलावा उनकी रोक थाम/उन्हें हटाने के लिए आवधिक निरीक्षण करता है।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया है, आबंटी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी क्योंकि उसने पहले ही टेंट हाऊस को हटा लिया था।

स्थानीय परिवहन सेवा में सुधार किया जाना

3197. **श्री जोसेफ टोप्पो:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचारर गुवाहाटी में मेट्रो रेल की स्थापना या अन्य सेवा सहित सभी बड़े शहरों में स्थानीय परिवहन सेवा में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय परिवहन सेवा में सुधार करने के लिए कितनी राशि जारी की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) शहरी परिवहन, शहरी विकास से संबद्ध है जो राज्य का विषय है। अत: महानगरों में स्थानीय परिवहन सेवा में सुधार करने का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है। तथापि, शहरी परिवहन की तेजी से बढ़ रही समस्या की गंभीरता को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरीपरिवहन नीति (एनयूटीपी) बनाने, शहरी परिवहन हेतु बसों के एि वित्तपोषण, तीव्र बस परिवहन प्रणाली परियोजनाएं, यातायात परिवहन प्रबंधन केन्द्र की स्थापना और विभिन्न शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्वीकृत जैसे सक्रिय कदम उठाये हैं। असम सरकार से राज्य में किसी शहर के लिए मेट्रो रेल परियोजना बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जेएनएनयूआरमएम के तहत शहरी परिवहन हेतु बसों की खरीद स्कीम के अंतर्गत गुवाहाटी शहर, असम के लिए 200 बसें स्वीकृत की गई हैं।

(ग) जेएनएनयूआरएम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बसों की खरीद हेतु मुहैया करायी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बसों की खरीद हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशियों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	शहर	जारी धनराशियां		
			2008-09	2009-10	2010-11
1.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	1.95	-	-
2.	असम	गुवाहाटी	7.11	-	-
3.	मणिपुर	इम्फाल	3.04	-	-
4.	मेघालय	शिलांग	-	3.69	-
5.	मिजोरम	आईजोल	1.46	-	-
6.	नागालैंड	कोहिमा	-	0.68	-
7.	सिक्किम	गंगटोक	-	0.68	1.12
8.	त्रिपुरा	अगरतला	7.65	-	-

नि:शक्तों के लिए रिक्तियां

***3198. श्री हमदुल्लाह संईद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन रिक्तियों कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने एक निश्चित अवधि में इन रिक्तियों के भरे जाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने 117 पदों की पहचान की है। इस समय शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित केवल 20 पद रिक्त हैं। यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हो जाएंगे तो इन रिक्त स्थानों को दिनांक 30.4.2011 से पहले भर लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दिनांक 07.02.2011 के अपने पत्र सं. 119/2002-स्था/561 के तहत अपने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे इन सब रिक्त स्थानों को समय-बद्ध ढंग से भरने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

***3199. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुन्देलखंड क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झांसी में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर ली गई है।

रबड़ में वायदा कारोबार

3200. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे मत/सुझाव प्राप्त हुए हैं कि वायदा कारोबार से रबड़ के मूल्यों को कम करने में मदद मिल सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रबड़ उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं। सरकार को इस आशय का कोई सुझाव नहीं मिला है कि वायदा व्यापार रबड़ के मूल्यों को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायदा व्यापार भौतिक बाजार में मांग और आपूर्ति कारकों के आधार पर वस्तुओं के मूल्यों की खोज करता है। वायदा व्यापार का उद्देश्य अलग-अलग वर्गों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करना नहीं है। रबड़ उद्योग तथा अन्य उपभोक्ता सहित विभिन्न बाजार पणधारी अपने मूल्य जोखिम के बचाव के लिए वायदा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाजार विनियामक के रुप में वायदा बाजार आयोग यह सुनिश्चित करता है कि वायदा बाजार मूल्य खोज के लिए दक्षतापूर्वक और पारदर्शी रुप से कार्य करे जो अत्यधिक सट्टेबाजी अथवा हेरा-फेरी से मुक्त हो। यह विभिन्न विनियामक उपायों का प्रयोग करता है जैसे सदस्यों और ग्राहकों के लिए बाजार व्यापी खुली स्थिति सीमाएं, दैनिक मूल्य सीमाएं और मार्जिन, विशेष और अतिरिक्त मार्जिन, अनिवार्य सुपुर्दगी आदि।

इसके अलावा, विनियामक एक्सचेंजों से दैनिक रिपोर्ट मंगाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाता है कि

बाजार का कोई दुरुपयोग न हो और एक्सचेंज प्लेटफार्म पर प्रदर्शित मूल्य भौतिक बाजार में मांग और आपूर्ति कारकों द्वारा प्रशासित हों। इस प्रकार अत्यधिक सट्टेबाजी और मूल्य उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए वस्तुओं के वायदा बाजार पर रियल टाइम आधार पर निरंतर नजर और निगरानी रखी जाती है।

तथापि, केरल राज्य में विभिन्न रबड़ सहकारी समितियां तथा रबड़ उगाने वालों के समूह, जो रबड़ का व्यापार करते हैं, ने रिपोर्ट दी है कि वायदा व्यापार प्लेटफार्म पर दी गई सूचना की सहायता से उनको रबड़ के चालू और भावी मूल्यों के पारदर्शी संकेत मिल रहे हैं जिनके आधार पर वे यह निर्णय लेते हैं कि रबड़ की बिक्री अब की जाए या भविष्य में की जाए और इसलिए वे रबड़ व्यापारियों अथवा टायर विनिर्माताओं की दया पर निर्भर नहीं हैं जो रबड़ के मूल्यों के निर्णायक हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि वायदा व्यापार ने उन्हें स्थानीय उत्पादक संघों से भी बचाया है और यह मूल्य खोज के लिए एक पारदर्शी और दक्ष तंत्र प्रदान करता है जिसके कारण रबड़ उत्पादकों को खेत पर अधिकतम मूल्य (बाजार मूल्य का 90%) मिल रहा है, जो रबड़ उत्पादकों के लिए लाभदायक है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए विशेष अदालत

***3201. श्रीमती सुमित्रा महाजनः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास महिला कैदियों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक ऐसे न्यायालयों के स्थापना किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में नक्सल गतिविधियां

***3202. श्रीमती प्रिया दत्तः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) यद्यपि, गढ़चिरोली जिले में हाल ही में वामपंथी उग्रवाद की कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, तथापि, महाराष्ट्र राज्य में समग्रतः वर्ष में वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) की हिंसा की 94 घटनाएं हुई जिनमें 45 लोग हताहत हुए, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2009 में वाममंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) हिंसा की कुल 93 घटनाएं हुई थीं, जिनमें 154 लोग हताहत हुए थे।

(ग) चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, अतः कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है, जो राज्यों में नक्सली गतिविधियां से संबंधित विभिन्न मुद्दों से स्वयं निपटती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती हैं और सुरक्षा एवं विकास दोनों क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है।

[हिन्दी]

प्राचीन गुफाओं का रख-रखाव

3203. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में सातवाहन काल की कोई प्राचीन गुफाएं हैं जिनकी वर्षों से उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उक्त गुफाओं के सरक्षण और रख-रखाव हेतु उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) चन्द्रपुर जिले में भंडक स्थित पांडवलेन नामक एक गुफा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक है जो सातवाहन काल के बाद का है। उक्त गुफा पर संरक्षण कार्य मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर

करते हुए नियमित रूप से किया जाता है और यह भली-भांति परिरक्षित है।

बड़े शहर घोषित करना

3204. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने किसी नगर अथवा कस्बे को बड़ा शहर घोषित करने अथवा उस रूप में उसका विकास करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मानदंड में कोई संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बड़े शहर घोषित किए गए शहरों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कुछ और शहरों और कस्बों को बड़े शहर घोषित करने और वर्तमान वर्ष के दौरान उनमें तदनुरूप सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य हेतु संलग्न: की गई एजेंसियों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि में अब तक इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) स्थानीय शासन से संबंधित मामले राज्य के विषयों की सूची में आता है तथा भारत सरकार ने किसी भी शहर को मेगा शहर का दर्जा प्रदान करने हेतु कोई सामान्य मानदण्ड निर्धारित नहीं किया है। शहरों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) जो इस समय शहरी क्षेत्र में कार्यान्वियन की एक प्रमुख स्कीम है, के तहत शहरों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-

1. 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार) वाले शहर/शहरी समूह
2. 1 मिलियन से अधिक परन्तु 4 मिलियन (2001 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह
3. पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर के शहर/कस्बे/शहरी समूह, तथा
4. उपर्युक्त शहरों/शहरी समूहों के अलावा

मेगा शहरों की अवस्थापना विकास की, केन्द्र द्वारा प्रायोजित पूर्व योजना में मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलौर शामिल हैं, तथापि जेएनएनयूआरएम के शुरू होने के बाद यह योजना बन्द हो चुकी है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

घोषित भगोड़े

3205. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे घोषित भगोडों की कुल संख्या कितनी है जो कि आज तक पकड़े नहीं जा सके हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें पकड़ने और बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था से शहर को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को कोई परामर्श/अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर दिल्ली पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे घोषित भगोड़ों जिन्हें दिनांक 28.02.2011 तक पकड़ा नहीं जा सका है, की कुल संख्या 13621 है।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा घोषित भगोड़ों को पकड़ने और बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से शहर को बचाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित है:-

(i) इन्हें पकड़ने के ठोस प्रयास करने के लिए निरीक्षक के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में विशेष टीम का गठन किया गया है।

(ii) यह अनुदेश जारी किए गए हैं किए फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के संबंध में ठोस प्रयास करने

के लिए टीमों को उन्हें आबंटित जिलों/राज्यों का दौरा करना चाहिए।

(iii) ये टीमें क्षेत्र में सम्पर्क और आसूचना नेटवर्क विकसित करने के लिए स्थानीय स्टाफ और लोगों के साथ अपना परिचय बनाने के लिए नियमित अन्तराल पर संबंधित पुलिस स्टेशनों का दौरा करेंगी।

(iv) दिल्ली पुलिस फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस कार्मिकों को पुरस्कृत करती है।

(v) फरार घोषित अपराधियों के संबंध में पुलिस स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्टो की पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने फरार और घोषित भगोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में एक स्थायी आदेश संख्या 21/2010 जारी किया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अन्य भगोडों के लिए निवारक के रुप में कार्य करने और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी से बचने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले घोषित भगोडों के विरुद्ध 147 क, भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का अवलम्ब लेने हेतु दिनांक 19.01.2011 को एक परिपत्र जिसे दिनांक 04.03.2011 के आदेश के तहत संशोधित किया गया था, जारी किया गया है।

[हिन्दी]

के.लो.नि.वि.द्वारा स्टेडियमों का रख-रखाव

3206. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेलों हेतु निर्मित स्टेडियमों के रख-रखाव में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से उपेक्षा बरते जाने के कितने मामले ध्यान में आए हैं;

(ख) स्टेडियमों की बदहाली हेतु उत्तरदायी संस्थाओं/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उपयोग न किए गए उन स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है जहां पर खेल स्पर्धाओं का होना निर्धारित था और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में हिंसा

***3207. श्री के. सुधाकरण:** क्या **गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में अशांति के पीछे मीडिया कर्मियों के कथित रूप से सलंग्न होने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में अशांति के पीछे मीडिया कर्मियों के प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) उपर्युक्त के मद्दे नजर प्रश्न नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) हेतू पीपीपी पद्धति

3208. श्री मिलिंद देवरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हेतु रणनीति के रूप में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति को शमिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मिशन के अंतर्गत पीपीपी पद्धति के अंतर्गत वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिनांक 03.12.2005 को शुरु किए गए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्थाओं, जहां कहीं उपयुक्त हों, के माध्यम से परियोजनाओं के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वियन और वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की दक्षता जुटाना तथा शमिल करना है। 11वीं योजना दस्तावेजों में इस बात पर भी बल दिया गया है कि जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की पर्याप्त जरूरत और क्षमता है।

(ग) जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत कुछ पीपीपी घटकों के साथ 67 (सड़सठ) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) विभिन्न सेवाओं के प्रावधान के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना मिशन के अंतर्गत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा शुरु किया जाने वाला एक मुख्य सुधार है। इसे प्राप्त करने के लिए, शहरों को अनेक सुधार शुरु करने है, जिनका उद्देश्य म्यूनिसिपल शासन और वित्तीय सुंस्थिरता में सुधार लाना है। मिशन निदेशालय ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सार्वजनिक - निजी भागीदारी के लिए शहरी अवस्थापना परियोजनाओं का विश्लेषण करने हेतु एक टूलकिट तैयार और परिचालित की है। इस टूलकिट में शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों के लिए यह निर्धारण करने हेतु एक सामान्य जांच-सूची दी गई है कि क्या परियोजना पीपीपी के अनुकूल है। मिशन निदेशालय ने टूल-किट को प्रचानात्मक बनाने के लिए चुनिंदा शहरों हेतु सहायता भी मुहैया कराई है।

विवरण

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा शहर की ठोस कचरा प्रबंधन सुधार स्कीम	ठोस कचरा प्रबंधन
2.	ईटानगर	ईटानगर शहर में म्युनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
3.	गुवाहाटी	गुवाहाटी शहर का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
4.	पटना शहरी समूह	पटना शहरीय बस्तियों में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
5.	पटना	पटना नगर निगम का म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
6.	अहमदाबाद	अहमदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
7.	राजकोट	राजकोट में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
8.	सूरत	सूरत में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
9.	बडौदरा	बडौदरा में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
10.	फरीदाबाद	फरीदाबाद शहर की ठोस कचरा प्रबंधन सुधार स्कीम	ठोस कचरा प्रबंधन
11.	शिमला	शिमला शहर का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
12.	रांची	रांची में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्न्यन	ठोस कचरा प्रबंधन
13.	धनबाद	धनबाद ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
14.	मैसूर	मैसूर नगर निगम के लिए एकीकृत म्यूनिसिपल ठोस कचरा कार्यानिति	ठोस कचरा प्रबंधन

1	2	3	4
15.	कोची	कोची शहर का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
16.	तिरुवंतपुरम	तिरुवंतपुरम को ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
17.	मुम्बई	मुम्बई में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
18.	पींपरी छिदवार	पींपरी छिदवार नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
19.	इम्फाल	इम्फाल शहर के लिए म्यूनिसिपल ठोस का कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
20.	पुडुचेरी	पुडुचेरी के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
21.	अमृतसर	अमृतसर के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
22.	जयपुर	जयपुर शहर की ठोस कचरा प्रबंधन का सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
23.	चेन्नई	चेन्नई शहर का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
24.	चेन्नई	एलनदूर, पल्लावरम और ताम्बरम नगर पालिकाओं के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
25.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर शहर का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
26.	मदूरई	मदूरई निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
27.	आगरा शहर	आगरा शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
28.	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
29.	लखनऊ	लखनऊ शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
30.	मथुरा	मथुरा शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
31.	मेरठ	मेरठ शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
32.	कानपुर	कानपुर शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
33.	वाराणसी	वाराणसी शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
34.	देहरादून	देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
35.	हरिद्धार	हरिद्धार में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
36.	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन

1	2	3	4
37.	कोलकाता	कोलकाता के लिए म्यूनिसिपल कस्बों का म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
38.	कोलकाता	कोलकाता के लिए 13 म्यूनिसिपल कस्बों का म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
39.	इंदौर	इंदौर सिटी का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
40.	नासिक	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
41.	नागपुर	सार्वजानिक निजी भागीदारी के माध्यम से नागपुर शहर के लिए 24 घंटे जलआपूर्ति परियोजना कार्यान्वित करने हेतू पुर्नवास योजना के लिए डीपीआर	जलआपूर्ति
42.	नागपुर	पेंच जलाशय से जल उठाना तथा नहर के बजाय मोर्टर लाइन एमएसपाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक ले जाना	जलआपूर्ति
43.	कोलकाता	साल्ट लेख, कोलकाता भाग 1-जलआपूर्ति में नबा दिगांता औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5 में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	जलआपूर्ति
44.	भोपाल	गैस प्रवाहित क्षेत्र को जलआपूर्ति	जलआपूर्ति
45.	चेन्नई	पैरुनगुडी में अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	सीवरेज
46.	कोलकाता	साल्ट लेख में नबा दिगांता औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5 (पार्ट-2 सीवरेज सिस्टम) में जलाआपूर्ति और सीवरेज सिस्टम का विकास और प्रबंधन	सीवरेज
47.	कोहिमा	कोहिमा में एकीकृत सड़क और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना	पी पी पी आधार पर पार्किंग स्थान
48.	इंदौर	इंदौर शहर में 20 विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण	अन्य (पार्किंग)
49.	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा (i) एम.जी.रोड (ii) नूजी वेदू रोड (iii) एल्लूरु रोड (iv) मार्ग सं 5 (v) एसएन पूरम रोड (vi) लूप रोड के लिए द्रुत बस परिहवन प्रणाली	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
50.	विशाखापतनम	विशाखापतनम (i) टर्नल सहित सिम्हाचलम परिवहन कोरिडोर (ii) पन्डुरथी परिवहन कोरिडोर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
51.	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली -12 कि.मी. लम्बे मार्ग (पहले फेज का मार्ग 1) बीआरटी रोडवेज का निर्माण तथा शेष मार्गो का विस्तृत अध्ययन और इंजीनियरिंग करना	द्रुतजन परिवहन प्रणाली

1	2	3	4
52.	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
53.	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम के लिए द्रुतजन परिवहन प्रणाली फेज-II	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
54.	राजकोट	द्रुत बस परिवहन प्रणाली फेज-I (ब्लू कोरिडोर भाग 1 का विकास)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
55.	सूरत	सूरत के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली का विकास	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
56.	भोपाल	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (21.715 किमी लम्बे) के लिए प्रयोगिक कोरिडोर (न्यू मार्केट से विश्वविद्यालय)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
57.	इंदौर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-प्रायोगिक परियोजना	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
58.	पुणे	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली प्रायोगिक परियोजना (कटराज स्वारगेट हदबसर मार्ग 13.6 किमी.)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
59.	पुणे	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली (फेज-I)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
60.	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (राष्ट्रमण्डल युवा खेल 2008 के लिए अवस्थापना का विकास)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
61.	पुणे	मुंबई-पुणे राजमार्ग (8.5 किमी.) और औधरावेत सड़क (14.5 किमी.) हेतु सीआरटीस बस कोरिडोर कुल (23 किमी.)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
62.	पुणे	पुणे (विकंतवादी 13.9 किमी.से डिघी-आक्ट्रोई नाका तक हेतु बी आर टी कोरिडोर के रुप में नए अलंडी सड़क सुधार एवं सुदृडीकरण	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
63.	पुणे	पीसीएमसी-बीआरटीएस कोरिडोर-कालेवाड़ी-के एस बी चौक से देहू-अलंडी रोड (ट्रंक मार्ग-7)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
64.	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली कोरिडोर-नासिक फाटा से वकार्ड (ट्रंक मार्ग-9 पीसीएमसी	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
65.	जयपुर	सी जॉन बाई पास क्रासिंग से पानीपेच वाया सीकारोड तक द्रुत बस परिवहन प्रणाली परियोजना प्रस्ताव (पैकेज-1बी)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
66.	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-2) का निर्माण	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
67.	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-3 ए एण्ड 3 बी) जयपुर	द्रुतजन परिवहन प्रणाली

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के अंतर्गत अंशदान

3209. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से फसल बर्बादी से प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के अंतर्गत देय भुगतान के संबंध में केन्द्रीय अंशदान में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्कण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र आदि राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच शेयरिंग प्रतिमान 1:1 अनुपात से बदलकर 2:1 अनुपात करने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त दल की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न सुधारों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संशोधित किया गया है। भारत सरकार ने रबी 2010-11 से 50 जिलों में पॉयलट आधार पर कार्यान्वियन हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अनुमादित की। इस स्कीम में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच अपफ्रंट प्रीमियम राजसहायता 1:1 अनुपात में शेयर किया जाता है।

सुरक्षा बलों के लिए वाहन

***3210. श्री जनार्दन स्वामी:** क्या **गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य पुलिस और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को नए और अत्याधुनिक वाहन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे वाहन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ योजना) के तहत राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं, मोबिलिटी, योजना का एक घटक है जिसके लिए योजना के तहत राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारें, मोबिलिटी सहित पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए वार्षिक कार्य योजना में अपनी विभिन्न आवश्यकतायें परिलक्षित करती हैं जिन पर गृह मंत्रालय में विचार किया जाता है और अनुमोदन किया जाता है। योजनायें अनुमोदित करने के बाद, अनुमोदित योजना के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती है।

जहाँ तक केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों का संबंध है, सरकार ने उनके लिए विशेष प्रयोजन के विभिन्न प्रकार के वाहन प्राधिकृत किए हैं, जिनका वे प्रापण करते हैं।

(ग) वाहनों का प्रापण करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता

3211. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्पादकों/किसानों को लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादों का ब्यौरा देते हुए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान लगाए गए ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां। सरकार लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु उत्पादकों/कृषकों समेत किसी भी उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन एवं मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन और दूध, फल तथा सब्जियों, मांस, पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, अनाज, उपभोक्ता वस्तुओं, तिलहनों, राइस मिलिंग, आटा मिलिंग और दालों आदि को शामिल करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कार्यान्वियन एजेंसियों/उद्यमियों को सयंत्र एवं मशीनिरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% के दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अण्डमान ओर निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रूपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यान्वियन एजेंसियों में केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियां तथा निजी क्षेत्र की यूनिटें एवं व्यक्ति शामिल हैं।

(ख) उत्पादों के ब्यौरों समेत स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के संबंध में आंकड़े मंत्रालय द्वारा केंन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित

दोनों क्षेत्रों में हैं। तथापि, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार देश में 25,367 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में 579 यूनिटों को, वर्ष 2009-10 में 487 यूनिटों को और वर्ष 2010-11 (22.11.2010) की स्थिति के अनुसार) 429 यूनिटों को वित्तीय सहायता दी है।

आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात एचडीएफसी बैंक के समन्वयाधीन हैं।

[अनुवाद]

टाडा के अंतर्गत दोषसिद्ध कैदी

***3212. श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टाडा के अंतर्गत दोषसिद्ध, विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उन कैदियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें चौदह वर्ष के कारावास के पश्चात अच्छे चाल-चलन के आधार पर छोड़ दिया गया है और उक्त अवधि के दौरान कैदियों की रिहाई हेतु लंबित आवेदनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य सरकारों से संबंधित टाडा मामलों की जानकारी गृह मंत्रालय में केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है। तथापि, टाडा के तहत जेलों में बंद दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या, आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, चौदह वर्ष का कारावास पूरा करने के पश्चात रिहा किए गए कैदियों की संख्या और कैदियों की रिहाई के लिए लंबित आवेदनों की संख्या के संबंध में वर्ष 2010 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	टाडा के तहत जेलों में बंद दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	जेल में 14 वर्ष की अवधि पूरी करने और अच्छे चाल-चलन के आधार पर रिहा किए गए	रिहाई के लिए लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2	2	शून्य	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	1	1	शून्य	शून्य
4.	बिहार	14	6	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	36	28	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	6	6	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	13	4	1	शून्य
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	4	शून्य	शून्य	शून्य
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	28	15	शून्य	16
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पंजाब	5	4	शून्य	2
22.	राजस्थान	14	14	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	4	3	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	3	3	शून्य	2
27.	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	6	6	शून्य	2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	12	11+1 मृत्यु दंड	3	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पटरी विक्रेताओं हेतु नीति

3213. श्री खगेन दास:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में पटरी विक्रेताओं हेतु नई राष्ट्रीय नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह नीति मौजूद नीति से किस आधार पर भिन्न है और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए है; और

(घ) सरकार ने इस नई नीति को देश में प्रभावी रुप से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं। 2004 की नीति के स्थान पर लाई गई मौजूदा नीति, 2009 केवल 2009 से ही शुरु हुई है।

(ख) से (घ) राज्यों को सलाह दी गई है कि शहरी फेरीवालों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 को अपनाएं तथा राज्यों को परिचालित मॉडल स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण एवं फेरीकार्य का नियमन) बिल 2009 के अनुरुप फेरी कार्य को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार एवं कार्यान्वित करें तथा कानूनी बनाएं।

आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलें

3214. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) विभिन्न फसलों के विकास में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या उक्त संस्थान ने अब तक देश में कोई जीएम फसले विकसित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा विकसित की गई जीएम फसलों की गुणवत्ता की जांच हेतु कोई तन्त्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न प्रभागों को सम्पूर्ण अनुसंधान तथा विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं न कि विशेष रूप से आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) विकास हेतु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 11वीं योजना अवधि के पहले चार वर्षो के दौरान, 1601.60 करोड़ रु. फसल सुधार के लिए फसल विज्ञान तथा बागवानी प्रभागों के लिए जिसमें आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों का अनुसंधान शामिल है, आबंटित किए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने कपास तथा बैंगन के पराजीनियों का विकास किया है। ज्वार, टमाटर, सरसों, आलू गन्ना तथा चावल जैसी फसलों में पराजीनियों का विकास कर उनका परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार के पास भारत के कम्पनियों द्वारा शुरू की गई बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के तहत पर्याप्त नियामक प्रावधान हैं। बीटी कपास बीजों में बीटी जीन की अभिव्यक्ति की प्रमात्रा के रूप में शुद्धता की विशिष्टता के लिए बीटी कपास की गुणवत्ता को नियंत्रित करने हेतु बीज अधिनियम 1966 के तहत 5.11.2005 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। बीज नियम 1968 के नियम 33 के तहत बीटी कपास बिनौले हेतु बीज के सैंपल की जांच के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है। राज्य सरकारों ने बीज नियम को लागू करने के लिए बीज निरीक्षकों को अधिसूचित किया है। पर्यावरणीय रिलीज से पहले आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों के जैव विविधता पहलुओं की इपीए-1986 के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा गठित आनुवांशिक रूप से मैनुपलेशन पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम) जांच करता है। एमओइएफ तथा जीइएसी का अधिदेश, इपीए के नियम 1989 के तहत नियामक प्रक्रिया के अनुसार जीएम उत्पादों की जैव सुरक्षा (पर्यावरण तथा स्वास्थ्य) को नियंत्रित करना है।

प्रिंट पैक इंडिया-2011

3215. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की ग्राफिक कलाओं, समाचार पत्रों, पाठ्यपुस्तकों और पत्रिका उद्योग के विकास को दर्शाते हुए हाल ही में दिल्ली में प्रिंट पैक इंडिया 2011 नामक एक छह दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न पक्षों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) 'प्रिंटपैक इंडिया-2011' के 10वें संस्करण का आयोजन 16 से 21 जनवरी, 2011 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रैस-पूर्व और प्रैस-में जिल्दसाजी, परिसज्जन, पैकेजिंग, रूपांतरण और साइनिज उद्योग के लिए मुद्रण, पैकेजिंग एवं सम्बद्ध मशीनरी को प्रदर्शित किया गया। 18000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में आयोजित इस प्रदर्शनी में 5 देशों (चीन, कनाडा, मिस्र, सिंगापुर एवं ताइवान) की 20 से अधिक विदेशी कंपनियों सहित 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

(ग) प्रिंटपैक इंडिया-2011 के दौरान आगन्तुकों की कुल संख्या 50000 (लगभग) से अधिक थी जिससे उक्त व्यवसाय के विस्तार हेतु व्यावसायिक हित एवं संभाव्यता पैदा हुई।

राष्ट्रीय डेयरी योजना

3216. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अप्रैल 2011 से राष्ट्रीय डेयरी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त योजना को लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करके प्रापण, प्रसंस्करण, विपणन और गुणवत्ता आवश्वासन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने/उसका प्रसार करने हेतु विशेष पैकजों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) एक सामरिक योजना है जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा 2021-22 तक 180 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2021-22 तक दूध के कुल विपणन योग्य अधिशेष को मौजूदा 30% से बढ़ाकर लगभग 65% करने के लिए दूध में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी की व्यवस्था है।

योजना आयोग ने बताया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना चरण-1 (2011 से 2017) के लिए इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन के 1584 करोड़ रुपए के ऋण को, जब इसे अंतिम रूप दिया जाए, एनडीपी के क्रियान्वयन के अनुदान के रूप में एनडीडीबी को उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

एनडीपी चरण-1 में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और उसके द्वारा दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत और विनियामक उपायों के साथ नए प्रसंस्करण शुरू करने के रास्ते बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से नियोजित बहु राज्य पहलकदमी है।

(ग) से (ङ) एनडीपी चरण-1 को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ परामर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

त्वरित कार्य बल

3217. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में त्वरित कार्य बल के और अधिक परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में चिन्हित किए गए स्थानों के नाम क्या हैं तथा उक्त केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में कल कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं। सरकार ने देश में त्वरित कार्यबल (रेपिड एक्शन फोर्स) के और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों की सुरक्षा

3218. श्री के.डी. देशमुख: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक संबंधी प्रकाश में आए मामलों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले प्रकाश में आए और दर्ज हुए तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

माओवादियों के साथ संपर्क

3219. श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछेक राजनैतिक दलों, समूहों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों के प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के साथ कथित संपर्क का संज्ञान लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) वर्ष 2010 के दौरान वामपंथी उग्रवादियों (एम डब्ल्यू ई) से संबंध रखने की वजह से 2916 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। चालू वर्ष में अब तक, वामपंथी उग्रवादियों से संबंध रखने की वजह से 235 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अत: कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई प्राथमिक

रूप से संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, जो राज्यों में नक्सली गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से स्वयं निपटती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती हैं और सुरक्षा एवं विकास दोनों क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों का कब्जा

3220. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**
श्री गोरखप्रसाद जायसवाल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक सरकारी आवासों में निजी व्यक्ति रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे आवासों की संख्या क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन आवासों के लिए लिया जा रहा किराया नाममात्र का है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से गैर-सरकारी व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां अर्थात पत्रकार, कलाकार, स्वतंत्रता सेनानी, उच्च सुरक्षा जोखिम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं इत्यादि सरकारी आवास रोके रखने/उसका कब्जा बनाए रखने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न वितरण में दी गई है।

(ङ) और (च) उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	आबंटियों की श्रेणी	आबंटित ईकाइयों की सं.	आबंटन के कारण	प्रभारित लाइसेंस शुल्क
1.	पत्रकार	56	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सिफारिश पर आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीए) के अनुमोदन से अनुमोदित स्कीम एवं निर्धारित मकानों के कोटा के अंतर्गत आवासों का आबंटन किया गया है।	लाइसेंस शुल्क की सामान्य दर
2.	कलाकार	32	संस्कृति मंत्रालय की सिफारिश पर आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीए) के अनुमोदन से अनुमोदित स्कीम एवं निर्धारित मकानों के कोटा के अंतर्गत आवासों का आबंटन किया गया है।	-वही-
3.	स्वतंत्रता सेनानी	13	गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीए) के अनुमोदन से अनुमोदित स्कीम एवं निर्धारित मकानों के कोटा के अंतर्गत आवासों का आबंटन किया गया है।	-वही-
4.	सुरक्षा आधार पर आबंटन	6	सुरक्षा आधार पर 5 मकानों का आबंटन किया गया है और एक मकान का आबंटन स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिंहा राव, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की किताबों को रखने के लिए किया गया है।	मंत्रिमंडल की आवास संबंधी समिति (सीसीए) के अनुमोदन से या तो बाजार किराया या विशेष लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है।

मध्याह्न 12:00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): महोदया, श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, तंजावूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, तंजावूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4191/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से वर्ष 2011-2012 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4192/15/11]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): महोदया, श्री कमलनाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4193/15/11]

(ख) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4194/15/11]

(ग) (एक) बंगलौर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4195/15/11]

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत दिल्ली मैट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाईन, सामान्य नियम, 2010 जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 767(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4196/15/11]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(1) वर्ष 2011-12 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4197/15/11]

(2) वर्ष 2011-12 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4198/15/11]

(3) वर्ष 2011-12 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4199/15/11]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम एस गिल): महोदया, मैं वर्ष 2011-12 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4200/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राजमंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) महोदया, श्री जी. के. वासन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 2011-12 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4201/15/11]

(2) वर्ष 2011-12 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4202/15/11]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदया, मैं वर्ष 2011-2012 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4203/15/11]

उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के वी. थॉमस): महोदया, मैं वर्ष 2011-12 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4204/15/11]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लयेर के वर्ष 1990-1991 से 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4205/15/11]

(2) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1944 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (लेखाओं का अनुरक्षण) विनियम, 2010 जो 10 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/47/2010/यूडी/एमबी/334-335 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4206/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2011-12 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4207/15/11]

(2) वर्ष 2011-12 के लिए अंतरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4208/15/11]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो सौगात राय): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4209/15/11]

(3) वर्ष 2011-12 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4210/15/11]

(4) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4211/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायण सामी): महोदया, श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 7 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 956(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4212/15/11]

(2) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धनशोधन निवारण (संव्यवहार की प्रकृति एवं मूल्य के अभिलेख का रखरखाव, कार्यपद्धति एवं रखरखाव का तरीका और सूचना देने का समय तथा बैकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान के रिकार्ड की जांच एवं रखरखाव) तीसरा संशोधन नियम, 2010 जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 980 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4213/15/11]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 68 (अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 94/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 69(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयात पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निश्कर्षों के अनुपालन में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपादन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 154(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 139(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96 सी.शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4214/15/11]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 77(अ) जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विर्निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप 2011 के आयोजन के सम्बन्ध में आयातित विनिर्दिष्ट माल, को सभी सीमा शुल्कों से पूर्णतया छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 91(अ) जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बांग्लादेश में आयातित उसमें उल्लिखित जूट उत्पादों को उद्ग्राह्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 155(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फिल्टर सिगरेट विनिर्माताओं से इतर एसिटेट टाउ और फिल्टर छड़ों के आयात का प्रतिषेध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 156(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 26/2002-सी.शु. (एनटी) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 157(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 76/2003-सी.शु (एनटी) का अधिक्रमण करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 140(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25,1999-सी.शु. में कतिपय संशोधन. किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 141(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 142(अ) जो 1 मार्च , 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 14/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 143(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 144(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 45/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 145(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 23/2010-सी.शु. में कपिय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 146(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 147(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 148(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 28/2010-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 149(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 29/2010-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 150(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताम्र सांद्र में अंतर्विष्ट स्वर्ण और रजत को आधारभूत सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 151(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पैकेज साफ्टवेयर को अतिरिक्त सीमा-शूल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 152(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कला के कार्यों को सीमा-शुल्क से छूट-प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 153(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात, शुल्कों के लिए प्रभावकारी दरों को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 93 (अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 13/2010-सी.शु. में कपिय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4215/15/11]

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 158(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (मूल्य अवधारण) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 159(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 160(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 161(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 26/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 162 (अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कारबार प्रदर्शनी के किसी आयोजक द्वारा भारत से बाहर कारबार प्रदर्शनी आयोजित करने पर उसे करादेय सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 163(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव आवास योजना के अधीन नए आवासिक काम्लेक्स या उसके भाग का सन्निर्माण करने, या नए आवासिक काम्पलेक्स या उसके भाग के समापन और परिसज्जा सेवाओं के प्रयोजनों के लिए प्रदान करने पर संकर्म संविदा के निष्पादन को करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 164(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन साधारण बीमा कारबार चलाने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रदान करने पर करादेय सेवा से छुट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 165(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में अवस्थित किसी व्यक्ति को, जब सड़क, रेल अथवा वायुमार्ग से माल के परिवहन को भारत से बाहर अवस्थित किसी स्थान से ऐसे किसी अंतिम गंतव्य स्थान को जो कि भारत से बाहर भी है, सेवा प्रदान करने पर करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 166(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुमार्ग से माल के परिवहन को वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर की उतनी रकम की सीमा तक जितना सीमा-शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अवधारित मूल्य में सम्मिलित विमान वस्तु भाड़ा का रकम के समान है, करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 167(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकर्म संविदा के निष्पादन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को जब पूर्णतया विमानपत्तन पर और विमानपत्तन की करादेय सेवा के अंतर्गत वर्गीकृत सेवा के रूप में उपलब्ध कराए जाने पर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 168 (अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकर्म संविदा के निषपादन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को जब पूर्णतया पत्तन पर या अन्य पत्तन के भीतर जहाज घाट, घाट, गोदी, पाड, पोतघाट, बांध और रेल के संनिर्माण, मरम्मत, परिवर्तन और नवीकरण के लिए उपलब्ध कराए जाने पर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेवा निर्यात (संशोधन) नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 171(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 26/2004-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 172(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 8/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 173(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 174(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 9/2009-सेवा कर का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) कराधान बिन्दु नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4216/15/11]

(6) केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 116(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट मदों पर 1% के रियायती शुल्क का इस शर्त के अध्यधीन प्रावधान करना है कि आयात किए गए माल अथवा सेवा पर कोई भी सेनवेट क्रेडिट न लिया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 117(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदिर्दिष्ट मदों पर 5% रियायती शुल्क का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 188(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 119(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 120(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 121(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 122(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 49/2006–के.उ.शु. का निरसन किया गया तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 123(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 124(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 59/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 125(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 10/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 126(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 29/2004-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 127(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 128(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अध्याय 61,62 और 63 के अंतर्गत आने वाले तैयार उत्पादों के संबंध में कार्य करने वाले कामगारों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 129(ङ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय एमआरपी आधारित आकलन के अंतर्गत न आने वाले पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 130(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 131(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पावर टिलर्स के विनिर्माण के लिए एक ही विनिर्माता के लिए आवश्यक पार्ट्स कम्पोनेंट्स, एसेम्बलीज अथवा सब-एसेम्बलीज का एक अथवा अधिक कारखानों से अन्य कारखाने में अंतर-एकक स्थानांतरण के लिए छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 132(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 76/86-के.उ.शु. में संशोधनों का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 133(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इत्र की खुदरा शोरूम पर सीधे बिक्री के लिए विनिर्माता के कारखाने से तैयार इत्रों पर शुल्क के भुगतान का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2011 जो दिनांक 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 134(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2011 जो दिनांक 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 136(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2002-के.उ.शु. का अधिक्रमण करना है तथा धारा 11 कक के अंतर्गत ब्याज की दर 18% प्रतिवर्ष नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 137(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 12 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 66/2003-के.उ.शु. का अधिक्रमण करना है तथा धारा 11 कख के अंतर्गत ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 138(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 20/2001-के.उ.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4217/15/11]

(7) वर्ष 2011-2012 के लिए फलैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 4218/15/11]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए विदेश मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 4219/15/11]

(2) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4220/15/11]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): महोदया मैं श्री गुरूदास कामत की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 2974(अ) जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीदयान कृष्णन, अधिवक्ता को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का.आ. 234(अ) जो 2 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा श्री डी.सी. सरकार और श्री श्यामल कुमार घोष को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के मामलों के संचालन के लिए क्रमशः विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4221/15/11]

(2) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड, उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2010, जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड आर्मरर कैडर (समूह 'ग) भर्ती नियम, 2010 जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 961(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4222/15/11]

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सशस्त्र सीमा बल (फील्ड ऑफिसर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 735(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल (आयुध सेवाएं) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 27 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र सीमा बल सचिवालयी सेवा समूह 'क' संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1020(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4223/15/11]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4224/15/11]

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4225/15/11]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1987-1988 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 1987-1988 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4226/15/11]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4227/15/11]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4228/15/11]

(4) (एक) वेटरिननी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4229/15/11]

(6) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ग्वार श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011 जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(दो) जटरोफा बीज श्रेणीकाल और चिह्नांकन नियम, 2011 जो 22 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 105(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4230/15/11]

(7) पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा (44) की उपधारा (1) के अंतर्गत पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, मरणोपरांत जांच की रीति और शव का निपटान) नियम, 2010 जो 14 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 974(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4231/15/11]

(8) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2010, जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3052(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4232/15/11]

(9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) उर्वरक नियंत्रण (सातवां संशोधन) आदेश, 2010 जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2886(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का०आ० 2724(अ), जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उल्लिखित अधिसूचित प्रयोगशालाओं द्वारा धारित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रयोगशाला सुविधाओं की आवश्यकता विनिर्दिष्ट की गई है।

(तीन) का०आ० 2725(अ), जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अंतर्गत 4% सल्फरयुक्त डाई-अमोनियम फॉस्फेट का विनिर्देशन अनंतिम उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) उर्वरक नियंत्रण (छठा संशोधन) आदेश, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2726(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (दो), (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 4233/15/11]

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोजन विधेयक, 2011 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.03 बजे

प्राक्कलन समिति

विवरण

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा): अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और स्कीम' विषय पर प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर): मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) नदियों को आपस में जोड़ा जाना विषय पर ग्यारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(दो) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) पर पहले प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): श्री जी.के. वासन की ओर से, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 तथा लोक सभा समाचार-भाग-दो, दिनांक 1 सितंबर, 2004 के तहत जारी निदेश 73क के अनुसरण में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागो से-संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

156वें प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने 20 अप्रैल, 2010 को आपकी बैठक आयोजित की थी। समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। 156वां प्रतिवेदन 22.04.2010 को राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया तथा 22.04.2010 को लोक सभा के पटल पर रखा गया।

मैं 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करने वाला एक विवरण भी सभा पटल पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा में 'शून्य काल' आरंभ होगा। श्री गुरुदास दास गुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया जी, मुझे आशा है कि सभा एक नाम विशेष से अवगत होगी। वह नाम है हसन अली खान। वह एक आर्थिक अपराधी है।

[हिन्दी]

इसका नाम तो हम सब जानते हैं और यह बात भी सच हे कि हमारे देश का इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इनके ऊपर 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा इन्होंने जुर्माना कर लिया है।

[अनुवाद]

ऐसा संदेह है कि उसके संपर्क अंतर्राष्ट्रीय अस्त्र-शस्त्र व्यापारियों से हैं। उसके बारे में यही शिकायत एवं संदेह है। हाल ही में उस गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

लेकिन यह बात भी सच है कि उनको अरैस्ट सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद किया गया, उसके पहले नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात उठाई कि इनका कस्टोडियल इण्टैरोगेशन क्यों नहीं किया जा रहा है। यह एक मिसाल है कि हमारा देश कोर्ट चला रही है, सरकार देश को नहीं चला रही है, कोर्ट देश को चला रही है। हम खुश हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत बुरी बात है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 4234/15/11

[अनुवाद]

यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार को ही देश चलाना चाहिए किंतु दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल न्यायालय एवं न्यायपालिका देश को चला रही है।

[हिन्दी]

लेकिन हुआ क्या? उनको सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने क्या किया।

[अनुवाद]

न्यायालय ने उसे छोड़ दिया और यह कोई मुद्दा नहीं है। रिहा किया गया, यह इश्यू नहीं है किंतु न्यायालय ने इसे छोड़ते वक्त कुछ टिप्पणी की। यह बात भी अनिष्टकारी रूप से महत्वपूर्ण है तथा न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की आपने अपना होमवर्क नहीं किया है। दूसरी बात न्यायालय ने कही कि आरोप सिद्ध नहीं हुए है।

[हिन्दी]

सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने यह भी बताया कि कुछ डाक्यूमेंट्स आपने दिये, जो डाक्यूमेंट्स गलत हैं, जो डाक्यूमेंट फैबीकेटिड हैं। यह भी कोर्ट ने बताया कि उनके खिलाफ जो डाक्यूमेंट दिये गये।

[अनुवाद]

इस संबंध में कुछ दस्तावेज इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में संसद सरकार और देश कहां खड़े हैं? जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता कम हो रही है।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. को हम बोलते हैं कि तुम काम नहीं करते हो, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव है। एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि तुम काम नहीं करते हो

[अनुवाद]

मामला क्या है? सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या प्रवर्तन निदेशालय की अकर्मण्यता की स्थिति राजनीतिक दबाव के कारण है? क्या यह राजनीतिक दबाव ही है? क्या ऐसा है कि श्री खान इस मामले में मुखौटा हैं और कुछ महत्वपूर्ण राजनेता इस मामले से जुड़े हैं तथा उन लोगों का बचाव करने के लिये न्यायालय में जानबूझकर एक हल्का-फुलका सा मामला पेश कर दिया गया है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है क्योंकि यह आदमी सिर्फ झूठा ही नहीं है, बताया जाता है कि उसका संपर्क अंतर्राष्ट्रीय अस्त्र-वस्त्र व्यापारियों से हैं। टैरेरिस्ट्स के साथ उनका सम्पर्क है, यह बात हम लोग जानते हैं। यह जो बोला जा रहा है यह कहा जा रहा है। इस पुकार की स्थिति में, यदि प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ आरोप लगाने में असमर्थ है, और यदि न्यायालय यह कहे कि पेश किया गया मामला कमजोर है और दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किये गये हैं, तों कल्पना कीजिये कि क्या स्थिति होगी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट फैब्रीकेटेड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि खुद दस्तावेज इन्टरनेट पर हैं। अत:, ऐसे में दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला-जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और दूसरा यह कि क्या उन एजेंसियों पर इस बात के लिये राजनीतिक दबाव है कि वे उसके खिलाफ एक सुदृढ़ मामला पेश न करें। बात जो भी हैं। किंतु यह स्थिति खतरनाक है। मेरी इच्छा है कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे मैं जानता हूं कि सरकार हमें अनुग्रहीत नहीं करती। वे चाहते हैं कि संसद में कार्य हो। किंतु जब गंभीर मुद्दे उठाये जाते है तो सरकार सदस्यों को अनुग्रहीत नहीं करती। जब उठाये गये मुद्दे अति महत्वपूर्ण स्वरूप के हों। तो भी सरकार सदस्यों की अनुग्रहीत नहीं करती। सरकार सदस्यों के किसी समूह विशेष अथवा वर्ग विशेष की ओर ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यह आमतौर पर सदस्यों को अनुग्रहीत नहीं करती। मेरी इच्छा है कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, क्योंकि सरकार संदेह के घेरे में है।

मैं उस सब का पुन: उल्लेख नहीं करना चाता और वह सब नहीं बताना चाहता हूं जो इस देश में घटित हो रहा है। इस देश में क्या घटित हो रहा है? भ्रष्टाचार के कितने मामले हैं? कितने महत्वपूर्ण लोगों से सवाल-जवाब किया जा रहा है? अत:, इस तरह की स्थिति में, सरकार के लिये अच्छा नहीं है कि वह इस बारे में अपना रूख स्पष्ट करे। सरकार को अपना रूख स्पष्ट करना ही चाहिये। सरकार को एक वक्तव्य देना ही चाहिये... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण, श्री अर्जुन राम मेघवाल; श्री अशोक अर्गल; श्री वीरेन्द्र कुमार; डॉ. राजन सुशान्त; श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री राजेन्द्र अग्रवाल के श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा उठाये गये मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम (जामनगर): आपने मुझे आश्वासन दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको बुलायेंगे। अभी बुलायेंगे, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: आपने आश्वासन दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हां, आश्वासन है, आपको अवश्य बुलायेंगे। आप बैठे जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: एक एमपी को जान से मारने की धमकी दी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ऐसे मत करिए। वह खड़ी हैं, आप अभी बैठ जाइए। आपको मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह कोई बात नहीं है। इतना आक्रोश में मत आइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, उनको पहले बोल लेने दीजिए। अगर किसी सांसद को मारे जाने की धमकी बात है, तो आप पहले बोल लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सुषमा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस इंपोर्टेंट मैटर पर मुझे पहले बोलने का अवसर दिया।

मैडम, कारपोरेट जगत के माफिया एमपी के घर तक पहुंच जाते हैं, उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और मारने की धमकी भी देते हैं। मारने की धमकी के बाद, दूसरे दिन भी कलेक्टर और एसपी की हाजिरी में उसे मारने की धमकी देते हैं और तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं थोड़ा इसके पास्ट में जाना चाहता हूं। 15 महीने पुरानी यह लड़ाई है। केयर्न्स इंडिया कंपनी जो बाड़मेर से जामनगर तक एक ऑयल पाइप लाइन बिछा रही है। उसके खिलाफ मैंने कई आंदोलन किए, रैलियां कीं, लोकशाही में जो सारे हथियार थे, वे मैंने आजमा लिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने वहां के कलेक्टर को, जिसकी तारीख के बारे में मैं पूरा-पूरा ब्यौरा आपको दे रहा हूं, मैंने गुजरात के मैहसूल विभाग के अधिकारी के पास आरटीआई के अंतर्गत 16 अगस्त को आरटीई मांगी, जिसे आज सात महीने हो गए। आरटीआई में एक सांसद को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में 8 दिसंबर, 2010 को जामनगर कलेक्टर को लिखा, लेकिन कोई इन्फार्मेशन नहीं दी जा रही है। जो गुजरात का जमीन संपादन अधिकारी है, मिस्टर बॉबी, एक चिट्ठी लिखकर मुझे बता रहे हैं और उस चिट्ठी की नकल कंपनी के आफीसर को फारवर्ड करता है, आफिशियली देता है। वह किसकी ड्यूटी करता है या कंपनी की करता है। इस सारी लड़ाई के बाद यह नतीजा निकला कि किसानों की जो जमीन ली जा रही है, उस जमीन के बदले में उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जिसके लिए इस देश का कानून भी है। उनको मुआवजा क्या मिल रहा है?

एक किसान को 10 लाख रुपये, सेम पोजिशन पर दूसरे किसान को 2 लाख रुपये, तीसरे किसान को 30 हजार रुपये मिल रहे हैं। जब मैंने पूरा मामला डीएम, पूरे मीडिया और दस हजार किसानों के सामने पब्लिक हियरिंग में उठाया तो अधिकारी कहता है कि विक्रमभाई, जिस किसान को ज्यादा पैस दे दिए हैं, हम उससे रिकवरी करेंगे, उस पर पुलिस केस करेंगे जबकि आप कलैक्टर हैं, आपके साइन हैं, चैक हैं कि सबको अलग-अलग पैसा दिया गया है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देश के किसान और

गरीब लोगों की सारी जिम्मेदारी है? जो कुर्सी पर बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने आन प्रूफ, मैं डौक्यूमैंट्स के साथ बोल रहा हूं, मेरे पास सारे डौक्यूमैंट्स हैं, 125 मीटर उंडा कुआं हैं, उसे एक लाख 40 हजार रुपये दिए गए और 225 मीटर उंडा कुआं है, उसे सिर्फ 70 हजार रुपये दिए गए। ...*(व्यवधान)* सारे प्रूफ हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: हरिन भाई, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं प्रूफ दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: मैं सपोर्ट कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: मैडम, समाप्त कैसे होगा। अभी तो शुरू हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ज़ीरो आवर में ऐसा मत कीजिए। इतना लम्बा मत चलाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: मुझे धमकी क्यों दी गई, क्या मैटर है, उसे सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: मैं अभी समाप्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बात रखूंगा।* अगर एक राज्य के एमपी को एसपी और कलैक्टर के सामने मारने की धमकी मिलती है, उसके बाद भी मुझे समय नहीं मिलेगा तो मैं क्या अपेक्षा रखूंगा।

अध्यक्ष महोदया: मादम जी, आपने जो एक वाक्य कहा है, उसे वापस ले लीजिए। वह ठीक वाक्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए। आपने मुझे भी पत्र लिखा है। वह मेरे विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: मैडम, 11 मार्च को पब्लिक हियरिंग थी, यह सब लोगों को मालूम है। मैं पब्लिक हियरिंग में न जा सकूं, इसलिए मुझे 2 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की गई। ...*(व्यवधान)* उसके बाद मुझे मारने की धमकी दी गई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हो गया। आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: दिल्ली पुलिस बोलती है कि केस नहीं बनता। जब मैं मर जाऊंगा, क्या तब केस बनेगा? उसके बल पर दूसरे दिन डीएम और एसपी की हाजिरी में फिर से वही आदमी, उसी नम्बर से श्री जगदीप छाया, केयर्न्स इंडिया का अधिकारी और एल एंड टी का अधिकारी श्री राउत राय, मुझे धमकी देते हैं। एसपी की हाजिरी में मैं प्रूफ देता हूं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आपकी बात हो गई है। कृपया आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: अगर यह केस नहीं बनता, एमपी मर जाएगा, एक दिन पार्लियामैंट बंद रहेगी, मुझे श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्या उसके बाद केस बनेगा? ...*(व्यवधान)* मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि वह चार दिन से लगातार सारे देश में इस बात को चला रही है। कोई एमपी सलामत नहीं है। गुजरात सरकार के सक्षम अधिकारी न जवाब दे रहे हैं, न केस बना रहे हैं, न मुझे प्रोटैक्शन दे रहे हैं। सारी सरकार मिलकर क्या मुझे मारना चाहती है?

मैं मांग कर रहा हूं कि अगर मैं पर जाऊं तो इस देश का एक दिन खराब मत कीजिए। मुझे श्रद्धांजलि नहीं चाहिए। जब मैं जिन्दा हूं और मुझे प्रोटैक्शन नहीं मिल रहा है, क्या मेरे मरने के बाद केस होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: मैं अपनी तीन मांग दोहरा रहा हूं। उस अधिकारी को डिसमिस किया जाए। उस पर इन्क्वारी बिठाई जाए। सारे किसानों को उनका पूरा मुआवजा पहले दिया जाए। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक एक भी किसान से खेत के अंदर कम्पनी के ऑफिसर पैर नहीं रखेंगे।

अगर पेर रखेंगे, तो किसान उसका जवाब देंगे। लेकिन जब तक मेरी ये मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। मैं पन्द्रह महीने से लगातार नियम 377, जीरो ऑवर के तहत इस बात को पार्लियामैंट में उठा रहा हूं। मुझे आठ महीने से जीरो ऑवर में उठाये गये इस मुद्दे का भी जवाब नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ...(*व्यवधान*) मैं करूं तो क्या करूं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(*व्यवधान*)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाये। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: संजय जी, आप क्यों खड़े हो गये हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइये। शून्य प्रहर चल रहा है और उसे चलाने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश जी, आप क्यों इतने आक्रोश में आ गये हैं? आप बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(*व्यवधान*)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: किसी भी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सांसद मादम जी के कष्ट, दुख और पीड़ा को आज सदन से सुना। इससे पहले भी सुना है। उन्होंने यह बात मुझे पत्र लिखकर भेजी है, जो मेरे विचारधीन है। उनको जो आशंका और असुरक्षा है, उस ओर हम पूरा ध्यान देंगे।

...(*व्यवधान*)

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): अध्यक्ष महोदया, दूसरे नम्बर पर हमारा नोटिस था। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: हम आपको भी बोलने का मौका देंगे।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, आप हाउस को आर्डर में लाइये। ...(*व्यवधान*) मैंने अपनी बारी छोड़कर उन्हें बोलने का मौका दिया। अब बात आगे चली जा रही है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यदि आपको मादम जी के साथ एसोसियेट करना है, तो आप सब पटल पर अपने नाम भेज दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: चौधरी लाल सिंह, सर्वश्री लाल चन्द कटारिया, भरत राम मेघवाल, संजय तकाम, एन. ईरींग, सुखदेव सिंह, डॉ. प्रभा किशोर ताविआड, श्रीमती दीपा दासमुंशी, डॉ. संजीव गणेश नाईक, विनय कुमार पाण्डेय, सर्वश्री प्रवीण सिंह ऐरन, जगदम्बिका पाल जी इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से एक जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहती हूं। जब भी जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारणों की समीक्षा की जाती है, तो सबसे प्रमुख कारण उभरकर आता है–तम्बाकू उत्पादों का सेवन।

अध्यक्षा जी, आप जानती हैं कि तम्बाकू दो तरह से सेवन किया जाता है–सिगरेट, बीड़ी पी कर या गुटका, पान मसाला, ज़र्दा,

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

खैनी खाकर। अध्यक्षा जी, आप हैरान होंगी, एक चौंका देने वाला आंकड़ा आया है कि तम्बाकू उत्पादों के सेवन से आठ से नौ लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। यह आंकड़ा सरकार ने दिया है और यह पुराना नहीं है। पिछले शुक्रवार लोक सभा में एक तारांकित प्रश्न संख्या 230 के जवाब में सरकार ने बताया कि तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले रोगों के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष अनुमानतः आठ से नौ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): जीरो ऑवर में इसका क्या काम है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर यह जीरो ऑवर का विषय नहीं है, तो फिर किसका है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अग्रवाल जी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, जीरो ऑवर में महत्वपूर्ण विषय उठाये जाते हैं। ...*(व्यवधान)* अगर यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है, तो फिर कौन सा है? ...*(व्यवधान)* आठ से नौ लाख लोग प्रतिवर्ष इसके सेवन से मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, आपने मेरे विषय के महत्व को समझते हुए मुझे जीरो ऑवर में बोलने की अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं बिना अनुमति के नहीं बोल रही हूं। आपने इस विषय को सही पाया है। ...*(व्यवधान)* जीरो ऑवर में अगर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उठेंगे, तो कौन सा मुद्दा उठेगा?

महोदया, मैं आपसे कह रही हूं कि यह सरकारी आंकड़ा है–आठ से नौ लाख लोग हर वर्ष तम्बाकू के सेवन से मर जाते हैं। यह रोग केवल मारता ही नहीं, यह रोग व्यक्ति को काया और माया, दोनों से तोड़ देता है। जो बीमार है, इसे तन पर झेलता है और जो तीमारदार है, वह मन और धन पर झेलता है। जब आप अपने किसी प्रियजन को दर्द से कराहता हुआ, तड़पता हुआ देखते हैं, तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और जहां तक धन का सवाल है, घर के बरतन तक बिक जाते हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आपसे कहना चाहती हूं कि इसी प्रश्न के उत्तर में एक रिपोर्ट रखी गयी, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में 35 प्रतिशत वयस्क तंबाकू उत्पादों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार की तरफ से इस विषय में कोई सुनिश्चित नीति बने। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री थी वर्ष 2003 में, मैंने इसी सदन से एक बिल पारित करवाया था जिसे अंग्रेजी में सीओटीपीए कहते थे। उसमें तंबाकू के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की बात थी, तंबाकू स्कूलों के 100 गज के अंदर न बिके, इसकी बात थी। तंबाकू 18 वर्ष से कम बच्चों को न बेची जाए, इसकी बात थी और तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर चेतावनियां देने की बात थी। वर्ष 2003 के बाद वर्ष 2008 में इस सरकार ने उन चेतावनियों को सुदृढ़ करने का काम किया, लेकिन जो नियमावली बनाई, वह वर्ष 2009 तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही और वर्ष 2009 में उसे लागू किया। उसमें लिखा था कि हरेक साल के बाद उनको और भयावह बनाया जाएगा। वर्ष 2010 में वह वापस भयावह बननी थी, लेकिन वर्ष 2010 में सरकार ने उसे और छः महीने, 01/12/2010 बढ़ा दिया, तो अक्टूबर में मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उसमें मैंने उनसे कहा कि "तंबाकू के पैकेटों पर छापा जाने वाला जो विज्ञापन आपने तय किया है, वह उपयुक्त है, किन्तु इसको लागू किया जाना बार-बार टल रहा है। अभी सरकार ने तय किया है कि 31 दिसंबर से इसे लागू करवा देगी, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसे और मत टालिए, 31 दिसंबर से इसे अवश्य लागू करवा दीजिए। पब्लिक हैल्थ सुधारने की दिशा में यह एक प्रभावी कदम साबित होगा।" लेकिन

मुझे दुख है, मुझे इसका जवाब 27 जनवरी को मिला। उससे पहले ही सरकार इसे टालने के बारे में तय कर चुकी थी, वर्ष 2011 तक सरकार इसको टाल चुकी थी और टालने के बाद उन्होंने 27 जनवरी को मुझे यह जवाब भेजा। इसीलिए मैं यह विषय आपकी अनुमति से यहां उठाना चाह रही हूं। अभी चंद दिन पहले तंबाकू सेवन के विक्टिम्स, जिनको मुंह, गाल, गले और जुबान का कैंसर हो गया है, मुझे मिलने आए थे। ये आठ से नौ लाख लोग ऐसे ही नहीं मर रहे हैं, वे कैंसर से मर रहे हैं। एक तरफ सरकार योजना बना रही है कि 100 करोड़ रुपये खर्च करके 100 जिलों में कैंसर से मुक्ति दिलवाने की और दूसरी तरफ आठ से नौ लाख लोग इसलिए मर रहे हैं कि तंबाकू उत्पादों पर हम न तो प्रतिबंध लगाते हैं, न उन चेतावनियों को सुदृढ़ करते हैं। वे विक्टिम्स 17 तारीख को यहां आ रहे हैं, वे एमपीज को सेंसेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि जब मैं यह विषय उठाती हूं, तो उस पर टोकाटाकी होती है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगी, मैं उनको आपके पास लेकर आऊंगी। उनके खौफनाक चेहरे, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी, उनके अंदर जीने की इच्छा का अभाव सामने देखकर पता चलता है। मैं आपसे भी मिलवाऊंगी। 17 तारीख को वे सारे विक्टिम्स आ रहे हैं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने यह बीड़ा उठाया है और वे उनको सब जगह घुमा रहे हैं। मैं आपके माधयम से सरकार से कहना चाहती हूं कि वैसे तो वांछनी यह है कि इन उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन कम से कम जो चेतावनियां सुदृढ़ करने की बात हैं, जिसमें एक भयावह चेहरा उस पाउच के ऊपर लगता है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लगता है, कम से कम उसे करवाने का काम आप कीजिए। मैं चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित कीजिए कि जो इन्होंने 31 दिसंबर, 2011 तक इसको टाल दिया है, इसको टालें नहीं और तुरंत इसको लागू करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, डॉ. राजन सुशान्त श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री अशोक अर्गल, श्री दुष्यंत सिंह, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बात के साथ सम्बद्ध किया है। श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदया, मैं केवल दो मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदया: श्री शैलेन्द्र जी के बदले श्री मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएगें।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मेरा अलग मैटर है। . ..*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं आपसे सिर्फ दो मिनट चाहता हूं।

अध्यक्ष महादेया, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली, गुरुदास दासगुप्ता जी ने जो 50 करोड़ रुपये की बात कही है... *(व्यवधान)* वह 50 करोड़ तो सिर्फ जुर्माना है, ... *(व्यवधान)* लेकिन पता नहीं यह 50,000 करोड़ रुपये है या 10,000 करोड़ रुपये है।

इसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार की जानकारी में काला धन आ गया है, तो सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए, जो गुरुदास दासगुप्ता जी ने मामला उठाया है। दूसरी बात यह है कि हमने जो सात मार्च की घटना का उल्लेख किया था और आपने हस्तक्षेप करते हुए होम मिनिस्टर साहब से कहकर मुझे और अखिलेश को घर से बाहर निकलवाया था। नौ तारीख को पूरा देश देख रहा था, अगर आप हाउस में अनाउंस कर देतीं, तो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में जो पुलिस घूम रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वह कम हो जाता। सदन में परम्परा भी रही है, हमने अवमानना का नोटिस, विशेषाधिकार हनन का नोटिस आपको दिया है, उस पर इतनी ही बात कह देने से वह अत्याचार रुक जाता। हमारी इतनी ही मांग है। जो मामला गुरुदास दासगुप्ता जी ने उठाया है, उसके पीछे 50 करोड़ रुपए हैं या 50,000 करोड़ रुपए हैं, देश की जनता के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए। जब काले धन की जानकारी हो गई है, तब भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हम लोगों के पीछे, किसानों के पीछे सी बी आई लगी हुई है, हमारा कोई नेता नहीं बचा, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं बचा है जिस पर सी.बी.आई. न लगी हो यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत गम्भीर मामला है जो गुरुदास दासगुप्ता जी ने उठाया है। इसके साथ हमारा मामला भी गम्भीर है। आपने और होम मिनिस्टर जी ने चीफ सेक्रेटरी से कहकर हमें घर से बाहर निकलवाया। आपने मेरी मदद की है। अगर आप सदन में यह कह देतीं कि

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमने दोनों विशेषाधिकार हनन के मामले विशेषाधिकार समिति को भेज दिए हैं, तो हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पुलिस घूम रही है, निर्दोष लोगों को मारपीट कर रही है, गाली-गलौच हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसमें कमी आ जाती।

सदन में हमेशा विशेषाधिकार हनन के मामले की बात जब आती है तो उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात होती है। मैं कोई एक साल से सदन का सदस्य नहीं हूं, काफी अर्से से यहां का सदस्य हूं और उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी मैं 15 साल तक विपक्ष का नेता रहा हूं। हमने यही देखा है कि सदन में ही उसकी घोषणा होती रही है। यूपी विधान सभा कोई मामूली सदन नहीं है। कमलापति त्रिपाठी जी से लेकर, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जी, चौधरी चरण सिंह जी, सबके साथ मैंने काम किया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे और अखिलेश के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आपने जो निर्णय लिया है इस दोनों मामलों में, उसकी यहां सदन में घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा गुरुदास दासगुप्ता जी का जो मामला है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो कालाधन सामने आया है, वह 50 करोड़ रुपया है या 50,000 करोड़ रुपया है। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वह शायद कम हो जाएगा इसलिए आप इसकी घोषणा सदन में कर दें कि क्या निर्णय हुआ है।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, मैंने सुन लिया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मेरा अति महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। श्री सज्जन वर्मा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, अभी आपके नेता बोले हैं। थोड़ा धैर्य रखें।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): अध्यक्ष महोदया, मैं जो विषय उठाने जा रहा हूं, वह विषय दो प्रोफेसर्स के साथ मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में मारपीट का है। दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा सन् 2007 में उज्जैन में एक प्रोफेसर सभ्भरवाल की हत्या की गई। अभी नौ मार्च को खंडवा में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: किस विषय पर बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन वर्मा: अध्यक्ष महोदया, नौ मार्च को मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में भगवन गांव के कृषि महाविद्यालय के दो प्रोफेसर्स के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसके सदमे से प्रोफेसर सुरेश ठाकुर की हृदयघात से मौत हो गई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको भी अवसर दूंगी, लेकिन अभी बैठ जाएं।

श्री सज्जन वर्मा: लेकिन आज तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जिस देश के अंदर गुरु की महिमा का बखान हर ग्रन्थ में किया गया है।

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।

चाल-चरित्र और गुरु महिमा की दुहाई देने वाले ये लोग हमेशा सत्य का गला घोंटने की कार्रवाई करते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्भालें। मैं मांग करता हूं कि इन्हें चेतावनी देनी चाहिए कि आखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चेताएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं। आप सुनते नहीं हैं, केवल बोलना चाहते हैं, सुनना भी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री सज्जन वर्मा ने जो विषय उठाया है, श्री नारायण सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह अपने को उसके साथ सम्बद्ध करते हैं।

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, कल 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे लखनऊ के माननीय सांसद लालजी टंडन और अनेक नेताओं के ऊपर जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाठी चार्ज घरों में घुसकर तोड़फोड़ की है, वह अमानवीय है। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नगर-निगम के चुनावों को ध्यान में रखकर, उनका नगर-निगम में कहीं भी मेयर न होने के कारण, भयभीत होकर, प्रदेश में एक कानून लायी है। उस कानून के

खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देने के लिए शांतिपर्वूक जा रहे थे। माननीय सांसद, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठी चार्ज किया गया तथा घरों में घुसकर गाड़ियां तोड़ी गयीं, महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुश है और उसके द्वारा बनाये गये काले कानून को बढ़ावा मिलेगा। वहां पर जंगल राज के खिलाफ हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग किया जाए क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गयी है।

अध्यक्ष महोदया: अगर कोई भी सदस्य अपना नाम एसोसिएट कराना चाहता है तो पटल पर अपना नाम भेज दीजिए। श्री कौशलेन्द्र कुमार। आप बैठ जाइये। हमारे पास केवल एक सांसद का नोटिस था उन्होंने बोल दिया है, आप बैठ जाइये। हमने कौशलेन्द्र कुमार का नाम बोल दिया है उन्हें बोलने दीजिए, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, बिहार भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा राज्य है जहां हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़ आता रहता है। मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे की चपेट में हैं। उत्तरी बिहार में नेपाल से निकलने वाली नदियों से प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ आती है और कोशी जो बिहार का शोक है से तो पूरा उत्तरी बिहार ध्वस्त हो गया था तथा उसके पुनर्वास का काम अभी तक नहीं हुआ है। झारखंड से अलग होने के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपाट हो गयी है। कृषि के लिए आवश्यक बिजली भी बिहार में नहीं है क्योंकि केन्द्रीय पूल से उसके कोटे में बराबर कमी की जाती है। बिजली नहीं रहने के कारण, बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, राष्ट्रीय निवेश एवं घरेलू निवेश भी नहीं हो रहा है। बिहार में उद्योग-धंधे बिल्कुल नहीं हैं। बिहार की अधिकांश आबादी गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक एवं गरीब स्वर्ण लोगों की है। बिहार में शैक्षिक विकास के लिए एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है तथा व्यावसायिक प्रवीणता के लिए आवश्यक कॉलेज नहीं हैं।

अभी तक भारत सरकार ने 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया है तथा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के विकास के लिए विशेष फंड दिया है, फिर बिहार से साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है?

माननीय महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार की त्रासदी के प्रति केन्द्र सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे और उसे विशिष्ट राज्य का दर्जा देकर राष्ट्रीय स्तर पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करे। बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा उसे पिछड़ेपन से निपटने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य को विशेष दर्जा यथाशीघ्र प्रदान किये जाने की जरुरत है। इससे बिहार राज्य में नक्सल भी कम होंगी तथा बिहार विकास की पटरी पर तेजी से चलकर विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, यदि सभा व्यवस्थित हो तो मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप इसे उठाए, सभा पूरी तरह व्यवस्थित है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री मनीष तिवारी जो कुछ कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पहले मनीष तिवारी जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी: मुंडे जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं लोगों की सुरक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन में कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, मैं मांग करता हूं कि आप हस्तक्षेप करें। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सार्वजनिक जानकारी में आई है कि

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पायलटों ने फर्जी मार्कशीट जमा करके अपना फ्लाइंग लाइसेन्स लिया है। इसका यात्रियों की सुविधा से अत्यंत गहरा निहितार्थ है। दो पायलटों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य पायलट बच रहे हैं। डीजीसीए ने 4000 लाइसेन्सों की समीक्षा करने का आदेश दिया है लेकिन, अध्यक्ष महोदया, मेरी समझ में यह समस्या का हल नहीं है। वास्तविक समस्या स्वयं डीजीसीए के साथ है। मामले की सच्चाई यह है कि नागर विमानन महानिदेशक कोई स्वतन्त्र विनियामक नहीं है। इसका अधिदेश संसद के अधीनस्थ द्वारा नहीं हुआ है। इसलिये उस पर सभी प्रकार के दबाव पड़ने की संभावना रहती है जिससे डीजीसीए का जांच स्कंध लाइसेंस प्रदाता स्कंध से बात भी नहीं कर पाता है। इसलिये, इसका कोई सत्यापन नहीं होता है कि कोई विशेष मार्कशीट सही है, और क्या किसी व्यक्ति विशेष ने लाइसेंस दिये जाने से पहले कोई विशेष परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके अतिरिक्त 1992 में जब से हमने अपने उड्डयन क्षेत्र को खोला है अनेक फ्लाइंग अकादमियां खुल गई है तथा ये फ्लाइंग अकादमियां पायलट बनने के इच्छुक व्यक्तियों से उस स्थिति में भी लाइसेन्स देने का वादा करती हैं यदि वे पाठ्यक्रम विहित मानकों के अनुसार पूरे नहीं कर पायें।

इसलिये, मैं सम्मानपूर्वक इस सभा से तथा अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस अवसर का उपयोग नागर विमानन महानिदेशालय विनियामक की भूमिका की गंभीरता से समीक्षा करने के लिये करना चाहिये। इसका संसद के उपयुक्त अधिनियम द्वारा अधिदेश होना चाहिये। इसे स्वतन्त्र दायित्व दिया जाए ताकि यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा तथा विभिन्न लोगों जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है पर उपयुक्त विनियमन एवं नियंत्रण रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रवीण सिंह ऐरन, श्री पी.टी. थामस, और श्री एम.बी. राजेश के नाम श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ सम्बद्ध किये जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं। इतनी जल्दी धैर्य नहीं खोते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सबको बोलने का मौका मिलेगा। जगदम्बिका पाल जी, अगर आप अपने को इस विषय से सम्बद्ध करना चाहते हैं, तो लिखित में दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.44 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में

[हिन्दी]

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संसद अपने आप में सर्वोच्च सत्ता है, सार्वभौमिकता है। अगर संसद के कार्य में कोई बाधा डालता है, अगर कोई संसद के सम्मान में अपराध करता है, तो संसद अपने आप में सबसे बड़ी अदालत है और आप संसद की संरक्षिका हैं। मैं कल लखनऊ से सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहा था। कल सारे जिलों के मेयर, सभासद लखनऊ में राज्यपाल महोदय को बताने के लिए एकत्र हुए थे कि संविधान की हत्या करके, 74वें संविधान संशोधन की भावनाओं के खिलाफ राजनीतिक दलों के अधिकारों को छीना जा रहा है। स्थानीय सरकार को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का बीजारोपण किया जा रहा है।

लोग इसके खिलाफ अपना ज्ञापन देना जाना चाहते थे और सड़क पर मार्च कर रहे थे। मैंने उन्हें संबोधित किया और कहा कि मुझे संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जाना है, इसके बाद मैं अपने आवास में चला आया। मेरे आवास में पहुंचने के थोड़ी देर बाद तांडव हुआ। हो सकता है पुलिस की तरफ से लाठी चल रही थी, उससे बचने के लिए कुछ लोग मेरे आवास में आ गए होंगे लेकिन उस वक्त पुलिस ने मेरे घर में घुसकर जनता के पानी पीने के लिए जो कुलर लगा था, उसे तोड़ डाला। मेरी कार खड़ी थी, उसे तोड़ डाला। वहां कुछ पौधे लगे थे, उन गमलों को तोड़ डाला। इस तरह से हालत यह हो गई, इस तरह का तांडव हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। क्या आप मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती हैं? अगर यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है तो मैं देने को तैयार हूं, आप आज्ञा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): महोदया, उत्तर प्रदेश में भाजपा का कुछ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या वहां के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है? पुलिस मार रही है और कोई पूछ नहीं रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालजी टण्डन: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सदन की अवमानना है, सदन की बेइज्जती है। सदन का सदस्य होने के नाते मेरे साथ जो हुआ है, उसमें कहीं न कहीं इस पीठ पर भी आक्षेप हो रहा है। आप कुछ पुलिस अधिकारियों से हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं या नहीं? यह प्रश्न चिह्न है। ...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि वे अधिकारी दंडित किए जाएं और यह विषय विशेषाधिकार समिति को भेजें। वहां उनकी पेशी हो और उनसे पूछा जाए। ...*(व्यवधान)* अगर मैं वांटेड होता, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया होता, अगर मैं उस जुलूस में जा रहा होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। प्रश्न यह है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कभी कोई इस तरह से भी करे कि वह न जाने पाए। मेरे घर में घुसकर बिना मेरी आज्ञा के, बिना मुझे बताए, इतना बड़ा तांडव हो गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालजी टण्डन: अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं वही कहना चाहती हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लालजी टण्डन: मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं तीन बिंदुओं के बारे में कहना चाहता हूं। एक यह है कि पहली बार एक सदस्य को संसद की कार्यवाही में भाग लेने से रोकना अपराध है। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात है कि किसी सांसद के घर में बिना उसकी अनुमति के घुसना और यह भी नहीं बताना कि क्यों आए हैं, वहां तोड़फोड़ करना। तीसरी बात है कि अगर एक सदस्य के साथ ऐसा होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, कोई संसद की कार्यवाही में भाग लेने से रोकता है तो ये तीनों अपराध हैं। यह सदन के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपकी कृपा चाहता हूं कि आप इस पर कठोरता से ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए। आप ही के बारे में पढ़ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठेंगे तभी तो तो हम पढ़ेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब कैसे बोलेंगे? आप बारी-बारी से ही तो बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे श्री मुलायम सिंह यादव, संसद सदस्य से लखनऊ परिसेल के डीएम और डीआईजी के विरुद्ध उन्हें बलपूर्वक विरुद्ध किये जाने और श्री अखिलेश यादव, संसद सदस्य को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में दिनांक 8 मर्च 2011 की एक विशेषाधिकार प्रश्न सूचना प्राप्त हुई है।

श्री अखिलेश यादव ने भी वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन के विरुद्ध उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें कारगार में निरुद्ध करने जिससे उनके संसदीय कार्यों के निर्वहन में व्यवधान पड़ा, के संबंध में दिनांक 14 मार्च, 2011 को विशेषाधिकार प्रश्न की अलग से सूचना दी है।

मैंने इस मामले में गृह मंत्रालय से तथ्यगत जानकारी मांगी है। मैं तदनुसार निर्णय लूंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: लालजी टंडन साहब, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वह बोल रहे हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: जिन्होंने मारा है, आप उन्हीं से रिपोर्ट मंगवा रही हैं। ...*(व्यवधान)* वही लोग रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे, आप उन्हीं से रिपोर्ट मांग रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय बहादुर सिंह: वे असत्य बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लालजी टंडन जी, आप बैठ जाइये। कीर्ति आजाद जी, आप भी बैठिये। आप उन्हें बोलने का मौका देंगे, तभी वह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: ऐसा पहली बार हो रहा है, जिन्होंने मारा है, आप उन्हीं से रिपोर्ट मंगवा रही हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: मैडम, फैसला हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: जिन्होंने मारा है, आप उन्हीं से रिपोर्ट मंगायेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमने उनसे रिपोर्ट नहीं मांगी है, हमने होम मिन्स्ट्री से रिपोर्ट मांगी है, सैंट्रल गवर्नमैन्ट से रिपोर्ट मांगी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय बहादुर सिंह: श्री किया जा चुका हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: आप उन्हीं से रिर्पोट मांग रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: यह इंक्वायरी से क्यों घबरा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, जरा बात को सुनिये, आप इतना ज्यादा आवेश में मत आइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उनसे रिपोर्ट नहीं मांगी जायेगी, हम होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांग रहे हैं। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम किससे रिपोर्ट मांगे, सैन्टर की जो होम मिनिस्ट्री है, हम उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अभी जो विषय हमारे संज्ञान में लाये हैं, आप हमें एक पत्र दे दीजिए, उसके बाद इसमें छानबीन करवाकर जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं, हम उन पर निर्णय ले लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमने कहा है, यह ठीक है। हम आपका काम कर रहे हैं। आप दोनों को भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एक मिनट बैठिये। हमने कहा है कि हम इसे गृह मंत्रालय से मंगा रहे हैं और भी कहीं से मंगाना है या क्या करना है, आप मुझसे मेरे कार्यालय में मिल लीजिए, वैसे ही करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सांसद, श्री प्रवीण सिंह ऐरन को माननीय मुलायम सिंह जी एवं श्री लालजी टंडन द्वारा उठाये गये मामले से सम्बद्ध किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप रहने दीजिए और इन्हें बोलने दीजिए, श्री राधो मोहन सिंह जी, आप बोलिये।

श्री राधे मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश की 16 जातियों के संबंध में आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये जातियां जिनमें बिन्द, प्रजापति, राजभर, गोंड, पाल, कुम्हार, कोहार, चौहान, केवट, निषाद, मल्लाह आदि आते हैं। जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बेहद दयनीय है। 1952 में संविधान लागू होने के समय इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अपनी मेहनत एवं परिश्रम के बल पर औसत थी। इसलिए 1952 में इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया और आजाद भारत में दिन-प्रतिदिन इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति गिरती चली गई।

ये मेहनतकश जातियां जो स्वाभिमानी भी हैं, मेहनती भी हैं और सामाजिक सरोकार में देश को बनाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दयनीय स्थिति को देखते हुये इनकी बेहतरी के लिए इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया और इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर मिलने लगा। जो काम डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए किया था, वही काम माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने इन जातियों के लिए किया था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने सत्ता प्राप्त करते हुए इन्हें अनुसूचित जाति से निकाल दिया।

माननीय अध्यक्षा जी, जब देश गुलाम था तो इनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। जब आजादी अपने हाथों में आयी तो दो भारत बने-एक अमीरों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। एक शहरों का भारत और दूसरा गांवों का भारत। मैं उस गांव वाले भारत का जिक्र करता हूं जिसमें इन 16 जातियों के लोग रहते हैं जिन्हें प्रभात होने पर डर लगता है। रोज़ इनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। एक कहावत है कि अगर औलाद कुलद्रोही हो तो इससे बेहतर निर्वंश ही है। आजादी इनके लिए एक खराब स्वप्न है, इससे बेहतर ये लोग गुलामी में थे। उन्हें उजाले से डर लगता है क्योंकि हर उजाला इनके लिए एक नई मुसीबत एक नये कष्ट के साथ आता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखंड की तरह कोई पैकेज नहीं मांग रहा हूं और न ही पूर्वांचल के लिए कोई पैकेज मांग रहा हूं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि 2003 में इन 16 जातियों के लिए श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार द्वारा लिए गये फैसले, जिन्हें वर्तमान में हटा दिया गया है, को केन्द्र सरकार द्वारा इन 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को मंजूरी दें ताकि ये जातियां विकास के मार्ग पर चलने हेतु कम से कम खड़े हो सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री पी. करूणाकरण बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): मैं श्री राधे मोहन सिंह के कथन से सम्बद्ध करता हूं।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ्फरपुर): मैं श्री राधे मोहन सिंह के कथन से सम्बद्ध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: केवल वहीं कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा जो श्री पी. करूणाकरन कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)* *

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं उन मुद्दों को उठाने के लिये बोल रहा हूं जिनका सामना हमारे देश के अनेक राज्यों के किसान कर रहे हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अनेक राज्यों के अनेक सुपारी किसान अत्यंत कठिन स्थिति में हैं क्योंकि सुपारी के मूल्य में बहुत गिरावट आई है।

कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिक्रिया सुपारी की लागत 1.20 रुपये है लेकिन किसानों को 60 रुपये या 70 रुपये की दर प्राप्त हो रही है। न केवल सुपारी किसान बल्कि इन पर निर्भर रहने वाले लाखों कृषि मजदूर अत्यंत परेशानी में हैं। किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है। वे ऋण या ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं हैं।

इसी के साथ, उच्चतम न्यायालय ने सुपारी के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का नया निर्णय दिया है। वास्तव में इसका कारण स्वास्थ्य हो सकता है क्योंकि सरकार स्वास्थ्य के कारण से सुपारी की खेती को प्रोत्साहन नहीं दे रही है। लेकिन महोदया, जैसा कि आपको पता है कि सुपारी के एक पौधे को उपज देने में 6 से 7 वर्ष लगते हैं। अत: सरकार को सुपरी की खेती का वास्तव में सहायता देने के लिये और कदम उठाने चाहिए। सरकार को सुपारी कृषकों को फौजी राहत-प्रदान करने के लिये उच्चतम न्यायालय जाने का दरवाजा खटेखटाना चाहिये जिससे उन्हें कुछ सहायता दी जा सके।

अध्यक्ष महोदया: श्री अनंत कुमार हेगड़े, श्री जी.एम. सिद्देश्वर और श्री डी.बी. सदानंद गौडा के नाम श्री पी. करूणाकरन द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ सम्बद्ध किये जा रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, मैं आसन का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदया, अंग्रेज़ों के जमाने में बिहार में 38 चीनी मिलें चल रही थीं जो आज बंद हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

बिहार सरकार ने बराबर केंद्र से आग्रह किया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल चलाने के लिए इथेनॉल की अनुज्ञप्ति दी गयी है, बिहार में 38 चीनी मिलों को चलाने के लिए जो सैंकड़ों प्रस्ताव आये हैं, उनकी एक शर्त है कि हमें चीनी मिल खोलने के साथ-साथ इथेनॉल बनाने की भी अनुज्ञप्ति दी जाये। बिहार सरकार इस बारे में बराबर आग्रह करती रही है। इसी सदन में माननीय श्री शरद पवार जी ने एक बजट के सिलसिले में बोलते हुए कहा था कि हम बिहार को इथेनॉल की स्वीकृति देंगे। यद्यपि हमारे अनुभव ठीक नहीं हैं, लेकिन बिहार सरकार चाहती है तो हम इथेनॉल की अनुज्ञप्ति देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

महोदया, मैं बिहार के नवादा जिले से आता हूं। इन 38 चीनी मिलों में एक वारिसलीगंज चीनी मिल भी है। मैं आपको बताऊं की रानी विक्टोरिया इस चीनी मिल की ही चीनी खाती थीं, दूसरी किसी चीनी मिल की चीनी नहीं खाती थीं। मैं सच कहता हूं कि नवादा और बिहार के हजारों लोग आज इस चीनी मिल के खुलने की आस में या तो मर गये या बूढ़े हो गये या वे आसमान की ओर देख रहे हैं।

मैं आपकी उपस्थिति में आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार की एक प्रतिभा आसन पर बैठी है और प्रतिभा ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, समानता का वह आजीवन शाश्वत विद्रोही जगजीवन बाबू को बाबू जी के नाम से भारत में प्रसिद्ध थे। आज उनके बिहार में हजारों लोग बेकार पड़े हुए हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ जो व्यवहार किया है, बिहार के साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करे और उसे अनुज्ञप्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: 'शून्य काल' के शेष मामले दिन के अंत में लिये जाएंगे।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा, मध्याहन् भोजन के पश्चात अपराह्न 2.03 बजे पुन समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 2.03 ½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर पर्ची दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जिनके लिए पर्ची सभा पटल पर निर्धारित समय के अंदर प्राप्त हो गयी है तथा शेष मामलों को व्यागत माना जाएगा।

(एक) राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और जल-विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धौलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र करोली धौलपुर (राजस्थान) जो कि डांग क्षेत्र है एवं चम्बल बीहड़ों वाला इलाका है, इस क्षेत्र में गरीबी, भूखमरी अत्यधिक है। मेरे क्षेत्र से संबंधित तीन परियोजनाएं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली में अनुमति के लिए विचारधीन हैं। क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए इन तीनों परियोजनाओं की स्वीकृति अति आवश्यक है। ये परियोजनाएं/प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं–

1. धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना हेतु राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य से 0.3 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन।
2. जल संसाधन विभाग, जिला करौली राजस्थान द्वारा दोहारी माईनर सिंचाई परियोजना हेतु केलादेवी वन्य

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

जीव अभ्यारण्य जिला करौली (राजस्थान) से 16.09 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन।

3. करौली-धौलपुर संसदीय क्षेत्र में चम्बल नदी पर निम्न चार स्थानों पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण।

(1) राहु का गांव

(2) गुज्जुपुरा

(3) जैतपुरा

(4) बरसाला

(दो) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के अंतर्गत योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): मैं कार्यान्वयन में अनियमितताओं और आलसीपन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में पीठानिन्स परियोजना की पूर्ण विफलता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह चिन्ता का विषय है कि समाचार पत्र की रिपार्टों के अनुसार वर्ष 2003 से 2010 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तपोषित मीठानिन्स परियोजना पर 50 करोड़ रुपए बरबाद किए गए हैं। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में यह उजागर हुआ है कि मलेरिया पर नियन्त्रण करने और हाईसीन के मामले में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 60,000 मीठानन्सि (स्वास्थ्य कर्मी) तैनात किए गए थे। तथ्य कि योजना के खराब कार्यान्वयन के नकरात्मक परिणाम आए हैं जहां 50 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं और फिर भी अभी तक राज्य में विशेष रूप से जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में मलेरिया से होने वाली मौतें हजारों में है अधिकांश मौतों का कोई लिखित रिकार्ड नहीं होता है।

लगभग 60,000 मीठानिन्स मानदेय आधार पर रोजगाररत हैं और स्वास्थ्य कितों की आपूर्ति अनियमित है। मलेरिया बीमारी के सतत उपचार हेतु नहीं के बराबर प्रयास किये जा रहे हैं और रोगियों को दवा की महज एक खुराक देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। और न ही मीठानिन्स कर्मियों के लिए यह जरूरी है कि वे मलेरिया के रोगियों की देखभाल करने के बाद उनकी मौतों के बारे में बताएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य विभाग की सम्पूर्ण मीठानिन्स परियोजना तब तक मझधार में डोलती रहेगी जब तक केन्द्र सरकार कोई उपयुक्त कार्रवाई न करे। यदि मीठानिन्स के प्रशिक्षता की निगरानी सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो इस कार्यक्रम के अनतर्गत स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले की जाँच करे और उपयुक्त कार्रवाई करे।

(तीन) बीएचईएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर): मैं सदन का ध्यान बी.एच.एल. के उच्च सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होंने वर्ष 1962-63 के बाद से नौकरी की है, की शिकायतों के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। आज बी.एच.ई.एल केन्द्र सरकार के नवरत्न उपक्रमों में से एक है जिसके पास 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नकद भण्डार (धन) है और यह उपक्रम एक गैर-बैकिंग वित्तीय कम्पनी स्थापित करने की योजना बना रहा है और इसके एक भाग का उपयोग अवसंरचना और विद्युत क्षेत्र को ऋण देकर करना चाहता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार को उन कर्मचारियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने संगठन के प्रारम्भ से लेकर अपना योगदान दिया है जब आवास (क्वाटर्स) परिवहन, उपरिसमय भत्ता अथवा प्रतिपूरक विश्राम जैसी समुचित सुविधाएं नहीं थी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भेल के साथ भेल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लम्बित मुद्दों के सम्बन्ध में उनकी मांगों पर विचार करे।

(चार) नॉर्थ-साउथ कोरिडोर परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नरसिंहपुर में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): मैं भारत की लोक महत्व की महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश की चारों दिशाओं को जोड़ने वाली महती सड़क परियोजना के उत्तर-दक्षिण कारीडोर जो मेरे संसदीय क्षेत्र नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, में हो रही गंभीर अनियमितताओं एवं परियोजना से जुड़ी विदेशी कंपनी के पैकज क्र. सी-5, सी-6, सी-8, सी-9 में भारी गुणवत्ता की कमी है। साथ ही निर्धारित समयावधि में भी यह कार्य नहीं हो पा रहा है तथा अनेक जगह सड़क को जस की तस हालत में छोड़ दिया गया है जिससे आये दिन दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। प्रोजेक्ट में गुणवत्ता पर निगरानी हेतु कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के

कार्य स्वयं सम्पादित किय जा रहे हैं जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

सेंग यांग कंपनी के खनिजों के अवैध उत्खनन, पेटी पर छोटे ठेकेदारों को दिए गए कामों का करोड़ों में लंबित भुगतान एवं साथ ही अनेक जगह अधिग्रहित भूमि को छोड़कर नए स्थान पर सड़क निर्माण से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है।

भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त उत्तर-दक्षिण कारीडोर का निर्माण समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण हो, स्थानीय पेटी ठेकेदारों का भुगतान तत्काल हो, अधिग्रहीत भूमि पर ही सड़क निर्माण हो ऐसी अपेक्षा है।

(पांच) छत्तीसगढ़ के रायपुर, जांजगीर चम्पा और रायगढ़ जिलों में पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को देखते हुए महानदी पर औद्योगिक बराजों की स्थापना के प्रस्ताव को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा महानदी पर रायपुर, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिलों में छः औद्योगिक बैराज बनाने की स्वीकृति प्रदान कर, निविदा भी आमंत्रित कर निर्माण की तैयारी की जा रही है। इन प्रत्येक नदी घाटी परियाजनाओं की लागत सौ करोड़ रुपये से अधिक है। सौ करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय पर्यावरण विभाग की अग्रिम स्वीकृति अपरिहार्य है, जबकि इन परियोजनाओं के लिए अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के कृषकों का कोई भला होने वाला नहीं है बल्कि आने वाले वर्षो में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अतः निर्माण के पूर्व पर्यावरण विभाग को हस्तक्षेप कर बाढ़ एवं पर्यावरण के खतरे का आंकलन करना आवश्यक है। अतः केन्द्र सरकार शीघ्र ही पर्यावरण आंकलन कराये और तब तक के लिए निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दे।

(छह) देश में अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेल्ली): हमारे देश में, यह माना गया है कि 60% जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित है। अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार आयोग का गठन अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था। परन्तु पिछले 17 वर्षों में, आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गो की शिकायतों से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(10) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अधिकार दिया गया है।

भारत के राष्ट्रपति ने 1979 में मंडल आयोग गठित किया और इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 27% तथा शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करके किया गया। केन्द्र सरकार से ने उच्च शिक्षा संस्थाओं जैसे आईआईएस, आईआई टी में भी अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण दिया। लेकिन व्यवहार में उन्हें दी गई आरक्षण सुविधाएं प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है और प्रभावित लोग अपनी वास्तविक शिकायतों के हल के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वार खटखटा रहे हैं। तथापि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उनकी शिकायतें निपटाने के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं। काफी पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग संसदीय सीमित का गठन किया गया था। और यह अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अच्छी तरह कार्यकर रही है। परन्तु अन्य पिछड़े वर्गो के लिए ऐसी किसी संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है और समय की मांग है कि अन्य पिछड़े वर्गो के लिए एक अलग संसदीय समिति का गठन किया जाए।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाएं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पर्याप्त अधिकार देने के लिए सशक्त बनाया जाए ताकि देश के अन्य पिछड़े वर्गो की वास्तविक शिकायतों का निपटान किया जा सके।

(सात) लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित द्वीपों में निर्मित पोतघाटों में खराबियों को ठीक किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लक्षद्वीप के चार द्वीपों में वर्ष 2005 में चार पूर्वी क्षेत्र के घाटों का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण यात्रियों को इन घाटों से खुले समुद्र में जहाज से उतरने के बाद नौका की यात्रा से बचने के लिए किया जाता है जो कि बहुत खतरनाक है। इन घाटों के निर्माण की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए हैं। संबंधित प्राधिकारियों का आरोप है कि पूर्वी घाट के दोषपूर्ण निर्माण के कारण जहाज इन घाटों पर लंगर नहीं डाल सकते हैं। करोड़ों रुपए

खर्च करने के बाद इन घाटों के निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो गया है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल घाटों के दोषपूर्ण डिजाइन में और विलंब किए बिना सुधार करने के निर्देश दे ताकि यात्री इन घाटों से जहाजों में चढ़ और उतर सकें। मामले की जांच की जाए और चीजों को ठीक किया जाए।

(आठ) छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को 'हाउस लीज स्कीम' के अंतर्गत मकानों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में सेल का एक सार्वजनिक उपक्रम, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है। इस उपक्रम में पिछले वर्षों के दौरान 'हाउस लीज स्कीम' की योजना लागू की गयी थी, जिसमें लीज के आधार पर संयंत्र के कर्मचारियों को टाउनशिप के आवास आवंटित किये गये थे। यह योजना छः चरणों में पूर्ण होनी थी एवं उसके पांच चरण सन् 2008 तक पूर्ण किये जा चुके थे। छठवां और अंतिम चरण उसके बाद लागू होना था परंतु यह चरण आज दिनांक तक लंबित है जबकि तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात मंत्री द्वारा फरवरी 2008 में ही उसके लागू होने की घोषणा की गयी थी परंतु उसके बाद भी आज तक इस दिशा में इस सार्वजनिक इकाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

यह योजना स्थानीय जनता एवं संयंत्र कर्मियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सैंकड़ों ऐसे परिवार, जो किसी न किसी कारण से पहले के चरणों में आवास लीज पर नहीं ले सके थे, इसके छठवें चरण के लागू होने का इंतजार पिछले वर्षों से कर रहे हैं। यह ज्यादातर वह संयंत्रकर्मी और उनके परिवार हैं जिन्होंने सारा जीवन इस संयंत्र को अपनी सेवाएं दी हैं।

अतः यह उचित होगा कि पूर्व घोषित योजना के अनुसार इसके अंतिम चरण को भी शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके।

(नौ) राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को नर्मदा परियोजना से जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर (राजस्थान) के अंतर्गत दो जिले जालौर और सिरोही आते हैं, जहां पीने के पानी एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं है। नर्मदा परियोजना से पानी आया है परंतु प्रदेश सरकार वितरण नहीं कर रही है। सरकार द्वारा बजट का अभाव बताया जा रहा है। पन्द्रहवीं लोग सभा के प्रत्येक सत्र में इस मामले को उठाया गया परन्तु अभी तक नर्मदा से पानी जनता को नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र की जनता परिवार सहित कष्ट में है।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर में नर्मदा परियोजना से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके लिए धनराशि एवं संसाधन प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायें।

(दस) गुजरात के वडोदरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): मेरे संसदीय क्षेत्र, वडोदरा जो कि गुजरात का एक विकसित शहर है, वहां पिछले 26/02/2009 को उस समय के केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 130 करोड़ के खर्चे से बनने वाले नये टर्मिनल इमारत का शिलान्यास किया था और घोषणा की थी कि दिसम्बर, 2010 तक इमारत पूर्ण हो जाएगी और उसी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी शुरू हो जायेगी और हवाई अड्डे को महाराजा सयाजीराव गायकवाड का नाम दिया जायेगा।

लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि तुरंत ही इस दिशा में कार्यवाही शुरू की जाए।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के सागर को घरेलू हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): मेरे लोक सभा क्षेत्र का मुख्यालय सागर, बुन्देलखंड का संभागीय मुख्यालय है। इसके विकास के लिए यह आवश्यक है कि बुन्देलखंड का औद्योगिक विकास हो। सागर में सेना की छावनी है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है और पुलिस प्रशिक्षण हेतु पुलिस अकादमी है। सागर से लगे क्षेत्र बीना में बीओआरएल रिफायनरी आदि हैं। सागर में बहुत पहले से एयर स्टिक हवाई पट्टी है। इसलिए हवाई पट्टी का विकास कर उसको डोमेस्टिक स्तर के विमानों की उड़ानों के योग्य बनाकर, सागर को हवाई सुविधाओं से जोड़ा जाए जिससे कि सागर का औद्योगिक विकास हो सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में औद्योगिक इकाइयों के कारण बढ़ते जल और वायु प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्जापुर): मिर्जापुर व सोनभद्र जनपदों में चल रही औद्योगिक इकाइयों, अवैध क्रशरों द्वारा जलादोहन और अपशिष्ट का प्रवाह कर जल प्रदूषण, भारी मात्रा में धुएं एवं धूल उड़ाकर वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे विन्ध्यपर्वत क्षेत्र के निवासियों की पहुंच से जल दूर होता जा रहा है। अपशिष्ट के प्रवाह से वनवासी व वन्यजीव बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। फैक्ट्री स्थलों को जनसंख्या विहीन बताकर जिम्मेदारी से बचा रहा है। इन फैक्ट्री स्थलों के आस-पास धौहा, बिजुरही, सोनगढ़, चोलखा बड़ी आबादी के ग्राम हैं तो चुनार, डाजला, चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्रियों के पास नगर पालिका व नगर पंचायत की आबादी वाले क्षेत्र हैं। लगभग 300 वैध-अवैध क्रशरों द्वारा ब्लास्टिंग से दोनों जनपदों में गंभीर वायु प्रदूषण है जिससे गंभीर पर्यावरणीय संकट व्याप्त है। यदि समय रहते प्रदूषण पर रोक न लगाई गई तो यह क्षेत्र जल विहीन एवं मानव विहीन क्षेत्र हो जाएगा।

(तेरह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन लोगों को बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण संपत्ति और फसलों की क्षति हुई, उनके लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में हर वर्ष प्राकृतिक त्रासदी आती ही रहती है चाहे वह कोसी नदी की प्रलयकारी बाढ़ हो या फिर कुसहा की त्रासदी हो। वर्तमान में ओलावृष्टि से तो रबी फसल भी काल के मुंह में समा गई है। 60,000 हैक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों के साथ-साथ दो हजार परिवार बेघर हो गए हैं। वे खुले आसमान में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार संतोषजनक कार्य कर रही है किन्तु केन्द्र सरकार को भी इस त्रासदी से उबारने हेतु सहयोग देने का फर्ज बनता है। लगभग 15 लोगों की आपदा से मृत्यु हो गई। जानवर पशु पक्षी की तो गिनती होती ही नहीं है।

अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस प्रलयकारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे केन्द्र सरकार से कराकर विशेष पैकेज सुपौल जिले को देने की कृपा करें जिससे कि इस त्रासदी से बर्बाद हुए पीड़ितों को उबारने में सहायता मिले।

(चौदह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक उप-केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): मैं कन्याकुमारी जिले में शास्त्रीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई) के एक उपकेन्द्र की स्थापना से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूं जो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का स्वप्न भी है। भारतीय खेल प्राधिकरण के एस ए जी प्रशिक्षण केन्द्र अन्ना स्टेडियम, नागरकोइल ने आम्काकानकेणम में एक स्थल की पहचान की है और इसे प्रस्तावित किया है जो कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 से 02 किमी की दूरी पर स्थिति है। यह भूमि तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व में है और 3 भूभागों में अवसंरचना को विकसित, करने के लिए उपयुक्त है। यह खेल के मैदान और भवनों, एथलोटिक ट्रैक, फुटबाल मैदान, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदानों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा, आझाकनकोणम में उपकेन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि पर प्रशासन भवन, छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जा सकता है।

बंगलौर से भारतीय खेल प्राधिकरण की निगरानी समिति, मुद्दे से सी.पी.डब्ल्यू. जी अधिकारियों, डी.आर.ओ. और कन्याकुमारी जिले से अन्य अधिकारियों ने 23/11/2010 को उक्त प्रस्तावित भूमि का दौरा किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्र ने उपकेन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि को मंजूरी दे दी और नई दिल्ली स्थिति भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्पोरेट कार्यालय को आगे की कार्रवाई करने और स्वीकृत देने की सिफारिश की। हमारे जिले में हर प्रकार के खेलों में अनेक खिलाड़ी मौजूद हैं। किन्तु अपने कौशल और प्रतिभा में सुधार करने के लिए उन्हें कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती।

उक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि कन्याकुमारी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण के एक उप-केन्द्र की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

(पन्द्रह) केरल के पालक्काड़ जिले के ओट्टापालम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अतिरिक्त एक्स सर्विसमैन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज क्लीनिक तथा मिलिटरी कैंटीन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): पालक्काड़ केरल राज्य के सबसे बड़े जिलों में से एक है और इसलिए, भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है। केरल के अनेक जिलों में एक से अधिक एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूट्री हैल्थ स्कीम (ईसीएचएस) क्लीनिक्स मौजूद हैं। पालक्काड़ में जिला मुख्यालय में मात्र एक

ईसीएचएस क्लीनिक मौजूद है। इसके कारण भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आवश्यक उपचार के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी समस्या और भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें विशेषज्ञताप्राप्त उपचार। प्रवेश के लिए पेशिन्धालमान्न, मलारपुरम जिलों स्थिति पैनलबद्ध अस्पताल में भेजा जाता है। इसने सेवा पेंशनभोगियों पर भारी वित्तीय दबाव डाला है। इसी प्रकार वर्तमान में भूतर्पव सैनिक/विधवाएं और उनके आश्रित पालक्कड् स्थित मिलिट्री कैंटीन की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यह भी इस बड़े जिले के अन्य भागों से आने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक कठिनाइयां पैदा करता है। मौजूदा कैंटीन की सुविधाएं संपूर्ण भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत अपर्याप्त हैं। इसके मद्देनजर मैं भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे केरल के पालक्काड् जिले में ओट्टापालम में एक अतिरिक्त ईसीएचएस क्लीनिक और मिलिट्री कैंटीन की स्थापना करें।

(सोलह) महिलाओं पर तेजाब फेंकने में शामिल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): हमारे देश में राज्यवार तेजाब हमलों के मामलों में दिन-ब-दिन वृद्धि हो रही है। तेजाब पीड़ित व्यक्तियों की आंखों की रोशनी के साथ-साथ हड्डियों को भी गला देता है। पिछले दिनों तेजाब उड़ेलने, पिलाने के अनेक मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे उनको इलाज कराने में काफी परेशानी होती है।

देखा गया है कि तेजाब हमले ज्यादातर महिलाओं पर हो रहे हैं और ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले व्यक्ति अथवा आरोपी को मनोरोगी या गुस्सैल प्रवृत्ति का बताते हुए लीपापोती की जाती है और कानूनी पेचीदगियों के कारण आरोपी बरी हो जाता है। पिछले कई वर्षों से तेजाब हमलों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की जाती रही है और तेजाब बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता पर भी चर्चा चली है लेकिन आज भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी घृणित घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर कानून बनाकर तुरंत अमल में लाया जाए और तेजाब बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस की अनिवार्यता एवं तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति का बिक्रीकर्ता द्वारा पहचान ब्यौरा रखा जाना चाहिए।

(सत्रह) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नदियों के कारण भूमि कटाव को रोकने के लिए एक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलान्तर्गत गंगा, गंडक, बूढ़ गंडक, बाया, नून, झाझा, घाघरा, डंडा कदाने, बागमती और फर्दो नदियों से घिरे हुए बहुत बड़े भूभाग की एक करोड़ से अधिक की आबादी हर साल बाढ़, सुखाड़, जल जमाव और नदियों के कटाव से पीड़ित हैं।

अत: आग्रह है कि राज्य सरकार के परामर्श से सी.डब्ल्यू.सी. और जी.एफ.सी.सी. से सर्वे और अनुसंधान कराकर उपरोक्त समस्याओं से मुक्ति के लिए एक समग्र योजना तैयार कराकर कार्यान्वयन कराया जाए जिसमें तटबंधों को दुरुस्त कर उस पर पक्की सड़क का निर्माण, गंडक परियोजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने एवम् नदियों के कटावरोधी कार्यों और जल निकासी कार्य शामिल हो।

अपराह्न 2.04 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12

विदेश मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या-31 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थिति वे माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित निचे जा चुके हैं, यदि अपने कसौटी प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्ची भेज सकते हैं जिसमें उन कसौटी प्रस्तावों का क्रम संख्या वार उल्लेख हो जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कसौटी प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा जिनके संबंध में पर्ची सभा पटल पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त होंगी।

तत्पश्चात्, प्रस्तुत किये गए माने गए कसौटी प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची जल्द ही सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में किसी प्रकार की विसंगति मिले, तो वह इस बार के सभा पटल पर मौजूद अधिकारी के ध्यान में तुरन्त ला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में 1 विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (2012) को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खुर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष (2011-12) के लिए विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांगों के नाम	31 मार्च (2012) को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
	विदेश मंत्रालय	राजस्व रु.	पूंजी रु.
	विदेश मंत्रालय	6314,97,00,000	791,00,00,000
31	मंत्रालय	6314,97,00,000	791,00,00,000
	मंत्रालय	6314,97,00,000	791,00,00,000

श्री जसवंत सिंह (दार्जिलंग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की चालू वर्ष की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आसामन्य परिस्थितियों में मिल रहे हैं। हाल ही में जापान में हुआ वह बहुत दु:खद है। जापान को जो आघात लगा है वह महा विरलवकारी स्थिति है। भूकंप, सूनामी, साथ ही बड़े पैमाने पर संभावित परमाणु रिसाव तथा दक्षिण जापान में ज्वालामुखी फूट चुका है। मुझे ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें किसी देश में विनाशकारी घटनाएं इस प्रकार से एक साल घटित हुई हैं। निस्संदेह, सभा ने इस बारे में अपना मत पहले ही व्यक्त कर दिया है; शोक संदेश वक्त किये गये हैं। मैं इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी समझता हूं जो माननीय प्रधान मंत्री ने इस घटनाक्रम पर प्रारंभिक टिप्पणी के रूप में कल सभा में कही। मैं अभी एक क्षण में उस बात पर लौटे रहा हूं बड़ी दु:खद बात है कि हम ऐसी परिस्थितियों में मिल रहे हैं।

मैं एक विशेष अधिकारी, रमिन्द्रर सिंह जस्सल जिन्होंने मेरे साथ कार्य किया था और वर्तमान तुर्की में बतौर हमारे राजदूत कार्यरत थे, के निधन पर भी दु:खी हूं। हालांकि इस प्रकार के वाद-विवाद में ऐसी चर्चा सामान्यत: नहीं होती है। जब मैं एनडीए सरकार में था तब रविन्दर ने मेरे साथ कार्य किया था और विदेश मंत्रालय में ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपना विशिष्ट योगदान दिया था तत्पश्चात्, वे अपनी इच्छा से इजरायल चले गए और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें खतरनाक ब्रेन ट्यूमर हो गया तथा वहां से उन्हें तुर्की भेज दिया गया। वे कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आये थे, उन्हें आशा थी; किंतु उनके साथियों ने कहीं मुझे यह जानकारी दी कि वे कीमोथैरेपी कर रहे थे। वह ठीक नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। यह विदेश मंत्रालय के लिये असामान्य बात है, किंतु रक्षा मंत्रालय, जहाँ मुझे भी सेवा करने का विशिष्ट अवसर मिला था, के लिये इस तरह की बात असामान्य नहीं है। इसके लिये राष्ट्र की सेवा कर चुके अधिकारियों को याद करना असामान्य बात नहीं है।

एक ओर जहां मुझे देश के लिये रमिन्दर की सेवाएं याद हैं वहीं दूसरी ओर मैं तुर्की सरकार द्वारा रमिन्दर के प्रति दिखाई गई महान सद्भावना पर भी उल्लेख करना चाहूंगा। इस संबंध में तुर्की सरकार के विदेश मंत्री रमिन्दर लार्ड में उनके घर गये थे। तुर्की सरकार ने उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिये वायु सेना के विमान का प्रबन्ध किया। मैं भारत के विदेश मंत्रालय के एक विशिष्ट सदस्य के प्रति इस प्रकार की महान सभ्यता का प्रदर्शन करने के लिये तुर्की संरकार के प्रति माननीय मंत्री जी के माध्यम से अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं।

पूर्व में, हमने रोम में राजदूत रहे अपने अन्य अधिकारी को खोया था। उनका नाम आरिफ खान था। उनकी कैन्सर से मृत्यु हुई

थी। किंतु यह घटना इटली में हुई थी तथा हम यह आशा नहीं कर सकते कि इटली के लोग उसी प्रकार की सद्भावना और व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे जैसा कि तुर्की जैसे एक एशियाई राष्ट्र ने किया है।

इसी दु:ख के साथ मेरी इस चर्चा का आरंभ हुआ है।

लेकिन, उसके पश्चात्, मैं आपके साथ इस चर्चा के बारे में अवास्तविकता की भावना के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं वास्तव में नहीं जानता कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं देश की विदेश नीति के नाम पर सामने आने वाली बात की वास्तविकता के बारे में देश को जानकारी देने में दक्षिण के विशिष्ट समाचार पत्र द हिन्दु द्वारा किये गये कार्य की सराहना करता हूं। जब मैं 'अवास्तविकता की भावना' कहता हूं तो ऐसा इसलिये कहता हूं क्योंकि विकीलीक के द्वारा की गई जानकारी के अंशों के केवल पहले अंश को पढ़ने के पश्चात मैं नहीं जानता कि भारत सरकार की वास्तविक नीति क्या है। यदि मैं विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी की तुलना विकीलीक के दस्तावेजों से करता हूं, जैसा कि यह वार्षिक तौर पर ऐसा करती है, तो मैं पाता हूं कि मैंने भी वैसा ही किया है।

मैं इसे मंत्री के विरुद्ध नहीं ठहराता, मैंने कार्यवाही को बदलने का प्रयास किया था किंतु मैं सफल नहीं हुआ। महोदय मैं नहीं जानता कि विदेश मंत्रालय के दस्तावेज को एक काल्पनिक दस्तावेज माना जाए या नहीं। महोदय, इस सभा में आप हमसे यह कहलवाने की बहुत ही कम उम्मीद कर सकते हैं कि यह एक काल्पनिक नीति ही कहने को अर्थ विशिष्ट व्यक्तित्व वाले विदेश मंत्री का व्यक्तिगत अथवा किसी और प्रकार से अनादर करना नहीं है, मैं एक विशिष्ट ख्याति वाले सभ्य व्यक्ति हैं। किंतु मैं इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित हूं कि विदेश मंत्री वास्तव में कौन हैं? जब मैं विकीलीक के केवल कुछ दस्तावेजों जो अभी और भी आने हैं, को। पढ़ता हूं, तो मैं पाता हूं कि नीति कई स्तर पर निरूपति की जा रही है और उस पर काफी चर्चा भी की जा रही है किंतु कई बार मैं इस संबंध में अवास्तविक भावना से आश्चर्यचकित होता हूं कि जहां हमारी नीति का सार, उसकी वास्तविकता और उसमें निहित मुख्य बिंदु का संबंध है, तो यह नई दिल्ली नहीं है जहां हमारी नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वाशिंगटन अथवा किसी और जगह पर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है।

मैं यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा जो हमारे सामने आये हैं, इसलिये मेरे विचार से यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री के प्रति किसी प्रकार के अपमान के भाव से परे मैं सरकार को इसके लिये सचेत करूं कि ऐसे और दस्तावेज सामने आयेंगे। मैं "द हिन्दू" के संपादक, स्टाफ और टीम को बधाई देता हूं कि वे यह पूरे देश की जानकारी में लाये हैं क्योंकि यह महान लोक सेवा है। लेकिन इसकी जानकारी के बाद हमारे मन में अवास्तविकता का भाव पैदा होता है तथा आपके सामने एक उद्धारण पढ़ूंगा। यह उदाहरण विदेश मंत्रालय से है जिससे हमें और पूरे देश को ज्ञात होता है कि वास्तव में क्या सूचना सामने आई है। लेकिन विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट की प्रस्तावना और सारांश में यह कहा गया है कि: "वार्षिक प्रतिवेदन से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैश्वीकृत एवं अन्योन्याश्रित विश्व में यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास संबंधी प्राथमिकताओं को प्रोत्साहन देने के प्रति समर्पित है।" यदि हम इसकी तुलना इस समय ज्ञात हो रही वास्तविकता से करें तो ये वाक्य रहस्यपूर्ण हैं। विदेश मंत्रालय इस बात पर बल देता है कि वह सतत विकास की घरेलू बरीयताओं की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। आदि-आदि जो वर्तमान सरकार की रुढ़ोशक्ति है। मैं सरकार से, आपसे और सभा के अनुरोध करता हूं कि विकीलीक के सभी दस्तावेज सामने आ जाने के बाद हमें विदेश मंत्रालय पर वास्तविक वाद-विवाद करने की आवश्यकता है तथा हमें यह पता है कि इसकी इस नीति का प्रबंधन कैसे हो रहा है। केवल तभी विदेश मंत्रालय पर वाद-विवाद की प्रसांगिकता वास्तविता के साथ होगी।

विदेश मंत्रालय ने स्वयं जो कुछ कहा है मैं उसी उद्धरण को पढ़ना नहीं चाहता और सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं अत: हम चर्चा में आगे बढ़े।

आज हमें इस प्रश्न पर तीन स्तरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आज वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर चिन्ताओं एवं चुनौतियों के समाधान में भारत के समक्ष प्रथम एवं मुख्य चुनौती वैचारिक है। मेरा यह भी मानना है कि उन मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिन्हें मैं आनतरिक व्यवस्था संबंधी मुद्दे (हाउसकीपिंग दूरयूज) कहता हूं। वर्तमान में आंतरिक व्यवस्था के मुद्दे मुख्यत: तीन हैं। पहला है भावान्तरकारों और अधिकारियों की निरन्तर कमी जिसका उल्लेख मंत्रालय के प्रतिवेदन में आंशिक रूप से है। वहां सदैव इनकी कमी रहती हैं, और यह एक स्पष्ट तथ्य है, दुखद तथ्य है कि हमारे पास पर्याप्त भाषान्तरकार और अधिकारी नहीं है। इसलिये हमारे देश भारत में और जितने मिशन उसके पास हैं। उन्हें देखते हुए वे पर्याप्त नहीं है।

और अन्य मुद्दे भी सामने आये हैं जिन्हें हमारी प्रतिष्ठित नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी हर बार उठाती रही हैं। यह ट्राईवैली विश्वविद्यालय के छात्रों से संबंधित हैं जो इस समय संयुक्त

राज्य अमरीका में है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक अपने कुछ पत्राचार मुझे दिये थे। जिस अटार्नी की सेवा ली गई है उसने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को लिखा है। ये मुद्दे स्पष्ट एवं विशिष्ट है। वास्तविकता और मीडिया की प्रदत्त सूचना में कुछ विसंगतियां है—उनके स्थानान्तरण की प्रक्रिया चल रही है—इसे हल किये जाने की आवश्यकता है। ये विद्यार्थी वहां अपने दूतावास के संपर्क में हैं। उनका अटीना संयुक्त राज्य अमरीका के संपर्क में है। आज भी तीन विद्यार्थियों पर इस आधार पर रेडियो टैग लगा है कि उनके पास लैन्डलाइन टेलीफोन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय यह अस्वीकार्य है विशेषकर जबकि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिये हैं। यहां इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 33 दिन बाद भी अनेक विद्यार्थी हिरासत में हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं। हमारे सरकारी कर्मचारी वहां पर हैं, दूतावास के कर्मचारी वहां पर हैं, राजदूत वहां पर है। विशेषकर एक नोटिस जारी कर दिये जाने तथा जिस प्रकार की वार्ता हुई हैं उसे देखते हुये निश्चित रूप से, भारत की आवाज सुनने में 33 दिन का समय नहीं लगना चाहिये।

विद्यार्थियों से 3000 से 15000 अमरीकी डालर तक का वाण्ड्स देने को भी कहा गया है। यह असंभव है। लड़कियों पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है न ही कोई राहत दी जा रही है। मैं इस मुद्दे पर श्रम नहीं करना चाहता क्योंकि यह अनेक बार उठाया गया है। मंत्री महोदय, कृपया इस पर ध्यान दें।

मैंने यह भी उल्लेख किया है कि यही कुछ स्थिति कटरीना के पीड़ितों को लेकर हैं। मेरे पास सटीक आंकड़ा तो नहीं है लेकिन कहा जाता है कि लगभग पांच हजार मजदूर जिन्हें राष्ट्रीयता और रोजगार आदि का आश्वासन दिया गया था विशेष रूप से फ्लोरिडा भेजे गये थे। ये आश्वासन पूरे नहीं होने के कारण उन्हें यहां वहां भटकना पड़ रहा है और उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। यह भी एक काउंसल द्वारा की जाने वाली एक रुटीन कार्यवाही ही है। मंत्री महोदय क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि कृपया प्रयास करें? वे तब तक भारतीय नागरिक हैं जब तक वे अमरीका की नागरिकता नहीं कर लेते तथा उन्हें सहायता दी जानी चाहिये। मैं वैचारिक पर्यवेक्षण जिसमें मैं हाथ बंटाना चाहता हूं, पर बात करने से पहले, चूंकि मैंने इस मंत्रालय की सेवा की है, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया वार्षिक प्रतिवेदन की पद्धति में भी बदलाव लायें जिससे कम से कम वैचारिक बिन्दु को शामिल किया जा सके। यह मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण का मामला है। अर्थात वर्तमान प्रतिवेदन और इस संबंध में मुझे कुछ खामी नजर आती है। महोदय, मैं अत्यंत जिम्मेदारी एवं संयम से यह बात कहता हूं कि मौजूदा समय में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो हमारे अनुभवों में गत 60 वर्षों की अवधि के दौरान सर्वाधिक खतरनाक, सर्वाधिक अव्यवस्थित एक सर्वाधिक अनिश्चय का दौर है। हमारी आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर इतने खतरे हैं जितना पहले कभी नहीं थे। मैं आगे बात करते समय यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कयंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जहां तक हमारी आन्तरिक सुरक्षा का संबंध है। सम्माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसी प्रकार की भावना व्यक्त की है।

इस विचार का दूसरा पहलू है जिसमें से प्रत्येक की व्याख्या मैं सविस्तार नहीं बल्कि संक्षेप में करूंगा कृपया ध्यान दीजिये और मैंने इस बात का विदेश मंत्रालय से उल्लेख किया, और वहां पर विशिष्ट एवं सक्षम अधिकारी हैं, यदि मैं वैश्विक स्थिति की चर्चा करूं तो मुझे ज्ञात होता है कि शीत युद्ध के बाद विशेषकर बालकान में संघर्ष जो वास्तव में यूरोप के लिये गले की फांस के समान है, के बाद संघर्ष का सारा केन्द्र बिन्दु एशिया बन गया है—चाहे यह परमाणु का प्रश्न है। या संघर्ष के प्रश्न हों—अन्तर राज्यीय से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के सभी झगड़े एशिया पर केन्द्रित हो गए हैं। एशिया ही वैश्विक संघर्षो का केन्द्र बिन्दु और गुरुत्वाकर्षण केन्द्र है। इससे भारत के विशेषकर दुविधाग्रस्त स्थिति में आ गया है। और मैं इस दुविधाग्रस्त स्थिति का उल्लेख इसके बाद भी करूंगा। महोदय, भारत संभव: ध्वंस साम्राज्यों, को चौराहे पर स्थित है। 20वीं शताब्दी में ध्वस्त होने वाले अनेक साम्राज्यों, ध्वस्त होने वाली अनेक ताकतों का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरू में चीन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और उसके परिणामस्वरूप आज भी पूरा ईस्ट ऑफ इंडिया पीड़ित है। 1920 दशक में आटोन्न साम्राज्य समाप्त हो गया।

मेरा विश्वास है कि वर्साय और सेवा संधि के माध्यम से भूमि का बंटवारा करने एवं राज्यों का सृजन करने का सिद्धांत विभाजन के प्रयोजन के लिये आरंभ किया गया और फलस्वरूप राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके परिणामस्वरूप मैसोपोटेमियन अभियान का अंत हुआ और कृत्रिम राज्यों का उदय हुआ। इसी के चलते वर्ष 1947 में तीसरे अंग्रेजी साम्राज्य का अन्त उसका तीसरा विघटन था जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। चौला विध्वंस 20वीं शताब्दी के अंत और 1990 के दशक के आरंभ में सोवियत साम्राज्य का विध्वंस था। इन चारों साम्राज्यों में से प्रत्येक साम्राज्य एवं उनके विध्वंस के गंभीर परिणाम निकले और भारत इन धराशायी साम्राज्यों के परिणामों के चौराहे पर बैठा है। अत: मंत्री महोदय यदि आप इस बाबत जांच करें तो पायेंगे कि व्यावहारिक तौर पर जो बाह्य जो चुनौतियां, चाहे वे संकल्पनात्मक हों अथवा अन्य कोई और, हम आज भारत में झेल रहे हैं, वे इन सभी का परिणाम भर ही तो हैं। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा। इसके लिये न हो मेरे पास समय ही दे और शायद न ही यह सही अवसर है। किंतु यह एक वैश्विक वास्तविकता है जिसका हम आज सामना

कर रहे हैं। इस बात से सत्ता पक्ष में मेरे मित्र व्यक्ति हो सकते हैं किंतु यह एक ऐतिहासिक वास्तविकता है कि यह बात सच है। यह एक ऐतिहासिक घटनाओं से भी सिद्ध हो चुकी है, अत: महोदय, सरकार की किसी अन्य नीति से अभिन्न, उन नीतियों जो विदेशी संबंधों विदेश नीतिं से संबंधित हैं, का कई पीढ़ियों पर असर पड़ता है। अत:, जिस प्रकार से अन्य नीतिगत मामलों में सुधार किया जा सकता है, उस प्रकार से इनमें सुधार आसानी से नहीं किया जा सकता है। मुझे सभा को यह कहते हुए दु:ख है कि जिन संकल्पनात्मक अथवा पहलुओं की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, उनके साथ-साथ भारत को कांग्रेस पार्टी की सामूहिक एवं सतत् गलतियों की विरासत मिली है।

महोदय, मैं उन्हें आपके समक्ष संक्षेप में सूचीबद्ध करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मेरा विश्वास है कि 1947 में भारत के विभाजन के समय एक भंयकर भूल की गई थी। हम लगातार उसी की कीमत चुका रहे हैं। दूसरी बात है जम्मू और कश्मीर की समस्या जो अभी तक अनसुलझी है तथा यह समस्या भारत में एक सतत समस्या के रूप में भावी पीढ़ी को, भी अंतरित हो चुकी है। तीसरी बात 1950 के दशक में हुई थी। मैं उन्हें अनेक विरासिती महत्व के संबंध में नहीं बल्कि उन्हें मात्र उनके प्रभाव के संबंध में सूचीबद्ध कर रहा हूं। स्वतंत्रता के दौरान आरंभ में, हमने तिब्बत के ऊपर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिपत्य को स्वीकार किया और हम लगातार उसकी कीमत चुकाते आ रहे हैं। उसके पश्चात्, 1980 के दशक में, हमने श्रीलंका का भारत के लिये एक अतिरिक्त समस्या के रूप में आरंभ किया।

महोदय, मुझे इस संबंध में स्थिति भली-भांति याद है और अब इसे याद करने से मुझे गहन दु:ख होता है। स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थी, उस समय भी मैं एक सदस्य था। मुझे यह कहने में प्रसन्नता नहीं होती है कि संसद में यह मेरा आठवां कार्यकाल है। मुझे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी है। इसका उल्लेख किया जाना याद है। वह एक विख्यात भारतीय थीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनहोंने युवा संसद सदस्यों द्वारा उनसे प्रश्न कहने की प्रवृत्ति को आसानी से बरदाश्त नहीं किया। मैंने उनका यह कहते हुए उल्लेख किया था, महोदया, मुझे आशा है कि देश की श्रीलंका नीति मद्रास में नहीं बनाई जा रही हैं। उस समय इसे मद्रास कहा जाता था वह इस पर बहुत क्रुध हो गई। वह उठ खड़ी हुईं और बोली, "सदस्य यह क्या बेहुदा बात बोल रहे हैं?" हालांकि यह एक असंसदीय शब्द था, किंतु मैनं इसे टाल दिया क्योंकि, जैसा कि आप और मैं जानते ही है सच यह है कि हमने समस्या का बीज बोया और हमने यह बीजा ऐसा ढंग से बोया कि एक दिन श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह सूचित किया कि भारत में एलटीटीई के शिविर अब भी चलाए जा रहे हैं। निस्संदेह, बाद में वे इस बात से पीछे हट गये और उन्होंने अपनी बात को वापिस ले लिया, किंतु उनकी मानसिकता नहीं बदली है।

मैं यह बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमने इस मुद्दे के संबंध में कार्रवाई की थी। सभी सरकारों ने इस मुद्दे के संबंध में कार्रवई की होगी; किन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने तो श्रीलंका के मुद्दे के संबंध में कार्रवाई की ही थी; उसने मछुवारों के मुद्दे पर कार्रवाई की थी, किन्तु जिस प्रकार से आज हमारे मछुवारों की हत्या की जा रही हैं उससे लगता है कि अब यह मुद्दे का किसी एक पक्ष या दलीय मुद्दा नहीं रह गया है। अब यह ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसे हम सापेक्ष वोट लाभ की दृष्टि से देखें। इसी के दृष्टिगत, आज श्रीलंका बतौर सतत विदेश नीति समस्या भारत की राजनीति के लिये कांग्रेस पार्टी की एक देन है।

जब इतने से भी काम नहीं चला तो आपने नेपाल की समस्या में हाथ डाला। मुझे सरकार के उस तरीके से अधिक बड़ी त्रासदी और कोई नहीं लगती जिस तरीके से इस संप्रग सरकार ने नेपाल रूपी इस चुनौती का सामना किया है और जिस तरीके से इसका बार-बार समाधान करने का उसने प्रयास किया है। कई अवसरों पर मैने प्रधान मंत्री जी को यह कहकर चेताना चाहा कि "कृपया इस रास्ते मत जाइये; यह रास्ता विनाश से परिपूर्ण है।" मैंने भी उन्हें चेताया था, और तत्पश्चात् मैंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा ताकि मुझे यह बात बड़ी विस्मयकारी लगी है कि सरकार अब अपनी विदेश नीति के प्रबन्धन को कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के विख्यात प्रतिनिधि को आउटसोर्स कर रही है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब नेपाल में माओवादियों का बोलबाला था तब उनको सरकारी प्रतिनिधि के रूप में यह पता लगाने के लिये भेजा गया कि क्या घटित हो रहा है। जो उन्होंने किया है वह भयंकर भूल है; ये सभी भयंकर गलतियां हैं जो उन्होंने की हैं। मेरा अर्क व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी नहीं हैं; वे तो बाद में आए। किन्तु इन सभी भयंकर गलतियों का बोझ आज भारत और भारतवासी ढ़ों रहे हैं। उन्हें उन भयंकर गलतियों के परिणाम विरासत में मिले हैं।

महोदय, हमारे हर पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है, मैं उसका संक्षेप में उल्लेख करूंगा क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यह पड़ोस का मामला है। प्रधान मंत्री जी ने अपनी चिंता जाहिर की है, मैंने भी कई अवसरों पर ऐसा किया है, और कहा है कि भारत का पड़ोस आज इतना विचलित एवं अस्थिर है जितना विगत 63 वर्षा में पहले कभी नहीं हुआ। यदि मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो यह सही है कि माननीय विदेश मंत्री जी ने भी इस संबंध में अपनी

चिंता जाहिर की है। यह दमदार निर्णय नहीं हैं। यह उस वास्तविकता का आकलन है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का तब तक पूर्णत: सामाधान नहीं कर सकता जब तक मैं आपको यह न बता दूं कि हमारा पड़ोस क्या है। पडोस केवल एक भौगोलिक अवधारणा है। मैं आपके पड़ोस में बैठता हूं, मंत्री महोदय यह भी मेरा पड़ोस है। लेकिन महत्वपूर्ण वैचारिक परिवेश भी जहां भारत के पदचिन्ह अभी भी दर्शनीय है। मैं उजबेकिस्तान को और कुछ नहीं अपना पड़ोसी ही मान सकता हूं क्योंकि अंदीजान उजबेकिस्तान का कोई व्यक्ति और मैं उस गांव केवल यह देखने गये कि यह बाबर कौन था जो आया और हमारे इतिहस की दिशा बदल दी? मुझे विश्व में भारत की छाप मिली थी। वियतनाम के मध्य में चम्पा नाम का राज्य था जिसे भुला दिया गया है। चम्पा में चीन और भारत के प्रभाव मिले हैं। वे एकदम हमारे पड़ोस में हैं। हम उन्हें आज भूल जाते हैं। मैं अपने मित्र से उस उथल-पुथल के बारे में बात करता हूं जिससे आज पूरा अरब प्रभावित है। वे कहते हैं कि वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि वे हमारे नहीं है। मुझे विश्वास है कि 1930 तक कुवैत में लीगल टेन्डर रुपया था। 1838 में पहली आरोही सेना भारत से बाहर आडेन में गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां भेजी थी।

महोदय, आपके साथ इस सूचना के आदान-प्रदान से मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि खाड़ी युद्ध के समय मुझे विदेश मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय में भेज दिया गया था तथा बसरा में वे लोग ईराकी दीनार की बाजाए भारतीय रुपये को वरीयता दे रहे थे। मैंने इसे पूर्ण रूप से टोकने का प्रयास किया क्योंकि यह पूर्णत: अनियंत्रित मुद्दा प्रचलन थ। मैं यह क्यों कह रहा हूं? कृपया भारत के महान पड़ोस को कमतर न आंके। भारत के इस महान पड़ोस में अनेक महान सभ्यतायें हैं।

मैं विदेश मंत्रालय के गणमान्य सदस्यों बताता था एवं सलाह देता था कि भारतीयों को जिस प्रथम देश का दौरा करना चाहिये वह पश्चिम या रूस नहीं है बल्कि सभ्यता के महान केन्द्र बगदाद, तुर्की और मिस्र हैं। इन तीनों देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वे हमारे पड़ोसी हैं। महोदय यही कारण है कि जब मैं पड़ोसियों के संबंध में नीति की बात करता हूं तो मैं इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा होता हूं।

यह वास्तविकता है कि आज अटलांटिक और प्रशान्त का महत्व कम हो रहा है। प्रशान्त तथा हिन्द महासागर प्रमुख महासागर होंगे। यहां हमें अपने पर ध्यान देना है। मुझे इस बात का खेद है कि ये बातें उठानी पड़ रही है क्यों मुझे पता है कि विदेश मंत्रालय केवल सतही बातें कर रहा है। मेरा मानना है कि यह सही है।

मैं अत्यंत संक्षेप में नेपाल के बारे में बात करूंगा हमने यह विपत्ति स्वयं मोल ली है और मेरे विचार से कहीं यह भी सच है कि हम सभी सामूहिक रूप से इसके लिये जिम्मेदार हैं। इस समस्या के लिये केवल संप्रग सरकार पर आरोप लगाना मेरे विचार से अनुपयुक्त है। हम इस सभा में बैठते हैं और मैंने कोई अवसर नहीं देखा जहा किसी मेरे मित्र या किसी सदस्य ने जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज उठायी हो।

[हिन्दी]

ऐसा कहा जाता है कि हमारे चार धाम पूरे नहीं होते हैं, जब तक हम पशुपतिनाथ के दर्शन न कर लें। आप उस नेपाल को लेकर आज यहां पहुंचे हैं। आपने स्वीकार किया है। आपके मत कुछ भी हो सकते हैं, आपका विचार कुछ भी हो सकता हैं, आपका धर्म जो चाहे आप रखें, लेकिन नेपाल अगर हिन्दू राज्य नहीं है, तो क्या है?

[अनुवाद]

मैंने यह सवाल पहले उठाया है और पुन: यह सवाल उठा रहा हूं। मैं संप्रग सरकार की पूरी बेफिक्री पर आश्चर्यचकित हूं, पहली बात कि उन्होंने नेपाल में जो परिवर्तन किया है और दूसरी बात मंत्री महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मई के अंत तक संविधान निर्माण के प्रयत्न भी निष्फल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री का या किसी अन्य राजनीतिज्ञ का नाम लूं लेकिन आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि यदि मई के अंत तक वहां कोई संविधान नहीं बनता है तो माओवादियों और यूनाइटेड मार्क्सीस्ट लीग से अलग हुये एक धड़े के बीच बनी सहमति से सृजित व्यवस्था को देखते हुए तो यह पूरी तरह संभव है कि नेपाल में माओवादी पुन: सत्ता में आ जाएंगे। तब क्या होगा? नेपाल आर्मी का क्या होगा? यदि आप नेपाल आर्मी का माओकरण होने देंगे तो इससे आप भारत का इतना बड़ा नुकसान करेंगे जिसका मूल्यांकन इतिहास करेगा और आप को कभी माफ नहीं करेगा। मैं इस पर अब आगे गुछ नहीं कहना चाहता।

मेरे पास उद्धरण हैं लेकिन मेरे पास उनहें पढ़ने का समय नहीं है, कि नेपाल किधर जा रहा है। आप विशेषकर मधेशी क्षेत्र में परेशानी को रोकने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं? निस्संदेह नेपाल हमारा पड़ोसी है लेकिन यह उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ भी है। लोग आते जाते हैं, आपस में विवाह होते हैं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है आदि। नेपाल से आने वाले लोगों के लिये वाराणसी एक बड़ा शिक्षा केन्द्र था।

अब मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूं लेकिन ऐसा करने से पहले मैं केवल दो वाक्य और कहना चाहता हूं। इसमें से एक बड़ी गलती नेपाल में की गई है जो इस सरकार की निष्क्रियता के कारण हुई है, आपने जो गलती की है वह इतनी बड़ी है जैसी की तिब्बत के मामले में पांचवे दशक में की गई थी। आपने रिपब्लिक आफ चाइना के लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों तक ला दिया है। यदि आप उस पर नहीं विचार करेंगे जो मैं कह रहा हूं और आप उस नीति के परिणामों के बारे में विचार नहीं करेंगे जिसकी अपने बात की है तो निश्चय ही इतिहास आपके बारे में फैसला देगा। मुझे नहीं पता कि मैं कहां होऊंगा लेकिन राजस्थान से कोई यहां इस सभा में होगा, या आप में से कोई यहां होगा, मैं नहीं चाहता कि आगामी पीढ़ियां इसका नुकसान उठायें जैसे कि हमने आपकी पूर्व नीतियों के कारण नुकसान उठाया है। अतः हमने नेपाल में भारत का फ्रैंकेन्स्टीन मॉन्स्टर' बना दिया है। यह उक्ति मैंने नहीं गढ़ी हमें पता है कि यह पदबंध नेपाल में अमरीका के तत्कालीन राजदूत द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। यह शब्द पुनः उपलब्ध कराने के लिये मैं 'द हिन्दू का ऋणी हूं। इसके बारे में अभी बहुत कुछ होने वाला है। यदि आप चाहें तो मैं उद्धृत करना चाहता हूं: काठमांडू में अमरीका के राजदूत कहते हैं कि "हमें और अधिक करने की आवश्यकता है ताकि हम भारतीयों को अपने साथ लेकर चल सकें। मैं यहां अपने भारतीय समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में रहता हूं और निजी तौर पर वे इन्हीं विचारों को बढ़ावा देते हैं।"

मैं आपके समक्ष अन्य उदाहरण रखूंगा निजी तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रतिष्ठित अधिकारी अक्सर उसे ठीक करने का प्रयास करते थे जिसे यहां दिल्ली में राजनैतिक नेतृत्व अंजाम दे रहा था क्योंकि वे इसका अनुसरण कर पाने में असमर्थ थे। मैं केवल इसी बिंदु पर बारंबार जोर नहीं देना चाहता।

मैं आपके समक्ष पाकिस्तान का मुद्दा रखता हूं। और अधिक बातें खुलेंगी मैं पाकिस्तान के संबंध में नीतियों की विसंगतियों का उल्लेख करके हैरान हूं। आपकी वास्तव में क्या नीति है? ऐसा इसलिए हैं क्योंकि एक विचार से दूसरे विचार की ओर उन्मुख होना काफी असमंजसपूर्ण है। हमें पहले यह जानकारी दी गई कि हम शिमला समझौते से अधिदेशित हैं और हम शिमला समझौते से आगे बढ़ते हुए शर्म शेख समझौते तक आ पहुंचे तथा मेरे विचार से सबसे नवीनतम स्थिति थिंपु समझौता है। मुझे अपनी नीति के भौगोलिक रूपरेखांकन से कौतूहल होता है।

महोदय, मेरे पास अमरीका के प्रतिष्ठित राजदूत का वक्तव्य है, जो उस व्यक्ति, जो कि अब पश्चिम बंगाल के प्रतिश्ष्ठित राज्यपाल हैं, के बारे में अपने देश को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के साथ "साझा नियति" के बारे में कहे जाने के पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा," आपके विचार में साझा नियति हो सकती है। हमारे विचार में नहीं।" यदि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक समान विचार नहीं रखते, तो आप विपक्ष में हमसे क्या करने की अपेक्षा रखते हैं? एक सरकार के रूप में आपकी क्या स्थिति है? क्या पाकिस्तान के मामले में आपकी व्यक्तिगत राय होती है?

महोदय, मैं इस संबंध में कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत विचार नहीं पेश करना चाहता। मेरे अपने विचार भी हैं और मैंने इस दिशा में काम भी किया है तथा मेरी आकांक्षा भी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ मित्रवत् और नजदीकी तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध हों क्योंकि यह भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा है। किंतु जैसे कि एक टिप्पणीकर्ता ने हाल ही में उल्लेख किया कि यदि हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो, मैं सीधे-सीधे वालिंग करना जारी नहीं रख सकता क्योंकि क्रिकेट, नियम में खेले जाने वाला खेल है चाहे हम किसी को भी बॉल डालने का प्रयास करें जो कि हम विशेष मामले में पाकिस्तान है। किंतु पाकिसतान क्रीज के बाहर खेलता रहेगा, नो बॉल फेकता रहेगा और कहता रहेगा कि यह फाउल नहीं है और हम यह कहते रहेंगे कि पुराने संबंधों को फिर से नई दिशा देंगे।

महोदय, मुझे बहुत अधिक दुःख हुआ जब हाल ही में पाकिस्तान में अभूतपूर्व बाढ़ आई। आखिरकार मेरा इलाका पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। मेरा यह विशेषकर, मेरा ननीहाल सीमा के बिल्कुल करीब है। सिंध हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह हमारी संस्कृति है जो सिंध के उस हिस्से में भी मौजूद है 'घाट पार कर', नगर पार कर, वे हमारी ही भाषा बोलते हैं, वे हमारे जैसे ही परिधान पहनते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ धनराशि का अंशदान करूंगा और इसे सिंध भेजूंगा ताकि मैं यह संदेश भेज सकू कि मैं आपकी पीड़ा में सहभागी हूं। मुझे बताया गया कि मैं यह धनराशि सीधे तौर पर नहीं भेज सकता मुझे इसे इस्लामाबाद के माध्यम से भेजना पड़ेगा। इससे मैं बहुत आहत हुआ हूं। मैं सरकार को अंशदान नहीं देना चाहता मैं पाकिस्तान की सरकार को अंशदान नहीं देना चाहता था, मैं सिंध के उन नागरिकों को अंशदान देना चाहता था जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यह जुदा बात है। मैं इस बिंदु पर राग अलापते नहीं रहना चाहता।

महोदय, 'जॉर्ज का खुदा हाफिज' एक लेख है, जो पाकिस्तान

के 'द एक्सप्रैस' ट्रिब्यूट में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। जार्ज एक ब्रिटिश नागरिक था। वह पाकिस्तानी नागरिक बन गया। यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर हुआ हाल ही में, उसने दो प्रेरक लेख लिखे।

दोनों का शीर्षक जार्ज का खुदा हाफिज' है। उसने कहा कि उसे पाकिस्तान से प्रेम हो गया है। मैंने पाकिस्तान में विवाह किया और उन्होंने मुझे अपना नागरिक बना लिया किंतु मैं अब उस पाकिस्तान को नहीं पहचानता जहां मैं आया था और वह दुखी मन के साथ पाकिस्तान को छोड़ रहा है। वह पाकिस्तान क्यों छोड़ रहा है? यदि मैं अपनी स्मरण शक्ति से स्मरण करके उद्धृत करूं तो यह एक छालिया लेख है।

अभी लिखा है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उसने कहा कि 'पाकिस्तान खतरे से खेल रहा है जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध होगा।' मैं आपको चेतना चाहता हूं। वह पाकिस्तान को चेता रहा है। यह मेरी अत्यधिक चिंता का विषय है और मैं हिचक के साथ कहना चाहता हूं कि यहां भी यह एक अव्यक्त चिंता का विषय है। चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जिस पर मैं अभी चर्चा करूंगा, हमारी नीति अब हमारी नहीं रह गई है। यह एक सच्चाई है कि पाकिस्तानी अमरीकी नीति के लिए अनिवार्य है। यह एक निर्विवाद तथ्य है। महोदय, मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मैं साउथ ब्लॉक से हट चुका था और नार्थ ब्लॉक पहुंच चुका था जब एक आंगतुक से मुलाकात हुई। मुझे नहीं पता कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए अथवा नहीं। वह उस समय एक अमरीकी अधिकारी था किंतु उसका शरीर एक पहलवान की तरह थां वह मुझ से वित्त मंत्रालय में मिलने आया। तब मैंने उससे कहा कि मुझे उसके खिलाफ कोई रोस नहीं है किंतु तुमने बेहद गलत निर्णय लिया है। यदि मेरा भारत की नीति के प्रबंध से कुछ लेना-देना होता, तो जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैंने अमरीका से कभी कुछ न पूछा होता। यह रिकार्ड में है। महोदय, यह कोई आत्मागाथा नहीं थी। तब मैं भारत का प्रतिनिधि था। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अमरीका पर निर्भर न करें क्योंकि हम पाकिस्तान के मुद्दे पर ही कोई समाधान निकाल लेंगे। किंतु आप कभी भी समाधान नहीं निकाल पाएंगे, यदि आप अमरीका के जरिए हल निकालने का प्रयास करेंगे।

मैं एक और आशंका का उल्लेख करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में अफगानिस्तान के मुद्दे पर बोलूंगा क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मैं अधिक समय ले रहा हूं और मुझे अपनी बात समाप्त करने से पहले अरब जगत और चीन में अशांति के बारे में भी थोड़ा बोलना है। मैंने पहले भी कहा है कि यह विषय बहुत ही व्यापक है और मेरे पास बोलने के लिए काफी कम समय है। महोदय किंतु मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मुझे इस नए मुद्दे को गंभीर आपत्ति है, जो अमरीका ने ईजाद किया है अर्थात एक पाक? मुझे ज्ञात है कि वे उन सभी प्रकार के पटिवर्णी शब्दों का उपयोग करते हैं जो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए ईजाद किए हैं। यह भारत के लिए कोई सुविधाजनक बात नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे दो महान देशों को एकपाक कहा जाए यह अपमानजनक है। कृपया उन्हें कभी भी इस नाम से संबोधित न करें क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आगामी विकीलीक्स दस्तावेज में यह प्रकाशित हो जाएगा जो हम एक पाक के नाम से संबोधित कर रहे हैं।

अफगानिस्तान के बारे में एक अन्य बात है। उस समय तक हम पड़ोसी थे क्योंकि भारत की सीमा वजीरिस्तान तक फैली थी। उन दिनों में मेरे पिता जी ने वजीरिस्तान में एक सैनिक के रूप में सेवा दी थी। मैं माननीय श्री लालजी अड़वाणी के बचपन अथवा कराची में जन्म के बारे में नहीं बोलना चाहता। हम पाकिस्तान में बारे में किसी दूसरे के नजरिए की बात नहीं करते। हम प्रत्यक्ष तौर उसकी बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान क्या है? हमें अमरीका द्वारा हमें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम समान भाषा बोलते हैं और उसी जुनून के साथ मैं यहां मौजूद हूं। हालांकि यह मित्र सत्तार साहेब ने मेरी इस बात पर आपत्ति की थी कि हम एक ही भाषा बोलते हैं।

[हिन्दी]

जसंवत जी, हम एक बोली नहीं बोलते हमें तो यह पंजाबी मार गई नहीं तो हम अरबी बोलने लगते।

[अनुवाद]

परन्तु हम एक ही भाषा बोलते हैं। इसलिए जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है, अपने पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मित्रों के साथ हम विचार विमर्श करते हैं। मेरे वहां बहुत से मित्र है। मैंने यह भी कहा है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्वतन्त्रता के इन 60 वर्षों में मैं ऐसी स्थिति देखुंगा जिसमें विदेशी सैनिक पुनः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद होंगे। भारत को इस बात की चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि मंत्री महोदय यदि आप इस दिशा में थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो भगवान न करे-यदि इन विदेशी दस्तों में से कोई किसी रूप में किसी भी तरीके से भारत में आ गया तो यह मौत का फरमान होगा। कृपया इससे बचने की कोशिश करें।

मैं जानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बहुत अच्छी चीज है। क्यों नहीं? परन्तु एक समान स्तर के देशों

में सहयोग होना चाहिए। मेरे पास स्वर्गीय फील्डमार्शल अयूबखान की प्रशंसा करने के लिए कुछ अधिक नहीं है परन्तु उनकी पुस्तक का शीर्षक बिल्कुल ठीक है। यह है फैंड्सनॉट मास्टर्स। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ दोस्ती होनी चाहिए और इस दोस्ती के आधार पर ही हमें आज अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंधों का स्वरूप तय करना चाहिए। मेरे पास इस पर विस्तार से बात करने का और समय नहीं है। इस मामले को मैं वहीं छोड़ता हूं क्योंकि मुझे आशा है उस पर विचार विमर्श करने के और बहुत अवसर आएंगे।

मैं ईरान जाता हूं। ईरान हमारा पड़ोसी है। मंत्री महोदय 1947 तक हमारी सीमा ब्लूचिस्तान तक जाती थी। जोहदन में हमारी एक चौकी थी जो आज भी मौजूद है। ईरान की संस्कृति का प्रभाव, ईरान और भारत के मध्य परस्पर आदान-प्रदान उसी का प्रभाव, भारत में जो इस्लाम आया उसका प्रभाव और जो इस्लाम वापिस गया?

इस्लाम का रूपांतरण; सूफी विचारधारा, हमारे अनेक क्षेत्रों में परस्पर संबंध में हो रही अनेक बातें हैं। परन्तु संबंध के अतिरिक्त, उस की अनिवार्य आवश्यकता भी है। इससे मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने एसी यू क्यों छोड़ दिया। यहां मेरे पास दस्तावेज है जो यह बताते है कि ईरान के विरुद्ध मतदान का निर्णय कैसे लिया गया क्योंकि वह सब विकीलोक्स दस्तावेजों का भाग हैं। आप इसे वेबसाइट पर देख सकते है। मैं यह सब दोहराने में समय नहीं लगाना चाहता। 'द हिन्द' ने अपनी महान सेवा देते हुए इसे पहले ही प्रकाशित कर दिया है। यह मेरा विचार है कि ईरान के विरुद्ध आईए ई एम मतदान गलत फैसला था। यह विदेश मंत्रालय की पेशेवर सलाह के विरुद्ध था। यह निर्णय माननीय प्रधान मंत्री की पूर्व राष्ट्रपति बुश से मुलाकात के पश्चात् लिया गया उन्हें निर्देश मिले कि कैसे मतदान करना है और इस मामले में यह निर्देश वाशिंगटन से विएना तक भी पहुंचे। यह भारत के प्रति कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं अपितु उसे हानि पहुंचाना है। हाल ही में आपने एसीयू के संबंध में निर्णय लिया, जो कि भुगतान के व्यवस्थापन और एशियन क्लीयरिंग यूनियन के लिए विकसित किया गया तंत्र था जिसके हम सब्सक्राइबर हैं, हम इसका अनुपालन करते रहे क्योंकि इसने ईरान से हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का अंतरण सुविधाजनक बनाया है।

मैं स्वयं व्यक्तिगत एकल के रूप में बोलना पसंद नहीं करता। ईरान से गैस पाइपलाइन के लिए समझौते पर मैंने बातचीत की थी। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा प्रान्तीय स्वार्थ इसमें था क्योंकि मैं चाहता था कि पाइप लाइन राजस्थान में प्रवेश करे। परन्तु इस बात के होते हुए भी हमने एसीयू को छोड़ दिया। क्या आप कारणवश कर सकते हैं कि एसीयू को क्यों छोड़ा गया? मेरे मन में कोई शक नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने स्तर पर तो ऐसा नहीं कर सकता था।

मेरे पास चीन तथा इसके द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के बारे में बोलने का समय नहीं है। मैं यह अत्यंत हिचक के साथ कह रहा हूं। मंत्री महोदय संसद के दोनों सदनों में, मैं एक मात्र संसद सदस्य हूं जो 1962 में सैन्यपद पर था। ऐसा अवसर आया कि 1962 में मेरी रेजिमेन्ट हालांकि टैंक रेजिमेन्ट थी और कुछ खास नहीं कर सकती थी, इसमें मैं सहायक अधिकारी था, को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भेजा गया और हमें पहाड़ी के नीचे घाटी में धकेल दिया गया।

मैं एक युवा कप्तान था और युवा अधिकारी के लिए हारना सर्वाधिक अपमानजनक अनुभव है। मंत्री महोदय जो लोग उस समय सेवायें थे अब उनमें से ज्यादा लोग सेना में नहीं है। *...(व्यवधान)*

महोदय मैं इस वास्तविकता को महसूस करता हूं और आपकी सावधानी की मैं प्रशंसा करता हूं। मै दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि कृपया चीन की वास्तविकता को पहचानें। चीन जो एकीकृत है, जिसमें सरकार का केन्द्रीकृत कमांड है, विस्तारकर्ता चीन होगा। वह चीन की प्रकृति है आप उसे बदल नहीं सकते। यदि मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूं तो कृपया मुझे क्षमा करे। यह ऐसी चीज है जो आपने हमें विरासत में दे दी है। यहां मेरे पास स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र हैं। मेरे पास ये पत्र बरसों से है। मैंने तो पुस्तक लिखी उसमें इन पत्रों को मैंने श्री नेहरु की स्मृति का सम्मान करते हुए नहीं छपवाया। परन्तु आपको यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि कैसे 1962 में भारत के एक महान प्रधानमंत्री ने उस समय चरम संघर्ष की स्थिति में लिखा और जब आज मैं उन्हें पढ़ता हूं तो पुनः एक युवा अधिकारी की तरह रो देता हूं। हम उस गलती को न दोहराए। मुझे डर है कि चीन हमारे लिए जो खतरा उत्पन्न कर रहा हैं उसकी हम उपेक्षा करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक दीर्घकालिक खतरा है। हम किस्मत को बाहरमासी जुड़वा है अर्थात हम पड़ोसी ही रहेंगी। परन्तु चीन मन से भारत पर अधिकार करने की इच्छा करता रहेगा क्या आप स्वीकार नहीं करते कि यह चीन की प्रकृति है। जब मैं 20वीं शताब्दी के आरंभ में चिंग वंश के अंत के बारे में कहता हूं और जब चीन केन्द्र से अलग होकर विकेन्द्रित होने लगेगा तो यह आगे वृद्धि नहीं कर सकता। आपने पहले ही भारत का एक बड़ा भाग चीन को दे दिया है। कृपया जब चीन की बात आए तो भारत के आत्मसम्मान को और त्यागने में योगदान न करें।

महोदय मैं दो मिनट में अरब की उथल पुथन के संबंध में बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं परमाणु संबंधी मामले के बारे में भी बोलना चाहता था क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती है जिसका हम सामना करते हैं महोदय क्या आप मुझे परमाणु मामले पर बोलने की अनुमति देंगे? ...*(व्यवधान)*

महोदय हम अरब देशों में जो देख रहे है, ऐतिहासिक दृष्टि से वास्तव में यह ओटोमन साम्राज्य के विनाश का परिणाम है। उस समय के राष्ट्र 1920 साम्राज्यवादी ब्रिटेन जो पेरिस में बैठकर, निर्णय ले रहा था रेत में सीमाएं बना रहा था। उसी तर्क हीनता ने अब अपना प्रबल स्वरूप दिखाना आरंभ कर दिया है।

महोदय, आज लीबिया को एक भारी ठंडा तूफान, हिंसा की शीतलहर प्रभावित कर रही है जिससे अरब देशों में लोकतंत्र रूपी बहार आने में विलंब हो रहा है, मैं नहीं जानता कि यह विलंब कितना समय और रहेगा। परन्तु वे सभी हमारे पड़ोसी हैं। अब यह प्रश्न नहीं रहा। आपके पास यह कहने का विकल्प नहीं है कि हम बहुत दूर है। आप दूर नहीं है। भारत के समक्ष प्रश्न यह उठाए जा रहे है कि क्या यह इजिप्ट है, बहरीन है न या लीबिया है क्योंकि विवाद के खतरों का मुख्य केन्द्र अब एशिया हो गया हैं। हमें उनका उत्तर देना ही होगा। मंत्री महोदय कृपया मुझे यह इंगित करने के लिए क्षमा करे कि आपको यह अधिकार नहीं है कि यह कहें कि हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो घटनाएं भारत में हस्तक्षेप करेंगी। मैं जो कह रहा हूं कृपया उसे स्वीकार करें। कृपया विचारपूर्वक तथा सावधानी से हस्तक्षेप करें क्योंकि आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते।

अपराह्न 3.00 बजे

साहिल पर बैठे-बैठे ही मझधार की बातें करते हैं। आप दूर बैठकर अरब में घट रहीं के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। मैं केवल दो मिनट, अलग, एक मिनट का समय नाभिकीय प्रश्न पर बोलने में लिए चाहता हूं।

आज यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम सभी को वैश्विक रूप से प्रभावित करता है। यह मेरी अपनी निजी राय है। यह मेरी पार्टी की राय नहीं है। मुझे इस बारे में अपनी पार्टी के साथी सदस्यों में बात करने का समय नहीं मिला लेकिन निजी रूप से मेरी यह राय है कि नीतिगत ढांचा, जिसे एनडीए ने 1998 में तैयार किया, में संशोधन करने की अत्यंत आवश्यकता है "क्योंकि स्थिति, जिसके लिए प्रथम प्रयोग कोई नहीं" अथवा "गैर परमाणु औजारों के विरूद्ध उपयोग नहीं है," न्यूनतम बल के समय विश्वसनीय निवारण वगैरह के बाद भी अनेक घटनाएं घटी है।" आप कल की नीति के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। हमें इसे संशोधित करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप जिसमें चाहे व्यापक विचार-विमर्श कीजिए परन्तु इस नीति को संशोधित कीजिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि यह किया जाना चाहिए। अब यह ज्यादा अच्छा नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका के विधानमण्डल से मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान के पास पहले से ही लगभग 110-110 नाभिकीय औजार (वारहेड्ज) हैं जो डिलीवर किए जा सकते हैं जबकि मुझे पता है कि भारत के पास 50-60 हीं है। संयुक्त राज्य अमरीका नहीं जानता है कि पाकिस्तान के नाभिकीय औजार कहां रहते हैं। इसके पास चीन और उत्तरी कोरिया से निर्यातित बेहतर डिलीवरी प्रणाली है ...*(व्यवधान)*

मंत्री साहब, समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी वजह से मैं अन्य यह सब बताया है। पिछले दो वर्षों से, मैं संयुक्त राज्य अमरीका के बड़े ही सम्मानित नागरिकों, डॉ. किसिंगर और राज्य के "ग्लोबल जीरो" प्रयास में सम्मिलित रहा हूं। यही नहीं मैं आगे बढ़ चढ़कर भी काम किया है और नाभिकीय अप्रसार और निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी एशिया न्यौसिफिक लीडरपिश नेटवर्क सदस्य बन गया हूं। यह एक बहुत ही जाने माने आस्ट्रेलियाई, मिस्टर गरेथ हइेन्स की महान पहल है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रश्न का समाधान साथ मिलकर करें, हम इसे तत्काल के हिसाब से हम करेंगे और हम इसे आज ही महत्वपूर्ण के रूप में हल करना है।

अब मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। इसके साथ ही मैं अपने हस्तक्षेप को समाप्त करता हूं। वास्तव में, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाने का मेरा कोई इरादा नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): इस बार, मैं समझता हूं दो मिनट नहीं बस एक मिनट ही ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिन्हः हां जी, हम रावीं सदी के दूसरे दशक में हैं। इक्कीसवी सदी की चुनौतियां हमारे आड़े खड़ी हैं। भारत के लिए अनिवार्य और प्रमुख चुनौती और विदेश नीति का प्रबन्धन इस सम्बन्ध में यह है। विदेश मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। मंत्री जी, आपने यहां कहा है कि जो कार्य आपको सौंपे गए हैं उनमें से एक भारत की सुरक्षा है। भारत की सुरक्षा आज बहु-आयामों हैं जैसे-जैसे हम इक्कीसवीं सदी के आगे बढ़ेंगे, आप देखंगे कि इक्कीसवीं सदी की चुनौतियां बीसवीं सदी के 40 के दशक अलग 50 के दशक अथवा पहले के वर्षों की लोक मान्यताओं से कतई मेल नहीं खाती हैं। इसलिए आज की ही नहीं बल्कि कल की चुनौतियों का भी

समाधान कीजिए। जब परमाणु का प्रश्न आता है तो कृपया हमें विश्वास में लीजिए क्योंकि ये महत्व के प्रश्न है, जैसा कि जायज आज प्रदर्शित करता है। यह मानवता के लिए वृहद महत्व के प्रश्न है। इसी बात के साथ मैं अपना हस्तक्षेप समाप्त करना चाहता हूं।

कटौती प्रस्ताव

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं; कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 104) में 100 रुपये कम किए जाएं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता प्राप्त करने हेतु कड़े प्रयास किए जाने की आवश्यकता। (1)

संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए सार्थक कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (2)

भारत-चीन सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (3)

तिब्बत के संबंध में चीन की गतिविधियों पर बारीक नज़र रखे जाने की आवश्कयता। (4)

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): उपाध्यक्ष महोदया, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के अवसर पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

विषय में जाने से पहले, मैं विशेष रूप से जापान में दुर्घटना के बारे में माननीय सदस्य हमारे विशिष्ट पूर्व विदेश मंत्री, द्वारा हस्तक्षेप की शुरुआत में व्यक्त की गई चिन्ताओं में अपने आपको सम्बद्ध करता हूं, जहां, मुझे विश्वास है, इस सदन के हम सभी उत्तरी चिन्ताओं से सरोकार रखते हैं और उस देश में आई महाविपदा और रोम में श्री आरिफ मोहम्मद खान और तर्की में श्री रमीन्दर जस्मल नामक हमारे दो विशिष्ट राजनयिकों की मृत्यु के बारे में उनके सन्दर्भ पर शोक व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें भली भांति जानता था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे समकालीन मुझे याद है कि तब श्री जस्सल से मेरा खूब वाद-विवाद होता था। दो उत्कृष्ट कूटनीतिज्ञों और लोक सेवकों का जाना हमारे देश के लिए भारी क्षति है। इसलिए मैं..., मैं सोचता हूं कि इस सदन की ओर से, श्री जसवंत सिंह द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं से सम्बद्ध करता हूं वे सभी हमारी भी चिन्ताएं हैं।

मैं अब हमारे समक्ष चल रहे मुद्दे पर लौटना चाहता हूं। यदि मैं यह कहूं, यह एक गैर-पुनर्संगठित अन्तर्राष्ट्रीयता गंदी व के रूप में नहीं बल्कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरूवनन्तपुरम से एक संसद सदस्या के रूप में जो केरल की राजधानी होने बावजूद अभी तक दो-तिहाई ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है; और एक संसद सदस्य के रूप में, इस सदन के हर किसी की तरह ही है जो हमारे देश की घरेलू हकीकतों का सामना कर रहा है मैं इस मामले को सम्बोधित करता हूं यदि मैं ऐसा कहूं, जब श्री जसवंत सिंह मंत्रालय के आड़े आए हीं अवधारणात्मक चुनौतियों के बारे में कहा करते हैं, मेरे विचार से, प्रथम अवधारणात्मक चुनौती, जिसे हम सभी को हल करने की जरूरत है, इस बहुत ही सरल प्रश्न का उत्तर देना है: हमारी विदेश नीति किसलिए है?

अपराह्न 3.06 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन* हुए]

स्पष्ट रूप से, यह भारतीय जनता की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाने के लिए है। परन्तु, स्पष्ट शब्दों में कहें तो हमारी एक नीति हो जो असाधारण समय में भारत के घरेलू व्यापक परिवर्तन एक ऐसे समय में जब हम इसे वैश्वीकृत और अन्तर-निर्भर विश्व में अपना विकास करने का प्रयास कर रहे है को सुकर बनाए। हम असाधारण चुनौती का सामना कर रहे हैं वह चुनौती है अपने देश की जनता की गरीबी के गर्त से बाहर निकालने की और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने की, भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने की जिसकी कामना इस सदन में बैठे हम सभी साथी करते हैं। हम इसे विश्व के साथ हमारे संबंधों के माध्यम से कर सकते हैं। हमें स्पष्ट रूप से अपनी सरकार, अपने नेताओं से एक वैश्विक वातावरण सृजित करने की आवश्यकता है जो हमारी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी विदेश मंत्रालय में दीर्घावधिक सरोकार है। जिसमें भारत सरकार की सामरिक स्वायतत्ता हो, अपने स्वयं के निर्णय करने का अधिकार की स्वायतत्ता। जब विश्व के नेता पूंछते हैं "आप हमारे साथ हैं, *या हमारे विरूद्ध?*" हम उन्हें दो टूक जवाब देते हैं "हां, हम आपके साथ है जब हम आपसे सहमत हैं, हम आपके विरूद्ध हैं ताकि हम आपसे असहमत है।" सामरिक स्वायतत्ता वैश्विक मामलों में हमारे आचरण की आधार शिक्षा है क्योंकि हम प्रमुख रूप से अपने और अपने देश की जनता के लाभ में रूचि रखते हैं।

विश्व की प्रमुख शक्तियों से हमारे सम्बन्धों में यह झलकना चाहिए। वास्तव में, हमें इस विशेष आर्थिक सन्दर्भ में जिसका सामना हमारा देश कर रहा है, उन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। हमें उन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। हमारे उन देशों के साथ जिनसे पहले से नहीं है अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए जो भोजन और जल के महत्वपूर्ण स्त्रोत हो सकते है। इसीलिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब विश्व में बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर देश रहे हैं तो हम तात्कालिक अपने सम्बन्ध समर्पित कर सकते हैं। जब हम यूनाइटेड स्टेटस अर्थात अमेरिका की ओर देखते हैं, उदाहरणार्थ, तो हम इस बात के महत्व को कैसे नकार सकते हैं कि सिविल-परमाणु करार हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्णता पड़ाव है? जब हम चीन की ओर निहारते हैं–मैं इस मुद्दे पर आऊंगा उस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए जो माननीय सदस्य को कहा–हम इस तथ्य को कैसे नकार सकते हैं कि यह देश, जिसके साथ हमने एक युद्ध तकरीबन पाच दशक पहले लड़ा था, अब हमारा सबसे बड़ा एक मात्र व्यापारिक साझेदार है? जब हम खाड़ी की ओर देखते हैं और अरब जगत में हो-हल्ले की ओर नजर दौड़ाते हैं–जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, तो हम इस तथ्य को नजर अंदाज कैसे कर सकते हैं कि वे सामुहिक रूप से तेल और गैस इस देश की ऊर्जा सुरक्षा के 70 प्रतिशत से ज्यादा के लिए जिम्मेदार हैं? जब हम विश्व के अन्य भागों की तरफ दृष्टि डालते हैं तो हमें उन क्षेत्रों की चिनता करनी होगी जहां से हमारा भोजन आता है जिससे हमारे देश में हमारे बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की बेहतर पोषण और अपेक्षाकृत और अधिक भोजन की मांग जो हमारे देश की माटी उपज से पूरी नहीं हो पाएगी। हमें जल के स्त्रोतों के लिए अपने पड़ोसियों की ओर देखना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा देश यह सुनिश्चित करने के लिए कौशलपूर्ण कूटनीति करता है ताकि जल के वे स्त्रोत बाधित न हों।

विश्व के साथ हमारे संबंध, सभापति महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं, वे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनसे पिछले दशकों में हमारी अबतक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर परिलक्षित होती है। यदि हमारी कोई विदेशी नीति पिछले कुछ वर्षों में नहीं होती जिसने इन चिन्ताओं का समाधान नहीं किया जाता तो हमें आज यह बोलने का मौका नहीं मिलता कि हमने इतनी प्रतिशत वृद्धि अर्जित कर ली जिसके बारे में यह सदन गर्व करता है जो उचित है।

परन्तु हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने पर श्री, सभापति महोदय, हमारे सम्बन्ध इनमें से प्रत्येक राष्ट्र के साथ अपेक्षाकृत और जटिल हैं और वे उन्हें हितों की जो संकीर्ण व्याख्या की गई हैं उससे परे सोचना होगा। आखिर, अन्य देशों के भी अपने हित हैं। इसमें कतिपय सौदेबाजी, एक प्रकार का लेन-देन हो वास्तव में, हम जानते हैं अपनी भावी आवश्यकताओं के लिए हमारे दैनिक जीवन में मित्र बनाने का महत्व कितना है। और हमें महत्वपूर्ण देशों से मित्रता करनी चाहिए इससे पहले कि जब हमें उनकी वास्तविक तौर पर जरूरत पड़े और उस मित्रता का दोहन हमारी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।

इसलिए, मानवीय सदस्य का यह सुझाव देना कि यूएस इस देश में नीति बनाता है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तथ्य कि हमारे एक देश के साथ मधुर सम्बन्ध हैं जो अभी भी विश्व की एक मात्र सर्वेसर्वा शक्ति है, यद्यपि यह एक विशेषण है जिसके बहुत जल्द खोने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कुछ है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। कि विश्व में इतने महत्व वाला देश भारत के साथ अपने सम्बन्धों के महत्व देता है ऐसी बात है जो कि, हमें अपने हिसाब से स्वीकार करनी चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं।

महोदय, मानवीय सदस्य ने विकलीक्स से खूब उद्रण दिए जो अनिवार्यतः ऐसी बातचीत है जिसमें अमेरिकी शामिल हैं जो अपने देश को सूचना दे रहे हैं। वह जानते हैं, मंत्रालय में अपने अद्वितीय कार्यकर्ता के बाद, ऐसे दस्तावेजों को स्त्रोत रूप में लेने के जबरदस्त सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे रिपोर्टिंग पक्ष रखते हैं। दूसरे, वे सूचना संदर्भ के परे हैं वे उन नीति निर्माताओं को उपलब्ध सूचना को भी पूरी तरह से पेश नहीं करते हैं जिन्हें यह केवल माध्यम से मिली है। तीसरे, वे स्त्रोतों से अन्य अनुपूरक सूचनाओं जिनके बारे में वे बात कर रहे होते हैं, को मिटाते है। उदाहरण के लिए, यदि एक यूएस राजनियक एक भारतीय अधिकारी के साथ बातचीत का उदद्धरण देता है, तो वह, अन्य यू एस अधिकारियों को प्रस्तुत अन्य भारतीय अधिकारियों के विचारों को कम से कम प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसलिए अत्यधिक सम्मान के साथ, मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह लीकड़ केबल्स, के संकलाव, जो कि चुनिंदा और सीमित हैं, को ज्यादा महत्व न दें।

लेकिन कुछ समय के लिए अवधारणात्मक चरण पर रहने के लिए चूंकि माननीय सदस्य अपने अवधाारणात्मक चिन्ताओं से अवगत कराया, जिसमें हम रहते हैं, सभापति महोदय, एक ऐसे संसार में जो जबरदस्त विरोधाभासों से पूर्ण हैं। प्रथम यह है कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां वैश्वीकरण की शक्तियों ने हमें पहले से कहीं और अधिक नजदीक ला दिया है और साथ-ही-साथ हिंसा और आतंकवाद की ताकतें हमें पहले से कहीं अधिक असर कर रही हैं। इसलिए विघटनकारी और सम्मिलन की दोहरी ताकतें वास्तविक हैं जिनमें हमारी सरकार को सध कर चलना है।

इसके अतिरिक्त, हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। शीत युद्ध के समाप्त होने और द्विध्रुवीय विश्व के टूटने के साथ जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को अपने दोनों खेमों के बीच में बांटा और एक महाशक्ति का अलग-अलग नेतृत्व किया जिसके एकध्रुवीय विश्व के दो दशक चले, अनिवार्य रूप से, एक मात्र महाशक्ति जिसका विश्व में बोलबाला रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका थी, अब हम बढ़ते हुए बहुध्रुवीय विश्व में उस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। हम अभी तक वहां नहीं है। अब तक, चीन का उत्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। परन्तु हममें से कुछ ज्यादा पीछे नहीं हैं। भारत, ब्राजील, रूस और अन्य देश जैसे दक्षिण अफ्रीका, शायद को भी महत्वपूर्ण देशों के रूप में पहचाना जाएगा जो अपने आप में ध्रुव हैं यदि वैश्विक मोर्चे पर नहीं तो कम से अपने क्षेत्रों में तो है हीं।

इतिहास से हमें इस बात का पता चलता है कि विकासशील बहुध्रुवीय प्रणाली के द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय प्रणाली की तुलना में अधिक अस्थायी होने की संभावना है तथा मुझे ज्ञात है कि माननीय सदस्य विशेषकर सामरिक सिद्धान्त के इतिहास से अच्छी तरह अवगत हैं। विशेषकर जबकि हम एक उभरती हुई शक्ति हैं और दूसरे हमें इस तरह उभरते नहीं देखना चाहते तब हमारे मंत्रालय को इस परिवर्तन के दौर से इस प्रकार अपनी यात्रा तय करनी है जिसमें हमारे देश की आवश्यकताओं के प्रति सजगता भी हो। विश्व में भारत की भूमिका बदल रही है। इसमें स्पष्ट एवं व्यापक परिवर्तन उन्हीं दिनों से आ रहे हैं जब हमारी विदेश नीति के आधार रखे गये थे। मैं मानता हूं कि इस पर मैं माननीय सदस्य के साथ किसी प्रकार असहमत नहीं हूं।

हमारी नयी आर्थिक स्थिति इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारे हित विविध प्रकार के हैं, यह स्पष्ट है कि कुछ समय पूर्व की तुलना में आज हमारे हित में वैश्विक व्यापकता है। हमसे अन्य देशों की अपेक्षाएं बढ़ रही है, हमारे पड़ोसी छोटे देशों की अपेक्षायें भी बढ़ती जा रही हैं और यहां तक कि सुदूर स्थिति अफ्रीका भी हमारी तरफ से सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा कर रहा है। बड़े देश हमारी तरफ इस आशा से देख रहे हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी का कुछ भार वहन करें। वास्तव में इसके अलावा वैश्विक मंच पर वैश्विक समान हितों के प्रबन्धन की भी अत्यावश्यकता है। इन सबसे भारत के प्रति न केवल महत्वपूर्ण बदलाव परिलक्षित होता है अपितु इसमें हमारे देश के लिये महत्वपूर्ण अवसर भी हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिये।

चाहे जिन भी ऐतिहासिक परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता उत्पन्न हुई हो, उसका परित्याग किये बगैर हम बहुपक्षीय होने के साथ गुट निरपेक्षता को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र जी-20 एक वैश्विक निकाय और आप चाहे तो इसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक कुलीन निकाय भी कह सकते हैं, साथ-साथ सक्रिय है।

हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और लोकतंत्र सम्मेलन में सक्रिय है। हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) और राष्ट्रमंडल में सक्रिय हैं। हम रूस-भारत-चीन आरआईसी तथा इसमें ब्राजील को मिलाने से बीआरआईसी बनता है के अंग है, अब हम आईबीएसए अर्थात भारत-ब्राजील-दक्षिण अफीका अन्तर्वन्धन के सदस्य हैं तथा एक वर्ष पहले कोपेनहेगन में हमने देखा कि बीएसएसआईसी का उद्‌भव हुआ था। इन रूप में सबसे महत्वपूर्ण यह देखना है कि भारत ही वह देश है जो सबमें में मौजूद है। हम इन सभी बदलावों के आधार में है। यह कल्पना की बात नहीं है कि वास्तव में हमें पूर्वी एशिया का एक देश माना जा सकता है और हमें इसी प्रकार की भूमिका पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन में भी दी गई है।

सभापति महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश की विदेश नीति में निपुणता रही है, लचीलापन है और यह विश्व की नयी व्यवस्था की नयी मांगों के प्रति अनुकूलनशील रही है तथा यह इस प्रकार से नयी जिम्मेदारियों और चुनौतियों को संभालने में सक्षम रही है।

मेरे विचार से हम अब शायद लगातार वैश्विक मंच पर अपनी सामरिक स्वायतत्ता के प्रति अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने प्रति यह विश्वास पैदा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम वैश्विक नियम बनाने में योगदान देने में सक्षम हैं और एक दिन हम उनके प्रवर्तन में भी सहयोग दे पाएंगे। विश्व में अपनी स्थिति के बारे में मुझे ज्ञात है कि यह हमारी नीति की अवधारणात्मक दृष्टि है। कि हमारा देश अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर ऐसा कर सकता है तथा इस सभा की राजनीतिक आंकाक्षा भी यही है।

सभापति महोदय, इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हमने गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में कुल पड़े 190 मत के मुकाबले 187 के रिकार्ड अन्तर से भारत को चुनाव जीतते देखा है जो विदेश मंत्रालय की एक बड़ी जीत है मतों का यह अन्तर, यह विजय यह दर्शाती है कि विश्व में भारत का कितना सम्मान है। इसी के साथ अन्य देशों में भी चुने गये और कुछ तो शायद आर्थिक दृष्टि से हमसे बहुत शक्तिशाली हैं फिर भी उसमें से किसी को उतने मत नहीं मिले जितने हमें प्राप्त हुये। केवल यही नहीं, इस वर्ष के शुरु में हमें संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिये चुना गया था जो पुनः

हमारी विशेषज्ञता क्षमता और उस एकनिष्ठ लक्ष्य के प्रति हमारे साफ सूथरे कि हम सबको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, को पहचान प्रदान करता है।

सभापति महोदय, सुरक्षा परिषद का उल्लेख करते समय हमें सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करने में मंत्रालय द्वारा की गई वास्तविक प्रगति का उल्लेख करना है। मेरा मानना है कि हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा परिषद का गठन 1945 की भू- राजनैतिक वास्तविकताओं को बिम्बित करता है न कि 2011 की इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन की मांग हमारे द्वारा किये जाने की आवश्यकता है और विदेश मंत्रालय में हमारे सहकर्मी इन परिवर्तनों को अत्यंत दृढ़ता एवं बुद्धिमानी से आगे बढ़ा रहे हैं। सभापति महोदय, हम सुरक्षा परिषद के तथाकथित अस्थायी (ओपनइन्डेड) कार्य दल से दूर पर्याप्त रूप से दूर हटे हैं जो स्थायी (नेवर इंडिंग) कार्य दल बना हुआ था। हम महासभा की परिपूर्णता की दिशा में बढ़े हैं तथा भारत ने उस प्रक्रिया के सुगमकर्ता, अफगानिस्तान को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि वह प्रारूप संकल्प लाये जो विचार-विमर्श को ठोस दिशा में आगे बढा सके। मेरे विचार से हम इससे प्रसन्न होंगे। वास्तव में हमें पता है कि इतना आसान नहीं होगा। इसमें समय लगेगा। सुरक्षा परिषद में सुधार उस बीमारी की तरह है जिसमें सभी चिकित्सक रोगी के पास में एकत्रित होते हैं, निदान पर सभी एकमत हैं लेकिन वे नुसखे पर सहमत नहीं होते हैं। यदि हम सभी सहमत भी हों कि निदान यह है कि मरीज को इलाज की जरूरत है तो इसका नुसखा होगा कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव को दो तिहाई मत से पारित करे अर्थात 192 में से 128 देश इसके पक्ष में मत दें। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों की संसदों द्वारा इसकी अभिपुष्टि होनी है क्योंकि अभीपुश्टीकरण एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें पांच वर्तमान स्थायी सदस्यों की संसद भी सम्मिलित हैं। इसका अर्थ है कि आपको एक ऐसे सूत्र की आवश्यकता है जो विश्व के दो तिहाई देशों को स्वीकार्य हो और साथ ही उन पांच बड़े देशों को अस्वीकार्य नहीं हो जिनका प्राधिकार कम करने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसलिये यह इतना कठिन एवं दुर्गाहय हो गया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रगति हो रही है और हमें विदेश मंत्रालय को इस दिशा में प्रयत्न करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के मुद्दों संबंधी बड़े मंच पर उसका उपयुक्त स्थान मिल सके। मेरा तर्क है कि यही बात तथाकथित 'ब्रेटॉन बुड्स इंस्टीट्यूशन्स', विश्व बैंक, आईएमएफ के बारे में भी सत्य है जहां हमें मतदान प्राधिकार के अधिभार को अन्यत्रा अन्तरित करने में और धनी एवं विकसित देशों को दिये गये मतदान अधिकार को तथाकथित परिवर्तन के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों एवं विकसित देशों की तरफ अन्तरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। अब ऐसा विश्व संभव नहीं है जिसमें ये संस्थाएं वजूद में हो मानो वे गरीबों की आर्थिक अक्षमता का पर्यावेक्षण करने के लिए अमीर देशों के इच्छाओं में प्रतिबिम्बित करती हैं। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि शायद पश्चिमी जगत की अर्थव्यवस्थाओं को भी हमारे कुछ पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। समस्या का जन्म वहां हुआ और मैं समझता हूं कि अनेक देश, जिन्होंने इस वैश्विक आर्थिक संकट में अपने अस्तित्व को बचाए रखा है, विकासशील जगत के देश हैं। शायद यह एक सबक है जिसे हम अमीर देशों को सिखा सकते हैं।

इस अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका, जिसे हमें निभाना चाहते हैं, की जड़े हमारे आजादी के समय के क्षणों में छिपी हैं, वे पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रसिद्ध "नियति से मिलन" भाषण में छिपी है जो आधी रात को उन्होंने दिया था जब हमारा देश वजूद में आया। यह इसलिए है क्योंकि जब ऐतिहासिक क्षण गवाही दे रहा था उसी समय बंटवारे की लपटें, आग हमारे देश की माटी पर धधक रही थी, नेहरू जी ने उस भाषण में अपने सपनों के महत्व के बारे में बताया जो न केवल भारत अपितु समस्त विश्व के बारे में था। क्योंकि उन्होंने कहा था, और मैं यादकरके बता रहा हूं, कि विश्व के सारे राष्ट्र एक साथ एकाट्य रूप से आबद्ध हैं और कि शक्ति की समस्याओं का बंटवारा नहीं किया जा सकता है जैसा कि वास्तव वे समस्याएं और चुनौतियां, जो विश्व में आज सामने आ रही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती है। परन्तु यह एक महान राष्ट्रवादी की विशिष्टता थी, और वह साथ-साथ एक विश्ववादी थे, जिन्होंने एक ऐसे भारत के बारे में बोला जो जिम्मेदार भारत का और विश्व में अपने स्थान के बारे में जानता था। मैं समझता हूं कि वह महान परम्परा जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है यह है जिसे कि हमें आज की बदली हुई परिस्थितियों में आगे ले जाना है। विश्व की व्यवस्था को पुनः से डिजाइन करने की आवश्यकता है जिसे उन्होंने आजादी के समय भांप लिया था। वैश्विक शासन एक बहु प्रचालित शब्द है जिसके बारे में हर कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बात करता है। उस वैश्विक शासन को सार्थक बनाने के लिए भारत को अपनी योग्य भूमिका निभानी होगी। यह आश्चर्यजनक बात है कि जिसे सारा विश्व स्पष्टरूप से देख रहा है कि क्योंकि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष हम एक मात्र ऐसे देश बने, मुझे लगता है वास्तव में विश्व में एक अन्य देश जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा सभी पांच स्थायी सदस्य देशों के नेताओं ने भारत की यात्रा की। हमारे यहां चीन के नेताओं, अमेरिका, फ्रान्स और रूस सभी देशों के नेता आ रहे हैं, जो एक झलक है, ऐसा मुझे लगता है, कि हम विश्व का भविष्य निर्धारित करने में हम कितने महत्वपूर्ण हैं।

मैं जरा परेशान था जब माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा पड़ोसी इतना परेशान हालत है जितना कि वह पहले कभी नहीं था। मैं सम्मानपूर्वक सुझाव देना चाहता हूं कि तीन या चार वर्ष पहले ही, हम कह सकते थे कि पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान है। उस समय, श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, बंगलादेश अभी अभी एक सैनिक शासन से उबरा था जिसने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जेल में डाल दिया था, मालद्वीव एक गंभीर संकट में आ फंसा जब एक दीर्घकालिक प्रेसीडेन्ट जेल गये, नेपाल वास्तव में हाल ही में माओवादी विद्रोह से उभर रहा था। भूटान में परिवर्तन हो रहा था पूर्ण राजतन्त्र से संवैधानिक राजतन्त्र की ओर, अफगानिस्तान गृह युद्ध की चपेट में था और पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टों की हत्या हो चुकी थी। ये सब वे परिस्थितियां थी जिनका सामना भारत ने अपने नजदीकी अस्थिर पड़ोसी के रूप में किया। मैं तर्क देता हूं, सभापति महोदय, कि चाहे जो है, पड़ोस हमारे लिए आज बहुत बेहतर, आज परिस्थितियों सकारात्मक रूप से कहीं अधिक बेहतर हैं। बंगलादेश में हमने एक प्रजातान्त्रिक सरकार के चुनाव को देखा है जो भारत के लिए सुभीते की बात है और वह देश हमारे साथ सहयोग कर रहा है। श्रीलंका में, हम देख चुके हैं पाशविक गृह युद्ध की समाप्ति और जनता के राजनीतिक अधिकारों और प्रक्रिया का विशेषरूप से श्रीलंबन की तमिल जनता में धीरे-धीरे से बहाल होना जिनका उस समाज ने एक सम्मानित स्थान होना ही चाहिए। मालद्वीव में, पूर्व असंतुष्ट नेता जो जेल में थे अब उस देश के प्रेसीडेन्ट चुने गए हैं, और उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता है भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध।

हां जी, अन्य में से जिनको मैंने सूचीबद्ध किया, कुछ देश महत्वपूर्ण परिवर्तन के पड़ाव पर हैं, परन्तु भूटान के अपने परिवर्तन को बड़ी खूबी से संभाला है। और सबसे बढ़कर भूटान की जलविद्युत क्षमता के विकसित करने में हमारे योगदान के आश्चर्यजनक लाभ मिले हैं भूटान और हमें दोनों को ही के लाभ मिले हैं। हमें बिजली मिलती है परन्तु भूटान ने जैसा आप जानते है, सभापति महोदय, अपने सफल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि माने में सफलता प्राप्त की। बिजली के उत्पादन ने अब पर्यटन के बाद भूटान की जीडीपी एक मात्र सर्वाधिक बड़ा योगदान करने वाला क्षेत्र कर दिया है। मैं समझता हूं, हमें इस देश में इस योगदान का कुछ श्रेय लेना चाहिए और विदेश मंत्रालय से भी श्रेय जाता है।

नेपाल, मैं समझता हूं, हम सभी हम मुद्दे के महत्व को समझते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी इसे कहा है। इसके लिए अनवरत प्रयास की जरूरत है, और मेरा विश्वास है कि यह मंत्रालय और यह सरकार उस अनवरत प्रयास के करने का माद्दा रखते हैं। कोई समस्या नहीं है, तथापि, कि इस देश में कोई भी, इस सदन के कोई भी किसी भी तरह आप क्या कहते हैं हमें, हां, नेपाल की सेना का "माओवादीकरण नहीं है। मैं समझता हूं, शायद ही कोई यह सुझाव देगा कि भारत सरकार अथवा विदेश मंत्रालय की नीतियां किसी तरह उस निष्कर्ष पर पहुंचे। यह कतई साफ है कि इस परिणाम को हम, इस देश में, सहन नहीं करेगे।"

अफगानिस्तान, वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अफगानिस्तान एक चुनौती है, सभापति महोदय जिसके विरुद्ध हम खड़े हो रहे हैं। हमने 1.2 विलियन अमेरिकी डालर व्यय किए हैं और वह विश्व में किसी देश के लिए हमारा एक मात्र सबसे बड़ा आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। हमने इस संघर्षशील पड़ोसी के लिए दो बिलियन डॉलर का वजट बनाया है। हमने इसका व्यय समझदारी से किया है। इसे सैन्य कार्यकलापों पर खर्च नहीं किया गया है। इसका व्यय ऐसे आवश्यक कार्यों पर किया गया है जैसे कि दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में बनाने के लिए एक सड़क जिससे अफगानिस्तान ईरान के साथ सीधे व्यायाम कर सकेगा और उसे सिर्फ पाकिस्तानी रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका व्यय 3000 मीटर ऊंचे बिजली के तार के निर्माण के लिए किया गया है जो सच पूछिये तो उजबेकिस्तान से काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। इसलिए, काबुल, आज 24 घण्टे, सप्ताह में सात दिन बिजली पा रहा है, वह भी भारतीय इंजीनियरों के कारण।

इसे व्यय किया गया है जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य अस्पतालों के पुनरूद्धार पर, बालिकाओं के लिए विद्यालयों के निर्माणकार्य पर, और आज अफगानिस्तानी संसद के निर्माण की प्रक्रिया में, जो हम आशा करते हैं अफगान प्रजातन्त्र का प्रतीक होगा और प्रतीक होगा अफगानिस्तान के भविष्य को बनाने में अफगानी जनता को भारत के समर्थन करने के दृढ़ संकल्प इसी सब के साथ मैं समझता हूं, खतरा जो व्यक्त किया गया है अनावश्यक है। मैं पाकिसतान पर आऊंगा जिस पर मैं समझता हूं, हमने बहुत कम बोला और इस सदन में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, परन्तु जिसे बताए जाने की आवश्यकता है। लेकिन काश यदि मैं थोड़ा ही उल्लेख कर पाता कि शायद हमारे निकट पड़ोस में की जा रही प्रगति के सर्वोत्तम प्रतीक कोई राजनीतिक प्रयास नहीं है। यद्यपि मंत्रालय सम्मिलित है, परन्तु दो शैक्षणिक प्रयासों में एक दिल्ली में दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय का निर्माण जिसे हमारे उप-महाद्वीप के विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा और बिहार में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना जो एक विश्वविद्यालय का पुनरूद्धार करेगा जिसमें 8वीं शताब्दी ए डी तक चीन, जापान, कोरिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। विदेशी राष्ट्र भारत में तब अपने विद्यार्थी भेजते थे जब आक्सफोर्ड अथवा कैम्ब्रिज अथवा हार्वर्ड का कोई अता पता भी नहीं था। नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनः बनाकर हम उस सत्ता को पुनः

जीवित करने में सक्षम होंगे और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में एक बार पुनः स्थापित होंगे।

लेकिन जब हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं, सभापति महोदय, वास्तव में, वह एक महत्वपूर्ण चिन्ता है। हमारे माननीय सदस्य, पूर्व विदेश मंत्री ने इसका उल्लेख किया। हम एक ऐसे राष्ट्र के साथ रह रहे हैं जो निःसंदेह हमारे समक्ष अपनी आन्तरिक व्यवस्था के कारण बड़ी चुनौतियां पेश करता है। हमारे देश, भारत में, देश की एक सेना है। पाकिस्तान में, सेना का एक राष्ट्र है।

बात यह है कि पाकिस्तान में आप देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती नहीं होते हैं देश को चलाने के लिए आप सेना में भर्ती होते हैं। आप सेना में सेवा करने के लिए ही भर्ती नहीं होते हैं बल्कि आयात-निर्यात करने के लिए, पेट्रोल पंप चलाने, रीयल एस्टेट अर्थात सम्पत्ति कारोबार चलाने के लिए, विश्वविद्यालयों के प्रमुख बनने और नीति निर्धारक सभी सेवा अधिकारियों के नियंत्रण में होते हैं। उस देश पर सेना की वेजा दबंगई है और मिलिट्री द्वारा समाज पर दबंगई की जाती है। यह एक ऐसी चीज है जो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। विश्व में कहीं भी कोई सेना नहीं है जिसमें उस देश के सकल घरेलू उत्पाद का वृहतर हिस्सा हो अथवा उस देश की सरकार का नियमित बजट में भी उतना हिस्सा नहीं है जितना कि पाकिस्तान की सेना का।

इसलिए, ऐसे अप्राकृतिक और अनअनुपातिक प्रभाव का औचित्य सिद्ध करने के लिए, पाकिस्तान को दुर्भाग्यवश एक शत्रु—और सही कहें तो दो राज्य उसे दोनों तरफ से एक-एक शत्रु की जरूरत है, परन्तु और नहीं तो सचमुच हममें एक शत्रु खोजते हैं यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे विश्वास है, इस सदन के किसी पक्ष के सुधीजन, पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहेंगे। हम अपने इतिहास को भूल नहीं सकते हैं और हम अपने भूगोल को निश्चित तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा निकट पड़ोसी है और पाकिस्तान की सच्चाई उतनी ही सही है जितनी कि हमारे शरीर में चुभा हुआ एक कांटा। यह कहने के बाद, मैं थिम्पू के संबंध में व्यक्त भावना और बातचीत करने के निर्णय के बारे में माननीय सदस्य द्वारा मंत्रालय से प्रश्न किये जाने की बात पर असहमत हूं। सीधी रखी बात है कि बातचीत न किया जाना कोई नीति नहीं है।

मुंबई पर 26/11 के हमले से उत्पन्न भयावह स्थिति के तुरन्त पश्चात, आतंकवादियों, जो हमारे देश में इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न करने आये थे, पर नियंत्रण रखने की उस निर्वाचित सभ्य सरकार की असफलता पर अपनी गहन चिंता एवं दुःख व्यक्त करने की बात ठीक एवं उपयुक्त थी। उस स्थिति में, बातचीत बंद कर देना ठीक ही था और वास्तव में, पाकिस्तान के पेमास्टटों दोस्तों आदि जैसे अन्यों पर दबाव डालते हुये इस बंद बातचीत को लाभ के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना ठीक था, ताकि उनके अपने राजनैतिक प्रभाव को पाकिस्तान पर इस ढंग से बताया जा सके कि वह भारत की आशाओं पर खरा उतरे। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका महत्वपूर्ण आरंभिक प्रभाव पड़ा क्योंकि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के अत्यधिक गुस्से और अन्य देशों की ओर से भारत के लिये सहानुभूति ने पाकिस्तान में इस बार कुछ प्रारंभिक पहलों में योगदान दिया। जकीर-उर्र-रहमान लखवी और उसके छह सह-षडयंत्रकारियों को हिरासत में लिया जाना निश्चय ही इसी दबाव का नतीजा था।

सभापति महोदय, किंतु अब स्थिति यह है कि बातचीत न किये जाने की नीति के परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। घटते प्रतिफल का युग काफी लंबे समय से आरंभ हो चुका है। वास्तव में इससे हमें लाभ में रहने की स्थिति का भ्रम है जो इस खतरनाक वास्तविकता को छिपाता है कि बातचीत न किये जाने से अब हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे विचार में, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को मान लें कि अपने पड़ोसी से बातचीत करने से इन्कार करने, जबकि वह हमारे साथ बातचीत करने एवं सहयोग करने का इच्छुक है, से शेष विश्व की नजरों में हमारी सिर्फ हठधर्मिता एवं अभद्रता वाली छवि बन रही है तथा इससे हमें कोई ठोस लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

अतः, मैं मंत्रालय और प्रधान मंत्री द्वारा इस संवाद को पुनः आरंभ किये जाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता हूं। समस्या यह नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि हम क्या बातचीत करते हैं और कब करते हैं। मुझे आशा है कि हमारा विदेश मंत्रालय हमारे राष्ट्र की सुरक्षा एवं सम्मान से संबंधी इन मुद्दों, जिन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, पर कड़ा रुख अपनायेगा, जिससे कि हम पाकिस्तान से यह मांग कर सकेगे कि वह अपनी धरती पर उन लोगों जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, की गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में बेहतर रवैया अपनाये, साथ ही, पाकिस्तान से यह मांग की जायेगी कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन संकल्पों का अनुपालन करे जोकि आतंकियों की घुसपैठ अथवा आतंकियों को वित्त मुहैया कराये जाने उन्हें हथियार उपलब्ध कराये जाने जैसे कृत्यों, तथा साथ ही, उकसाये जाने की प्रवृत्ति को निषिद्ध करते हैं। यदि श्री हाफिज सईद लोगों के विरूद्ध आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नहीं उकसा रहे हैं तो फिर वे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? मुझे निश्चय ही आशा है कि हमारा मंत्रालय इन संकल्पों का अनुपालन किये जाने तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय

एवं हमारी आशाओं पर खरा उतरने की नितान्त आवश्यकता के चलते इन बातचीत में शामिल होने बाबत आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मूल रूप से हम पहले ही से एक शक्ति हैं। हमारी कामना है कि हमें हमारे विकास के मार्ग में आगे बढ़ते रहने दिया जाये। हम सैन्य साहसिक कृत्यों में ही नहीं लगे रहना चाहते। मैं माननीय सदस्य, जो अभी बोल, रहे थे, के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये कहना चाहूंगा कि हठधर्मिता अथवा टकराव का मार्ग हमें ऐसी किसी स्थिति पर नहीं ले जा पायेगा जिस पर हमें पहुंचने की आवश्यकता है। जहां से मैंने आरंभ किया था वहीं पर वापस आकर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा प्रमुख दायित्व हमारे देश का घरेलू परिवर्तन, हमारे देश का विकास, देश के लोगों के निर्धनता से मुक्ति दिलाना है तथा यह कार्य एक शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखकर एवं लोगों से तब तक बातचीत करके जब तक वे बातचीत को तैयार हैं, सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं।

निस्संदेह मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पतली बर्फ पर स्केटिंग कर रहा है। किन्तु जब पाकिस्तान पतली बर्फ पर स्केटिंग कर ही रहा है तो क्या हमें उस बर्फ में छेद कर देना चाहिये या हमें वास्तव में उसकी उस बाबत सहायता करनी चाहिये कि वह इस बर्फ से उतरकर स्केटिंग कर पाये? क्या हमें वास्तव में ही समूचे उप-महाद्वीप पर असमान हाव-भाव बनाते रहने का अपना दृष्टिकोण-जारी रखना चाहिए? आप सभी को मालूम ही है कि कई वर्ष पहले एक घटना हुई थी जिसमें कृत्य करने वाली यह यूपीए सरकार नहीं थी बल्कि तथाकथित संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जिसने पाकिस्तान को सर्वपसंदीदा राष्ट्र व्यापार स्थिति प्रदान की थी जिसका आज तक बदला नहीं उतारा गया है किंतु इस स्थिति को एनडीए सरकार द्वारा बनाकर रखा गया है; इसे यूपीए सरकार द्वारा बनाकर रखा गया है तथा यह भारत की ओर से उदारता है तथा मेरे विचार में यह कहा जा सकता है कि इसे सभा के सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही एक प्रकार की नीति है जिसका उत्तरवर्ती सरकारों ने समर्थन किया है, तथा इसके जरिये पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाल बढ़ाया है तथा ऐसा इसलिये नहीं है कि पाकिस्तान इसके लायक है बल्कि इसलिये है क्योंकि हमारे लिये यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं के काबिल बने।

मैं चीन के संदर्भ में बात करना चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य को उस बारे में कुछ बातें जरूर कहनी थी। मैं उनकी कही बात का पुनः उल्लेख करना चाहता हूं कि, "आइये चीन की वास्तविकता को जान लें, पहचान लें।" मैं 1962 की त्रासदीपूर्ण लड़ाई के दौरान देश के सम्मान की खातिर बतौर एक सेनानी लड़ने की उनकी सेवा का बहुत गहन आदर करता हूं। किंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 2011 के चीन की वास्तविकता 1962 की वास्तविकता नहीं है। तथ्य यह है कि आज का चीन एक ऐसा देश है जिसके साथ हमने विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 51 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। इस माह के अन्त तक, यह आंकड़ा इस वित्तीय वर्ष में 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, और चीन के प्रधानमंत्री यहां आए हैं और उन्होंने कहा है यह 2015 तक 100 बिलियन डॉलर हो सकता है। उस चीन की बात कर रहे हैं जहां वर्तमान में 7000 भारतीय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि 1962 में एक भी विद्यार्थी नहीं था। हम उस चीन की बात कर रहे हैं जो हमारे तीर्थयात्रियों को कैलाश एवं मानसरोवर की यात्रा करने की अनुमति दे रहा है। हम उस चीन की बात कर रहे हैं जिसने भारतीय कंपनियों को शंघाई एवं हुआस्ट्यू में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है तथा वास्तव में, चीन की कंपनियां भी भारत में आने और विद्युत क्षेत्र में परियोजनाएं कार्यान्वित करने एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने और साथ ही उपभोक्ता वस्तुएं प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं।

अतः, यह सब चीन से हो रहा है और मेरे विचार में यही वास्तविकता भी है जिस पर हमे ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आत्मतुष्ट हो रहे हैं। हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि हमारा चीन के साथ सीमा-विवाद का विश्व का सर्वाधिक लंबा अनसुलझा विवाद है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश के बारे में समय-समय पर उठाई जाने वाली युद्धकारी आवाजों पर ध्यान दें। किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और यह मंत्रालय भारत के अधिकारों के लिये सुदृढ़ता से खड़े होते रहे हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने अरूणाचल प्रदेश का दौरा कर वहां प्रचार किया। चीन की चेतावनी के बावजूद दलाई लामा के अरूणाचल प्रदेश जाने की अनुमति दी गई तथा ये वहां जाकर बोल भी पाये और निस्संदेह, भारत ने किसी भी मुद्दे पर समझौता नहीं किया है। मुझे निश्चय ही आशा है कि हमारे विदेश मंत्री अरूणाचल प्रदेश का दौरा करने में अधिक समय नहीं लगाएंगे ताकि एक सुस्पष्टः संकेत किया जा सके कि यह सीमा क्षेत्र भारत का ही है और वास्तव में यह बातचीत के दायरे में नहीं आयेगा।

जहां तक हमारी रक्षा तैयारियों के पर्याप्त होने की बात है, भारत के साथ आर्थिक रिश्तों में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है जिससे भारत किसी प्रकार के सैन्य कृत्य की ओर प्रलोभित हो सके। मेरे विचार में, हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, मेरे विचार में हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सुदृढ़ बनकर चीन की आंखों में आंखें डालकर कहना चाहिये कि वह हमारे

बाजार का लुत्फ उठाए क्योंकि सीमा पर हमारे हित सीधे-सीधे प्रभावित होते हैं।

निस्संदेह, हमें चीन से आगे की बात बोलनी चाहिये। शेष पूर्वी एशिया में से सिवाय इसके कि हमारे संबंध उत्कृष्ट हैं, और कुछ नहीं कहना है। मैंने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का पहले जिक्र किया है, लेकिन चूंकि मैं घरेलू संबंधों की बात करता आ रहा हूं, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि एक और घरेलू तथ्य यह है कि हमारी 'लुक ईस्ट' नीति से भी पूर्वोत्तर राज्यों जोकि भारत का भाग है, के विकास में सहायता मिलेंगी, क्योंकि बड़े दुख की बात है कि भारत का यह भाग विकास की नाट्य कहानी में कई तरीकों से काफी पीछे रह गया है। यदि म्यांमार के रास्ते शेष दक्षिण एशिया और आसियान देशों तक सड़क, रेल और नदियों का संपर्क हो पाये तो इससे पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा, और इसलिये हमें उन लाभों पर गौर करना चाहिये।

माननीय सदस्य ने अरब में गयी उथल-पुथल का उल्लेख किया है सभापति महोदय, सीधी सी बात है कि यह सब चार कारकों का परिणाम है। पहला कारक यह है कि अरब में विश्व की दीर्घकालीन संस्थाएं हैं तथा जिनमें बदलाव की कोई संभावना की नजर नहीं आती और साथ ही किसी अन्य दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की भी कोई संभावना नहीं दिखती। श्री गद्दाफी चार दशक तक सत्ता में काबिज रहे, श्री मुबारक लगभग तीन दशक तथा ट्यूनिश के पूर्व नेता, जिने अल-अविबदाइन बेन अली दो। दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहे और उन परिस्थितियों में, किसी केन्द्र के न होने की वजह से मामले आवश्यक रूप से उच्च स्तर तक गर्माते रहे। दूसरा कारक यह है कि वहां जनसांख्यिकीय सैलाब भी था। वहां युवाओं की भारी तादाद है जो इन देशों में ही पले-बढ़े है और अन्य शासकों को उन्होंने जाना ही नहीं हैं।

वे तीसरे कारक के शिकार हैं जोकि आर्थिक विफलता है। किसी देश में युवाओं की बेरोजगारी और किसी राजनीतिक बदलाव की संभावना के भी. न होने से ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें कि चौथा कारक भी अपना असर दिखाने लगा जो कि 'सूचना क्रांति' नामक कारक है। जैसा कि पश्चिमी मीडिया भी कह रहा है, न केवल फेसबुक और ट्विटर बल्कि सेटेलाइट टेलीविजन और मोबाइल टेली फोनों को लोगों एक एक जगह पर इकरण होकर विरोध करने हेतु संगठित किया जा सकता है जैसे कि अल जजीरा किसी एक देश में यह दिखा रहा है कि दूसरे देश में क्या घटित हो रहा है। इस सबसे ही स्थिति अत्यधिक गंभीर हुई है। इसमें भारत का हित क्या है? स्पष्ट है कि ये वे देश हैं जिनसे हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं किन्तु तीनों स्थितियों में से किसी से भी हम अधिक प्रभावित नहीं हुये, जिसमें कुछ हद तक लीबिया एक अपवाद रहा है जोकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख स्रोत है।

बल्कि, यदि आप समग्र रूप से अरब जगत को देखें और विशेषरूप से खाड़ी के राष्ट्रों को देखें, तो हमारी चिन्ता का मनन तीन बाते हैं। पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा है। हमें तेल और गैस की आवश्यकता है। दूसरी, निवेश के संभावित स्त्रोत के रूप में खाड़ी के कई देशों के पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त धन है जिससे इस देश में विकास की हमारी चुनौतियों के लिए आकर्षित करना चाहते है। परन्तु, तीसरा वहां हमारे भारतीयों की उपस्थिति है। विदेशों में रहने वाले (ओवरसीज) भारतीय हमारी सरकार की वैद्य जिम्मेवारी है। खाड़ी देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। सौभाग्य से, अब तक कोई भी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। वास्तव में, बहरीन में हमें स्थिति की बड़ी सावधानी से निगरानी करने की जरूरत है और मुझे पक्का विश्वास है कि मंत्रालय ऐसा कर रहा है। परन्तु लीविया में हमने देखा कि जब भारतीय प्रभावित हुए तो उस देश में भारतीयों की सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा जोरदार और अत्यधिक प्रभावी प्रयास किए गए। मेरे विचार में हमें मंत्रालय को इसके लिए बधाई देनी चाहिए जो राजनीयिकों ने जमीनी स्तर पर किया, समन्वयक ने यहां नई दिल्ली में किया और वे जिन्होंने नीति बनाई और कार्यन्वित किया, रक्षा मंत्रालय में नौसेना सहित अन्य मंत्रालयों का सहयोग, यह सब चाल है कि विदेशी भूमि पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमारी जिम्मेदारी की भावना जबरदस्त है। मैं विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए अपनी सरकार और अपने सरोकारों की प्रशंसा करता हूं। यदि अरब जगत में कहीं भी समस्या फैलेगी, तो मुझे विश्वास है कि हम अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति गंभीर रूप से ध्यान देंगे।

ईरान का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया था। मैं पुनः इन शर्तों पर आपत्ति जाहिर करता हूं जिनके तहत उन्होंने ऐसा किया। हां, हमारे ईरान के साथ खुबसूरत सभ्यतागत सम्बन्ध हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रत्येक उस बात से सहमत होंगे जो ईरान करता है। इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि यदि हम किसी सिद्धान्त पर अड़े तो वह हम किसी तीसरी शक्ति के इशारे पर कह रहे हैं। इस बात का प्रश्न ही नहीं है कि भारत का अपना हित इसमें है कि उसके पड़ोस में न परमाणु शक्तियां न पनपे। भारत एक ऐसा देश है जो परंपरागत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में खड़ा है और ईरान के विरुद्ध मतदान सन्धि के प्रत्येक शब्द का सम्मान है और यह औचित्यपूर्ण है यदि ईरान अपने परमाणु

कार्यक्रम के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अपेक्षाओं के लिए उसके द्वारा हस्तान्तरित प्रतिबद्धताओं का स्वयं घोर उल्लंघन करता है। यदि ईरान ने इसका उल्लंघन किया और भारत ने कहा आप गलत हैं, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नट्स के जिम्मेदार सदस्य ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नट्स के जिम्मेवार सदस्य के रूप में, भारत ने, मैं समझता हूं, ठीक किया। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहकर कि यह किसी अन्य देश के इशारे पर हम पर उपकार किया है। मेरा विश्वास है भारत अपने स्वयं के हित में कार्रवाई करता है और इस मामले में हमारा अपना हित असंदिग्ध है।

मैं कुछ स्थानों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख नहीं किया। अफ्रीका स्पष्टतया हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारी अफ्रीका के देशों के साथ दीर्घकालिक सौहार्द्रता रही है। हम कुछ महीनों में इथिओपिया में द्वितीय भारत अफ्रीका फोरम समिट करने जा रहे हैं। हम कुछ चीजों में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं कि शायद जिसके बारे में हम सदन में नहीं जानते हैं, जैसे पान-अफ्रीकन ई-नेटवर्क। भारतीय उपग्रह ई-मेल, उपग्रह संपर्क, और टेलीफोन द्वारा 40 से अधिक अफ्रीकी देशों से सम्पर्क सोच रहे हैं। यह असाधारण योगदान है जिसकी अफ्रीकी देशों द्वारा खूब सराहना की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुदानों की मांगों में विदेश मंत्रालय का बजट का 36 प्रतिशत वास्तव में तकनीकी सहयोग के लिए नियत किया जाता है। हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हम ऐसा बहुत ही उदार रियायती दरों पर कर रहे हैं। हम अनुदानों के संबंध में चीन का मुकाबला नहीं कर सकते है। लेकिन हम रियायती ऋण दे सकते हैं और यह सही है कि हम वह करें और उन राष्ट्रों को अपनी सहायता दे जो कई तरह से हमारी तरफ अनुग्रह के भाव से देखते हैं।

यह निश्चित रूप से सत्य है कि चीन अफ्रीका में एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है। यह एकदम सच है कि पश्चिमी देश अफ्रीका में अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिस्पर्धी रहा है। परन्तु जब अफ्रीकी देशों के नेता उन देशों की ओर थोड़ी दूरी और आतंक से देखते हैं। जब वे हमारी ओर देखते हैं तो वे एक ऐसे देश को देखते है जो उनसे चिरपरिचित है। वे भारत को ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो अफ्रीका से अलग नहीं है, और फिर भी हम सफल हुए हैं जबकि वे इन समस्याओं मैं से यहां से पार पाने में सफल नहीं हुए हैं। अत: वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए उतावले हैं चूंकि वे महसूस करते हैं यदि भारत ऐसा कर सकता है, हो सकता है हम भी ऐसा कर सकते हैं।

जबरदस्त सांस्कृतिक सौहार्द है। मैं यूएन में अपने कार्यकाल से लेकर आज तक अफ्रीकी नेताओं की संख्या के बारे में नहीं बता सकता हूं।

प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और प्रेसीडेन्ट जिन्होंने अफ्रीका में अपना बचपन के आनंद के बारे में मुझे बताया है और जो उन्हें अपनी निकटस्थ कस्बे में बालीवुड फिल्मों की आने की राह ताकने से मिलती थी यही भी भारत का उन पर सांस्कृतिक प्रभाव का ही एक भाग है।

हमें इस सन्दर्भ में भारत की 'साफ्ट पावर' (सहन शक्ति) के बारे में बोलना चाहिए। यह तथ्य कि हमारी फिल्में यूके अथवा यू एस में भारतीय मूल के लोगों को ही नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि वे उनका प्रसारण अरब, अफ्रीकी, सीरियाई और सेनेगल देशों में भी किया जा रहा है। मैं इस सदन को एक सेनेगल के सज्जन के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे मैं न्यूयार्क में मिला जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी निरक्षर मां माह में एक बार एक राजधानी नगर डन्कार के लिए बस लेती है वह भी केवल एक हिन्दी फिल्म देखने के लिए। वह हिन्दी समझ नहीं सकती हैं। वह निरक्षर हैं अत: वह फ्रान्सीसी उप-शीर्षकों को भी हीं पढ़ सकती है, लेकिन वह फिल्म देखती हैं। हमारी फिल्में जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी बाधाओं के बावजूद समझने के लिए बनाई जाती हैं, और कह गानों, नाच और मार-धाड़ का पूरा लुत्फ उठाती हैं। परिणाम यह है कि वह भारत के बारे में अपनी आंखों में एक अलग स्वप्नलोक लेकर निकलती है। सच पूछिए तो मुझे कुछ वर्ष पहले सीरिया में तैनात एक भारतीय राजनीतिक ने बताया था कि वे विरले पोस्टर, जो दमासकस के कहीं भी प्रेसीडेंट हाफिज अल-असद के पोसटरों के बराबर थे, अमिताभ बच्चन के थे। हम पर अपने देश में परिसम्पत्तियां हैं जिन्हें हम ज्यादा तवज्जों नहीं देते, परन्तु जो हमारी विदेश नीति के भाग है।

मेरी समझ में यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उदाहरणार्थ, कि अफगानिस्तार में हमारी सबसे बड़ी पूंजी कभी भी मिलिट्री नहीं रही। सड़क पर सुरक्षा हेतु तैनात कुछ सैनिकों को छोड़कर हमारी कोई उल्लेखनीय सैन्य उपस्थिति कभी नहीं रही। पिछले वर्ष तक, आप किसी भी अफगानी को सायंकाल 8.30 कभी टेलीफोन नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह समय होता था जब भारतीय सीरियल वाहक "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" का दरी में डब किया हुआ रूपान्तरण अफगानिस्तार के दूरदर्शन से प्रसारित किया जा रहा होता था और हर कोई इसे देखना चाहता था।

ऐसा इस कारण से हैं क्योंकि एक रूढ़ीवादी इस्लाम समाज जहां पारिवारिक समस्याओं को अवसर पर्दे में छिपाकर रखा जाता है, ऐसी स्थिति मैं एक भारतीय टेलीविनज कार्यक्रम ने एक ऐसा

अवसर प्रदान किया जिससे अपने पारिवारिक मामलों पर चर्चा कर पाये। यह इतना प्रसिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसी खबरें आने लगीं कि लोगों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों के छोड़ा जा रहा है और वे 8.30 बजे उस टेलीविजन कार्यक्रम को देखने में रूचि लेने लगे और शादी कार्यक्रम के आयोजन स्थलों (बैकवेट्स) पर भी खलबलाहट मचने लगी ताकि लोग दुल्हा-दुल्हन की ओर ध्यान देने की वजाय अपने टेलीविनज सेटों के आस-पास बैठ सके। मुल्ला इन टेलीविजन कार्यक्रमों की विषय-वस्तु पर आपत्ति जताने लगे। किन्तु जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि उस 8.30 बजे के आस-पास के वक्त आपराधिक घटनाओं में इजाफा होने लगा क्योंकि स्पष्ट है कि पहरेदार (वॉचमैन) भी स्टोर की ओर ध्यान देने की बजाय टीवी देखने में व्यस्त रहने लगे। वर्तमान में, भारत का अफगानिस्तान में ऐसा प्रभाव है। हमने अपने संस्कृति अपने योग और आर्युवेद के जरिये भी अपना प्रभाव छोड़ा है। हम बहुत ही साधारण ढंग से अपने व्यंजनों की बात कर सकते हैं जो समूचे विश्व में फैले हैं। आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आपको भारतीय रेस्टरां न मिले। वास्तव में वर्तमान में ब्रिटेन में भारतीय रेस्टरां कुल मिलाकर कोयला खानों जहाज निर्माण, लोहा एवं इस्पात उद्योगों से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। अत:, वास्तव में ब्रिटिश विदेश सचिव तक घोषणा कर सकते हैं कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय व्यंजन मिश्रण टिक्का मसाला है।

सच यह है कि यह सब प्रत्यक्षत: विदेश मंत्रालय के प्रयासों से ही नहीं है, बल्कि वे भारत की सोफ्ट पावर का हिस्सा है, तथा मंत्रालय द्वारा आईसीसीआर के सहयोगों के जरिये अपनाई गई सांस्कृतिक कूटनीति का भाग हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे देश के मूल्य हमारा लोकतंत्र, हमारा विविधता प्रबन्धन और गांधी जी और नेहरूजी के समय से हमारे लिये निर्धारित सिद्धान्त उनका भाग है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजनीति में आने से पूर्व जब मैं संयुक्त राष्ट्र में था, मैं 2004 के चुनावों के दौरान खाड़ी देशों की यात्रा पर था और लोग आश्चर्यचकित थे कि भारत में रोमन कैथलिक पृष्ठभूमि की एक महिला राजनेता द्वारा चुनाव जीता गया जिसने फिर 80 प्रतिशत हिन्दु आबादी वाले इस देश में एक मुस्लिम राष्ट्रपति द्वारा एक सिख भप्रपुरुप को बतौर प्रधानमंत्री शपथ दिलवाये जाने का कार्य किया। यही है भारत और इसी से विश्व में हमारा गौरव है। हमारे अपने ही समाज में विवाद में पड़ने की अपेक्षा विविधता प्रबन्धन का प्रदर्शन करने के लिये हमारा आदर किया जाता है। यह सब महत्वपूर्ण है।

आंज के विश्व अथवा भावी विश्व में जिस पक्ष का वर्चस्व रहेगा आवश्यक नहीं कि वह देश विशाल सेना वाला हो। बल्कि उस पक्ष का वर्चस्व होगा जिसके विचार बेहतर होगें और भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि हमारी सॉफ्ट पॉवर के मजबूत बनाने हेतु हार्ड पॉवर की भी जरूरत है और मेरे विचार में, यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हमारी कूटनीति को अत्यंत सक्षम एवं प्रभावी सुरक्षा तंत्र और सुदृढ़ तथा नीति का सहारा मिले। किनतु जाने माने पूर्व विदेश मंत्री, जिन्होंने विदेशी सैन्य दलों के भारत में आने की सामान्यता का हवाला देते हुए थोथा तर्क दिया है, के संबंध में मेरा विचार है कि ऐसा कहना हद से परे की बात करना है और मैं सम्मानपूर्वक यह सुझाव देना चाहूंगा कि उन्हें अपने उस विचार को वापस लेना चाहिये। मुझे विश्वास है कि न तो इस सरकार में और न ही इस मंत्रालय में कोई व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठायेगा जिससे भारत ही भूमि पर विदेशी सैन्य दलों के पहुंचने की समस्या उत्पन्न होगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि तेजी से वैश्वीकरण की ओर बढ़ते इस विश्व में हमें इस बाबत जागरूक हो जाना चाहिये कि हमारी सुरक्षा और हमारा भविष्य हमारी सैन्य दलों अथवा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रयासों पर निर्भर नहीं है बल्कि वह हमारी विदेश नीति और विदेश मंत्रालय की प्रभावकारिता पर निर्भर है। यहां तक कि हमारी नौकरयिां भी विदेशों एवं विदेशी बाजारों से लाइसेंसों और अब तक पहुंच के माध्यम से संभव हो पाती है। हमारी नौकरियां हमारी प्रभावी कूटनीति और हमारी प्रभावी विदेश नीति के माध्यम से सहेजी गई एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के कारण संभव हो पाती हैं। इस वैश्वीकरण के संसार में, हमारा देश शेष विश्व से अलग-थलग नहीं बना रह सकता, अपने पड़ोसी देशों/राष्ट्रों के नजरअंदाज नहीं कर सकता तथा मैं जानेमाने पूर्व विदेश मंत्री से इस बात पर सहमत हूं कि हमारा पड़ोस का स्थान दक्षिण एशिया के मात्र तत्काल अगले देशों से कहीं अधिक है। हमें इन सभी देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हित पर केन्द्रित सृजनात्मक संबंध रखने चाहिये। मेरा विश्वास है कि मंत्रालय उस बारे में अच्छा कार्य कर रहा है।

तथापि, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन में हम सब को विदेश मंत्रालय में वहीं अधिक कार्मिकों की आवश्यकता का समर्थन करना चाहिए। मेरे विचार में, हमें और अधिक राजदूतों, राजनयिकों, पेशेवर अधिकारियों, अनुवादकों, भाषाविदों की आवश्यकता हैं और हमें बगैर किसी प्रश्नचिन्ह के निश्चय ही अन्य व्यवसायों के साथी सेवा कर चुके उन लोगों को लिये जाने की संभावना पर ध्यान देने की जरूरत है जो कि हमारी विदेश नीति के निर्माण में भागीदारी कर सकें ताकि विदेश मंत्रालय इक्कीसवी सदी की बड़ी वैश्विक शक्ति जोकि भारत बनेगा के पूर्ण काबिल बन सके।

सभापति महोदय, अब मैं आरंभ में बोले गये मानदंड की पुन: बात करता हूं जिसमें यह कह गया था कि हमारी विदेश नीति को

हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिये भारत के घरेलू रूपान्तरण में सहायता करने में प्रभावकारिता से आंका जाना चाहिये। जेसा कि मुझे विश्वास है और मैंने तर्क भी दिया है, यदि हमारी विदेश नीति से यह सब हो पाया हो मेरे विचार में, हम मंत्रालय को हर तरह मुबारक बाद दे पायेंगे और इसलिये मैं इस वित्तीय वर्ष हेतु मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-*जारी*

[अनुवाद]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदय, मैं वर्ष 2011-12 के लिए खान मंत्रालय के परिणामी बजट (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 4235/15/11]

अपराह्न 3.52 बजे

अनुदानों की मांगे (सामान्य 2011-12)

विदेश मंत्रालय-*जारी*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, आपको धन्यवाद। आज विदेश नीति पर बहस हो रही है। विदेश नीति देश की वह अच्छी होती है जो अपने देश के हितों के पक्ष में हो और विश्व के अधिकाधिक सर्मथन की कसौटी पर यदि हम कसेंगे, माननीय जसवंत सिंह जी ने भी इशारा किया था, हम खरे नहीं उतरेंगे। वह बात मैं बाद में कहूंगा कि अमेरिका की कितनी मदद आपको मिलेगी, अमेरिका की हालत क्या है, यह भी पता चलेगा। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कह रहा था कि विदेश नीति का मतलब है अपने देश के हितों की रक्षा करना। क्या इस कसौटी पर हम खरे उतरेंगे? इस मामले में पूरा सदन एक है क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल है, सीमा की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा सदन इस मामले में एक रहेगा और रहा है। इसी सदन ने प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1962 की लड़ाई के बाद कि चीन ने हमारे एक लाख वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, जब तक चीन हमारी जमीन वापस नहीं देगा, तब तक हम चीन से कभी कोई बात नहीं करेंगे। मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि फिर क्या वजह है, चीन से बातचीत क्यों हो रही है? इसी सदन ने प्रस्ताव पास किया है, इसी संसद ने पास किया है। जब विदेश मंत्री जी का जवाब आए, तो यह अवश्य बताएं कि चीन से बातचीत के बारे में आप इस सदन के प्रस्ताव से क्यों हटे? जहां तक तिब्बत का सवाल है, वर्ष 1950 में ही राजेन्द्र बाबू और डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान को तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, तिब्बत को चीन लेना चाहता है। लेकिन नेहरू जी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया था, क्यों मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप बताएं। उसी वक्त से हिन्दुस्तान की सीमा को खतरा पैदा हो गया था। आप कहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की कीमत पर हम भारत के साथ नहीं रह सकते। यह एलान उन्होंने पूरी दुनिया के सामने किया है और आप कह रहे हैं कि अमेरिका आपके साथ है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रिश्तों के मामले में अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है और हिन्दुस्तान के खिलाफ है। तब भी आप सफाई देते हैं कि अमेरिका भारत की मदद करेगा, जबकि अमेरिका की स्थिति खुद इतनी खराब हो चुकी है कि वहां 12 फीसदी लोग बेरोजगार हो गए हैं और पांच करोड़ अमेरिकियों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि आज भारत की स्थिति अच्छी हो रही है। यहां तक कि चीन ने अमेरिका की आर्थिक मदद की है। अब आप ही सोच सकते हैं कि अमेरिका हमारी क्या मदद करेगा, जो खुद आर्थिक संकट में फंस चुका है। इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि भारत कहां खड़ा है।

सभापति महोदय, भारत की विदेश नीति क्या है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। विदेश नीति वही अच्छी मानी जाती है, जो अपने देश के हित में हो। लेकिन आपने ऐसी विदेशी नीति का पालन नहीं किया है। जब इराक पर हमला हुआ और सद्दाम हुसैन मुसीबत में फंसे तो आपने उनकी मदद नहीं की। सद्दाम हुसैन भारत के समर्थक थे। वह तानाशाह जरूर थे, लेकिन हमेशा किसानों की बात करते थे। हिन्दुस्तान को काफी मात्रा में इराक से तेल आता था। जब हमें तेल की जरूरत पड़ी, जब लड़ाई के मैदान में तेल की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हमारी मदद की और तेल दिया। उस समय हमने सदन में इस बात का एलान किया था कि इराक का साथ दो, अमेरिका इराक के साथ गलत काम कर रहा है, लेकिन आपकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ी। उस समय सारे साथियों ने कहा था कि इराक पर हमला हो रहा है, सद्दाम हुसैन की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

पंडित नेहरू जी ने आजादी के बाद एक बार कहा था कि दुनिया में जहां भी मानवता का, मानवीय अधिकारों का हनन होगा, हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उस

बात को माना? मैं यहां यह जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारी विदेश नीति सफल रही है तो वह इंदिरा जी के जमाने में सफल रही है। उन्होंने बड़ी तरकीब से पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश का निर्माण कराया था। यह उनकी सफलता थी। आज मैं कह सकता हूं कि अगर हमारी विदेश नीति ठीक थी तो वह इंदिरा ज़ी के जमाने में ठीक थी। उन्होंने इसको सही साबित किया था।

आज हमारी सीमाओं पर खतरा है, भले ही मामूली लगता हो। हम लोग इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। जब हमने कहा कि आज रोजाना एक-एक इंच हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है, तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चीन ने रोक दिया। मैं फिर यहां कहना चाहता हूं कि चीन हमला करेगा और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है।

मैं नेपाल गया था और वहां तीन दिन रहा। वहां के लोगों ने बताया कि चीन पूरी तैयारी कर रहा है हिन्दुस्तान पर हमला करने की और इस बात का पता आपके वहां के राजदूत को भी है। जब विदेश मंत्री जी जवाब दें तो बताएं कि नेपाल में हमारे राजदूत ने क्या खबर दी है, चीन क्या कर रहा है, चीन नेपाल से होकर क्या कर रहा है? आज पाकिस्तान चीन की मदद से जाली नोट नेपाल के माध्यम से हमारे देश में भेज रहा है। यह इस बात का सुबूत है और नेपाल में हमारे राजदूत को भी पता है। मैं जब वहां गया था तो मैंने पूछा कि राजदूत ने क्या-क्या खबर दी है, क्यों यहां से जाली नोट भेजे जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि चीन की सोच है कि भारत के साथ लड़ाई का मौका नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के कामों से भारत को इतना आर्थिक संकट में डाल देंगे कि वह लड़ाई के काबिल नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा। यह एक साज़िश है, जो हमारे भारत के खिलाफ रची जा रही है।

आज चीन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को अपने नक्शे में दिखा रहा है कि ये इलाके हमारे हैं और हम इन्हें लेकर रहेंगे। मैं फिर सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है हिन्दुस्तान पर हमला करने की। उसने हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाया है। वह अरुणाचल प्रदेश के लोगों से कहता है कि आप लोगों के लिए चीन आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे हो, हमारा चेहरा है, हमारा खून हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

हमारे माननीय मंत्री जाकर वहां चीन की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चीन हमला करने की तैयारी में है। मैंने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, उनकी हर हफ्ते मीटिंग होती है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूं तो मैंने उसने पूछा कि क्या आपने मीटिंग में सवाल उठाया है कि चीन तैयारी कर रहा है। रक्षा समिति की हर हफ्ते मीटिंग होती है और उसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं लेकिन अभी तक भारत की सेना को तैयारी का अभी तक निर्देश नहीं दिया है। चीन हमारी जमीन पर रोज कब्जा कर रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उसने रोक दिया है, लेकिन हमने क्या किया? ये लोग चीन से डरे बैठे हैं और चीन हमले की तैयारी कर रहा है। आप एक भी देश बता दीजिए जो हिन्दुस्तान का दोस्त हो। दुनिया में एक भी देश हिन्दुस्तान का दोस्त नहीं है। जिस देश को कोई दोस्त न हो, उसकी विदेश नीति क्या है? जब चीन ने हमला किया तो लंका जैसे छोटे देश ने चीन से फौज वापस ले जाने कहा था। लेकिन क्या आज लंका आपके साथ है। बंगला देश के बनने में हमारे जवान शहीद हुए, हमारा कितना पैसा खर्च हुआ लेकिन क्या आज बंगला देश हमारे साथ है, नेपाल आपके साथ है? नेपाल पूरी तरह से हिन्दुस्तान पर निर्भर था लेकिन आपने उसकी मदद कम कर दी। वह आप पर अब निर्भर नहीं है बल्कि गुस्से में है। मैं तीन दिन वहां रहा हूं। नेपाल में हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म को मानने वाले हैं, पशुपतिनाथ मंदिर पर लाखों लोग हिन्दुस्तान से जाते हैं, उस नेपाल की आपने मदद कम क्यों कर दी, नेपाल की हमें मदद बढ़ानी चाहिए थी। जब आपका दुनिया में कोई देश मित्र नहीं है तो आपकी विदेश नीति क्या है।

गुट-निरपेक्ष नीति के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होगा तो हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी तो इसी सदन में हमने कहा था कि कम से कम उसे फांसी लगने से बचाओ। जिस सद्दाम हुसैन ने हमें उधार तेल भी दिया और जब भी जरूरत पड़ी तो वह तेल देने में पीछे नहीं रहा। ईरान ने हमें तेल दिया, लेकिन उसके खिलाफ हमने वोट दिया। सद्दाम हुसैन की फांसी का क्या आप विरोध नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने सदन में विरोध किया था। इनकी कोई विदेश नीति नहीं हैं। जिस देश का कोई दोस्त नहीं है, उस देश की विदेश नीति किस बात की है? जब आप उत्तर दें तो इस बात का जवाब अवश्य दें। जब अमरीका ने 7वां बेड़ा भेजा था तो रूस ने भी अपना बेड़ा भेज दिया था। वह समय था जब हमारी विदेश नीति थी। मैं इंदिरा जी की तारीफ करता हूं,

उनकी विदेश नीति की वजह से हमने बंग्लादेश-पाकिस्तान को बांट दिया। उस नीति से आप हटे हैं।

आप जिस अमरीका की बात कर रहे हैं वहां 12 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो गये हैं, 5 करोड़ लोगों को वहां खाना नहीं मिलता है, अमरीका को चीन मदद कर रहा है, यह अमरीका की हालत है। वह अमरीका आपकी क्या मदद करेगा? अमरीका आपकी कभी मदद नहीं करेगा। आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे उसके पास कितने ही एटम बम हों, वह हमारे ऊपर 5-6 एटम बम गिरा देगा और अगर हमने उस पर 5-6 एटम बम गिरा दिये तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका निशाना चीन होना चाहिए। जार्ज साहब ने एक बार कहा था कि चीन हमारा दुश्मन है* और मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में अगर हमारा कोई दुश्मन हे तो वह चीन है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो यह बात आगे साफ हो जाएगी। चीन हमला करने की तैयारी कर चुका है। मैं नेपाल गया था वहां के वरिष्ठ लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आप जाकर बताइये, हम राजदूत से रोजाना कहते हैं।

हम राजदूत से रोजाना कहते हैं कि पाकिस्तान के जाली नोट चीन और नेपाल से हो कर हिन्दुस्तान में आ रहे हैं तथा हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं। तिब्बत के बारे में डॉक्टर राजेन्द्र बाबू ने और डॉ. राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी से कहा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। अगर उस समय तिब्बत के बारे में हस्तक्षेप किया होता, तो हिन्दुस्तान कामयाब हो सकता है। यह बात जरूर थी कि दुनिया में जहां भी मानवधिकार का हनन होगा, वहां हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा क्योंकि गुटनिर्पेक्ष नीति थी। तीसरी दुनिया बन गई थी और तीसरी दुनिया भारत के साथ थी। अब तीसरी दुनिया भारत के साथ कहां है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि आपका क्या कोई एक देश भी मित्र था। चीन रेल की लाइन बिछा चुका है। चीन चार, छह, आठ लेन की सड़कें बना चुका है। मेरी वायु सेना अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब रक्षा मंत्री थे, आपने जो सड़कें बनवाई थीं, उनका क्या हुआ। हमने रक्षा मंत्री होने के समय सड़कें बनवाना शुरू कर दिया था। इसमें आपकी सरकार की भी गलती है, आपने सड़कों को पूरा नहीं किया और वे अभी भी अधूरी हैं। चीन ने सड़कें बना दीं। साढ़े तीन घंटे में सारा सामान रेल से सड़कों से आ जाएगा, क्या आप गधे और खच्चरों पर समान ले जाएंगे? चीन की कब्जा करने की पूरी तैयारी है। चीन ने कह दिया है कि हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्कम और अरुणाचल प्रदेश हमारा है और नक्शे में दिखा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया है। आप चुप बैठे रहे, आप क्या कर रहे थे?

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुरक्षा समिति की बैठक में आप जाते होंगे। उसमें सेना के अधिकारी भी आते हैं। वे अधिकारी अपनी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि दो ही सवाल करना। पहला कि आपने सड़कें बनाना शुरू किया था, उसका क्या हुआ और दूसरा कि हम जो बात कहते हैं, उसका क्या उत्तर दिया जाता है। मीटिंग में चुप रहते हैं, उत्तर किसी ने नहीं दिया। सावधान कर दिया कि चीन हमले की तैयारी कर चुका है और मैं सदन में फिर कह रहा हूं कि चीन हिमाचल से ले कर अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखा चुका है और कहा कि ये हमारे प्रदेश हैं। मैं बार-बार इसे दोहरा रहा हूं। चीन तैयारी कर चुका है, लेकिन हमारी सेना को अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है। एक लाख वर्ग किलोमीटर सड़क दबा रखी है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। थरूर साहब ने कहा कि श्री अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी। क्या आपने कम गलतियां की हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके पुस्तक लिखी कि हिन्दुस्तान में क्या-क्या हो रहा है, आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि चाहे अरुण शौरी जी बीजेपी के हैं, उन्होंने किताब लिखी है। वह किताब मेरे पास किसी तरह से आ गई है, लेकिन उस किताब पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मैं सदन में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रतिबंध लगाया है। किताब पर प्रतिबंध क्यों लगया गया, क्योंकि सारे देश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, हिन्दुस्तान के बारे में क्या-क्या लिखा, बढ़िया किताब है।

पांच लाख रुपया प्रतिमाह कौन् लेता था, क्या करता था, आजादी की लड़ाई के इतिहास में क्या हुआ, किसने धोखा दिया, इसमें लिखा है। नई पीढ़ी इससे कम से कम आजादी की लड़ाई के इतिहास को तो समझे कि कौन साथ था और कौन साथ नहीं था। कौन अंग्रेजों का चुपचाप साथ दे रहा था, कौन रुपया ले रहा था, ये सब अरुण शौरी जी ने लिखा है। आपने अरुण शौरी की पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों लगाया? अगर एसयू-30 की बात आपने स्वीकार की कि मुलायम सिंह की बात का भरोसा करके हमने मान लिया, आपने अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने कहां माना? जब मैंने एसयू-30 खरीदने की बात कही तो माननीय जसवंत जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे दफ्तर गए और बात हुई कि इसमें कमीशन लिया गया है, एसयू-30 मत खरीदो। मैंने कहा कमीशन की जांच करा लो चंद्रशेखर जी तथा आप जैसे जितने बड़े नेता हैं, बैरिस्टर हैं, सब बैठो और देखो कि एसयू-30 खरीदा जाए या नहीं। मैंने 40 मास्को में जाकर खरीदे। अगर एसयू-30 नहीं खरीदा होता तो जो आखिरी लड़ाई कारगिल की पाकिस्तान से हुई है, आप उसे देखते। आप 500 जवान कहते थे और निकले 5000, एक साल का लड़ाई का सामान निकला और उसी जहाज के द्वारा

पता चला कि 5000 जवान जो ऊपर चढ़े थे, कारगिल में कितने नौजवान शहीद हुए थे क्योंकि वे जा रहे थे, उनका खाना एक साल के लिए था। वे ऊपर चढ़ते थे और ऊपर से पाकिस्तान की सेना मारती थी। अखबारों और मैंगजीन में आया है कि पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हमने हिन्दुस्तान के इतने सैनिकों को मारा है कि हमारे अंगूठे काम नहीं करते हैं इतनी फायरिंग की है। आप भी थोड़े दोषी हैं। ...*(व्यवधान)* दोषी यह हैं क्योंकि राज तो भाजपा कर रही थी। ...*(व्यवधान)* अब इराक में सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही थी तब हमने इसी सदन में कहा था कि कम से कम हिन्दुस्तान को इसका विरोध करना चाहिए। हमने कहा था "बुरा माना" शब्द लिख दिया। प्रस्ताव बना था और हमारी मांग थी कि अमरीका की निंदा करो लेकिन माननीय जसवंत सिंह जी को अच्छी तरह पता है, तब मुश्किल से लिखा "बुरा माना"। इतना ढीलाढाला शब्द लिख। ये तो...* है ही लेकिन...आप भी रहे हैं। यह सत्य है कि ये...हैं, इन्होंने तो अभी तक चीन का विरोध ही नहीं किया है कि वह क्या कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस पुस्तक से प्रतिबंध हटे। अरुण शौरी जी ने जो किताब लिखी है उससे नई पीढ़ी को पता लग जाएगा कि कितना गलत कितना गलत कितना सही हुआ और समीक्षा पढ़ने वालों को भी पता लगेगा। हम चहाते हैं कि इस किताब से प्रतिबंध हटना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसमें क्या है वह नई पीढ़ी जाने। उन्होंने अच्छी मेहनत करके किताब लिखी। आप कम दोषी थोड़े ही हैं।

जहां तक ईरान की बात है, अब ईरान के खिलाफ वोट दे दिया। क्या सही किया? यह क्या मामूली गलती है? ईरान आपको तेल दे रहा है, ईरान ने हर वक्त मदद की, इराक ने हमेशा मदद की, सद्दाम हुसैन किसानों के हमदर्द थे, सस्ता और उधार तेल दिया, खुद भेजा जब आप नहीं ले जा पा रहे थे तो उसने अपने साधनों से भेजा। क्या आपने ईरान और इराक की मदद की? ईरान के खिलाफ वोट कैसे दे दिया? आपको सुरक्षा परिषद् का मैम्बर क्यों नहीं बनने दे रहा है, चीन। वह विरोध कर रहा है। सुरक्षा परिषद् में हिन्दुस्तान भी आ जाए, सदस्य बन जाए, उसका चीन विरोध कर रहा है और आपके मंत्री चीन में जाकर तारीफ कर रहे हैं। आप बता दीजिए। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि चीन हिन्दुस्तान पर हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक कब्जा करने के लिए हमला करने की तैयारी कर चुका है। अगर आप पर असर नहीं है तो नेपाल का कोई भी व्यक्ति बता देगा कि क्या हो रहा है, नेपाल को सब पता है। हम आज नाम नहीं लेंगे, वे आज बहुत उच्च पद पर हैं, उन्होंने अभी आकर फिर कहा है, जब हम नेपाल गए थे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जाकर बता दो कि चीन हिन्दुस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कम से कम श्रीलंका जैसे देश को भी दोस्त नहीं बना पा रहे हैं।

नेपाल को हाथ से निकाले दे रहे हैं, बंग्लादेश जिस तरह अपना साथ दे, आप वही भी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी विदेश नीति क्या है? इनकी विदेश नीति कुछ है ही नहीं। कोई भी बता दे कि विदेश नीति क्या हैं। चीन के बारे में आपकी क्या विदेश नीति है? लंका के बारे में आपकी क्या विदेश नीति है? बंग्लादेश के बारे में क्या विदेश नीति है, पाकिस्तान के बारे में क्या विदेश नीति है? पाकिस्तान हमारा क्या करेगा, मैं आज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हिन्दुस्तान को खतरा नहीं है, वह बर्बाद हो जाएगा। आपका दुश्मन* चीन है, फिर चीन के विरुद्ध तैयारी के मामले में आप क्या कर रहे हैं? यदि नहीं तो आप मेरी फाइल पढ़ लेना, जब मैं रक्षा मंत्री था तो मैंने क्या किया है? मैंने चीन के हिसाब से पूरी तैयारी की थी। तब ही एसयू-30 खरीदे थे। माननीय अटल जी तथा जसवंत जी यह एसयू-30 खरीदने से मना करने के लिए मेरे पास आए थे। उनकी बात सही थी, लेकिन उसकी जांच हो जाए। यदि एसयू-30 नहीं होते तो हम कारगिल की आखिरी लड़ाई हार गई थे। वहां के बारे में बताया गया था कि वहां पांच हजार सैनिक, एक साल का खाना, हथियार आदि लेकर बैठे हुए थे। इसी एसयू-30 के कारण आप वहां की लड़ाई जीते।

महोदय, आज चाहे हिन्दुस्तान के मंत्री जी बयान दें, कोई सरकार बयान दे, आप हमें यह बता दें कि सरकार की नीति क्या है? मैं यह कह सकता हूं कि इनकी कोई विदेश नीति नहीं है। कोई भी खड़ा होकर बता दे कि हमारी विदेश यह है। विदेश नीति का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपना मित्र बनाना। विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यह है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देश हमारे दोस्त बने। आप एक दोस्त का नाम ले दो, हम मान जायेंगे कि आपकी विदेश नीति सफल हो गई। आप एक भी नाम बता दो कि यह देश हमारा दोस्त है। आप नेपाल को जो मदद करते थे, वह भी आपने कम कर दी। नेपाल पूरी तरह से आपके साथ है। जैसा उन्होंने कहा कि हमारे और उनके बीच शादी, ब्याह आदि सब कुछ होता है, आना-जाना है, भाषा है, संस्कृति है, हम लोग एक हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में लाखों लोग जाते हैं। आप उस नेपाल की पहले जो मदद करते थे, उसे आपने कम कर दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य आपने अपनी बात कह दी है। दूसरों को भी समय दीजिए। मैंने आपको काफी समय दिया है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः आपकी उसकी मदद बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन मदद बढ़ाने की बजाय आपने उसकी मदद कम कर दी है।

मैं अभी खत्म कर रहा हूं। विदेश मंत्री जी हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि हमने जो सड़कें सीमापार बनवानी शुरू की थीं, वे अधूरी पड़ी हैं, आप उन सड़कों को बनवा दो, सेना परेशान है। सेना के वरिष्ठ लोगों ने हमसे कहा है। आप कम से कम उन्हें बनवाने की घोषणा तो करें। मैं कहता हूं कि आप इसकी आज ही घोषणा करें कि जो सड़कें आपने बनवानी शुरू की थीं, वे अधूरी पड़ी हैं। आप उन सड़कों को जल्दी से जल्दी तैयार निर्माण करा दीजिए, क्योंकि चीन साढ़े तीन घंटे में अपनी फौज और सामान भेज देगा। फिर क्या आप खच्चर और गधों से भेजेंगे? तब तक लड़ाई कहां पहुंच चुकी होगी। हमारा सामान खच्चर और गधों से जायेगा और उनका सामान फर्राटे से साढ़े तीन घंटे में आ जायेगा। फोर लेन से वह आठ लेन बना चुका है। जो सड़कें अधूरी हैं, आप उन्हें बनवा दो। हमने जो रेलिंग मजबूती के साथ लगाई थी, उस रेलिंग पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप इतनी अच्छी बात कही है। अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि नेपाल के राजदूत को जाली नोटों से लेकर चीन की तैयारियों के बारे में सब पता है। यदि आपके पास यहां रिपोर्ट हो तो नेपाल के राजदूत ने आपको क्या-क्या भेजा, आप बताइये। अगर उसने नहीं भेजा है तो उसे तत्काल हटाओ। वह राजदूत वहां क्या कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि नेपाल के राजदूत को सब पता है। हम तीन दिन वहां रहे हैं और जो माओवादी हैं, उन माओवादियों से आप और हम मिले थे। वे लगातार दो साल तक चीन के अंदर उसके साथ रहे हैं और चीन से सामान ला-लाकर तैयारी करके उन्होंने वहां कब्जा किया। नेपाल के राष्ट्रपति ने कहां कि लड़ाई मैंने भी लड़ी है, लेकिन किसी तरह से नेपाल को बचा लिया। लेकिन नेपाल आज भी पूरी तरह से हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहता है। लेकिन भारत सरकार ने उसकी मदद बढ़ाने के बजाय कम कर दी। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः वह रिपोर्ट हमें दे दीजिये, हम सदन में जानना चाहेंगे। आपकी हर सप्ताह मीटिंग होती है। सेनापति और फौज के लोग आपके सामने समस्यायें रखते हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या-क्या है, उस रिपोर्ट पर आपने क्या अमल किया है, यह भी हमें बता दीजिये। हम खुद रक्षा मंत्री रहे हैं, हर सप्ताह मीटिंग होती थी। जो रक्षा समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट दीजिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। अब माननीय मंत्री को आपके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर देने में एक दिन का समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः हम जानना चाहते हैं कि सेना ने क्या रिपोर्ट दी है। वह समय निकल गया है लेकिन मैं फिर दोहरना चाहता हूं कि दुनिया मानवाधिकारों का हनन होगा, नेहरू जी की घोषणा हुई थी लेकिन हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, आप चुप बैठे रहे, ईरान के खिलाफ वोट क्यों दिया? ईरान और इराक तेल देकर हमारी मदद कर रहे हैं, आपने ईरान के खिलाफ वोट दे दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और आप चुप बैठे रहे। आप इस बात की निन्दा नहीं कर सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपने लगभग आधा घंटा ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः सभापति जी, बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है ...*(व्यवधान)* चीन, पाकिस्तान के एटम बम बनाने से लेकर आधुनिक हथियार बनाने का पूरा सामान दे रहा है। बताइये, सरकार ने क्या एतराज किया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया शालीनता बनाए रहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया, उसकी बात सरकार नहीं कर रही है। पाकिस्तान को हथियार

बनाने के लिए पूरी तैयारी दे रहा है, उस पर भी सरकार एतराज नहीं कर रही है। मैं सदन में सच्चाई के साथ कह रहा हूं लेकिन आप जवाब दें तो पूरी बात बताइये। पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमारी बहादुर सेना पाकिस्तान को पराजित कर देगी। मैं सीमा के बारे में कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सरकार ने ईरान के खिलाफ वोट दिया, क्या यह मामूली बात है? जो हमारे देश को तेल दे रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, आप उन दोस्तों को दुश्मन बना रहे हैं। अगर हमारी सरकार इतनी डरपोक होगी तो हमारे देश की रक्षा कैसे हो सकती है? आज हमारी सेना को भरोसा है कि हमारी सीमा सुकड़ रही है। आज चीन हर रोज एक इंच जमीन पर कब्जा कर रहा है। सरकार ने इस पर क्या एतराज जताया? इसके लिए क्या उपाय किया? मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं क्योंकि यह मेरी जानकारी है। सेना के अधिकारी बता दिया कि मेरी तरफ से बता दीजियेगा, आपने सड़कें बनवाईं, वे अधूरी क्यों हैं? नेपाल होकर जाली नोट आ रहे हैं, आपने क्या कार्यवाही की है? ...*(व्यवधान)* हमारे छात्रों को बेड़ियां पहनाई जा रही हैं, छात्रों का बुरा हाल हो रहा है, सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य महोदय, अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने अब आधे घंटे से ज्यादा समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*... *

सभापति महोदय: क्या हो रहा है? श्री विजय बहादुर सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदय: आपको जितना समय दिया गया है उतने में ही बोलिए। अन्यथा, मुझे माइक बन्द करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर उत्तर प्रदेश): महोदय, धन्यवाद। मैं अपने बिन्दुओं को नहीं दोहराऊंगा। मैं उनको विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं संक्षिप्त सुझाव दूंगा।

महोदय, आज आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की डिमांड्स एवं ग्रांट्स 2011-2012 पर हमें बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो बजटरी ग्रांट है, उसे 6,375 करोड़ रुपये से आपने 7,106 करोड़ किया है यानी उसमें 11.5 परसेंट का इंक्रीज किया है। आपने जैसे नेपाल को जो पिछले साल 151 करोड़ था, इसे घटाकर 150 करोड़ कर दिया है। नेपाल की जो इम्पोर्टेंस है, इससे जाहिर होता है कि आपका डायरेक्शन क्या है? नेपाल के लिए जो बजटरी ग्रांट पिछले साल मिनिस्ट्री को मिली थी, वह 151 करोड़ थी, अब वह आपने घटाकर 150 करोड़ कर दी है। आपने उसे घटा दिया है। इसी तरह से आपने कटौतियां की हैं। इस फॉरेन पॉलिसी से मैं यह बात समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी हमारे इंटरनल इंट्रेस्ट का रिफ्लैक्शन है। अगर आप पुराने समय में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस के जमाने में सबसे पहले भारत ने वर्ष 1946 में ह्यूमैन राइट डिक्लेरेशन एक्ट दाखिल किया। वर्ष 1946, 1945 और आज सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस में पीस कैपिंग फोर्स इंडिया की है। जब यूनाइटेड नेशंस में सिक्यूरिटी काउंसिल में नंबर आता है तो अभी वोटिंग हुई, उसमें मैं आपको बता दूं कि 148 में हमें 147 वोट मिले। 190 वोट में से सिर्फ दो-तीन वोट इधर-उधर हुए, 90 परसेंट हमें सपोर्ट मिला। इसी के महत्व में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वर्ष 2010-2011 में जितने फाइव बिग नेशन हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, पांचों नेशंस के प्रैसीडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने यहां विजिट किया है। इसका यह रीजन नहीं है कि भारत से इन्हें बहुत लगाव है। ये इंडिया में शॉपिंग और इकोनॉमिक गेन्स के लिए आ रहे हैं। इसे देखकर हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इतिहास देख लें तो पुराने जमाने में जब आइजनहॉवर प्रैसीडेंट थे तो जॉन फॉस्टर डैलेस ने पॉलिस ऑफ ब्रिंकमैनशिप निकाली कि जिधर पलड़ा भारी होने लगे तो दूसरे पलड़े को बढ़ा दो। उस समय दो ही फोर्सेज थीं, अमेरिका और रूस। इनके लिए जो पॉलिसी का मैटर है, उनका स्वार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से, जब

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वेन जियाबाओ वहां के प्राइम मिनिस्टर दिसंबर में इंडिया में ओबामा जी के बाद तशरीफ लाये थे, तो सप्रू हॉल में मैंने उन्हें सुना। एक-डेढ़ घंटे की स्पीच में उन्होंने एक जगह भी जिक्र नहीं किया कि युनाइटेड नेशंस की सिक्यूरिटी काउंसिल में वे भारत का समर्थन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यू आर द लार्जेस्ट डैमोक्रेसी, उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा है, उन्होंने यह भी आशा जतायी कि एक समय आयेगा, जैसे थरूर साहब बोल रहे थे कि 50 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर हो जायेगा। ओबामा साहब भी आये तो उन्होंने भी कहा कि हमें 75 हजार लोगों के लिए जॉब की जरूरत है। हमारा कहना है कि इसे रियलैस्टिक पॉलिसी बनाया जाये। अब मैं संक्षेप में अपनी बात करना चाहता हूं, जिससे यह क्लियर हो, मैं सरलीकरण से बात करना चाहता हूं।

आप इंडिया के नेबर्स देखिये। पाकिस्तान से हिन्दुस्तान को कभी खतरा न हुआ है, न होगा। उसमें कोई सवाल ही नहीं है। उसे चाहे हिस्टॉरिकल रीज़न समझा जाए या कुछ और, लेकिन हमारी प्रॉबलम पाकिस्तान नहीं है। हमारी प्रॉबलम पाकिस्तान नहीं है, उसके बगल में बर्मा नहीं है, हमारी प्रॉबलम अगर कभी आएगी तो चाइना से आएगी। आप इसको और देख लें। 1962 में जब चाउ एन लाइ प्राइम मिनिस्टर थे तो यहां पर आए। हम लोग स्टूडैन्ट थे। उस समय कहा जाता था-1 'हिन्दी चीनी भाई-भाई।' मुझे अभी तक याद है, उस समय एक मैगजीन 'लाइफ' निकलती थी, उसमें लिखा था कि–नजदीकी पड़ोसी दूर के संबंधियों में बेहतर होते हैं। मतलब चाइना हमारा बहुत नजदीकी पड़ोसी है, वह हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है दूर के रिश्तेदार से। उसी चाइना ने मई में अटैक कर दिया और हमारे यहां इतनी अच्छी तैयारी थी कि 1942 की 303 राइफल जाड़े में कोई खोल ही नहीं पाया और वे दनदना कर यहां तक चले आए। हर ट्रैजेडी में, जब कोई बात गंभीर होती है तो उसमें कुछ न कुछ लैसन होता है। उसी के कारण आज हमारी आर्मी सख्त बनी।

अभी मैं एक फंक्शन में गया था, बहुत लंबा-चौड़ा फंक्शन था विज्ञान भवन में। वहां अरुणाचल प्रदेश के एक रिप्रिजैन्टेटिव ने कहा कि पिछले बीस साल में अरुणाचल के बॉर्डर पर, जहां से चाइना। दिखाई देता है, वहां एक सड़क तो क्या, एक पगडंडी भी नहीं बनी। तो क्या हम डर रहे हैं? हम खुद अपना इंट्रॉरपैक्शन करना चाहते हैं। इसको हमारे विदेश मंत्री बुरा न मानें। एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड पॉलिसी, कि जब आग लगे तो दमकल टन-टन टन-टन करते हुए पहुंच जाए, आग बुझा दे और फिर बैठ जाइए। हम क्यों नहीं उस बॉर्डर की लाइन पर प्रिपरेशन करें, चाहे वहां सड़क बनाएं, चाहे वहां डैवलपमैंट करें और हम भी वहां उसी तरह करें जैसे उन्होंने किया है। उन्होंने 4000 माइल रेलवे लाइन बना दी, सड़कों का जाल बिछा दिया–दो लेन, चार लेन, छ: लेन और यहां हम चर्चा करने से घबरा रहे हैं। . ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उन्हें डिसटर्ब न करें।

श्री विजय बहादुर सिंहः हम नेशनलिस्ट हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम कोई भगवा और उसमें बिलीव नहीं करते। जो बात है वह सही होनी चाहिए।

हमारा कहना है कि जैसा अब्राहिम लिंकन ने कहा था कि समझते में किस बात का डर, पर डर के मारे समझौता न करें। हमारी जो पॉलिसी है, हम उसको डैवलप करें। अगर हम पॉलिसी डैवलप करते हैं तो पाकिस्तान की मदद करना चाइना और अमेरिका की मजबूरी है। पाकिस्तान एक किस्म से गल्फ कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बढिया बेस प्रोवाइड करता है। उनका इनवाल्वमैंट तो उसमें होगा ही। अगर 1946 के आर्काइवज़ देखें तो चर्चिल साहब कहते थे कि वे पाकिस्तान को प्यार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे उस आयाम को प्यार रहे हैं जो पाकिस्तान मुहैया कराता है। ताकि आधे घण्टे में भी वे भण्डार खोले तेल राष्ट्रों और खाड़ी राष्ट्रो में पहुंच सके। उसको तो आप मिटा नहीं सकते। मेरा कहना यह है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जो वाइब्रैन्ट पॉलिसी हो और वाइब्रैन्ट पॉलिसीज में आप इस रियैलिटी को फेस करिये। जैसे अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा टिक्का और चिकन मसाला बिक रहा है, इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं तो इस पर आप बहुत मस्त न हो जाइए कि आपका चिकन टिक्का बिक रहा है, आपका सिनेमा लोग देख रहे हैं। तो इस सिनेमा में आप मत पड़ियेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अपनी तैयारी करिये और अगर हिन्दुस्तान एक लार्जैस्ट डैमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हिन्दुस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो क्यों नहीं हम भी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति बन सकते हैं। उसकी तैयारी दोनों तरह से होनी चाहिए। बाईपोलर, यूनीपोलर जैसे अट्रैक्टिव वड्र्स हमने इंटरनेशनल लॉ में बहुत पढ़े हैं। लेकिन हमारी शुद्ध राय यह है, माननीय विदेश मंत्री विदेश में भी पढ़े हैं, इसलिए इन्हें विदेश का भी ज्ञान होना चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी आयी। मैं अब समाप्त करना चाहता हूं। जब तक सभापति जी ने सांस ली, मैं समझ गया कि घंटी बजने वाली है। मैं आपकी सांस से समझ गया कि आप घंटी बजाएंगे। मैं कनक्लूड करने वाला हूं। यह तो हुई आपकी नेबर की पॉलिसी। इसमें कोई दुख नहीं, हम भी बहुत दिनों से देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)* नेपाल को हमारी गलतियों के कारण हमने माओ को दे दिया, पूरी तरह से। मैं

इलाहाबाद का होने के कारण बीसियों बार हर वीक एंड में नेपाल जाता था। ...*(व्यवधान)* इलाहाबाद में वकालत करता था, तब जाता था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया शिष्टाचार बनाए रखें ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंहः नेपाल को तो आपने दे दिया। अब बात दूसरी है कि यादव जी वहां के प्रेसीडेंट हैं, शायद वे हमारे माननीय मुलायम सिंह जी का ध्यान रखें, कोई बात थोड़ी देर के लिए थम जाए। लेकिन नेपाल हम लोगों की गलतियों से आउट ऑफ हैण्ड चला गया। यह तो हुई नेबर्स की बात।

महोदय, एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, लुक ईस्ट। अब हमें अमरीका और ब्रिटेन का मोह छोड़ देना चाहिए। बहुत-सी ऐसी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं। यदि हम वहां इंडस्ट्रिलाइजेशन बेस को मजबूत करें तो हमारी दूसरी पावर भी उसके साथ बढ़ सकती है। अफ्रीकन कंट्रीज से हम बात करें। मैं पांच मुस्लिम कंट्रीज में डेलीगेशन के साथ गया। मैंने वहां देखा कि मुस्लिम भाइयों को इंडिया से बहुत प्रेम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वे हमारी कल्चरल हैरीटेज, हमारी सोफ्टनेस, हमारी जियो और जीने दो के बहुत कायल हैं। लेकिन हमें दुख है कि हमारी विदेश मंत्रालय के अधिकारी टैक्नोक्रेट्स की तरह, चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह से जो प्रोफेशनल एप्रोच है, हो सकता है, वह हो, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, उनकी रियलिस्टिक पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ती है। ...*(व्यवधान)*

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट मिल रही है, उसमें एक वोट छोड़कर सबने वोट किया। जापान ने वकैट किया, अब हमारे पास पूरे दो साल मौका है। इसमें ऐसा थिंक टैंक या ऐसे लोग आ जाएं, ताकि हम इसका पूरा फायदा ले सकें। जैसे मुम्बई पर अटैक हुआ, लेकिन इसका फायदा हम नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें फाइनेंस की कमी थी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जो 11 प्रतिशत इनक्रीज करके बजट में दे रहें, यह बहुत कम है। अब ग्लोबल विलेज हो रहा है, इंटरनैशनल इंटरैक्शन हो रहा है, इसके लिए अच्छे लोग बनाइए, बाहर के भी एक्सपर्ट्स लाइए, फोरेन सर्विस के लोगों के अलावा भी जो लोग हैं, उनकी राय लीजिए। इस फॉरेन मिनिस्ट्री को थोड़ा इनलार्ज कीजिए। यदि इनलार्ज करेंगे और इंटरैक्शन होगा तो हमें लगता है कि हमारी जो परेशानी है, वह ठीक हो जाएगी।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूं मैं भूल गया था, अब मैं बता रहा हूं, वह पेज मुझे मिल गया है कि 190 वोट पड़े थे, जिसमें से भारत को 187 वोट मिले थे, जिसमें से एक इनवैलिड हो गया था, एक वोट कम था। हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उसे हमें बिल्कुल बनाना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री जी अरुणाचल चले गए या दलाईलामा को हमने यहां बुला लिया तो हम बड़े खुश हैं, यह हमारा अधिकार है। स्टेपल वीज़ा, चाहे जो लोग कह दें, अगर हम लोग सोफ्ट हैं तो हमें कड़ा भी होना चाहिए। हम इस बात को बिल्कुल एग्री करते हैं, हालांकि मुझे इन लोगों से अफसोस है, डायलॉग तो होने ही चाहिए। 1890 में इंग्लैंड में एक फैसला हुआ, जिसमें कहा,

[अनुवाद]

"संवाद नेपोलियन से सन्दर्भ है।"

[हिन्दी]

हम लोगों को बात करनी चाहिए। नेपोलियन ने एक बात कही थी, मैं उनका जुमला सुना कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि

[अनुवाद]

"इन अफीम खाने वालों को सोने दीजिए। यदि वे जागे रहेगे तो दुनिया परेशान में होगी।" ये अवेक नहीं हो गए, फैल गए हैं। इस अफीमची को आपको संभाल कर चलना पड़ेगा। उसकी पूरी नीति बनाई जाए। इन्हीं बातों के साथ इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, वक्ताओं की एक लम्बी सूची है। जो अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उन भाषणों को कार्यवाही का भाग समझा जाएगा। आप सभा पटल पर अपने भाषण रख सकते है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, हम कहां खड़े हैं, इस पर बहुत विस्तार से बात हुई है। पहले और दूसरे वक्ता ने हमारी विदेश नीति जो चल रही है, उसी को उन्होंने मोटा-मोटी दोहराने का काम किया है। यकीनन किसी देश की जो विदेश नीति है, वह इस देश की भीतर की ताकत के अनुपात में होती है। देश

की ताकत क्या है, उसी के साथ दुनिया में आपकी ताकत बनती है और आपके साथ दुनिया के रिश्ते बनते एवं बिगड़ते हैं। हालात यह है कि 21वीं शताब्दी और हमारी कितनी पूछ है, थरूर साहब चले गए, यानी मेहमान कितने आए हैं, मेहमान इसलिए जरूर आएंगे, क्योंकि 20-22 करोड़ लोग इस देश में बाजार के लिए फायदेमंद हो रहे हैं। दुनिया का जो बाजार है, उसमें उनका मेल हो गया है। बाकी जो 80 करोड़ लोग हैं, उनके लिए वे नहीं आ रहे हैं। वे आएंगे भी क्यों, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, वे क्यों आएंगे। हमारे यहां जो बाजार है, उस बाजार के लिए वे आ रहे हैं। वे कोई मामूली नहीं है, उससे आधा यूरोप है, जिसके बराबर यहां बाजार है। यहां जो मोटे-मोटे लोग हैं, उनके हृदय नीचे कितने हैं और ऊपर कितने हैं, इस पर विदेश नीति चलेगी। हमारा हृदय नीचे ताकत बनाने का नहीं है इसलिए हम यहां इस हालत में खड़े हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यहां पर कुछ लोग अमेरिका के बारे में बोल रहे थे। श्री जसवंत सिंह जी बोल रहे थे कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा निर्भर मत रहो। बात सही है, लेकिन कल्पना करो कि जो अफगानिस्तान में राज आ गया था, जब यहां से जहाज हाईजैक होकर के कंधार चला गया था तो कोई बात करने वाला नहीं मिला था। अगर अमेरिका में 9/11 नहीं होता तो पक्का जान लो कि अमेरिका कभी अफगानिस्तान नहीं जाता। मैं यह मानता हूं कि अमेरिका वहां अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, इससे इस देश को तात्कालिक लाभ है। लम्बे समय में लाभ नहीं है, तात्कालिक लाभ है। तालिबानों को यदि वह वहां नहीं रोकता और हिन्दुस्तान के बोर्डर पर यदि तालिबान आ जाएं तो हमारी जो कूवत है, हमारा जो तंत्र है, वह कितना लुंज-पुंज है, इसके बारे में ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): वे आएंगे तो हम मार देंगे, उन्हें एक बार आने तो दो।

श्री शरद यादव: वे आएंगे तो...हम बातें नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। अन्यथा मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: नहीं, ठीक है। यह आपकी राय हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य महोदय अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: लेकिन फिर मजा ही नहीं आएगा। आपके हालात ये हैं कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, उससे बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि हमने अपनी आजादी की लड़ाई का कोई सबक आगे बढ़ाया ही नहीं, न आर्थिक क्षेत्र में हमने बढ़ाया। इस देश की आजादी की मजबूती गांव, खेत और खलिहान के जरिये निकलती है। यदि हम इस देश में पानी ही पूरे देश में पूरे खेतों पर ले जाते तो हमारी विदेश नीति में हमारे सामने कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं होता। लेकिन हमने तो रास्ता ही बदल लिया। अब हमारा रास्ता ऐसा है कि पहले बाई-पोलर था तो एक को तो पकड़ ही सकते थे तो हमने ठीक देश रशिया को पकड़ा और इंदिरा जी की सफलता के पीछे वही है कि बाई-पोलर था। उनकी सफलता के पीछे यह भी है कि हिन्दुस्तान के जो आतंरिक संघर्ष थे, उनको भी उन्होंने मिटाया। खालिस्तान यदि बन जाता तो किसी की भी कूवत बहुत मुश्किल होती।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जो भी पूछ है, इस समय का बाजार हमारे यहां हजारों वर्ष से है, लेकिन इस बार का बाजार सिर्फ अमेरिका और यूरोप की सभ्यता के जरिये है। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका पहनावा, हर चीज, उनका रंग, उनका रूप दुनिया को डोमिनेट कर रही है। उसी के बीच में से रास्ता आपको निकालना है, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि उसी के बीच में से रास्ता निकल सकता है और आप निकाल रहे हो। मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, हिन्दुस्तान की विदेश नीति कभी भी ठीक नहीं हो सकती, जब तक हिन्दुस्तान के 100 फीसदी लोगों की शक्ति, ताकत और सामर्थ्य नहीं बढ़ते। अब आप गांधी की तरफ तो वापस जाएंगे नहीं और पूरी तरह से जो सभ्यता आपने अपनाई है, उससे पूरे देश को उस तरह से बनाएंगे नहीं। या तो आप पब्लिक स्कूल सब जगह खोल दीजिए और बच्चा पैदा हो तो उसकी गरदन दबा दीजिए कि तू हिन्दी मत बोल, तू कन्नड़ में मत बोल। आज ट्रांसलेशन से यह देश चल रहा है, ट्रांसलेशन में इसकी विदेश नीति है। चीन के लोग हैं तो वे अपनी बोली में बोलते हैं।

रूस आता है, तो अपनी बोली में बोलता है और यहां ... *(व्यवधान)* अंग्रेजी में ही नहीं बोलते, ऐसी कोशिश करते हैं कि हम तो जार्ज पंचम के करीब हैं। वह क्या करते हैं? ऐसा गलता है कि कोई अमरीका या वहां पैदा हुआ आदमी है। शर्म-अल-शेख

में क्या हुआ? आपने अंग्रेजी के बाबू वहां बिठाकर रखे हैं। उनसे अंग्रेजी ठीक से ड्राफ्ट नहीं हुई। वहीं गलती कर आए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ...*(व्यवधान)* यह देश कई तरह-तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह गलत है, क्योंकि कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। जो अपनी भाषा है, उसे छोड़कर ट्रांसलेशन में कभी खोज नहीं हो सकती है। येरूशलम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक आपने अपनी सभ्यता को कुचला है, इसलिए आप भुगत रहे हैं। आज पूरे पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, उथल-पुथल मची हुई है। यहां उसका लोग क्या-क्या अर्थ लगा रहे हैं? अभी थरूर साहब ने उसके कारण बताए। इंटरनेट है, सेलफोन है, ... *(व्यवधान)* ब्लू लेबल दारू है, यह सब कारण बताए। वह कारण नहीं है। जब से यूरोप की सभ्यता परवान चढ़ी है, तब से येरूशलम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का इलाका हर तरह से नीचे और पीछे चला गया है। वहां तेल है, इसलिए खा रहे हैं, नहीं तो वे मुश्किल में फंस जाते। हमारे यहां बाप-दादा की परंपरागत खेती है, जिसके चलते हम बचे हुए हैं। जहां परमात्मा पैदा हुआ, कृष्णा साहब, यही इलाका है जहां भगवान पैदा हुआ और कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ। जहां माइनस भगवान हैं, जहां परमात्मा नहीं पैदा हुआ, वे सब संपन्न हैं। इस पर कुछ सोचने की जरूरत है। यहां परमात्मा पैदा हुआ, सब भगवान यहां पैदा हुए हैं। भगवान इतना क्रूर है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको एक क्विंटल मिठाई खिलाऊं और कहूं कि तू जाकर अमेरिका में पैदा हो जा, वह बहुत गर्रा गया है। हमाा इंतजाम कर दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह दिल्ली है, आज इक्कीसवीं शताब्दी है। मैं मानता हूं कि बीस फीसदी लोग हिंदुस्तान में दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। इन बीस-बाईस फीसदी लोगों की ताकत कोई कम नही है। लोग आपको मानते हैं। यह बात हकीकत है, कि वह मानते हैं, लेकिन आपकी इस ताकत से नहीं मानते हैं। जैसे आपने, हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए। जब में अपनी सरकार में था, तब अटल जी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, मैंने बहुत कोशिश की, कहा कि बुद्ध मुस्करा गया। अभी बता रहे थे। कि वहां 102 बम भर रखे हुए हैं और यहां पता नहीं कितने रखे हुए हैं। कोई कह रहे थे कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान लड़ेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हो? एक बम दिल्ली में डाल दें और एक बम कराची में डाल दें, तमाशा मच जाएगा, पूरा सबसे बढ़िया इलाका तबाह हो जाएगा। लाल सिंह जी, फौज की जरूरत नहीं है। जो हमने न्यूक्लियर वैपन बनाए हैं, इसको तकिए के नीचे रखे हैं। अब कभी लड़ाई नहीं हो सकती। मैं तो हमेशा इच्छा रखता हूं कि लड़ाई नहीं हो। अगर लड़ाई होगी, तो दुनिया में तबाही के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। पाकिस्तान जैसे नादान देश के हाथ में बम आ गया। वहां पता ही नहीं कौन राज कर रहा है? आप जानते हैं कि वहां फौज राज करती है। यहां तो लोकतंत्र है, यहां एक आदमी के हाथ में ताकत है, वहां तो पता नहीं कितने लोग बटन दबा देंगे? कोई लड़ाई नहीं होना है। जो फौज है, इसको किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करिए। चीन के बारे में जो बात कर रहे थे, सही बात है। वहां ब्रह्मपुत्र है, हमारे बाजू में जो उनका हिस्सा लगता है, उनकी जोग्रैफी लगती है, उस पर वह बहुत मजबूत हो गए।

जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा, वह हमला करेगा या नहीं। हमें जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी है। आपने 1962 में भी यह कहा था कि हकालकर बाहर करो। मैं जवाहरलाल जी की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा था कि हकालकर बाहर करो। कृष्णा जी, हकालकर बाहर करने का नतीजा यह हुआ कि जनरल भागा, फौज भागी, भगदड़ मच गई और गाना गया गया—ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी। गजब देश है। मैं मानता हूं कि यदि पिट जाते तो चोट लगती। हमारे अंदर रंज होना चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए। आज हम पर जरूर मार पड़ी है, लेकिन आने वाले इतिहास में उसका गुस्सा कहां बचा है जो आप कह रहे हैं कि वह हमला करने वाला है। हमला करेगा तो आपका अता-पता ही नहीं लगेगा। यह आपकी हालत है। ...*(व्यवधान)* उसकी तैयारी है, लेकिन हमारी तुलना में चीन की विदेश नीति ताकतवर है, उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है और उसकी आंतरिक स्थिति भी हमसे ज्यादा मजबूत है। यदि हमें मुकाबला करना है तो चीन के सार्थ ही करना है। आने वाली सभ्यता का जो चक्र यूरोप में चला गया है, वह हमारी तरफ तब आएगा जब हमारे और उसके बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा होगी कि चीन और हम बराबर खड़े हो जाएंगे। जसवंत सिंह जी आदि सबने बताया कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं।

आपको मालूम है कि नेपाल के लोगों में सारी पार्टियों के मेल से परिवर्तन हुआ है। कृष्णा जी, वह मेल कराने में मैंने अपने देश के लिए छः महीने लगाए। नेपाल हमारे बाजू में है। श्री बी.पी. कोइराला मेरे साथ दस बार बैठे। मैंने कहा कि आपके हाथ में लोकतंत्र वापस करने की कुवत नहीं है। माओवादी नेता कभी मेरे घर पर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने उन्हें समझाया। जब सब एक हुए तब वहां की मोनारकी बाहर गई। वहां जनता ने काफी बड़ा परिवर्तन किया, लेकिन नेपाल की जनता और वहां की पार्टियों में आपस में जो रिश्ते बिगड़े, उसमें कुछ झगड़े उनके भी हैं। उन रिश्तों को तबाह और बर्बाद करने का काम यदि किसी ने किया, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उसे हमने नहीं निभाया। हमें वहां संविधान बनवाना चाहिए। आपने नेपाल में संविधान नहीं बनवाया, तो हर तरह की आशंका जो लोगों ने की, वह हो सकती है। लोकतंत्र रहेगा तो त्राहि मचेगी। पशुपति बचेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। लाखों लोग हैं जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं।

आपका पहला फर्ज होना चाहिए कि वहां संविधान का निर्माण हो। मुझे पक्का यकीन है कि नेपाल की जनता में पुरुषार्थ है जो किसी तरह दाएं-बाएं नहीं होगी। कोई मुट्ठीभार पार्टी आकर भारत और नेपाल के रिश्तों में गड़बड़ नहीं कर सकती। चीन की छोड़िए। चीन ने दुनिया में कभी किसी को भी टुकड़ा नहीं फेंका। चीन का यह हाल है कि जिस समय मोनारकी हट रही थी तब उन्हें हथियार दिए। वहां के राजा की पूरी सहायता की। लेकिन वहां की जनता ने पलटा और उसमें किसी एक पार्टी का हाथ नहीं है। तराई के लोग थे, पहाड़ के लोग थे, नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की पार्टी थी। मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि हजारों किलोमीटर बार्डर लगा हुआ है।

अपराह्न 5.00 बजे

यदि हमने वहां संविधान बनाने का अपना ठीक रास्ता नहीं पकड़ा, तो यह इतिहास आपके और हमारे नाम पर रोयेगा। हमने यही देखा कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। भारत सरकार यही काम करती रही कि यह बनना चाहिए, वह बनना चाहिए। आप दूसरे मुल्क के बारे में यह कहने वाले कौन होते हैं कि यह बने या वह बने। अगर वहां कोई आम सहमति बन रही है, तो उसे आप क्यों रोकेंगे? मैं जानता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं कह सकता। आपकी सहायता के बिना वहां सरकार बन गयी। मैं प्रधान मंत्री से पांच बार मिला हूं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, उन्होंने गुमराह किया। आज वहां सरकार बन गयी। मैं कह रहा हूं कि वहां सारी पार्टियों के लोग मंत्री बनने वाले हैं। नेपाली कांग्रेस, चाहे आपके तराई के लोग हों, दोनों कम्युस्टि पार्टियों हो, सबका मेल होकर सरकार बनने वाली है। आप यदि ठीक राह पकड़ लें और वहां संविधान बन गया, तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चीन नहीं, अमेरिका आ जाए, वह नेपाल में कुछ नहीं कर पायेगा, हिन्दुस्तान की चलेगी। यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां किसी दूसरे की नहीं चलेगी। लेकिन आप उनके मित्र बनेंगे या मालिक बनेंगे? आप उनको दबाने वाले बनेंगे या आप अपने को प्रेम का छोटा भाई मानेंगे। आपका अपने आसपास के मुल्कों के साथ तभी भाईचारा रह सकता है। कोई छोटा है या बड़ा, राष्ट्र का स्वाभिमान भी होता है। आप वहां कांस्टीट्यूशन बनवाइये। कृष्णा जी, एक-डेढ़ महीना बचा है, आप वहां संविधान बनवाइये। ...*(व्यवधान)* आपके पास समय कम है। आप सब काम छोड़कर तत्काल इंटरविन कीजिए, क्योंकि चीन बाजू में है। चीन के साथ उनका कोई मेल नहीं है। नदी, नाले, संस्कृति, तहजीब आदि हरेक रिश्ता हमारे साथ है। हमारे साथ उनकी पकड़ इतनी मजबूत है। हम सिर्फ वहां अच्छे से चलें और ठीक से संविधान बनवा दें। संविधान और लोकतंत्र से कौन आता है, कौन नहीं आता है? यहां कई सूबों में कई पार्टियों की सरकारें बन जाती हैं। वहां लोकतंत्र आ जायेगा, तो किसी विचार के जीतने की कूवत नहीं, हिम्मत नहीं। लेकिन उनको यह अहसास होना चाहिए कि आप वहां तिकड़म नहीं कर रहे हैं। लोगों का मेल कराके आप नया नेपाल बनाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस देश की विदेश नीति, जिस तरफ हवा बह रही है, उस तरफ हम बह रहे हैं। जब रूस था तब हम रूस के साथ थे। आज यूनीपोलर वर्ल्ड है, तो हम अमेरिका के साथ हैं। मैं केवल एक किस्सा कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारी विदेश नीति कैसी है। हमारे आसपास के लोगों के साथ काफी ज्यादा तनाव हैं। हम चीन की बात करते हैं, चीन का नाम आते ही हर आदमी के अंदर समझ आ जाती है कि अपनी कूवत इतनी बढ़ी नहीं है। जैसे गांव में बड़ा में बड़ा किसान होता है, उसके यहां रमुआ हलवाहे का काम करता है। अब रमुआ पाकिस्तान है और हलवाहे से अच्छा काम लेना पड़ता है, तो हलवा का जो ग्रैंड फादर होता है, चाचा होता हैं, दादा होता है ...*(व्यवधान)* हां चाचा होता है। ...*(व्यवधान)* नहीं, मैं बाप नहीं कहना चाहता। अमेरिका इतना ही करता है कि रमुआ से काम लेना है तो फिर चाचा क्या हम दोनों, मतलब कभी हमें आंख मार देता है और कभी उनको आंख मार देता है। यह सिलसिला 60 साल से चला हुआ है। अमेरिका हम दोनों को कठपुतली जैसे चलाता है। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि देश गलत बंटा है। यह अननैचुरल है। आज नहीं तो कल इसका कोई न कोई महासंघ बनकर रास्ता निकलेगा या फिर आप खत्म हो जायेंगे। इसलिए डॉ. लोहिया ने कहा था कि महासंघ बनाने के सिवाय, पहले तो मुल्क बंटना नहीं चाहिए था, अगर बंट गया है तो अब कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहिए, जिससे महासंघ बन जाये।

महासंघ बनने की बात है। इसलिए बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, इससे ही रास्ता निकलेगा।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, श्री बन्दोपाध्याय बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री महेश जोशी (जयपुर): महोदय, मैं माननीय शरद यादव जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने दो बातें कहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री उत्तर देंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बन्दोपाध्याय के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

****श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरूनेलवेली): भारत की विदेशी नीति विदेश मंत्रालय द्वारा देश की आधारभूत सुरक्षा और विकास संबंधी की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है। अनेक प्रमुख चुनौतियों और मुद्दों तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंक के विरूद्ध युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक आयाम है जिन पर ध्यान दिया जाए।

हमें पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। विकसित और विकासशील देशों में भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार और सम्बन्ध में सुधार करने के लिए, हमें अपने विदेशी दूतों की सहायता से अच्छे सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं।

हमारे माननीय विश्वस्तरीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विभिन्न देशों के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए व्यापक यात्राएं की। इस तरह से, उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, जापान, चीन और अरब देशों के साथ शांतिपूर्ण मैत्री स्थापित की। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थान दिलाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति बैराक ओबामा ने एन एस जी, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रित शासन, आस्ट्रेलियाई समूहों जो परम्परागत हथियार और द्विविध प्रौद्योगिकयों में विदेशी व्यापार और रसायनिक और वासेनर समझौता को नियंत्रित करती है, जैसे विभिन्न अप्रसार समूहों की सदस्यता का समर्थन किया।

श्री लंका: श्री लंका में गृह युद्ध के दौरान, निर्दोष तमिल बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वे अपने घरों और सम्पत्तियों को खो रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत समर्थन किया। 1000 करोड़ से अधिक की निधियां हमारी सरकार द्वारा श्री लंका में उजड़े तमिलों को बसाने के लिए श्री लंका की सरकार को मुहैया कराई गई हैं।

आजकल, तमिलनाडु के मछुआरा समुदायों को श्रीलंका की समुद्री सीमा मछलियां पकड़ने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रायः उनका अपहरण कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। इसका अन्त करने के लिए हमारे विदेश विभाग को समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए शीघ्र प्रयास करने चाहिए।

विदेशों में भारतीयों के हितों की सुरक्षा

जब कभी विदेशों में समस्या पैदा होती है, राजदूतों और भारतीय दूतों को भारतीयों के हितों की सुरक्षा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

लीविया में, आन्तरिक समस्या उठ खड़ी हुई है। हमारे विदेश मंत्रालय के संकट में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न कदम उठाए। परन्तु इसके साथ-साथ, हमें आस्ट्रेलिया और अमरीका पर ज्यादा ध्यान देना होता है जहां भारतीय विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है।

अब जापान एक विकसित देश सुनामी और भूकम्प के जबरदसत खतरे में है। इन लोगों की सहायता करना बहुत अत्यावाश्यक है और हमने भारतीयों को जापान से लाना भी। परमाणु (न्यूक्लियर) परियोजना अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लोग इस परमाणु परियोजना के ध्वस्त हो जाने के कारण ही अधिक प्रभावित हुए हैं। अपने देश में हम कुडनकुलम में एक परिमाणु परियोजना का निर्माण रूस के सहयोग से कर रहे हैं। हमारे दक्षिणी तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, विदेश मंत्रालय को सभी सुरक्षा उपायों के साथ इस परियोजना को स्थापित करने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। रूसी वैज्ञानिकों और सरकार को यह बताना होगा कि यह परियोजना फ्यूजन से सुरक्षित है।

पासपोर्ट और आप्रवास: विभिन्न देशों में विभिन्न प्रयोजनों से जाने के लिए हमारे भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी करना होता है। कुछ भारतीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। कुछ नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। कुछ व्यापार कर रहे हैं। पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी शीघ्रतापूर्वक पासपोर्ट जारी करने और उसके साथ-साथ सुरक्षा दृष्टिकोण पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है।

दक्षिण तमिलनाडु, तिरूनेलवेली में भी पासपोर्ट कार्यन्वय स्थापित किया जाना चाहिये। हमारा विदेश मंत्रालय तत्काल ही तिरूनेलवेली में एक पासपोर्ट कार्यालय शुरू करने वाला है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद: अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद अनेक मौको पर हमारे देश को चुनौती पेश कर रहा है। हमें संवीक्षा और दृष्टिकोण का शक्तिशाली तंत्र बनाकर इस आतंकवाद को टोकने में बहुत सावधान रहना है।

पड़ोसी राष्ट्रों और वैश्विक राष्ट्रों के साथ संबंध अनिवार्य हैं। मजबूत भारत की बेहतरी के लिए संतुलित विदेश नीति अनिवार्य है।

[हिन्दी]

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): विदेश नीति वह नीति है जिस नीति के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा कर सकते हैं।

जब हम अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो विदेश नीति का कोई अर्थ नहीं होता है। अभी हमारे देश में दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरे देश जैसे–पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरीका इत्यादि देशों के द्वारा एक दूसरे के माध्यम से हमारे देश में आतंकी खतरा बढ़ रहा है। यही अभी चीन की बात करें, जो भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। वह हमारे देश में आंतकियों के माध्यम से हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा है। अभी हमारे देश के नक्सली इतने खतरनाक और महंगे हथियार कहां से पाते हैं। यह सब चाईना के माध्यम से भारत में भेजा जाता है। वह हमारे देश को किसी न किसी तरीके से कमजोर बनाना चाह रहा है।

चीन अंदर से अपनी पूरी तैयारी में है। वह मौका ढूंढ रहा है। वह भारत के ऊपर कभी भी चढ़ाई कर सकता है और यह चीन दूसरे देश को भी मदद कर रहा है। महोदय, अभी हमारे देश के सामने पाकिस्तान की क्या हस्ती है, लेकिन जब इसे बाहर देश से सपोर्ट मिलता है तो यह भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तान पूरे हथियार की मदद चीन से लेता है। छोटी हथियार से लेकर एटम बम तक वह चाइना से मदद लेता है और चीन मदद करता है।

अभी हमारे देश में बांग्लादेश के माध्यम से घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है और इन्हीं के माध्यम से बड़ी-बड़ी तस्करी हो रही है और हमारे देश में जितने भी छोटे-छोटे हमले होते हैं वह इन्हीं देशों के माध्यम से होते हैं और हमारे देश की आंतरिक शक्ति को कम करते हैं।

हम लोग समझते हैं कि हमारा पड़ौसी देश दोस्त है लेकिन मैं यहां साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह हमारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे यह दुश्मन हैं। बाहर से अच्छी बात करते हैं और यह अंदर से घात करते हैं। इसलिए में यहां मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारी विदेश नीति है, उस नीति को संशोधन करने की जरूरत है और इस नीति को जो पेपर तक सीमित है, उस नीति को प्रेक्टिकल रूप से लागू करना होगा ताकि हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक और बाह्य सुरक्षा हो सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत): मैं आज अपनी विदेश नीति के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो देश में पले बढ़े कई परिवार पीढ़ियों से विश्व के अनेक देशों में रह रहे हैं। जो अपनी मूल संस्कृति एवं गांव शहरों से संपर्क बनाये रखने के कारण ढूंढते रहते है। मेरे क्षेत्र के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां से हर घर से एक व्यक्ति विदेश में है। वे विदेश में रहते हुए भी अपने देश के प्रति अपनी कृतघ्नता व्यक्त करते रहते हैं। कई गांव ऐसे है जहां स्कूल, कॉलेज सेवाकीय कार्य वे लोग चला रहे है। कई गांवों में मिनरल वॉटर के प्लांट उन्होंने स्थापित किए है। उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करने से देश के गांवों को लाभ पहुंचने वाला है। दोहरी नागरिकता की इस योजना का कार्यान्वयन जिस तरह किया जा रहा हैं उससे यह योजना सफल नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता के आवेदन सिर्फ चार महानगरों में स्वीकार किए जा रहे है जिससे अगर कोई प्रवासी भारतीय देश में आता है और आवेदन देता है तो उसे किसी भी महानगर में जाना पड़ता है। ऊपर से वहां से फार्म दिल्ली आता है वहां पूरे देश भर से आये फॉर्म जब स्क्रुटीनी होकर निकलता है तब इतना समय निकल चुका होता है की वह प्रवासी भारतीय देश छोड़ के चला गया होता है। यदि इस आवेदन की स्वीकृति एवं स्क्रुटीनी राज्यों की राजधानियों में की जाए एवं राज्यों को भी इस कार्य में सम्मिलित किया जाए तो यह प्रक्रिया सुचारू एवं स्पीड से हो सकती है जितने ज्यादा अप्रवासी भारतीय इसका लाभ उठायेंगे उतना उनका देश में प्रवास बढ़ेगा और इससे देश के अनेक क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। जैसे विदेशी मुद्रा का आना, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, देश में सेवाकीय कार्यो में बढ़ोतरी, देश के इंन्फ्रास्ट्रक्चर में उनका सहयोग योगदान। मेरी विनती है की इस संबंध में कुछ ठोस निर्णय यदि लिया गया तो इससे अनेक क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है।

हाल ही में हमारे देश में एक फिल्म बनी थी सरफरोश ऐसी ही कहानी दोहराई गई पाकिस्तानी कलाकार राहत फत्तेहअली खान पर एन्फोर्समेन्ट विभाग ने फेमा का केस दर्ज किया है। सराहनीय है कि केस दर्ज हुआ।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आज तक कितने ऐसे पाकिस्तानी या बाहरी मुल्कों के कलाकार है जो भारतीय मूल के नहीं हैं पर भारत में सिर्फ पैसा कमाने हेतु आते हैं यहां प्रोग्राम देते है और पैसा बटोर कर ले जाते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि साल में भारत का दौरा करने वाले अनेक कलाकारों में से सिर्फ एक पर ही केस दर्ज हुआ। हमारे कलाकारों पर और हमारे यहां बने सिनेमा पर पाकिस्तान बेन लगाता है पर हमारे देश में उनको बारबार वीज़ा मिलता है वे बारबार आते हैं पैसा बटोर कर ले जाते हैं। जैसा की राहत अली के केस में ही कहा गया था कि उन पर काफी समय से सरकार की नजर थी फिर भी उन्हें बारबार वीजा मिलता रहा और देखने की बात यह है की उन पर कुछ रुपये का दंड लगाकर जाने दिया गया। ऐसा शायद इसी सरकार में हो रहा है और अगर किसी पाकिस्तानी को पकड़ा जाए तो उसे 15 लाख रुपये ले कर छोड़ दिया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि गत पांच सालों में कितने ऐसे कलाकारों पर सरकार द्वारा फेमा का केस दर्ज किया गया? क्या एक पर केस दर्ज हुआ इसका मतलब यह माना जाए कि बाकी के लोग हमारे नियमों एवं कायदे के हिसाब से निर्दोष हैं? मेरी यह मांग है कि ऐसे जो जो कलाकार भारत आते हैं उन सबके ऊपर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है साथ ही साथ इस मामले से सुरक्षा का कोई प्रश्न जुड़ा हुआ है या नहीं यह भी जांच की जाए और बाहर से सिर्फ पैसा कमाने आने वाले कलाकारो के प्रवास आयोजकों पर भी वित्त विभाग चौकसी बरते।

हमारे देश के मछुआरों को जो भूल से उनकी सीमा में जाते हैं पाकिस्तान ले जाता है तो उनकी बोट भी वापस नहीं करता और हम उन्हें खुली छूट देते है। यह स्थिति ठीक नहीं है कला के नाम पर हमारे देश को लूटने वालों से उनको बचाना यह सरकार की जिम्मेदारी है ऐसा मेरा मानना है और मेरी यह मांग है की इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कलाकारों के आर्थिक व्यवहारों की जांच कि जाए एवं उनको वीजा बार-बार कैसे मिलता है इसकी भी जांच कि जाए। दुःख इस बात का है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया कि उन्हें बुलाने वालो की कोई जांच हुई है कि नहीं।

केन्द्र सरकार ने अपनी विदेश नीति में ऐसा बदलाव किया है कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार अपने निजी कामकाज हेतु, पारिवारिक कार्य हेतु या अपने व्यापारिक कामकाज हेतु भारत आता है और वह कुछ ही दिनों में वापस जाता है तो उसे अगले दो महीनों तक भारत में किसी भी मार्ग से प्रवेश नहीं मिल सकता।

कई भारतीय विदेशों में स्थायी हुए हैं वे या तो पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या स्थायी हुए हैं। वे किसी भी कारणों से समझो किसी रिश्तेदार के बीमारी के वक्त, या अपने पारिवारिक कारणों से भारत आते हैं और वापस जाते हैं या तो अगले दो महीनों तक उन्हें भारत में प्रवेश नहीं दिया जाता। वे अगर अपने माता-पिता या अन्य कोई रिश्तेदार की बीमारी के वक्त आते हैं और वापस जाते हैं और उस संबंधी का देहांत हो जाता है तो वे अपनी धार्मिक रीति रीवाजो की पूर्ति के लिए भी नहीं आ सकते हैं। अभी कई बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे है उन पर हमले हो रहे हैं और सारा विश्व इस पर चुप है अगर वह बच्चा ऐसे कारणों से भारत आता है क्योंकि माता-पिता और घर दुनिया में उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है इस नियम के कारण वह बच्चा अपनी छुट्टियां या कठिनाई के दिन भारत में नहीं बिता सकता क्योंकि उसे अगले दो महीनों तक वापस प्रवेश नहीं है। यानी वह अगर परीक्षा देने वापस जाता है तो परीक्षा के बाद वह दो महीनों तक वापस नहीं आ सकता। तो वह करे क्या करे तो क्या करें?

इस नियम के कारण जिनके लिए यह नियम बनाया है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन एक बेटा अपनी मां या पिता को कंधा नहीं दे सकता। जो कि उसकी जिम्मेदारी हिन्दू संस्कृति ने दी है वह निभा नहीं सकता। एक मां या पिता अपने बेटे के कंधो पर बिदा होने की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता।

विदेश मंत्री एवं प्रधान मंत्री से विनती है कि इस नियम में संशोधन किया जाए और नियम जिनको ध्यान में रखकर बनाया गया है उनके बजाय देश का आम नागरिक परेशान ना हो ऐसा बदलाव किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** (शिरडी): वर्तमान समय में भारत एक बड़ी शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस बात को पहले ही स्वीकार करना आरंभ कर दिया है। किन्तु भारतीय नीति निर्माता भारत के उभरते स्वरूप के बारे में आशांकित रहे यह उल्लेखनीय है कि जब भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रमुख शक्तियों से बातचीत करते हैं तो वे अपनी कमजोरी की दर्शाते हैं। यह बड़ी चिंता की बात है।

हाल ही में, माननीय विदेश मंत्री चीन की भारत की भान्यता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर वीजिंग गये थे। किन्तु क्या चीन वर्तमान में और निकट भविष्य में सुरक्षा परिषद हेतु भारत की उम्मीदवारी समर्थन करेगा। इस बारे में मुझे संदेह है। भारत जब भी चीन के इस संबंध में समर्थन चाहता है, किन्तु चीन की ओर से

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बेहद नकारात्मक उत्तर मिलता है। क्या इससे चीन के ऐसी विशिष्ट एशियाई शक्ति होने का पता नहीं चलता जिसे भारत जैसे विशाल देश को सुरक्षा परिषद में होने का विशेषाधिकार प्रदान करने पर आपत्ति हैं? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अनुभव ऐतिहासिक रूप से कम उत्साहजनक रहा है। जब भी भारत ने समर्थन के लिये संयुक्त राष्ट्रकी ओर देखा तब-तब इसके हितों को नुकसान हुआ है। भारतीय नीति निर्माताओं को ऐसी संमान्यता की दिशा में कर्म करना चाहिये, जहां वैश्विक राजनीति में भारत गहरी पैठ होने के फलस्वरूप उसे सुरक्षा परिषद में शामिल होने का ब्यौरा लिया जाये।

यदि भारतीय मछुवारे गलती से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करके श्रीलंका के हिस्से वाले समुद्र के पानी में भटक जाते हैं तो मुझे उनकी चिंता होने लगती है। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष जनवरी में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में जाफना और प्वाइन्ट पेडरो के नजदीक दो भारतीय मछुवारे मारे गये थे। पहले मछुवारे पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित रूप से गोलीबारी कर उसे मार दिया गया और दूसरे मछुवारे को समुद्र में कथित रूप से गला घोंट दिया गया और उसकी मौत हो गई। अन्य घटना में तमिलनाडु के 136 मछुवारों को श्रीलंकाई मुछवारों द्वारा घेर लिया गया, जिन्होंने उन्हें पकड़ इस माह के पूर्व में श्रीलंकाई पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे मालूम पड़ा कि इन मुद्दों का समाधान करने हेतु मात्सिय की संबंधी भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की इस माह बैठक होगी। मेरा सवाल यह है कि श्रीलंका जैसे छोटे से देश के पास हमारे मछुवारों की हत्या करने की इतनी शक्ति कहां से आ जाती है। हमारे माननीय मंत्री जी ने आशा जताई है कि श्रीलंका मछुवारों संबंधी मुद्दे पर मानवीय आधार पर विचार करेगा क्या श्रीलंका द्वारा हमारे मछुवारों के विरुद्ध बल प्रयोग किये जाने का कोई औचित्य है? इसका जवाब कौन देगा? वह मानवीय आधार पर विचार नहीं करेगा। मात्र अनुरोध ही पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार को श्रीलंका पर राजनयिक रूप से दबाव बनाना होगा ताकि श्रीलंका की नौसेना हमारे मछुवारों को प्रताड़ित न करे और श्रीलंका अक्टूबर 2008 के मत्स्यिकी प्रबन्धन संबंधी संयुक्त वक्तव्य का अक्षरशः पालन करे। सरकार को मछुवारों में विश्वास पैदा करने बाबत तत्काल उपाय करने होंगे।

एक अन्य गंभीर मुद्दा जिसे मैं यहां उठाना चाहता हूं, वह सोमालिया के समुद्री लुटरों की गतिविधियां हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान सोमालिया के समुद्री लुटरों ने 174 व्यापारिक जहाजों का अपहरण किया है। यह वैश्विक समस्या है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कल भारतीय नौसेना ने 61 संदिग्ध सोमालियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ा और अरब सागर में एक पाईरेट मदरशिप के साथ गोली-बारी के पश्चात 13 मछुवारों को मुक्त करा था। इसके लिए मैं भारतीय नौसेना की सराहना करता हूं मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मौजूदा विधान में आवश्यकतानुसार संशोधन करके इन सोमालियाई समुद्री लुटरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करे ताकि उनहें अविलंब दंडित किया जा सके।

वर्तमान में बड़ी तादाद में उन लोगों जो हज करने के इच्छुक हैं, को शामिल करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के लिए हज कोटा पर्याप्त नहीं है। कई लोग कई वर्षों से आवेदन करते आ रहे हैं किन्तु सीमाक्षों के कारण उनके नामों को राज्य हज समिति की सिफारिश में शामिल नहीं किया जा सका। अतः महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष से महाराष्ट्र राज्य के लिये हज कोटा बढ़ाया जाये ताकि राज्य हज समिति, महाराष्ट्र की सूची में बड़ी संख्या में आवेदकों के नाम केन्द्र सरकार को संस्तुति हेतु शामिल किये जा सकें।

भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं माननीय विदेश मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हालांकि पासपोर्ट के मुद्दे पर कार्रवाई को गति देने के लिये मंत्रालय ने कई कदम उठाये हैं; किन्तु फिर भी आम जनता को अधिकारियों एवं विचौलियों की मिली भगत के कारण भारतीय पासपोर्ट हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है। कई मामलों में, पासपोर्ट तैयार होने के पश्चात् देश के हेतु विभिन्न भागों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में वह प्रेषित किये जाने तो कई दिन तक पड़ा रहता है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि जब पासपोर्ट तैयार हो जाता है तो उस आवेदक को तत्काल क्यों नहीं भेजा जाता। सुपुर्द किया जाता। इसे कई दिनों तक कार्यालय में क्यों रखा जाता है और ऐसा किस प्रयोजन से किया जाता है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह इस मामले की जांच करे और पासपोर्ट के अधिक विलंब किये बगैर जारी किये जाने और प्रेषित किये जाने हेतु ठोस कदम उठाये।

[हिन्दी]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): भारत की आजादी से लेकर अब तक की यात्रा पर अगर हम नजर डालें और भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हमारी विदेश नीति की तमाम कामयाबियों के बावजूद इस लंबे सफर में ऐसे मौके भी आए जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने में असफल रहें।

आज भी विश्व के अनेक देशों के साथ भारत के राजनैतिक मतभेद बने हुए हैं पर वे देश भारत के विशाल बाजार का दोहन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपने पक्ष में कर रहे हैं। चीन इसका साक्षात प्रमाण है। आज भारतीय बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। हमारी हजारों वर्ग मील भूमि पर चीन का कब्जा है जोकि आज एक गंभीर चिंता का विषय है।

प्रश्न चाहे कश्मीर की समस्या का हो या फिर तमाम छोटे-छोटे पड़ोसी देशों द्वारा जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि का समय-समय पर हमें आंख दिखाना हो या फिर विदेशों में भारतीय छात्रों, मंत्रियों एवं राजनयिकों के अनेकानेक अपमान की घटनाओं पर हमारा ढीला-ढाला रवैया रहा हो, यह कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को उजागर करता है। तमाम ऐसे मौकों पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को कठोर तथा निर्णायक कदम उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए।

भारत की विदेश नीति की बुनियादी प्राथमिकताएं सुरक्षा और विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था में हमें अपनी विदेश नीति को धार देने की अतीव जरूरत है तथा कूटनीतिक मोर्चे पर भी विशेष प्रयास करना वक्त की मांग है। अत: हमें एक ऐसी सुदृढ़ विदेश नीति बनाकर उस पर अमल करना चाहिए जिससे भारत विश्व राजनीति में अपना अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके तथा शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियों के खिलाफ वैश्विक कार्यवाही की जा सके।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): विदेश मंत्रालय, नालंदा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को नए तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्प है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतिश कुमार ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय के पुरस्थापना के लिए जो भी जरूरत होगी, बिहार सरकार उसे पूरा करेगी और अभी तक उसने इस बारे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल श्रेय महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य सारिपुत्र को जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में सारिपुत्र का स्मारक स्तूप है जिसे सम्राट अशोक महान ने तृतीय शताब्दी ईसापूर्व में निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि सारिपुत्र आम्रवाटिका में आम के पेड़ के नीचे बौद्ध दर्शन और जीवन-दर्शन जीवन जीने के सिद्धांत एवं कला की पढ़ाई अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और यही चीज आगे चलकर धीरे-धीरे, पर्णकुटिका में बदली, फिर धूप-छांव से बचने के लिए ईंट का बना जोकि कालांतर में आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय का रूप लिया। यहीं पर प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग 627 ई.वी. में आए और बौद्ध दर्शन की पढ़ाई की और यहीं पर फिर आचार्य हो गये और फिर अपने देश चीन लौट गये। लेकिन उन्होंने भारत-चीन मैत्री की आधारशिला रखी और इसी की यादगारी में नालंदा में ह्वेनसांग म्यूजियम भी है जोकि भारत-चीन मैत्री का एक आधार स्तंभ है। मैं माननीय मंत्री से यह मांग करूंगा कि वो इस म्यूजियम को भारत-चीन मैत्री का आधार स्तंभ बनाने में प्रचार-प्रसार करे। मैं यह भी मांग करता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में सारिपुत्र की महत्ता को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी मूर्ति को विश्वविद्यालय परिसर में लगाया जाए एवं उनके नाम पर पुस्तकालय, सेमीनार हॉल इत्यादि का नामाकरण किया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाए। एवं इसके सभी खाली पदों को रोजगार सूचना कार्यालय/रोजगार समाचार में प्रकाशित कर, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लेकर किया जाए। ताकि सही प्रतिभा, इस विश्वविद्यालय में आ सके। कहा जाता है कि प्राचीन विश्वविद्यालय में द्वारपाल, विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया करते थे एवं उन्हीं के साक्षात्कार के आधार पर नामांकन की सम्पुष्टि होती थी।

भारत वर्ष को अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक करने सार्थक पहल करनी चाहिए। भारत का किसी भी पड़ोसी देश से बहुत मधुर संबंध नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देश, आतंकवाद एवं उग्रवाद, नकली नोट बनाने वाले गिरोह, मादक पदार्थों की तरस्करी का प्लेटफार्म बन गया है, और वहां से चोरी-छिपे हमारे देश में आते हैं। इसीलिए यदि हमारे पड़ोसी देशों से अगर मधुर संबंध होंगे, तो भारत दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

फिलिस्तीनियों से हमारा सदा मधुर संबंध रहा है और हमने उन्हें हर विपत्ति में पहले भी मदद किया है और हमारी भी वो मदद करते रहे हैं। अभी जब वो विपत्ति में पड़े हैं, तो हमें उनकी दिल खोलकर मदद करनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए हमें सार्थक पहल करनी चाहिए और जो देश इस मामले में हमें सहयोग दे रहे हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। उनके सहयोग को आगे बढ़ाने में परस्परता और निरंतरता बनाये रखनी चाहिए। हमें जिन देशों का सहयोग नहीं मिल रहा है उनका सहयोग लेने के लिए हमें हमेशा सार्थक कदम उठाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को उस देश का दौरा करना चाहिए एवं उस देश के प्रधानमंत्री को अपने यहां आमंत्रित कर इस बारे में परस्पर द्विपक्षीय समझौता करना चाहिए। हम विश्व में तभी ताकत बन सकते हैं जब हम सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बनेंगे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, हिन्दी को बनाये जाने के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और हिन्दी समझने-बोलने वाले, विश्व में एक हैसियत रखते हैं एवं एक स्थान रखते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके लिए बहुत पहले एक सार्थक पहल किए थे इसी को आगे बढ़ाये जाने की जरूरत है।

मछुआरों को गुजरात के साथ सटे हाईसी में मछली मारते समय, पड़ोसी देश वाले पकड़कर ले जाते हैं। हमें इसका समाधान पड़ोसी देशों से मिलकर करना चाहिए ताकि मछुआरों को गिरफ्तार कर पड़ोसी देश, अपने देश में नहीं ले जा सकें और हम लोगों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि उन लोगों को भी ऐसा कष्ट नहीं पहुंचे। फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमारे देवीमाता मंदिर जोकि सिंध प्रान्त में है, को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको ठीक किये जाने की जरूरत है। और फिर अंत में, चीन के साथ स्टेपल वीजा और फिर सीमा विवाद यथाशीघ्र सुलझाये जाने की जरूरत है।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): विदेश मंत्रालय के लिए 2009-10 में 718, 2010-11 में 700 और 2011-12 में 800 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया गया है। जो हाल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारत को अलग-थलग बनाने की राजनीति चल रही है। इसके नजरिए से देखें तो ये बजट बहुत कम और भारत विदेश नीति के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए बहुत कम है।

भारत सरकार के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के उत्तरदायित्व का विभाजन 30 मुद्दों में विभाजित किया गया है। उसके कार्यकलाप को देखते हुए यह बजट बहुत कम है।

विदेश नीति का एक सिद्धांत है कि "मित्र बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जाते" इसके तहत साम्यवादी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों के पास से हमने कुछ अच्छी बाते नहीं सीखी हैं। श्रीलंका ने आतंकवाद का खात्मा किया, भूटान में आतंकवाद को पनपते ही नष्ट कर दिया, पाकिस्तान जो आतंकवाद की नर्सरी है और भारत में वह आतंकवाद का जहर बार-बार फैला रहा है-कश्मीर के प्रश्न में हमारी निष्फलताएं, बांग्लादेश की घुसपैठियों को रोकने और भगाने में हमारी लाचारी, चीन के साथ भू-सीमांतों का प्रश्न, नेपाल के मांओवादियों के सामने हमारी घुटने टेकने की नीति, तिब्बत में भारत विरोधी चीन का हस्तक्षेप के बारे में हमारी निष्फलताएं उजागर करता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2010-11 के बजट में विदेश मंत्रालय के तहत देश के 200 जिलों में पासपोर्ट आफिस के कार्यान्वयन की बात की थी लेकिन उसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है लोगों को आज भी दिक्कतें झेलनी पड़ती है।

भारत में समुद्रीय और अन्य सीमाओं से हजारों लाखों घुसपैठिए आ जाते हैं और हमारी कानून व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं इसकी पहचान करने में भी विदेश मंत्रालय असफल रहा है। जो लोग विदेश से वीजा लेकर आते है उनमें से 10 में से 6 लोग यही पर रह जाते हैं। वही लोग आतंकवाद, जाली नोटों, नशीले पदार्थों के कारोबार में लग जाते हैं जिससे देश की कानून व्यवस्था चरमरा जाती है।

हाल ही में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी को ताले लग गए और इसमें से 95 प्रतिशत भारतीय विद्यार्थियों की पढ़ाई खत्म कर दी गई, वीजा खत्म कर दिया गया और उनको भगाने के लिए उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। ज्यादातर विद्यार्थियों के पांव में जासूसी करने के लिए सैंसर यंत्र लगाये गए और हमारी सरकार अमेरिकन सरकार के सामने ठोस विरोध करने की क्षमता भी नहीं जुटा पाई यह सब हमने देखा है।

मुंबई में बम ब्लासट करके माफिया गिरोह आतंकवादी दाऊद मेमन करांची, पाकिस्तान में ठहरा है और वहीं से फिर से मुंबई में आतंकवाद करवाता है और उनको और अन्य आतंकवादियों को प्रत्यार्पण संधि होने के बावजूद भारत लाने में असफल रहे हैं।

भोपाल त्रासदी का बड़ा गिरोह जैक एडरसन और क्वात्रोची को वापस लाने में और उनको अदालत में काम चलाने में असमर्थता बताती है कि हमारी विदेश नीति कितनी खोखली है।

पाकिस्तान के साथ 1995 में पंत और मिर्जा करार निर्बंधनों के अनुसार पाकिस्तान के गैर मुस्लिम धर्म स्थानों और भारत में मुस्लिम धर्म स्थानों का संरक्षण और परीक्षण की जो बात कही गई है लेकिन आज पाकिस्तान में हिन्दु धर्म स्थानों की कितनी बुरी हालत है क्या विदेश मंत्रालय को इसका संज्ञान नहीं है?

सोमालियाई दरियाई लुटेरों की गिरफ्त में अभी भी 53 भारतीय हैं उनको वापस लाने में आज भी विदेश मंत्रालय ने कोई ठोस क़दम नहीं उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक हम सोमालियाई लुटेरों के सामने कठोर कदम उठाने में और सबको साथ लेने में भी असफल ही रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय विद्यार्थियों के साथ 3 साल से मारपीट, बलात्कार, लूटपाट जैसा व्यवहार हो रहा है और कई बच्चे

पढ़ाई छोड़कर अपने भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं इसमें भी विदेश मंत्रालय का रवैया भी परिणामलक्षी नहीं रहा है यह सारी दुनिया जानती है और हमारे भारतीय लोगों के हितों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और भारत सरकार हाथ पर हाथ रखें केवल निवेदन बाजी करके अपना कर्तव्य पूर्ण करने का अहसास करती है।

हाल ही में 9 मार्च को गुजरात की (बड़ोदा की) तोशा ठक्कर के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या हुई है और हमारी सरकार ने इसके सामने विरोध जताने की कोई कोशिश तक नहीं की।

गुजरात के मच्छीमारों को पाकिस्तान की मरीन सिक्युरिटी ऐजेंसी द्वारा बार-बार पकड़ने की और उनकी 479 बोटों को अक्टूबर 2003 से जनवरी 2011 तक कस्टडी में लिया गया और 2333 मछुआरों को गिरफ्त में लिया है उनको छुड़वाने के लिए अब तक गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ 101 पत्राचार किए हैं।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार के साथ संवाद करके मछुआरे और उनकी बोटों को मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाएं।

पांच महा शक्तियां जों युएन में स्थायी सदस्य हैं उनके नेताओं ने 2010 में भारत की यात्रा की लेकिन उन सभी का मकसद सिर्फ भारत देश से बड़े बाजार का लाभ उठाने का ही दिखाई दिया। हमारी सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्य सभ्य बने उनके बारे में हम ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए।

मिडल ईस्ट में जो सत्ताधीश हैं उनके सामने लोगों ने मोर्चा खोल दिया है उसको अच्छी तरह समझ के हमें विदेश नीति शांति स्थिरता और विकास के लिए सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हमें चीन और पाक की हमारी विरोधी नीति को अच्छी तरह समझ के करारा जवाब देने के लिए सक्षम होना पड़ेगा और सीमा पार से हो रही आतंकवाद की घटनाओं को निरस्त करने के लिए चाणक्य नीति निर्माण करना जरूरी है। इजराइली पैटर्न से हमें संरक्षणवादी विचारधारा के बदले आक्रामक विचारधारा अख्तयार करनी पड़ेगी।

सार्क, आशियन, ब्रिक, जी-20 के समुह के साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें अलग से सोचने की जरूरत है।

सुझाव:

1. भारत के लिए स्थायी सदस्यता प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् में कड़े प्रयास किए जाने चाहिए।
2. हिन्दी भाषा को अधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं।
3. भारत-चीन सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
4. तिब्बत के संबंध में चीन की गतिविधियों पर बारीक नजर रखने की आवश्यकता है तथा चीन के साथ स्टेपल वीजा का मुद्दा उठाए जाने की आवश्यकता है।
5. भारतीय लोगों जो लीबिया में फंसे हैं उनकी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
6. पाकिस्तान तथा बलुचिस्तान में रह रहे भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
7. भारतीय राजदूतों, अधिकारियों तथा राजनेताओं के साथ विमान पत्तनों पर हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बात-चीत करने की आवश्यकता है।
8. विदेशों में भारतीय छात्रों नागरिकों की सुरक्षा हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
9. भारतीय मछुआरों की संरक्षा, सुरक्षा और रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
10. भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति, स्थायित्वता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत भूमिका को और अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए।
11. भारतीय युद्ध बंदियों और कैद भारतीयों की पाकिस्तान जेलों से रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या-31 का समर्थन करने हेतु खड़ा हूं। यह चर्चा श्री जसवंत सिंह जी ने अपनी बहुत शक्तिशाली एवं सुदृढ़ टिप्पणियों के साथ आरंभ की थी और उसके पश्चात् डॉ. शशि थरूर बोले जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और तत्पश्चात् अन्य माननीय सदस्य बोले।

महोदय, इस मांग पर विचार करते हुए मैंने पाया है कि मंत्रालय बजट का आवंटन वास्तव में मात्र 7,106 करोड़ रु. है। इसमें से, योजनागरपब्लिक की राशि 800 करोड़ रु. के भीतर है।

वैसे तो विदेश मंत्रालय का कार्य अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित है। सभी अन्य मंत्रालयों में इसकी स्थिति आकर्षक है। किन्तु मैं माननीय विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय कामकाज को बड़े स्तर पर चलाने में धनराशि की भारी किल्लत के कारण समस्या से जूझ रहा है।

विदेश मंत्रालय के बजट संबंधी दस्तावेजों को पढ़ते हुये मैंने पाया कि इसमें मुख्यत: सचिवालय की सामान्य सेवाएं शामिल हैं और मुख्य शीर्षो के साथ विदेशी परिसंपत्तियां राजदूतावास और मिशन हैं। और अधिक अनुवर्ती कार्रवाईया की जा सकती हैं एवं कदम उठाये जा सकते हैं जिनके माध्यम से हम और अधिक राजदूतावास एवं मिशन खोल सकते हैं।

पासपोर्ट और उत्प्रवासन का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा अब तक न तो पक्ष की ओर से और न ही विपक्ष की ओर से उठाया गया है। हम पर अक्सर आरोप लगते हैं कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों तक उन आम आदमियों की पहुंच नहीं हो पाती जो अपनी अपनी समस्याओं के समधान हेतु अक्सर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के पास जाने एवं उससे बाचीत करने के इच्छुक होते हैं। उस पक्ष की ओर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कोलकाता शहर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है और मुझे कमोबेश नियमित रूप से इस बार-बार शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि जहां तक उनकी शिकायतों का संबंध है, पीआरओज समुचित ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मंत्री महोदय, आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं और विशेष राजनीतिक व्यय भी होता है, जो कि पूर्णतया अपने विवेकाधीन होता है। आपके पास मनोरंजन (इंटरटेनमेंट) संबंधी प्रभार भी होते हैं। आपका अपना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र भी होता है और आपके अधीन हज सद्‌भावना शिष्ट मंडल तथा मानसरोवर तीर्थयात्री भी आते हैं। लेकिन जब हम तीर्थ यात्री मक्का मदीना को जाते हैं अथवा वापस आते है, तो उन्हें जबरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यह आम बात हो गई है। यह वायुयान की कमी अथवा कुप्रबन्धन की वजह से हो सकता है लेकिन हज करने वालों के लौटते समय बहुत कठिनाइयों होती है, हज यात्री जिन्हें किसी विशेष तारीख को आना होता है, को देश में आने में दो सप्ताह, तीन सप्ताह का विलम्ब हो रहा है। यह प्रमुख मुद्दा है, जिसे हमें हलके में नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं इस मामले की पूरी गंभीरता से लेना चाहिए।

भारत का एक दृढ़ सिद्धान्त है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के सिद्धान्त में दृढरूप से विश्वास रखता है। यह बहुत समय पहले में मूलमंत्र था। मुझे भारतीय युवा कांग्रेस से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बुल्गारिया के वर्णा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। मैंने आई आई टी का प्रतिनिधित्व किया। उस समय, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपनाए गए और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अनुमानित भारत की विदेश नीति की विशिष्ट विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय एकता और भाईचार थे। ये दो मूलमंत्र वास्तव में भारत को विश्व के नेताओं के समकक्ष ले आए।

हम उस समय नेहरू, खूब सचेत और केनेडी के पक्ष में नारे लगते थे। तत्पश्चात तीन विश्व स्तरीय नेताओं के गठजोड़ से विश्व में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जो विश्व को एक बहुत ही शांतिपूर्ण दिशा दे सकते थे।

मैं शरद यादव जी की सराहना करता हूं, जिन्होंने कहा हैं, कि दो प्रमुख शक्तियां है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरी सोवियत संघ लेकिन एक प्रमुख शक्ति अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। अत:, अमेरिका अब सारे विश्व में एक मात्र महाशक्ति बन गया है और वह यह शर्ते तथा करता है कि दुनिया को किस तरह से और कितनी क्षमता से चलना और आगे बढ़ना है। भारत, एक ओर तो खतरनाक आतंकवादी हमलों का सर्वाधिक भुक्त भोगी है। पहले विश्व के पास आतंकवादी हमलों के बारे में कहने को कुछ नहीं यह और वे प्रतिक्रिया नहीं करते थे परन्तु जब संयुक्त राज्य में 9/11 को आतंकी हमला हुआ तो नारे आने लग कि हम आतंकवाद के विरुद्ध लडना है।

इसलिए जब हम संयुक्त राज्य के साथ बातचीत कर करते, तो हम उनहें बहुत स्पष्ट संकेत देते थे कि हमारा पड़ोसी, हमारे जैसा देश, भारत, जो अभी भी अपनी इतनी आर्थिक समस्याओं के साथ अपने पैरों खड़े होने का प्रयास कर रहा है इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह पाकिस्तानी आक्रमणों और उनके आतंकी दलों से अपने देश को बचाने के लिए ही है, कि हमारे कुछ बजटीय सहायता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने इतने देशों की यात्री की। आपने भी कुछ देशों का दौरा किया है। वे भी हमारे देश में आ रहे है। अत: जाने और आने और ऐसी बातचीत करने से निश्चितरूप से कुछ परिणाम निकलने चाहिए जिससे हम महसूस करे कि भारत सारे विश्व को एक वास्तविक नैतिक बल प्रदान कर सकता है।

मैं आपके सामने कुछ सुझाव दूगा, यद्यपि ये प्रस्ताव कुछ प्रस्तावों के माध्यम से भी पुर: स्थापित किए गए हैं। स्थायी सदस्यता पक्की करने के लिए किसी वार्ता की आवश्यकता है, चूंकि श्री विजय बहादुर सिंह कह रहे थे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थान वास्तव में कहां है? हमने दो वर्षो के लिए ही सदस्यता प्राप्त की है, और फिर इसे पुन: समाप्त कर दिया है।

हम निश्चित रूप से एक विशेष मुद्दा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार से पूरा सदन संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारक भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु सार्थक कदम उठाने के लिए समर्थन देगा। हिन्दी भाषा को स्वीकृत भाषाओं में से एक माना जाना चाहिए, एक ऐसे देश की भाषा जहां 110 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा है।

विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कल भी आस्ट्रेलिया में एक युवती का बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी अब यह रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। हम कहां तक कदम उठा रहे हैं और हम किस प्रकार का कठोर रवैया पेश कर रहे हैं? हमें इनमें से किसी भी देश के बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं हैं जहां विद्यार्थियों के हित इतनी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई अड्डों पर हमारे देश के राजनीतिज्ञों, महत्वपूर्ण फिल्म अभिनेताओं, आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों और राजनायिकों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी वे चेकिंग (जांच) के लिए जाते हैं, वे अपनी पहचान देते हैं, परन्तु इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है और अन्ततोगत्वा यू एस ए प्राधिकारी के यह कहते हुए खेद व्यक्त करने वाला एक पत्र है कि यह उनकी तरह से अनुचित था और वह खेद व्यक्त करते हैं। इस मामले को भी अत्यधिक दृढ़ता से उठाया करना चाहिए।

भारत का एक देश के रूप में प्रत्येक मुद्दे पर अपने स्वयं के विचार हैं। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए हमारे अपने विचार हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा के बारे में अपने स्वयं के विचार हैं, जिसके लिए हमें अपने उपाय करने होंगे अथवा कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी तो यही राय है कि हमारे अपने ऊर्जा संसाधन हों। जलवायु परिवर्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय और आर्थिक संकट पर, भारत की बात सम्मान के साथ जी-20 सम्मेलन, जी-8 प्लस और जी-5 में भी सुनी गई थी। जलवायु परिवर्तन का मामला कोपहगेन सम्मेलन में भी उठा।

भारत के पास अब सारे विश्व में अपनी आवाज उठाने के लिए पर्याप्त माद्दा और शक्ति है जहां देश की प्रतिक्षा जनता की आंखों में बढ़ी है। वैश्विक रूप के भारत अब निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति है जिसके नजर अंदाज नहीं किया जा सकता और हम महसूस करते हैं कि यदि हम सब एकजुट रहें तो हमें किसी और की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि चीन अपने मानव संसाधनों का प्रयोग करके एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, तो भारत अवसर की मांग के अनुसार ऐसा क्यों नहीं कर सकता है?

यदि देश के बाहर किसी भाग में लोकतंत्र को चोट पहुंचती है अथवा लोकतांत्रिक प्रयासों को विफल किया जाता है तो भारत उठ खड़ा होना चाहिए और विरोध करना चाहिए। कुछ दिन पहले मिस्र के मुद्दे ने सारी दुनिया को हिला दिया था। गद्दाफी के मुद्दे ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को खतरे में डाला है। भारत को हिचकिचाहट के बिना एक सुर से वक्तव्य देना होगा कि हम लोकतंत्र के पक्ष में दृढ़ता से खड़े हैं और जैसा कार्य में हुआ, लोकतंत्र को किसी चरण अथवा किसी स्तर पर चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत निश्चितरूप से मौके पर अपना मत रख रहा है।

मैं दोहराता हूं कि भारत की अन्तर्राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की मूल विचारधारा इस दुनिया को नई दिशा दे सकती है मेरा विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के सक्षम नेतृत्व में, भारत निश्चित रूप से सही दिशा प्राप्त करेगा और विश्व एक ऐसी शक्ति बनेगा जिसे लोग तवज्जों देंगे।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): हर कोई देश के लिए अपनी विदेश नीति अति महत्व की होती है, क्योंकि विदेश नीति के साथ अपने देश की बुनियादी सुरक्षा और विकास पूरी तरह से जुड़े होते हैं। हमारी विदेश नीति हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। हमारे देश की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए हम विदेश नीति को आयाम देते हैं।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 64 सालों के बाद भी हम सफल विदेश नीति का निर्माण नहीं कर पाये हैं। विकीलीक्स के लीक हुए दस्तावेजों ने हमारी पोल खोल दी है। मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया में आज हमारा मित्र राष्ट्र कौन है? ऐसा कौन देश है जो तकलीफों में हमारे साथ खड़ा रहे? हमारे पड़ोसी देशों की बात करूं तो ज्यादातर देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन, जो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, उसका आज भी हम विश्वास नहीं कर सकते। दोस्ती के नाम पर हमारे साथ विश्वासघात किया, हमें धोखा दिया गया और हमारी हजारों चोरस किलोमीटर जमीन हड़प कर गया, जो आज दिन तक वापस नहीं लौटाई है। तीन दशक तक हमारे साथ वार्तालाप करता रहा और हमारे चारों और फैलता रहा। हमारे लिए चुनौतियां खड़ा करता रहा जो आज भी कर रहा है। विश्वासघात उसकी प्रकृति में है। वह कब हमारा विश्वासघात करेगा, कोई नहीं कह सकता?

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पाकिस्तान तो दुश्मन बनकर ही पैदा हुआ। सदा हमारे लिए समस्या बनता रहा। त्रासवादका जन्मदाता बनकर हमारे देश में आतंकी फैलाता रहा। हजारों निर्दोष लोगों की जान लेता रहा। कश्मीर समस्या में भी आग झोकने का काम करता रहा। आज वो भी गृहयुद्ध की कगार पर खड़ा है, पर फल क्या होगा कोई नहीं जानता।

बांग्लादेश, जिसको हमारे कारण आजादी मिली, हमारे कारण उनका जन्म हुआ वो भी आज हमारे साथ नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति श्रीलंका की है।

नेपाल जो एक मात्र हिन्दू राष्ट्र था, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था, उसे भी हम संभाल नहीं सके वो भी आज माओवाद के चपेट में आ गया है।

अमरीका हमारे साथ है, वो हमारा मित्र राष्ट्र है ऐसी बात कहकर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन अमेरिका एक व्यापारी राष्ट्र है, वो अपने हितों एवं रिश्तों को ही ध्यान में रखता है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते।

अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वस्तर को ध्यान में रखते हुए, अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए, हमारी विदेशी नीति का निर्माण करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): सभापति महोदय, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूं जो माननीय सदस्यों ने विदेश मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य के बारे में कही है। जो देश की संरक्षा और सुरक्षा के बारे में थी साथ ही साथ विदेश मंत्रालय केवल विदेशी मामलों तक ही सीमित नहीं है। यह कुछ वास्तविक आन्तरिक मुद्दों में भी संबंधित है। हममे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय है। इन मंत्रालयों का कुल उद्देश्य शांति, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना हे।

इस मांग पर चर्चा में भाग लेते समय, हम कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्रता के समय से अपनी स्वतंत्र नीति अपना रहा है यह सच था कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, और बाद में भी हम ऐसे ही स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करते आरहे हैं। हम गर्व कर सकते हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एन ए एम) का चेयरमेन हो यह सच है कि प्रत्येक देश की अपनी समस्याएं हैं, और यह कि उस देश की अन्य देशों की समस्याओं को समझना है। लेकिन साथ-साथ हमें अपनी संप्रभुत्ता और स्वतंत्रता का त्याग केवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अन्य देशों के साथ सम्बन्ध रखने हैं।

जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया है, मैं सहमत हूं कि कुछ सीमा तक हम अनेक मामलों में यू एस के पक्षवाली नीति का अनुपालन कर रहे हैं। यह सत्य है कि सोवियत संघ और पूर्वी राष्ट्रों के धराशायी हो जाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक खालीपन आ गया था। परन्तु साथ ही अब परिस्थितियां भी बदल गई है। हम नहीं कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व है जिसमें अमेरिका महाशक्ति है। हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र जगत में देखते हें कि लेटिन अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्रों, शंघाई सहयोग और एशियाई देशों में भी क्षेत्रीय सहयोग है। अतः हमें यह देखना और समझना चाहिए कि यू एस ही कोई एकमात्र देश नहीं है जो सब पर हुकुम चला सके।

हमने देखा है कि सरकार ने अनेकों कार्य किये हैं। विश्वव्यापी विरोध होने के बावजूद हम अमरीका और इसके सहयोगियों द्वारा इराक पर बर्बरता किये गये आक्रमण पर जोरदार आवाज नहीं उठा सके जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरु के दिनों में था, और हम इस समय कोई आवाज नहीं उठा सके जब फिलीस्तीन के टुकड़े कर दिये गये जैसा कि हमने एनएएम. के दिनों में किया था जब हम चेयरमैन थे। ईरान के विरुद्ध दो बार नकारात्मक मतदान करने का क्या कारण था? गैस पाइप लाइन जो ईरान से तुर्कमेनिस्तान होते हुए भारत आती है को संबंधी समझौता वापस लेने के क्या कारण थे? यह सब कुछ अमरीकी दबाव के कारण किया गया था। इसलिये मैं कहता हूं कि इसने अनेक मुद्दों पर अमरीका समर्थित नीति का अनुकरण किया है। इसके साथ ही विश्व में परिवर्तन देखे जाने थे। अमरीका अपनी बेरोजगारी पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है, इसका अपना वित्तीय धारा है इसकी अपनी वित्तीय स्थिरता है। अतः भारत को इन परिवर्तनों को महसूस करना है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें अन्य देशों के साथ संबंध नहीं रखने चाहिये। हमें अमरीका, रूस, चीन के साथ बेहतर संबंध रखने चाहिये लेकिन इसी के साथ मेरा यह भी तर्क है कि हमारी संप्रभुता से केवल इसलिये समझौता नहीं किया जाना चाहिये कि हमारे कुछ राजनीतिक हित हैं एवं हमारे द्वारा स्वीकार की गई स्वतन्त्र नीति के विरुद्ध है।

वास्तव में, अमरीकी साम्राज्यवाद अनेक क्षेत्रों में अपनी शक्ति दिखाता रहा है। ऐसा केवल अन्य देशों के साथ सम्बन्ध के मुद्दे पर ही नहीं है बल्कि अन्य हितों के मामलों में भी है। मैं चौदहवीं लोक सभा में इस सभा का सदस्यता जिसमें परमाणु संधि पर चर्चा हुई थी। हमें पता है कि सरकार ने इस विधेयक के पक्ष में बहुमत

कैसे जुटाया है। हमने भी न्यूक्लीयर सिविल लाइबिलिटी विधेयक पर चर्चा की थी यह पता है और यह ऐसी रिपोर्ट भी हैं कि अमरीका ऐसे अनेक खंडो जिन्हें हमने सम्मिलित किया है विशेषकर जिम्मेदारी एवं कुछ अन्य मुद्दों से पूरा संतुष्ट नहीं है।

जहां तक अमरीका का संबंध है हमें पता है कि वह सदैव अपने हित साधन में रहता है। वासतव में यह सत्य है। जैसा कि डॉ. शशि थरूर द्वारा बताया गया, यद्यपि स्वतन्त्र नीति तेजी से बदल रही है और नये वैश्विक परिवेश में इसकी आवश्यकता है लेकिन इसी के साथ यह अन्य देशों के हित में नहीं होना चाहिये। समय की कमी के कारण मैं अन्य मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता हूं।

जहां तक हमारे देश का संबंध है मध्य-पूर्व के देशों में हाल की घटनायें गंभीर चिन्ता का विषय है। मिस्र में परिवर्तन वास्तव में ऐतिहासिक है। यदि आप देखें तो सभी वर्गो के लोग-मुस्लिम ब्रदरहुड, द कम्यूनिस्ट ग्रुप, द क्रिश्चियन ग्रुप मुबारक के विरुद्ध लड़ने के लिये एक साथ आ गये। ऐसा ही हमने लीविया एवं अन्य कुछ देशों में भी देखा है। इसलिये एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका हमें उल्लेख करना है। जहां तक इन मुस्लिम देशों का संबंध है ऐसा विश्वास है कि वे अपनी एकजुटता धार्मिक मुद्दों पर दिखाते हैं जबकि यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह बेरोजगारी, खाद्य समस्या, मुद्रास्फीति एवं इसी प्रकार के अन्य विषय से संबंधित मुद्दा है। हाल की इन घटनाओं के बारे में हमारा विचार क्या है या हमारा दृष्टिकोण क्या है?

मेरे विचार से इन देश के लोगों को निर्णय लेने हैं। उनके मामले में हस्तक्षेप करना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा समाचार आया है कि अमरीका, ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने लीबिया में हस्तक्षेप करने का निर्णय किया है। मेरे विचार में इससे और लोग हताहत होंगे। इसी के साथ ही इन देशों के लोगों के भाग्य का निर्धारण केवल जनता द्वारा होना है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि सरकार ने लीबिया और अन्य देशों से लोगों को वापस लाने के लिये सभी संभव उपाय किये हैं। इसी के साथ मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उनका भी ध्यान रखा जाना है।

पाकिसतान राजनीतिक स्थिति अधिक अस्थिर हो गई है। पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हाल में पंजाब के गवर्नर और अन्य अल्पसंख्यक सरकारों के प्रमुखों की हत्या यह दर्शाता है कि कट्टरपंथी ताकतें अपना प्रभाव दिखा रही हैं। अमरीका की सीआईए आपरेटर द्वारा करांची में दो पाकिस्तानियों की हत्या से स्थिति और बदतर हो गयी है। हमें आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने हेतु सभी कदम उठाने चाहिये। इसी के साथ अन्य मुद्दों पर भी विचार करना है।

जहां तक श्रीलंका का संबंध है, श्रीलंका युद्ध समाप्त हो गया है। इसी के साथ श्रीलंका सरकार का एक वादा श्रीलंका के तमिलों का पूरा पुनर्वास किए जाने के बारे में है। इसे अब तक पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। ऐसा पता चला है कि श्रीलंका के बहुत से लोग अभी भी बुरी हालत में हैं। हाल के समय में तनाव बढ़ गया है क्योंकि दो मछुआरे मारे गये थे और श्रीलंका की नौसेना एवं सेना ने 136 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसी जानकारी मिली है कि तमिलनाडु की तरफ से इस बात पर असंतोष है। श्रीलंका के मछुआरों की भी यही राय है कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है। इसलिये, सरकार को श्रीलंका क्षेत्र में तमिलनाडु के मछुआरों के जीवन की सुरक्षा करने के लिये और अन्य मुद्दों पर भी आगे आना चाहिये।

अपराह्न 5.28 बजे

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*]

मैं दूतावासों के कार्यकरण के बारे में एक प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार जहां तक नागरिकों का संबंध है पासपोर्ट वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पासपोर्ट की प्राइवेसी और गोपनीयता बनाये रखी जानी है, और इस अधिनियम की धारा 6, 7, 22 और 24 के अनुसार सरकार या दूतावास को पासपोर्ट का अधिकार किसी निजी एजेन्सी या निजी व्यक्तियों को प्रत्यायोजित करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ देशों विशेषकर मस्कट और ओमान में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दूतावास ने यह कार्य करने या इसमें सहायता करने के लिये इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन 20/10/2010 को आमंत्रित किये गये थे।

इन्हें 26.10.2010 को खोला गया। यह कार्य निजी हाथों में दिया गया। बहरीन से शिकायत मिली थी कि जिस व्यक्ति ने यह जिम्मेदारी ली है उसके न केवल निजी एजेन्सियों/व्यक्तियों से संबंध है बल्कि इसके साथ ही उसके संबंध आई एस आई से भी है। मैं किसी का नाम नहीं लूगा। इसी के साथ मलयालम समाचारपत्रों में भी समाचार आये हैं। हमें पता है कि यदि पासपोर्ट का अधिकार किसी निजी व्यक्ति को देते हैं तो यह उसे दो सप्ताह या एक

महीने रख सकता है। पासपोर्ट का दुरूपयोग भी किया जा सकता है। जो सुरक्षोपाय हम कर रहे हैं हमें पता है कि उससे व्यक्ति अनेक पासपोर्ट रख सकते हैं। कार्रवाई तभी की जाती है जब यह न्यायालय या सरकार के सामने आता है। मैं जानना चाहता हूं क्या हमारे दूतावासों के पास पासपोर्ट जारी करने पासपोर्ट पुन: जारी करने, पासपोर्ट की समय सीमा विस्तार या वैधता संबंधित अधिकार निजी व्यक्तियों को सौंपने की शक्ति है। यदि ऐसा है तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके विस्तार में जाएं एवं जांच करायें क्योंकि ये व्यक्ति भारी धन ले रहे हैं। इसी के साथ यह केवल धन का प्रश्न नहीं हैं। यह सुरक्षा एवं नागरिकों की रक्षा का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): विदेश मंत्रालय की अनुदानों मांगों की चर्चा के संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

1. इण्डो-यूएस रिलेसन में भारतीय युवाओं को वीजा लेने में बहुत दिक्कत अमरीकी दूतावास द्वारा की जाती है अत: विदेश मंत्रालय को इन दिक्कतों को दूर करना चाहिए।

2. पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में चीन से सावधान रहने की जरूरत है। सीमा पर चीन ने जो आधारभूत सुविधाएं विकसित की है उसी अनुरूप भारत को भी सीमा पर आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। साथ में चीन की विस्तारवादी नीति से भारत को सावधान रहना चाहिए।

3. मध्य पूर्व में जन आंदोलन चल रहे हैं। भारतीय नागरिक मध्य-पूर्व में बहुतायत में रहते हें अत: भारत को अपने दूतावासों को सख्त निर्देश जारी करने चाहिए जिससे मध्य-पूर्व में रह रहे मूल भारतीय नागरिकों को सुरक्षा मिल सके या यदि वे देश लौटना चाहे तो सुरक्षित देश में लौट सकें।

4. यू.एस. ट्राई-वेली विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसकी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।

5. समुद्री रास्तों में सोमालिया व उसके आस-पास लूट की घटनाएं हो रही है इससे भारतीयों के हित प्रभावित हो रहे हैं अत: भारत को ऐसी लांग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे भारतीयों की सुरक्षा समुद्री मार्गों में सुनिश्चित हो सके।

6. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के साथ निरंतर दुर्व्यवहार हो रहा है, हत्याएं भी बढ़ रही हैं। सदन में भी इस संबंध में चिंता प्रकट की है लेकिन अभी तक घटनाएं रुकी नहीं है अत: भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सुरक्षा के साथ रह सकें।

7. भारत के राजनीतिज्ञ/राजनयिक लूक इस्ट पॉलिसी की चर्चा तो करते हैं लेकिन धरातल में इसकी क्रियान्विति सहीं ढंग से नहीं हो रही है अत: सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

8. किसी भी देश द्वारा अपनाई गई स्टेपल-वीजा की पॉलिसी का पुरजोर ढ़ंग से हर प्लेटफॉर्म पर विरोध करना चाहिए यदि कोई देश फिर भी स्टेपल-वीजा को अपनाना जारी रखता है तो भारत को भी स्टेपल-वीजा की पॉलिसी उन देशों के लिए भी अपना कर जैसे को तैसा व्यवहार की पॉलिसी अपनाई जाए।

9. विदेशों में भारतीय मूल के लोग कई अज्ञात कारणों से कई वर्षों से जेलों में बंद है। पाकिस्तान में सर्वाधिक संख्या है, उनकी सजा भी समाप्त हो चुकी है लेकिन फिर भी भारतीयों को रिहा नहीं किये जा रहे हैं यूएनओ के मानवाधिकार विंग से चर्चा कर भारतीय मूल के लोगों को रिहा कराने में कूटनीतिज्ञ रणनीति अपना कर भारत का हित साधना चाहिए।

10. भारतीय मछुआरें बंदी बना लिए जाते हैं उनकी बोट भी जब्त कर ली जाती हैं इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि मछुआरों की समस्या बढ़ने से देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।

11. राजस्थान के बहुत से नागरिक विदेशों में रहते हैं लेकिन वहां मृत्यु होने की दशा में लाश को भारत लाने में 15-20 दिन गलते हैं, कभी-कभी महीने से भी ज्यादा टाईम लग जाता है, मेरी आपके माध्यम से मंत्रालय से मांग है कि मृत व्यक्ति की लाश भारत में वापिस लाने की प्रक्रिया में अपनाई जानी चाहिए ताकि मृत व्यक्ति का अपने पैतृक स्थान पर परिजनों द्वारा सम्मान के साथ संस्कार किया जा सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

12. इस वर्ष हज यात्रियों को बहुत तकलीफें हुई हैं अत: भविष्य में परेशानी न हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

13. योगा व आयुर्वेदों को बढ़ावा देने से भारत के अन्य देशों से सांस्कृतिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी अत: ऐसा प्रयास होना चाहिए।

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी): विदेश मंत्रालय तथा इनके अधीन काम कर रहे राजदूत, उच्चायुक्त तथा काउंसलर्स विदेशों में पूरे देश की पहचान होते है तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिन्दुस्तान को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए यही विदेश मंत्रालय की सार्थकता होती है। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुस्तान की एक अहम भूमिका स्थापित हो चुकी है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे सुदृढ़ है, अनेक ऐसे देश है, जिसमें विकास दर या तो नकारात्मक है या बहुत नीचे गिर चुकी है। बहुत से ऐसे देश है जहां पर अनेक बैंक फेल हो चुके है, लेकिन हिन्दुस्तान का बैंकिंग नेटवर्क, मूल-भूत सुविधाओं का ताना-बाना तथा औद्योगिक, कृषि तथा सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान रहा है, यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान इत्यादि देशों में सबसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ओबामा ने हिंदुस्तान में आकर देश की प्रशंसा की और देश के नौजवानों के लिए आर्थिक समझौते के माध्यम से 50000 नौकरियों का उल्लेख किया। अमेरिका राष्ट्रपति के अलावा रूस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्षेत्र आदान-प्रदान करने के लिए हिन्दुस्तान आए। कुछ साल पूर्व तक इन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत की यात्रा करने के बाद वापस लौटते समय पाकिस्तान की यात्रा भी करते थे, लेकिन इस वर्ष ये सभी राष्ट्र अध्यक्ष केवल हिन्दुस्तान में आए और वापस जाते समय पाकिस्तान की यात्रा करना आवश्यक नहीं समझा। यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है और हमारे विदेश मंत्रालय की विशेष सफलता का प्रतीक है।

हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की आवश्यकता है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ निरंतर सीमाओं पर विवाद होना और खुली सीमाओं के माध्यम से स्मगलिंग के साथ आतंकवादियों के आने की भी शिकायते आती रहती है। हमें प्रयास कर हमारे पड़ौसी देशों के साथ संबंधों को सुधारना चाहिए ताकि हमारा ध्यान हमारे देश के गरीब किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि के कल्याण पर पूरा धन और ध्यान केन्द्रित कर सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं विदेश मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत की हैसियत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता के लिए आम सहमती बनाने में पहल कर काफी सफलता प्राप्त की है। विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में बढ़ रहे हिन्दुस्तानी छात्रों के भविष्य की रक्षा करने के लिए भारत सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में विशेषकर हिन्दुस्तानी छात्रों के साथ हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय नवयुवकों को विदेशों में रोजगार के अवसरों को कम करने तथा कहीं-कहीं बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी भारत सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य है। हिन्दुस्तान ने सभी देशों को पूर्ण सम्मान देने की नीति अपनाई है। मुझे यकीन है कि भविष्य में भी इस नीति को अपनाते हुए भारत की प्रतिष्ठा कायम रहेगी। भारत के अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध ही भारत की प्रतिष्ठा का मानक होगा और इसी के साथ विदेश मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): महोदय, मैं वर्ष 2011-12 हेतु विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर आपको मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अनुदान की मागों का समर्थन करता हूं।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि भारत ने प्रत्येक उद्भवशील क्षेत्र में, और विशेषरूप से, नब्बे दशक के पूर्व में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाने से लेकर अब तक खूब प्रगति की है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसी भी हैं जो लम्बे समय से लम्बित है और छूट रहे हैं, एक तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा है।

2010 में, संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थाई सदस्यों ने भारत की यात्रा की है। यह वैश्विक पहल पर हमारे महत्व को प्रदर्शित करता है। चीन के अलावा, सभी देशों ने, दिल्ली के अपने दौरे के दौरान सहमति व्यक्त की है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने की समुचित योग्यता रखता है। हम पिछले कई दशकों से, जब से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य बनने की अभिलाषा व्यक्त की है, यह अनुभव कर रहे हैं कि जब भी किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष, जिसे संयुक्त राष्ट्र (यू एस) में मतदान करने का अधिकार है हमारे देश की यात्रा के दौरान, एक वक्तव्य देता है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है, लेकिन जब वे अपने देश वापस जाते हैं, तो वक्तव्य भारत भूमि पर दिए गए वक्तव्य के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। इसलिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी दृढ़ता से करनी चाहिए।

भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुपालन करता है। भारत राष्ट्रमंडली में अपने को स्थापित करने के प्रयास कर रहा है।

इस दिशा में, भारत यूएसए के साथ अपने संबंध मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। रूस जैसे अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ हमारे संबंध, सदैव से आगे बढ़ रहे हैं और वे दशकों से हमारे विश्वस्त सहयोगी है।

यूरोपीय संघ में हमारी बढ़ती हुई भूमिका उल्लेखनीय है। हम एक विकसिती देश बनने के कगार पर हैं। हमारे प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं।

भारत तेजी से एक-दूसरे पर निर्भर हो रहे विश्व में तीव्र और समाहित आर्थिक विकास के अपने लक्ष्यों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते, हम विकसित विश्व के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहे हैं।

बढ़ती हुई परमाणु चुनौती में, हमें अपने आपको मजबूत करने के लिए पुन: नवीन प्रयास करने हैं। किसी अनहोनी के होने पर ऐसा न हो कि हमारी तैयारी कम पड़े। पाकिस्तान हमारे देश में अशांति फैला रहा है जैसा कि 2008 में किया गया मुंबई हमला। सुबूत प्रस्तुत करने के बावजूद, पाकिस्तान उन लोगों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जो समय-समय पर हमारी धरती पर गड़बड़ी फैलाने में पूरी तरह से संलिप्त रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, हमें नए आलोक में अपनी विदेश नीति का अध्ययन यह देखने के लिए करना है कि क्या कम से कम पाकिस्तान के संबंध में हमारी विदेशी नीति को बदलने की जरूरत है।

श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों के उत्पीड़न के काम में संलिप्त हैं। संसद में सत्ता के गालियारों में इसकी प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। हमारा दल डीएमके हमारे नेता डॉ. कलैनार और तमिलनाडु से डीएम के संसद सदस्य "विशेष उल्लेख" के तहत मुद्दा उठा रहे हैं और उपलब्ध विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे नेता डॉ. कलैनार ने इस संबंध में प्रधान मंत्री को कई पत्र लिखे हैं।

मैं भारतीय मछुआरों विशेषरूप से रामेश्वरम के मछुआरों की पीड़ादायक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार और मंत्री को श्रीलंका की सेना द्वारा भारतीय मछुआरों के उत्पीड़न को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए श्रीलंका में अपने समकक्ष मंत्री से बात करने के प्रयास करने चाहिए।

महोदया, तमिलनाडु के मछुआरे लम्बे समय से श्रीलंका की नौसेना की मार सह रहे हैं। उन्हें लंका की नौसेना द्वारा निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतारा जाता है। पहले भी ऐसी मौतों के अनेक उदाहरण हैं। समय समय पर, तमिलनाडु के अनेक मछुआरों लंका की नौसेना द्वारा या तो निर्दयतापूर्वक मार दिए जाते हैं अथवा उनहें बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। मैं माननीय विदेश मंत्री से तमिलनाडु के मछुआरों से जुड़े मुद्दे का स्थायी समाधान करने के लिए पुरजोर मांग करता हूं तमिलनाडु के मछुआरे विशेषरूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम अर्थात जून-जुलाई-अगस्त के दौरान मछली पकड़ने जाते हैं। वे उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान अर्थात सितम्बर अक्टूबर-नवम्बर के दौरान भी मछली मारने जाते हैं। यह युगों पुरानी परंपरा का इन क्षेत्रों में निष्टा से पालन किया जाता है।

हम इन भारतीय मछुआरों और लंका की सेना के बीच बड़ी झड़प को देखते हैं और कभी-कभी इसकी वजह से स्कीम बोटें ही नहीं जलती हैं बल्कि मछुआरे भी चोटिल हो जाते हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है जो आने वाले दिनों के विकराल संकट का रूप धारण कर सकती है, यदि हम समस्या का अवलिंब कोई सौहार्दपूर्ण समाधान करके इसे तत्काल रोका नहीं गया तो।

मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह तमिलनाडु के मछुआरों को संकट की घड़ी से उबारे चूंकि वे बूरी तरह से प्रभावित हैं और इस उलझी हुई समस्या का स्थायी समाधान निकाले ताकि दोनों पक्ष भविष्य में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सकें।

मैं सरकार से श्रीलंका में तमिलों, जिन्हें घर से विस्थापित व्यक्तियों का दर्जा दिया गया है, की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर मांग करता हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कुछ वर्षो पूर्व एलटीटी ई के साथ जातीय हिंसा के बाद श्रीलंका में तमिलों के अच्छे जीवन को सुनिश्चत करने के लिए इस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहे हैं। भारत सरकार को श्रीलंकाई तमिलों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे प्रयास करने के लिए श्रीलंका सरकार से कहना चाहिए।

मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार समस्या की गंभीरता को समझे और श्रीलंका में निर्दोष तमिलों को बचाने के लिए प्रयास करे। मैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सम्बन्धित कुछ मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं।

संयुक्त राज्य अमरीका में, अनेक भारतीयों को यू एस अधिकारियों द्वारा 'रेडियो टैगिंग' के द्वारा अपमानित किया गया था, भारत में यूएस दूतावास द्वारा बनाए गए वीजा विनियामों की विधिवत प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ये भारतीय विद्यार्थियों शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए थे। अभी भी, उनको जलील किया जाता है।

भारतीय अधिकारियों द्वारा आपत्ति जताने पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि 'रेडियो टैग' आधुनिक हैं और प्रचलन में है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिये रेडियो टैग उपयुक्त है। इस रेडियो-फ्रीक्वेंशी पहचान को समाप्त किया जाए क्योंकि इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल टूटता है। उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपनी शिक्षा को पूरी करने की अनुमति होनी चाहिए जिसके लिए वे भारत छोड़कर वहां जाते हैं।

इसलिए मैं माननीय विदेश मंत्री से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे की अमेरिकी अधिकारियों के साथ उठाएं और अमरीका में शिक्षा हासिल कर रहे भारतीयों को 'रेडियो टैग' रखने की इस अति निदेशीय कृत्य को समाप्त करें।

दूसरी बात, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में बहुत से भारतीय छात्रों की हत्या कर दी गई। अब आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी कमी आ गई है। यहां तक कि आज के समाचार-पत्र में भी यह छपा है कि एक भारतीय लड़की की आस्ट्रेलिया में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। आस्ट्रेलिया में अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि जो भारतीय अभी आस्ट्रेलिया में शिक्षा हासिल कर रहे हैं वे भय मुक्त होकर तथा अपनी जान के बारे में चिंता किए बगैर अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी अस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आस्ट्रेलियाई अधिकारियों से संपर्क में हैं।

तीसरी बात, भारतीयों के मामले में सोमालिया के समुद्री लूटेरे एक बड़ी समस्या बन गए हैं। सोमालिया के समुद्री लूटेरे अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्ध पोतो पर हमला कर रहे हैं। सौभाग्य से भारतीय नौसेना ने सोमालिया के 61 समुद्री लूटेरों को पकड़ लिया और उसने 13 नाविकों को मुक्त कराया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अरब सागर में भारतीय पोतों की सुरक्षा एव संरक्षा सुनिश्चित करें जिससे कि भविष्य में सोमालिया के समुद्री लूटरों द्वारा मन चाहे तरीके से भारतीयों का अपहरण न किया जाए।

लीबिया में फसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी मैं सराहना करता हूं लेकिन मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए। चीन के मामले को लीजिए भारत सरकार द्वारा अपने लोगों को वापस लाने के प्रक्रिया शुरु करने से बहुत पहले ही उसने लीबिया से अपने 30,000 लोगों को वापस बुला दिया था। इसलिए, इस प्रकार की स्थिति से बचना चाहिए और किसी भी अशांत देश में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने पर सबसे ज्यादा ध्यान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

चीन के साथ भी हमें दिक्कते आ रही हैं। चीन से लगे हिस्सों में चीन सभी तरह की गतिविधियां चला रहा है। यहां तक कि चीन भी अरूणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग नहीं समझता। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जल भंडारण के लिए गया विद्युत उत्पादन के लिए बांध का निर्माण कर रहा है, जिसके एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में पानी सूख जाएगा और हमारे देश के कई भागों को जल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे को चीन सरकार के साथ गंभीरता से उठाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वैजयंत जे. पांडा (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदय मैं बोलने का यह अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं अपनी बात माननीय सदस्य श्री सिंह और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जापान के प्रति व्यक्त किये गये सहयोग एवं सहानुभूति से स्वयं को संबद्ध करते हुये शुरू करता हूं।

महोदया, मैं एक समुद्रतटीय राज्य उड़ीसा से आता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा है, मैं समुद्र के खतरों से भली-भांति परिचित हूं। आपको याद होगा कि 12 वर्ष पहले उड़ीसा राज्य में महाचक्रवात के कारण भारी तबाही आई थी, जिसके बाद शेष देश के लोगों ने हमारी सहायता की और विश्व के अनेक भागों से भी लोग हमारी सहायता करने के लिये आगे आये।

महोदया, इस देश में भी ऐसा ही ट्रेक-रिकार्ड रहा है और हमें जापान को मदद करने के लिये अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहायता देनी चाहिये। कम्बल भेजने, और खोजी एवं राहत जहाज भेजे जाने के प्रस्ताव के बारे में प्रधान मंत्री के वक्तव्य से अलग हमें और कुछ करना चाहिये क्योंकि आज हम 12 वर्ष पहले जिस स्थिति में थे उसकी तुलना में अत्यधिक सक्षम हैं।

मैं विदेश सेवा के दो काबिल अधिकारियों की असमय मृत्यु पर संवेदना तथा शोक व्यक्त करता हूं। मुझे राजनियक जसाल के साथ अनेक बार बातचीत करने का अवसर मिला है जो भारतीय विदेश सेवा के अनुकरणीय सदस्य थे, उनहोंने इस आबादी में विशेषकर 9/11 और संसद पर आक्रमण के समय अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है। महोदया, जब हम भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों में से किसी व्यक्ति विशेष की सराहना करते हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिये कि भारतीय राजनयिक

दूतवर्ग हमारे देश की एक बड़ी सम्पत्ति है। हमारे विदेश सेवा के अधिकारी अपनी समता, अपनी मेधा, अपनी विवधता एवं देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेतु पूरे विश्व में सम्मानित हैं।

मैं एक ऐसे विशेष क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जहां हमारी विदेश सेवा ने देश की भलाई का काम किया है। यह मुक्त व्यापार समझौते के क्षेत्र में है। यह भारत के बदलते हुये भाग्य का उदाहरण है, यह इसका उदाहरण है कि भारत का विश्व में कितना सम्मान है, और गत कुछ वर्षों में हमारी लुक ईस्ट (पूर्व के देशों से) नीति एवं वास्तव में शेष विश्व के साथ हमारी नीति रंग ला रही है। हम थाईलैण्ड, जापान, आसियान जैसे देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि मुश्किल से एक दशक पहले जब हमने आसियान जैसे संगठनों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की तो हमारा क्रूर उपहास किया गया। वही विकीलीक्स जिसका हवाला आज प्राय: दिया जा रहा है वह भी इसका उल्लेख करता है कि भारत को विश्व राजनायिक समुदाय में कितने हल्के से लिया जाता था।

अत: यह आश्चर्यजनक है कि हमारी विदेश सेवा इस मुद्दे पर सफल रही है और हमारे मूल सिद्धान्तों जैसे कृषि पर बिना समझौता किये सफल हो रही है। मैं विशेषकर योजनाबद्ध एफटीए का बांग्लादेश जो हमारा पूर्वी पड़ोसी है जिसके साथ हमारी बहुत बातें समान हैं एवं जिसके साथ हम एक संबंध बना रहें हैं जो उपमहाद्वीप के आतंकवाद से निपटने सहित अन्य प्रकार से भी परस्पर लाभकारी है।

मुझे अनुदानों की मांगों पर आना चाहिये। आखिरकार यह पूरी चर्चा अनुदानों की मांगों के बारे में है। इस अत्यंत कम ध्यान दिया गया है। यदि हम देखें तो पूरी धनराशि को 6375 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7106 करोड़ रुपये किये जाने का विचार है जो 11.5 प्रतिशत की वृद्धि है। लेकिन इस कहानी में और कुछ है। यदि हम तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को देखें तो यह वृद्धि वास्तव में 31 प्रतिशत है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक कूटनीति राजनायिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है और भारत की बदलती आर्थिक दशा से हमें विश्व में अपना प्रभाव बनाने हेतु हरसंभव प्रयास करना है।

तथापि, यदि हम विदेश मंत्रालय के बजट के अन्य भाग को देखें तो यह वृद्धि अत्यंत शून्य है। यह एक प्रतिशत से कम है। यह चिन्ता की बात है। यदि हम पासपोर्ट एवं अप्रवासन से संबंधित मामले के विषय पर आवंटन को देखें तो यह केवल पांच प्रतिशत वृद्धि है। यदि हम पूरे विश्व में अपने दूतावासों एवं मिशनों के लिये आवंटन पर देखें तो उनके संचालन के लिये केवल चार प्रतिशत वृद्धि है।

हम पासपोर्ट प्राप्त करने में भारतीयों द्वारा झेली जानी वाली समस्याओं से अवगत हैं। उनहें जिस विलंब का सामना करना पड़ता है हम उससे अवगत हैं। भारत का दौरान करने के इच्छुक लोगों द्वारा इस देश हेतु वीजा प्राप्त करने के प्रयत्न में जिस विलंब का सामना करना पड़ता है हम उससे भी अवगत हैं तथा यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बचत करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें बचत करने के चक्कर में नुकसान नहीं करना चाहिये। लागत घटाने के लिये विदेश स्थित हमारे अनेक मिशन ने वीजा जारी करने की प्रक्रिया को आउटसोर्स किया है। भारत आने वाले सच्चे आगन्तुकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ हेडली जैसे आगन्तुक जो आतंकवादी संगठनों सर्वेक्षण करने के लिये अधिकारिक रूप से जारी वीजा पर भारत आते हैं को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप इंटरनेट चैट फोरम को देखें तो आप को पता चलेगा कि अनेक पत्रकार, अनेक निवेशक, अनेक लोग जो वास्तवकि करणों से भारत का दौरा करना चाहते हैं वे इंगित कर रहे हैं कि भारतीय वीजा प्राप्त करने के उनके अनुभव के दौरान यहां की ग्राहक सेवा सबसे बुरी पाई गई है। महोदया हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये। यदि आप आर्थिक कूटनीति भाग पर विचार करें जिसके संदर्भ में मैं सरकार की 31 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करने के लिये प्रशंसा कर रहा था, यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि 1690 करोड़ रुपये बजट का पूरा 55 प्रतिशत एक देश भूटान को चला जाता है। यह पूर्ण रूप से उचित है। भूटान हमारा निष्ठावान सहयोगी है। भूटान एक रणनीतिक देश है जिसके साथ हमारे विश्व के इस संवेदनशील क्षेत्र में अत्यंत पुरानी भागीदारी है। हमारा भूटान के साथ ऊर्जा संबंधी हित जुड़ा हुआ है और मुझे भूटान को इस प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान करने को लेकर कोई असन्तोष नहीं है। यहां यह उल्लेख करना है कि अन्य देशों के प्रति किये जा रहे इस प्रकार के प्रयत्न अपर्याप्त हैं। अन्य लोगों ने इसमें से कुछ का उल्लेख पहले ही कर दिया है। जहां अच्छा विकास हुआ है उसके लिये मैं बधाई देता हूं। उदाहरण के लिये श्रीलंका के लिये पिछले वर्ष के 90 करोड़ रुपये की बजाय इस वर्ष हम 290 करोड़ रुपये का वित्तपोषण कर रहे हैं और म्यांमार के लिये यह आंकड़ा 90 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ रुपये हो गया है। यह सभी देश हमारे लिये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन नेपाल, अफगानिसतान और विशेषकर अफ्रीकी देशों में हमारी आर्थिक कूटनीति के लिये किया गया या प्रस्तावित आवंटन पर्याप्त नहीं है। इसमें गत वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

महोदया, इस समय हमें चीन के बारे में बात करनी चाहिये। चीन के बारे में अनेक दृष्टिकोण व्यक्त किये गये हैं और दोनों में से कोई भी अतिवादी दृष्टिकोण ठीक नहीं है। सच्चाई इन दोनों के

बीच कहीं पर है। यदि आप इतिहास में भारत के मुकाबले चीन की समृद्धि पर नजर डालें तो वे घटते बढ़ते रहे हैं। कभीं भारत ऊपर रहा है तो कभी चीन। हाल में 1980 में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या बराबर थी। जीवन यापन का स्तर समान था। 1980 तक चीन की अर्थव्यवस्था का आकार भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर था लेकिन महोदया, उनके द्वारा किये गये उपायों से आज उनकी अर्थव्यवस्था का आकार हमसे तीन गुना है। इसके परिणामस्वरूप उनकी प्रति व्यक्ति आय हमारे यहां से तीन गुना है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक कूटनीति पर वे हमसे अधिक व्यय कर सकते हैं। यह सहज शक्ति (साफ्ट पावर) प्राप्त करने का एक प्रयत्न है जिसकी बात माननीय सदस्य श्री थरूर कर रहे थे।

महोदया, मुझे अपनी बात पूरी करने में दो या तीन मिनट और लगेंगे। मुझे इसका उल्लेख करना चाहिये कि हम चीन को बधाई देते हैं। हमें चीन की सफलता पर उससे ईर्ष्या नहीं है। वास्तव में, हमें यह मानना चाहिये कि चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। लेकिन हम इसी के साथ यह नहीं भूल सकते हैं कि पूरे विश्व में और हमारे पड़ोस में परमाणु प्रसार में चीन का अपना हित हमारे लिये खतरा है। इस ब्रहमपुत्र नदी पर बांध बनाये जाने को नहीं भूल सकते हैं जिससे शुरू से इन्कार किया गया और अब यह कहा जा रहा है कि इससे भारत को खतरा नहीं है। हम स्टेपल वाले वीजा की भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं जो भारत की अखण्डता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें अपनी सहज शक्ति (साफ्ट पावर) को बालीवुड से अलग अन्य क्षेत्रों में भी सुधारनी चाहिये और हमें आर्थिक कूटनीति का उपयोग औजार के रूप में करना चाहिये। हम यह कहां कर सकते हैं?

महोदया, हमें विश्वभर में विशेषकर दक्षिण विश्व में अपने सहयोगियों के साथ सहयोग कर भारतीय अनुसंधान संस्थानों के लिये अनुदान आवंटित करने चाहिये। रणनीतिक मुद्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का युग समाप्त हो गया है परन्तु प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, उच्च शिक्षा में भारत को एक भूमिका का निर्वाह करना है और हमें यह करना चाहिये। यदि हम अपनी प्रौद्योगिकी के लाभ से विश्व के वंचित भाग की सहायता करते हैं, क्षमताओं के सृजन में अपने अनुभवों का लाभ देते हैं तो इससे उन देशों को मदद मिलेगी और इससे हमारी स्थिति लाभकारी होगी।

महोदया, अन्त में मुझे उल्लेख करना चाहिये कि विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने विदेश मंत्रालय के प्रयत्नों के बारे में क्या कहा है। स्थायी समिति ने यह इंगित किया है कि इ-पासपोर्ट और बायोमेट्रिक पासपोर्ट के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है। इसे माफ नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद के इस दौर में हमें प्रशासनिक खर्चे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना चाहिये तथा मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें।

हमें यह भी नोट करना चाहिये कि स्थायी समिति ने यह इंगित किया है कि विदेश में केवल 50 मिशन में समेकित मिशन लेखांकन प्रणालियां कार्य कर रही थीं। मंत्रालय के पास यह नयी उन्नत लेखांकन प्रणाली है। इसका विस्तार विदेश में सभी मिशनों में किया जाना चाहिये। मैं केवल आलोचना करना नहीं चाहता। ऐसे अनेक कार्य हैं जो सरकार द्वारा विश्व में अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने और अपना कद बढ़ाने के लिये करने चाहिये।

मैं अपनी बात लीबिया में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिये किये गये प्रयत्नों हेतु धन्यवाद देते हुये समाप्त करता हूं जिनमें से अनेक दर्जन तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा के ही थे।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदया, विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर शिव सेना की ओर से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, अभी कई सांसदों ने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से कई बच्चे पढ़ाई और बिजनेस करने के लिए विदेश जाते हैं। विदेश जाने के बाद कोई वहां का नागरिक बन जाता है या बिजनेस करता है। लेकिन संकट आने के समय हम उन्हें ज्यादा सहायता नहीं देते हैं। उन्हें सहायता देने के लिए हमें कार्य करना चाहिए।

दूसरी बात, विदेशों से कई लोगों को हमारे यहां आने में बहुत दिक्कत होती है। जब कभी विदेश में कोई हादसा होता है तो उन्हें यहां आने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन लीबिया के लिए माननीय मंत्री जी ने अच्छे कदम उठाए। लीबिया, मिस्र और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जब भी कुछ न कुछ होता है तो हिन्दुस्तानी नागरिकों को तकलीफ होती है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका ख्याल रखा जाना चाहिए।

तीसरी बात, आस्ट्रेलिया में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें वहां बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अभी हाल ही में 24 वर्षीय तोशा ठक्कर के साथ बलात्कार करके मार दिया गया और उसकी बॉडी को एक बैग में डाल कर फेंक दिया गया। इससे पहले भी अनेकों बार हिन्दुस्तानी बच्चों को आस्ट्रेलिया में जान-बूझकर मारा-पीटा गया है। आदरणीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया और उन्होंने इसके लिए दुख व्यक्त किया। लेकिन दुख व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सख्त रिएक्शन जाना चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि सरकार का इसमें दखल देना बहुत जरूरी है।

चौथी बात, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हम उसे कभी अपना नहीं मान सकते हैं। वह हमारा शत्रु हैं। वहां की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि वहां के एक विधायक ने हिन्दुस्तान में आकर कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां हिन्दु और सिक्ख भाइयों की संख्या कम है। वहां उन्हें तकलीफें दी जा रही हैं, और वहां से उन्हें और ईसाइयों को भगाया जा रहा है। उनकी प्रोपर्टी जब्त की जा रही है। ये हिन्दू नागरिक हैं। सैपरेशन होने के बाद कई लोग वहीं रूक गए थे, उन्हें आज जो तकलीफ हो रही है, उसे भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने शुरूआत की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपका समय बहुत थोड़ा है, आप केवल अपने प्वाइंट्स रखिए।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदया, हमारी पार्टी का समय बहुत ज्यादा है।

महोदया, बांग्लादेश के लोग मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, नार्थ-ईस्ट एवं अन्य जगहों में भी हैं। बांग्लादेश के लोग जिस तरह से यहां घुसपैठ कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनको कोई रोकता नहीं है, कोई पूछताछ नहीं करता है, उनके पास कोई वीजा नहीं है। वे घुसपैठ करके हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा उनकी वजह से हमारे देश में लॉ एंड आर्डर की समस्या पैदा हो रही है, अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनके लिए बांग्लादेशी जिम्मेदार हैं। आजकल उनके नाम वोटर लिस्ट में आ रहे हैं, उन्हें राशन कार्ड आदि सब कुछ मिल रहा है। वोट के लालच के लिए बांग्लादेशी लोगों को क्यों ये सब कुछ दिया जा रहा है, आपके माध्यम से यह सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं? ये कई बार पकड़े गए हैं। उन्होंने जाली नोट छपाए और सब जगह बांटे। ये जो हिन्दुस्तान को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। हमारे बाजू में चाइना है, कई लोग चाइना की अच्छाई कर रहे हैं और कई लोग बुराई कर रहे हैं। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो कहा है, वहां घूसखोरी चल रही है। उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है। उनके बारे में ऐसा क्यों होने लगा? वहां वे कुछ रास्तों का डेवलपमेंट करने के लिए भी मना कर रहे हैं। चाइना का जो दृष्टिकोण है, वह हिन्दुस्तान के खिलाफ है। यह बात मुलायम सिंह जी और कई लोगों ने कही, मैं उनका समर्थन करता हूं। चाइना के बारे में आपको बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम सदन में कहना चाहता हूं कि जापान में जो हुआ, वह बहुत बुरा हुआ। जापान में हमारे जो नागरिक हैं, उनमें से कुछ नागरिक सुरक्षित हैं, बाकियों का पता नहीं है। वहां का जो स्टॉफ है, हम लोग दो-तीन पहले वहां गए थे तो हमें पता चला था कि वहां स्टॉफ बहुत कम है। मैं एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट, मंत्री जी को कहूंगा कि उनकी जहां भी एम्बेसी होती है, वहां स्टॉफ बहुत कम होता है, उसके कारण से उन्हें बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है। अभी भी वहां जो लोग हैं, वे बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं। हमने टेलीफोन से मालुमात की, वहां कुछ लोग सेफ हैं। वहां पर जगह अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जापान में जैसे अभी हुआ है, उससे एक डर पैदा हो गया है। न्यूक्लियर पावर, एटोमिक एनर्जी के बारे में लोगों को बहुत भय हुआ। महाराष्ट्र के जैतापुर में भी लोगों को बहुत भय हुआ कि ये जो पावर हो रही है, उसके कारण से यहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए जैतापुर के पावर प्लांट के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इसे क्यों लाना है? इसके लिए जो हम लोग युनाइटेड नेशन्स, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहते हैं और उनके वहां इस मुद्दे को रख कर हमने जो डील की थी, वहां इस पर फेयर विचार होना चाहिए। नेपाल हमारा हिन्दू राष्ट्र था, लेकिन हम उनकी सहायता नहीं कर पाए, इस कारण से वे माओवादी हो गए। हम वहां पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन क लिए जाते हैं, वहां पर हमारे बहुत से लोग हैं। वहां सारे के सारे माओवादियों के कारण से हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना वाला जो देश था, वह खत्म होता जा रहा है, उसके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। आज कई जगह फर्जी पासपोर्ट बन रहे हैं। हसन खान का क्या हुआ, उसका भी फर्जी पासपोर्ट था, मैंने टीवी में देखा है। ऐसे कई लोग हैं, दाऊद और जितने गेंगस्टर हैं, जो आर्थिक घूसखोर एवं आर्थिक नुकसान करने वाले हैं, उनकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उनके पासपोर्ट और वीजा कैसे बनते हैं, पैसे इधर से उधर जाते हैं। स्विटज़रलैंड में उनका पैसा है, ये कहां से आया, दो नम्बर का पैसा है। इसकी इंक्वायरी चालू है, लेकिन हसन खान का फर्जी पासपोर्ट कैसे निकला?

सभापति महोदया, अंत में कंक्लुड करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा जो सम्भाजी नगर शहर है, मेरे वहां अजंता-एलौरा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं। वहां कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। वहां कई टूरिस्ट्स आते-जाते हैं। वहां इंडस्ट्रियल सैक्टर बहुत बड़ा है। वहां कई लोग फॉरेन से जापान, अमेरिका, कोरिया और कीनिया से बिजनैस करने के लिए आते-जाते हैं। हमारे यहां से भी कई लोग वहां बिजनेस करने के लिए जाते हैं। मेरा क्षेत्र इतना बड़ा है, वहां कुछ साल पहले पासपोर्ट ऑफिस खुला था। मैंने एस्टीमेट कमेटी में डिमांड की, मुंबई में भी हमारी कमेटी ने विजिट की, मैं भी उसमें था। वहां भी हम लोगों ने कहा। महाराष्ट्र में चार पासपोर्ट के ऑफिसेस हैं। उन्होंने मुंबई से कांटेक्ट किया। हमारे यहां के

लोगों को पासपोर्ट, वीजा लेने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। हमारे यहां के कई बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, उनके माता-पिता भी वहां जाते हैं। कई लोग नौकरियों के लिए जाते हैं, उनका पासपोर्ट बनने के लिए हमारे यहां पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए।

सांय 6.00 बजे

औरंगाबाद मराठवाड़ा की कैपीटल है और मराठवाड़ा की कैपीटल होने के कारण से 8-10 जिले उसके साथ में एडजोइनिंग है, जिससे भी मुंबई के ऊपर ज्यादा बोझ आता है, इसलिए पासपोर्ट ऑफिस हमारे यहां खोलना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से विनती करूंगा, मैंने सैक्रेटरी राव जी से और बाकी सबसे कितनी ही बार कहा कि यह होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वहां पासपोर्ट ऑफिस था। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि निश्चित रूप से मेरी मांग मंजूर होनी चाहिए।

आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द, जय भारत।

सभापति महोदया: माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि 6 बज रहे हैं, अभी 10 लोगों को और बोलना है और शून्य काल भी करना है, इसलिए अगर आप सब की सहमति हो तो सदन का समय एक घंटा बढ़ा देते हैं।

कई माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदया: इस चर्चा का उत्तर मंत्री जी कल प्रश्नकाल के पश्चात दे देंगे। सदन का समय एक घंटा बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक निवेदन और भी है कि कृपया बहुत थोड़े में अपनी पाइंटवाइज़ बात रखें तो सब के बोलने के लिए समय ठीक रहेगा। श्री शिवासामी।

[अनुवाद]

***श्री सी. शिवासामी** (तिरूपुर): पीठासीन महोदया, विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

किसी देश की सम्पन्नता और विकास, अन्य देशों विशेषत: इसके पड़ोसियों के साथ इसके द्वारा रखे गए अच्छे संबंधों पर निर्भर करते हैं। यह मूल आवश्यकता है परन्तु जब हम यह प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे सबसे निकट के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, उत्तर हां, में नहीं होता। हम सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, परन्तु सोने का बहाना करने वाले व्यक्ति को नहीं जगा सकते। हम मित्रों पर भरोसा कर सकते है परन्तु उन पर नहीं जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं। चीन ऐसा ही एक देश है जिस पर हम न तो पूरी तरह निर्भर कर सकते है न भरोसा कर सकते है।

चीन भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा से लगे हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे द्वारा सड़के बनाने का विरोध करता रहा हैं। परन्तु उसी चीन ने अरूणाचल प्रदेश का अतिक्रमण करते हुए अच्छी मजबूत सड़क बनाई है जबकि चीन ने अरूणाचल सीमा में से हमारे देश में घूसपैठ करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं बनाली है हमने इतने वर्षों बाद भी चीन के साथ सीमा के अनसुलझे मुद्दों के कारण सीमा के इस पार हमारे देश में रहने वाले हमारे लोगों के लिए आवश्यक मूल सुविधाएं भी प्रदान नहीं की हैं।

चीन ने म्यांमार के साथ अच्छे रियते बना लिए हैं और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भी और चीन ने यहां अपनी पकड़ बनाली है। इसी प्रकार चीन को श्री लंका के पत्तन तथा नौसेना बेस को सुदृढ़ बनाने में सहायता देने के नाम पर वहां भी अपनी पकड़ बना ली है। इस प्रकार चीन ने हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्री लंका, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल के साथ अच्छे संबंध बना लिए है और इन सभी अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर जहां उसकी सैनिक उपस्थिति मजबूत नहीं बाकी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मजबूत पैड बना ली है कि इससे हमारी सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा। मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं के पार चीन की उपस्थिति बहुत अधिक है और यह भरोसेमंद पड़ोसी देश नहीं है और यह कभी भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है।

जब पाकिस्तान की बात आती है तो हालांकि यह वार्ताएं करने की बात करता है परन्तु यह 26/11 को मुम्बई पर हुए हमले के अपराधियों के विरुद्ध जांच में सहायता नहीं कर रहा है और इस हमले के मास्टर माइंड जो वहां जेल में बंद है हमें पूछताछ करने में सहायता नहीं दे रहा। पाकिस्तान अभी भी सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान से नकली मुद्रा आ रही है। इस प्रकार हम अपने निकटवर्ती पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाए हैं।

जब श्रीलंका की बात आती है तो मुझे विशेष रूप से कहना है कि हम नहीं जानते कि आंतरिक रूप से विस्थापित हजारों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तमिलों का पुनर्वास तथा राहत सुनिश्चित करने के लिए जो 500 करोड़ रुपए हमने उनकी सरकार को दिए उनका क्या हुआ, जबकि वे तमिल अभी भी अस्थायी कैम्पों में सड़ रहे है। जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक वह राशि उन पर उचित ढंग से खर्च नहीं की गई है और उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया है और उनके कष्ट कम नहीं हुए है। यद्यपि श्रीलंका स्वयं को भारत का मित्र देश दर्शाता है उनकी नौसेना ने हमारे 540 मछुआरों को मार दिया है। और दिन रात हमारे मछुआरों पर हिसंक हमले करते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मछुआरों को गोली मारने की सतत घटनाएं श्रीलंका के साथ उन स्नेहपूर्ण संबंधों, जो हम चाहते हैं को विषाक्त कर रही है 1974 में जब कट्चित्वू द्वीपिका श्रीलंका को दी गई थी तो भारतीय मछुआरों को वहां अपने मछली पकड़ने के जाल धोने व सुखाने के अधिकार बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह नोट करना बहुत दुःखदायी है कि हमारे अधिकारों की उपेक्षा की गई है और हम इस जमीनी हकीकत के मूक दर्शक है कि श्रीलंका नौसेना साफ तौर पर हमारे मछूआरों को कट्चित्वू द्वीपिका के निकट जाने की अनुमति नहीं दे रही।

श्री डेविड कैमरून, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, श्री बराक ओबामा अमरीका के राष्ट्रपति श्रीनिकोलस सरकोजी, फ्रांस के राष्ट्रपति, श्री बेन जिआबाओ चीन के प्रधानमंत्री, और श्री डिमिजी मेद्वेदे व रूस के प्रधान मंत्री, ये सभी नेता जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं ने पिछले कुछ महीनों में भारत का दौरा किया। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ वार्ताएं की। परन्तु वे सभी पांच नेता जो अपने अपने तरीके से शक्ति सम्पन्न हैं हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को सुधारने में योगदान नहीं कर सके। यह कटु वास्तविकता है यद्यपि हम अन्य देशों के लिए मित्रता के हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारे वास्तविक मित्र नहीं हैं। हम आस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी हमारे विद्यार्थियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। कोई भी शक्ति सम्पन्न देश सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए हमारे भारतीय नाविकों को बचाने में हमारी सहायता करने में आगे नहीं आ रहा। हमारे पड़ोसी देश हमारी आर्थिक उन्नति से ईर्ष्या करते हैं और एक विकासशील देश के रूप में हमें निशाना बनाया जा रहा है और वे हमारे विरुद्ध द्वेष पाल रहे हैं तथा हमारे हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति में हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर जोड़ने के साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि हम उनके द्वारा दिखाई गई नकली मित्रता के कारण परेशानी उठाएं। अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक व्यवहारिक विदेश नीति विकसित की जाए जिससे दीर्घकालिक स्थायी मित्रता सुनिश्चित हो सके जो हमारे देश के हित में हो। आपसे इसे नोट करने का अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में मैं अपने विचार और सुझाव व्यक्त करना चाहूंगा।

इस वर्ष के लिए कुल बजट आवंटन 7106 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 11.50% अधिक है। पासपोर्ट और अप्रवास के लिए आबंटन में वृद्धि मात्र 5% है। यह एक क्षेत्र है जहां हमारे लोग कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए अधिक आवंटन किया जाना चाहिए था। लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है। उत्प्रवासन में भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। इसलिए इसके लिए अधिक आवंटन होना चाहिए। सहायता और अग्रिम के मामले में हमें अफ्रीकी देशों को लक्षित करना चाहिए। हमें सभी अधिकांश अफ्रीकी देशों के साथ संबंध सुधारने चाहिए।

सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी तथा लोगों की ओर से जापान के लोगों जो अपने जीवन काल की सबसे बुरी आपदा को झेल रहे है प्रति अपनी हमदर्दी व्यक्त करना चाहूंगा। जापान जो हमारा मित्र देश है की सहायता करने के लिए भारत को सबसे आगे होना चाहिए। सभी प्रकार की आपात सहायता दी जानी चाहिए और वहां प्रभावित लोगों के लिए हमें मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिएं।

हमारे पड़ोसी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, के साथ हमारे संबंधों में कोई प्रगति नहीं हो रही है जिसके कारण हम उन देशो के साथ बार-बार आ रही समस्याओं और उठ रहे मुद्दों को हल नहीं कर सके हैं। चीन की आक्रमकता तथा अरूणाचल प्रदेश पर सीमा क्षेत्र संबंधी दावा दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों को प्रभावित कर रहा है। भारतीय क्षेत्र में चीनी सेनाओं के आक्रमण प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह एक विषय है जिसके संबंध में हमारी सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 50 बिलियन डालर है। परन्तु एल ए सी पर समस्या और चीनी आक्रमण रुके नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे नियमित वीजा देने से इंकार कर देते है तथा अरूणाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा देते हैं। यह दोनों देशों के मध्य संबंधों के स्तर को दर्शाता है। हमें स्थिति से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटना है। वह बहुत महत्वपूर्ण है।

चीन के साथ यह स्थिति बहुत, महत्वपूर्ण है।

अब पाकिस्तान की बात करें, तो सीमा पार आतंकवाद कश्मीर विवाद अनेक सैन्य संघर्ष और कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनका समाधान

हम प्रभावी ढंग से नहीं कर रहे हैं। लम्बे समय लम्बित मसले हैं। हम लम्बे समय से लम्बित इन सभी मसलों का समाधान करने में असक्षम हैं। हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए क्योंकि हम ईरान से भारत तक सीधे 2275 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन लाने की योजना बना रहे हैं। इस मसले का ठीक से समाधान निकालना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इस समय हमारे सामने ट्राइ वैली का मामला है। इस मामले पर, मैं माननीय विदेश मंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री साहब से मिला। इस मामले का समाधान नहीं किया गया है। हमारे छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। उन्होंने रेडियो टैग लगाये हैं। हाल ही में, इन रेडियो टैगो में भी वृद्धि की है। हमारी सरकार अमेरिका पर जोर क्यों नहीं डाल रही है और हमारी सरकार गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? खैर यह एक मामला है जिसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

हाल ही में, हमें पता चला है कि करीब सात अथवा आठ छात्र जेल में हैं। उन्होंने उन पर रेडियो टैग लगा दिए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा एक शक्तिशाली देश है। मैं नहीं जानता कि अमेरिका हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं नहीं जानता कि हम छात्रों की इतनी छोटी सीप समस्या को हल करने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या यह सरकार की पूर्ण विफलता नहीं है?

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि

[अनुवाद]

कृपया इस मामले का हल निकालिये क्योंकि अधिकांश छात्र मेरे राज्य से हैं। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि करीब सात या आठ छात्र जेल में हैं। यह वास्तविकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमें इन लोगों की सहायता करनी होगी।

अब आस्ट्रेलियन की बात करें, तो हमने देखा है कि कल एक छात्रा को मार दिया गया था। यह पिछले वर्ष भी हुआ था और माननीय मंत्री से मिला था।

[हिन्दी]

मिनिस्टर साहब ने खुद जाकर देखा।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि ये देश भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। यदि कोई भारतीयों को छूता है, तो हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये। अत: मामले का समुचित और तत्काल समाधान किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज): मैं भारत के विदेश मंत्रालय के लिए वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। भारत की विदेश नीति देश की बुनियादी सुरक्षा और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह जुड़ी है। हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की इच्छा रखते हैं जिसमें भारत के हित सुनिश्चित हों, भारत की निर्णय लेने संबंधी स्वायत्तता के लिए सुरक्षोपाय हों और सबसे ऊपर देश के त्वरित, दीर्घकालिक तथा सर्वव्यापी सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सहायक हो। इस उद्देश्य के लिए भारतीय विदेश नीति में हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति एक दृढ़ वचनबद्ध और अंतराष्ट्रीय माहौल में हुए बदलाव की सक्रिय अनुकूलता के गुण विद्यमान है। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य केन्द्र सरकार का शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित पड़ोस, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध और विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी है। हमारे समय के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शांति और सुरक्षा जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढ़ांचे का सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन भी शामिल है का वैश्विक आयाम है और इसके लिए सहयोगी वैश्विक कार्यवाही की आवश्यकता है। वर्ष 2009-10 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की स्थिति में हमारी विदेश नीति का परिणाम रहा है कि हमने प्रभावी ढंग से चुनौतियों का मुकाबला किया है तथा अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की गयी हैं। विदेश नीति का सिद्धांत भारत की हमारे उपमहाद्वीप के सभी पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ और अच्छे पड़ोसी संबंधों के प्रति वचनबद्धता, समानता और परस्पर सम्मान को बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसी दिशा में भारत ने दिसंबर 2009 में भूटान के पांचवें नरेश महामहिम जिग्मे सेख़ नामग्यांल बांग्चुक की यात्रा से भारत और भूटान के द्विपक्षीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संबंध और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हुए। इसी तरह हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के. साथ मैत्रीपूर्ण रिश्तों में मजबूती की है। अगस्त 2009 में प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल की भारत यात्रा और फरवरी 2010 में राष्ट्रपति रामबरन यादव की यात्रा से मैत्रीपूर्ण सहयोग की प्रगाढ़ता में मजबूती और नेपाल के साथ हमारे विलक्षण एवं बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का बांग्लादेश के साथ सहयोग के कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव रहा। जनवरी 2010 में प्रधानमंत्री शेख हसीना का यह आश्वासन कि बांग्लादेश की भूमि से भारत विरोधी कार्यकलाप चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ये हमारी विदेश नीति का परिणाम है। वर्ष 2009-10 के दौरान अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का सहयोग और योगदान और सुदृढ़ हुआ है। श्रीलंका के साथ भारत का सहयोग और योगदान और सुदृढ़ हुआ है। भारत ने तमिल अल्पसंख्यकों के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राहत, पुर्नवास और पुर्नस्थापित करने तथा देश के युद्ध पीड़ित क्षेत्रों के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाये रखने के अलावा सार्क के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर सार्क को क्षेत्रीय एकजुटता के प्रभावी साधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्य करना जारी रखा है। भारत चीन के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। इस संबंध की जटिल प्रकृति के बावजूद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनैतिक तालमेल जारी रखा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की चीन के राष्ट्रपति हू-जिन्ताओं के साथ येकातेरिनबर्ग (जून 2009) में और प्रधानमंत्री बेन जियाबाओं के साथ हुआहिन (अक्टूबर 2009) में मुलाकात हुई। इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच सभी मसलों पर होने वाली संस्थापत वार्ता, डब्ल्यूटीओ वार्ता का दोहा दौर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक संकट इत्यादि मसलों पर काफी रचनात्मक बातचीत हुई है। अमरीका और रूस के साथ भारत के संबंध ने केवल मजबूत हुए हैं अपितु सामरिक सहयोग के नये क्षेत्रों में शामिल हुए हैं। काफी गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य एवं सिद्धांत राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से अब तक भारत की विदेश नीति के कारण काफी उपलब्धियां रही हैं। आज 'भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि चाहे हम कोई भी नीति अपनायें, विदेश नीति के संचालन की कला इस बात में है कि देश के लिए सबसे अधिक लाभदायक क्या होगा। चाहे वह साम्राज्यवादी हो या समाजवादी हो। वर्ष 2010 में भारत आये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थायी सदस्यों में शामिल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेव एवं चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओं भारत की यात्रा केवल एक वर्ष के अंदर की है इससे साबित होता है कि भारत विदेश नीति ने दुनिया ने भारत को भी उन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के कतार में पहुंच गया है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार ढूढ़ते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की बहुप्रतीक्षित भावनाओं को अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के समर्थन की बात भारत की धरती पर करके गये। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ विश्व के अधिकतर देश में हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि हमने इच्छाशक्ति के साथ कदम उठाये हैं। तिब्बत में चीन द्वारा सामरिक दृष्टिकोण से सड़कों, एयरस्ट्रीप, टनल आदि का निर्माण कर रहा है उसे भारत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत को भी अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्तों के रखते हुए सामरिक दृष्टि से सीमा पर सड़कों, हवाईअड्डों आदि का निर्माण करना चाहिए। आज भी भारत की विदेश नीति से पूरी दुनिया में हमारा स्थान मजबूत हुआ है। इसी के साथ मैं वर्ष 2011-12 के विदेश मंत्रालय के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): विदेश नीति के बारे में हमें देखना होगा कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं अगर संबंध मधुर नहीं हैं तो उसके पीछे वह कौन सी ताकतें हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते तथा उसके पीछे उनका क्या निहित स्वार्थ है कहीं वह हमको कमजोर करने के लिए तो उन्हें हथियार नहीं बना रही। चीन कभी अरुणाचल को विवादास्पद बनाता है तो कभी पाक अधिकृत कश्मीर में केन्द्र बनाने की तरफ बढ़ता है। हमारे देश की सीमाओं के नजदीक तक सड़क एवं रेल यातायात को बढ़ा रहा है भारत में चीन काफी निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। हमारे देश को बाजार के रूप में तो उपयोग करना चाहता है, किंतु राजनायिक संबंधों की दृष्टि से कूटनीतिक खेल खेलना चाहता है। नेपाल के रास्ते माओवाद को बढ़ावा दे रहा है हमें इन सारी चुनौतियों को समझकर रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान लगातार हमारी समस्याओं को अनदेखा कर रहा है। कई बार आतंकवादियों के प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग उठने के बाद भी पाकिस्तान यही कहता है हमारे यहां कोई केन्द्र नहीं चल रहे हैं जबकि मुंबई ताज होटल की घटना ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है।

पाकिस्तान के रास्ते बड़ी मात्रा में फर्जी मुद्रा हमारे देश में आ रही है जिसके संबंध में समाचार पत्र बार-बार चेतावनी देते रहते हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अत: सख्ती से इस दिशा में कदम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उठाना चाहिए। पाकिस्तान का अभी तक हमारे देश के प्रति जो व्यवहार रहा है वह विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अनेकों बार हमारे देश पर आक्रमण करने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उधर बांग्लादेश से हो रही लगातार घुसपैठ भी हमारी समूची अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है जनसंख्या का बढ़ता बोझ देश के संशाधनों पर तो बोझ बढ़ाता ही है बल्कि लोगों का रोजगार भी छीनता है। अपराधों को बढ़ावा मिलता है अतः अनधिकृत रूप से घुसपैठियों की पहचान कर वापिस भेजने की दिशा में कदम उठाना चाहिए तथा सीमाओं पर चौकसी को और भी बढ़ावा चाहिए। नेपाल में राजशाही के अंत होने के उपरांत लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है, किंतु सत्ता में पहुंचे लोगों के दिलों में भारत के प्रति मित्रता का जो भाव होना चाहिए वह नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वहां बढ़ती हुई माओवादी हिंसा हमारे देश के लिए भी चिंता का विषय है इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।

अमरीका भारत से अच्छे संबंध तो बनाने की बात करता है, किंतु अपरोक्ष रूप से हमारे विरोधियों को भी मदद करने में पीछे नहीं रहता है। लीबिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें हमारे भारतीयों को सुरक्षित लाने में हमें सजगता से कदम उठाना चाहिए हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के साथ ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपने प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए तथा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यता वाले राष्ट्रों से इस संबंध में पहल करनी चाहिए। आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्रों को संरक्षण दिलाने की भी गंभीरता से कोशिश की जानी चाहिए।

***श्री जगदानंद सिंह** (बक्सर): विदेश नीति, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा का सबसे भरोसेमंद विषय है। यह भरोसा तभी पैदा होगा जब भौगोलिक दृष्टि से देश निश्चिंत रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ देश का संबंध आज ऐतिहासिक गिरावट पर है। भारत-चीन की वैश्विक प्रतियोगिता ईर्ष्या एवं द्वेष में बदल गया है।

भारत-चीनी भाई-भाई का नारा तो वर्षो पूर्व ध्वस्त हो चुका है। भारत के बड़े भू-भाग पर कब्जा जमाने वाले राष्ट्र के प्रति सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। कश्मीर तथा अरुणाचल के बड़े भू-भाग पर अपना दावा ठोककर देश को चुनौती दे रहा है। जहां इन बातों से बेचैनी होनी चाहिए वहीं कागजाती एतराज के सिवाय कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं दिखती है।

तिब्बत चीन का अंग हो चुका है जहां देश के जल भंडार के उद्गम स्थान हैं। पानी को रोकना-रास्ता बदलने का प्रयास हमारी आंखों के सामने है। ब्रह्मपुत्र का पानी हमारी भविष्य की आवश्यकता की गारंटी है। पानी ही नहीं होगा तो नदियों के जोड़ तथा आवश्यक स्थान पर पानी ले जाने की कल्पना ही व्यर्थ होगी। चीन द्वारा सीमा पर खतरा एवं पानी के रोक तथा पड़ोसी देशों को उकसाना देश के सम्मान पर खतरा है।

नेपाल आदिकाल से हमारा पड़ोसी तथा हमारी सीमा की हिफाजत की गारंटी रहा है। मगर उसे भी भड़काया जा रहा है। उत्तरी सीमा पर नेपाल के रास्ते से चीन की हलचल राष्ट्र की बेचैनी का कारण है।

सागर की सीमाएं भी श्रीलंका के कारण विवाद का विषय बनता जा रहा है। गरीब मछुआरों की गिरफ्तारी तथा गोली मार देने की हरकत राष्ट्र के बेचैनी का कारण बन गया है।

म्यामार के साथ आज भी संबंध भाई चारे का नहीं बन पाया। बांग्लादेश-म्यामार कभी इस राष्ट के हिस्से थे। भौगोलिक दृष्टि से हमारे पड़ोसी दोनों राष्ट्र सामरिक एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

किसी भी देश की विदेश नीति सरकारों के बदलने से नीति में बदलाव नहीं होता। विदेशी नीति का संबंध पड़ोसी के रूख पर भी निर्भर करता है और सच यही है कि दुनिया में इच्छानुसार बहुत कुछ बदलने की सुविधा होती है मगर राष्ट्र के पड़ोसी सर्वकालीन ग्राहय होते हैं। इसीलिए पड़ोसियों से संबंध को ठीक करने की आवश्यकता है।

आज विश्व कई धुरियों पर खड़ा नहीं हैं। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। रूस टूट चुका है मगर आज भी एक शक्तिशाली तथा मित्र राष्ट्र है। भारत और रूस की प्रगाढ़ मैत्री भारत के अस्तित्व की धरोहर है। हर संकट में दोनों की मित्रता कायम रही है तथा दुनिया की स्थिरता के लिए हर समय सही साबित हुआ है। अमेरिका से बढ़ता व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ती दोस्ती रूस से दोस्ती की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अमेरिका हमारे लिए आवश्यक है मगर संबंधों का एकतरफा होना राष्ट्र के लिए भविष्य में महंगा साबित नहीं होना चाहिए।

पाकिस्तान से मित्रता आवश्यक है मगर यह भी सत्य है कि दुनिया के वे राष्ट्र जो हमसे अप्रसन्न रहते हैं उनके चाहते का हिस्सा है कि भारत-पाकिस्तान दोस्त न बन सके मगर हमारी सहनशीलता तथा कूटनीति ऐसी हो कि दोनों की दूरी घटे तथा अच्छे पड़ोसी की हैसियत से दोनों राष्ट्र सुखी-संपन्न भविष्य का निर्माण कर सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से भारत की नजदीकी है तथा रहना भी चाहिए। राजनैतिक एवं व्यापारिक दृष्टि से संबंध और प्रगाढ़ होना चाहिए। सामरिक दृष्टि से तथा हमारे व्यापार के लिए भी यह संबंध आवश्यक है।

गुटनिरपेक्ष कभी का भारत आज भी किसी गुट का सदस्य नहीं हो सकता है वह भी तब जब अमेरिका के वर्चस्व के आगे इस तरह की संभावना भी नहीं है मगर अपने हित और अहित की समझ के साथ दुनिया के देशों के साथ संबंध को आगे बढ़ाना होगा।

राष्ट्र की सीमाएं शांत रहे सुरक्षित रहे तथा दुनिया के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी हो तथा रुकावट की संभावना नहीं बल्कि विस्तार के सतत प्रयास जारी रहे। राष्ट्र की रक्षा एवं सम्मान की कीमत पर सरकार को कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

अंत में, मित्र राष्ट्र जापान में प्राकृतिक दुर्घटना से हुए जन-जीवन तथा सम्पदा की हानि पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि हमारे देश की तरफ से हर तरह की सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है।

अनुदान की मांग का समर्थन करते हुए पुनः धन्यवाद के साथ बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

महोदया, विषय विराट है–विदेशी मामले। समय ही नहीं अपितु इस विभाग का वित्त पोषण भी बहुत कम हैं। अतः, अन्य बिन्दुओं पर आने से पहले, सर्व प्रथम, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि रिक्तियां को यथाशीघ्र भरा जाएं।

पासपोर्ट कार्यालय का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में, एक पासपोर्ट कार्यान्वय होना चाहिए ताकि लोगों को सरलता से अविलम्ब पासपोर्ट मिल सके।

स्थायी समिति द्वारा की गई एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि ई-पासपोर्टों हेतु चिप्स की आपूर्ति करने के लिए चयनित कंपनी को ठेका देने से पहले सुरक्षा दृष्टिकोण से सी वी ओ रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अतः इस पर गौर किया जाना चाहिए।

हम संघर्षों से चिते लीविया से, सोमाली जल दस्युओं जिन्होंने जहाज को पकड़ लिया था, की पकड़ से भारतीयों की भारी संख्या में निकालने की पृष्ठभूमि में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब, भयंकर भूकम्प ने जापान को तबाह कर दिया और वह मामला भी विचाराधीन मेरे विचार से सरकार इस अवसर पर आगे आएगी; मंत्रालय इस अवसर पर आगे आएगा और भारतीयों को बचाने के लिए समुचित उपाय करेंगे और कदम उठाएंगे। मेरे विचारसे हमारी सरकार सम्बन्धित देशों, विशेषरूप से जापान की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगी। भारत सरकार को इस संबंध में यथासंभव योगदान करना चाहिए।

हम देश की विदेश नीति पर व्यापक रूप से चर्चा कर रहे हैं। विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को चाक चौबंद रखने और हो रहे वैश्विक परिवर्तनें, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापक विनाश हेतु अस्त्र-शस्त्रों का प्रसार का समाधान करना सम्मिलित है।

पहले, मैं पड़ोसी देशों के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक पड़ोसी देशों का सवाल है मैं सरकार के दृष्टिकोण का स्वागत और समर्थन करता हूं। एक शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्थायी पड़ोस के संबंध को सुनिश्चित करने के लिए शांतिमय कदमों के सम्बन्ध में भारत भूटान के विकास के लिए अपने समर्थन और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यह नेपाल के साथ बहु-दलीय लोकतंत्र का समर्थन करने और मजबूत बनाने की दृष्टि से एक अनोखा सम्बन्ध है। माननीय सदस्य श्री शरद यादव पहले ही इस बात को कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। नेपाल में हो रहे घटनाक्रम एक बहुत ही स्वागत योग्य पहला है। हमें अपना सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि नेपाल में बहु-दलीय व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। बांगलादेश के साथ विभिन्न स्तरों पर हमारी वार्ता विस्थापित लोगों के बसाने और उनके पुनर्वास हेतु श्रीलंका को हमारी सहायता, निर्वासन वार्ता के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ संबंध सभी अनिवार्य विषय हैं। भारत द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी बकाया मामलों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सार्क देशों के मामलों में, सार्क देशों में आमूल-चूल बदलाव लाने के लिए भारतीय समर्थन और महत्वपूर्ण योगदान से सार्थक बदलाव लाने और क्षेत्रीय सहयोग में इसकी भूमिका बहुत अधिक सराहनीय है।

चीन के साथ सम्बन्ध के बारे में, मैं वार्तालाप पुनः शुरू करने में सरकार के प्रयास का स्वागत करता हूं। चाहे जो भी स्थिति हो

वार्तालाप के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। चूंकि उन्होंने वार्ता पुनः शुरू कर दी है, मैं समझता हूं चाहें सीमा पार आतंकवाद हो अथवा सीमा सम्बन्धी मामले हो चाहे जैसा भी कोई मामला हो, प्रत्येक समस्या का समाधान केवल वार्ता के माध्यम से ही हो सकता है। यदि ऐसा कोई प्रश्न बंगलादेश अथवा पाकिस्तान के साथ के मामले में आता है, तो वार्ता ही एकमात्र तरीका है।

जहां तक बंगलादेश का सम्बन्ध है, उस इन्कलेब का स्थानान्तरण एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मेरे विचार से प्रत्येक बात का समाधान वार्ता के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अतः मैं इसका स्वागत करता हूं।

मेरे विचार से चीन के साथ संबंध बहुत सकारात्मक है। भारत और चीन दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक वित्तीय स्थिति जैसे वैश्विक मामलों पर क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग प्रदर्शित किया है।

सभापति महोदया: अब, कृपा करके अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पांडा: महोदया, मैं अब अगले बिंदु पर आ रहा हूं। मुझे इसे पूरा करने दीजिए। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदया: मैं जानती हूं। इसीलिए मैं कह रही हूं। कृपया अब इसे समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पांडा: लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक पहलू हैं। मैं इन वक्ताओं से सहमत नहीं हूं जिनका मामला है कि विश्व एक ध्रुवीय बनता जा रहा है। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमरीका द्वारा विश्व की स्थिति को अपनी योजना के अनुसार बदलने के प्रयास किये गये अर्थात विश्व को एक ध्रुवीय बनाने के प्रयास किये गये। लेकिन अब सार्क देशों यूरोपीय संघ, शंघाई सहयोग देशों आदि जैसे अनेक शक्ति केन्द्र उभर रहे हैं। अब जापान आपदा से परेशान है। अब एक नई स्थिति उभर रही है और वह है बहुध्रुवीय विश्व।

इस संदर्भ में, हमारी सरकार को दृढ़ रहना चाहिये और उसे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को कमजोर नहीं करना चाहिये। इससे कुछ हद तक पहले ही समझौता कर लिया गया है। यह पहले ही कमजोर हो चुका है। हमारे लिये अमरीका के दबाव के आगे झुकना या अमरीका के आदेश के अनुसार चलना उचित नहीं है। ईरान के मामले में क्या चल रहा है? हमने अमरीका के आदेश से ईरान के विरुद्ध मत दिया है। ईरान के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? फिलीस्तीन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? अरब देशों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? यह अत्यंत चिन्ता का विषय है कि अमरीका ने कुछ देशों को आतंकी देश घोषित कर रखा है और वे मुख्यतः इस्लामी देश हैं। अतः इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है? म्यांमार में लोकतांत्रिक आन्दोलन के प्रति हमारा क्या नजरिया है? ये सभी बातें माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिये।

महोदया, अमरीका की चाहे जो योजना है लोकतंत्रीकरण हो रहा है और हमारे सामने बहुध्रुवीय विश्व उभर रहा है। फ्रांस, स्पेन, यू.के., अरब के देश और लीबिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं केवल इतना ही नहीं लाहिनी अमरीका के अधिकांश देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही स्थिति है। इेस संदर्भ में, हमारा मानना है कि भारत को इस नयी स्थिति का बहादुरी से सामना करना चाहिये और इसे अपनी विदेश नीति सुदृढ़ बनानी चाहिये जो साम्राज्यवाद विरोधी है और हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, हिन्दुस्तान दुनिया का छठा हिस्सा, सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस तरह की विदेश नीति हमारी होनी चाहिए, हम लोग नॉन-एलाइनमेंट पॉलिसी के, हिन्दुस्तान को चाहिए दुनिया के अंदर नेतागिरी करे। हमारी जो नॉन-एलाइनमेंट पॉलिसी है, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। अब मैं बहुत संक्षेप में केवल सवाल पूछता हूं।

मेरा पहला सवाल यह है कि ओबामा साहब सेंट्रल हॉल में आकर भाषण कर गए, हम लोगों ने खूब तालियां बजा दी। यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी स्थायी सदस्यता का क्या हुआ, वह यहां आकर केवल अपने लोगों के लिए रोजी-रोटी लेकर चले गए, लेकिन हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सिक्योरिटी मेंबरशिप देने का क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं।

महोदया, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यूएनओ में हिन्दी को अधिकारिक भाषा बनाने की जो बात है, उसके लिए दुनिया के कितने मुल्कों के समर्थन की जरूरत है और उसमें कितना खर्च लगेगा? मैं जानना चाहता हूं कि खर्चे की कमी है या वोट और समर्थन की कमी है? स्पेनिश भाषा, अरबी भाषा, जापानी भाषा, दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन की मंडारिन भाषा नम्बर एक पर है और हिन्दी नम्बर दो पर है। यूएनओ में हिन्दी भी आधिकारिक भाषा बने, सरकार बताए कि इसके लिए क्या वोट की कमी है या खर्चे की कमी है? यह हम बहुत केटेगोरिकली जानना चाहते हैं। अभी सुना है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध बीबीसी की हिन्दी समाचार सेवा बंद होने जा रही है। बीबीसी और उसकी हिन्दी समाचार सेवा

विश्वसनीय समाचार एजेंसी है। गांव के लोग तक कहते हैं कि बीबीसी सुनकर सही बात सहजता से पता चल जाती है। अगर बीबीसी से हिन्दी समाचार सेवा खत्म होने जा रही है, तो क्या इसके लिए खर्चे की कोई समस्या है, अगर है तो विदेश मंत्री जी बताएं कि कितने पैसे की आवश्यकता होगी? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के संज्ञान में है या नहीं और सरकार इस संबंध में क्या करने वाली है?

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चीन के बारे में बात कहीं। चीन के एक प्रमुख पत्र में छपा है कि हिन्दुस्तान पर हमला होगा और चीन ने इसके लिए तैयारी कर ली है। हम सब जानते हैं कि चीन हमारे देश की सीमा तक रेल लाइन बिछा रहा है और सड़कों का निर्माण कर रहा है। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा जो बहुत पहले लगाया गया था, आज प्रासंगिक नहीं है। अगर चीन हमारे देश पर हमला करता है तो क्या हमारी पूरी तैयारी है या नहीं और क्या हम किसी और देश के भरोसे रहेंगे? आप अगर यह सोचते हैं कि अमेरिका आपका साथ देगा, तो यह वास्तविकता नहीं है। आपको खुद को इतना तैयार होना पड़ेगा कि आप उसका मुकाबला कर सकें। हिन्दुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज चीन के सामान से भारतीय बाजार भरे पड़े हैं। हमारे देश में चीनी सामान बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर हम यह समझें कि चीन हमें अपना बड़ा बाजार समझता है और हमला नहीं करेगा, तो यह हमारी भूल होगी। हमारे देश की सीमाओं पर जो चीन द्वारा गड़बड़ी हो रही है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

तिब्बत हमारे देश की सीमा से लगा हुआ है। हमने पहले तो उसे समर्थन दिया, फिर कह दिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। यह जो हमसे भूल हुई हैं, उसे सुधारने और पुनर्विचार करने की जरूरत है। आज चीन सिक्किम पर और अरुणाचल प्रदेश पर अपना हिस्सा होने की बात कह रहा है। हमें भी चाहिए कि हम भी तिब्बत के सवाल को उठाएं। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा वर्षों से यहां रह रहे हैं। वह अब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तिब्बत का अपना कल्चर है, अपनी सभ्यता है, जो कि आज बर्बादी के कगार पर है। हमें दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहिए और अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था। हमारे पुरखों ने जो भूल की है उसे सुधारने के लिए आपको अपनी विदेश नीति में बदलाव करना चाहिए। आज भारत भी विश्व में एक ताकतवर देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां नौ प्रतिशत की जीडीपी है। लेकिन विदेश नीति के मामले में हम पीछे है। जैसा दूसरे देश कहते हैं, हम उनके पीछे चल पड़ते हैं। अभी हम सुनते हैं कि म्यांमार में चीन, नेपाल में चीन, बांग्लादेश में चीन अपनी पैठ बना रहा है। इन सब पर हमारे देश की क्या नीति है, हमारी क्या कूटनीति है? आज चीन पसर रहा है और हम सिकुड़ रहे हैं। क्या कमी है, हमें कहां दिक्कत है, कहां हमारी त्रुटि है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

सोमालिया के बारे में भी यहां चर्चा हुई। सोमालिया के समुद्री दस्युओं द्वारा हमारे लोगों और हमारे जहाजों के अपहरण की खबरें आती रहती हैं। हम केवल गिड़गिड़ाते रहते हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। यह अपहरण का काम आज से नहीं, बरसों पहले से चल रहा है। हमें चाहिए कि सोमालिया के दस्युओं द्वारा जो हमारी नौकाएं, जहाज और लोग पकड़े जाते हैं, उसके खिलाफ कठोर कदम उठाएं। हमें अपने जहाजों और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कोई कूटनीतिक उपाय करने चाहिए और यूएनओ तथा सिक्योरिटी कौंसिल में जोर-शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए।

अमेरिका में क्या हुआ, वहां की यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों ने दाखिला ले लिया। बाद में पता चला कि वह यूनिवर्सिटी जाली है, तो वहां की सरकार ने हमारे बच्चों के पावों में रेडियों कॉलर बांध दिए। हमारे बच्चे गलती से फंस गए, इसमें उनका क्या कसूर है। अमेरिका हुकूमत से हमें कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करनी चाहिए। यहां से छात्र विज्ञान, टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए अमेरिका आदि देशों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अगर वह यूनिवर्सिटी जाली निकले तो हमारे बच्चों के पांवों में रेडियों कॉलर क्यों लगाए गए, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। उसके लिए क्या है हम विशेष रूप से उसके बारे में जानना चाहते हैं? कभी हमारे मछुआरे गिरफ्तार हो जाते हैं और अभी वे जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के हाई-कमिश्नर से कहिये कि हमारे लोग बिना किसी मामले के वहां बंद हैं। कोर्ट के लिए कहते हैं ज्युडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म, कोर्ट क्या करेगा? यह जानकारी सरकार को क्यों नहीं है कि हमारे कितने मछुआरे विदेशों की जेलों में बंद हैं? सरकार बेखबर है, उसे खबर नहीं है? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हाई-कमिश्नर को कहा जाए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लोकतंत्र के लिए क्या किया? वर्मा में जेल में ऐन-सेंग-सू-ची थी, वहां लोकतंत्र के लिए हमने क्या किया? चीन में जेसमीन मूवमेंट, लीबिया में, इजिप्ट में लोकतंत्र की हवा बह रही है, उनके लिए आपने क्या किया?

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: रघुवंश बाबू, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं। शेर सिंह जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

****श्री शेर सिंह घुबाया** (फिरोजपुर): अध्यक्ष महोदया, विदेश मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान) *

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदया, आज हम इस महान सभा में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

महोदया, किसी देश की विदेश नीति उस देश की आंतरिक शक्ति को प्रतिबिम्बत करती है। जो देश मजबूत विदेश नीति के लिये कठिन परिश्रम करते हैं अन्ततः विकास की दौड़ में उनकी जीत होती है। विदेश नीति के विभिन्न पहलू हैं जिनहें सुदृढ़ एवं दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है। हमें सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण संबंध बनाने चाहिये। तथापि भारतवासियों की संख्या विदेश में बहुत अधिक है। सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिये और उनकी समस्यायें उन देशों के साथ उठानी चाहिये। हमें विश्व के तीव्रता से बदलते हुए भू राजनैतिक परिदृश्य से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिये।

महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने हमारी विदेश नीति का विश्लेषण किया है और ठीक निश्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी विदेश नीति असफल रही है। यह पूरी तरह असफल रही है। हमारे किसी पड़ोसी देश साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। वस्तुतः हमारे अनेक पड़ोसी ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो हमारे हितों के प्रतिकूल है। उदाहरण के लिये चीन के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण हैं। हमने चीन को तिब्बत आसानी से दे दिया है। नेपाल में एक ऐसी सरकार है जो हमारी मित्र नहीं है। नेपाल के माओवादी चीन के प्रति मित्रवत हैं। पाकिस्तान हमारी चिन्ता का दूसरा कारण है। हमारे पड़ोस में माहौल अच्छा नहीं हैं। हमें देश विशेष के लिये विदेश नीति बनानी चाहिये। हम केवल तभी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और भारत को विकास की तरफ ले जा सकते हैं। केन्द्र सरकार की वर्तमान विदेश नीति पटरी से उतर गई है। इसे सही रास्ते पर वापस लाया जाना चाहिये।

महोदया, भारतीय मूल के लाखों लोग अन्य देशों में रह रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि इन देशों में भारतवंशी उन्नति कर रहे हैं। भारतीय स्वभाव से अत्यंत परिश्रमी होते हैं। इसलिये वे विभिन्न देशों में अपने उद्यम में कामयाब हुये हैं। तथापि हमारी विदेश नीति का उनकी सफलता से कोई संबंध नहीं है। हमारे देश में पासपोर्ट और वीजा प्रणाली में काफी समय बर्बाद होता है और यह लालफीतासाही से ग्रस्त है। लोगों को हर जगह दौड़ना पड़ता है और इस प्रक्रिया में दो से तीन माह बर्बाद हो जाते हैं। अनेक बार वीजा प्राप्त करने में छह माह से एक वर्ष का समय लगता है। इस समस्या का समाधान होना चाहिये। पूरी प्रणाली के दुरुस्त करने और समस्या मुक्त बनाने की आवश्यकता है।

महोदया, पर्याप्त संख्या में भारतीय जिनमें सिख और पंजाबी भी शामिल हैं विभिन्न देशों जैसे कनाडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया आदि देशों की यात्रा अपने अन्य अध्ययन या अन्य उद्देश्यों के लिये करते हैं। तथापि, अपराधी और नस्लवादी प्रायः भारतीयों को निशाना बनाते हैं। वहां वे पीटे जाते हैं, उनके साथ बलात्कार होता है और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इन भयानक घटनाओं के बावजूद विदेश मंत्रालय इन मुद्दों को संबंधित सरकारों के साथ दृढ़ता से उठाने में असफल रहता है। हम प्रायः दावा करते हैं कि भारत एक महान देश है। यह एक उभरती हुई शक्ति है। इसके पास विशाल सेना है और इसके शस्त्रागार में परमाणु हथियार है। फिर भी हम कमजोर देश की तरह कार्य करते हैं। हम अन्य देशों में रह रहे भारतीयों के जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं।

महोदया, आस्ट्रेलिया में हमारे विद्यार्थियों को परेशान किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के सुरक्षा बलों द्वारा अक्सर हमारे मछुवारों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें दण्ड देकर जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी केद्र सरकार संबंधित सरकारों के साथ मजबूती के साथ ये मुद्दे

---

*मूलतः पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उठाने में असफल रहती है। यदि भारतीयों को अन्य देशों में इसी प्रकार निशाना बनाया जाता है तो हमारे लोगों में भय बैठ जाएगा। इस माहौल में, भारतीय इन देशों की यात्रा करना बंद कर सकते हैं। यह हमारे देश के हित में नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदया, लगभग 150 भारतवंशियों को वहां स्थित राजदूतावासों द्वारा भारत वापस आने की अनुमति दी गई थी। तथापि भारत ने उनके आने के बाद, उन्हें बताया गया कि उनके वीजा में अनियमितताएं हैं और फिर, उन सभी को देश से वापस भेज दिया गया। क्या इसी तरह यह सब होगा? सरकार की मौजूदा वीजा-प्रदान करने की नीति में काफी गुंजाइश बचती है।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा विदेशों में "भारतीय महोत्सव" से आयोजित करने और भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रसार पर बहुत सा धन व्यय किया जाता है। तथापि, पंजाब की समृद्ध और जीवंत संस्कृति इन 'भारतीय महोत्सवों' में प्राय: पीछे रहतीं है।

महोदया बड़ी संख्या में रहने वाले सिखों को सरकार द्वारा काली सूची में डाला गया है। उनमें से अनेक पंजाब वापस आना चाहते हैं परन्तु सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। उनकी खता क्या है? उन्हें अपनी मातृ भूमि वापस आने की अनुमति दी जाए। सरकार काली-सूची से उसके नाम कब हटाएगी?

1984 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू-स्टार के दौरान, सैकड़ों सिख यातना से बचने के लिए भारत छोड़कर भाग गए। उन्होंने फ्रान्स, हॉलैण्ड, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों में शरण ली। वे भारतीय मूल के वासी हैं। वे पंजाब वापस आना चाहते हैं। तथापि, सरकार उन्हें भारत आने में लगातार मना कर रही है। यह घोर अन्याय है जो इन निरीह लोगों पर किया जा रहा है। उन्हें पंजाब में अपने घरों में वापस आने की अनुमति दी जाए।

महोदया, मैं सरकार की इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसके सिख तीर्थ यात्रियों के लिए पाकिसतान में श्री ननकाना साहिब तक की यात्रा के लिए एक बस सेवा प्रारम्भ की है इसी प्रकार, सरकार को पंजाब, हरिद्वार और राजस्थान के किसानों को यह अनुमति देनी चाहिए कि वे पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे पड़ोसी देशों को अथवा अतिरिक्त खाद्यान्न बेच सकें। इस प्रयोजन के लिए विशेष रेलगाड़िया चलायी जाए। यह इन देशों के साथ हमारे देश के व्यापार में प्रोत्साहन का रास्ता तय करेगा और इस प्रक्रिया में भारत के खजाने को भी फायदा होगा। बाधा, फिरोजपुर, हुसैनीवाला और फजिल्का की सीमाओं को पाकिसतान के साथ व्यापार के लिए खोला जा सकता है। इस व्यापार के अवसर से भारत को पर्याप्त लाभ मिलेगा।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शेर सिंह घुबाया: महोदया, लीबिया में हाल के उपद्रव और गृह युद्ध के कारण, लगभग 18,000 भारतीय वहां फंस गए। उनमें से 9000 पंजाबी थे। उनकी जान को गंभीर खतरा था। सरकार ने उनकी मदद करने और घर वापस आने के प्रयास किए हैं। तथापि, अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इन लोगों को बचा लिया गया है लेकिन उन्हें यहां कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। इन लोगों को लीबिया में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकार को उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

सभापति महोदया, हम दावा करते हैं कि भारत एक महान देश है। तथापि, हमारी विदेश नीति में यह परिलक्षित नहीं होता है। इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। हमें पटरी से उतरी हुई अपनी अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लानी चाहिए। तब ही देश सम्पन्न और समृद्ध हो सकता है।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंत नाग): अध्यक्ष महोदया, मैं जापान के लोगों जिन्हें बहुत परेशानी हुई है और परेशानीयों का सामना कर रहे हैं। के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने में अपने साथियों के साथ हूं।

माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं उनके साथ हूं क्योंकि हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में, जब सारा अरब जगत संकट के दौर से गुजर रहा है, हर सदस्य यह महसूस करता है और चाहता है कि शायद ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अत्यधिक अच्छा करना चाहिये हमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि हम लीविया के बारे में बात करें, तो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी सहित अनेक देश हैं जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। फ्रान्स ने तो विद्रोही सरकार को भी मान्यता दी है। इस प्रकार, ब्रिटेन ने नो फ्लाई जोन पर दबाव डाला है और जर्मनी ने करोड़ों की सम्पत्ति दी है। अत: हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक बहुत सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जबकि सारा गैर लोकतांत्रिक विश्व, विशेष तौर पर संकट के दौर से गुजर रहा है।

महोदया, मैं माननीय विदेश मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वे सुझाव जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित हैं। पाकिस्तान

के साथ हमारे संबंध में, हमारा राज्य, जम्मू-कश्मीर राज्य और कश्मीर विशेषरूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जैसा कि हमने महसूस किया है और जैसा हम कर रहे हैं, बातचीत का कोई और विकल्प नहीं है। हमें पाकिस्तान से बात करनी है। जैसे ही हम बातचीत बन्द कर देंगे, जम्मू और कश्मीर की जनता को सर्वाधिक परेशानी होगी।

मंत्री महोदया, मैं आपके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण रास्ते खोले, जो हमें सारी दुनिया से जोड़ते हैं। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग की तरह पूंछ रावलोकट मार्ग की तरह हम अपेक्षा कर रहे थे कि जम्मू-सियालकोट मार्ग, कारगिल-सकई मार्ग खोला जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि बहुत थोड़े से लोग ही इस अति महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वीजा प्रक्रिया बहुत जटिल हैं। व्यापार मदें जिनका व्यापार हो सकता था, व्यवसाय, जो कश्मीर के हमारे भाग और कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के नियन्त्रण में है के बीच नहीं हो रहा है। यह बहुत प्रतीकात्मक हो गया है। तो हम आपके आभारी रहेंगे, यदि आप इस ओर एक बार ध्यान देंगे ताकि हमारा व्यापार एवं कारोबार जो 1947 से पूर्व पनपता था, उसी तरह से पनपे। मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1947 के पश्चात् शेष विश्व की ओर जाने वाले हमारे समस्त मार्ग बड़े हो गये। अतः, यह और आर्थिक महत्वपूर्ण है कि वे प्रयास जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किये थे जारी रखे जाये। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वार्ता आरंभ की। वह ऐसा समय था जब हमने कश्मीर में बहुत शांति देखी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने यह महसूस किया कि वार्ता हो रही हैं तथा पाकिस्तान के साथ वार्ता भी चल रही हैं।

अतः, कश्मीर में बहुत ही शांतिमय समय था। हमें आशा करते है कि वार्ता जारी रहेगी। यदि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, तो श्री अटली बिहारी वाजपेयी ने जनरल मुर्शरफ के साथ बहुत ही गंभीर वार्ता की थी और जम्मू और कश्मीर के लोगों का समय शांतिमय था जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने व्यक्त किया है। किन्तु जम्मू और कश्मीर के मुद्दे का समाधान करना होगा तथा इसका निराकरण करना ही होगा। वाजपेयी जी ने अपने समय के दौरान इस मुद्दे की ओर जनरल मुशर्रफ की लगभग सर्वाधिक स्थान की दिया था। हम चाहते हैं कि आप इसे जारी रखे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिये महत्वपूर्ण है।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बारे में पहले ही स्वयं की प्रतिबद्धता व्यक्त की है क्योंकि जब वे पाकिस्तान के दौरे पर गये तो वहां कुछ कश्मीरी युवक उनसे मिले थे। वे पुनः कश्मीर लौटना चाहते थे और शांतिमय जीवन जीना चाहते थे। मैं कामना और आशा करता हूं कि आप इस प्रक्रिया में उनका सहयोग करेंगे ताकि कश्मीरी युवक, जो उस पार जा चुके थे और अब वापस आकर कश्मीर में शांतिमय सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, वापस आ सकें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चूंकि हमारा राज्य एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, अतः मेरी कामना है कि हज कोटा बढ़ाया जाये क्योंकि हमेशा ही हर वर्ष शिकायतें आती है कि अधिकाधिक लोग हज करना चाहते है। अतः यदि जम्मू और कश्मीर के मामले में यह कोटा बढ़ा दिया जाता है, तो वह एक बहुत बड़ी सेवा होगी।

मैं अपनी बात बस समाप्त कर ही रहा हूं। जब मैं आज इस सदन में आ रहा था तो एक युवा कप्तान शाजाद वानी वह मुझसे मिला है। वह किंग फिशर विमान उड़ाता है उसने मुझे बताया कि उसके माता-पिता विमान से विदेश में जाने के पात्र हैं और वह उन्हें विदेश ले जा सकता है क्योंकि वह कप्तान की हैसियत से ऐसा करने का पात्र है। उसके माता-पिता को केवल एक वर्ष के लिए ही पासपार्ट दिया गया और अब उनके पासपोर्ट की तारीख आगे नहीं बढ़ रही है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों-हजार मामले हैं, खासकर कश्मीर के लोगों के। उनके मामले आपके समक्ष लंबित हैं और उनके पासपोर्ट, जोकि उनका मौलिक अधिकार है, उनहें प्रदान नहीं किये जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पासपोर्ट के सभी लंबित मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाये। हालांकि जम्मू और कश्मीर के लोग भी शेष विश्व में जा सके।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): महोदया, इस सम्मानित सभा में बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं यहां विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। भारत की विश्व व्यवस्था में छवि को गांधीवादी और नेहरूवादी विरासत द्वारा बनाया गया है। भारतीय विदेश नीति का उद्भव और विकास सभ्यता की हमारी समक्ष और महात्मा गांधी के असाधारण योगदान और नेहरू जी की हमारी सभ्यता और विरासत की पच्चीकारी से हुआ।

मैं प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी की कूटनीति की सराहना करता हूं जो नेहरूवादी विरासत का सम्मान और अनुसरण करती है। यह विश्व में भारत की उभरती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसे सुरक्षा परिषद में एक स्थाई स्थान सुनिश्चित करने के बारे में है।

मैं माननीय मंत्रियों, श्री एस.एम. कृष्णा और श्री वायालार रवि द्वारा प्रवासियों के लिए मताधिकार सुनिश्चित करने के अथक प्रयासों को धन्यवादपूर्वक स्वीकार करवा दूं।

एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसने देश में सबसे अधिक संख्या में एनआरआई हैं, का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस अवसर पर इस संबंध में सरकार को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एन आर आई लोगों को मताधिकार देने से उन्हें भारतीय समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर सरकार से निवेदन करता हूं कि वह एनआरआई व्यक्तियों को विदेशों में स्थित अपने दूतावासों में उनका मत देने की अनुमति दी जाए। प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत इस युग में इन्टरनेट के माध्यम से मतदान करना संभव है। यदि एनआरआई व्यक्तियों को विदेशों में स्थित अपने दूतावासों के अपना मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, तब ही उन्हें प्रदत्त मताधिकार के उद्देश्य की वास्तव ें पूर्ति होगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तत्काल कदम उठाये।

लीबिया से संघर्ष ग्रस्त लगभग 18000 भारतीयों को बाहर निकालने के दुर्गम कार्य के भारत द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा किया गया जोकि माननीय विदेश मंत्री, श्री एस.एम. कृष्णा और माननीय नागर विमानन मंत्री, श्री वायालार रवि के प्रयासों संनत हुआ।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय लीविया से हाल ही में आये भारतीय परिवारों के बच्चों को विद्यालीय और महाविद्यालीय शिक्षा सुलभ कराने सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श कर रहा है और भारत में विभिन्न राज्यों में विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश हिलाने में बच्चों की सहायता भी कर रहा है। विभिन्न मंत्रालय दैनिक चिन्ताओं और राजनायिक आवश्यकताओं का समाधान बहुत अच्छी जगह कर रहे है।

मैं इस अच्छे समन्वय के लिए राजनीतिक दूर दृष्टाओं का अति सम्मान करता हूं तथापि, भारतीय दूतावासों को देश में भारतीय उपलब्धियों से तालमेल बिठाना बाकी है। हमें मंत्रालय में ही तत्काल एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिक द्वारा की गई शिकायत करने पर विभिन्न राजनयिक मिशनों में नियुक्त सम्बर्नधित अधिकारी उनका समुचित समाधान करें। पेशेवर अंदाज और कार्यशैली का संचार करके समस्त तंत्र का पुनरूद्धार करने के लिये प्रयास किया जाए। इन शिकायत प्रकोष्ठों को सुचारू बनाने के लिए विदेश मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।

कई बार, हमारे विदेश स्थिति दूतावास इस तथ्य को भूल जाते हैं कि भारतीय दूतावास का पहला कार्य भारत सरकार का हित साधना है और दूसरा भारतीय नागरिकों का हित साधना है। हमारे नागरिक अपने प्रश्नों का उत्तर जानने, अपनी यात्राओं के लिए दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा आदि मुहैया कराने के लिए इन दूतावासों पर निर्भर करते हैं। परन्तु अधिकांश भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को दूसरे दर्जे के नागरिक समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। परन्तु, जब कोई उच्चाधिकारी विदेश जाता है तो ऐसा नहीं होता है। उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और वे ये सोचते हुए देश लौटते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है।

एक संसदीय शिष्ठमण्डल के भाग के रूप में जून 2010 में मैं अमेरिका में था। मैं 'यू एस ए टुडे' अमेरिकी दैनिक समाचार पत्रों में जून 2010 में प्रकाशित एक शीर्ष समाचार के बारे में बताना चाहता हूं। एक भारतीय राजनयिक 16 वर्ष की एक बालिका को अपने घर की नौकरानी के रूप में काम करने के लिए ले गए। उस बालिका को निरन्तर प्रताड़ना की वजह से उस राजनयिक के घर से भागना पड़ा, क्योंकि उसे रोजाना 16 घंटे कार्य करना पड़ता था, कार्य दशाएं बड़ी अमानवीय थीं और उसके स्वामी का व्यवहार बड़ा बर्बर था। उसने लड़की ने न्यूयार्क पुलिस थाने में अपनी हृदय-विघटन घटना के बारे में बताया।

इससे पहले मैंने कहा था कि मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें देश में एनआइई व्यक्तियों की सर्वाधिक संध्या है। हमारे राजदूतवासों के कार्यकरण के बारे में बताते हुये दुनिया भर से मुझे बहुतसे संदेश प्राप्त होते हैं। मैं उनमें से एक या दो पढ़ना चाहता हूं। यह संदेश मुझे तोरन्टो से श्री राकेश कुमार द्वारा भेजा गया है। यह इस प्रकार बताया गया है:

> "वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय प्रशासन संगठित नहीं है, ग्राहक सेवा खराब है; अशिक्षित लोगों पर कम ही ध्यान दिया जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कोई सम्भव नहीं हैं, फोन का उत्तर कभी नहीं दिया जाता है। वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय में कोई इन्टरनेट और फोटोकापी मशीन नहीं है। जिसका आम आदमी उपयोग कर सके; जिसकी वजह से विशेषरूप से वृद्ध व्यक्तियों को बड़ी परेशानी होती है।"

एक अन्य संदेश बर्लिन से सुश्री कविता ने भेजा है। यह इस प्रकार है:

> "बर्लिन स्थिति भारतीय दूतवास की वजह से मैं अपने होशे-हवास खोने वाली हूं। वे दो महीने से मेरा पासपोर्ट दबाए बैठे हैं। सभी

दूरभाष नम्बर उत्तर देने वाली मशीनों से जुड़े हैं। जिनकी क्षमता समाप्त हो गई है और जो कोई संदेश नहीं प्राप्त सकती हैं। दूतावास स्थित कर्मचारियों द्वारा मांगे गए पासपोर्ट फोटो के आकार का उल्लेख दूतावास की वेबसाइट पर कहीं नहीं किया गया था। डाक द्वारा भेजे जाने के बाद उन्होंने कहा है कि मेरा पासपोर्ट भारत में कहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि एक गैर मुल्क में पासपोर्ट के बिना मेरी दुविधापूर्ण स्थिति को वे समझते भी है या नहीं । असहयोग अक्षम, अज्ञानी और हठधर्मी इस प्रकार का रवैया वहां के कर्मचारियों का देखा गया है जिसका मैं वर्णन करती हूं।"

क्या किसी को पता है कि इस उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकारिक रूप से शिकायत कहां की जा सकती है?"

पेरिस से आया एक अन्य सन्देश इस प्रकार है:

"यह किसी को पता नहीं कि भारतीय दूतावास में काम काला किये जाये और न ही वहां से कोई उत्तर मिलता है।"

इसी प्रकार वाशिंगटन से भी एक संदेश है।

सभापति महोदय: कृपा करके इन सभी संदेशों को मत पढ़िए। जी, हां हम समस्या को समझते हैं।

श्री एंटो एंटोनी: सारी दुनिया से अनेक संदेश आए हैं। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का निवेदन करता हूं कि हमारे दूतावासों की सेवाओं की समुचित तरीके से निगरानी की जाए।

खाड़ी के मुल्कों में 55 लाख भारतीय कार्यरत हैं और उनमें से अधिकांश मेरे राज्य केरल से हैं। हजारों हजार लोग पुलों के इर्द-गिर्द पड़े हैं। उन्हें दुख के नाम जाना जाता है। उत्पीड़न के कारण से वे अपने मूल नियोजक के पास से भाग गए। दूतावास को उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें हमारे देश में वापस लाने के प्रयास करना चाहिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): धन्यवाद, महोदया। मैं मांग का समर्थन करता हूं।

मैं पाकिस्तान से अपनी बात प्रारम्भ करूंगा। यदि हम पाकिस्तान से बातचीत जारी रखेंगे तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन यदि पाकिस्तान से नहीं करेंगे तो इस बात की पूरी गारन्टी है कि सफलता नहीं मिलेगी। इस बात के तीन कारण है कि आखिर भारत को समझौते में प्रक्रिया का पक्ष क्यों अपनाना चाहिए। जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलता रहेगा तब तक हमारे देश में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा पाकिस्तानी और भारतीय मुस्लिमों के बीच हमेशा टकरार रहेगी। इसलिए, देश में धर्मनिरपेक्षता जो हमारी राष्ट्रीयता की मुख्य आधार शिला है और हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है सुनिश्चित करने के लिए हम जितनी जल्दी दोनों राष्ट्रों के बीच संघर्ष को कम करेंगे हमारे अस्तित्व की सलामती धर्म निरपेक्षता के आश्वासन के लिए उतना ही अच्छा होगा।

दूसरे, हम पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ एकतरफा रूप से नहीं निपट सकते हैं क्योंकि भारत में आतंकवादी तंत्रों का पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध है, और उन आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए हम पश्चिमी दबाव पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी समूह पश्चिमी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान विरोधी भी हैं। वास्तव में, पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान में कुछ तत्व हैं जो लश्कर-ए-तयबा का समर्थन कर रहे हैं। परन्तु हमारी ओर यह कहना गलत होगा कि ऐसे सभी तत्वों को ऐसी नजरों से देखें कि समस्त पाकिस्तान इनका समर्थन कर रहा है वास्तव में पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान पर आक्रमण होते रहे है। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान अब यह समझने लगा है कि ये पाकिस्तानी तत्व है और अब वह समझने लगा है कि आतंकवाद कहीं से पनपें उसमें कहीं कोई अन्तर नहीं है। यह भारत और पाकिसतान दोनों के लिए खतरा है, जिसे पाकिसतान सत्ता प्रतिष्ठान अब समझ चुका है और यह कि हर एक के लिए समान खतरा है। इसलिए, वक्त का यह तकाजा है कि हम सतर्कता से कार्य करें और सावधानीपूर्वक आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने में पाकिसतान के साथ सहयोग की दिशा में कार्य करें।

तीसरे, ऐसी कोई रास्ता नहीं है जिसमें भारत अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ मुद्दों का समाधान किए विना आ सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन जैसे देश सुरक्षा परिषद में हमें स्थान न मिलने देने के लिए और राष्ट्र समूह में हमें अपना स्थान न मिले इसके लिए भारत और पाकिसतान को बांटने का खेल सदैव ही खेलता रहेगा।

हमारे पास बातचीत पुन: आरंभ करने का चौथा कारण यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापिस लौटने वाला है। हमें पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को स्थायित्व प्रदान करना है मुझे विश्वास है कि अफगानिस्तान में सभी के द्वारा किए जा रहे बड़े जोर-शोर पूर्ण दावों के बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान में सफल नहीं होगा। तालिबान पुन: शक्ति सम्पन्न हो जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उन लोगों से लड़ सके हमें पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने होंगे।

जिन तीन कारणों से पाकिस्तान अब भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है—एक है लोकतंत्र के लिए क्योंकि वे जानते हैं कि वे भारत को मिलिटरी से नहीं हरा सकते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्तित्व के बने रहने और उन्नति करने के लिए उन्हें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने ही होंगे।

दूसरा बिन्दु यह है कि आतंकवाद किसी में फर्क नहीं करता है। मैंने एक पाकिस्तानी से बात की और वह उसका कहना है कि: "हमने पाकिस्तान में जाने गवाई है और आप भारत में लोगों की जान गंवा रहे हो और इस पाकिस्तानी ने मुझे बताया कि अब वह सोने जाता है उसे यह नहीं पता होता कि वह पलंग पर सोया रहेगा या अपनी कब्र में सोएगा। इसलिए हमें आतंकवाद के इस पाकिस्तानी डर का फायदा उठाना होगा ताकि दोनो देशों के मध्य उनके अभिकरणों के माध्यम से और न्यायिक प्रणाली के माध्यम में आतंकवाद के समन्वित डर को समाप्त किया जा सके।"

फाटा, खैबर पखतूनखूबा और बलूचिस्तान में विनाश और मृत्यु के कारण ही तो परस्पर एक हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को अब समझ आया है कि राष्ट्रीय हित के समक्ष होने के बावजूद वे किसी और की लड़ाई लड़ रहे है। इसलिए भारत पाकिस्तान के मध्य हितों एक होने के कारण बातचीत पुनः आरंभ करने का अवसर है।

आपके माध्यम से में विदेश मंत्री को विदेश सचिव स्तरीय बातचीत पुनः आरंभ करने का साहसिक कदम उठाने के लिए बधाई देना चाहूंगा परन्तु यदि इस वार्ता को रचनात्मक और परिणामोन्मुखी तरीके से नहीं लिया जाता तो यह एक खोखला प्रयास होगा। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मैं दो बातों का प्रस्ताव करता हूं। पहला राजदूत श्रीसती लाम्बा और पाकिसतान के श्री तारिक अजीज के मध्य बैक चैनल वार्ता के नाटकीय नतीजों को मजबूती देना। यह हमें श्री खुर्शीद कसूरी द्वारा आउटसोर्स करके तब दिया गया था जब मैं जनवरी में वहां एक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में था। इन नतीजों का ठोस रूप देने से प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का दौरा उपलब्धियों वाला बनाने में सहायता मिलेगी।

इस समग्र वार्तालाप के नतीजों के ठोस बनाने के अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के वार्ताकारों को लंबित मुद्दों पर निर्बाध रूप से रचनात्मक वार्ता करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वार्तालाप दैनंदिन संबंधों के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहे। जो कुछ भी हो हमें आगे बढ़ना है।

बंटवारा हुए 64 वर्ष बीत चुके हैं। पाकिस्तान में बंटवारे की पीड़ा के भागीदार लोग अब नहीं रहे और भारत में बंटवारे की पीड़ा के भागीदार बहुत कम लोग बचे हैं। अब पाकिस्तान ने इस सत्य को महसूस किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है जबकि पाकिस्तान के समक्ष अब इस्लाम के अनेकवाद को पहचानने की अपरिहार्य आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें भारत पाकिस्तान संबंधों में नए युवा के लिए प्रयास करके आगे बढ़ना और इतिहास में उलझना नहीं चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह इसे महसूस करते हैं परन्तु साथ ही मैं आशा करता हूं कि वे अपने ही साथियों द्वारा रोके नहीं जाएं।

सायं 7.00 बजे

उनके संस्थापन में कट्टर लोग उन्हें रोक न दे। हम चाहते है कि प्रधानमंत्री इस राष्ट्र को आगे ले जाएं, वास्तव में, पूरे दक्षिण एशिया की शान्ति और समृद्धि की ओर बढ़ाएं।

जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पंडित नेहरू जी की कहीं एक बात का उद्धरण मै यहां देना चाहूंगा उन्होंन कहा, "कि भारत दुनिया को देखभालपूर्ण और मित्रवत, नजरों से देखेगा," महोदया मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ नई शुरुआत करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदयाः माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट इंतजार करें। अभी कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलना है, शायद चार सदस्य हैं यदि सभा सहमत हो, तो सभा का कार्य पूरा होने तक समय बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयाः माननीय सदस्य, कृपया 1 मिनट में बात समाप्त करें।

श्री असादूद्दीन ओवेसीः कृपया मुझे कुछ और समय दें। भारत अरब देश संबंधों के प्रश्न पर, मेरा विचार है कि चाहे किसी अरब देश का अध्यक्ष कोई तानाशाह हो, निर्भय निरंकुश शासक हो या जो भी हो, जब तक मेरे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम इस लोकतांत्रिक, लोकतंत्र संवर्धक के फेर में न पड़े। यदि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है तो हमें उससे काम चलाना चाहिए क्योंकि 10 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। यदि आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लीविया में अब क्या हो रहा है तो लीविया में अब क्या हो रहा है? चाहे आप गद्दाफी को पशु कहें या कुछ और वह पशु हो सकता है परन्तु अब वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। लगभग 18000 भारतीयों को वायुमार्ग से वापिस लाया गया और मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु क्या होगा सरकार बहरीन के संबंध

में एक निश्चित निर्णय ले। उसे बहरीन के संबंध में निर्णय लेना चाहिए कि वे वहां शासन पद्धति बदले जाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि म्यामांर में जो कुछ हुआ वह हमारी गलत नीति के कारण है हमने उन्हें चीन की ओर प्रेरित किया है।

अब अरब देशों में यह कहावत है कि अरब देशों के लिए भारत की नीति तेल अबीव में बनाई जाती है और ईरान के संबंध में हमारी नीति वाशिंगटन में बनाई जाती है। तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन पर हस्ताक्षर किस प्रकार कर सके जबकि हम ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइप लाइन पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते? इरान के साथ हमारे संबंध दोयम दर्जे के हो गये हैं। इजरायल के साथ, इस संप्रग सरकार ने फिलीस्तीनी हित के लिए छह वर्षों में 20 मिलियन अमरीकी डालर दिये हैं किन्तु किसी ने भी फिलीस्तीनी हित की बात नहीं की है।

हमने इजराइल को फिलिस्तीनी भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति कैसे दी? भारत पिछले 1 1/2 वर्ष से गाजा पट्टी के अवरुद्ध किए जाने की पुरजोर तरीके से निंदा क्यों नहीं कर पाया है? आप 20 मिलियन अमरीकी डॉलर इजराइल को कैसे दे रहे हैं और आपने इजराइल के साथ वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 1.9 मिलियन अमरीकी डालर की संविदा पर हस्ताक्षर कैसे किए हैं? आपका क्या संदेश दे रहे हैं क्या आप इजराइल के पक्ष में है जो लोगों को दिन-रात कुचल रहे हैं? हम वह फिलीस्तीनियों के लिए लोकतंत्र की बात क्यों नहीं करते?

महोदया, अंततः मैं चीन के संबंध में बात करता हूं। प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी वर्ष 2008 में चीन गये थे। उन्होंने कहा, "हमारा एक संयुक्त तंत्र हो। ब्रह्मपुत्र नदी के विपणन को रोकने वाली संधि होनी चाहिये।" चीन ने इस संबंध में असहमति व्यक्त की। यदि चीन असहमत होता है और यदि हर कोई इस बात से सहमत हो जाये कि चीन भारत के लिये खतरा है तो हम देहरादून में स्थापना-22 (इश्टब्लेशमेन्ट-22) आरंभ अथवा पुनः बहाल क्यों नहीं कर लेते? हम तिब्बत का दांव क्यों नहीं खेलते? स्थापना-22 विद्यमान है; इसीलिये तिब्बत का दांव खेलना चाहिये क्योंकि यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो पायेंगे कि जब तिब्बत स्वतंत्र देश का तब भारत शांतिमय था। जब से तिब्बत चीन का भाग बना तभी से चीन हमें धमकियां दे रहा है। चीन न केवल हमें धमकी दे रहा है बल्कि वह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन के वैज्ञानिकों के दौरे के जरिये तकनीकी परामर्श के रूप में पाकिस्तान को सामग्री संबंधी सहायता और सॉफ्ट सहायता (सॉफ्ट हेल्प) भी प्रदान करके सहयोग कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, वह दिन दूर नहीं जब चीन हाइड्रोजन शस्त्रों के लिये पाकिस्तान को डिजाइन एवं सामग्री भी भेज रहा होगा। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि हम वियतनाम को ब्रहोस प्रेक्षपास्त्र (मिसाइल) दें। आप चीन के लोगों के समक्ष वियतनाम का जिक्र करें और फिर उनकी प्रतिक्रिया देखें यह सही समय है कि भारत वियतनाम को ब्रहनोस प्रक्षेपण दे। जब तक हम चीन का प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं करेंगे तब तक एक बिलियन व्यापार की यह सारी बार विकृत विकास ही होगी क्योंकि चीन भारत को 90 प्रतिशत निर्यात कर रहा है, किंतु हम चीन को क्या निर्यात कर रहे हैं? यह उपयुक्त समय है कि सरकार एक रुख अपनाये और इस फिलीस्तीनी मुद्दे पर दृढ़ता एवं पुरजोर ढंग से कुछ कहे। हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला कार्यालय है, किन्तु उसमें कई पद रिक्त हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दे।

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विदेश मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

हमारे देश के अन्य देशों, खासकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे संबंध है। इस नीति का अनुसरण करना ही होगा और हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ और अधिक सद्भावनापूर्ण संबंध विकसित करते रहना होगा।

जहां तक खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों का संबंध है, तो उन्हें अपने-अपने स्थान पर विद्यमान भारतीय दूतावास के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर रखने होंगे। यह जानकारी दी गई है कि दूतावास और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों-दोनों विदेशों में काम करते हैं और उनको पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण दूतावास के माध्यम से अपनी समस्याओं का निवारण करने में मुश्किल होती है। लीबिया में हाल की घटनाओं के आलोक में इस पहलू की ओर गौर करना होगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों में पर्याप्त स्टाफ पदस्थ करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): मेरे कई साथी इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह ट्राई वैली मुद्दे के संबंध में है। यह ऐसा मामला है जिसके बारे में मैंने यह सोचा कि यह समाप्त हो गया था क्योंकि संसद सत्र के पहले सप्ताह में मेरे साथी श्री राजगोपाल ने इसका उल्लेख किया है। वे हमारे साथ अपराधियों जैसा सुलूक कर रहे हैं। अधिकांश लोग, जो यहां से ट्राई वैली विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को गये, निम्न मध्यम वर्ग एवं निर्धन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने पैसा उधार लिया और वहां गये। उनके माता-पिता यह सोचे बैठे हैं कि ये लोग वहां कुछ कर रहे हैं और वे डॉलरों में पैसा कमाएंगे और हमें रुपये देंगे जिससे हम अपना शेष जीवन खुशीपूर्वक से व्यतीत कर सकेंगे। वर्तमान में इनमें से कुछ लोग जेल में है। यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कुर्दान्त अपराधियों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। उनके टखनों में ये रेडियो टैग लगे रहते हैं। अब भी लगभग बीस विद्यार्थियों के टखनों में रेडियो टैग लगे हुये हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती। अमरीका सरकार द्वारा वीजा दिया जायेगा। अमरीका सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन लोगों को ट्राई वैली विश्वविद्यालय में दाखिला दिया जा सकता है। यही कारण है कि इन लोगों ने वीजा हासिल कर लिया और ये वहां चले गये। यदि वह विश्वविद्यालय फर्जी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? वे इसके लिये विद्यार्थियों को किस प्रकार जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मेरे साथियों श्री नामा नागेश्वर राव और डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इसका उल्लेख किया था। किंतु इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है। वहां लगभग 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें से मेरे संसदीय क्षेत्र से 100 से अधिक विद्यार्थी हैं। कल रात उनहोंने मुझसे 12 बजे बात की और वे रात को 2 बजे तक रो रहे थे। लड़के एवं लड़कियां-दोनों ही रो रहे थे। वे कह रहे थे, कृपया हमारे लिये कुछ कीजिये। हम वापस नहीं आ सकते। हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, वह यह है कि या तो हम अपनी जिंदगी समाप्त कर लें या वहां कामगार की तरह रहें। हम अपने टखनों की वजह से वह कार्य भी करने में असमर्थ हैं।'' अतः, इस सभा के मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में अनुरोध करना चाहता हूं हालांकि वह बाहर आ गया, मेरे विचार से वह वापस लौटे आयेगा।

सभापति महोदयः जी हां, वह वापस लौट आयेगा। आप अपनी बात जारी रखें। आपने अपनी बात को बखूबी रखा है।

श्री अरुण कुमार बुंडावली: अमरीकी वकीलों ने एक संघ बनाया और उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा को एक पत्र लिखा और मैं उसका केवल एक पैरा पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

"हाल ही में, आप्रवासन और सीमशुल्क प्रवर्तन एजेंटों ने प्लेजेन्टन केलिफोर्निया में ट्राईवैली विश्वविद्यालय द्वारा सैंकड़ों अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को अवैद्य प्रपत्र 120 बीसा जारी किए जाने के मामले में छापा मारा था। अमरीकी एटोर्नी के कार्यालय का आरोप है कि प्लीजेंनटन में ट्राईवैली विश्वविद्यालय के मालिकनों गैरमान्यता प्राप्त विद्यालय के माध्यम से विदेशी छात्रों से लाखों डालर ट्यूशन शुल्क वसूल किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए छात्र बीजा प्राप्त करने में सहायता की। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि ये विद्यार्थी धोखाधड़ी के शिकार है, आई सी ई उनसे इस बड़े पैमाने के अपराध में सह षडयन्त्रकारी की तरह व्यवहार कर रही है।"

यह हमारे विद्यार्थियों ने नहीं कहा है, यह सॉन-फ्रांसिस्यों की एक मशहूर विधिक फर्म है, जिसने आगे कहा है:

"इस समय ऐसे अनेक विद्यार्थियों जिनहोंने ट्राई वैली पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया वे यदि आप्रवासन स्थिति के उल्लंघन करते हुये पाए गए तो उन्हें वापिस भेजे जाने की संभावना है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि उन्हें अमरीकी वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों द्वारा वैध अमरीकी वीसा जारी किये गए थे। इस बात की संभावना बहुत कम है कि अधिकांश विद्यार्थियों को इस बात की भनक थी। कि उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। ट्राई वैली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अधिकांश विद्यार्थी अपने भविष्य की संभावनाओं को सुधारना चाहते थे और ऐसा करके अपने लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इन सभी विद्यार्थियों संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के किन्हीं नियमों में धोखा धड़ी करने का इरादा न होने के बावजूद संभाविपत अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है।"

महोदया मैं केवल इस सभा से और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जो यहां उपस्थिति नहीं है, से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है जिस पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। हम हमारे बच्चों को बेचारे लड़कों और लड़कियों को यहां रोता नहीं देख सकते। यह अत्यन्त करूणापूर्व है। मेरा विचार है कि पूरी सभा इसका समर्थन करती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसका तुरंत उत्तर दें।

श्री हसन खान (लद्दाख): महोदया मैं एसी का किसी सरकारी नीति को दोहराना नहीं चाहता जिन पर चर्चा हो चुकी है। परन्तु मैं अपने क्षेत्र में विकास के संबंध में कुछ बिन्दुओं के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं कुछ गंभीर मामलों के बारे में भी कहना चाहूंगा। लद्दाख में चीन की गतिविधियां और दावे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से सीमा पार अपनी गतिविधियां बड़े पैमाने पर बढ़ा दी हैं। चीन ने अक्साई जिन क्षेत्र में भारत का 37000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान ने गिलगिल के होन्जा क्षेत्र में 5800 वर्ग कि.मी. भूमि चीन को दे दी। इसलिए इस समय चीन ने जम्मू और कश्मीर राज्य की 42,180 वर्ग कि.मी. भूमि पर कब्जा किया हुआ है।

उन्होंने अच्छी विस्तार नीति रणनीतिक सम्पर्क और सेना की तैनाती तक सीमित नहीं रखी है और वर्तमान में वे बलूचिस्तान में गवादार पत्तन रेल लाइन का निर्माण हमारी सीमाओं के साथ अक्साई चिन बाल्टीस्तान और गिलगित से होते हुये कर रहा है जिसके लिए वहां पर 10000 चीनी सैनिक सीमा के मजदूरों की तरह कार्य कर रहे हैं। इस बात की भी रिपोर्ट मिली है कि चीन को बल्स्तिान और गिलगिल क्षेत्रों में उन्होंने सड़क और राजमार्गो के नाम पर 22 सुरंगे बनाई है परन्तु हमारे रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सुरंगे प्रक्षेपास्त्र रखने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं।

चीन और पाकिस्तान ने हमारी सीमा के साथ हमारी तरफ अपनी सीमा में सभी मौसमों को झेल सकने वाली सड़के और राजमार्ग बनाए हैं। परन्तु हमारी ओर वर्ष में छः माह से अधिक तक सभी सड़कमार्ग बंद रहते हैं। चीन और पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर तथा पीछे भी विमान पत्तन बनाए है। सभी प्रकार की क्षमताओं वाले चीन और पाकिस्तान गिलगित और बालिस्तान में मेगा पावर परियोजनाओं का भी निर्माण कर रहे हैं मैं यहां पर सभी गतिविधियों के बारे में नहीं कहूंगा परन्तु हमें सचेत हो जाना चाहिए और सीमक्षेत्र के हमारे भाग में विश्वसनीय सम्पर्क और संचार आरंभ करके सभी आवश्यक उपाय करें।

अंत में मैं एक आम भवना के बारे में कहना चाहूंगा कि ईरान के प्रति भारत की नीति अमरीका द्वारा निर्देशित की जाती हैं जो हमारी नीति में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन है जबकि ईरान भारत का सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र देश है।

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): मुझे वर्ष 2011-12 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय के लिए कुल बजट 7,106 करोड़ रुपए है। यह भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि यह विश्व भर में विभिन्न देशों के साथ भारत की विदेश नीति की आयोजना करता है। यह सही कहा गया है कि हम एक वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें भारत के हित सुरक्षित हों भारत की निर्णय लेने की स्वायत्ता सुरक्षित रहे जिससे भारत को देश के त्वरित, स्थायी और समेकित सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

मैं यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा गारू को भारत की विदेश नीति को हमारे मुख्य राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्ठापूर्वक तथा शांति और भाई चारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में परिवर्तन के प्रति गतिशील रूप से अनुकूल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सभी उप-महाद्वीपीय पड़ोसियों के साथ निकट के तथा अच्छे संबंधों के प्रति भारत की निष्ठा समानता और आपसी सम्मान के आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं हमारे सभी निकट के पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने और अन्य सार्क सदस्य देशों के साथ इसी क्षेत्रीय एकता के प्रभावी संगठन के रूप में बदलने के लिए भी विदेश मंत्री को धन्यवाद देती हूं।

कोपेनहेगन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में भारत ने कार्बन उत्सर्जन को घटाने में पहल की है। मैं उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा सत्र जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वित्तीय संकट आदि जैसे मुद्दों पर भारत और चीन के बीच हितों की एकरुपता को देखभाल अच्छा लगता है।

राजभाषा समिति का सदस्य होने के नाते, मैं माननीय विदेश मंत्री को सुझाव दूंगी के विदेश स्थिति हमारे सभी दूतावासों में हिन्दी को अक्षरशः लागू किया जाये। न केवल यही अपितु उनके मंत्रालय को हिन्दी को वैश्विक भाषाओं में से एक बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हिन्दी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है।

अनेक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करना चाहते हैं, मैं इस कदम का स्वागत करती हूं। इससे हमारे भारतीय विद्यार्थी श्रेष्ठतम शिक्षा पा सकेंगे। न केवल यही बल्कि हमारे भारतीय विद्यार्थी विदेश जाकर भी विद्या उपार्जन कर रहे हैं। परन्तु साथ ही उन्हें असामाजिक तत्वों से परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। कभी कभार उनकी हत्या कर दी जाती है उनके साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार भी होता है माननीय मंत्री जी को ये बातें अमरीका सरकार, और आस्ट्रेलियाई सरकार के साथ उठानी चाहिए। इन विद्यार्थियों के माता-पिता ऋण लेकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रहे हैं परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। परिणामस्वरूप वे ऋण नहीं चुका पा रहे हैं।

अनेक सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं और ताप विद्युत परियोजनाएं है जिनमें उपमहाद्वीप में हमारे पड़ोसी देशों के सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी संबंधित देशों के साथ ये मामले उठा रहे हैं।

जापान में परमाणु संकट के पश्चात तथा परमाणु विद्युत संयंत्रों के संबंध में मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी भारत में प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों के संबंध में चिंतित है। उन्हें सुनिश्चित

करना चाहिए कि कोई परमाणु दुर्घटना न हो। यदि दुर्भाग्यवश, कुछ होता है, तो सरकार को लोगों को आश्वासन देना चाहिए कि वे सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए मौजूद है।

वीजा और पासपोर्ट के मुद्दे के संबंध में, मंत्रालय को इसे और कुशल और सुचारू बनाना चाहिए। इन्हें प्राप्त करने में लोगों को अनेक समस्याओं का समाना करना पड़ा रहा है। इन दस्तावेजों प्राप्त करने में समय सीमा होनी चाहिए।

जो अनिवासी भारतीय विवाह के लिए भारत आते हैं उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। वे अपनी पत्नियों को वीजा दिलाने का वादा करते हैं परन्तु वापिस जाने के बाद वे जानबूझ कर अपनी पत्नियों से बचते हैं। गलत इरादो वाले अनिवासी भारतीयों को सजा दी जानी चाहिए तथा उन्हें वापिस भारत बुलाया जाना चाहिए तथा उनके विवाह का पंजीकरण किया जाना चाहिए। चूक की स्थिति में उन्हें तुरंत भारत वापिस बुलाया जाना चाहिए।

चीनी गुड़ियाएं तथा अन्य विदेशी गुड़ियाएं जो भारतीय बजार में उपलब्ध है विषैली हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में ये गुड़ियाएं भेजी जाए इसका उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बात उठाएंगे!

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी गुटनिरपेक्ष आंदोलन संगठन राष्ट्रमंडल देशों और सार्क सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और विश्व में देशों के समूह में शांति और भाई चारे को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री जे.एम आरून रशीद (थेनी): मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार विदेशी मामलों में अत्यधिक उत्तमकार्य कर रही है। हमने लगभग सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं।

सभापति महोदया: यदि आपके पास लिखित भाषण है, तो क्यों न आप इसे सभा पटल पर रख दें?

श्री जे.एम. आरुन रशीद: अब मैं तमिल में बोलना चाहूंगा, मैंने इस अनुरोध के साथ पहले ही नोटिस दे दिया है।

सभापति महोदया: नहीं आप अपने भाषण को सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जे. एम. आरुन रशीद: मैंने तमिल में बोलने के लिये अनुरोध का पत्र पहले ही दिया है।

सभापति महोदया: नहीं, अब नहीं, मैंने आपको केवल 1 मिनट दिया है। यदि आप 1 मिनट में कुछ कहना चाहें तो कहें अन्यथा अपना भाषण समाप्त करे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे.एम. आरुन रशीद: तमिल में बोलने से हमारे यहां की प्रैस मद्रास में लिखेगी, क्योंकि यह बहुत खास बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आपने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है आप अंग्रेजी में बोल सकते है। मुझे पता है ...*(व्यवधान)* आपने नोटिस नहीं दिया है। कृपया बात को समझे। यदि आप बोलना चाहते है तो एक मिनट में ही बोले।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: बहुत से मछुआरे काच्छाथीवू क्षेत्र में और उसके आसपास मछली पकड़ते है जोकि पहले भारत में था। वहां अब एक एन्टोनियार चर्च है पहले जहां लोग जाते थे अब श्रीलंका सरकार ने उन्हें 2500 तक सीमित कर दिया है। पहले पर्व तीन दिन चलता था अब उन्होंने इसे एक दिन तक सीमित कर दिया है। श्रीलंका सरकार 10000 वीजा जारी करती थी। अब वे केवल 2500 वीजा जारी करते हैं। अगले वर्ष वे इसे कम करके 250 कर सकते हैं।

मैं इस प्रकार की समस्या को विदेश मंत्री के ध्यान में ला रहा हूं। श्रीलंका में लगभग 300000 विस्थापित तमिल परिवार हैं और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में विशेष रुचि लेते हुए विदेश सचिव को श्रीलंका भेजा जाए। शिष्ठ मंडल भेजते समय सरकार शिष्ट मंडल को उनके कार्य में सहायता करने के लिए तमिलनाडु से संसद सदस्यों को भी भेजना चाहिए।

मुस्लिम सदस्य होने के कारण मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक सदस्य को हज के लिए दिया जाने वाला कोटा बहुत कम है। सभा में 30 से कम मुस्लिम सदस्य हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक सदस्य का कोटा बढ़ाकर न्यूनतम 100 व्यक्ति किया जाए।

सभापति महोदया: श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: महोदया कृपया मुझे अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

सभापति महोदया: अब आप इसे माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं परन्तु आप इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते।

श्री जे. एम. आरुन रशीद: मैंने इसे पूरा भी नहीं किया है।

सभापति महोदया: आप दोनों काम नहीं कर सकते, अर्थात भाषण भी दे और अपने भाषण के एक भाग को सभा पटल पर भी रखे। मुझे खेद हैं।

श्री जे. एम. आरुन रशीद: महोदया कृपया मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

सभापति महोदया: नहीं आप नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): सभापति महोदया, विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों के प्रस्ताव की चर्चा हेतु आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मुझसे पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं के साथ सहमति रखते हुए मैं चन्द बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा की आज के सभी प्रमुख अखबारों में एक बात आई है कि आस्ट्रेलिया में पढ़ती हुई एक भारतीय छात्रा, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या की गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह छात्रा मेरे पड़ोस में, मेरे संसदीय क्षेत्र की है और तो ठक्कर, जिसके पिता श्री सुनील ठक्कर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसकी माता वर्बिन ठक्कर, उसके भाई दिशांत ठक्कर इन तीन-चार लोगों का एक छोटा सा परिवार था। मेरे मित्र श्री सुनील ठक्कर ने अपने बड़े सपने संजोकर लड़की को आस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा था, अभी परसों उसकी हत्या हो गई है। मैं विदेश मंत्री श्री का वडोदरावासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि ...*(व्यवधान)* भारत सरकार इस विषय को लेकर काफी चिंतित है और आस्ट्रेलिया सरकार से इस संबंध में बातचीत कर रही है। मैं उनसे विनती करता हूं कि इस विषय को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाये, ताकि खूनी दरिंदे डेनियल को सख्त से सख्त सजा हो, ताकि आस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी भारतीयों को हमारी विदेश नीति में विश्वास पैदा हो।

इसके साथ-साथ इसी सप्ताह 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान की पश्चिम तटीय जल सीमा में गुजरात के सौराष्ट्र के मांगरोल और ओखा की तीन नौकाओं को पाकिस्तान की मैरीन सिक्योरिटी एजेन्सियों द्वारा अपहरण किया गया और नौका में सवार 18 मछुआरों को बंधक बनाया गया। इसके एक दिन पहले ही पोरबन्दर में दो और वणाकबोरी में एक फिशिंग बोट का 8 खलासियों के साथ अपरहरण किया था। ...*(व्यवधान)* मेरी एक छोटी सी बात और है।

जब यहां अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख आये थे, तब अमेरिका में हमारे ह्यूसटन काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया में जो कुछ भी गलत बातें चलती थीं, उसके अनुसंधान में किसी को पासपोर्ट अगर रिन्यू करना है तो उसके लिए भी जो समय लगता था या किसी प्रकार से बातचीत नहीं हो पाती थी तो उसके लिए वहां के अमेरिका के हमारे अनिवासी भारतीयों ने तारीख 8/12/2010 को वहां धरना भी दिया था और इसके अनुसंधान में मैंने माननीय विदेश मंत्री से और पन्त प्रधान जी को एक खत भी लिखा था और कार्रवाई करने की विनती की थी, पर आज तक उसमें कुछ हुआ नहीं है।

हमारी आंतरिक सुरक्षा की जो बात है ...*(व्यवधान)* मेरे सिर्फ दो पाइंट्स हैं।

सभापति महोदया: उन्हें बाद में कर लेना, अभी नहीं। फिर कभी समय मिलेगा तो बताना।

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): मेरा सिर्फ एक पैराग्राफ है। सीमा पार की घुसपैठ और आतंकवाद के कारण हमारी विदेश नीति जो कमजोर हो रही है, अगर उसको सक्षम और प्रभावी बनाना है तो विदेशी अधिनियम उपबंधों के अंतर्गत सभी अवैध प्रवासियों को निर्धारित समय मर्यादा में पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए तुरंत कदम उठाये जाएं और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पश्चिमी सीमा की तरह ऊंची बाड़ बना दी जाए। इसके साथ ही सभी सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा एवं टैक्नोलोजी इम्लीमेंटेशन की जो भी परियोजनाएं भारत सरकार के पास हें, उन सभी को तुरंत मंजूरी दी जाए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): आदरणीय महोदया विदेश मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के संबंध में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब हम विदेश मंत्रालय की बात करते है तो यह भारत की विदेश नीति का और भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की देखरेख करता है। हमारे देश की सीमाओं की बाहरी आक्रमण से रक्षा की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसी भी कीमत पर हमारी समप्रभुता से समझौता न हो। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं कि भारत सरकार की सम्प्रभुता सुरक्षित रहे और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण संबंध है। मैं समय की कमी के कारण अपने भाषण को संक्षिप्त करुंगा।

पहला पहलू जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह संयुक्त राष्ट्र संगठन के संबंध में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का कार्य शांति बनाए रखना, विकास तथा मानवाधिकारों के लिए कार्य करना है।

महोदया भारत 19 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान सरकार अच्छी विदेश नीति बनाने के लिए और अन्य देशों के साथ अच्छे विदेशी संबंध रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रही। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के चुनाव के लिए डाले गए 190 में से 187 वोट मिले इसने निर्वाचित सभी 5 अस्थायी सदस्यों में से सबसे अधिक वोट प्राप्त करने का रिकार्ड बनाया है। उनमें से भारत को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं।

यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। परन्तु कुताही बरतने के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिये और हमें अन्य देशों के साथ अपने संबंधी को और आगे बढ़ाना चाहिए। जी-5 देशों नामतः ब्रिटेन, अमेरिका चीन, फ्रांस और रूस के शासनाध्यक्षों ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत शांति स्थापना में सबसे बड़ा योगदान करता है।

सभापति महोदया: अब यह आपका आखिरी पहलू होना चाहिए।

श्री हमदुल्लाह सईद: मेरा दूसरा पहलू है सार्क। भारत ने भूटान में हुई 16वीं सार्क बैठक में प्रतिनिधित्व किया है। यह सार्क की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह मूलतः आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग करने के हेतु आतंकवाद से लड़ने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए दृढ नीति हो एक संगठन है, परन्तु भारत सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है और स्पष्ट कहा है कि वह कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन का पालन करने तक सीमित नहीं रहेगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विदेश मंत्री को लीबिया और अन्य मध्य पूर्व देशों से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए सक्रिय पहल करने के लिये उपाय करने के हेतु बधाई देता हूं। मिस्र से 15 दिन के भीतर लगभग 16200 भारतीयों को और ट्यूनीशिया तथा अन्य देशों से 1200 भारतीयों को वापिस लाया गया। इसलिए यह विदेश मंत्रालय का एक प्रशंसनीय कदम है।

अन्य देशों के साथ प्रत्यार्पण संधियां तथा आपसी विधिक समझौते किए गए हैं। मलेशिया, अजरबाइजान और इंडोनेशिया के साथ ये समझौते पहले ही किए जा चुके हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि जिन व्यक्तियों को सजा दी गई है उनहें भारत वापिस लाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय सभापति महोदया, आपने मुझे वर्ष 2011-12 के विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं संक्षेप में कुछ बातों को यहां रखना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मालूम है कि चाइना गवर्नमेंट हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चाइना में सांगपो बोला जाता है, तिब्बत ऑटोनामस रीजन में भारी संख्या में मल्टी डैम प्रोजेक्ट बना रही है। वहां डैम बन रहे हैं। आज हिन्दुस्तान की सरकार क्यों चुप है?

[अनुवाद]

महोदया मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि चीन सरकार भारत के विरुद्ध अपनाई गई खतरनाक तथा विनाशकारी नीति के प्रति भारत सरकार ने अब तक क्या सक्रिय नीतिगत कार्यवाही की है।

[हिन्दी]

अगर उसमें भारत सरकार रूकावट नहीं ला पाएगी, तो हमारे असम का, उत्तर पूर्वांचल का, ब्रह्मपुत्र वैली का जो यूनिक सिविलाइजेशन है, जो सम्प्रति-सम्पदा यहां है, वह खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से

जबदरस्त कदम उठाना ही चाहिए। चीन सरकार को कहना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर तमाम भारी संख्या में जो डैम प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन्हें अतिशीघ्र बंद करना चाहिए।

दूसरी बात, हमारा जो बोडोलैंड अंचल है, वह इंडो-भूटान बार्डरिंग एरियाज कवर करता है। लेकिन आज इंडो-भूटान बार्डरिंग एरियाज की हर एक दिशा में जो हालत है, वह बहुत डिप्लोरेबल है। उस इंडो-भूटान बार्डर एरिया के विकास के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने क्या-क्या पॉलिसी अपनाई है, वह हमें बताना चाहिए।

आज तक बांग्लादेश से तमाम संख्या में इललीगल इनफ्लक्स असम और त्रिपुरा तक आते रहे हैं। इंडो-बांग्लादेश बार्डर सील करने के लिए आज तक क्या कदम उठाए गए हैं, हमें उसका रिप्लाई चाहिए।

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि भारत सरकार हमेशा भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा पर बाढ लगाने के बारे में बात करती रहती है। परन्तु सीमा पर बाढ़ लगाने का कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा शून्य काल लेगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पहाड़ी और भोटी भाषा में संबंधित विषय शून्य प्रहर में उठाने का अवसर दिया। उसे मान्यता मिले और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र शासित राज्य के रूप में राज्यों के पुनर्गठन के समय 15 अप्रैल, 1948 को भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया था तथा 25 जनवरी, 1971 को इसे पूर्ण राज्यत्व बनाया गया। आज हिमाचल प्रदेश का जो विराट स्वरूप हमारे सामने है, उसे पहाड़ी भाषा की वजह से अलग से पहचान मिली और वह अलग से ऐग्जिस्टैंस में आया।

यह निर्विवाद है कि हिमाचली की अनेक बोलियां हैं, जिनमें मुख्य तौर पर हिमाचल और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहाड़ी का स्वरूप है, उसमें बहुत-सी बोलियां जैसे जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, शिमला जनपद की महासवी, कहलूरी एवं हंडूरी, मंडयाली, कुल्लवी, कांगड़ी, चम्बयाली व भ्रदवाही बोलियां बोली जाती हैं। हिमाचल की ये बोलियां भी कालांतर में भाषा के रूप में आगे बढ़ें, इसलिए मैं समझता हूं कि इन बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता मिले।

सायं 7.28 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

महोदय, हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने भी भोटी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है जो संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ज्ञातव्य है कि हिमाचली भाषा के कारण हमें सांस्कृतिक पहचान मिली है तथा इस भाषा में प्रचुर मात्रा में कहानी, साहित्य प्रकाशित हो चुका है। हिमाचली भाषा में लोक साहित्य, लोक गीतों, गाथाओं, लोक नाट्यों, लोक विश्वासों, पहेलियों, लोकोक्तियों और मुहावरों को अभूतपूर्व कोष है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जो हिमाचली भाषा है, उसमें लगभग 300 काव्य संग्रह, 21 उपन्यास, लगभग 77 कहानियां, 25 निबन्ध और 34 नाटकों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचली भाषा जिसे हम पहाड़ी भाषा कहते हैं, प्रांतीय भाषाओं की अग्रणी पंक्ति में जाकर प्रादेशिक सम्मानों के साथ राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सकती है।

हिमाचली भाषा में लेखन कार्य बढ़ेगा और पहाड़ी भाषा की अस्मिता संरक्षित रह सकेगी और हिमाचल प्रदेश अपनी इस अनुपम भाषा की आभा से स्वयं को गौरान्वित कर सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति एवं किन्नौर जिलों के कुछ भागों में भोटी भाषा प्रमुखता से बोली जाती है और वहां अनेक गोम्पा स्थापित हैं। भोटी भाषा का अभिनव योगदान भारत की संस्कृति के संरक्षण में रहा है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कश्यप जी, आपका प्वाइंट आ गया है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: शताब्दियों पूर्व जो ज्ञान एवं दर्शन के विषय, बौद्ध विद्वानों के विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों से प्राप्त किए जाएं, ...*(व्यवधान)* जिनका अधिकांश भाग इन विश्वविद्यालयों के नष्ट होने से उस समस्त ज्ञान को बौद्ध प्रबुद्धों द्वारा संग्रहीत एवं भोटी भाषा में अनूदित किया गया था। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

आज जब संस्कृत ग्रंथों की अमूल्य संपदा जो विक्रमशिला एवं नालंदा के विध्वंस से नष्ट हो गयी थी, वह अब भी बौद्ध विद्वानों के अभूतपूर्व प्रयास से भोटी भाषा में उपलब्ध है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कश्यप जी, आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कश्यप: सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज भोटी साहित्य में भारत की यह अमूल्य ज्ञान निधि समस्त बौद्ध गोम्पाओं में संरक्षित है। यहां ज्ञातव्य है कि हिमाचल प्रदेश की विधान भाषा द्वारा दिनांक 17 दिसंबर, 2009 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर पुरजोर सिफारिश की गयी थी कि भोटी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी इस भोटी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का आग्रह निरंतर किया जाता रहा है।

अत: मेरा आग्रह है कि हिमाचली भाषा एवं भोटी भाषा को मान्यता प्रदान कर इन दोनों भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि ये भाषाएं समृद्ध हो सकें।

सभापति महोदय: वीरेन्द्र कश्यप जी, मेरी जीरो ऑवर में एक रूलिंग लागू है कि आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक यह कार्यक्रम खत्म नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. राजन सुशान्त, श्री जे.एम. आरुन रशीद तथा श्री शैलेन्द्र कुमार इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में स्वीकृत योजनाओं के लिए प्रारम्भ में भू अर्जन हेतु करोड़ों रुपये की राशि संबंधित राज्य को अग्रिम जारी कर दी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भू अर्जन हेतु प्रारम्भिक प्रकाशन के पश्चात् धारा 4 का प्रकाशन किया जाता है तथा उसके दो-दो महीने के अंतराल से धारा 6, 8 एवं 10 का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में किया जाता है। तत्पश्चात् किसी भी विभाग, कृषक, संस्था की भूमि की उस योजना विशेष के लिए आवश्यकता होती है। उसे सुनवाई का मौका देने के बाद भूमि के मुआवजे हेतु आवार्ड पारित किया जाता है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कर संबंधित योजना का कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में आता है। इस पूरी कार्यवाही में धारा 8 के प्रकाशन के पश्चात् भूमि का मुआवजा देने व भूमि अधिग्रहण करने में भू राजस्व संहिता के अनुसार एक वर्ष से अधिक का समय लगता है और वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रक्रिया में आपत्ति लगने तथा उसका निराकरण होने व कभी-कभी भू राजस्व संहिता की भूमि अधिग्रहण से संबंधित धाराओं का राजपत्र में प्रकाशन समय पर न होने के कारण तीन-चार वर्ष भी लग जाते हैं।

महोदय, भू-राजस्व संहिता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की राशि उपलब्ध करायी जाए, उस योजना में यदि उक्त राशि का ब्याज भी प्राप्त हो, तो वह राशि भी उसी योजना में व्यय की जाए। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी लापरवाही यह है कि भू-अर्जन हेतु दी जाने वाली इस अग्रिम राशि को राज्य सरकारों द्वारा संबंधित जिला कलैक्टर के पीडी एकाउंट के माध्यम से ट्रेजरी में जमा रखा जाता है, जिसमें ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अमलाबे जी, आपकी बात आ गयी है, इसलिए आप अब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री नारायण सिंह अमलाबे: इसका ज्वलंत उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेलवे विभाग द्वारा रामगंज मंडी-भोपाल नई रेलवे लाइन हेतु भू-अर्जन के मुआवजे के रूप में भेजी गयी लगभग 22 करोड़ की राशि है, जो गत तीन वर्षों से राजगढ़ कलेक्टर के पी.डी. एकाउंट के माध्यम से ट्रेजरी में जमा है जिस पर कोई ब्याज न मिलने के कारण जस की तस रखी हुई है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नारायण अमलाबे जी, आपकी बात आ गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री नारायण सिंह अमलाबे: सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों को ऐसे दिशा निर्देश दिये जाएं कि यदि किसी कारणवश प्रथम चरण में दी गयी राशि का उपयोग नहीं हो पाया है, तो उक्त राशि को किसी ऐसे राष्ट्रीयता बैंक के एकाउंट में जमा करवा दिया जाए जिससे अधिकतम ब्याज प्राप्त हो सके, ताकि विलंब की स्थिति में उक्त राशि में समुचित वृद्धि भी हो सके।

महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: सभापति महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है। वहां पर डीवीसी के पदाधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला कि लगभग ढाई लाख टन कोयले की कमी पाई गयी जिसका मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है। वर्तमान में कोयले की जो कमी आई, उससे उजागर होता है कि वहां पर ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से यह व्यवस्था बनी है। चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की जो आपूर्ति की गयी है, उसमें करीब 30 प्रतिशत पत्थर की मिलाई गयी है अर्थात कोयले उपयुक्त गुणवत्ता वाली श्रेणी से कम है। इससे भी अधिक गड़बड़ी वाली बात यह है कि एक्स-सर्विसमैन को संविधान में वर्णित कानून के आलोक में बिना निविदा के प्रकाशित किए टेंडर दिया जाता है, जबकि सही पूछा जाए, तो वर्तमान में कोयले की वहां पर जो ढुलाई हुई है, एक्स-सर्विसमैन और रेलवे के वैगन के द्वारा की गयी हैं अभी जांच चल रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बोकारो थर्मल प्लांट से कोयले की ढुलाई का काम एक्स-सर्विसमैन को दिया गया, वह कोयला कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन जाएगा जिसकी दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ ढाई लाख टन कोयले की शॉर्टेज हुई चन्द्रपुरा में इसी ट्रांसपोर्टेशन के चलते और बगैर निविदा निकाले हुए फिर कोडरमा के लिए कोयला बोकारो थर्मल स्टेशन से देना, अपने आप में बहुत आप में बहुत बड़ी गड़बड़ी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो रिजेक्शन कोल है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: महोदय, मेरी मांग सरकार से यह है कि भारत सरकार अविलंब इसकी जांच सीबीआई से कराए, यह करोड़ों रुपये का घोटाला है और जो रिजेक्शन है, उसका टेंडर ये लोग करते हैं, उसको ये लोग माइन्स एंड मिनरल वाली वेबसाइट पर डालते हैं, कोल वाली वेबसाइट पर नहीं डालते हैं, जिन लोगों को टेंडर डालना है, वे उस वेबसाइट पर देखकर टेंडर डालें। सरकार से मेरा आग्रह है कि वर्तमान में चूंकि घटिया कोयले की सप्लाई के चलते बिजली उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है और आज बिजली की आवश्यकता है, लेकिन गलत कोयले की सप्लाई करके, घोटाला करके गड़बड़ी की जा रही है। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए। मुझे संदेह है कि इसमें और भी घोटाले उजागर होंगे।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, आपने मुझे क्रूड ऑयल रॉयल्टी के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदया, प्रगतिशील गुजरात केन्द्र सरकार की सन् 1947 से अन्याय की परंपरा से जूझता आ रहा है। गुजरात केन्द्र सरकार को डेढ़ लाख करोड़ रुपये का राज्स्व देता है, लेकिन बदले में उसे 14000 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सिर्फ 8.50 प्रतिशत है। 13वें वित्त आयोग में गुजरात को मिलने वाली केन्द्रीय सहाय 3.37 प्रतिशत से घटाकर 3.4 प्रतिशत करके एक और घोर अन्याय किया गया है। ओएनजीसी के कुल उत्पादन में से 20 प्रतिशत गुजरात से उत्पादित होता है, फिर भी गुजरात क्रूड ऑयल रॉयल्टी के बारे में भारी नुकसान भुगत रहा है। इसके बारे में भारत सरकार द्वारा असम और गुजरत के लिए भिन्न-भिन्न फार्मूलों के क्रियान्वयन के तहत गुजरात को केन्द्र की ओर से 35 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। एनडीए सरकार ने क्रूड ऑयल रॉयल्टी का बेल-हेड प्राइस फार्मूला तय करके मुआवजा दिया था। भारत सरकार की सूचना के तहत ओएनजीसी ने ऑयल वितरित करने वाली भारत सरकार की कंपनियों को क्रूड ऑयल मुआवजे से देना शुरू किया, लेकिन वर्ष 2008 में यूपीए सरकार ने इस फार्मूले को पल भर में रद्द करके पुन: सुओ-मोटो एकतरफा निर्णय देकर गुजरात को अन्याय झेलने के लिए मजबूर कर दिया है।

हमारी मांग है कि इस फार्मूले को हटाना चाहिए और मार्केट प्राइस आधारित मुआवजा मिलना चाहिए। वास्तव में तेल वितरण कम्पनीज को दिया जाने वाला मुआवजा एक आंतरिक व्यवस्था है। इसीलिए उसे रॉयल्टी प्रक्रिया के बाहर की समझ कर इस रेसहैड प्राइस की कीमत की गिनती नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि क्रूड ऑयल रॉयल्टी के बारे में केन्द्र सरकार ओएनजीसी को आदेश करे कि गुजरात का जो मुआवजा लम्बित है, उसे पहले की कीमत में रॉयल्टी के रूप में अदा करे उचित न्याय दे।

सभापति महोदय: मैं जीरो ऑवर के बारे में कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य थोड़ी जीस्ट का आपरेटिव पार्ट पढ़ें और फिर जो मांग करना चाहते हैं, वह करें, सारे पेज पढ़ना जरूरी नहीं है।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सांसद निवास एम.एस. फ्लैट्स परिसर मे गंदगी और मच्छरों के आतंक की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जहां कई जगहों पर 24 घंटे कूड़ें के ढेर देखने को मिलते हैं तथा डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छरों की यहां अच्छी खासी पैदाइश है। यहां निर्माण कार्य के लिए दो साल से पत्थर रेत चूना पड़ा हुआ है। जो अब मलबा बन चुका है तथा गंदगी का आलम तो यह है कि किसी भी समय गंदगी आपको सभी ब्लॉक और स्टॉफ क्वार्टर्स मे देखने को मिलेगी। इस वजह से यहां मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन चुका है। एनडीएमसी तथा सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां से गुजर जाते हैं, लेकिन यहां का कोई अधिकारी कार्य करने की जहमत नहीं उठाता। कई बार इन अधिकारियों से कहा जाता है, मगर उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि यहां हमारी शिकायतों पर ये अधिकारी गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। कोई भी की गई शिकायत का कार्य समय से पूरा होता नजर नहीं आता है। कई बार तो की गई शिकायतों को नजरअंदाज भी कर दिया जाता है।

मेरी पुरजोर मांग है कि इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए अथवा जिन्हें यहां का कार्य प्रचालन नहीं सम्भाला जाता, उन्हें यहां से हटाया जाए तथा मेहनती और सजग स्टाफ रखा जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं इस मामले में अपने आपको एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)* यह सांसदों का मामला है। मंत्री जी बैठे हैं, वह इस पर जवाब दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री नारायणसामी जी, कृपया इसे नोट करें।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी नारायणसामी): महोदय मैंने पहले ही नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: माननीय सदस्य श्री जयवंत गंगाराम आवले ने दिल्ली में और इसके आसपास संसद सदस्यें के फ्लैटों के रखरखाव के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। यह न केवल संसद सदस्यों की समस्या है अपितु अन्य मुद्दे भी हैं।

जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, मैं निश्चित रूप से सभा की और माननीय सदस्य की भावनाओं को माननीय शहरी विकास मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

मैं उनसे सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए कहूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदस्यों को महसूस होना चाहिए कि कुछ किया गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे माननीय सदस्य जो संबद्ध होना चाहते हैं अपनी पर्चियां भेज दें।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: मैं यह निश्चय ही माननीय मंत्री जी को बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जीरों ऑवर की अपनी इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही पाइंट रखने चाहिए। श्री जयवंत गंगाराम आवले जी द्वारा उठाए गए विषय से श्री अर्जुन राम मेघवाल, वीरेन्द्र कश्यप जी, नारायण सिंह अमलाबे जी, वीरेन्द्र कुमार जी, प्रहलाद जोशी जी, सुरेश अंगड़ी जी, राजेन्द्र अग्रवाल जी और प्रो. रामशंकर अपने को संबद्ध करते हैं।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जीरों ऑवर अगर न हो तो हाउस में कोरम का अभाव हो जाए। जितने भी यहां सांसद बैठे हैं वे शून्य काल में बोलने वाले हैं और दोपहर 12 बजे से बैठे हैं कि कब शून्य काल हो और वे अपनी बात कह सकें। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां इस शून्य काल के माध्यम से उठते हैं।

सभापति महोदय: जीरो ऑवर की महत्ता काफी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाए। आप को सभा का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नारनभाई कछाड़िया: सभापति महोदय, गुजरात में रेल मंत्रालय द्वारा हो रहे व्यवधान के कारण गुजरात सरकार को और जनता को काफी परेशानी हो रही है। आज गुजरात में पानी की समस्या व्याप्त है, वह भी रेल विभाग के माध्यम से। वहां के कई गांव शहरों में शुद्ध पीने के पानी का अभाव है, जिस कारण लोग परेशान हैं।

गुजरात सरकार इस भीषण समस्या को समाप्त करने के लिए, वहां के जल संसाधन विभाग के माध्यम से पूरे जोर-शोर से गुजरात में काम कर रही है और लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए तकलीफें उठा रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं और वाटर ग्रिड का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले।

सभापति जी, गुजरात में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पानी का पाइप बिछाने के लिए रेलवे परमिशन की आवश्यकता है और वहां पानी की पाइप लाइन रेलवे की पटरी के नीचे से गुजारनी पड़ेगी, तभी उस गांव में पानी जा पायेगा।

सभापति जी, गुजरात के जल संसाधन विभाग की तरफ से दो साल से पूरे दस्तावेज एवं उसकी फीस के साथ पेपर रेलवे को पेपर्स को सब्मिट कर दिये गये हैं और गुजरात सरकार ने उसकी मंजूरी के लिए कई बार रेलवे को पत्र भी लिखा है लेकिन रेलवे विभाग से कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है।

सभापति जी, पानी ऐसी चीज है जो किसी भी जीव को जीने के आवश्यक है और अभी गर्मी का समय आ रहा है और इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जूनागढ़, अमरेली, जामनगर, राजकोट, आनंद तथा भाल प्रदेश हैं, जहां पानी की किल्लत सबसे ज्यादा होती है। यहां रेलवे मंत्रालय को मदद करनी चाहिए लेकिन वह मदद की जगह व्यवधान पैदा कर रही है जो बिल्कुल निरर्थक है। जबकि गुजरात सरकार ने इस मामले को लेकर 10 से ज्यादा बार रेलवे मंत्रालय और उनके मंत्री को चिट्ठी लिखी है, फिर भी अपने ही देश में पानी की मंजूरी के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से बहुत ही सहिष्णुतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि चले आ रहे इस लंबित वाटर-पाइप लाइन के मामले को जल्द से जल्द यानी गर्मी आने से पहले बिछाने की मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें, ताकि वहां की पब्लिक को पीने का शुद्ध पानी मिले। आज पूरे सदन में सभी सांसदों को जो सबसे ज्यादा प्रश्न परेशान करता है, वह रेलवे और फॉरेस्ट का है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कानूनन और नियमों के आधार पर इन प्रश्नों को हल करने का निर्णय लेना चाहिए, तभी लोगों की सुविधाओं को राज्य सरकारें ध्यान रखकर काम कर सकेंगी। धन्यवाद।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): सभापति महोदय, हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार का गोपालगंज जो जिला मुख्यालय है, तथा गोपाल गंज रेलवे स्टेशन से फावरे रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। कप्तान गंज रेलवे स्टेशन से फावरे रेलवे स्टेशन तक बड़ी लाइन का आमान परिवर्तन किया जा रहा है परंतु मात्र एक स्टेशन फावरे से गोपाल गंज रेलवे स्टेशन की रेल लाइन का आमान परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जिससे जिला मुख्यालय बड़ी रेलवे लाइन से वंचित हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि फावरे से गोपालगंज जो मात्र चार किलोमीटर है उसका जनहित और जिलाहित में बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कराने का कष्ट करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस समय उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाट आंदोलन जबर्दस्त हो रहा है और यही नहीं सभापति महोदय, रेलवे की एक्सप्रेस गाड़ियां खासकर राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, करीब 60-70 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, जिसमें मालगाड़ियां भी है। यह समय होली का भी है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है यही नहीं रेलवे ट्रेक के अलावा तमाम सड़क मार्ग भी जाम पड़े हुए हैं। यहां तक कि रेलवे ट्रेक पर हमारे जाट भाई खाना बना रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं और रात-दिन वहीं पर पड़े हुए हैं। यह मामला बहुत गंभीर है और प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस करके समर्थन दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री बहन मायावती जी इतनी गंभीर है तो तत्काल विशेष सत्र विधान सभा का बुलाकर वहां से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे।

जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है कि हमारे जाट भाइयों को आरक्षण दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल केन्द्र सरकार पहल करे और नेताओं को बुलाकर वार्ता करे, जिससे एक शांतिपूर्ण समाधान निकले और उन्हें आरक्षण प्राप्त हो। धन्यवाद।

सभापति महोदय: डॉ. राजन सुशान्त का नाम श्री शैलेन्द्र कुमार के विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट में लगातार कई वर्षों से कम वर्षा के कारण भूगर्भ जल स्तर नीचे खिसक गया है। जिससे पूर्व में लगे हैंडपम्प सूख गए हैं। हैंडपम्पों ने पानी देना बंद कर दिया है। ताल, पोखरे, बांध और नदियां सूख गई हैं। वहां पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों के पालतू जानवर और जंगली जानवर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन मर रहे हैं। पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मैंने बांदा, चित्रकूट में चार हजार हैंडपम्प लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था, लेकिन लगभग 1750 हैंडपम्प भारत सरकार के मानके के अनुसार लगाने के लिए पाए गए, किन्तु अभी तक एक भी हैंडपम्प नहीं लगाया गया है। बुंदेलखंड की पेयजल की समस्या के संबंध में पिछली लोक सभा के बजट सत्र में बुंदेलखंड के सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7263 करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज बुंदलेखंड को दिया था। उस स्पेशल पैकेज में से सौ करोड़ रुपये में पेयजल के लिए हैंडपम्प लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उन सौ करोड़ रुपये से बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या हल करने का काम नहीं किया गया है।

मैंने लगातार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी को 14/02/2010 को और नियम 377 के तहत लोकसभा में उक्त मामले को रखा था। 15 मार्च, 2010 को अतरांकित प्रश्न के माध्यम मैंने इस मामले को रखा। 22/04/2010 को मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण दिल्ली को भी पत्र लिखा था कि यहां गहरे नलकूप लगाए जाएं, लेकिन अभी तक 7263 करोड़ से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए दिए थे, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में बुंदेलखंड के सांसदों को बुलाकर औपचारिकता पूरी कर ली गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस कमेटी को पुन: सक्रिय करके सांसदों के सुझाव से जहां-जहां काम होने हैं, उन कामों को किया जाए तथा तत्काल बुंदेलखंड के पेयजल संकट को दूर किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं अपने को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुडी): सभापति महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व का विषय उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सभा का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र जलपाईगुडी में लैंड पोर्ट चेक पोस्ट से संबंधित समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। यह भारत-बांग्लादेश सीमा पर सात चेक पोस्टों में अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। केन्द्र सरकार के अनुरोध पर मैसर्स आरआईटीईएस ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिये वर्ष 2007 में चंग्रबंधा स्थल का दौरा किया और इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को दी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री मोहन कुमार ने 26.3.2007 को एक पत्र जारी किया तथा इससे इस ड्राई पोर्ट के सात समेकित चेकपोस्टों में से एक के रूप में घोषित किये जाने से इसके विकास की आशा जाग्रत हुई। वर्ष 2008 में तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने चंग्रबंधा का दौरा किया और इस पत्तन के विकास के लिये 64 करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। लेकिन अब तक कोई निधि जारी नहीं की गई है। केन्द्रीय भण्डारगार बनाये जाने की आवश्यकता है जो निर्यात-आयात कारोबार के लिए आवश्यक प्रोत्साहन है। निर्यातकों आयातकों और पर्यटकों के लिए बहु बीजा-प्रणाली जारी करने की सुविधा से युक्त एक वीजा कार्यालय तत्काल सिलीगुड़ी में खोले जाने की आवश्यकता है।

विसंगतियों और प्रक्रियागत बाधाओं के बावजूद पत्तन का कारोबार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है तथा इस वर्ष से पश्चिम बंगाल के पत्तनों में दूसरे सबसे बड़े स्थान पर रखा गया है।

बांग्लादेश के साथ आयात-निर्यात व्यापार हेतु अन्य किसी पत्तन की तुलना में यह सर्वाधिक शान्त लैण्ड कस्टम स्टेशन है। मैं भारत सरकार से पुरजोरि अपील करता हूं कि सिलीगुड़ीसे चंग्रबंधा और न्यू मैनागुडी से जोगियुवा तक बड़ी रेलवे लाइन शुरु करने की जाये जिससे इस पत्तन में नवीनता आयेगी एवं इस क्षेत्र के लोगों में नई आशा का संचार होगा।

महोदय, मुझे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति 64 करोड़ रुपये के बारे में जानकारी नहीं है। अत: मैं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। बिहार और झारखंड जुड़े हुए हैं लेकिन वहां के किसान पानी के लिए तरसते रहते हैं, कभी पानी नहीं मिलता है, कभी सूखा पड़ता है और कभी बाढ़ आती है। इस तरह की परिस्थिति के उपाय के लिए पश्चिमी

चंपारन में गंडक नदी पर वाल्मिकी नगर में बैराज बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी बैराज बने जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। शिवहर संसदीय क्षेत्र में सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी के जल से प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण लाखों हेक्टेयर की भूमि में दयनीय स्थिति बन जाती है, फसल और जानमाल की बर्बादी होती है इसलिए सीतामढ़ी में बागमती नदी पर बैराज का बनाना जनहित में नितांत आवश्यक है। बैराज के निर्माण से आसपास के कई क्षेत्रों, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चंपारन जिले के किसानों को काफी लाभ मिलेगा तथा बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। मैं जल संसाधन मंत्री जी से इस जनहित को ध्यान में रखते हुए बागमती नदी के डेक के पास बैराज बनाने के लिए आग्रह करती हूं इसके बन जाने से किसान अपने खेतों की पैदावार बढ़ा सकेगा, गरीबी दूर कर सकेगा। अगर केन्द्र सरकार विशेष दर्जा दे देती तो सारी समस्या साल्व हो जाती लेकिन क्या ये दया दृष्टि दिखाएंगे?

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: कितने पेज हैं?

श्री विष्णु पद राय: ज्यादा नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप जरूरी भाग को पढ़े और अपनी मांग रखते हुये अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जमीन का कानून वर्ष 1968 में बना था। अब इस कानून का 42 साल बाद अमेंडमेंट करना जरूरी है। मैं चार बिंदुओं के लेकर अमेंडमेंट की मांग करना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार रेवेन्यू और लैंड रिफार्म रेगुलेशन, 1968 का अमेंडमेंट किया जाए। सबसे पहले सेल परमिशन की बात है। भारत में कोई भी आदमी जमीन बेचता है, डिमार्टमेंट में जाता है और सेल परमिशन मिलती है।

सभापति महोदय: आप बिल इंट्रोड्यूज नहीं कर रहे हैं जिस पर वोटिंग होनी है। आप प्वाइंट पर आइए।

श्री विष्णु पद राय: मैं प्वाइंट पर आ रहा हूं। सेल परमिशन के लिए अंडमान निकोबार में कानून बनाया गया कि कम से कम दो साल पुराना घर होना चाहिए, म्युनिसिपल से प्लान पास होना चाहिए, सेट बैक एरिया नहीं होना चाहिए। इसके कारण लोगों को सेल परमिशन नहीं मिल रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए, दो साल की पाबंदी न लगाई जाए, सेल परमिशन जिस तरह से भारत में अन्य जगह मिलती है वैसे ही अंडमान मे मिले। मेरी दूसरी मांग सब डिवीजन के बारे में है। सारे देश में एसडीओ सब डिवीजन करता है, अंडमान में सब डिवीजन करने के लिए फाइल साल भर घूमती रहती है लेकिन सब डिवीजन नहीं होता है। देश में कानून सब डिवीजन बनाने के लिए है, एसडीओ को परमिशन दी गई है ताकि तुरंत सब डिवीजन बने, मैं इस अमेंडमेंट की मांग करता हूं। तीसरी बात हे कि अंडमान द्वीप समूह में आबादी बढ़ रही है, रेवेन्यू लैंड घट रही है। यहां सात से आठ परसेंट रेवेन्यू लैंड है, इसमें डैम्प फारेस्ट भी है, गवर्नमेंट अलॉटमेंट भी है, कॉमन सर्विसिस भी है, इसके बाद पांच लाख आबादी तीन परसेंट रेवेन्यू लैंड पर रहती है। आबादी बढ़ रही है, सेटलर्स की बढ़ोतरी हो रही है तो लोग पैडी खरीद कर हाउस साइड बनाकर बैठ रहे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

लेकिन हाउस साइट, में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सब-डिविजन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि इसमें अमैन्डमैन्ट किया जाए।

मेरा अंतिम अमैन्डमैन्ट यह है कि हमारे द्वीपसमूह में पीनल सैटलमैन्ट आया, ईस्ट बंगाल से रिफ्यूजीस आए। इस बात को दो सौ साल हो गये। पिता जी के मरने के बाद उनकी ज्वाइंट प्रोपर्टी को, ज्वाइंट म्यूटेशन को सब-डिविजन करने का मौका बाकी लोगों को मिले। मैं आपके माध्यम से सरकार से इन चार अमैन्डमैन्ट्स की मांग करता हूं।

सभापति महोदय: विष्णुपद जी ने तो जस्ट लाइक फुल डिस्क्रिप्शन के साथ और सारे प्वाइंट्स के साथ एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। यह जीरो ऑवर का मामला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): सभापति महोदय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के संबंधित मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट में सीमेन्ट फैक्टरी प्रबन्धन द्वारा कृषि भूमि का दुरुपयोग किये जाने से संबंधित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

गुंटूर जिले में खनिज संभावनाओं का भंडार है। विशेष रूप से गुंटूर जिले के पलनाडु क्षेत्र में चूना पत्थर खनिज का भंडार है। अब तक अनेक सीमेन्ट कारखाने लगायेजाने की अनुमति दे दी गई है। ये प्रबन्धन सरकारी भूमि एवं वन भूमि के अतिरिक्त हजारों हेक्टेयर पट्टा भूमि पट्टे पर ले रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप न तो मवेशियों के लिए चारा पैदा होने और न ही किसानों द्वारा खेती किये जाने के कारण यह भूमि बंजर हो रही है। पट्टे पर लेते समय किसानों से उनके उज्जवल भविष्य एवं उनके बच्चों के लिये रोजगार का वादा किया गया था। गांवों में विद्यालय भवन एवं अस्पताल आदि प्रदान करके उनके गांवों का विकास करने का वादा किया गया था। लेकिन वास्तव में किये गये वादों पर ध्यान नहीं दिया गया एवं ये वादे पूरे नहीं किये गये।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (वी. नारायणसामी): सभापति महोदय उनका मुद्दा केवल विमानपत्तन के बारे में है। उन्होंने केवल यही कहा है। अब वह भूमि के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: जी नहीं, मेरा मुद्दा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सीमेन्ट कारखानों द्वारा कृषि भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

सभापति महोदय: उनका मुद्दा सीमेन्ट कारखानों द्वारा भूमि का दुरुपयोग किये जाने के बारे में है। वह अपनी जगह सही हैं।

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: वास्तव में अनेक फर्मे जैसे मैसर्स संघी सीमेन्टस लिपि मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट्स, मैसर्स सरस्वथी पॉवर ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिग्रहित की गई 10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सीमेन्ट कारखानों की स्थापना नहीं की, तथा खान और भूगर्भ विभाग मूकदर्शक बना रहता है।

अत: सभापति महोदय, मैं उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर मैं आपके माध्यम से माननीय खान मंत्री तथा माननीय उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पट्टा के सभी मामलों की फिर से जांच की जाए तथा चूककर्ताओं की पहचान की जाए तथा किसानों को भूमि लौटाने एवं उन चूककर्ता के कंपनियों की किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने के अतिरिक्त पहले से स्वीकृत अनुमति को पूरी तरह वापस लेते हुये उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मैं माननीय मंत्री से अविलम्ब उत्तर देने और कृषक समुदाय के प्रति न्याय करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: नारायण सामी जी, क्या आप इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो व्यक्ति शून्य काल में सबसे अच्छा प्रस्तुतीकरण करे उसकी कुछ प्रशंसा की जानी चाहिये ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें।

लाल सिंह जी मेरे विचार से पुरस्कार आपको मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री नारनभाई कछाड़िया: जीरो ऑवर का जवाब नहीं दिया।

सभापति महोदय: वह सरकार का काम है।

[अनुवाद]

जब मैं झारखंड में अध्यक्ष था तब मैंने एक विशेष समिति का गठन किया था जो अधिकारियों को बुलाती थी तथा सदस्यों को सूचना दी जाती थी कि क्या कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, मैं आपकी इजाजत से एक बड़ा मुश्किल का मसला सदन में उठाना चाहता हूं। हमारे यहां इस समय किसानों की जो हालत है, खासकर मेरे साथ ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश जिनके बारे में मैं जानकारी रखता हूं, बाकी के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, बाकी आप एनक्वायर करा लें। इस समय बीट की फसल, गंदम की फसल को एक जबरदस्त बीमारी लगी हुई है, हमारी टोटल फसल पीली पड़ती जा रही है। इसके कारण हमारे देश का और खासकर किसानों का इतना जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका इमिडिएट सर्वे कराना जरूरी है। आप यह भी जानते हैं कि हमेशा जो सर्वे होते हैं, वे कपैनसेंशन बनाने के होते हैं और कह भी दिया जाता हे, अनाउंसमैन्ट भी होता है कि सर्वे कर लो, लेकिन बाद में किसानों को कुछ नहीं मिलता है, यह मैंने आज तक देखा है। पिछली दो तीन बार में ऐसा हुआ हैं कि पैडी पैदा हुई लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। मैं अपने इलाके जम्मू और कठुआ की बात कह रहा हूं। सरकारी रेट 1000 रुपये क्विंटल होते हुए भी यह 700-750 रुपये के उधार पर खरीदा गया लेकिन किसानों को अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। यही हालत पैडी के अलावा गेहूं की है जो कि बरबाद होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट कना चाहता हूं कि सरकार को इसकी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि कमिटमेंट करनी चाहिए क्योंकि किसान का कोई और सोर्स नहीं है। जब कम्पनसेशन की अनाउंसमेंट होती है तो सारी दुनिया को राशन दिया जाता है लेकिन किसान का राशन उसे दिया जाता है जिसके पास जमीन नहीं है। इसलिए सरकार इस बात में थोड़ा फर्क रखे और इसका सर्वे कराकर इंतजाम करे।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): चौ. लाल सिंह जी द्वारा उठाये गये मसले पर मैं खुद को संबद्ध करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, वन विभाग से जो सड़कें निकलती हैं, उन सभी राज्यों में कमोबेश स्थितियां बनी हुई हैं 50 वर्षों से पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा ये सड़कें बनवाई गई हैं। उनका सी.आर.एफ. के अंतर्गत चौड़ीकरण होना है या राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन होना है। उन्हें वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण वे काम उन क्षेत्रों में रोक दिये जाते हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ है जिसमें ओरछा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से एक प्रसिद्ध स्थल है। सैंट्रल रोड फंड के द्वारा सड़क बनाई गई लेकिन उसमें चन्दपुरा से ओरछा तक का आठ किलोमीटर का हिस्सा इस कारण से छोड़ दिया गया कि उसे वन विभाग ने एन.ओ.सी. नहीं दिया था। उस सड़क को बनाये बिना छोड़ देने का यह परिणाम हुआ है कि वहां विदेशी पर्यटक आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, वहां ट्रेफिक तेज नहीं चलने के कारण लूटपाट की घटनायें होती रहती हैं। इस कारण पर्यटकों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत: मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में जहां भी वन विभाग के अंतर्गत सड़कें आती हैं, जिनका चौड़ीकरण किया जाना है या राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन होना है, ऐसी सभी सड़कें, जो पहले से बनी हुई हैं, उनके लिये वन विभाग एन.ओ.सी. प्रदान कर ताकि उन सड़कों का निर्माण हो सके।

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड (दाहोद): सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण पाइंट को उठाने का अवसर दिया है। मैं श्रीमती सुषमा जी का सम्मान करती हूं कि वह सुबह टोबैको के विरोध में बोल रही थी। देश के चार उच्च पदों पर--राष्ट्रपति महोदया, अध्यक्ष महोदया, यू.पी.ए. की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज सभी महिलायें हैं। जो सुषमा जी ने बात उठायी है, मैं थोड़ा उसमें कुछ जोड़ना चाहती हूं। मैं बी.जे. मैडिकल कॉलेज, अहमदाबाद के सिविल हॉस्पीटल में आठ साल तक गायने कोलॉजिस्ट रही हूं। उस कैम्पस में एम.पी. शाह कैंसर अस्पताल भी है। उस हास्पीटल में हमने ऐसे कैंसर के पेशंट्स देखे हैं। मैं श्रीमती सुषमा से फुली एग्री करते हुए यह बताना चाहती हूं कि जिस तरह से टोबैको पर पब्लिक में बैन है, आप स्मोक नहीं कर सकते, इसी तरह से टोबैको के कल्टिवेशन पर बैन लगाना चाहिए। जिस तरह से मौरफीन पर बैन लगाया हुआ है, अगर कोई किसान उसे उगाना चाहता है तो उसे लाईसैंस लेना पड़ता है। इसी तरह से मेरा पाइंट है कि टोबैको ग्रोइंग इजडनबाई फारमर्स जो कड़ाना और नर्मदा डैम के कमांड ऐरिया में डोरिगेशन लैंड हैं उसमें टोबैको का कल्टिवेशन होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि यहां जो कल्टिवेशन इतने समय से होती है, उस पर बैन लगाए। जहां एक साल में तीन धान की फसलें होती हैं। टोबैको का कल्टीवेशन होता है तो एक ही फसल साल में ले पाते हैं। पीने के पानी के लिए, इरीगेशन के पानी के लिए जो ट्राइबल बेल्ट तरस रहा है, उसकी हमारी एक फाईल गुजरात सरकार के पास पड़ी है। अगर वह फाईल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाए तो 90 और 10 के रेश्यों से गुजरात गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट मिल जाए और हमें पानी मिल जाए।

महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, हमें अपनी आवाज उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। वापस मैं फिर से सुषमा जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय: आप धन्यवाद तो बहुत अच्छी तरह देती हैं, लेकिन चेयर की बात नहीं मानती हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा में निरंतर हो रही अनियमितता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, गत वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 23 मई, 2010 को हुआ, जिसका परिणाम 19 अगस्त, 2010 को घोषित किया गया। इस परीक्षा में अपनी सफलता के लिए पूरी तरह आश्वस्त कुछ अभ्यर्थियों ने जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपने अंक जानने चाहे तो आयोग ने उत्तर दिया कि क्योंकि इससे संबंधित वाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, अत: आयोग यह जानकारी नहीं दे सकता।

महोदय, अनियमितता का यह क्रम वर्ष 2006 से चला आ रहा है, तब भी आयोग ने अभ्यर्थियों को अंक बताने से इन्कार कर दिया था। अभ्यर्थी केन्द्रीय सूचना आयोग में गए, सूचना आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग को वैध माना तथा संघ लोक सेवा आयोग को 15 दिन के अंदर अंक तथा मॉडल उत्तर प्रारूप देने का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 अप्रैल, 2007 को आयोग की अपील खारिज करते हुए अंक तथा मॉडल उत्तर प्रारूप देने का आदेश दिया।

महोदय, लेकिन आयोग नहीं माना तथा क्रमश: उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच तथा यहां भी हारने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक आयोग के किसी

वकील ने बहस नहीं की तथा तारीख डलती रहीं। अंततः 18 नवंबर, 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया तथा आयोग की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल बैंच के निर्णय को प्रभावी माना। लेकिन, यह मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। वर्ष 2010 के अभ्यर्थियों ने इसी विषय में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वर्ष 2006 का वाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी, जिसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः माननीय न्यायालयों द्वारा पहले किये गये निर्णयों को उचित ठहराया। विडम्बना यह है कि न्याय के खिलाफ इस कानूनी लड़ाई में लोक सेवा आयोग ने जनता की गाढ़ी कमाई के 105 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च कर दिये।

सभापति महोदयः आपकी मांग क्या है?

श्री राजेन्द्र अग्रवालः महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, अभ्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए तथा संघ लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए।

सभापति महोदयः मैंने आपके इस जीरो ऑवर को बहुत ध्यान से सुना क्योंकि एक डैलीगेशन मुझसे भी मिलने आया था और उसने ये सारी बातें कहीं थीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवालः जी, महोदय।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, वह डैलीगेशन हमसे भी मिला था।

श्री राजेन्द्र अग्रवालः महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है।

श्री अर्जुन राम मेघवालः उसने जंतर-मंतर पर धरना भी दिया था।

सभापति महोदयः इसका मतलब है कि साक्षात प्रमाण है कि गड़बड़ हुई है।

श्री राजेन्द्र अग्रवालः बिल्कुल है और इसकी जांच कराई जाए, सब प्रमाण हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवालः उसने जंतर-मंतर पर धरना भी दिया था।

श्री राजेन्द्र अग्रवालः महोदय, यह सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है। इसमें भी सब गड़बड़ होती है।

श्री अर्जुन राम मेघवालः महोदय, यह सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है और उसमें भी गड़बड़ हुई है।

श्री राजेन्द्र अग्रवालः महोदय, मैं आपका पूरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

डॉ. राजन सुशान्तः महोदय, इस पर सरकार की ओर से कुछ जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदयः ठीक है, आ गया। इसका एक और तरीका है कि आप इसे किसी दूसरे माध्यम से भी सदन में लाइये, जब स्पीकर महोदया स्वयं बैठी हों।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रो. रामशंकर, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री विष्णु पद राय और श्री वीरेन्द्र कुमार को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबंद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

डॉ. राजन सुशान्तः महोदय, आज यहां आपने मुझे लोक सभा के सभी सांसदों की भावनाओं को प्रकट करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदयः यह आप कैसे जान गये कि सबकी भावना है।

डॉ. राजन सुशान्तः महोदय, हम सब मिलते-जुलते रहते हैं तो महोदय, सभी की ये भावनाएं हैं। अभी हाल ही में सरकार ने सांसद निधि दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है, उसके लिए हम सभी धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से, स्वाभिमान की दृष्टि से और स्वराज की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार मजबूत बने। केन्द्र सरकार तभी मजबूत होगी जब केन्द्र सरकार को बनाने वाली संसद मजबूत होगी। संसद तभी मजबूत समझी जाएगी, जब इसके मूल घटक सांसद अपना काम करने में ज्यादा सक्षम होंगे, ज्यादा ताकतवर होंगे, उनका मान-सम्मान होगा।

आदरणीय सभापति जी, आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने हाल ही में जो बजट दिया है, लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का बजट भारत सरकार का आया है। मैं गिनती कर

रहा था कि एक सांसद के हिस्से में लगभग 2000 करोड़ रुपये आता है। देखने में लगता है कि सांसद के पास बहुत ताकत है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो अफसोस होता है और बरबस निकल जाता है कि हमारी स्थिति यह है कि *'रहने को घर नहीं, मगर हिन्दोस्तां हमारा।'*

सभापति महोदय: 'सारा जहां हमारा।'

डॉ. राजन सुशान्त: जी, सारा जहां हमारा। यह हमारी हालत हो गई है।

आदरणीय सभापति जी, आज हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे नरेगा हो, चाहे भारत निर्माण की हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे एनआरएचएम हो, चाहे राजीव गांधी योजना हो, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, सिंचाई की योजना हो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मांग क्या करते हैं?

डॉ. राजन सुशान्त: मैं अनेकानेक योजनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सारा पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन मुझे अनुभव हुआ है व्यक्तिगत तौर पर, और बहुत से सांसदों को भी यह अनुभव होता है कि यहां तो हम बजट पास करके चले जाते हैं लेकिन जब वही योजनाएं बनती हैं तो न तो बनाते वक्त हमसे पूछा जाता है और न बजट मंजूर करते वक्त हमसे पूछा जाता है, न क्रियान्वयन करते वक्त पूछा जाता है, न मॉनीटरिंग के वक्त पूछा जाता है। लेकिन उस समय अफसोस और अपमान की बात हो जाती है कि दिया हुआ पैसा तो केन्द्र सरकार का होता है लेकिन शिलान्यास और उद्घाटन के समय भी सांसदों को सम्मान नहीं दिया जाता है। मैं आज यहां मांग करता हूं कि जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं बनें, उनमें हमारी सहभागिता भी होनी चाहिए। योजना बनाएं, योजना का पैसा मंजूर करें, क्रियान्वयन कराएं, मॉनीटरिंग कराएं, इनमें सब जगह हमारी सहमति भी चाहिए और साथ ही सहभागिता भी चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार से सभी सांसद चाहते हैं कि जितनी केन्द्र की योजनाएं हैं, उनके साथ इंस्ट्रक्शन दे दें कि इनको बनाते समय योजनाओं के लिए जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर संबंधित सांसदों को उनका चेयरमैन बना दिया जाए ताकि सारी योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाए। सांसद मजबूत होगा तो संसद मजबूत होगी और केन्द्र सरकार मजबूत होगी।

सभापति महोदय: सुशान्त जी, एक उर्दू का बहुत मशहूर शेर है–

'दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता
ज़मीं मिलती है तो आसमां नहीं मिलता।'

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वीरेन्द्र कश्यप, प्रो. रामशंकर तथा श्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम डॉ. राजन सुशान्त द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध किया जाता है।

[अनुवाद]

अत: सभा कल 16 मार्च 2011, पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

रात्रि 8.18 बजे

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार 16 मार्च-2011/25 फाल्गुन 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती जे. शांता श्री जय प्रकाश अग्रवाल	261
2.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	262
3.	श्री समीर भुजबल	263
4.	श्री हरीश चौधरी श्री जोसेफ टोप्पो	264
5.	श्रीमती दीपा दासमुंशी श्री एम.बी. राजेश	265
6.	श्री सी. राजेन्द्रन श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	266
7.	श्री पी. कुमार डॉ. पी. वेणुगोपाल	267
8.	श्री हरिभाऊ जावले श्रीमती सुमित्रा महाजन	268
9.	श्री ए. गणेशमूर्ति श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	269
10.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	270
11.	श्री के.पी. धनपालन	271
12.	श्री एस. सेम्मलई श्री खगेन दास	272
13.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	273
14.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	274
15.	श्री अनंत कुमार	275
16.	श्री एस.आर. जेयदुरई श्री आनंदराव अडसुल	276
17.	श्री उदय सिंह श्री अवतार सिंह भडाना	277
18.	श्री दत्ता मेघे	278
19.	डॉ. गिरिजा व्यास	279
20.	श्री जगदीश शर्मा श्री अर्जुन राय	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3188
2.	श्री आनंदराव अडसुल	3021
3.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3189
4.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3161, 3178, 3217
5.	श्री हंसराज गं. अहीर	3005, 3188, 3203
6.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3059
7.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3157, 3182
8.	श्री सुरेश अंगड़ी	3104
9.	श्री घनश्याम अनुरागी	3181
10.	श्री अशोक अर्गल	3130
11.	श्री जयवत गंगाराम आवले	3133
12.	श्री कीर्ति आजाद	3046, 3176, 3181, 3183
13.	श्री गजानन ध. बाबर	3030, 3184, 3216
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3023
15.	श्री रमेश बैस	3010, 3075, 3082, 3174, 3181

1	2	3
16.	डॉ. बलीराम	3054, 3188
17.	श्री अम्बिका बनर्जी	3073, 3181, 3188
18.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3180
19.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	3181
20.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3181
21.	श्री अवतार सिंह भडाना	3062
22.	श्री पी.के. बिजू	3065, 3099
23.	श्री हेमानंद बिसवाल	3101
24.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	3136, 3177
25.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3020, 3058, 3184
26.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	3153
27.	श्री सी. शिवासामी	3105
28.	श्री हरीश चौधरी	3125
29.	श्री जयंत चौधरी	3102
30.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3087, 3175, 3179, 3185, 3220
31.	श्री हरिश्चंद चव्हाण	3012, 3209
32.	श्री भूदेव चौधरी	3053, 3142, 3183
33.	श्री निखिल कुमार चौधरी	3181, 3183
34.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3189
35.	श्री अबू हशीम खां चौधरी	3115
36.	श्री अधीर चौधरी	2997, 3188
37.	श्री भक्त चरण दास	3146, 3179, 3184, 3189, 3193
38.	श्री खगेन दास	3182, 3213
39.	श्री राम सुन्दर दास	3131
40.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3056, 3112

1	2	3
41.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	3180
42.	श्री रमेन डेका	3099
43.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3099
44.	श्री मिलिंद देवरा	3011, 3208
45.	श्री के. डी देशमुख	3003, 3131, 3218
46.	श्रीमती रमा देवी	3137, 3163, 3188
47.	श्री संजय धोत्रे	3164
48.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3126, 3185, 3193
49.	श्री चार्ल्स डिएस	3168
50.	श्री निशिकांत दुबे	3085, 3188
51.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3131, 3155, 3191, 3192
52.	श्रीमती प्रिया दत्त	3016, 3151, 3188, 3202
53.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3124
54.	श्री गढ़वी मुकेश भैरवदानजी	2999
55.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3069
56.	श्री वरुण गांधी	3050
57.	श्री एल. राजगोपाल	3092, 3129, 3131, 3191
58.	श्री शिवराम गौडा	3128
59.	श्री डी.वी. सदानंद गौडा	3181, 3192
60.	श्री डी.बी. चन्द्रे गोडा	3088
61.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3093
62.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	3120
63.	शेख. सैदुल हक	3108, 3181
64.	श्री महेश्वर हजारी	3051

1	2	3
65.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3083, 3090, 3165, 3181, 3192
66.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3017, 3206
67.	श्री बलीराम जाधव	3131
68.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	3135
69.	डॉ. संजय जायसवाल	3078, 3184
70.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3087, 3179, 3184, 3220
71.	श्री बद्रीराम जाखड़	3016, 3179
72.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	3067
73.	श्रीमती जयाप्रदा	3068, 3112, 3140, 3184, 3187
74.	श्री नवीन जिन्दल	2992
75.	श्री कैलाश जोशी	3181
76.	श्री महेश जोशी	3107
77.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3182
78.	श्री प्रहलाद जोशी	3041
79.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3026, 3158
80.	डॉ. ज्योति मिर्धा	3148
81.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	3152
82.	श्रीमती कैसर जहां	3037
83.	श्री पी. करुणाकरन	3058, 3172, 3181
84.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3058, 3064, 3183
85.	श्री नलिन कुमार काटील	3128
86.	श्री चंद्रकांत खैरे	3103, 3179, 3188
87.	डॉ. कृपारानी किल्ली	3106, 3147, 3150
88.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3049, 3120, 3185

1	2	3
89.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3009, 3181
90.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3119
91.	श्री मिथिलेश कुमार	3001, 3188, 3189, 3190, 3196
92.	श्री विश्व मोहन कुमार	3061
93.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	3035
94.	श्री यशवंत लागुरी	3165
95.	श्री पी. लिंगम	3056, 3112
96.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3014, 3212
97.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3183, 3201
98.	डॉ. चरण दास महन्त	3062, 3112, 3118
99.	श्री सतपाल महाराज	3143, 3181, 3190
100.	श्री नरहरि महतो	3022, 3121
101.	श्री भर्तृहरि महताब	3077, 3188
102.	श्री प्रदीप माझी	3094, 3170
103.	श्री मंगनी लाल मंडल	3193
104.	श्री जोस के. मणि	3080, 3181
105.	श्री हरि मांझी	3082
106.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	3136, 3162
107.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	3062
108.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3036, 3061, 3112, 3190
109.	श्री भरत राम मेघवाल	3166
110.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3131, 3141
111.	श्री महाबल मिश्रा	3161
112.	श्री पी.सी. मोहन	2991, 3176
113.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3082, 3174, 3181

1	2	3
114.	श्री विलास मुत्तेमवार	3089, 3184
115.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3017, 3171
116.	श्री पी. बलराम	3008, 3177
117.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	3082, 3131, 3191
118.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3056, 3071, 3158, 3188, 3192
119.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3032, 3120, 3186, 3187
120.	कुमारी मीनाक्षी नटाजन	3182
121.	श्री संजय निरुपम	3039
122.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3015, 3056, 3175, 3188, 3186
123.	श्री पी.आर. नटराजन	3123
124.	श्री वैजयंत पांडा	3058, 3114, 3185
125.	श्री प्रबोध पांडा	3084, 3131, 3219
126.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3061, 3095, 3112
127.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3025, 3165, 3190, 3211
128.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	3111
129.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3134
130.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	2995
131.	श्री सी.आर. पाटिल	3063, 3179
132.	श्री देवजी एम. पटेल	3186
133.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3039, 3044
134.	श्री बाल कुमार पटेल	3096
135.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3094, 3170
136.	श्री हरिन पाठक	3127
137.	श्री संजय दिना पाटील	3188, 3192
138.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3183
139.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3184
140.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3072, 3167
141.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3176
142.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3002, 3029, 3200, 3215
143.	श्री अमरनाथ प्रधान	3052
144.	श्री नित्यानंद प्रधान	3058, 3114, 3185
145.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	3059
146.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	3179
147.	श्री एम.के. राघवन	3060, 3097, 3191
148.	श्री प्रेम दास राय	3138
149.	श्री सी. राजेन्द्रन	3181
150.	श्री एम.बी. राजेश	3178, 3191
151.	श्री पूर्णमासी राम	3075, 3184
152.	प्रो. राम शंकर	3100
153.	श्री राजेन्द्रसिंह राणा	3110
154.	श्री निलेश नारायण राणे	3033, 3190
155.	डॉ. के. एस. राव	3156
156.	श्री रायपति सांबसिवा राव	3048
157.	श्री रमेश राठौड़	3106, 3147
158.	श्री रामसिंह राठवा	3031, 3213
159.	डॉ. रत्ना डे	3079
160.	श्री अशोक कुमार रावत	3004
161.	श्री विष्णु पद राय	3086
162.	श्री रुद्र माधव राय	3074, 3131, 3176

1	2	3
163.	श्री के.आर.जी. रेड्डी	2996, 3173
164.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3188, 3190
165.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3091, 3181, 3192
166.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3022, 3121
167.	श्री महेन्द्र कुमार राय	3034, 3219
168.	श्री एस. अलागिरी	3125, 3137
169.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2994, 3143, 3189, 3205
170.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3069
171.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3043, 3179
172.	डॉ. अनूप कुमार साहा	3181
173.	श्री तकाम संजय	3184
174.	श्रीमती सुशीला सरोज	2993, 3177, 3181
175.	श्री हमदुल्लाह सईद	3007, 3198
176.	श्री अर्जुन चरण सेठी	3122
177.	श्रीमती जे. शांता	3191, 3194
178.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	3131
179.	श्री मदन लाल शर्मा	3028, 3181, 3214
180.	श्री नीरज शेखर	3068, 3112, 3140, 3184, 3187
181.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2996, 3173
182.	श्री राजू शेट्टी	3159, 3184, 3189
183.	श्री जी.एस बावराज	3106
184.	श्री एंटो एंटोनी	3057, 3066
185.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	3139
186.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3040, 3096, 3138
187.	डॉ. भोला सिंह	3070
188.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3047

1	2	3
189.	श्री गणेश सिंह	3154, 3181
190.	श्री इज्यराज सिंह	3083, 3184, 3189
191.	श्री जगदानंद सिंह	3160
192.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3151, 3184
193.	श्रीमती मीना सिंह	3132, 3183
194.	श्री राधा मोहन सिंह	3053
195.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3066
196.	श्री राकेश सिंह	3013, 3183
197.	श्री उदय सिंह	3181, 3182, 3195
198.	श्री यशवीर सिंह	3068, 3112, 3140, 3184, 3187
199.	चौ. लाल सिंह	3106
200.	श्री धनंजय सिंह	3181, 3184
201.	श्री राधे मोहन सिंह	3131
202.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3113, 3154, 3179, 3184, 3193
203.	श्री उमाशंकर सिंह	3066, 3181
204.	डॉ. संजय सिंह	3137, 3154, 3163, 3193
205.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3002, 3181, 3200
206.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3169
207.	श्री के. सुधाकरण	3018, 3099, 3137, 3147, 3207
208.	श्री ई.जी. सुगावनम	3045, 3169
209.	श्री के. सुगुमार	3000, 3188
210.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3056, 3071
211.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3069, 3120
212.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3179
213.	श्री जनार्दन स्वामी	3024, 3210

1	2	3
214.	श्रीमती तबस्सुम हसन	3116
215.	श्री मानिक टैगोर	3076
216.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3019
217.	श्री बिभू प्रसाद तराई	3055
218.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	3204
219.	श्री मनीष तिवारी	3191
220.	श्री जगदीश ठाकोर	3165, 3193
221.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3058, 3064, 3183
222.	श्री आर. थामराई सेलवन	3058, 3081
223.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3144
224.	श्री पी.टी. थॉमस	3098
225.	श्री मनोहर तिरकी	3149, 3154
226.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3095, 3131
227.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3006, 3199
228.	श्री जोसेफ टोप्पो	3197
229.	श्री शिवकुमार उदासी	3027
230.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3181
231.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3083, 3113, 3145, 3184
232.	श्री सज्जन वर्मा	3109, 3110
233.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3177, 3181
234.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3092
235.	श्री पी. विश्वनाथन	3042
236.	श्री सुभाष बापूराव वानखेडे	3164
237.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	3038, 3145, 3189
238.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3021, 3184
239.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3157
240.	श्री ओम प्रकाश यादव	3179
241.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2998
242.	श्री मधु गौड यास्खी	3072, 3131
243.	योगी आदित्यनाथ	3097, 3176

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	264, 265, 270, 273, 275, 278, 280
उपभाक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	268
संस्कृति	:	
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	274
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
गृह	:	267, 277, 279
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	261
सूचना और प्रसारण	:	262, 266
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
शहरी विकास	:	263, 272, 276
युवक कार्यक्रम और खेल	:	269, 271

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3002, 3005, 3006, 3009, 3017, 3021, 3022, 3030, 3035, 3037, 3046, 3050, 3055, 3057, 3081, 3084, 3087, 3101, 3102, 3104, 3111, 3114, 3121, 3128, 3140, 3142, 3149, 3155, 3157, 3165, 3171, 3187, 3191, 3194, 3199, 3209, 3214, 3216
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3049, 3061, 3075, 3076, 3078, 3086, 3108, 3120, 3126, 3129, 3154, 3159, 3160, 3164, 3178, 3180, 3181, 3184, 3200
संस्कृति	:	3000, 3012, 3016, 3025, 3027, 3031, 3041, 3042, 3043, 3047, 3054, 3105, 3119, 3124, 3192, 3203
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3058
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3008, 3100, 3122, 3138, 3147, 3185, 3193, 3195, 3211
गृह	:	2996, 3004, 3007, 3010, 3013, 3014, 3019, 3023, 3024, 3028, 3032, 3033, 3034, 3036, 3039, 3044, 3045, 3052, 3053, 3056, 3059, 3060, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3070, 3071, 3072, 3073, 3077, 3079, 3080, 3089, 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3112, 3116, 3117, 3118, 3125, 3127, 3130, 3131, 3132, 3133, 3135, 3136, 3139, 3141, 3150, 3151, 3153, 3156, 3158, 3162, 3166, 3167, 3172, 3173, 3174, 3176, 3177, 3183, 3198, 3201, 3202, 3205, 3207, 3210, 3212, 3217, 3218, 3219
आवास और शहरी गरीबी उपमशन	:	2993, 3082, 3090, 3123, 3145, 3146, 3152, 3163, 3168, 3188, 3213
सूचना और प्रसारण	:	2995, 3026, 3029, 3092, 3110, 3137, 3161, 3182, 3186, 3215
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3048, 3103, 3106, 3107
शहरी विकास	:	2991, 2992, 2994, 2998, 2999, 3001, 3003, 3011, 3015, 3038, 3040, 3051, 3063, 3069, 3074, 3083, 3088, 3113, 3115, 3134, 3143, 3148, 3169, 3175, 3179, 3196, 3197, 3204, 3206, 3208, 3220
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2997, 3018, 3020, 3068, 3085, 3099, 3109, 3144, 3170, 3189, 3190

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/16/16/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।